अनुदान : स्वीकृति प्रक्रिया एवं नियम

लेखक एवं संकलनकर्त्ता
कृपाशंकर व्यास

सुमन विवेक मंदिर, बीकानेर

नोट– यद्यपि पुस्तक को तैयार करने में पूर्ण सावधानी रखी गई है फिर भी पाठकों से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित मूल अधिनियम, नियम, संशोधन, परिपत्र ही अंतिम रूप से मान्य होंगे।

प्रकाशक
सुमन विवेक मन्दिर
धोबीधोरा, सूरसागर, बीकानेर

संस्करण
प्रथम 2004

मूल्य
160/-

मुद्रक
तिलोक प्रिंटिंग प्रेस,
बीकानेर

परम पूजनीय आदरणीय माताजी

"माँ" स्व. श्रीमती सूरजदेवी व्यास

के चरण कमलों में

यह पुस्तक सुमन

सादर समर्पित करता हूं।

अनुदान : स्वीकृति प्रक्रिया एवं नियम

विषय वस्तु एक दृष्टि में

प्रस्तावना

शिक्षा आदर्श जीवन का एक प्रमुख आधार स्तम्भ है। जन-जन तक शिक्षा का प्रसार हो इसके लिए राज्य सरकार के साथ ही साथ समाजसेवी सगठन व सस्थाऐं भी बराबर प्रयत्नशील है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तर की शिक्षण सस्थाए सक्रिय रूप से शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु कार्यरत है। आज के इस आर्थिक युग मे प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु धन की नितान्त आवश्यकता होती है। सभी समाज सेवी सगठन व संस्थाए ऐसी नहीं जो आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर हों। अत उन्हें आर्थिक सहयोग मिल जावे तो वे इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य कर शिक्षा के प्रसार व प्रचार में सरकार को अधिक सहयोग कर सकती है। राजस्थान में भी राज्य सरकार इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए निजी शिक्षण सस्थाओं, को जो आर्थिक सहयोग की इच्छुक हो, को नियमों की पूर्ति करने पर नियमानुसार अनुदान देती है। जिसके लिए विस्तृत नियम भी बनाए हुए है। काफी समय से यह अनुभव किया जा रहा था कि सस्थाओं को अनुदान सूची पर आने व नियमित वार्षिक अनुदान लेने में काफी कठिनाइया हो रही है। इस हेतु नियमों की सही क्रियान्विति हो तथा संस्थाओं को अनुदान प्राप्त करने में आसानी रहे को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक में विस्तृत नियमों को एक दृष्टि में समझाने का प्रयास किया है। साथ-साथ मान्यता व अनुदान प्राप्त करने की सरल प्रायोगिक प्रक्रिया (Practical method) यथा आवेदन कैसे करे ? आवेदन तैयार करने में किन-किन बातों का ध्यान रखा जावे। आवेदन पत्र किसे व कब प्रस्तुत किया जाय आदि की विस्तृत प्रक्रिया समझाने का प्रयास किया गया है, साथ ही जाच अधिकारियों व सक्षम अधिकारियों को आवेदन पत्र प्राप्त करते समय किन-किन बिन्दुओं को देखना होगा व जांच करनी होगी तथा स्वीकृति प्रसारण अधिकारी को स्वीकृति से पूर्व क्या-क्या सावधानियॉ बरतनी चाहिए जिससे कि सस्था को अनुदान सूची पर लेने व उन्हें नियमित अनुदान स्वीकृत करने में कठिनाइयॉ न है तथा अनियमितताओं से भी बचा जा सके।

प्रस्तुत पुस्तक में अनुदान नियमों को सक्षिप्त तथा सरल सारगर्भित बोलचाल की भाषा में भी समझाने का प्रयास किया गया है। अनुदान मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं को ही स्वीकृत हो सकता है। अतः शिक्षण सस्थाओं को मान्यता प्राप्त करने व अनुदान सूची पर आने के लिए क्या-क्या कार्यवाही करनी होगी व कौन कौन से प्रपत्र भरने होंगे, नियमित अनुदान हेतु आवेदन कैसे किया जावेगा व अनुदान आवेदन में क्या-क्या कमियॉ रह सकती है की जानकारी व उसकी पूर्ति को प्रायोगिक दृष्टि से समझाने का प्रयास किया गया है। साथ ही सक्षम व स्वीकृति देने वाले अधिकारी के कार्यालयों में क्या-क्या जाच करनी होगी को भी समझाने का भी प्रयास किया गया है।

मूल नियमों के सम्बन्ध में समय-समय पर जो निर्देश, आदेश, संशोधन राज्य सरकार द्वारा प्रसारित किए गए है। उनका सम्बन्धित नियमों पर जो प्रभाव पड़ा हैं उनका समावेश नियमों में दर्शाने का प्रयास किया है फिर भी मूल नियम व मूल आदेश अतिम रूप से प्रसारित मान्य होगें। इन आदेशों को सम्बन्धित नियम/उपनियम पर 'R' अकित कर दर्शाया गया है, तथा 'R' जो आदेश का बोध कराता है, का सारांश सम्बन्धित अध्याय के अन्त में दिया गया है सुविधा की दृष्टि से इन साराशों के आगे सम्बन्धित नियम भी अकित किये गए है जिससे कि सरकार द्वारा प्रसारित इन आदेश की मूल भावना का ज्ञान हो सके तथा सम्बन्धित संस्था व कार्यालय कर्मचारी को भी आदेशों को पंजिका में टिप्पणी हेतु प्रस्तुत

करने में सहूलियत रहे। जहां तक हो सका सभी 9/2004 तक प्रसारित आदेशों को संग्रेहित कर उन पर संदर्भ देखने की सुविधा की दृष्टि से प्रसारण तिथि अनुसार आदेशों को देखने व शीघ्र सदर्भ हेतु क्रमांक भी लगाये गए है अनुक्रमणिका में आदेश संख्या के साथ ही साथ आदेशों के साराश के सामने भी सदर्भ देखने हेतु नियम संख्या दी गई है।

गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं व कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन आहरण व अन्य वित्तीय विवरण आदि तैयार करने के लिए पुस्तक में वेतनमान व कर्मचारियों को देय वेतनभतों की तालिका भी दी गई है।

नियमों के अंत में राजस्थान सोसाईटी रजिस्करण अधिनियम, 1958 भी पुस्तक के अंत में सुविधा के लिए उपलब्ध कराये गए है जिससे कि सस्था के इन नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत करवाने में कठिनाई न हो।

प्रस्तुत पुस्तक को तैयार करने में समय-समय पर अनुदान सम्बन्धी कार्य करने पर मैंने जो कुछ सीखा उसे यहाँ लेखवद्ध करने का प्रयास किया है। इस पुस्तक में जिनसे सामग्री व मार्गदर्श मिला है इनमें मैं सर्व श्री सुरेन्द्र सिंह, व रामकिशन शर्मा, स.ले.अ., नूतन हर्ष, लेखाकार, रमेश कुमार जोशी, का.स, महेन्द्र आचार्य तथा अनिल आचार्य, क.ले का विशेष आभारी हूँ।

पुस्तक को तैयार करने में यद्यपि पूरी सावधानी रखी गई है इसमें नवीनतम संशोधन भी सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। फिर भी यदि इसमें कोई कमी रह गई है तो पाठकों से अनुरोध है कि वे अपने सुझाव भेजकर कृतार्थ करेंगे। ऐसी आशा है यह पुस्तक अनुदान स्वीकृति प्रक्रिया व नियमों हेतु संस्थाओं व कार्यालय कार्य में बहुत सहायक सिद्ध होगी।

बीकानेर - रामनवमी

दिनांक **30-3-2004**

लेखक एवं संकलनकर्ता

कृपाशंकर व्यास

सा.ले.अ. (से.नि.)

धोबी धोरा, सूरसागर, बीकानेर

अनुदान नियम : एक सिंहावलोकन

शिक्षा के प्रसार व प्रचार हेतु राज्य सरकार के साथ ही साथ समाज सेवी सगठन व संस्थाए भी शिक्षा के देदीप्यमान चिराग को वरावर प्रज्वलित कर रही है। इन सस्थाओं को राज्य सरकार इस पवित्र कार्य के लिए इनके द्वारा माग करने पर सहयोग "अनुदान" के रूप में भी देती है। इन सस्थाओं को अनुदान कैसे स्वीकृत किया जाता है जानने से पूर्व यह जानना आवश्यक होगा कि इन गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं को अनुदान प्राप्त करने से पूर्व क्या-क्या कार्यवाही पूर्ण करनी होगी ?

गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं को अनुदान देने हेतु पूर्व राजस्थान सहायता अनुदान नियम, 1963 बनाए गए थे लेकिन वाद में अनुदान सम्बन्धी कठिनाइयो के कारण इनमें ओर विपय व प्रक्रिया जोडते हुए नियमों को व्यापक व सरल वनाने हेतु राज्य सरकार ने इस सम्वन्ध में अधिनियम "राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिनियम 1989" व इस अधिनियम की धारा 43 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत "राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 वनाये जो 1 अप्रेल 1993 से लागू हुए। अव गैर सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण सस्थाओ को इन नियमों के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है। पूर्व में जिन सस्थाओ को मान्यता व अनुदान 1963 के नियमो के अधीन दिया जाता था अव उन्हें नियम 1993 के अन्तर्गत दिया जावेगा।

इन नए नियमों के प्रभावी होने से पूर्व के लम्वित प्रकरणों का निपटारा पूर्व के नियमों के अनुसार किया जावेगा लेकिन इन नियमों के लागू होने के वाद के पुरानी सस्थाओं के लम्वित प्रकरण इन नियमों के अनुसार निपटाये जावेंगे।

प्रक्रिया- 1. पंजीकरण, मान्यता- सर्वप्रथम नई गैर सरकारी शिक्षण सस्था को प्रारम्भ करने हेतु उस संस्था को प्रारम्भ करने वाले व्यक्ति/संस्था/सगठन को अपनी सस्था का पंजीकरण करवाना होगा। पर्जीकरण राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनिम, 1958 के अन्तर्गत पजीयक, जिला सहकारी समितियाँ द्वारा करवाना आवश्यक होगा। सदर्भ हेतु ये अधिनियम पुस्तक के अत में दिए गए हैं। पूर्व में तत्कालीन नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार पजीकृत सस्थाओं को अव दुवारा पजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी (आदेश क्रमांक 32)। तत्पश्चात् सस्था को अपने कार्यो व गतिविधियों के मान्यता दिलाने हेतु सम्बन्धित विभाग को आवेदन करना होगा क्योंकि बिना मान्यता के किसी सस्था को अनुदान देय नहीं होगा। बिना अनुदान लिए प्रा. स्तर तक की शिक्षण सस्थाएं बिना मान्यता लिए भी चलाई जाती है। (आदेश क्रमाक 11)

किसी शिक्षण सस्था को शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए यदि अनुदान लेना है तो उन्हे अनुदान नियमो के नियम 10 व परिशिष्ट 2 में निहित शर्तो की पूर्ति अवश्य करनी होगी।

वर्तमान नियम 3, 4 व 5 में शिक्षण सस्थाओं के लिए मान्यता का प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार परिशिष्ट 3 में वर्णित प्राधिकारी द्वारा मान्यता दी जावेगी। (नियम 3) यह मान्यता पूर्व में स्थायी व अस्थायी दो प्रकार की होती थी (नियम 4) लेकिन राज्य सरकार ने समय व शक्ति के अपव्यय से राहत दिलाने हेतु अब केवल मान्यता देने का ही प्रावधान रखा है। इससे दो वार पैनल निरीक्षण नहीं करना पड़ेगा। एक बार के पैनल निरीक्षण के आधार पर मान्यता दी

जा सकेगी, लेकिन जिन सस्थाओं को पूर्व में नियमानुसार अस्थायी मान्यता दी गई थी, उन्हें अब इन नियमो के प्रभावी होने के बाद पुनः स्थायी मान्यता के लिए आवेदन नहीं करना होगा। पूर्व में नियमानुसार दी गई अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता मान ली जावेगी। नई सस्थाओं को अब मान्यता के लिए आदेश क्रमाक 127 के साथ प्रसारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा (नियम 5)। निरीक्षण के बाद सक्षम अधिकारी अपने निर्णय की सूचना संस्था को रजिस्टर्ड डाक से 30 जून तक भेज देगा।

अपील-जिन सस्थाओं को किन्हीं कारणो से यदि मान्यता नहीं मिलती है तो वे इन्कार की सूचना मिलने के 30 दिन के अन्दर सक्षम अधिकारी को अपील कर सकते हैं (नियम 6)। मान्यता देने वाला अधिकारी, सस्था को परिशिष्ट-2 में दी गई शर्तो की पूर्ति न करने, सक्षम अधिकारी के आदेशों की पालना न करने व नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पावे तो, उसकी मान्यता वापिस लेने हेतु कारण बताओ नोटिस का समुचित अवसर देने के पश्चात् मान्यता वापिस ले सकता है (नियम 7)। इस कार्यावाही के विरुद्ध भी सस्था सूचना प्राप्ति के 30 दिन के अदर अपील कर सकती है (नियम 8)।

अनुदान (नियम 11) उक्त प्रकार से नियमो के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण सस्थाए ही अनुदान हेतु आवेदन कर सकती है। इस हेतु मान्यता प्राप्त ऐसी शिक्षण संस्थाए जो गत तीन वर्षो से चल रही है, छात्राओं के मामले में जो कम से कम 2 वर्ष से चल रही है, उन्हीं सस्थाओं को अनुदान सूची पर लेने हेतु कमेटी विचार कर सकती है। अत ऐसी सस्थाओ को परिशिष्ट-4 में विहित प्रारूप में अपने आवेदन 30 सितम्बर तक सम्बन्धित शिक्षा निदेशक (प्राथमिक, माध्यमिक, सस्कृत व महाविद्यालय) को प्रस्तुत कर देने चाहिए। शिक्षा निदेशक 31 अक्टूबर तक इन आवेदन पत्रों कि सस्थाओ के पैनल निरीक्षण हेतु एक कमेटी गठित करेगा जो परिशिष्ट-5 में विहित प्रपत्र में अपनी पैनल रिपोर्ट 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत करेगी। इस रिपोर्ट की समीक्षा सम्बन्धित शिक्षा निदेशालय के लेखाशाखा के प्रमुख जो भी हो मुख्य लेखाधिकारी, लेखाधिकारी द्वारा की जावेगी। पैनल निरीक्षण में सिफारिश की गई सस्थाओं की सूची 31 जनवरी तक राज्य सरकार को भेजी जावेगी जिसे सहायता अनुदान समिति के समक्ष रखा जावेगा। इस समिति को शिक्षा निदेशक वित्तीय वर्ष मे उपलब्ध हो सकने वाली राशि से अवगत करायेगा। इसी आधार पर समिति अनुदान हेतु सिफारिश करेगी। शिक्षण सस्थाओं को अनुदान पर लेते समय तथा अनुदान प्रतिशत निर्धारित करते समय वहाँ का क्षेत्र,बालिका, विकलांग, मूक बधिर अंध विद्यालयों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। (आदेश क्रम 48) इस अनुदान समिति के समुख केवल नई अनुदान सूची पर आने वाले प्रकरण व पूर्व की अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के अनुदान प्रतिशत के बढाने/घटाने के मामले ही प्रस्तुत किये जाते हैं शेष मामलों पर राज्य सरकार सीधे ही निर्णय ले सकती है। (आदेश क्रम 86) नई संस्थाए आदेश के प्रसारण/प्रभावी तिथि से मान्य होगी जबकि पूर्व की संस्थाए जिनका प्रतिशत कम या बढाया गया है या तो आदेश में उल्लिखित तिथि से प्रभावी मानी जावेगी अन्यथा आदेश प्रसारण के वित्तीय वर्ष की 1 अप्रेल से प्रभावी होगी (आदेश क्रम 49) जिन नई सस्थाओं को अनुदान सूची पर नहीं लिया जा सका है उन्हें बजट उपलब्धता के आधार पर राज्य सरकार तदर्थ अनुदान स्वीकृत कर सकती है।

प्रबन्धन- प्रत्येक शैक्षणिक सस्था के संचालन हेतु प्रबध समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है। बिना प्रबध समिति के समिति का पजीकरण, मान्यता व अनुदान आदि की प्रक्रिया सम्पादित नहीं हो सकती है क्योकि इन सब में हस्ताक्षर करने के लिए कोई अधिकृत व्यक्ति/अधिकारी जैसे अध्यक्ष या सचिव का होना आवश्यक है। प्रबध समिति के गठन में (i) सोसाइटी द्वारा चलायी जा रही संस्था या सस्थाओं के प्रधान कम से कम 15 व अधिक से अधिक 21 जो एक जाति विशेष या समुदाय विशेष के नहीं होंगे, (ii) कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्य दाताओ या अभिदाताओं में से, (iii) स्थायी स्टाफ से एक सदस्य होगा (iv) शिक्षा निदेशालय का एक प्रतिनिधि जो सस्था प्रधान के स्तर से कम का नही होगा, (v) एक सदस्य विद्यार्थियो के माता-पिता में से होगा तथा (vi) एक पुराना विद्यर्थी इसका सदस्य होगा (नियम 23)।

प्रवन्ध समिति का हर तीन वर्ष बाद विहित प्रक्रिया नियम 23(2) के अंतगर्त निवाचन कराया जावेगा। निर्वाचित सदस्य अपना अध्यक्ष व सचिव चुनेंगे। सस्था का कर्मचारी सचिव तथा कोपाध्यक्ष पद पर नहीं होगा। इस प्रकार नियमानुसार निर्वाचित प्रबन्ध समिति संस्था के समस्त कार्यकलापों के सचालन हेतु उत्तरदायी होगी (नियम 24)। यह प्रवन्ध समिति संस्था के संस्थापन यथा भर्ती, नियुक्ति, निलम्बन आदि सेवा सम्वन्धी तथा लेखा अनुदान हेतु आवेदन करना, वेतन, क्रय, भण्डार सम्वन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित करेंगी।

प्रवंध का अंतरण- संस्था का प्रवध का अंतरण किया जा सकता है। जब किसी संस्था का अतरण प्रस्तावित हो तो सरथा प्रवधन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार जिस व्यक्ति को प्रवधका अतरण किया जावे उससे पूर्व परिशिष्ट 6 में दोनो को सयुक्त रूप से आवेदन करना होगा।

सेवा सम्वन्धी पूर्ति- 1. सस्था में विभिन्न स्तर के पदों का निर्धारण अव सरकार द्वारा प्रसारित आदेश क्रमाक 54 (प. 11(10) शिक्षा-5/90 दिनाक 06.06.1998) के अनुसार निर्धारित किए जावे।

2. राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं में भी वे ही कर्मचारी नियुक्त किये जावे जो राज्य कर्मचारियों हेतु उस पद के लिए निर्धारित योग्यता रखते हो।

3. नियुक्ति हेतु प्रवंध समिति द्वारा गठित चयन समिति विज्ञापन व रोजगार कार्यालय से व्यक्ति आमन्त्रित करेगी। इस चयन समिति में पाच सदस्य होने अनिवार्य हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों में विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य सहित तीन सदस्य भी यदि उपस्थित होकर सर्व सम्मति से निर्णय लेकर चयन करते हैं तो वह मान्य होगा (आदेश क्रम 35) नियम 26 (घ) विना कारण वताए/सूचित किए अनुपस्थित रहने वाले के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। (आदेश क्रम 73) नियम 26 (घ) (III)

चयन समिति के सदस्यो को पद के लिए निर्धारित योग्यता व नियुक्ति सम्वन्धी नियमो व शर्तों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए क्योकि एक वार की गई नियुक्ति के वाद उसे हटाने में कई प्रकार की कठिनाइयॉ आती है।

चयन समिति में- 1. प्रवध समिति के दो प्रतिनिधि 2. एक सस्था का प्रधान, 3 शिक्षा निदेशक द्वारा निर्देशित एक अधिकारी जो विभिन्न स्तर के चयन हेतु विभिन्न स्तर के होते है नियम 26 (3) में दिये गए चार्ट अनुसार इस मनोनयन हेतु वार-वार आदेश प्रसारित करने की वजाय एक स्थायी आदेश जारी कर ने पर अनावश्यक श्रम व समय के अपव्यय से बचा जा सकेगा। (आदेश क्रम 16) नियम 26 (घ) (iii) साथ ही साथ महाविद्यालयों के प्राचार्यो के चयन में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि या उनके द्वारा मनोनीत विशेषज्ञको के पैनल में से वुलाना अनिवार्य होगा (आदेश क्रम 9) नियम 26 (घ)।

सस्था में समय-समय पर रिक्त होने वाले पदों पर भर्ती हेतु वार-वार चयन प्रक्रिया अपनाने में समय, श्रम अधिक लगता है, साथ ही विद्यार्थियों की पढ़ाई भी खराब होती है। अतः इससे बचने के लिए राज्य सरकार के निर्णयानुसार एक बार नियमानुसार वनाये गये पैनल को उस एक शिक्षा सत्र के लिए मान्य कर दिया गया है। अत. उस शिक्षा सत्र मे उस पैनल में से नियुक्ति की जा सकेगी। (आदेश क्रम 8) चयन चार्ट में पूर्ण विवरण व प्रत्येक चयनकर्ता द्वारा दिये गये अंकों का समावेश होना चाहिए और इन्हीं अंकों के आधार पर प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर नियुक्ति की जानी चाहिए।

शिक्षण संस्थाओं को अपने यहॉं स्वीकृत सभी पदों/सेवाओं आदि के आरक्षण नीति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियो की नियुक्ति के सम्वन्ध में समय-समय पर प्रसारित आदेशों की पालना करनी होगी तथा रोस्टर प्रणाली को अपनाना होगा। आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। (आदेश क्र 19) नियम 26 (च)।

प्रवन्ध समिति चयनित अभ्यार्थियों के अनुमोदन हेतु परिशिष्ट-9 में सूची तैयार कर सक्षम अधिकारी को भेजेगी (नियम 27) सक्षम अधिकारी उचित समझेगा तो मंजूर कर सूचित कर देगा अन्यथा नामजूर कर देगा (नियम 28) प्रबंध तदनुसार

नियुक्ति कर सकेगा (नियम 29)। यह नियुक्ति एक वर्ष की परिवीक्षा पर होगी (नियम 30)। परिवीक्षा पर रखे गए कर्मी को उसकी 6 माह से कम की सेवा से हटाने पर उसे एक माह का व 6 माह से अधिक की सेवा अवधि होने पर कर्मी को 3 माह का नोटिस देकर सेवा से अलग किया जा सकता है। आदेश क्रम 84 (नियम 30 ख) प्रबंध समिति को नियुक्ति अनुमोदन के प्रकरणों को 45 दिन में सक्षम अधिकारी को रजिस्टर्ड डाक से भेजना होगा। 45 दिन में अनुमोदन प्रकरण *उसे सक्षम अधिकारी को पूर्ण करना होगा अन्यथा वह अनुमोदन स्वत: अनुमोदित मान लिया जायेगा बशर्ते कि अनुमोदन* सम्बन्धी सभी तथ्यों की पूर्ति उसमें हो। (आदेश क्रम 45, 62, 71, 90, 113, 117)

अधिवार्षिकी की आयु - नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता के साथ ही साथ आयु का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। गैर सरकारी सस्थाओं में नियुक्ति न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व हो सकती है। (दैनिक वेतन भोगी में सेवानिवृत्ति बाद 65 वर्ष की आयु तक।) सामान्य रूप से सेवानिवृत्ति की आयु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले में 60 वर्ष व अन्य में 58 वर्ष होगी। लेकिन अध्यापक वर्ग मे जिन्होंने 58 वर्ष की आयु शिक्षा सत्र में 31 दिसम्बर बाद पूर्ण की हो तो उनकी सेवानिवृत्ति शैक्षिक सत्र की समाप्ति या 30 जून जो भी पहले हो तक बढ़ायी जा सकती है।

आवश्यक अस्थायी नियुक्ति- यदि रिक्त पद को उचित नियत प्रक्रिया से शीघ्र भरा जाना सभव न हो तो प्रबन्ध समिति 6 माह के लिए अत्यावश्यक अस्थायी नियुक्ति कर सकती है। (नियम 33)

- नियुक्ति आदेश सशर्त नहीं होने चाहिए। आदेश में विवरण दिया जाना चाहिए यथा कर्मचारी का नाम, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता तथा जन्म तिथि/गृह जिला आदि।

- नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता व अर्हताए वहीं होगी जो सरकारी संस्थाओं/कार्यालयों में उस पद के लिए निर्धारित है। अप्रशिक्षित को अध्यापक के पद नियुक्ति देय नहीं होगी। अप्रशिक्षित की नियुक्ति पर उस पद का अनुदान देय नहीं होगा।

वेतन भत्ते- गैर सरकारी शैक्षणिक सस्थाओं में पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है। यदि किसी संस्था के क्रमोन्नत होने पर प्रधानाध्यापक का पद प्रधानाचार्य के पद में क्रमोन्नत होता है तो उस पद पर कार्यरत प्रधानाध्यापक यदि उस पद की योग्यता रखता है तो उसे उस पद पर नियुक्ति दी जा सकती है पदोन्नति नहीं उसका वेतन आर एस आर के नियम 26 के अनुसार ही निर्धारित होगा।

इन संस्थाओं के कर्मचारियो को वही वेतन श्रृखला दी जावेगी जो सरकारी कर्मचारियों को देय है लेकिन गैर सरकारी कर्मचारी को चयनित एव वरिष्ट वेतन देय नहीं होगा इन्हें केवल इन्ट्री वेतन ही देय होगा।

31 दिसम्बर से पूर्व नियुक्ति शिक्षक वर्ग के कर्मचारी को ग्रीष्मावकाश का वेतन देय होगा बशर्ते कि उसकी सेवाएं निरन्तर हो तथा ग्रीष्मावकाश अवधि का वेतन किसी अन्य के नाम से आहरित नहीं किया गया हो।

सत्र के मध्य सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक का सेवा काल 30 जून तक या शिक्षा सत्र के समाप्ति तक जो भी पहले हो तक बढाया जा सकता है (आदेश क्रम 76) नियम 45 (ii)

सेवावृद्धि- सेवावृद्धि हेतु कर्मचारी अपना आवेदन परिशिष्ट 13 में दिए गए प्रारूप में जिला शिक्षा अधिकारी की मारफत प्रस्तुत करेगा जिसमे उसके पूर्ण स्वस्थ होने व उसकी सेवाओं की नितात आवश्यकता का उल्लेख होगा। सम्बधित जिशिअ/सक्षम अधिकारी अपनी टिप्पणी के साथ इसे राज्य सरकार को भेजेगा/ राज्य व राष्ट्रीय पुरस्कार सेवा वृद्धि में सहायक हो सकते है।

स्थानान्तरण- एक समान प्रतिशत अनुदान पाने वाली दो शिक्षण सस्थाओं में जो एक ही प्रबध समिति के अधीन हो, के कर्मचारियों का अंतरण स्थानान्तरण बिना शिक्षा विभाग की पूर्व अनुमति के किया जा सकेगा (आदेश क्रम 36) नियम 30 (च)

पद नार्मस- सस्था में मंत्रालयिक कर्मचारियों व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद परिशिष्ट VIII मे विहित नामर्स अनुसार होगे शेष पद राजकीय व अनुदान नियमों के अनुसार निर्धारित होगे। वर्तमान में अध्यापकों आदि के पद संस्था में छात्रों की सख्या, स्तर विषय खण्ड (अनुभाग Section) के अनुसार (परिशिष्ट-2) निर्धारित किये जावेंगे। (आदेश क्रम 54)

पदत्याग- सेवा अवधि पूर्ण करने से पूर्व कर्मचारी स्वयं सेवा से त्याग पत्र दे सकता है व सस्था भी विशेष कारणों से उसे सेवा से हटा सकती, लेकिन दोनों को ही स्थिति अनुसार नोटिस देना होगा स्थायी कर्मी की स्थिति में 3 माह का नोटिस या वेतन जबकि अस्थायी को एक माह का नोटिस या वेतन। (आदेश क्रम 29) नियम 39।

निलम्बन आदि- संस्था कर्मचारी को यदि निलम्वित करती है या हटाती है तो उसे पूर्ण प्रक्रिया अपनानी होगी यथा नोटिस, आरोप पत्र, आरोप पत्र की जाच, विभागीय जांच समिति का गठन आदि (आदेश क्रम 88)

सेवा से पृथक करने की सूचना संस्था को विभांग को देनी होगी। विभाग 60 दिन में इस पर सहमति/असहमति दे सकता है (आदेश क्रम 72) विना निदेशक की स्वीकृति के सेवारत कर्मी को नहीं हटाया जा सकेगा। (आदेश 15)

निलम्वित कर्मचारी के विरुद्ध यदि 6 माह में जाच पूर्ण नहीं होती है तो कर्मी को जांच पेण्डिग रखते हुए उसे वहाल करना होगा (आदेश स. 88)

अपील- सेवा से हटाये गये निलम्वित एवं पदच्युत किये गये कर्मी आदेश की प्राप्ति के 90 दिन मे अपील राज्य सरकार को कर सकते हैं (नियम 40) निर्णय पर बहाल होने पर इन्हें सस्था द्वारा पूर्ण भुगतान किया जावेगा। न करने पर निदेशक सस्था के अनुदान में से राशि काटकर भुगतान कर सकती है। (नियम 41, 42) सेवा से निष्कासन व त्याग प्रवध समिति द्वारा ही होना चाहिए न कि संस्था प्रधान या केवल व्यवस्थापक द्वारा।

आचरण और अनुशासन- कर्मचारी को अनुशासित रहना होगा। कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ट (54), अनुचित एव अशोभनीय आचरण न करना (55) एवं पद की गरिमा बनाये रखना, अप्राधिकृत सूचना न देना (56), दान स्वीकार न करना (58), जगम स्थावर तथा मूल्यांकन सम्पत्ति की सूचना देना (60), द्वि विवाह न करना (61), दहेज ग्रहण न करना (62), मादक द्रव्यों का उपयोग न करना (63), सेवा सम्बन्धी मुकदमेवाजी से दूर (64), अनाधिकृत संगठनों का सदस्य न वनना (67) तथा हडताल आदि में भाग (66) न लेना आदि कर्मचारी के अच्छे आचरण व अनुशासित होने के लिए आवश्यक होगें। इसके विपरीत की स्थितियां उसे पद से हटाने, निलम्वित करने, पदावनत करने के लिए बाध्य कर सकती है।

अवकाश- कर्मचारी सेवा में रहते नियमो के अन्तर्गत राजकीय सेवा के कर्मचारियो की तरह अध्ययन, सामान्य, अर्द्ध वेतन, परिवर्तित अवकाश, असाधारण अवकाश, प्रसूति अवकाश ले सकता है। (नियम 46 से 53)

वितीय एवं लेखा सम्वधी पूर्ति-

(i) **अनुदान प्रार्थना पत्र-** पहले से अनुदान प्राप्त कर रही - सस्थाओं को हर वर्ष अनुदान के अतिमिकरण हेतु अनुदान नियमों के परिशिष्ट-4 में वर्णित/विहित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र सम्वन्धित सक्षम अधिकारी को हर वर्ष 31 अगस्त तक प्रस्तुत करना होगा (नियम 12 जो आदेश क्रम 46 द्वारा 2 माह देरी से प्राप्त करने के अधिकार सक्षम अधिकारी को दिया गया) इसके अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर तक सस्थाए निदेशक प्राथमिक शिक्षा के अधीन आने वाले (जिशिअ) सक्षम अधिकारी को, माध्यमिक स्तर की संस्थाएं निदेशक माध्यमिक शिक्षा के अधीन आने वाले सक्षम अधिकारियों को इस तरह संस्कृत शिक्षा विद्यालय व महाविद्यालय, निदेशक, संस्कृत शिक्षा को तथा अन्य महाविद्यालय, निदेशक महाविद्यालय शिक्षा को क्रमशः अपने अनुदान पत्र प्रस्तुत करेंगे। 12(1) निदेशक इन प्रार्थना पत्रों मे सस्था द्वारा सक्षम अधिकारी की टिप्पणी

के अनुसार समय पर आवेदन पत्र प्रस्तुत न कर सकने की स्थिति में चार माह की (नियम 12 (3) देरी की अवधि माफ कर सकता है, आगामी वर्ष फरवरी तक व अधिक के लिए राज्य सरकार अधिकृत होगी।

चालू अनुदान हेतु आवेदन- अनुदान हेतु इच्छुक सस्थाओं को विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र (देखें परिशिष्ट 4) दो प्रतियों मे सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को उस वर्ष की 31 जुलाई तक प्रस्तुत करना होगा जो अपनी टिप्पणी सहित सयुक्त निदेशक/उपनिदेशक जैसी भी स्थिति हो को प्रेपित करेगा। इस आवेदन पत्र के साथ निम्न सूचनाएं प्रमुख रूप से भेजी जानी चाहिए-

1. कब से किस स्तर हेतु पजीयन है। रजिस्ट्रेशन की प्रति
2. मान्यता की प्रति प्रारम्भ से आवेदन तिथि तक।
3. सस्था के सविधान की प्रति।
4. वर्तमान प्रवध समिति की सूची जो पजीयक सस्थायें से अनुमोदित हो।
5. स्वय का भवन हो तो उसकी स्थिति, कमरों की संख्या, ब्ल्यूप्रिट यदि किराये का हो तो उसकी स्थिति व किराया नामा, एफ आर. सी ब्ल्यू प्रिट।
6. कक्षावार छात्रोंकी सख्या व गत तीन वर्षो का परीक्षा परिणाम।
7. अध्यापकों का विवरण (शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक स्तर नियुक्ति तिथि सहित)।
8. अध्यापकवार वेतन व व्यय विवरण।
9. सकाय खोलने की स्थिति में उसकी आवश्यकता, विपय, उसकी सक्षम अधिकारी से प्राप्त स्वीकृति। जिशिअ से प्रमाणित हो।
10. आय-व्यय विवरण व बेलेंसशीट की प्रति।

समीक्षा अधिकारी- ये आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर व आवश्यक अभिलेखों के साथ प्रथम स्तर पर संवीक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किये जावेंगे। सवीक्षा अधिकारी नियमों के अतर्गत इनकी जांच कर सक्षम स्वीकृति कर्त्ता अधिकारी को भेजेगा। कमी पर उसकी पूर्ति करानी होगी।

प्रोविजनल ग्रांट- पूर्ववर्ती सस्था को प्रोविजनल ग्रांट स्वीकृत किया जावेगा। जिसका अतिमिकरण अगले वर्ष के लेखों के समय किया जावेगा व नए वर्ष की प्रोविजनल ग्राट स्वीकृत की जावेगी। यह अनुमानित व्यय के आधार पर दी जावे। सामान्य रूप से 75% तक दी जानी चाहिए। प्रोविजनल ग्राट स्वीकृत करने से पूर्व प्रसारित आदेशों, छात्रों की सख्या को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए (नियम 12) सस्था को अनुदान विभिन्न मदों यथा वेतन, भत्ते, कैन्टीजेन्सी व्यय आदि जैसा कि नियम 14 'अनुमोदित व्यय' के अन्तर्गत दिए गए 'आवर्ती व्यय एवं नियम 16 में दिए गए अनावर्ती व्यय हेतु होगा। अन्य कार्यो व मदो हेतु यह अनुदान स्वीकृत नहीं होगा।

रजिस्टर- संस्था समस्त आवश्यक प्रपत्र व रजिस्टर सधारित करेगी। उसे अपनी सम्पत्ति की सूची शिक्षा विभाग को भेजनी होगी। सम्पत्ति स्थायी का अतरण व विक्रय विभाग की पूर्व अनुमति के नहीं हो सकेगी। (नियम 22)

आय- सस्था को अनुदान उसके सभी स्रोतों से प्राप्त आय पर व्यय की अधिक तक ही देय होगा। 13 (4) शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों मे ली जाने वाली सम्पूर्ण ट्यूशन फीस आय में सम्मिलित होगी (आदेश क्रम 87) इन सस्थाओं में राजकीय विद्यालयो में ली जाने वाली फीस से अधिक ली जाने वाली फीस, केन्द्र सरकार, सोसाइटियो, स्थानीय निकायों से प्राप्त अनुदान, आरक्षित निधियों पर प्राप्त ब्याज, प्राप्त किराया आदि आय में सम्मिलित किये जावेंगे। (आदेश क्रम 6) शिक्षण शुलक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम नहीं होगा।

निरीक्षण- संस्था को अपने लेखे एव अभिलेख सरकार, महालेखाकार व शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण हेतु हर समय खुले रखने होंगे। (नियम 21)

आवेदन पत्र की विषय सूची- परिशिष्ट-4 में तैयार आवेदन पत्र के साथ वे सभी प्रपत्र सलग्न होने चाहिए जो अनुदान में मांगी गई राशि की सत्यता सिद्ध करें। यथा आय व्यय लेखा एवं चिट्ठा, स्वीकृत पदों के आदेश, रजिस्ट्रेशन पत्र, मान्यता आदेश, स्वीकृत तथा अस्वीकृत पदों का व्यय विवरण (अनुदानित व विना अनुदानित), व्यय विवरण मे कर्मचारियों का नाम, योग्यता, नियुक्ति तिथि, वेतन वृद्धि की तिथि, वकाया लेनदारोकी पूर्ण विवरण सहित सूची, किराये हेतु किरायानामा, अधिग्रहण आदेश व तिथि, विज्ञापन व्यय हेतु पेपर कटिग। एरियर प्रकरणों की स्थिति में अतर विवरण, आदेश की प्रति भुगतान का प्रमाण पत्र, रोकड वही के पृष्ठ सख्या, निलम्बन काल में किसी अन्य को भुगतान नहीं किया गया का प्रमाण-पत्र, स्थिरीकरण में उसकी प्रति भी। ऐरियर प्रकरण अलग से भेजे जाने चाहिए।

अंकेक्षित लेखे- सस्था को अपने अकेक्षित लेखे रखने होंगे। 2000/- से कम आय व्यय वालों को चार्टेड एकाउटेन्ट्स से अकेक्षण करवाने की आवश्यकता नहीं। 5,00,000/- तक के आय व्यय वाली सस्थाए अपने लेखों की जाच अकेक्षण राजकीय सेवा से निवृत्त लेखाधिकारी से करा सकती है। (आदेश क्रमाक 31) नियम 20 शिक्षा निदेशक/उपनिदेशक जितनी सस्थाओ को अनुदान स्वीकृत करते हैं उनमें से 25% सस्थाओ का सपरीक्षण प्रतिवर्ष होना चाहिए। (आदेश क्रम 61)

भवन का मालिक- किराये के भवन यदि संस्था के प्रवन्ध समिति के किसी सदस्य के नाम है तो भवन किराया देय नहीं होगा। किराये के भवन में मरम्मत, परिवर्तन, परिवर्द्धन, विना पूर्व स्वीकृति के कराने पर उस व्यय पर अनुदान देय नहीं होगा। किराये के भवन लेने पर उसकी पूर्ण वैधानिक कार्यवाही सम्पादित करनी होगी।

छात्र कोष से सस्था के लिए कोई सामग्री क्रय न की जावे।

भण्डार- भण्डार सामग्री का क्रय वही अधिकारी करे जो आकस्मिक व्यय हेतु सक्षम हो। (84) किसी प्रकार के व्यय के लिए उसे सविवेक से उसी प्रकार कार्य करना चाहिए। जैसे वह स्वय अपने धन के व्यय के सम्बन्ध में करता। (नियम 83)

निविदा आमंत्रण, भण्डार की प्राप्ति, रक्षण, प्रसारण व अतरण तथा समय पर भौतिक सत्यापन आदि भी सक्षम अधिकारी की देखरेख में किया जाना चाहिए (नियम 85 से 90) अन्यथा गड़वडी के लिए वह दोषी होगा।

व्यय के मद- सस्था को अनुदान उन्हीं मदों हेतु स्वीकृत होगा जो अनुदान नियम 14 में दिये गये (क) से (न) तक सहपठित परिशिष्ट-8 के पद सम्मिलित होंगे।

वेतन एवं भत्ते- वेतन, भत्ते राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेश व निर्देशों के अनुसार देय होंगे। राज्य कर्मचारियों की तरह इन्हें चयनित वेतमान तथा वरिष्ठ वेतनमान देय नहीं है। अत. इस हेतु अनुदान स्वीकृत नहीं होगा। भत्ते मे मकान किराया, महगाई, व शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता सम्मिलित होंगे (आदेश क्रम 5) नियम 34

पी. डी. खाता- प्रत्येक कर्मचारी जिनकी सेवा को एक वर्ष पूरा हो गया है, के वेतन से 8.33% की दर से कटौती करके उसके पी.एफ. खाता में जमा की जावेगी व उतनी ही राशि सस्था अपनी ओर से अपने हिस्से की राशि उसके खाते में जमा करायेगी। संस्था अपना एक खाता राजकोष/उपकोष में खुला कर उसमें अपनी प्राप्त पूर्ण राशि जमा रखेगी जिसे समय-समय पर चैक से आहरित किया जा सकेगा। इस खाते की राशि सम्बन्धित कर्मचारी अपने परिवार के नाम निर्देशित कर सकता है। इसके लिए स्थिति अनुसार परिशिष्ट-15 भर कर देगा। उसी आधार पर सम्बन्धित को उस खाते की राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

कर्मचारियों को चैक से भुगतान- कर्मचारियों को उनका वेतन विना अनाधिकृत कटौती के हर माह समय पर चुकाया जावे। वेतन का भुगतान चैक द्वारा किया जावेगा। नियम 35

आहरण कर्त्ता- संस्था की निधि निकालने के लिए प्रवध समिति द्वारा एक व्यक्ति को अधिकृत किया जावेगा जो सचिव भी हो सकता है। उसके हस्ताक्षर से परिशिष्ट-12 मे विहित प्रारूप में एक वचन बंध पत्र तीन प्रतियों में प्रति हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगा। (नियम 10 (XXIV)) यही व्यक्ति सस्था के अनुरक्षण या सुधार के लिए व्यय हेतु राशि खजाने से निकालेगा। नियम 10 (X)

दायित्वों का भुगतान- यदि चालू वित्तीय वर्प के अनुदान से गत वर्पो के दायित्वो का भुगतान किया जाना हो तो भुगतान से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति लेनी पडेगी। (आदेश क्रम 82) नियम 15

उपादान- अनुदान हेतु उपादान मान्य व्यय के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है लेकिन उपादान नियम 1972 के अनुसार सस्था अपने कर्मचारियों को उपादान नियम 1972 के अनुसार उपादान देने हेतु वाध्य होगी लेकिन इस हेतु सस्था को अनुदान देय नहीं होगा। (आदेश क्रम 30) नियम 82

अनावर्ती अनुदान- सस्था को भवन निर्माण, मरम्मत, वस क्रय व मरम्मत, पुस्तकालय हेतु पुस्तकों के क्रय आदि के लिए अनुमोदित तथा वास्तविक व्यय के 50% तक स्वीकृत किया जा सकता हैं। जहॉ तक भवन निर्माण का प्रश्न हैं। इस हेतु सस्था को मूल्याकन व सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। पूर्व में यह केवल सार्वजनिक विभाग द्वारा ही दिया जा सकता था लेकिन राज्य सरकार ने अव आदेश क्रमाक 28 के अनुसार अन्य संस्थाओं आदि को भी इस हेतु अधिकृत कर दिया है। सस्थाएँ अव इन ऐजेन्सियों से भी वाछित प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत कर सकेगी। नियम 16

अनुदान रोकना, कम करना व स्थगित करना- सक्षम अधिकारी जव पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाय की अमुक सस्था आदेशो, नियमों व प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है तथा वह अनियमितताए कर रही है, तो ऐसी स्थिति में अनुदान स्वीकृत करने वाला अधिकारी उपयुक्त समय का नोटिस देकर अनुदान रोकने, कम करने, स्थगित करने की कार्यवाही कर सकता है। नियम 18, इस आदेश के विरुद्ध सस्था आदेश प्राप्ति के 2 माह के अंदर-अंदर अपील कर सकती है। नियम 19 वित्तीय सकट की स्थिति में सरकार विना पूर्व सूचना व कारण वताए अनुदा बन्द, कम उपान्तरित कर सकेती। नियम 10 (xvii)

वचत की सूचना- सस्था को, जो वार्पिक अनुदान स्वीकृत किया जाता है उसमें से जितनी भी राशि वह यदि 31 मार्च तक व्यय नहीं कर सकेगी कि सूचना 31 मार्च या इससे पूर्व विभाग/सरकार को सूचित करनी होगी, अन्यथा यह राशि उसके अगले वर्प/किश्त में समायोजित कर दी जायेगी। नियम 10 (xx)

छात्र संख्या व पद- (i) विभिन्न स्तर की कक्षाओं में औसतन छात्र सख्या व उपस्थिति नियमानुसार पूर्ण होनी आवश्यक है अन्यथा कम होने पर अध्यापकों के स्वीकृत पद कम किए जा सकते हैं। यदि अधिक हो तो उसके लिए अलग से अतिरिक्त पदों की माग की जा सकती है। नियम 10 (x), 17 (1)

(ii) राज्य सरकार द्वारा नए नियमों के प्रसारण व आदेश क्रम सख्या 54 (राज्य सरकार के आदेश क्रमा प. 11(10) शिक्षा 5/90 दि. 6.6.98) द्वारा छात्रों की संख्या, उपस्थिति, सकाय के आधार पर पदों के जो नार्मस निर्धारित किये है उससे अधिक पद 30.9.98 के वाद जव भी रिक्त होंगे स्वतः ही समापत हो जावेंगे वशर्ते की उनकी उपादेयता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उनको आगे जारी रखने के आदेश प्रसारित न किए हो।

कार्य दिवस - संस्था को एक पूर्ण वर्ष में 31 मार्च तक कम से कम 200 दिन कक्षाएं (अध्ययन हेतु) चलाना आवश्यक होगा। ततसम्बन्धी प्रमाण-पत्र भी भेजना होगा। नियम 15(2) अन्यथा उसी अनुपात में अनुदान कम किया जासकता है। (नियम 15 (1))

अन्य आवश्यक पूर्तियाँ- 1. संचालन समिति- सस्था के कार्य को सुचारू रूप से सचालित करने हेतु एक समिति का गठन *अनिवार्य होगा। इसमें किसी सम्प्रदाय/जाति विशेष के 2/3 सदस्य नहीं होने चाहिए।*

प्रशासक- प्रवंध समिति या व्यवस्था समिति में कोई झगड़ा हो तो संचालन में कोई बाधा हो जिससे चुनाव भी 6 माह से अधिकसमय तक विलम्बित रखने पड़े तो सरकार परिस्थिति को देखकर व स्थिति से सतुष्ट होने पर आवश्यक समझे तो उचित अवसर का कारण बताओ नोटिस देकर प्रशासक नियुक्ति कर सकती है जो सस्था के नए चुनाव पूर्ण होने तक कार्य व्यवस्था सम्पादित करेगा।

संस्था को बद व स्तरावनत करना - विभाग को विना पूर्व उचित समय पर लिखित सूचना दिये प्रबध न तो शिक्षण संस्था या उसका कोई संकाय को वंद कर सकेगी, और नहीं स्तरावनत/अधिनियम 1989 की धारा 14 के अधीन संस्था को एक शिक्षा सत्र का नोटिस देना होगा। नियम 10 (v)

नई परियोजनाएं- सस्था को सामान्यरूप से किसी नए पाठ्यक्रम कक्षा अनुभाग विषय सकाय या कोई परियोजना प्रारम्भ करने से पूर्व राज्य सरकार की अनुज्ञा प्राप्त करनी आवश्यक होगी लेकिन जहॉ इन कार्यो के लिए सस्था स्वयं फाइनेंस करती है तो इन कार्यो (नियम 10 (xii) व 16 (घ)) परियोजनाओं को प्रारम्भ करने से पूर्व राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य नहीं होगी। (आदेश क्रम 21) नियम 16

आरक्षित निधि- परिशिष्ट 2 (4) में संशोधित् आदेश क्रम 6 के अनुसार निर्धारित आरक्षित कोष का सस्था द्वारा निर्मित हो/किया जाना आवश्यक होगा व उसका प्रमाण पत्र भी भेजना होगा। नियम 10 (vii)

अनुदान स्वीकृति-एक प्रक्रिया

अनुदान सूची पर आई शिक्षण संस्थाओं/कार्यालयों को अनुदान स्वीकृति कैसे किया जावे। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। समान्य रूप से वार्षिक अनुदान हेतु संस्थाओं को हर वर्ष 31/08 तक अपने सम्बन्धित अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होते है। इसके अतिरिक्त बकाया प्रकरणों हेतु भी समय-समय पर उन्हें आवेदन प्राप्त होत है। इन संस्थाओं को अनुदान स्वीकृति हेतु तीन स्तर पर कार्यवाही सम्पादित होती है।

प्रथम स्तर- प्रथम स्तर पर संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र पूर्ण तैयार कर मय दस्तावेजों के विनिर्दिष्ट सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना।

द्वितीय स्तर- विनिर्दिष्ट सक्षम अधिकारी द्वारा जॉचकर अपनी टिप्पणी सहित आवेदन पत्र को स्वीकृति कर्त्ता अधिकारी को प्रस्तुत करना।

तृतीय स्तर- अतिम स्तर पर उप-निदेशक/निदेशक जो स्वीकृतिकर्त्ता अधिकारी है के स्तर पर जॉच कर स्वीकृति प्रसारित करना।

प्रथम स्तर- संस्थाओं द्वारा आवेदन प्रस्तुतिकरण- अनुदान हेतु पूर्ण वर्गीकृत संस्थाओं को निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ठ-4 देखे) में अपना अनुदान आवेदन पत्र तैयार कर व उसके साथ आवश्यक दस्तावेज सलग्न कर हर वर्ष 31/08 तक अपने विनिर्दिष्ट सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए। इस अवधि में 2 माह का शिथिलन सक्षम अधिकारी को होगा (आदेश क्र 46)इस आवेदन पत्र की पूर्ति व आवश्यक दस्तावेजों के लिए निम्न बातें प्रमुख रूप से ध्यान रखी जावें।

1 आवेदन-पत्र की सम्पूर्ण प्रविष्ठियॉ पूर्ण की जावें, तथा उस पर निर्वाचित कार्यकारिणी के अधिकृत सचिव/ अध्यक्ष के ही हस्ताक्षर होने चाहिए।

2. अनुदान में वास्तविक एव अनुमानित वर्ष हेतु अलग-अलग राशि के प्रस्ताव प्रस्तुत हो।

3. आलोच्य अवधि के वित्तीय वर्ष का चिट्ठा व हानि-लाभ खाता तथा आय-व्यय के विवरण जो 31/08 तक तैयार व चार्टड एकाऊण्टेण्ड व 5,00,000/- तक के लिये राज्य सेवा निवृत ले.अ. द्वारा अकेक्षित व प्रमाणित हो, सलग्न किये जावें। चिट्ठे में अनुमोदित व्यय ही दिखावे (परिशिष्ठ-8 नियम 14 के अनुसार) देख संलगन पर अनुदानित व गैर अनुदानित पदों हेतु किया गया व्यय अलग-अलग दिखाया जावें।

4. आय विवरण में राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलो में समय-समय पर संशोधित निर्धारित फीस की दर से प्राप्त राशि व उससे अधिक प्राप्त राशि को अलग-अलग मय दर के अकित कर विवरण संलग्न किया जावे।

5. इस अवधि में अनुदानित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को चुकाये गये वेतन, भत्ते, पी.एफ. आदि का विवरण, बैक खाते की प्रमाणित प्रति नियम 35 तथा अनुदान पर जो पद नहीं है पर कार्यरत है कर्मचारियो के वेतन, भत्ते आदि का विवरण अलग से संलग्न करें।

6. सभी कर्मचारियों का पी.एफ. का एक सामान्य वार्षिक स्थिति विवरण सलग्न हो। जिसका योग चिट्ठे से मिलान खाता हो। विवरण में अनुदानित पदों का योग व विना अनुदानित पदो की राशि का योग अलग-अलग दिखाया जावें। इसी अनुरूप चिट्ठे में दिखाया जावें।

7. पूर्व कार्यरत कर्मचारियों का विवरण जिसमें नाम, पिता का नाम, शैक्षिणिक योग्यता, नियुक्ति, तिथि, वेतनमान, वेतन-वृद्धि तिथि, जन्म तिथि, खाता सख्या अंकित हो।

8. नई नियुक्ति की गई हो तो उसका विवरण अनुदान नियम-33 व 29 दोनों में अलग पूर्ति करने हेतु संलग्न करें जिसमें रिक्त पद का कारण (त्याग-पत्र की प्रति सेवा निवृत्ति आदेश विज्ञापन, रोजगार कार्यालय की सूची, चयन, चार्ट, विभागीय प्रतिनिधि, मनोनयन के आदेश, नियुक्ति आदेश, कार्यग्रहण रिपोर्ट अनुभव का प्रमाण-पत्र, अनुमोदन व नियुक्ति आदेश हो। सभी की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें

9. मान्यता व रजिस्ट्रेशन (नई प्राथमिक स्तर की स्कूल में नये आदेशानुसार मान्यता की आवश्यकता नहीं।) की प्रति (नियम 3)

10. अनुदान पर आने के आदेश की प्रति।

11. माध्यमिक स्तर की स्थिति में अनुमानित वर्ष की अवधि के जून तक की बोर्ड की मान्यता की प्रति।

12. गत् वर्ष की तुलना में वेतन वढ़ा हो तो उसका कारण/स्थिरीकरण की स्थिति में सत्यापित स्थिरीकरण की प्रति।

13. (i) भवन किराये की स्थिति में भवन किराये का पी.डब्लू.डी. द्वारा मूल्यांकन विवरण।
 (ii) प्रस्तावित किराया।
 (iii) भवन ग्रहण की तिथि व किराया नाम (Rentdeed) मय भवन चुकारे की प्राप्ति प्रति।
 (iv) भवन किराया स्वीकृति की प्रति।

14. स्थानान्तरण पर आये कर्मचारी की स्थिति में आदेश मय संबधित सक्षम अधिकारी के अनुज्ञा पत्र के।

15. विकलांग भत्ते की स्थिति में सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र मय सक्षम स्वीकृति की प्रति। वर्तमान में लागू नहीं।

16. कक्षा 9 वर्ग व संख्या वार छात्रों की स्थिति/संख्या का विवरण।

17. परीक्षा परिणाम अध्यापक वार व कक्षावार, समयकाल-चक्र जिसमें केवल अनुदानित स्तर/अनुदानित पदों के अध्यापकों के पदों का ही उल्लेख हो। विना अनुदानित पदों का समयकालचक्र अलग से संलग्न किया जा सकता है।

18. कार्य दिवस की संख्या मय प्रमाण-पत्र के।

19. (i) स्वीकृत पदों के आदेश की प्रति, तथा गत वर्ष की स्वीकृति पदों में अन्तर आया हो तो अन्तर के प्रमाण में उस आदेश की प्रति भी संलग्न करें।
 (ii) भरे हुए व रिक्त पदों का (वेतनमान वार) वेतन-श्रृंखला वार विवरण-पत्र ।

20. निम्न प्रमाण-पत्र दे :-
 (i) अनुदान नि. 1993 के नियम 23 की निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्यकारिणी/प्रबन्ध समिति के चुनाव समय पर किए गए है, तदनानुसार नवीनतम कार्यकारणी/प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची। प्रथम बार में संविधान की प्रति भी संलग्न करे।
 (ii) नियम-23 (3) क अनुसार संख्या का कोई कर्मचारी सचिव/अध्यक्ष आदि पदों पर नहीं है और न ही आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर किए है।
 (iii) संस्था के सचिव या प्राधिकृत व्यक्ति की घोषणा अनुदान नियम-10 (24) के परिशिष्ठ-12 के अन्तर्गत देवे (परिशिष्ठ-2) जिसके द्वारा ही अनुदान आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर किये जावे।
 (iv) भुगतान रेखांकित चैक से किया जाता है।

21. सम्पति का विवरण जिनसे संस्था को आय होती है। आय के विवरण सहित व अन्य आय के स्त्रोत अनुदान नियम-10 (4) व 11 (5) के अनुसार रिजर्व फण्ड का प्रमाण-पत्र मय निर्धारित राशि के विनियोजन की सूचना।

22. निरीक्षण रिपोर्ट-नियत्रण अधिकारी की

(ख) सामान्य अनुदान की राशि की माग के अलावा वकाया तथा एरियर भुगतान की राशि की मांग की स्थिति में संख्या को निम्न प्रकार के दस्तावेजों के साथ प्रकरण सवधित अधिकारी की मार्फत स्वीकृति कर्त्ता अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए।

(i) कटौति पत्र वढ़े मंहगाई भत्ता, वोनस तथा स्थिरीकरण के प्रकरणों के प्रसंग मे। अमान्य राशि को मान्य करवाने हेतु जिस प्रकार की सूचना मागी जावे उसकी पूर्ति में वाछित सूचना व पत्र/आदेश की सत्यप्रति भेजी जावें जैसे- वेतन अमान्य किया गया हो।

1 **नई नियुक्ति पर**- सक्षम अधिकारी का अनुमोदन- अनुमोदन प्राप्ति हेतु संवंधित सक्षम अधिकारी को वाछित सभी दस्तावेज जैसा कि ऊपर क्रमाक क (8) के अनुसार आवश्यक है, प्रस्तुत करें।

2. **वेतनवृद्धि, मंहगाई भत्ता व वढ़े वेतन**- महगाई भत्ता व स्थिरीकरण आदेश की प्राप्ति मय देय व दिया गया वेतन व महगाई भत्ते का अन्तर मानचित्र, खाता संख्या मय चालान की सत्यापित प्रति।

3 **अधिक पद** - अतिरिक्त पद स्वीकृत हुए हो तो आदेश की प्रति।

4 **भवन किराया**- भवन किराया स्वीकृति पत्र, किरायानामा, भवन ग्रहण रिपोर्ट किराये के भुगतान की रसीद, भवन किराये की स्वीकृति।

5 **बोनस**- वेतन सीमा का प्रमाण-पत्र कम से कम छ. माह की सेवा पूर्ति विना वेतन के अवकाश पर नहीं रहे का प्रमाण-पत्र, भुगतान चैंक से किया गया व खाता संख्या जिसमें राशि जमा की। (वोनस-वर्तमान में देय नहीं)

6. **स्थानान्तरण**-यदि कर्मचारी स्थानान्तरण होकर आया है उसकी राशि अमान्य की है तो उसकी पूर्ति हेतु स्तानान्तरण आदेश, सक्षम अधिकारी का अनुज्ञा पत्र, कार्यग्रहण की रिपोर्ट है।

7. **योग्यता**-यदि योग्यता के आधार पर राशि अमान्य की है तो उस योग्यता की मान्यता के आदेश की प्रति भेजें।

8 **छात्र संख्या व कार्य दिवस अपूर्ण**- इस स्थिति की पूर्ति में वाछित छात्रों का विवरण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाकर व कार्य दिवस पूर्ण का प्रमाण-पत्र पूर्व में कम दिखाने के कारण उल्लेख के भेजे अन्यथा यह राशि मान्य नहीं होगी।

9.(i) छात्र सख्या एवं कार्य दिवस के कम होने तथा निर्धारित तिथि पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में राशि सामान्य रूप से अमान्य ही रहेगी जव तक की राज्य सरकार द्वारा छूट न दे दी जावे।

9.(ii) उक्त सभी मामलों के साथ दो प्रमाण-पत्र।

(क) पूर्व मे भुगतान नहीं किया गया।

(ख) भूगतान क्रॉस चैक से किया गया।

9.(iii) उक्त सभी भुगतान के मामलों में किए गए भुगतान के सत्यापन में चिट्ठे की आशिक प्रति/चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा भुगतान के प्रभाव का प्रमाणीकरण। जिससे चिट्ठे में इस व्यय के शामिल किये जाने का प्रमाणीकरण देखा जा सके, सलग्न करें।

द्वितीय चरण स्तर - प्राथमिक एव उच्च प्राथमिक शिक्षण सस्थाओं के अनुदान स्वीकृति करने हेतु वर्तमान में सवधित उप-निदेशक अधिकृत है। व शेप सस्थाओं/कार्यालयों के लिए सम्वन्धित निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, कॉलेज शिक्षा राजस्थान प्राधिकृत है।

द्वितीय पद सौपान - अनुदान स्वीकृति हेतु सस्थाओं से अनुदान आवेदन प्राप्तकर्ता सक्षम अधिकारी इन आवेदन पत्रों को उक्त स्वीकृति अधिकारी के पास भेजने से पूर्व जाच करेगा व सही पाई जाने या कमी पूर्ति करवा लेने के पश्चात् ही स्वीकृति करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को भेजेगा।

आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी को इन आवेदन पत्रों की जॉच करने हेतु निम्न बातों को प्रमुख रूप से ध्यान में रखना चाहिए। यदि इस स्तर पर जॉच पूर्ण नहीं की जाती है तो स्वीकृति देने वाले सक्षम अधिकारी स्तर पर इनकी पूर्ण जांच की जावेगी।

1. संस्था के आवेदन-पत्र के साथ वाछित सभी पूर्ण दस्तावेज संलग्न है या नहीं। यदि नहीं तो आवेदन-पत्र को स्वीकार्य नहीं करना चाहिए।
2 आवेदन करने वाली सस्था क्या अनुदान सूची पर है ?
3. उसको बोर्ड से मान्यता है यदि हॉ तो आदेश की प्रति क्या अवधि जॉच सत्र के अगले जून से पहले तो समाप्त नहीं हो रही है (माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए बोर्ड की मान्यता आवश्यक है)।
4. सामान्य रूप से सभी संस्थाओं को यदि स्थाई मान्यता नहीं है तो अस्थाई मान्यता जून तक समाप्त नहीं हो, ध्यान रखा जावे। अन्यथा अनुमानित की राशि की अभिशंषा न की जावें।
5. आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि प्रत्येक वर्ष की 31 अगस्त तक उनके कार्यालय में प्राप्त हो गए। 31 अक्टूबर के बाद में प्राप्त आवेदनों हेतु निदेशक से अनुमति लेनी होगी। आवेदन पत्र प्राप्ति का प्रमाणीकरण करें। आगामी फरवरी के पश्चात् विलम्ब से प्राप्त अनुदान आवेदन पत्र राज्य सरकार से प्राप्त कर स्वीकृत किये जा सकेंगी (आदेश 46)। आवेदन-पत्र पर सभी स्थान पर अनुदान नियम 25 व 23(3) की पूर्ति के अन्तर्गत अधिकृत व्यक्ति सचिव/अध्यक्ष के ही हस्ताक्षर हो। इन पदों पर संस्था में कार्यरत कोई कर्मचारी पदस्थापित नहीं हो। अनुदान नियम-23(3) यदि है तो नियम विरुद्ध है। आवेंदन-पत्र मान्य नहीं किया जाना चाहिए।
7. आवेदन पत्र के साथ चिट्ठा, आय व प्राप्ति तथा हानि-लाभ का विवरण आवेदन-पत्र में देय अतिमीकरण वर्ष के 31 मार्च तक के चार्टड एकाउन्टेंट से 31/8 तक तैयार व अकेक्षण रिपोर्ट सहित सलग्न है या नहीं, देखे न होने पर आवेदन-पत्र अपूर्ण अमान्य होगा।

7.1. स्वीकृत पदो के अनुसार वेतन चार्ट में कर्मचारियों के वेतन सही है या नहीं। गत वर्ष के विवरण से मिलान करें। पी.एफ. कटा हो तो उनके खाते में कुल कितनी राशि जमा हुई है का समेकित विवरण सलग्न हो जिसका मिलान चिट्ठे में दिखाई गई कुल राशि से होना चाहिए। अन्तर पर सम्पत्ति पक्ष तक ही राशि मान्य योग्य होगी। वेतन चार्ट में, कर्मचारी के चार्ट में वांछित उक्त आवेदन पत्र मद के क्र.स. 6 में वर्णित सभी सूचनाएं पूर्ण है या नहीं, की जॉच की जावे। अन्तर मान्य हो तो कारण सहित लिखे। जाच के समय यह भी देखा जावे कि PC लोन भी कर्मचारियों को नियमानुसार ही स्वीकृत किया गया है।

7.2. चिट्ठे में अनुदान स्तर के अनुसार दिखाया जावे। परीक्षण अधिकारी का यह भी दायित्व है कि सस्था एक भवन में ही चल रहा है व अलग-अलग स्तर के आवेदन प्रस्तुत करती है तो देखे कि एक ही मद जैसे रोशनी, पानी आदि जैसे मदों में दोनो स्तर पर राशि की अलग-अलग तो मॉग नहीं कर रही है। कुल व्यय तो दोनों का एक समान दिखाया जावे और दोनों ही स्तर पर बैलेन्स शीट (चिट्ठा) में दिखाकर मॉग की जा रही है तो इस व्यय को मान्य नहीं किया जाना चाहिए व ऐसी स्थिति की टिप्पणी भी अकित की जावे।

7.3 चिट्टे में दायित्व व सम्मति पक्ष का योग्य सही व बराबर होना चाहिए। विविध लेनदार की सूची तथा उनके औचित्य पूर्ण होने पर ही मान्य कर अभिशोषित किए जावे।

7.4. पी.एफ. के दोनों पक्षों का योग्य बराबर होना चाहिए। तथा कर्मचारियों का समेकित पी.एफ. खाते से मिलान खाना चाहिए अन्यथा अन्तर अमान्य। संस्था का अशदान जमा है या नहीं, जमा होना चाहिए। जाच करे।

7.5. चिट्ठे में दिखाये जाने वाले सभी आय-व्यय की जाच व उसके प्रमाण में दस्तावेज पूर्ण हो। (परिशिष्ठ-8 के अनुसार अनुमोदित व्यय)

7.6. जमा कराई गई राशि के चालान सलग्न हो।

7.7. कर्मचारियों के नाम बकाया दायित्व पक्ष में दिखाई गई राशि की जांच रिकार्ड से कर इसके सत्यापन का प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए बकाया राशि तक अनुदान में से अमान्य की अभिशंपा की जावें।

7.8. भवन किराये के सम्बन्ध मे सलंग्न भवन के मूल्याकन व स्वीकृति तथा रसीद की जांच की जावे।

7 9. कच्चे व पक्के भवन के लिए मरम्मत व्यय हेतु भवन के पी.डब्लू.डी. तथा अधिकृत सक्षम अधिकारी आदेश क्र. 28 से मूल्याकन के आधार पर 2% व 1% जैसी भी स्थिति हो तक ही राशि अभिशंषित की जावें। अधिकतम 25000/- तक ही भवनमरम्मत मान्य है।

7.10. आय के सम्वन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक वसूल प्राप्त राशि हो अलग से स्पष्ट टिप्पणी के साथ दिखाई है या नहीं की जाच की जावें। छात्रकोष मद में वसूल की जाने वाली फीसों की भी जांच कर देंखे। कि क्या इनकी वढ़ोतरी की स्वीकृति ली है।

7 11. परिशिष्ठ-8 में दिये गये मदों की सीमा तक ही राशि मांगी गई है ? जाच करें। अधिक होने पर उसी सीमा तक ही अभिशंषित की जावें। ऑडित फीस में सी.ए. का सेवा शुल्क देय नहीं है।

7 12. अनुमानित में व्यय राशि वास्तविक से अधिक नहीं हो।

7.13. विज्ञापन व्यय के प्रमाणीकरण हेतु रसीद व विज्ञापन कटिंग की जाच कर औचित्य देखा जावें। गत वर्ष के व इस वर्ष के वेतन चार्ट में अन्तर हो तो निम्नानुसार देखें :-

7.14 **नियुक्ति व वेतन**- यदि नए कर्मचारियों की राशि की माग सम्मिलित की गई हो तो देखे कि क्या उनका सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन है, नियुक्ति पत्र, कर्मचारी की कार्यग्रहण रिपोर्ट संलग्न है तथा उसी अनुसार वेतन दिखाया गया है।

7.15. स्थानान्तरण से कर्मचारी आया है तो सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा व कार्यग्रहण रिपोर्ट।

7.16. वेतन में वढ़ोतरी है तो नियुक्ति पत्र, स्थिरीकरण प्रपत्र, योग्यतावृद्धि पर देय वेतन-वृद्धियों के आदेश की प्रति अवश्य देखे फिर भी कोई गलती हो तो केवल शुद्ध देय राशि टिप्पणी सहित अभिशंपित की जा सकती है अन्यथा शुद्धि हेतु प्रकरण लौटाया जा सकता है।

7.17. **समयकाल चक्र, छात्रसंख्या**-आवेदन पत्र के साथ वेतन चार्ट में जितने पदों की राशि मागी है उनका पहले तो स्वीकृत पदों के आदेश से मिलान करे फिर गणना के अनुसार जितने पद वनते है इतने ही की अभिशंपा की जावे ताकि सस्था को नोटिस दिया जा सके।

छात्र संख्या निर्धारित सीमा से कम है तो आवेदन मान्य योग्य ही नहीं है। यदि छात्र सख्या निर्धारित सीमा तक तो है लेकिन अधिक सख्या के आधार पर पूर्व में जो पद स्वीकृत हुए थे। वे अव यदि छात्र संख्या पूर्व के अनुपात में कम हो गई तो पद कम करने की अभिशपा की जानी चाहिए। समयकालचक्र उन्हीं पदों का हो जो अनुदान सूची पर है तथा उसी स्तर की कक्षाओं (प्रावि/उप्रावि/मावि/सीमावि) का ही है। विना अनुदानित स्तर व पदों का समयकालचक्र भ्रांति पूर्ण व अनियमित होगा।

7.18. संस्था ने नियमों के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र दिया है या नहीं, की जांच कर उनका प्रमाणीकरण करें यथा-

1. प्रवन्ध समिति/कार्यकारिणी के समय पर चुनाव हो गए है।
2. नियमानुसार चयनित कार्यकारिणी के सचिव/अध्यक्ष ने ही आवेदन पर हस्ताक्षर किये है।
3. घोषणा भी नियमानुसार उसी ने की है।

4. भुगतान रेखाकित चैक से किया जाता है।
5. सम्पति व भवन की स्थिति अच्छी है का प्रमाण पत्र सही है।
6. संस्था की सुरक्षा निर्धी एफ.डी.आर. .... दिनांक... ....के रूप में कार्यालय में सुरक्षित है।
7 सस्था को आर्थिक स्थिति ठीक है।
8. सभी आवश्यक दस्तावेज जाच लिए गए है, सही है तथा सलग्न है।
9 सस्था के कर्मचारियों का पी.एफ. काटा जा रहा है एव उनके खाते में सही जमा किया गया है।
10 संस्था में किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
11. हर माह बिलों पर प्रति हस्ताक्षर करने से पूर्व भी उक्त विन्दुओं की पूर्ति देखे।

7.19. संस्था सचिव का हानियॉ, गवन अनियमितता एव पुर्विनियोजन नहीं होने का वचन वद्धता प्रमाण-पत्र अनिवार्य है। रेग्यूलकर अनुदान पत्र के अलावा समय-समय पर सस्थाएं बकाया प्रकरण भी तैयार कर उसी माध्यम से स्वीकृति हेतु भेजती है इन प्रकरणो की भी अग्रेपण अधिकारी को सही ढग से जाच कर स्वीकृति प्रसारण करने वाले अधिकारी को भेजनी चाहिए। इन बकाया प्रकरणों में निम्नलिखित अनुसार आवश्यक जांच की जानी चाहिए।

बोनस प्रकरण (वर्तमान में देय नहीं है)

1. सस्था से प्रकरण प्राप्त होते ही सम्वन्धित जाच अधिकारी को चाहिए कि अपने रजिस्टरों से देखे कि बोनस का वर्ष कौनसा है तथ पूर्व में तो स्वीकृति प्रसारित नहीं हो चुकी है। यह तभी सभव होगा जबकि नियमित रूप से ऐसा रजिस्टर तैयार किया गया हो तत्पश्चात्।
2. उसमें वर्णित कर्मचारी ने क्या उसी अवधि में वेतन लिया है अर्थात् उस अवधि में कार्यरत था।
3 उनकी कम से कम छः माह की सेवा 31 मार्च तक पूर्ण है। सेवा के अनुपातिक ही कार्यरत माह के आधार पर राशि की गणना की गई है या नहीं, की जाच करे।
4. इस अवधि में अवैतनिक अवकाश नहीं लिया गया होना चाहिए।
5. भुगतान रेखाकिंत चैक से हो तथा खाता संख्या अकित हो, जाच की जावें।
6 गत वर्षो के भुगतान का प्रमाणीकरण हेतु उक्त वर्ष का चिट्ठा भी देखा जावें।

मॅहगाई भत्ते में बढ़ोतरी के व स्थिरीकरण के प्रकरण-

इन प्रकरणों की जांच निम्न प्रकार से की जानी चाहिए .-

1 वढे हुए मॅहगाई भत्ते की दर व स्थिरीकरण के अनुसार गत वर्ष के भुगतान से मिलान किया जावें। जिससे कि पूर्व में भुगतान नहीं लिया है का सत्यापन किया जा सके। इस हेतु भी रजिस्ट्रर संस्थावार संधारित हो।
2 बढे हुए मॅहगाई भत्ते व स्थिरीकरण कि राशि यदि जमा होनी है तो चालान की प्रति व सभी कर्मचारियों की राशि जमा हो गई है, का सूची से मिलान हो (वैंक भूगतान सूची में एरियर प्रकरण की भुगतान पुष्टि में रोकड पृष्ठ सस्था भी दर्ज हो देखे)
3. मॅहगाई भत्ता की वढोतरी व वेतन स्थिरीकरण से पी.एफ.पर पडे प्रभाव की गणना की राशि अक्ति की गई है या नहीं।
4. भुगतान क्रॉस चैक से किया गया है व उसका वैलेन्श शीट मे प्रभाव दिखाया गया है प्रमाणीकरण उस वर्ष के चिट्ठा से किया जावें।
5. स्थिरीकरण आदेशा की प्रति से मिलान कर वेतन की जांच की जावें।

II उक्त प्रमाण-पत्रों की पूर्ति के पश्चात् आवेदन-पत्र सबंधित स्वीकृति प्रसारण-हेतु सक्षम अधिकारी को अग्रेपित करने वाले अधिकारी को निम्न विवरण भी तैयार कर संलग्न कर भेजने होंगे।

1. वास्तविक एवं अनुमानित में मान्य योग्य राशि का अलग-अलग विवरण तैयार कर भेंजे जिसमें (दोनों वर्षों में) सस्था द्वारा चाही गई मदवार राशि के साथ ही साथ मान्य व अमान्य राशि अकित की जावें। अमान्य राशि का अलग से विस्तृत मद व नामवार विवरण भी सलग्न किया जावें। इसी विवरण में आय को स्पष्ट अकित करें उसके प्रभाव को यदि अनुदान पर हो तो दिखावें।
2. आवेदन पत्र की जाच निर्धारित चैक मीमों के सभी कॉलमों की गभीरता पूर्वक पूर्ति कर अपनी अभिशंषा सहित भेजी जावे। सामान्यता. इसकी पूर्ति को गभीरता से नहीं लिया जाता है। (चैक मीमो, आवेदन पत्र के ऊपर लगावें।)
3. निरीक्षण रिपोर्ट आवेदन भेजने से पूर्व सस्था की अनुदान आवेदन पत्र के परीपेक्ष्य को पूर्ण ध्यान में रखते हुए जाच कर तैयार की जावे व उसके अनुसार आवेदन में कमी हो तो पूर्ति करवावे तथा उसी के आधार पर जांच कर संस्था की वास्तविक स्थित की टिप्पणी दें। जाच रिपोर्ट सस्था के आवेदन पत्र के संलग्न की जावे। यदि संस्था निरीक्षण नहीं कराती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाकर आवेदन पत्र मे टिप्पणी अकित करें।

तृतीय पद सौ-पान- सबधित अग्रेषण अधिकारी द्वारा भेजे गए उक्त आवेदन-पत्रों पर स्वीकृति प्रसारण हेतु अधिकृत अधिकारी को निम्न विन्दुओं के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन-पत्र की जांच करनी चाहिए।

1. प्राप्त आवेदन-पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न कर भेजे जाने वाले चैक मीमों की गहन जांच करना-इस की जाच में जहां पूर्ति की आवश्यकता हो तुरन्त उसकी पूर्ति करवाई जावे या अस्वीकार किया जावे। सामान्य रूप से निम्न की पूर्ति अधूरी पाई जाती है।

(i) आवेदन-पत्र निर्धारित अवधि में प्राप्त हो गया है इसके प्रमाणीकरण में प्राप्तकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण/प्राप्ती क्रमांक व दिनाक अकित है या नहीं या प्राप्तकर्त्ता अधिकारी द्वारा समय पर प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

(ii) अग्रेपण अधिकारी द्वारा अभिशंपित व स्वीकृति प्रदानकर्त्ता अधिकारी द्वारा मान्य व्यय में सामान्य रूप से अन्तर नहीं होना चाहिए।

यदि है तो निमन कारण हो सकते है-

(क) उक्त सूचनाओं की समय पर पूर्ति करवाने की स्थिति।

(ख) एवं इन दस्तावेजों आदि के अलग-अलग समय पर सम्मिलित करने के कारण हो सकता है। सामान्य रूप से ये चिट्टे में दिखाइए गए आय-व्यय मदों से सम्बन्धित होते है।

(ग) अनुमोदन जो स्वीकृति प्रसारण अधिकारी के अधिकार क्षेत्र का है देरी से प्रसारित किया गया है तो उसकी राशि स्वीकृति अधिकारी स्तर पर मान्यकर जोडी जाने से हो सकती है।

(घ) *कई वार पूर्व में व वाद में मान्य की गई राशि को ध्यान मे न रखने व रिकार्ड न देखे जाने व देरी से प्राप्त स्वीकृतियों* का सही इन्द्राज व रिकॉर्ड न रखे जाने के कारण "गत वर्प के आधार पर" कहकर राशि अमान्य कर दी जाति है। जिसके कारण भी अंतर रहता है।

(iii) चैक मीमों की अर्पूणता की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर जो जांच की जानी चाहिए वे सभी स्वीकृति कर्त्ता अधिकारी स्तर पर करनी होगी।

(iv) चिट्टे में दायित्व पक्ष में दिखाए गए वकाया वेतन भत्ते आदि के भुगतान की राशि का यदि नियंत्रण अधिकारी स्तर पर अनिर्णित छोड़ दिया गया हो तो स्वीकृति देने वाले अधिकारी स्तर पर जाच की जावेगी। इससे नियत्रण अधिकारी द्वारा मान्य राशि में अन्तर आ सकता है।

(v) 31/10 कि वाद प्राप्त परन्तु अगले वर्प के फरवरी तक प्राप्त आवेदन पत्रों को निदेशक द्वारा ही नियमानुसार स्वीकृत किया जा सकता है। 4 माह तक की छूट के अधिकार निदेशक को ही है। (नियम 12 (3)) इसके पश्चात्/प्राप्त

आवेदन-पत्रों को स्वीकार करने हेतु राज्य सरकार से छुट मिलने पर राशि देने हेतु विचार किया जा सकता है अत नियन्त्रण अधिकारी स्तर पर ऐसे आवेदनों पर राशि मान्य की अभिशंषा नहीं की जानी चाहिए। कार्यालय में आवेदन प्राप्त की तिथि का आकलन कर उसकी सूचना स्वीकृति सक्षम प्राप्तिकर्त्ता अधिकारी को अपने प्रसारण अधिकारी कर देनी चाहिए।

(vi) निदेशक के अधिकार क्षेत्र के मामलों पर निर्णय होने पर राशि तदनुसार मान्य की जा सकती है जो नियन्त्रण अधिकारी की मान्य राशि से भिन्न होगी।

(vii) नियमों में सशोधन से प्रभावित मद एव निदेशालय स्तर पर लिए जाने वाले निर्णयो के कारण राशि अधिक या कम ही जा सकती है। जिसके कारण नियत्रण अधिकारी की मान्य व स्वीकृति कर्त्ता अधिकारी की मान्य राशि में अंतर होगा।

(viii) नियंत्रण अधिकारी द्वारा संलग्न किया गया मान्य व अमान्य राशि के विवरण की जाच कर मान्य व अमान्य राशि का वेतन चार्ट व्यक्तिगत में प्रभाव दिखाया गया है या नहीं से मिलाने करे। इन चार्टो में मान्य/अमान्य राशि का प्रभाव नियन्त्रण अधिकारी द्वारा अकित होना चाहिए जिससे कि स्वीकृतिकर्त्ता द्वारा दुबारा मान्य/अमान्य प्रदर्शित न करना पडे।

(ix) आय-व्यय के खाने में जो आय सस्था द्वारा बताई गई है उसमें से नियमानुसार जिस राशि को आय की श्रेणी में लिया गया उसकी नए आदेशों के आदेश क्रमांक अनुसार ध्यान रखते हुए स्वीकृति प्रसारित की जावे।

(x) इस प्रकार संस्था के आवेदन-पत्रों की जाच कर सबंधित स्वीकृति अधिकारी निर्धारित प्रपत्रों में चालू (रेंगूलर) वर्ष में पूर्व वर्ष की आवृति का समायोजन करते हुए अनुदान का अतिमीकरण कर, स्वीकृत प्रत्येक वर्ष प्रसारित करेंगे। प्रत्येक स्वीकृति का इन्द्राज बजट आंवटन रजिस्टर में करते हुए शेष निकाला जाना चाहिए। प्रोविजनल स्वीकृतियों का समावेश भी बजट आवंटन में दर्शाया जाकर शेष ज्ञात किया जावे। प्रोविजनल स्वीकृतियों के आधार पर व्यय को सुनिश्चित करने के लिए दस माह का व्यय देखा जावे या सस्था/नियत्रण अधिकारी द्वारा आहरण हेतु निर्धारित किश्तों की सख्या व राशि ज्ञात कर व्यय होने वाली राशि ज्ञात की जावे जिससे कुल व्यय का सही ज्ञान हो सके तथा वित्तिय वर्ष में सस्थाएं शेष भी रह जावे तो भी अधिक की स्वीकृतियॉ प्रसारित न हो। स्वीकृत्तियॉ इस प्रकार प्रसारित हो जिससे एक आलोच्य वर्ष में दी जाने वाली राशि का अतिमीकरण हो व दूसरे वर्ष अगले वर्ष हेतु अनुमानित राशि दी जावे। जहां तक हो सके अनुमानित में यदि अतिमीकरण राशि के 75% तक सीमित किया जाता है तो कोई अनुचित नहीं होगा। वरन नियंत्रण भी सही ढंग से हो सकेगा।

सभी प्रसारित स्वीकृतियों का सही आंकलन व इन्द्राज बजट नियत्रण रजिस्टर में बराबर करते हुए वर्ष के आखिरी दो माह पूर्व उसकी अवश्य समीक्षा कर लेनी चाहिए जिससे की बजट शेष की सही स्थिति भी ज्ञात हो सके तथा आधिक्य व बचत का विवरण तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जा सके व आवश्यकतानुसार अनुपूरक राशि की मांग समय पर की जा सके। ध्यान रहे स्वीकृत बजट से अधिक आवटन अनियमित है।

अनुक्रमणिका

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989
(1992 का अधिनियम संख्या 19)

राजस्थान राज्य में गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा के बेहतर संगठन और विकास के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है-

अध्याय 1. प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ

(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक सस्थान अधिनियम, 1989 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा उसके किसी भी उपबन्ध के संबध में उसके प्रारम्भ के प्रति किसी भी निर्देश का अर्थ उस तारीख के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा जिसको वह उपबन्ध प्रवृत्त होता है।

2. परिभाषाएं - जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में-

(क) **"सहायता"** से राज्य सरकार द्वारा, किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक सस्था को दी गयी कोई भी सहायता अभिप्रेरित है;

(ख) **"सहायता प्राप्त संस्था"** से ऐसी कोई मान्यता प्राप्त संस्था अभिप्रेत है जो राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान के रूप में सहायता प्राप्त कर रही है,

(ग) **"बोर्ड"** से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली अभिप्रेत है और इनमें काउन्सिल फॉर दी इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन्स सम्मिलित है;

(घ) **"प्रतिकरात्मक भत्ता"** से ऐसे वैयक्तिक व्यय की पूर्ति करने के लिये दिया गया कोई भत्ता अभिप्रेत है जो उन विशेष परिस्थितियों में आवश्यक हो जिनमें कर्त्तव्यपालन किया जाये और इसमें कोई यात्रा भत्ता सम्मिलित होगा किन्तु कोई सत्कार भत्ता या भारत के बाहर के किसी भी स्थान तक या से नि.शुल्क यात्रा-अनुदान सम्मिलित नहीं होगा;

(ङ) **"सक्षम प्राधिकारी"** से राज्य सरकार द्वारा, ऐसे क्षेत्र के लिए या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के ऐसे वर्ग के सम्बन्ध में, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहण करने के लिए अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(च) **"शिक्षा निदेशक"** से अभिप्रेत है-

(i) स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों और तत्समान या उच्चतर अध्ययन की उन शैक्षिक सस्थाओं के सम्बन्ध में, जो संस्कृत और तकनीकी शिक्षा की संस्थाओं से भिन्न है, निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान;

(ii) संस्कृत शिक्षा की संस्थाओं के सम्बन्ध में, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान;

(iii) तकनीकी शिक्षा की संस्थाओं के सम्बन्ध में, निदेशक, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान,

(iv) विद्यालयों और उपखण्ड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट से भिन्न सस्थाओं के सम्बन्ध में, निदेशक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान;

स्पष्टीकरण- शिक्षा निदेशक में, इस अधिनियम के अधीन शिक्षा निदेशक के सभी या किन्हीं भी कृत्यों का निर्वहण करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी सम्मिलित होगा;

(छ) ''जिला शिक्षा अधिकारी'' में बालिका संस्थाओं के सम्बन्ध में, जिला शिक्षा अधिकारी (बालिका) और ऐसे किसी भी अधिकारी के कृत्यों का निर्वहण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है।

(ज) ''शैक्षिक सोसायटी'' या ''शैक्षिक एजेन्सी'' से किसी मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था को स्थापित या अनुरक्षित करने के लिए अनुज्ञात कोई न्यास, व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है,

(झ) ''कर्मचारी'' में किसी मान्यता प्राप्त संस्था में काम करने वाला कोई अध्यापक और प्रत्येक अन्य कर्मचारी सम्मिलित है,

(ञ) ''विद्यमान संस्था'' से इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व स्थापित और ऐसे प्रारम्भ के समय इस रूप में चल रही कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था अभिप्रेत है,

(ट) ''संस्था का प्रधान'' से किसी सस्था का किसी भी नाम से जाना जाने वाला प्रधान शैक्षिक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ठ) ''संस्था'' में किसी शैक्षिक सस्था से सम्बन्धित सभी जगम और स्थावर सम्पत्तियाँ सम्मिलित हैं;

(ड) ''संयुक्त निदेशक'' या ''उप-निदेशक'' में किसी संयुक्त निदेशक या किसी उपनिदेशक के कृत्यों का निर्वहण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी सम्मिलित है;

(ढ़) ''अनुरक्षण अनुदान'' से किसी संस्था को दिया गया ऐसा आवर्ती सहायता अनुदान अभिप्रेत है जिसके ऐसे अनुदान के रूप में माने जाने का निदेश राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा दे;

(ण) किसी संस्था के सम्बन्ध में ''प्रबन्ध'' या ''प्रबन्ध समिति'' से धारा ९ के अधीन गठित प्रबन्ध समिति अभिप्रेत है और इसमें सचिव या किसी भी नाम से पदाभिहित कोई ऐसा अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, जिसमे संस्था के कामकाज का प्रबन्ध और संचालन करने का प्राधिकार निहित किया गया है;

(त) ''गैर सरकारी शैक्षिक सस्था'' से ऐसा कोई महाविद्यालय, विद्यालय, प्रशिक्षण सस्था या किसी भी नाम से अभिहित कोई भी अन्य संस्था अभिप्रेत है जो शिक्षा देने या राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य कोई प्रमाण-पत्र, डिग्री, डिप्लोमा या कोई भी शैक्षिक विशिष्टता अभिप्राप्त करने के लिए छात्रों को तैयार करने या प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से स्थापित की गयी और चलायी जाती हो या जो राज्य में लोगों के शैक्षिक, सास्कृतिक या शारीरिक विकास के लिए कार्य कर रही हो और जो राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी भी विश्वविद्यालय या स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण के अधीन के किसी अन्य प्राधिकरण के न तो स्वामित्वाधीन हो और न उसके द्वारा प्रवन्धित;

(थ) ''मान्यता प्राप्त संस्था'' से किसी भी विश्वविद्यालय से सम्वद्ध अथवा बोर्ड, शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार अथवा शिक्षा निदेशक के द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के द्वारा मान्य कोई गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अभिप्रेत है;

(द) ''वेतन'' से किसी कर्मचारी की कुल परिलब्धियां अभिप्रेत हैं जिसमें उसे तत्समय संदेह महंगाई भत्ता या कोई भी अन्य भत्ता या अनुतोष सम्मिलित है किन्तु प्रतिकारात्मक भत्ता सम्मिलित नहीं है;

(ध) ''मंजुरी प्राधिकारी'' से ऐसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को, जिन्हें राज्य सरकार विहित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, सहायता मंजूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(न) "राज्य सरकार" से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(प) "अध्यापक" से कोई आचार्य, उपाचार्य या प्राध्यापक और किसी गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाला या अनुसंधान या किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन और मार्गदर्शन करने वाला किसी भी नाम से अभिहित कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें सस्था का प्रधान सम्मिलित है; और

(फ) "विश्वविद्यालय" से राजस्थान राज्य में विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

अध्याय 2. मान्यता, उसका इंकार किया जाना और वापस लिया जाना

3. संस्थाओं की मान्यता -

(1) किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या वोर्ड द्वारा मान्य या मान्य की जाने वाली सस्थाओं के मामले को छोड़कर सक्षम प्राधिकारी विहित प्ररूप और रीति से उसे किये गये किसी आवेदन पर, ऐसे निवन्धन और शर्तें, जो विहित की जाएं, पूरी करने पर, किसी गैर सरकारी शैक्षिक सस्था को मान्यता दे सकेगा।

"परन्तु किसी भी सस्था को तव तक मान्यता नहीं दी जायेगी जव तक कि वह राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम से 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं हो या व राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं 42) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी लोक न्यास द्वारा या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के उपवंधों के अनुसार सृजित किसी न्यास द्वारा चलायी जाती हो।"*R 1

(2) किसी संस्था की मान्यता के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा गृहीत किया जायेगा और उसके द्वारा उस पर विचार किया जायेगा और उस पर के विनिश्चय की संसूचना आवेदक को आवेदन की प्राप्ति की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर दी जायेगी और जहा मान्यता देने से इंकार किया जाये वहां आवेदक को उक्त कालावधि के भीतर-भीतर उसके कारण भी संसूचित किये जायेंगे।

4. मान्यता के इंकार के विरुद्ध अपील-

(1) जहा किसी सस्था को मान्यता से इकार किया जाये वहा ऐसे इंकार से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उसे ऐसे इंकार की ससूचना दिये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर, ऐसे इंकार के विरुद्ध ऐसे प्राधिकारी को, जिसे कि विहित किया जाये, विहित रीति से अपील कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन की गयी किसी अपील की सुनवाई पर उक्त प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, उस आदेश को, जिसके के विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगा या उससे उलट सकेगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

5. मान्तयता का वापस लिया जाना

जहां किसी संस्था का प्रवन्ध व कपट या दुर्व्यपदेशन से या तात्विक विशिष्टियों को छिपाकर मान्यता प्राप्त करता है या जहां मान्यता प्राप्त करने के पश्चात् कोई सस्था धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन विहित किन्हीं भी निवन्धनों और शर्तों का पालना करने में विफल रहती है वहा मान्यता देने वाला सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रवन्ध को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण वताने का समुचित अवसर देने के पश्चात् मान्यता वापस ले सकेगा।

R 1 संदर्भ प्रसंगक्रम के आदेश के सारांश अधिनियम के अंत में देखें पृष्ठ 31 ।

6. मान्यता के वापय लिये जाने के विरुद्ध अपील -

(1) जहां किसी सस्था की मान्यता वापस ले ली गयी हो वहा ऐसी वापसी से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसी वापसी की उसे संसूचना होने की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर, ऐसी वापसी के विरुद्ध ऐसे प्राधिकारी को, जिसे कि विहित किया जाये, विहित रीति से अपील कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन की गयी किसी अपील की सुनवाई पर उक्त प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, उस आदेश को, जिसके कि विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्ट या उपातरित कर सकेगा या उसे पलट सकेगा और उस पर उसका विनिश्चिय अन्तिम होगा।

अध्याय - 3 सहायता, लेखे और संपरीक्षा

7. मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायता का अनुदान-

(1) किसी भी संस्था द्वारा सहायता के लिए दावा अधिकार स्वरूप नहीं किया जावेगा।

(2) अमान्य संस्थाएं कोई भी सहायता प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी।

(3) ऐसे निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित की जायें, मुंजूरी प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी कि विहित की जाये, मान्यता प्राप्त संस्थाओं को समय-समय पर सहायता मंजूर और वितरित कर सकेगा।

(4) सहायता के अन्तर्गत संस्था के व्यय का इतना भाग हो सकेगा जितना कि विहित किया जाये।

(5) किसी सस्था के कर्मचारियो के वेतन के लिए दी गयी सहायता में से किसी भी रकम का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(6) मंजूरी प्राधिकारी इस निमित विहित किन्हीं भी निबन्धनो और शर्तो का भंग होने पर सहायता को बन्द, कम या निलम्बित कर सकेगा।

(7) सहायता की रकम सामान्तः किसी संस्था की प्रबन्ध समिति के सचिव को सदत्त की जा सकेगी किन्तु विशेप परिस्थितियों में और लेखवद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसी रकम शिक्षा निदेशक के द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किये गये किसी भी अन्य अधिकारी के द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को सदत्त की जा सकेगी।

8. लेखे और संपरीक्षा

(1) प्रत्येक सहायता प्राप्त सस्था ऐसी रीति से लेखे रखेगी और उसमें ऐसी विशिष्टियां होगी जो विहित की जाए।

(2) प्रत्येक सहायता प्राप्त सस्था के लेखों की सपरीक्षा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अन्त में ऐसी रीति से की जायेगी जो विहित की जायें।

(3) प्रबन्ध समिति का सचिव शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति से छह मास के भीतर-भीतर संपरीक्षा रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 4. प्रबन्ध समिति

9. प्रबन्ध समिति का गठन-

(1) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था के लिए एक प्रबन्ध समिति गठित की जायेगी।

(2) प्रत्येक मान्यता प्राप्त सस्था की प्रबन्ध समिति अपने सदस्यों में से ही एक सचिव निर्वाचित करेगी। सस्था का कोई भी कर्मचारी न तो सचिव होगा, न ही कोपपाल।

(3) सचिव ऐसे कृत्यों का निर्वहण और ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा, जो विहित किये जायें।

10. राज्य सरकार की प्रबन्ध ग्रहण करने की शक्ति ◊R 2,3–

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि मे किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार को जब कभी ऐसा प्रतीत हो कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था की प्रबन्ध समिति ने इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के द्वारा या अधीन उसे समनुदेशित किन्हीं भी कर्त्तव्यों के निर्वहण में उपेक्षा की है या वह संस्था का समुचित रूप से प्रबन्ध करने में विफल रही है और यह कि ऐसी संस्था का प्रबन्ध ग्रहण करना लोकहित में आवश्यक हो गया है तो वह ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ऐसे प्रबन्ध को ग्रहण कर लेगी और ऐसी कालावधि के लिए जो राज्य सरकार समय-समय पर नियत करे, संस्था की आस्तियों पर नियन्त्रण रखने तथा संस्था को चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकेगी।

(2) जहॉं, उप-धारा (1) के अधीन नियत कालावधि की समाप्ति के पूर्व, राज्य सरकार की यह राय हो कि सस्था का प्रबन्ध प्रशासक के द्वारा चलाये जाते रहना आवश्यक नहीं है वहां ऐसा प्रबन्ध-प्रबन्ध समिति को प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

अध्याय - 5. सम्पतियां, अंतरण और बंद किय जाना

11. संस्थाओं की सम्पत्तियों का प्रशासन और प्रबंध– प्रबंध समिति का सचिव या इस निमित प्रबन्ध समित द्वारा किसी संकल्प द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित कोई भी अन्य व्यक्ति प्रबन्ध समिति की ओर से किसी मान्यता प्राप्त सस्था की सम्पतियों और अस्तियों का प्रबंध और प्रशासन करेगा।

12. सम्पत्तियों का वार्षिक विवरण– प्रत्येक वर्ष मई के प्रथम दिन या उसके पूर्व किसी सहायता प्राप्त सस्था की प्रबन्ध समिति का सचिव ऐसे अधिकारी को, जिसे शिक्षा निदेशक इस निमित्त प्राधिकृत करे, ऐसी संस्था से सम्बन्धित या उसके कब्जे में की या ऐसी जिनमें उसका कोई अन्य हित हो, समस्त स्थावर सम्पत्तियों की एक सूची ऐसी विशिष्टियों सहित, जो कि विहित की जाएं, अन्तर्विष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत करेगा।

13. प्रबन्ध के अन्तरण का पूर्व अनुमोदन–

(1) जब कभी किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रबन्ध का अन्तरण किया जाना प्रस्तावित हो तो सचिव और वह व्यक्ति, जिसे प्रबन्ध अन्तरित किया जाना प्रस्तावित है, अन्तरण के अनुमोदन के लिए, ऐसे अन्तरण के पूर्व सक्षम प्राधिकारी को संयुक्त रूप से आवेदन करेगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किया गया कोई आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जायेगा और उसमें ऐसी विशिष्टयां होंगी जो विहित की जाएं।

(3) सक्षम प्राधिकारी उप-धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर और ऐसी जांच, जैसा कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् प्रस्तावित अन्तरण का, ऐसी शर्तो के अध्यधीन, जैसी कि वह अधिरोपित करे, अनुमोदन कर सकेगा या ऐसे अन्तरण का अनुमोदन करने से इंकार कर सकेगा :

परन्तु अनुमोदन से तब तक इकार नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदकों को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो और ऐसे इंकार के कारण अभिलिखित न कर दिये गये हों :

परन्तु यह और कि जहां आवेदन करने की तारीख से छह मास के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं किया जाये, वहां ऐसा अनुमोदन किया हुआ समझा जायेगा।

R 2 व 3 संदर्भ प्रसंगक्रम के आदेश के सारांश अधिनियम के अंत में देखें पृष्ठ 31 व 32।

14. मान्यता प्राप्त संस्था का बंद किया जाना-

(1) कोई भी मान्यता प्राप्त सस्था या उसकी कक्षा अथवा उसमें किसी भी विषय का अध्यापन सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप से कोई नोटिस दिये बिना बन्द नहीं किया जायेगा। यह दर्शित किया जाना होगा कि अध्ययन की उस विशिष्ट सम्पूर्ण कालावधि में, जिसके लिए कि विद्यार्थियों को भर्ती किया गया था, विद्यार्थियों का अध्यापन चालू रखने या छात्रों के द्वारा संदत्त फीस के अवशिष्ट, यदि कोई हों, के प्रतिदाय के लिए पर्याप्त इन्तजाम कर लिये गये हैं।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नोटिस की कालावधि इतनी होगी जितनी विहित की जाये और प्रत्येक पाठ्यक्रम की कालावधि को ध्यान में रखते हुए संस्थाओ की भिन्न-भिन्न कक्षाओं के लिए नोटिस की भिन्न-भिन्न कालावधियां विहित की जा सकेगी।

15. अतंरण के लिए पूर्वानुमोदन - (1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी सहायता प्राप्त सस्था की किसी भी स्थावर सम्पत्ति में के किसी भी अधिकार या हित का या उसके कब्जे का विक्रय, बन्धक, प्रभार के रूप में या अन्यथा किया जाने वाला कोई भी अन्तरण शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को विहित रीति से आवेदन करने और लिखित पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के सिवाय नहीं किया जायेगा

परन्तु जहां आवेदन करने की तारीख से छह मास के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं किया जाये, वहा ऐसा अनुमोदन किया हुआ समझा जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के उल्लंघन में किया गया कोई भी अन्तरण शून्य होगा।

(3) यदि किसी सहायता प्राप्त संस्था की प्रबन्ध समिति का सचिव धारा 12 के अधीन विवरण देने में व्यतिक्रम करता है या ऐसा विवरण देता है जिसकी कोई तात्विक विशिष्टि मिथ्या या गलत है या उप-धारा (1) के उल्लघन मे कार्य करता है तो मंजूरी प्राधिकारी कारण बताने का एक अवसर देने के पश्चात् ऐसी सस्था की सहायता को रोक सकेगा या बन्द या निलम्बित कर सकेगा।

(4) सहायता प्राप्त सस्था के बन्द कर दिये जाने या चालू न रहने या उसकी मान्यता वापस ले लिये जाने की दशा में उसकी प्रबन्ध समिति का सचिव संस्था के सभी अभिलेख, लेखे और सम्पत्तियों का प्रबन्ध और कब्जा शिक्षा निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को सौंप देगा।

अध्याय - 6. सेवा की शर्ते और अधिकरण

16. राज्य सरकार की नियोजन के निबन्धनों और शर्तो को विनियमित करने की शक्ति-

(1) राज्य सरकार राज्य में की सहायता प्राप्त सस्थाओं के कर्मचारियों के रूप मे नियुक्त व्यक्तियों की अर्हताओं वेतन, उपदान, बीमा, सेवानिवृत्ति की आयु, छुट्टी के हक, आचरण और अनुशासन से सम्बन्धित शर्तो के सहित, भर्ती और सेवा शर्तो का विनियमन कर सकेगी।

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त सहायता-अनुदान नियमों के अधीन किसी विद्यमान संस्था के किसी कर्मचारी को प्रोद्भूत होने वाले अधिकारों और फायदों को ऐसे कर्मचारी के अहित में फेरफारित नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह और कि ऐसा प्रत्येक कर्मचारी सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तो के लिए विकल्प देने का हकदार होगा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व उस पर लागू थे।

परन्तु यह भी कि विहित सेवानिवृत्ति की आयु पर ध्यान दिये बिना 25 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, जो भी पहले हो, ऐसे कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी विहित की जाये, कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, एक भविष्य निधि का गठन करेगी और ऐसी निधि में अभिदाय और जमा रकम पर ब्याज का संदाय ऐसी दर से करेगी जो कि समय-समय पर विहित की जाये।

17. कर्मचारियों की भर्ती- किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कर्मचारियों की भर्ती या तो स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में खुला विज्ञापन देकर या नियोजन कार्यालय द्वारा ऐसी रीति से, जैसी की विहित की जाय, भेजे गये अभ्यर्थियों में से की जायेगी।

18. कर्मचारियों का हटाया जाना, पदच्युत या पदावनत किया जाना- ऐसे किन्हीं नियमो के अध्यधीन रहते हुए जो कि इस निमित्त बनाये जाए, किसी मान्यता प्राप्त सस्था के किसी कर्मचारी को जब तक हटाया, पदच्युत किया या पदावनत किया नहीं जायेगा जब तक कि उसे किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध प्रबन्ध द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया गया हो :

परन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी अन्तिम आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो :

परन्तु यह और कि यह धारा निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी-

(i) किसी ऐसे व्यक्ति पर, जिसे ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया या हटाया जाता है जो किसी आपराधिक आरोप में उसकी दोष-सिद्धि का कारण बना हो, या

(ii) जहा उस कर्मचारी को कारण बताने का अवसर देना साध्य या समीचीन नहीं हो वहां कार्रवाई करने के पूर्व शिक्षा निदेशक की लिखित सम्मति प्राप्त कर ली गयी हो, या

(iii) जहा प्रबन्ध समिति इस बात पर एकमत हो कि किसी कर्मचारी की सेवाऐं संस्था के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना चालू नहीं रखी जा सकती वहा ऐसे कर्मचारी की सेवाएं छह मास का नोटिस या उसके बदले में वेतन देने के पश्चात् समाप्त कर दी गई हो और शिक्षा निदेशक की लिखित सम्मति प्राप्त कर ली गयी हो।

19. अधिकरण को अपील-

(1) यदि प्रवन्ध समिति, धारा 18 के अधीन शिक्षा निदेशक द्वारा किये गये इंकार के आदेश से व्यथित हो तो वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख के नब्बे दिन के भीतर-भीतर धारा 22 के अधीन गठित अधिकरण को अपील कर सकेगी।

(2) धारा 18 के अधीन किये गये प्रबन्ध समिति के किसी आदेश से व्यथित कोई कर्मचारी ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 90 दिन के भीतर-भीतर उक्त अधिकरण को अपील कर सकेगा।

20. कर्मचारियों द्वारा सविदाएं- किसी मान्यता प्राप्त संस्था और किसी कर्मचारी के बीच की कोई सविदा, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व की गयी हो या इसके पश्चात् उस सीमा तक जिस तरह वह इस अधिनियम के द्वारा या अधीन ऐसे कर्मचारी को प्रदत्त किसी भी अधिकार को छीनती है, अकृत और शून्य होगी।

21. अधिकरण को आवेदन-

(1) जहां किसी मान्यता प्राप्त सस्था के प्रवन्ध और उसके किसी कर्मचार के वीच सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में कोई विवाद हो वहा प्रवन्ध या कर्मचारी विहित रीति से अधिकरण को अपील कर सकेगा और उस पर अधिकरण का विनिश्चयन अन्तिम होगा।

(2) उप-धारा (1) मे निर्दिष्ट प्रकार का कोई ऐसा विवाद और धारा 19 में निर्दिष्ट प्रकार की कोई ऐसी अपील, जो कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के समक्ष लम्बित हो, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र अभिकरण कर उसके निश्चय के लिए अन्तरित कर दी जायेगी।

22.अधिकरण का गठन-

(1) राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक अधिकरणों का गठन किया जायेगा।

(2) अधिकरण की अधिकारिता सम्पूर्ण राज्य या ऐसे क्षेत्र पर होगी जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये।

(3) राज्य सरकार अधिकरण का गठन करने के लिए जिला न्यायाधीश की रैंक का न्यायिक अधिकारी नियुक्त करेगी।*R-4

23. **अधिकरण के कृत्य-** अधिकरण धारा 19 के अधीन की गयी अपीलें और धारा 21 में निर्दिष्ट विवाद ग्रहण करेगा, उसकी सुनवाई और विनिश्चय करेगा।

24. **अधिकरण की प्रक्रिया-** अधिकरण ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी कि राज्य सरकार विहित करे।

25. **अधिकरण की शक्तियां-**

(I) अधिकरण को निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वैसी ही शक्तिया होगी जैसी कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती है, अर्थात्-

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ-पत्र पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों और तात्विक वस्तुओं को पेश करने के लिए विवश करना;

(ग) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; और

(घ) ऐसे अन्य मामले जो कि विहित किये जाए।

(2) अधिकरण के समक्ष की प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थार्न्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

26. **अधिकरण के विनिश्चय का अन्तिम होना-** अधिकरण का विनिश्चय अतिम होगा और उसके द्वारा विनिश्चत मामलों के सम्बन्ध में किसी भी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

27. **सिविल न्यायालयों के लिए वर्जन-** किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी भी प्रश्न को तय या विनिश्चत करने या उस पर कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसका इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिकरण द्वारा तय या विनिश्चित किया जाना या उस पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

27. (क) **अधिकरण के आदेशों का निष्पादन-** धारा 19 के अधीन की गयी अपीलो और धारा 21 में निर्दिष्ट विवादों का निश्चिय करने वाला अधिकरण का आदेश इस स्थानीय क्षेत्र पर, जिसमें ऐसा प्रत्यर्थी, जिसके विरुद्ध आदेश किया गया है, मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वय काम करता है, क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले सबसे निचले सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायेगा और ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा उसी रूप में निष्पादित किया जायेगा।'*R 5

28. **कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता-** किसी मान्यता प्राप्त संस्था का प्रत्येक कर्मचारी ऐसी आचरण सहिता से शासित होगा जो कि विहित की जाये और उसके द्वारा ऐसी सहिता के किसी भी उपबन्ध का अतिक्रमण किये जाने पर ऐसा कर्मचारी अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा।

R 4-5 संदर्भ प्रसंगक्रम के आदेश के सारांश अध्याय के अंत में देखे पृष्ठ - 32 ।

29. कर्मचारियों का वेतन और भत्ते

(1) किसी सहायता प्राप्त सस्था के सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतनमान और भत्ते, प्रतिकरात्मक भत्तों को छोडकर, सरकारी सस्थाओं में वैसे ही प्रवर्गो से सम्बन्धित कर्मचारियों के लिये विहित वेतनमानों और भत्तों से कम नहीं होंगे।

(2) किसी प्रतिकूल सविदा के होते हुए भी, किसी मान्यता प्राप्त संस्था के किसी कर्मचारी का इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् की किसी भी कालावधि का वेतन उस मास से, जिसके या जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह सदेय है, ठीक अगले मास के पन्द्रहवें दिन या ऐसे किसी पूर्ववर्ती दिन की, जिसे कि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत करे, समाप्ति के पूर्व प्रबन्ध द्वारा उसे संदत्त किया जायेगा :

परन्तु यदि किसी भी समय राज्य सरकार उचित समझे तो वेतन और भत्तों के संदाय के लिए कोई भिन्न प्रक्रिया विहित कर सकेगी।

(3) वेतन, उन कटौतियों को छोडकर, जो कि इस अधिनियम के अधीन वनाये गये नियमों द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत है, किसी भी भाति की कटौतिया किये विना सदत्त किया जायेगा।

30. वेतन के संदाय का निरीक्षण- जिला शिक्षा अधिकारी या शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी, जो उक्त अधिकारी से नीचे की रैंक का न हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त सस्था का किसी भी समय निरीक्षण कर या करवा सकेगा या कर्मचारियों के वेतन से सम्बन्धित ऐसी सूचना या अभिलेख (रजिस्टरों, लेखा पुसतकों, वाउचरों आदि को सम्मिलित करते हुए) उसके प्रबन्ध से मांग सकेगा या कर्मचारियों को वेतन का नियमित रूप से सदाय करने में प्रवध को समर्थ वनाने के लिए वित्तीय मामलों के (जिनमें किसी अपव्यय का प्रतिपेध सम्मिलित है) उचित प्रवन्ध के लिए ऐसे प्रबन्ध को कोई ऐसा निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे और प्रवन्ध ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

31. वेतन का संदाय-

(1) सहायता प्राप्त सस्था का प्रवन्ध अपने कर्मचारियों के वेतन का सवितरण एकाउन्ट पेयी चैकों द्वारा करेगा।
परन्तु शिक्षा निदेशक, विशेप परिस्थितियों में, कर्मचारियों के वेतन का सवितरण ऐसी किसी भी अन्य रीति से, जो वह उपयुक्त समझे, करने के लिए साधारण या विशेप आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा।

(2) किसी सहायता प्राप्त सस्था के कर्मचारियो के वेतन का सदाय उप-धारा (1) में या धारा 29 मे निर्दिष्ट रूप से करने में प्रवन्ध के विफल रहने की दशा में शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी आगामी सहायता अनुदान के रूप में सदेय रकम में से या, यदि आवश्यक हो तो, किसी भी पश्चात्वर्ती सहायता अनुदान मे से, ऐसे वेतन की कटौती कर सकेगा और प्रवन्ध की ओर से कर्मचारियों को ऐसे वेतन का संदाय कर सकेगा। ऐसा सदाय उस सस्था के प्रबन्ध को ही किया गया धन सदाय समझा जायेगा।

32. सहायता प्राप्त संस्थाओं से शोध्य रकमों की वसूलियां-

(1) जहॉं, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर या तत्पश्चात् किसी भी करार, स्कीम या अन्य ठहराव के अनुसरण में ऐसे करार, स्कीम या ठहराव द्वारा नियतमान के अनुसार किसी सहायता प्राप्त संस्था के प्रवन्ध द्वारा उसके कर्मचारियों को कोई वेतन या अन्य देय सदेय हों वहा, जिला शिक्षा अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी प्रवन्ध समिति के सचिव को इस प्रकार सदेय रकम अपने पास जमा कराने का निदेश लिखित आदेश द्वारा दे सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आदेश करने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी कर्मचारी को सदेय रकम के वारे में ऐसी रीति से जाच करेगा जो विहित की जाये।

(3) उप-धारा (1) के अधीन किये गये आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे अधिकारी को, जिसे शिक्षा निदेशक द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाये, ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी रीति से की जा सकेगी जो विहित की जाये।

(4) जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशों के अधीन या जहा अपील की गयी हो वहा, अपील में आदेश करने वाले अधिकारी के आदेशों के अधीन प्रबन्ध से शोध्य कोई भी धन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा। ऐसा धन राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध को देय किसी भी राशि से मुजरा करके भी वसूल किया जा सकेगा। इस उप-धारा के अधीन जमा करायी या वसूल की गयी कोई भी रकम सबंधित कर्मचारी को संदत्त की जायेगी।

(5) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर या तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा दी गयी किसी सहायता या संदत्त अनुदान को राज्य सरकार को देय कोई भी रकम प्रबन्ध से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

अध्याय - 7. अपराध और शस्तियों

33. नोटिस दिये बिना और सक्षम प्राधिकारी का समाधान किये बिना मान्यता प्राप्त संस्था के अन्तरण या बन्द किये जाने के कारण शास्ति- कोई भी व्यक्ति, जो धारा 13 या धारा 14 का उल्लघन करता है या, जहां कोई ऐसा उल्लंधन किसी सगम द्वारा किया जाता है वहां, ऐसे सगम की प्रबन्ध समिति का प्रत्येक सदस्य, दोपसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा .

परन्तु प्रबन्ध समिति का ऐसा सदस्य जिसने इसमें भाग नहीं लिया हो या जो ऐसे निर्णय से सहमत न हुआ हो, इस धारा के अधीन किसी शास्ति का भागी नहीं होगा।

34. सचिव के कर्त्तव्यों का निर्वहण न करने के कारण शास्ति- कोई व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या धारा 12 के उपबन्धो का उल्लंघन करता है या, जहा ऐसा कोई उल्लंघन किसी सगम द्वारा किया जाता है वहा, ऐसे संगम की प्रबन्ध समिति का प्रत्येक सदस्य, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु प्रबन्ध समिति का ऐसा सदस्य जिसने इसमें भाग नहीं लिया हो या जो ऐसे निर्णय से सहमत न हुआ हो, इस धारा के अधीन किसी शास्ति का भागी नहीं होगा।

35. परिवाद पर संज्ञान- कोई भी न्यायालय इस अध्याय में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का सज्ञान शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा इस निर्मित सशक्कत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद के सिवाय नहीं करेगा।

36. सरकार की पुनर्विलोकन की शक्ति- इस अधिनियम मे किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, मामले का अभिलेख मगाकर धारा 6 के अधीन या धारा 7 की उप-धारा (6) के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी, और

(क) आदेश को पुष्ट, उपान्तरित या अपास्त कर सकेगी,

(ख) मामले को, उस प्राधिकारी को, जिसने आदेश दिया है, आगे ऐसी कार्यवाई करने का निर्देश देते हुए भेज सकेगी जो वह उचित समझे; या

(ग) ऐसे आदेश दे सकेगी जो वह उपयुक्त समझे :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई अन्तिम आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि व्यर्थित पक्षकार को कारण बताने का कोई उचित अवसर नहीं दे दिया जाये।

अध्याय - 8. प्रकीर्ण

37. **कठिनाइयों का निराकरण-** यदि इस अधिनियम के उपवन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार राज-पत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपवन्धों से असंगत न हो और जो ऐसी कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनो के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

परन्तु इस धारा के अधीन प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से तीन वर्ष बीत जाने के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

38. **अधिकारियों का लोक सेवक होना-** इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किन्हीं भी नियमो या किये गये आदेश के अधीन अधिरोपित किसी भी कृत्य का पालन या किसी भी कर्तव्य का निर्वहण करने के लिये सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी या प्राधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोकसेवक समझा जायेगा।

39. **अधिनियम के अधीन किये गये कार्यो का परित्राण-** इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपवन्धों को कार्यान्वित करने में किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी भी कार्य के कारण या की गई किसी भी कार्यवाही के कारण हुए किसी भी नुकसान के कारण राज्य सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

40. **अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना-** इस अधिनियम के उपवन्ध, किसी भी विधि के आधार पर प्रभावी किसी भी लिखत में किसी असगत्त वात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

41. **न्यायालयों द्वारा व्यादेश का न दिया जाना-** सिविल प्रक्रिया सहिता, 1908 या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय ऐसी किसी भी कार्यवाही को, जो कि इस अधिनियम के अधीन की जा रही है, या की जाने वाली है, अवरुद्ध करने के लिए कोई भी अस्थायी आदेश या कोई भी अन्तरिम आदेश नहीं देगा।

42. **शक्तियों का प्रत्यायोजन-** शिक्षा विभाग के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी को इस अधिनियम द्वारा उसमें निहित सभी या कोई भी शक्तिया राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित करना या इस प्रकार प्रत्यायोजित कोई भी शक्ति वापस लेना राज्य सरकार के लिये विधिपूर्ण होगा।

43. **नियम बनाने की शक्ति-**

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपवन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकेगी।

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपवन्ध किया जा सकेगा :

(क) गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए निवन्धन और शर्तें,

(ख) मान्यता प्राप्त सस्थाओं का अनुरक्षण;

(ग) मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायतार्थ अनुदान देना;

(घ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं में फीस का उद्ग्रहण, विनियमन और सग्रहण,

(ङ) मान्यता प्राप्त सस्थाओं में फीस की दरों का विनियमन,

(च) नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछडे हुए वर्गो तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों

की प्रगति के लिए विशेष उपबन्ध करके ऐसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में के प्रवेश को विनियमित करना जो राज्य निधियों से सहायता प्राप्त कर रही है;

(छ) वह रीति, जिससे सहायता प्राप्त सस्थाओ में लेखे, रजिस्टर या अभिलेख रखे जायेंगे और ऐसे अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी,

(ज) मान्यता प्राप्त संस्थाओ की प्रवन्ध समिति के सचिवो के द्वारा विवरणियों विवरणों, रिपोर्टो और लेखों का प्रस्तुतीकरण;

(झ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण और वह अधिकारी, जिसके द्वारा निरीक्षण किया जायेगा;

(ञ) मान्यता प्राप्त सस्थाओं के लेखे रखने और उनकी संपरीक्षा करने का ढंग,

(ट) शिक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम; और

(ठ) इस अधिनियम द्वारा विहित किये जाने के लिए अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित या अनुज्ञात सभी विषय।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जव वह सत्र मे हो, कम से कम चौदह दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रो में समाविष्ट हो सकेंगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक वाद के सत्र के अवसान के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किसी भी नियम मे कोई उपान्तर करे अथवा ऐसा संकल्प करे कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिये तो तत्पश्चात् ऐसे नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशील या यथास्थिति, प्रभाव शून्य होंगे किन्तु ऐसा कोई उपान्तरण या वातिलकरण तद्धीन पहले से की गयी किसी वात की विद्यमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना होगा।

❖❖❖

संदर्भ प्रंसग आदेश सारांश तालिका

सदर्भ क्रमांक R	नियम संख्या	आदेश संख्या	आदेश क्रमांक	आदेश/निर्देशों का सारांश
1.	3(1)	प 4 (5) विधि-2/2003 दिनांक 07.06 2003	148	राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम या ट्रस्ट अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को ही मान्यता देने हेतु सशोधन। नया परन्तुक जोडा गया।
2.	10	प19(9)शिक्षा-5/93 दिनांक 11.8.2000	103	जहाँ पूर्व में प्रशासक नियुक्त है लेकिन कार्य परिणामों में कोई संवर्द्धन नहीं हुआ वहां राजकीय सेवा में कार्यरत अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करने एवं जहॉ प्रशासक लगाए एक वर्ष से अधिक समय हो गया है उन सस्थाओं में तीन माह में चुनाव कर प्रवंध समिति का गठन किया जाए अन्यथा अनुदान देय नहीं होगा।

संदर्भ क्रमांक R.	नियम संख्या	आदेश संख्या	आदेश क्रमांक	आदेश/निर्देशों का सारांश
3.	10	प19(9) शिक्षा-5/93 दिनाक 15/9/2001	129	प्रशासक लगी गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आ रही व्यवस्था व नियत्रण सम्वन्धी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा भविष्य में प्रशासक लगाये जाने के सम्वन्ध में विस्तृत नीति निर्देश।
4	22(3)	अधिसूचना स 47(3) शिक्षा - 6/74 दिनाक 3/6/1993 Raj gaj Ex or 1(Kh) दिनांक 15/10/1993	राजपत्र पृष्ठ 391	राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम की धारा 22 में प्रदत्ता शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के अंतर्गत उदभूत मामलों को सूनने व उनका निस्तारण करने हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिकरण का गठन करती है। उक्त अधिकरण की अधिकारिता सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर होगी तथा अधिकरण का मुख्यालय जयपुर में होगा।
5.	27(क)	प 2 (7) विधि-2/2001 दिनाक 8/4/2003	146	राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिकरणों के आदेशों करा निष्पादन सिविल न्यायलय द्वारा किया जावेगा।

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता, अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम 1993

अनुक्रमणिका

(राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4 (ग) उपखण्ड (1), दिनांक 18-2-1993 में प्रथमतः प्रकाशित)
शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 18, 1993

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993

जी. एस. आर. 52- राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 की धारा 43 की और इस निमित समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियो का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं की मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

अध्याय 1

1. **सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-**

(क) इन नियमों का नाम राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 है।

(ख) इनका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य मे होगा।

(ग) ये ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज-पत्र में विनिर्दिष्ट करें।

2. **परिभाषाएँ-** जब तक सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में-

(क) **"अधिनियम"** से राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम 1989 अभिप्रेरित है;

(ख) **"सम्बद्ध संस्था"** से, राजस्थान राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अभिप्रेत हैं;

(ग) **"सहायता प्राप्त संस्था"** से ऐसी कोई मान्यता प्राप्त सस्था अभिप्रेत है जो सरकार से अनुरक्षण अनुदान के रूप में सहायता प्राप्त कर रही है,

स्पष्टीकरणः-यदि किसी सस्था का कोई भी भाग अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करता है तो इस बात को विचार में लाये बिना कि उस सस्था का कोई अन्य भाग सहायता के अन्तर्गत आता है या नहीं सम्पूर्ण सस्था को ही सहायता प्राप्त संस्था माना जायेगा।

(घ) **"बोर्ड"** से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अभिप्रेत है;

(ङ) **"प्रतिकारात्मक भत्ता"** से ऐसे वैयक्तिक व्यय की पूर्ति करने के लिए दिया गया कोई भत्ता अभिप्रेत है जो उन विशेष परिस्थितियों में आवश्यक हो जिनमें कर्त्तव्य पालन किया जाये और इसमें कोई यात्रा भत्ता सम्मिलित होगा किन्तु कोई सत्कार भत्ता या भारत के बाहर के किसी भी स्थान तक या से नि:शुल्क यात्रा-अनुदान नहीं होगा;

कर रही हो और जो राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी भी विश्वविद्यालय या स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण के अधीन के किसी अन्य प्राधिकरण के न तो स्वामित्वाधीन हो और न उसके द्वारा प्रबन्धित;

(ध) **"मान्यता प्राप्त संस्था"** से किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अथवा बोर्ड, शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार अथवा शिक्षा निदेशक के द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के द्वारा मान्य कोई गेर सरकारी शैक्षिक संस्था अभिप्रेत है,

(न) **"वेतन"** से किसी कर्मचारी की कुल परिलब्धियों अभिप्रेत है जिनमें उसे तत्समय सदेय महगाई भत्ता या कोई भी अन्य भत्ता या अनुतोष सम्मिलित है किन्तु प्रतिकरात्मक भत्ता सम्मिलित नहीं है;

(प) **"मंजूरी प्राधिकारी"** से ऐसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओ को, जिन्हें राज्य सरकार विहित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, सहायता मजूर करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है,

(फ) **"राज्य सरकार"** से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ब) **"अध्यापक"** से कोई आचार्य, उपाचार्य या प्राध्यापक और किसी गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाला या अनुसधान या किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन और मार्गदर्शन करने वाला किसी भी नाम से अभिहित कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेरित है और इसमें संस्था का प्रधान सम्मिलित है और;

(भ) **"विश्वविद्यालय"** से राजस्थान राज्य में विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है। ❖❖❖

अध्याय 2. मान्यता, उसका इन्कार किया जाना और वापस लिया जाना

3. संस्था की मान्यता-

(1) किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या बोर्ड द्वारा मान्य को छोडकर मान्यता चाहने वाली प्रत्येक संस्था राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होनी चाहिए❖R 1 से 4।

(2) किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या बोर्ड द्वारा मान्य संस्थाओ के मामले को छोड़कर परिशिष्ट-3 में विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी विहित प्रारूप (परिशिष्ट-1) में उसे किये गये आवेदन पर, इसके पश्चात् विहित निबन्धनो और शर्तों को पूरा करने पर किसी गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था को मान्यता दे सकेगा❖R 5 से 7।

(3) किसी संस्था की मान्यता के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा गृहीत किया जायेगा और उसके द्वारा उस पर विचार किया जायेगा और उस पर के विनिश्चय की ससूचना आवेदक को इसके पश्चात् विहित समय के भीतर दी जायेगी।

4 **मान्यता के प्रकार**- मान्यता दो प्रकार की हो सकेगी-

(i) अस्थायी मान्यता❖R 8 (ii) स्थायी मान्यता।

(i) **अस्थायी मान्यता**- किसी शैक्षिक संस्था द्वारा किसी विद्यालय/महाविद्यालय, पुस्तकालय, अनुसधान संस्था या प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यता के लिए आवेदन करने पर, आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के सही होने को सत्यापित करने वाले शपथ-पत्र से समर्थित होने पर, अस्थायी मान्यता दी जा सकेगी।

(ii) **स्थायी मान्यता**- कोई गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था स्थायी मान्यता के लिए पात्र होगी, यदि व निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन करती है❖R ❖R 9 से 12_

R 1 से 12 - सदर्भ प्रसगक्रम के आदेश के सारांश अध्याय के अंत में देखे पृष्ठ - 42-43 ।

(क) अस्थायी मान्यता मजूर कर दिये जाने के पश्चात् स्थायी मान्यता चाहने वाली सस्था ने परिशिष्ट-2 में यथा विनिर्दिष्ट निबन्धनो और शर्तो को पूरा करते हुए ऐसी अस्थायी मान्यता की तारीख से कम से कम तीन वर्ष तक समाधानप्रद रूप से कार्य किया हो,

(ख) प्रवन्ध ने इन नियमो के उपवन्धो और राज्य सरकार/शिक्षा निदेशक द्वारा जारी किये गये आदेशों/निदेशों या अनुदेशों का तत्परता से पालन किया हो और वह उससे समय-समय पर मागी गयी सभी आवश्यक सूचनाएं प्रस्तुत करता रहा हो

(ग) छात्रों का परीक्षा-परिणाम सन्तोषप्रद रहा हो,

(घ) सस्था ने परिशिष्ट-2 में अधिकथित न्यूनतम भौतिक/वित्तीय मानदण्डों और अन्य शर्तो का अनुपालन किया हो।

5. मान्यता के लिए प्रक्रिया*R 13 से 24

(1) किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या बोर्ड द्वारा मान्य को छोड़कर मान्यता प्राप्त करने की इच्छुक शैक्षिक सस्था यदि वह सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिकथित समस्त निबन्धनो और शर्तो को पूरा करती है। परिशिष्ट-3 मे यथाविनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी को विहित प्रारूप (परिशिष्ट-1) मे आवेदन प्रस्तुत करेगी।

(2) सस्था अपना आवेदन सक्षम प्राधिकारी को अधिक से अधिक 28 फरवरी तक प्रस्तुत करेगी।

(3) सक्षम अधिकारी प्राप्त किये गये समस्त आवेदनों का निम्नलिखित प्रारूप में एक रजिस्टर रखेगा-

क्र.सं.	तारीख	सस्था का नाम	निरीक्षण की तारीख	निरीक्षण प्राधिकारी का नाम और पदाभिदान	निरीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्ष
1	2	3	4	5	6

सक्षम प्राधिकारी का विनिश्चय	सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर	अभ्युक्तियाँ
7	8	9

(4) सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदनों की 31 मार्च तक सवीक्षा पूर्ण करेगा और एक दल के पूर्ण निरीक्षण के लिए व्यवस्था करेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगे-

(i) (क) शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा नाम निर्देशित राजपत्रित अधिकारी, या
(ख) परिशिष्ट-3 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी

(ii) एक शिक्षाविद्, सस्था की परिस्थिति को ध्यान मे रखकर,

(iii) सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय की लेखा-शाखा का प्रधान।

(5) निरीक्षण दल परिशिष्ट-2 मे विहित मापमान और शर्तो को ध्यान में रखकर सस्था का निरीक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को 30 अप्रेल तक प्रस्तुत करेगा, जो सस्था से अपेक्षित अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो 15 मई तक मागेगा।

(6) निरीक्षण दल विहित प्रत्येक निबन्धन और शर्त के प्रति निर्देश से स्पष्ट सिफारिश-अभिलिखित करेगा और अस्थायी मान्यता या यथास्थिति, मान्यता जारी रखने के लिए अपनी सिफारिशें करेगा।

R 13 से 24 - संदर्भ प्रसंगक्रम के आदेश के सारांश अध्याय के अंत में देखे पृष्ठ - 43 ।

(7) सस्था, ऊपर (5) में परिकल्पित अपेक्षित सूचना सक्षम प्राधिकारी को 15 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) सक्षम प्राधिकारी, अपने अन्तिम विनिश्चय की सूचना सबधित संस्था को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा 30 जून तक देगा।

(9) सक्षम प्राधिकारी सस्था के क्रियाकलापों और कृत्यों पर पर्यवेक्षण के लिए समय-समय पर सस्थाओं के निरीक्षण के लिए भी व्यवस्था करेगा और अपने निष्कर्ष इस प्रयोजन के लिए रखी गयी फाईल में अभिलिखित करेगा।

6. मान्यता से इन्कार के विरुद्ध अपील-

(1) जहॉ किसी सस्था की मान्यता से इन्कार किया जावे वहा ऐसे इन्कार से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उसे ऐसे इन्कार की ससूचना दिये जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर ऐसे इन्कार के विरुद्ध नीचे कथित अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा-

क्र.सं.	प्राधिकारी, जिसके आदेशो के विरुद्ध अपील की गयी है	सक्षम अपील प्राधिकारी
1	2	3
1	निरीक्षक, शारीरिक शिक्षा	निदेशक, प्राथमिक ओर माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
2	जिला शिक्षा अधिकारी	सयुक्त/उपनिदेशक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा
3	उपनिदेशक, समाज शिक्षा	निदेशक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
4	निदेशक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर	विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा विभाग, जयपुर
5	निदेशक, सस्कृत शिक्षा	विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा विभाग या संस्कृत विद्यालयों के मामले मे उसका नाम निर्देशिती जो उप सचिव, की रेंक से नीचे का न हो।
6	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	शिक्षा सचिव (प्राथमिक एव माध्यमिक) या उसका नाम निर्देशिती जो उप सचिव की रेंक से नीचे का न हो।
7.	विश्वविद्यालय	कुलपति

(2) अपील के ज्ञापन मे मामले के पूरे तथ्य अन्तर्विष्ट होगे और उसके साथ आदेशों, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि ओर अपील के समर्थन मे अन्य सुसगत दस्तावेज होगे।

(3) अपील प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकारी उस प्राधिकारी से तत्परता से सुसगत अभिलेख मगायेगा जिसने मान्यता से इन्कार कर किया है और ऐसे अभिलेख की परीक्षा करने और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील प्राधिकारी आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, को पुष्ट, उपान्तरित करेगा या उलट देगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा। उक्त विनिश्चय अपीलार्थी को तुरन्त ससूचित किया जायेगा।

7. मान्यता का वापस लिया जाना-

(1) मान्यता देने वाला सक्षम प्राधिकारी प्रवन्ध को मान्यता वापस लेने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का समुचित अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित परिस्थितियो में उसकी अस्थायी मान्यता या स्थायी मान्यता वापस ले सकेगा-

(क) यदि किसी सस्था का प्रबन्ध कपट/दुर्व्यपदेशन से या तात्विक विशिष्टयों को छिपाकर मान्यता प्राप्त करता है या मान्यता प्राप्त करने के पश्चात् कोई सस्था इन नियमो के परिशिष्ट-2 मे विहित किन्हीं भी निबन्धो और शर्तो का पालन करने में विफल रहती है;

(ख) यदि प्रबन्ध मण्डल ने सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना, किसी शैक्षिक सस्था या उसके किसी भाग को बन्द कर दिया है;

(ग) यदि प्रबन्ध ने सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना, शैक्षिक सस्था को किसी अन्य भवन या स्थान में अन्तरित कर दिया है,

(घ) यदि संस्था का प्रबन्ध सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रबन्ध समिति/सस्था को अतरित कर दिया गया है,

(ङ) *यदि अस्थायी मान्यता की कालावधि की समाप्ति पर प्रबन्ध या तो अस्थायी मान्यता की अवधि को बढ़ाने या* स्थायी मान्यता देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को विहित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहता है;

(च) यदि संस्था का प्रबन्ध अपने कर्मचारियों को पाने वाले के खाते में देय चैक द्वारा प्रत्येक अगले माह की 15 तारीख से पूर्व पूरे वेतन और भत्तों का नियमित सदाय करने में विफल रहता है।

(2) यह समाधान हो जाने पर कि सस्था उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तो में से किसी का अनुपालन करने में विफल रही है, सक्षम प्राधिकारी सस्था को सुनवाई कर अवसर देने के पश्चात् मान्यता को विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए निलम्बित कर सकेगा। तत्पश्चात् यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि सस्था ने विनिर्दिष्ट कालावधि मे सतोषप्रद सुधार किया है तो वह मान्यता का जारी रखना अनुज्ञात कर सकेगा।

(3) सामान्यत. किसी शैक्षिक सस्था को एक बार दी गयी मान्यता एक शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक जारी रहेगी। किन्तु कपट, दुर्व्यपदशन या ऐसे तात्विक तथ्यों को छिपाने के मामलो में जिन पर मान्यता दी गयी थी या ऐसे मामलो मे जहा सस्था शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशो की समय पर अनुपालना में विफल रही है, सक्षम अधिकारी प्रबन्ध को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का समुचित अवसर देने के पश्चात् शैक्षणिक-सत्र के बीच मे भी मान्यता को वापस ले सकेगा।

(4) किसी भी सस्था को भूतलक्षी प्रभाव से मान्यता नहीं दी जायेगी।

स्पष्टीकरण-

(1) ऐसे मामलों में जहा पूर्व मे दी गयी मान्यता वापस ले ली गई हो किन्तु पुन. प्रदत्त कर दी गयी हो, ऐसी सस्था को नयी सस्था कहा जायेगा।

(2) संस्था द्वारा किसी नये स्थान पर शाखा खोलने के मामले मे सस्था की ऐसी शाखा को नयी संस्था कहा जायेगा और मान्यता के लिए उसका आवेदन तद्नुसार विनिश्चित किया जायेगा।

8. मान्यता के वापस लिये जाने के विरुद्ध अपील-

(1) जहां किसी सस्था की मान्यता वापस ले ली गयी हो वहा ऐसी वापसी से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसी वापसी की उसे संसूचना होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसी वापसी के विरुद्ध नियम 6 (1) मे विनिर्दिष्ट अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(2) अपील नियम 6 (2) और (3) मे विहित रीति से की और निपटायी जायेगी।

❖❖❖

R- संदर्भ आदेश सारांश तालिका

सदर्भ क्रमाक (R)	नियम संख्या	आदेश संख्या	आदेश क्रमाक	आदेश/निर्देशों का सारांश
1	3(1)	प-3(4) शिक्षा-5/94 दिनाक 10/03/1995	11	गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता लेना आवश्यक नहीं, अस्थायी मान्यता प्राप्त प्रा.वि. को समयावधि में वृद्धि की भी आवश्यता नहीं होगी।
2	3(1) (2)	प-15(1) शिक्षा-5/94 दिनाक 19/11/1997	32	गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं के सम्बन्ध मे 1989 व 1993 के नियमो के प्रसारित होने से पूर्व पजीकृत सस्थाओं को इन नियमों के अधीन पुन. पजीकरण करवाना आवश्यक नही होगा।
3	3(1) व 3(2)	प-18(1) शिक्षा-5/2001 दिनाक 28/09/2001	130	गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओ को अस्थायी व स्थायी मान्यता अलग-अलग न देकर अब केवल 'मान्यता' ही प्रसारित की जावेगी जिससे दो बार पैनल निरीक्षण नहीं करना पड़ेगा तथा पूर्व में दी गई अस्थायी मान्यता स्वतः ही स्थायी मान्यता समझली जावेगी। तथा आवेदन-पत्र पूर्ति सम्बन्धी निर्देश।
4	3(1)	प-18(3) शिक्षा-5/2001 दिनाक 15/02/2002	132	आदेश क्रमांक 130 में वर्णित पैनल निरीक्षण की पत्रावलियाँ भेजने की तिथि को बढ़ाया गया।
5	3(2)	प-19(9) शिक्षा-5/93 दिनाक 20/05/1999	77	मान्यता सम्बन्धी अधिकारों का प्रत्यायोजन संस्कृत शिक्षा पर लागू नहीं होने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण
6	3(2)	प-19(9) शिक्षा-5/2000 दिनाक 30/04/2001	121	बिना सक्षम स्वीकृति के मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं द्वारा शाखाएं खोलकर संचालित करना नियमों के विरुद्ध मानकर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाने सम्बन्धी निर्देश
7	3(2)	प-19(9) शिक्षा-5/1993 दिनाक 25/08/2000	105	दिसम्बर या उसके बाद सरकारी स्कूलों से आनेवाले छात्रों को, गैर सरकारी स्कूलों में विशेष कारणों के अतिरिक्त सामान्य कारणों से प्रवेश देती है तो उनकी मान्यता निरस्त की जा सकती है।
8	4(1)	प-15(1) शिक्षा-5/1994 दिनाक 05/11/1997	27	आवेदन-पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के परिपेक्ष में 3 वर्ष की अस्थायी मान्यता को 2 वर्ष और (कुल 5वर्ष तक) बढ़ाया जा सकेगा। इसके बाद अस्थायी मान्यता स्वतः समाप्त हो जावेगी।
9.	(ii)	प-15(1) शिक्षा-5/1994 दिनाक 05/11/1997	27	यहाँ निरीक्षण से तात्पर्य नियम 5 के अन्तगर्त से है जो स्थायी मान्यता के परिपेक्ष में हो तथा आदेश दिनाक 19/03/1991 (आदेश क्रमांक 6) के अनुसार परिशिष्ट सं 2 में दी गई शिथिलता को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण स्थायी मान्यता हेतु किया जावे।

सदर्भ क्रमाक(R)	नियम सख्या	आदेश संख्या	आदेश क्रमांक	आदेश/निर्देशों का सारांश
10	4(ii)	प-10(9) शिक्षा-5/1997 दिनाक 09/09/1997	24	उन गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के जिन लम्वित प्रकरणों की स्थायी मान्यता हेतु निरीक्षण पूर्ण हो चुका है के प्रकरण 30/09/97 तक व जिनके निरीक्षण प्रतिवेदन की जांच शेष है के आवेदन 15/10/1997 तक समय सीमा में शिथिलन हेतु भेजने के निर्देश।
11	4(i)	प-10(9) शिक्षा-5/1997 दिनांक 03/12/1997	33	आदेश क्रमाक संख्या 24 में स्थायी मान्यता में समय सीमा में शिथिल हेतु मागे गए प्रकरणों की तिथि वढाकर 31/12/1997 की गई।
12	4(ii)	प-15(1) शिक्षा-5/1994 पार्ट I दिनाक 29/07/1998	60	गैर सरकारी गैर अनुदानित शिक्षण सस्थाओं के लिए नियमों में स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण इन सस्थाओं के लिए यह अनिवार्य नहीं के वे अपने कर्मचारियो को राज्य कर्मचारियों के समान वेतन दे। अत इस आधार पर उनकी मान्यता के प्रकारण अस्वीकार न करे।
13.	5 (i)	प-19(9) शिक्षा-5/1993 दिनाक 21/02/1998	41	विभिन्न श्रेणी के गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं को मान्यता/अनापति प्रमाण-पत्र के अधिकारों का विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारीयों को प्रत्यायोजन के आदेश।
14.	5(i)	प-19(9) शिक्षा-5/1993 दिनाक 11/12/1998	66	आदेश क्रमाक स 41 को निरस्त करते हुए पूर्व की व्यवस्था लागू करने के निर्देश (प्रा.एव.मा.शिक्षा हेतु)
15.	5(i)	प-19(9) शिक्षा-5/1993	77	आदेश क्रमाक स 41 व 66 सस्कृत शिक्षा हेतु भी लागू।
16. व 17.	5(2) 5(2)	प-19(9) शिक्षा-5/1993 दिनांक 29/06/2000 दिनांक 03/07/2000	101	माध्यमिक स्तर व उच्च मायध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति सम्वन्धी लम्वित प्रकरणो को निर्धारित तिथि के वाद विलम्व से प्राप्त हो तो विलम्व शुल्क लेकर नियमित किये जा सकते है।
18.	5	शिविरा-2000 शैक्षिक/178 दिनांक 07/02/2001	114	निदेशालय द्वारा सस्थाओं हेतु सक्षम अधिककारि की घोपणा।
19.	5	प-8(3) शिक्षा-5/2001 दिनांक 19/03/2001	117	गैर सरकारी शैक्षिण सस्थाओं मे मान्यता क्रमोन्नति/संकाय खोलने हेतु प्रकरण राज्य सरकार स्तर पर निष्तारित होगे।
20.	5	प-18(1) शिक्षा-5/2001 दिनांक 06/11/2002	141	सस्थाओं की मान्यता क्रमोन्नति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का कार्यकरण।
21.	5	प-18(3) शिक्षा-5/2001 दिनाक 17/01/2003	143	उक्त कार्यक्रम की समय सीमा मे वढोतरी।
22.	5	प-13(1) शिक्षा-5/2002 दिनाक 20/03/2003	145	गैर सरकारी स्कूलो की मान्यता हेतु निर्देशक निर्णय लेंगे।
23.	5	प-9(51) शिक्षा-5/2003 दिनाक 13/08/2003	150	दसवीं एव वारहवीं कक्षा चलाने के निर्देश।
24.	5	प-9(11) शिक्षा-5/2003 दिनाक 26/08/2003	151	31/08/2003 तक वकाया प्रकरणों का निपटारा करने के निर्देश।

अध्याय - 3 सहायता, लेखे और संपरीक्षा

9. **अनुदान**- राज्य सरकार, स्वविवेक से निम्नलिखित अनुदान मजूर कर सकेगी :-

(1) अनुरक्षण या आवर्ती अनुदान,

(2) उपस्करो, भवन आदि के लिये अनावर्ती अनुदान

(3) किसी ऐसी सस्था को तदर्थ, अनावर्ती या आवर्ती अनुदान जो अखिल भारतीय स्वरूप की हो और जिसकी परियोजना और क्रियाकलापों को केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा ऐसे निर्वन्धनों और शर्तो पर अनुमोदित किया गया हो जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे,

(4) ऐसे अन्य अनुदान जो सरकार द्वारा समय-समय पर मजूर किये जावें।

10. **सहायता-अनुदान को विनियमित करने वाली सामान्य शर्तें**- प्रत्येक सस्था, जो सहायता अनुदान के लिये आवेदन करती है, के लिये यह समझा जायेगा कि उसने निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन करने की अपनी बाध्यताओं को स्वीकार कर लिया है*[R 10]-

(i) सस्था, जब तक कि शिक्षा निदेशक, द्वारा अनुज्ञा नहीं दे दी जाये तब तक, अभ्यर्थियों को अन्य राज्य में आयोजित किसी परीक्षा के लिए न तो तैयार करेगी न ही भेजेगी जब कि उसी स्वरूप ओर स्तर की कोई परीक्षा शिक्षा विभाग, बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान मे आयोजित की जाती हो।

(ii) प्रवेश और सस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सभी सुविधाऍ, जिनमें निःशुल्क अध्ययन, अर्द्धशुल्क अध्ययन सम्मिलित हैं, जाति, रग, पथ, धर्म और भाषा का कोई भेद किये बिना जनता के प्रत्येक वर्ग को उपलब्ध होगी।

(iii) सस्था किसी भी व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं चलायी जायेगी। उसकी प्रबन्ध समिति या प्रबन्ध ऐसा होना चाहिए जिस पर यह भरोसा किया जा सके कि वह अपनी आस्तियों का उपयोग सस्था के उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए करेगा।

(iv) सस्था अपनी ऐसी सभी आस्तियों की सूची शिक्षा विभाग को देगी जिनकी आय का उपयोग सस्था के व्यय की पूर्ति करने के लिए किया जाता है।

(v) शैक्षिक सस्था या उसका कोई भी संकाय, विषय, पाठ्यक्रम, कक्षा या अनुभाग विभाग को अधिनियम की धारा 14 के अधीन यथापरिकल्पित कम से कम एक पूर्ण शिक्षा वर्ष का लिखित नोटिस दिये बिना बन्द या अवश्रेणीकृत नहीं किया जायेगा।

(vi) जब कभी किसी भी मान्यता प्राप्त सस्था के प्रबन्ध को अतरित किया जाना प्रस्तावित हो तो सचिव और वह व्यक्ति जिसको प्रबन्ध अन्तरित किया जाना प्रस्तावित है, ऐसे अन्तरण से पूर्व, अन्तरण के पूर्व अनुमोदन के लिए परिशिष्ट-6 में विनिर्दिष्ट प्रोफोर्मा में सयुक्त रूप से आवेदन करेगे।

(vii) प्रबन्ध परिशिष्ट-2 में विहित राशि विन्यास आरक्षित निधि मे निक्षिप्त करायेगा।

(viii) प्रबन्ध द्वारा अनुदानों, दान, विन्यासों पर के ब्याज, विद्यार्थियों से फीसों के रूप में सग्रहित रकम सस्था के लेखे में जमा की जायेगी और सस्था के वार्षिक आय और व्यय विवरण में दिखायी जायेगी। तुरन्त सवितरण या सदाय के लिए अपेक्षित धन को छोड़कर सारा धन जिला/उप-खजाना में इस प्रयोजन के लिए खोले गये पी.डी. लेखे में जमा किया जायेगा। सस्था आय के अनुसार एक रजिस्टर में विस्तृत लेखे रखेगी*[R 1]।

R 1, R 10 - सदर्भ प्रसंगक्रम के आदेश के साराश अध्याय के अत में देखे पृष्ठ - 56 ।

(ix) (क) प्रवन्ध यह देखेगा कि रोल पर के विद्यार्थियों की कुल सस्था और वाल संस्था में उनकी औसत उपस्थिति इसमें नीचे उल्लिखित मानक से कम नहीं पड़ती है:R 2 से 7

क्र.स.	संस्था का स्तर	कक्षा	किसी सत्र में रोल पर के विद्यार्थियों की कुल सख्या	औसत उपस्थिति
1	2	3	4	5
(1)	प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा			
	(1) निम्न प्राथमिक	1 से 3	45	75%
	(2) प्राथमिक	1 से 5	75	75%
	(3) उच्च प्राथमिक	6 से 8	45	75%
	(4) माध्यमिक	9 से 10	40	75%
	(5) सीनियर माध्यमिक	11 से 12	60	75%
	(6) छात्रावास		25	75%
(2)	संस्कृत शिक्षा			
	(1) प्राथमिक	1 से 5	75	75%
	(2) पूर्व प्रवेशिका	5 से 8	45	75%
	(3) प्रवेशिका	9 से 10	30	75%
	(4) उपाध्याय	11 से 12	20	75%
	(5) शास्त्री	प्रथम वर्ष से तृतीय वर्ष	20	75%
	(6) आचार्य	पूर्वार्द्ध से उत्तरार्द्ध	10	75%
(3)	महाविद्यालय शिक्षा			
	(1) स्नातक	प्रथम वर्ष से तृतीय वर्ष	30	75%
	(2) स्नातकोत्तर	पूर्वार्द्ध से उत्तरार्द्ध	20	75%

(ख) वालिका सस्थाओ के मामले में किसी सत्र मे रोल पर के विद्यार्थियो की कुल सख्या वाल सस्था के लिए विहित सख्या की 75% हो सकेगी और औसत उपस्थिति 60% हो सकेगी।

(x) सस्था की निधि मे से रकम केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो निधि को चलाने के लिए प्रवन्ध समिति द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत हो और केवल सस्था के अनुरक्षण या सुधार के लिए व्यय उपगत करने के प्रयोजन के लिए निकाली जायेगी।

(xi) सस्था विभाग द्वारा सस्था के उचित सचालन के लिए समय-समय पर दिये गये सभी अनुदेशों/आदेशो/विनिश्चयो का तत्परता से पालन करेगी।

(xii) कोई नया पाठ्यक्रम, कक्षा अनुभाग, विषय, सकाय या कोई परियोजना प्रारम्भ करने के लिए कोई भी अनुदान तब तक अनुज्ञेय नहीं होगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त न कर ली गयी हो।

R 2 से 7 - सदर्भ प्रसंगक्रम के आदेश के सारांश अध्याय के अंत में देखे पृष्ठ - 56।

(xiii) प्रवन्ध अध्यापक और अन्य कर्मचारी नियुक्त करेगा और इन नियमों में अधिकथित सेवा की शर्तों का अनुसरण करेगा। सस्था द्वारा केवल प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे।✲R 8

(xiv) प्रवन्ध सचित वचतो को सम्मिलित करते हुए अपनी आय का कोई भी भाग ऐसी मदो पर खर्च नहीं करेगा जो सस्था के हित के विरुद्ध हो।

(xv) सहायता अनुदान निधि की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए सस्था के प्रवन्ध को सदेय होगा और उसके लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जायेगा।

(xvi) सहायता की रकम सामान्यत सस्था की प्रवन्ध समिति के सचिव को सदत की जा सकेगी, किन्तु विशेप परिस्थितियों में और लेखवद्ध किये जाने वाले कारणो से ऐसी रकम, शिक्षा निदेशक द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किये गये किसी अन्य अधिकारी के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सदत्त की जा सकेगी।

(xvii) वित्तीय सकट के मामले मे राज्य सरकार, किसी भी प्रकार के कोई कारण समनुदेशित किये विना अनुदान को वन्द, कम या उपान्तरित कर सकेगी।

(xviii) किसी वर्ष मे कुल आवर्ती सहायता अनुदान, कुल अनुमोदित व्यय और समस्त स्रोतो से आवर्ती आय के वीच के अन्तर से अधिक नहीं होगा।

(xix) सहायता अनुदान या उससे सृजित कोई भी जगम या स्थावर सम्पति का उपयोग ऐसे प्रयोजन से,.जिसके लिए व मजूर की गयी थी, से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(xx) वित्तीय वर्ष के अन्त मे अनुपयोजित अतिशेष प्रतिवर्ष 31 मार्च को या उसके पहले विभाग/सरकार को अभ्यर्पित किया जायेगा, जिसमें विफल रहने पर वह देय सहायता की अगली किस्त के मद्दे समायोजित किया जायेगा।

(xxi) सस्था वसूल की गयी विभिन्न प्रकार की फीसों के लिए विद्यार्थीवार मॉग और सग्रहण रजिस्टर रखेगी।

(xxii) केवल मान्यता प्राप्त सस्थाये सहायता अनुदान की पात्र होगी।

(xxiii) कोई भी सहायता अनुदान ऐसी सस्था को अनुज्ञेय नहीं होगा जो लेखा परीक्षा/निरीक्षण से वचती है या लेखा परीक्षा/निरीक्षण प्राधिकारी के साथ सहयोग करने में विफल रहती है।✲R 9

(xxiv) सस्था का सचिव या सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई भी अन्य व्यक्ति सहायता अनुदान प्राप्त करते समय परिशिष्ट-12 में विहित प्रारूप में एकवचन वध तीन प्रतियो मे प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

11. सहायता अनुदान के लिए प्रक्रिया-

1. सरकार से सहायता अनुदान चाहने वाली कोई गैर सरकारी शैक्षिक संस्था, परिशिष्ट-4 में विहित प्रारूप में अपना आवेदन उस वर्ष से जिसके लिए सहायता अनुदान केलिए आवेदन किया है टीक पूर्ववर्ती वर्ष की अधिक से अधिक 30 सितम्वर तक सम्वन्धित शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत करेगी। प्रतिवर्ष 31 अक्टूवर तक शिक्षा निदेशक, अपने द्वारा नाम निर्देशित की जाने वाली समिति द्वारा पैनल निरीक्षण के लिए आदेश करेगा और ऐसी समिति को परिशिष्ट-5 में यथा-विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्वर तक प्रस्तुत करने का निर्देश देगा। पैनल निरीक्षण रिपोर्ट की सवीक्षा निदेशालय की लेखा शाखा के प्रधान द्वारा की जायेगी। पैनल निरीक्षण समिति द्वारा सिफारिश की गयी सस्थाओं की सूची 31 जनवरी तक राज्य सरकार को भेजी जायेगी, ऐसी रिपोर्ट सम्यक् संवीक्षा के पश्चात् सहायता अनुदान समिति के समक्ष रख दी जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे✲R 11, 12

R 8 से 12 - सदर्भ प्रसगक्रम के आदेश के साराश अध्याय के अत में देखे पृष्ठ - 56।

(i)	विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा विभाग	अध्यक्ष
(ii)	निदेशक ओर/या मुख्य लेखाधिकारी, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
(iii)	निदेशक, महाविद्यालय	सदस्य
(iv)	निदेशक, संस्कृत शिक्षा	सदस्य
(v)	वित्त विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
(vi)	सरकार द्वारा नाम निर्देशित तीन विख्यात गेर शासकीय शिक्षाविद्	सदस्य
(vii)	लेखाधिकारी, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	सदस्य सचिव

(2) शिक्षा निदेशक वित्तीय वर्ष में उपर्युक्त सहायता के लिए उपलब्ध हो सकने वाली रकम की सूचना उपर्युक्त समिति को, जब वह सहायता अनुदान के आवेदनों पर विचार करने के लिए बेठक करे, देगा।

(3) सरकार आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए सम्बन्धित शिक्षा निदेशक को सहायता आदि की मात्रा के अपने अनुमोदन से सूचित करेगी।

(4) सहायता की मात्रा सहायता अनुदान समिति की सिफारिशों पर निर्भर करेगी और अन्तिम रूप से उतनी हो सकेगी जितनी सरकार द्वारा अनुमोदित की जाये ओर सस्था के अनुमोदित व्यय की 50% से 90% तक हो सकेगी।
परन्तु राजस्थान में स्थित रेल विद्यालयों के मामले में, सहायता अनुदान निम्न प्रकार से अनुज्ञात किया जा सकेगा-

1.	प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय	अनुमोदित व्यय का 50%
2.	माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक विद्यालय	अनुमोदित व्यय का 25%

परन्तु यह और कि किसी नये सकाय या विषय के लिए सहायता की प्रतिशतता किसी संस्था को अन्य संकाय या विषय के लिए पहले से दी जा रही प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(5) ऐसी सस्था, जिसके लिए सहायता अनुदान चाहा जा रहा है, के प्रवन्ध द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा इस प्रभाव की एक घोपणा प्रस्तुत की जायेगी कि उसके पास पर्याप्त आस्तिया है (सूची सलग्न की जाये) जो सभी विल्लगमों से मुक्त है और उसमें प्राप्त सहायता अनुदान से सृजित या उसमें जोडी गयी आस्तिया सम्मिलित नहीं है और कि सहायता अनुपूरित ऐसीं आस्तियों की आय सस्था को कुशलता से चलाने में और सस्था के स्टाफ को नियमित रूप से और समय पर वेतन का संदाय करने में प्रवन्ध को समर्थ वनाने के लिए पर्याप्त होगी◊R 13।

12. अनुरक्षण या आवर्ती अनुदान को अन्तिम रूप दिया जाना-

(1) पहले से आवर्ती अनुदान प्राप्त कर रही सस्था पूर्व वर्ष के अनुदान को अन्तिम रूप देने के लिए विहित प्रारूप (परिशिष्ट-4) मे आवेदन नीचे यथा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी को 31 अगस्त तक प्रस्तुत करेगी◊R 14 से 18।

1.	सस्कृत शिक्षा से भिन्न महाविद्यालय	निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा
2.	सस्कृत शिक्षा के विद्यालय और महाविद्यालय	निदेशक, सस्कृत शिक्षा
3.	प्राथमिक और माध्यमि शिक्षा	क्षेत्रीय सयुक्त/उप निदेशक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा

(2) प्राथमिक ओर माध्यमिक शिक्षा द्वारा नियत्रित संस्था के मामले में ऐसा आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को 31 अगस्त तक प्रस्तुत किया जायेगा जो उनकी संवीक्षा संस्था के मूल अभिलेखों के प्रतिनिर्देश से करेगा और उसे प्रत्येक [illegible] अपनी विनिर्दिष्ट सिफारिश के सहित उप नियम (1) में यथा-विनिर्दिष्ट सक्षम अधिकारी को अनुदान को [illegible] देने के लिए 31 अक्टूबर तक अग्रेपित करेगा◊R 19।

R 13 से 19 - संदर्भ प्रसंगक्रम के आदेश के सारांश अध्याय के अंत में देखें पृष्ठ - 57।

3. यदि सस्था 31 अगस्त तक आवेदन प्रस्तुत करने मे विफल रहती है तो उपर्युक्त प्राधिकारी दो महीने तक के विलम्ब को माफ कर सकेंगे और दो महीने से अधिक का विलम्ब सरकार द्वारा माफ किया जा सकेगा*R 20।

13. वार्षिक आवर्ती अनुदान का निर्धारण-

(1) वार्षिक आवर्ती अनुदान चालू वर्ष के अनुमानित व्यय के आधार पर दिया जायेगा और अगले वर्ष मे सदेय अनुदान से समायोजन के अध्यधीन होगा*R 21 से 33।

(2) अनुमोदित व्यय का परिनिर्धारण इन नियमो और ऐसे अन्य अनुदेशो, को समय-समय पर जारी किये जावें, के अनुसार किया जायेगा।

(3) सस्थाए सहायता अनुदान समिति की सलाह से प्रवर्गीकृत की जायेगी और उन्हे निम्नलिखित सहायता अनुदान अनुज्ञात किया जा सकेगा*R 34-

पूर्व वर्ष के अनुमोदित व्यय और	प्रवर्ग क.	80%
कर्मचारियों की सभाव्य वेतन	ख.	70%
वृद्धियों का।	ग.	60%
	घ.	50%

विशेष प्रवर्ग- शिक्षा विभाग द्वारा अधिकथित मानदण्ड के अनुसार प्रायोगिक और आविष्कार की दिशा में शिक्षा कार्य कर रही सस्थाऐं 90%

टिप्पणी I (i) सहायता अनुदान में वृद्धि या कमी के मामले में निरीक्षण रिपोर्ट और सामान्य सुधारों और प्रवर्गीकरण के अन्य सिद्धान्तो के आधार पर सहायता अनुदान समिति द्वारा सामान्यत. तीन वर्षो के पश्चात् पुनर्विलोकित किये जा सकेंगे।

(ii) सहायता अनुदान समिति, सस्थाओं को परिशिष्ट-7 मे अधिकथित मानदण्ड के अनुसार उनके मामलों की परीक्षा के पश्चात् विशेष प्रवर्ग प्रदान कर सकेगी।

4. राजस्थान सरकार से किसी भी वर्ष मे कुल आवर्ती सहायता अनुदान कुल अनुमोदित व्यय और अन्य राज्यो और केन्द्रीय सरकार, सभाओं सोसाइटियो और स्थानीय निकायो से प्राप्त अनुदानों तथा आरक्षित निधियो पर के व्याज या सम्पति के किराये से प्राप्त आय को भी सम्मिलित करते हुए उसी वर्ष के दौरान फीसो और अन्य आवर्ती स्रोतों से प्राप्त आय के बीच के अन्तर से अधिक नहीं होगा*R 35।

टिप्पणी I- उपनियम (4) में निर्दिष्ट फीसो और जुर्मानो से प्राप्त आय मे निम्नलिखित फीसे सम्मिलित है और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या अन्य अनुमोदित लेखा परीक्षकों द्वारा तैयार सपरीक्षा विवरण मे अलग-अलग उल्लिखित की जायेगी-

(i) अध्यापन फीस*R 36,

(ii) उप शैक्षणिक फीस,

(iii) प्रवेश और पुनः प्रवेश फीस,

(iv) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र फीस,

(v) निम्नलिखित के सिवाय कोई भी अन्य ऐसी फीस जो उपर्युक्त के अन्तर्गत नहीं आयी हो,

---

R 20 से 36- सदर्भ प्रसगक्रम के आदेश के साराश अध्याय के अंत में देखे पृष्ठ - 57-59 ।

(क) विषय फीस उदाहरणार्थ वाणिज्य फीस, विज्ञान फीस, कृषि फीस इत्यादि।

(ख) खेल फीस और नियम 14 के उपखण्ड (झ) (ट) (ठ) में निर्दिष्ट कृषि, डेयरी, गृह विज्ञान आदि में शिल्प और अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रभारित फीस।

(vi) जुर्माने उपर्युक्त मद (v) के (क) और (ख) में निर्दिष्ट अन्य फीसों के सम्बन्ध में विषय, खेल और प्रमाण-पत्र फीसें ऐसे विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोजित की जायेगी जिसके लिए वे प्रभारित की गयी है और उनके पूर्णतः या भागतः अनुपयोजन की दशा में रकम अगले वर्ष उपयोजित किये जाने के लिए विद्यार्थी निधि मे अन्तरित कर दी जायेगी। शासी निकाय-परिषद् या प्रवन्ध किसी भी दशा में विद्यार्थी निधि के किसी भाग का संस्था को चलाने के प्रयोजन के लिए या कर्मचारियों के वेतन में या भवनों के किराये आदि के सदायों में उपयोजन नही करेगा[R37]।

टिप्पणी II- प्रत्येक वर्ष के दौरान सहायता अनुदान सूची में सम्मिलित प्रत्येक संस्था को चालू वर्ष का अनुदान मजूर किये जाने तक, पूर्व वर्ष के लिए नियत वार्षिक सहायता के 1/12 के बराबर मासिक राशिया 1/4 के बराबर है त्रैमासिक राशि इसके अन्तिम समायोजन के अध्यर्धान रहते हुए अनन्तिम रूप से सदत्त की जायेगी सस्थाओं के प्रवर्गीकरण के लिये निम्नलिखित आधार होंगे-

(i) सस्था की उच्चतम कक्षा के लोक परीक्षाओं के गत तीन वर्षो के औसत परिणामों पर आंकी गयी शैक्षिक कार्य की गुणवत्ता,

(ii) सुधार कार्य,

(iii) वैयक्तिक ध्यान,

(iv) अध्यापन दक्षता,

(v) सस्था का अनुशासन ओर चारित्रिक स्तर,

(vi) पाठ्येत्तर क्रिया-कलाप, सास्कृतिक जीवन, खेल आदि।

(vii) सामुदायिक जीवन के प्रति योगदान (क्षेत्र में सेवा विशेष),

(viii) वर्ष भर में कक्षा वार उपस्थिति,

(ix) खेल, खेलकूद, शारीरिक प्रशिक्षण के लिए सुविधाएँ और खेल प्रतियोगिताओ में भाग और उपलब्धि[R 38],

(x) भवन और उपस्कारो के लिए व्यवस्था,

(xi) अनाचार और अनियमितताओ का अभाव,

(xii) विद्यार्थियों में वृद्धि रोध का अभाव,

(xiii) उपलब्ध संकायो और विषयों की संख्या।

टिप्पणी III- सस्था के कर्मचारी से वसूल किया नोटिस कालावधि का ऐसा वेतन और वर्ष के दोरान प्रवन्ध के द्वारा समपहृत भविष्य निधि स्कीम की प्रवन्ध के अश की ऐसी रकम, जो संपरीक्षित विवरण में आय के रूप मे दिखायी गयी हे, शुद्ध अनुमोदित व्यय के परिनिर्धारण के प्रयोजन के लिए सस्था की आय मानी जायेगी।

14. अनुमोदित व्यय- उपर्युक्त नियम 14 मे निर्देशित अनुमोदित व्यय केवल निम्नलिखित मदों के सम्बन्ध मे होगा। नीचे (क) से (न) तक में उल्लिखित सभी मदें व्यय की अनुज्ञेय मदो का समूह "क" होगा।[R43]

(क) अध्यापन और अध्यापनेत्तर स्टाफ के वारे मे वास्तविक वेतन और प्रावधायी निधि अशदान जो 8.33 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा[R] [R 39, 41 42];

R 37 से 43 - सदर्भ प्रसगक्रम के आदेश के सारांश अध्याय के अंत में देखे पृष्ठ - 59।

(ख) मुद्रण तथा लेखन-सामग्री प्रभार;

(ग) जल और विद्युत प्रभार;

(घ) रजिस्ट्रीकरण, फीस, सपरीक्षा फीस और सम्बद्धता फीस,

(ङ) उपस्कर ओर साधित्र पर आवर्ती व्यय;

(च) भवन की सामान्य मरम्मते (यदि ये सस्था और फर्नीचर आदि की हो), मरम्मत पक्के भवना के लिए 2 प्रतिशत से ओर कच्चे भवनो के लिए 1 प्रतिशत से सगणित की जा सकेगी,

(छ) (यदि भवन किराये पर हो तो) भवन किराया सभी मामलों मे, विभाग का यह समाधान हो जाना चाहिए कि भवन सम्बन्धित सस्था को चलाने वाले व्यक्तियो के उसी समुदाय या समूह से मिलकर वनी सोसायटी के स्वत्वाधीन नहीं हे। किराया अनुज्ञेय नहीं होगा यदि भवन सम्बन्धित सस्था को चलाने वाले व्यक्तियो की उसी सोसायटी या समूह का है,

(ज) पुस्तको, पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष पर शुद्ध आवर्ती व्यय;

(झ) एक से अधिक सस्था चलाने वाली आवासीय सस्था या शैक्षिक सोसाइटियो के मामले मे प्रवन्ध पर के ऐसे खर्च जो सस्थाओ ओर सोसाइटियो के स्थापन और अनुरक्षण के लिए आवश्यक या आनुषगिक हो;

(ञ) खेलों शारीरिक शिक्षा और अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापो जैसे कैम्पो, वार्षिक उत्सवो (जिसमे पुरस्कार सम्मिलित है) नाट्य प्रदर्शनों, शैक्षिक परिभ्रमणो, अध्ययन यात्राओ और समाज सेवाओ पर शुद्ध आवर्ती व्यय;

(ट) कृषि डेयरी, गृह विज्ञान को सम्मिलित करते हुए शिल्प पर उससे प्रोद्भूत होने वाली आय की कटौती करने के पश्चात् आवर्ती व्यय,

(ठ) सरकार या विभाग द्वारा शिक्षा सम्वन्धी विषय पर आयोजित सम्मेलनो और गोष्ठियो में उपस्थित होने के लिए अध्यापकों की यात्रा पर व्यय।

परन्तु वह सम्मेलनों या गोष्ठियो में या अध्यापको को वुलाने वाले या उनका प्रवन्ध करने वाले प्राधिकारी द्वारा यात्राओं के लिए सदत्त नहीं किया गया हो,

(ड) तकनीकी या विज्ञान विषय, गृह विज्ञान, अग्रेजी, मनोविज्ञान इत्यादि के लिए अध्यापको और प्राध्यापको के पदो के लिए विज्ञापन पर ऐसी दर से व्यय जो एक वर्ष मे दो विज्ञापन से अधिक नहीं हो,

(ढ) वोहारियों, झाडन ओर मटको, पानी के लिए रस्सी इत्यादि पर विहित सीमा के अनुसार खुदरा व्यय;

(ण) केवल अनुसधान सस्थाओ के लिए अनुसधान वुलेटिन;

(त) जिल्दसाजी (केवल सार्वजनिक पुस्तकालयो के लिए);

(थ) अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण पर व्यय (सरकारी कर्मचारियो के नियमो के अनुसार);

(द) भवन पर कर के मुद्दे प्रबन्ध वस्तुत सदत्त रकम की सीमा तक प्रभार,

(ध) शिक्षा निदेशक के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए विद्यालय के वालको के साथ अध्ययन यात्रा पर जाने वाले अध्यापकों के यात्रा व्यय;

(न) लोक निर्माण विभाग से किराया सत्यापन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए फीस पर उपगत व्यय,

(प) इन नियमों का प्रारम्भ होन के पश्चात् अस्तित्व में आने वाली कोई नयी सस्था सहायता अनुदान के लिए तव तक पात्र नहीं होगी जब तक कि उसने अपनी मान्यता या सम्वद्धता की तारीख से वालक संस्थाओं के मामले में कम से कम तीन शैक्षणिक सत्र तक और वालिका सस्थाओं के मामले मे दो शैक्षणिक सत्र तक निरन्तर सफलतापूर्वक कार्य नहीं किया हो,

(फ) छात्रावासों पर व्यय-छात्रावासो के लिए अनुमोदित व्यय निम्नलिखित मदो के सम्वन्ध मे होगा :-

(i) वार्डन या अधीक्षक या मैट्रन के वेतन या भत्तो,

(ii) विभाग द्वारा आवश्यक समझे गये लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्थापन,

(iii) कार्यालय के आकस्मिक व्यय,

(iv) एक से अधिक छात्रावास चलाने वाली सोसाइटियो के मामले मे प्रवन्ध पर ऐसे खर्चे जो सोसाइटी की स्थापना और अनुरक्षण के लिए आवश्यक और आनुषंगिक हो,

जैसा कि ऊपर नियमो के अधीन उपवन्धित है।

टिप्पण I केन्द्रीय कार्यालय पर व्यय अनुदान के लिए तभी अनुमोदित किया जायेगा जव सोसाइटी का कुल अनुमोदित व्यय प्रति वर्ष दस लाख रुपये से अधिक हो और सोसाइटी द्वारा कम से कम तीन सस्थाए चलायी जा रही हो। ऐसी सस्थाए केवल वे हैं जो विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त हो। संस्था, उसी सस्था के किसी विभाग या अनुभाग या क्रियाकलाप की प्रकृति की नहीं होनी चाहिए।

टिप्पण II सस्था द्वारा किसी पेंशन निधि या किसी उपदान स्कीम मे किये गये अशदान के मुद्दे या पूर्व अध्यापको को सदत्त पेशन या उपदान के मद्दे किये गये प्रभार सामान्य रूप से सहायता अनुदान के प्रयोजन के लिए तव तक स्वीकार नहीं किये जाते हैं जव तक कि इस विषयक नियम सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं हो[R 40]।

परन्तु किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार से उधारी सेवाओ के रूप मे प्राप्त किये गये स्टाफ के मामले में पेंशन और छुट्टी वेतन अशदान को अनुमोदित व्यय के रूप में अनुज्ञात किया जायेगा।

टिप्पण III किराये पर का व्यय, विशिष्ट कालावधि के लिए, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित सीमा तक, किसी सस्था को तभी अनुज्ञेय है जव भवन वास्तव मे किराये पर लिया गया हो और किराया विलेख, जिसमे किराये के निवन्धन ओर शर्ते अन्तर्विष्ट हो, निष्पादित और रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, जहॉ किसी मूल निकाय ने किसी न्यास को कोई शैक्षणिक सस्था चलाने के पूर्व प्रयोजन के लिए दान के रूप मे कोई भवन दिया गया हो तो वहा कोई किराया अनुज्ञेय नहीं है।

जहा किसी प्राइवेट निकाय द्वारा चलायी जा रही शैक्षणिक सस्थाओ के लिए प्रयुक्त भवन की मरम्मत, परिवर्धन और परिवर्तन के लिए सहायता अनुदान पहले दे दिया गया हो वहा कोई किराया अनुज्ञेय नहीं है।

यदि ऐसी सस्था या सोसाइटी को, जो मूल निकाय से भिन्न हो, किसी विद्यालय को चलाने का कार्य सौंपा गया है और वह ऐसे भवन का उपयोग करती है जो मूल निकाय द्वारा विद्यालय के उपयोग के लिए निर्मित्त करवाया गया था तत्पश्चात् नयी प्रवन्ध समिति से इस आशय को बन्ध पत्र या करार निष्पादित करने और उसे रजिस्ट्रीकृत कराने की अपेक्षा की जाती है कि भवन के उपयोग के लिए किराया विद्यालय को चलाने के लिए मूल निकाय को नवसृजित प्रवन्ध द्वारा सदत्त किया जाना है, सोसाइटी द्वारा दिया गया किराया सहायता अनुदान के लिए अनुज्ञेय होगा।

टिप्पण IV अन्यथा यथा उपवन्धित के सिवाय, किसी ऐसे भवन का जिसका किराया मागा गया है, कोई मरम्मत-व्यय सहायता अनुदान के लिए अनुज्ञेय नहीं है क्योकि ऐसी मरम्मत भू-स्वामी द्वारा की जानी है।

टिप्पण V विधिक खर्चे सहायता अनुदान के लिए अनुज्ञेय नहीं है क्योंकि वे अनावर्ती प्रभार हैं। तथापि, अपवादिक मामले, व्यय की अनुज्ञेयता से सम्वन्धित आदेशो के लिए, सम्वद्ध व्योरे सहित निदेशक को निर्दिष्ट किये जाने चाहिये।

टिप्पण VI व्यय की वकाया-ऐसा व्यय, जो किसी भी पूर्व वर्ष के दायित्वों की पूर्ति के लिए उपगत किया गया है किन्तु चालू वर्ष, जिस पर अनुदान आधारित है, के व्यय में सम्मिलित कर लिया गया है, सहायता अनुदान के प्रयोजन के लिए केवल राज्य सरकर के पूर्व अनुमोदन से अनुज्ञेय होगा[R 44]।

R 40 व 44 सदर्भ प्रसंगक्रम के आदेश के सारांश अध्याय के अंत में देखे पृष्ठ - 59।

टिप्पण VII व्यय की प्राधिकृत अधिकतम सीमाए परिशिष्ट-8 में यथा-विनिर्दिष्ट होगी।

टिप्पण VIII उपर्युक्त मे से किन्हीं भी मदों पर किसी नये या अतिरिक्त व्यय, जिसका अनुमोदित बजट में उपलब्ध नहीं है के लिए सरकार की पूर्व मजूरी अपेक्षित होगी।

टिप्पण IX उधारो आदि का प्रतिसदाय-उधारों का प्रतिसदाय या आरक्षित निधि में अन्तरित रकम सहायता अनुदान के प्रयोजन के लिए अनुज्ञेय व्यय नहीं है।

15. आवर्ती अनुदान का संदाय-

(i) सहायता अनुदान का सदाय शिक्षा निदेशक द्वारा चालू वित्त वर्ष के बजट प्रावधान के भीतर, पहले से सहायता अनुदान की सूची मे सम्मिलित सस्था को नियमित रूप से मजूर किया जा सकेगा।

(ii) यदि किसी भी सस्था ने 31 मार्च को समाप्त हुए बारह महीनों के दौरान 200 से कम दिनो के लिए कार्य किया है तो नियमो के अधीन सदेय वार्षिक अनुदान में आनुपातिक कमी की जा सकेगी।

16. अनावर्ती अनुदान-

(क) अनावर्ती अनुदान कुल अनुमोदित ओर वास्तविक व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक का नहीं होगा।

(ख) अनावर्ती अनुदान भवन (छात्रावासों सहित) के सन्निर्माण, मरम्मत और विस्तार के लिए फर्नीचर और उपस्कर के क्रय के लिए और पुस्तकालय पुस्तकों के क्रय के लिए दिया जा सकेगा।

(ग) बस के क्रय या प्रतिस्थापन के लिए अनुदान बस के नियत्रित मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक का नहीं होगा। प्रतिस्थापन सामान्यत कम से कम 10 वर्ष के अन्तराल के पश्चात् अनुज्ञात किया जायेगा। ऐसे अनुदान पर सामान्यत. केवल बालिका सस्थाओ और मोंटेसरी विद्यालयो के लिए विचार किया जायेगा और नगरों मे या आवासीय परिक्षेत्रों से दूर स्थित सस्थाओ को अधिमानता दी जायेगी।

टिप्पणी- बालिक सस्थाओ के मामले में शिक्षक आवास-गृहों के निर्माण के लिए उपगत व्यय सहायता अनुदान के लिए अनुज्ञेय होगा।

(घ) सहायता अनुदान केवल उन मामलों में दिया जायेगा जहा व्यय की योजना और प्राक्कलनो को परिशिष्ट 10 (मद 6) में दी गयी शक्तियों की अनुसूची के अनुसार सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त हो गया हो*[R 45]।

(ड) भवन के सन्निर्माण के लिए 50,000/- रुपये तक की योजना और प्राक्कलन सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सवीक्षित और प्रतिहस्ताक्षरित किये जा सकेगे यदि वे किसी अर्ह अभियन्ता द्वारा तैयार किये जाये। 50,000/- रुपये से ऊपर की योजनाए और प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार और सत्यापित किये जाने चाहिए और उचित माध्यम के द्वारा शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

(च) सस्थाओं को सहायता अनुदान परिशिष्ठ 10 (मद 8) में दी गयी शक्तियो की अनुसूची के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा मजूर किया और दिया जायेगा। अनुदान की मजूरी के पूर्व सक्षम प्राधिकारी इस बात का समाधान करेगा कि*[R 46]_

  (i) किस चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा सपरीक्षित व्यय विवरण प्राप्त हो गया है,

  (ii) सन्निर्माण के मूल्य के लिए लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियो का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है,

  (iii) लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियों और विभागीय प्राधिकारियो का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है कि व्यय अनुमोदित योजना या परियोजना के अनुसार है।

R 45 से 46 सदर्भ प्रसगक्रम के आदेश के सारांश अध्याय के अंत में देखे पृष्ठ - 60।

(छ) सामान्यतः सहायता अनुदान अनुमोदित सनिर्माण/परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात् दिया जाना है। विशेष मामलों में, जहा अनुमोदन की अन्तरिम किश्तें मजूर किये जाने का विनिश्चय किया जाये, वहां सक्षम प्राधिकारी स्वय का इस बात का समाधान करेगा कि-

(i) किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा सपरीक्षित व्यय वितरण प्राप्त हो गया है,

(ii) किये गये कार्य और प्रयुक्त सामग्री के बारे में उप जिला शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है।

मजूर किश्त अनुमोदित और वास्तविक व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक की नहीं होगी। अतिम संदाय के लिए प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा जैसा कि ऊपर (च) में है।

(ज) सभी मामलो में मजूर किया गया धन सदत्त करने के पूर्व या करते समय परिशिष्ट-9 में यथा विनिर्दिष्ट बन्धक विलेख निष्पादित किया जायेगा और रजिस्ट्रीकृत कराया जायेगा।

17. किसी पद की मंजूरी- (i) सस्था किसी अतिरिक्त या नये पद की मजूरी के लिए अपना आवेदन दो प्रतियों में शिक्षा निदेशक को प्रति वर्ष 31 मई तक निम्नलिखित प्रारूपों में प्रस्तुत करेगी*R 47 से 49

अतिरिक्त/नये पद की मंजूरी के लिए आवेदन

1 सस्था का नाम,

2. संस्था का स्तर, जिसके लिए सहायता अनुदान प्राप्त किया जा रहा है,

3. सहायता अनुदान का प्रतिशत,

4 लेखा शीर्ष,

5 सवर्गवार विद्यमान पद (जिनके लिए सहायता अनुदान प्राप्त किया जा रहा है),

6 अपेक्षित अतिरिक्त पद (सवर्गवार),

7. माग का औचित्य :

(क) कक्षाओं और अनुभागों की संख्या,

(ख) प्रत्येक अध्यापक द्वारा लिये जा रहे घण्टों की संख्या,

(ग) सभी अध्यापकों के लिए विहित समय-सारिणी।

8. गत तीन वर्षो में विद्यार्थियो की कक्षा/अनुभाग वार सख्या जो कि प्रत्येक वर्ष के मार्च में थी :

(क) नीचे की कक्षा से प्रोन्नत,

(ख) कक्षा में अनुत्तीर्ण,

(ग) नये प्रवेश,

(घ) ऐसे विद्यार्थियों की सख्या जिन्होंने कक्षा/अनुभाग छोड़ दिया है

9. क्या अतिरिक्त विद्यार्थियो/अनुभागो को विद्यमान भवन में, सरकार द्वारा विहित मानदण्डों के अनुसार, स्थान सुविधाएं देना संभव होगा,

10 अतिरिक्त पदों पर एक वर्ष के वित्तीय अनुमान और अपेक्षित सहायता के स्रोत.

11. क्या नयी कक्षा/अनुभाग या विनिर्दिष्ट संकाय खोलने के लिए, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा ले ली गई है? यदि तो ऐसी अनुज्ञा का सख्यांक और तारीख उद्धृत करें.

R 47 से 49 संदर्भ प्रसगक्रम के आदेश के सारांश [illegible]

12. प्रतिहस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी की सिफारिश,

(2) शिक्षा निदेशक मामले की सवीक्षा करेगा और अपने विस्तृत प्रस्ताव, सस्था के आवेदन के साथ, राज्य सरकार को भेजेगा जो वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् उतने पद मजूर कर सकेगी जितने कि वह न्यायोचित समझे॰R 50 से 54।

(3) इस प्रकार अतिरिक्त रूप से मंजूर किये गये पद उस विनिर्दिष्ट तारीख, से जो कि आदेश में उल्लेखित हो या उस तारीख से, जिसको वह भरा जाये, जो भी वाद मे हो, प्रभावी होंगे।

(4) शिक्षा निदेशक, प्राक्कलन या, यथास्थिति, पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत करके समुचित लेखा शीर्ष के अधीन वजट प्रावधान सुनिश्चित करेगा।

(5) यदि विद्यार्थियों या विषयो की सख्या में कमी होने के कारण विद्यमान पदों की सख्या कम किये जाने के दायित्वाधीन हो तो शिक्षा निदेशक को इस वारे मे सूचित करना सस्था पर वाध्यकारी होगा।

18. अनुदान की रोक, कमी या निलम्वन- सहायता अनुदान मजूरी प्राधिकारी के विवेकानुसार रोके जाने, कम किये जाने या निलम्वित किये जाने के दायित्वाधीन होगा यदि उसकी राय में प्रवन्ध किन्हीं भी शर्तो को पूरा करने या पालन करने में या इन नियमो में प्रगणित किन्हीं भी उपवन्धो का अनुपालन करने में या संस्था का कुशलतापूर्वक प्रवन्ध करने में विफल रहा है, परन्तु इस नियम के अधीन कोई भी ऐसी कार्यवाही करने के पूर्व प्रवन्ध को.उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपो और की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण वताने का अवसर दिया जायेगा।

19. अनुदान की रोक, कमी या निलम्बन के विरुद्ध अपील- प्रबन्ध अनुदान को रोकने, कम करने या उसका निलम्वन करने के आदेश के विरुद्ध, उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा। राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

20. लेखे और संपरीक्षा-

(1) वह सस्था, जिसे सहायता अनुदान का फायदा दिया गया है, रोकड वहियां ओर अन्य समनुपगी रजिस्टर रखेगी, जिनमें सस्था से या तो प्रत्यक्षत या अप्रत्यक्षतः जुडे हुए सभी रोकड़ से सव्यवहार प्रविष्ट किये जायेगे।

(2) सस्था के लेखे सरकार या शिक्षा निदेशक द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों, अधिकारियों ओर साथ ही स्थानीय निधि सपरीक्षा विभाग और महालेखाकार के समक्ष निरीक्षण और सपरीक्षा के लिए पेश किये जायेगे।

(3) किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या किसी भी प्राधिकृत संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से तैयार की गई संस्था की वार्षिक सपरीक्षा रिपोर्ट आगामी वर्ष की 31 अगस्त से पहले प्रतिहस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी के समक्ष पेश की जायेगी जो उसकी परीक्षा करने के पश्चात् उसे मन्जूरी प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(4) वर्ष के लिए वेतन से भिन्न अनुरक्षण अनुदान तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि मजूरी प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष के 30 नवम्बर को या उसके पूर्व गत वर्ष की संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो गयी हो। उक्त रिपोर्ट प्रवन्ध द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और अनुमोदित सपरीक्षक द्वारा प्रमाणित रूप में भेजी जायेगी॰R 55।

(5) मजूरी प्राधिकारी सस्था द्वारा तैयार किये गये वास्तविक व्यय विवरणों प्राधिकृत सपरीक्षक द्वारा पाये गये फर्कों, प्रवन्धक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों और उस रीति के जिसमें सस्था सहायता अनुदान की शर्तो का पालन कर रही है, सम्बन्ध में प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की टिप्पणियों के प्रति निर्देश से सपरीक्षा रिपोर्ट की संविक्षा करेगा। समाधान हो जाने पर मजूरी प्राधिकारी इन नियमों के अनुसार अनुदान मजूर करेगा।

R 50 से 55 सदर्भ प्रसगक्रम के आदेश के साराश अध्याय के अत में देखे पृष्ठ - 61।

(6) शिक्षा निदेशक, दो वर्ष में कम से कम एक बार सहायता प्राप्त संस्थाओं के लेखों की स्थानीय सपरीक्षा की व्यवस्था करेगा। ऐसी सपरीक्षा के दौरान एक चयनित महीने के संव्यवहारो की विस्तृत सपरीक्षा की जायेगी उसके पश्चात् शिक्षा निदेशक प्रबन्ध से ऐसी सपरीक्षा रिपोर्ट की अनुपालना चाहेगा[R 56]।

(7) शिक्षा निदेशक संस्था द्वारा रखे गये लेखों की दशा उपदर्शित करते हुए प्रतिवर्ष 1 जनवरी को या उससे पूर्व सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(8) यदि परिस्थितियो के कारण ऐसा अपेक्षित हो तो सरकार/शिक्षा निदेशक किसी भी सहायता प्राप्त संस्था के लेखों की विशेष सपरीक्षा के आदेश दे सकेगा। जो इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के द्वारा की जायेगी।

(9) संस्था का सचिव किसी शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर, संपरीक्षा रिपोर्ट संस्था की प्रबन्ध समिति को परिशीलन और विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करेगा और उसके विनिश्चय से निदेशक शिक्षा को संसूचित करेगा।

(10) संस्था संपरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर इसकी अनुपालना करने के लिए बाध्य होगी, जिसमें विफल रहने पर वह सक्षम प्राधिकारी के द्वारा समुचित कार्यवाही किये जाने के दायित्वाधीन होगी।

21. **संस्था का निरीक्षण-** संस्था के कार्यकलापों पर समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करने की दृष्टि से शिक्षा निदेशक/राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई भी अधिकारी पूर्व नोटिस के विना किसी भी संस्था का या उसके किसी भी भाग का निरीक्षण कर सकेगा। संस्था ऐसे निरीक्षण को सुकर बनाने के लिए अपना अभिलेख उपलब्ध करायेगी। ऐसे निरीक्षण अधिकारी द्वारा एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

22. **अन्तरण के लिए पूर्व अनुमोदन-** स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण के लिए पूर्व अनुमोदन जैसा कि अधनियम की धारा 15 के अधीन परिकल्पित है, चाहने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी-

(क) स्थावर सम्पत्ति का वर्णन,
(ख) वह प्रयोजन जिसके लिए उसका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है,
(ग) क्रय/निर्माण का वर्ष,
(घ) क्रय/निर्माण की लागत,
(ङ) वर्तमान मूल्य,
(च) सम्पत्ति का क्रय/निर्माण करने के लिए प्राप्त सहायता अनुदान की रकम,
(छ) अन्तरण के लिए कारण,
(ज) अन्तरण की प्रकृति,
(झ) किसको अन्तरित किया जाना प्रस्तावित है, और
(ञ) मांगी गयी अन्य सूचनाऐं, यदि कोई हों।

R 56 संदर्भ प्रसंगक्रम के आदेश के सारांश अध्याय के अंत में देखे पृष्ठ - 61 ।

R- संदर्भ आदेश सारांश तालिका

सदर्भ क्रमाक (R)	नियम सख्या	आदेश सख्या	आदेश क्रमाक	आदेश/निर्देशों का सारांश
1	10(viii)	प 3(1) शिक्षा-5/1994 दिनाक 19/03/1994	6	गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओ को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय के लेखे सम्वधी संशोधित प्रक्रिया यथा पी.डी. खाता खोलने व इसमे सस्था की समस्त आय को जमा कराने की अनिवार्यता में छूट व विनिवेश करने आदि की प्रक्रिया। उच्च स्तरीय समिति की अतिम रिर्पोट आने व उस पर राज्य सरकार के निर्णय तक प्रभावी रहेगे।
2	10 (ix)	प11(10)शिक्षा-5/1990 दिनाक 06/06/98	54	अनुदान प्राप्त विद्यमान गैर सरकारी शेक्षणिक संस्थाओं मे नामर्स व चालू सत्र के एनरोलमैण्ट के आधार पर विद्यमान पदो की समीक्षा कर तदनानुसार कार्य वाही करे।
3	10 (ix)	प11(10)शिक्षा-5/1990 दिनांक 16/12/1998	67	आदेश क्रमाक 54 में एनरोलमैण्ट वर्ष की अवधि एक वर्ष आगे करने के आदेश
4.	10 (ix)	प11(10)शिक्षा-5/90 दिनाक 28/07/1999	81	आदेश क्रमाक 54 में एनरोलमैण्ट वर्ष की अवधि एक वर्ष आगे करने के आदेश दिनाक 31.11.99
5.	10 (ix)	प19(9)शिक्षा-5/1993 दिनाक 08/12/1999	91	आदेश क्रमाक 54 को दिनांक 31 12.99 तक स्थागित रखने के आदेश
6	10 (ix)	प19(9)शिक्षा-5/1993 दिनाक 18/01/2000	94	आदेश क्रमाक 54 को दिनांक 31 03.2000तक स्थागित रखने के आदेश
7	10 (ix)	प3(2)शिक्षा-4/2003 दिनांक 21/05/2003	147	गैर सरकारी अनुदानित कॉलेजो को स्वय की प्रवेश नीति वनाने की छुट।
8.	10 (xii)	प19(9)शिक्षा-5/1993 दिनाक 25/08/2000	107	प्रशिक्षित अध्याप ही नियुक्त करे अन्यथा अनुदान देय नहीं होगा।
9.	10 (xiii)	प9(1)शिक्षा-5/2003 दिनांक 28/02/2003	144	अनुदानीत शिक्षण सस्थाओं का नियमित निरक्षण करने के क्रम में।
10.	10 से 15	प18(1)शिक्षा-5/2001 दिनांक 27/05/2001	135	अनुदान स्वीकृति करने की सामान्य प्रक्रिया पालन।
11.	11(1)	प12(1)शिक्षा-5/1997 दिनाक 28/04/1998	48	अनुदान सूची पर संस्था को लेने हेतु नीति निर्देश यथा शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों का ध्यान रखा जावे तथा इन क्षेत्रों की सस्थाओं व विकलागो की सस्थाओं के अनुदान प्रतिशत पर भी विचार किया जावे।
12.	(11)(i)	प19(9) शिक्षा-5/1993 दिनाक 07/08/1999	86	अनुदान समिति के समक्ष नई सस्थाओ को अनुदान सूची पर लेने व अनुदान % में वृद्धि के मामले ही प्रस्तुत हो अन्य मामले विना अुनदान समिति की अभिशपां के राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जा सकते है।

संदर्भ क्रमांक (R)	नियम संख्या	आदेश संख्या	आदेश क्रमाक	आदेश/निर्देशों का साराश
13.	11(5)	प12(3)शिक्षा-5/1994 पार्ट दिनांक 06/05/1998	49	चालू गेर सरकारी शिक्षण सस्थाओं को अनुदान प्रतिशत में वृद्धि या कमी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रेल से जिस वित्तीय वर्ष में आदेश जारी होते हे से मानी जावे तथा अनुदान सूची पर नई आई सस्था अनुदान सूची के प्रसारण आदेश की प्रसारण तिथि से अनुदान पर आई मानी जावे। यदि उस आदेश में अनुदान सूची पर आने की प्रभावी तिथि अकित नहीं है तो।
14.	12(1)	प6(7)शिक्षा-5/1997 दिनाक 04/02/1998	40	प्रा.एवं मा शिक्षा निदेशालय का प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में विभाजन के आदेश तदनानुसार अनुदान वितरण व्यवस्था अलग-अलग की गई।
15.	12(1)	प19(9)शिक्षा-5/1993 दिनाक 21/02/1998	42	अनुदान आवेदन पत्रों के अतिमीकरण व प्रोविजनल ग्राट स्वीकृत करने के सशोधित आदेशो का प्रसारण (आदेश दिनाक 21/02/1998)
16.	12(1)	प19(9)शिक्षा-5/1993 दिनाक 26/09/1998	64	अनुदान आवेदन पत्रों के अतिमीकरण व प्रोविजनल ग्राट स्वीकृत करने के सशोधित आदेशों के निस्तारण हेतु अधिकारों का प्रत्यायोजन
17.	12(1)	प19(9)शिक्षा-5/1993 दिनाक 11/12/1998	65	आदेश क्रमाक 42 व 64 में प्रा.तथा मा.शिक्षा के सम्बन्ध का आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया।
18.	12(1)	प19(9)शिक्षा-5/1993 दिनाक 20/05/1999	77	आदेश क्रमाक 42 दिनांक 21/02/98 को सस्कृत शिक्षा के सम्बन्ध में निरस्त किया गया।
19.	12(2)	प19(9)शिक्षा-5/1993 दिनांक 23/05/2001	128	सहायता प्राप्त शिक्षण सस्थाओं के लेखो की जाच हेतु गठित-दल् कम से कम सा.ले.अ के नेतृत्व मे हो। दल को अनुदान नियमों का पूर्ण ज्ञान हो।
20.	12(3)	प19(39)शिक्षा-5/1993 दिनाक 16/05/2001	46	लेखों के अतिमीकरण की समय वीमा में शिथिलता व अधिकारो का प्रत्यायोजन के सम्वध में निर्देश
21.	13(1)	प12(1) शिक्षा-5/1997 दिनांक 28/04/1998	47	98-99 के प्रोविजन अनुदान स्वीकृत से पूर्व निर्धारित नार्मस यथा छात्रों की सख्या व परीक्षा को ध्यान में रखकर ही अनुदान कम/अधिक स्वीकृत करें। प्रोविजनल अनुदान की स्वीकृति देने से पूर्व सुनिश्चित करने हेतु निर्देश।
22.	13(1)	प19(9)शिक्षा-5/1993 दिनांक 22/07/1998	57	अप्रैल से जुलाई 98 तक का चार माह का प्रोविजनल अनुदान गतवर्ष के आधार पर व शेष अनुदान आदेश क्रय 54 के अनुसार नार्मस के अतर्गत पदो की समीक्षा कर तदनानुसार स्वीकृत करे।

सदर्भ क्रमाक (R)	नियम सख्या	आदेश सख्या	आदेश क्रमांक	आदेश/निर्देशों का साराश
23	13(1)	प12(1)शिक्षा-5/1997 दिनाक 16/12/1998	68	प्रोविजनल अनुदान स्वीकृत करने से पूर्व सुनिश्चित किये जाने वाले निर्देशो की पालना के सम्बन्ध मे प्रसारित आदेश क्रमाक 47 दिनांक 28/04/1998 में वर्णित वर्षो में सशोधन करते हुए उसे फिलहाल स्थगित रखने के निर्देश।
24.	13(1)	प12(1)शिक्षा-5/1997 दिनाक 28/07/1999	80	आदेश क्रम 68 को 31/10/1999 तक स्थगित किया गया।
25	13(1)	प12(1)शिक्षा-5/1997 दिनाक 08/12/1999	92	आदेश क्रम 80 को 31/12/1999 तक स्थगित किया गया।
26	13(1)	प12(1)शिक्षा-5/1997 दिनाक 18/01/2000	95	आदेश क्रम 80 को 31/03/2000तक स्थगित किया गया।
27	13(1)	प19(9)शिक्षा-5/1993 दिनाक 02/03/2000	97	स्वीकृत पदो की समीक्षा के अधीन अनुदान कम या अधिक दिए जाने के निर्देश। प्रोविजनल अनुदान इस शर्त पर दिया जावे कि अतिमीकरण पर उसकी समीक्षा के अनुसार समायोजन कर लिया जावेगा।
28	13(1)	प19(9)शिक्षा-5/1993 दिनाक 16/08/2000	104	सस्था को प्रोविजन अनुदान तभी स्वीकृत किया जावे जबकि उसका गत दो वर्ष पूर्व के अनुदान का अतिमीकरण हो चुका हो तथा सस्था को गत वर्ष के लेखो के अतिमीकरण का 75% ही स्वीकृत किया जावे।
29	13(1)	प19(9)शिक्षा-5/1993 दिनाक 25/08/2000	109	आदेश क्रमाक 97 की पालना मे 31/08/2000 तक समीक्षा पूर्ण करने के निर्देश।
30	13(1)	प19(9)शिक्षा-5/1993 दिनाक 21/10/2000	110	आदेश क्रम 104 की सही क्रियान्विती करने के निर्देश 75% प्रोविजनल ग्राट दी जावे। यह अनुदान पूर्ण रूप से प्रोविजनल होगा। जो समीक्षा के वाद प्रसारित होने वाले आदेशों के अधीन होगा।
31	13(1)	प19(9)शिक्षा-5/1993 दिनाक 21/10/2000	111	109 की पालना तत्परता से करने के निर्देश।
32.	13(1)	प19(9)शिक्षा-5/1999 दिनाक 26/02/2001	116	आदेश क्रम 104 की सही क्रियान्विती करने के निर्देश 75% प्रोविजनल ग्राट दी जावे। यह अनुदान पूर्ण रूप से प्रोविजनल होगा। जो समीक्षा के वाद प्रसारित होने वाले आदेशों के अर्धान होगा।
33.	13(1)	प19(9)शिक्षा-5/1999 दिनाक 16/05/2001	126	आदेश क्रम 116 के अनुसार रिलीज की जानेवाली ग्राट, प्रोविजनल ग्राट ही मानी जावेगी, को शपथ-पत्र लेकर ही रिलीज की जावे।

संदर्भ क्रमांक (R)	नियम संख्या	आदेश संख्या	आदेश क्रमांक	आदेश/निर्देशों का सारांश
34.	13(3)	प12(6)शिक्षा-5/1990 दिनांक 23/05/1994	7	गैर सरकारी अनुदान प्राप्त तालिका, मूक, बधिर अंध एवं विकलांग विद्यालयों को 01/04/1994 से 90% अनुदान देय।
35.	13(4)	प3(1)शिक्षा-5/1994 दिनाक 19/03/1994	6	अनुदान गणना हेतु नियम मे निर्धारित प्रक्रिया में छूट के अनुसार विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि/आय से अनुदान अधिक नहीं होगा के लिए प्रसारित विस्तृत निर्देश।
36.	13(4) टिप्पणी -I(i)	प19(9)शिक्षा-5/1999 दिनाक 23/08/1999 टिप्पणी-I(i)	87	शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयो द्वारा ली जाने वाली समस्त ट्यूशन फीस आय में सम्मिलित की जावे।
37.	13(4) (vi)	प6(1)शिक्षा-5/1990 दिनांक 01/05/2001 टिप्पणी-I(VI)	123	छात्र कोष से शाला हेतु सामग्री क्रय न की जावे।
38.	13(4) टिप्पणी II (ix)	प18(8)शिक्षा-5/1997 दिनाक 19/08/1997 टिप्पणी-II(N)	23	कक्षा 1 से 12 तक के अध्ययनरत विद्यार्थियो की जिनका नाम रजिस्ट्रर में दर्ज है का सामूहिक सुरक्षा बीमा करवाया जावे।
39.	14(क)	प10(8)शिक्षा-5/1993 पार्ट-I दिनांक 17/03/1994	5	अनुमोदित व्यय में मकान किराया भत्ता व शहरी क्षति पूर्ति भत्ते की गणना मान्य की जावे।
40.	14(क) टिप्पणी II	प10(12)शिक्षा-5/1993 दिनांक 17/11/1997	30	अनुमोदित व्यय मे उपादान का उल्लेख नहीं है अतः अनुदान देय नहीं।
41.	14(क)	प11(22)शिक्षा-5/1988 दिनांक 18/03/2000	99	भविष्य निधि मे 8.33% की दर से अधिक कटौति पर भी अनुदान 8.33% ही देय होगा।
42.	14(क)	प11(22)शिक्षा-5/1988 दिनाक 16/05/2001	127	भविष्य निधि में 8.33% की दर से अधिक कटौति पर भी अनुदान 8.33% ही देय होगा। [illegible] 14/03/1997 के [illegible] भी 8.33% से अधिक [illegible] व दोषी के प्रति [illegible]
43.	14(क) टिप्पणी VI	प19(9)शिक्षा-5/93 दिनाक 30/07/1999	82	गत वर्षों के [illegible] करने से पूर्व [illegible] चालू वर्ष के [illegible] पूर्ण [illegible]
44.	14 से 26	शि./मा./अनु./जे/नियम 17904/2000/58 दिनाक 03/05/2002	133	[illegible]

सदर्भ क्रमाक (R)	नियम संख्या	आदेश संख्या	आदेश क्रमाक	आदेश/निर्देशों का सारांश
45.	16(घ) 14(न)	प10(22)शिक्षा-5/1989 दिनाक 25/06/1997	21	इन नियमो के परिशिष्ट 10 के आइटम सं. 4 में प्रदत्त अधिकारों में नए विषय खोलने व क्रमोन्नयन पर राज्य सरकार से अनुदान न लेने व सैल्फ फाईनैनसिग करने की स्थिति में राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। निदेशक प्राथमिक शिक्षा व निदेशक माध्यमिक शिक्षा नियमानुसार अपने स्तर पर समीक्षा कर अनापति प्रमाण-पत्र दे सकेंगे तथा सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी मे क्रमोनयन व विषय खोलने की स्वीकृति राजस्थान माध्यमिक शिक्षा वोर्ड अजमेर जारी कर सकेगा।
46.	16(च) (ii)	प-15(1)शिक्षा-5/1994 दिनाक 05/11/1997	28	इन नियमो में जहॉ पूर्व मे सस्था की भूमि एवं भवन के मूल्याकन अथवा सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देने हेतु केवल सार्वजनिक निर्माण विभाग सक्षम/अधिकृत था। वहा राज्य सरकार ने इसमें शिथिलन कर इस विभाग के अलावा आवास विकास सस्थान, राजस्थान हाऊसिग वोर्ड, राजस्थान पुल निर्माण निगम या पचायत समिति में पदस्थापित कनिष्ठ अभियता भी आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रसारित करने/देने हेतु अधिकृत किया है।
47.	17(1)	प11(11)शिक्षा-5/1993 दिनाक 25/06/1998	55	अतिरिक्त पदों की आवश्यकता पर सम्बन्धित संस्था प्रधान को अपना आवेदन सम्बधित शिक्षा निदेशक को 31 मई तक भेजना होगा जिसे वह राज्य सरकार को विशेष निर्देशों को ध्यान में रखकर अपनी अभिशंषा सहित भेजेगा।
48.	17(1)	प19(9)शिक्षा-5/1993 दिनाक 07/08/1999	85	आदेश क्रम 55 के पेरा 3-4 (अतिम) में दी गई व्यवस्था के अनुसार अनुदान समिति की जहां अभिशंषा का उल्लेख किया है उसे निरस्त करते हुए निदेशालय को अतिरिक्त पद के प्रकरण सीधे भेजने के आदेश प्रसारित किए है।
49.	17(1)	प19(9)शिक्षा-5/1993 दिनाक 06/11/1999	89	कार्यालयों/विद्यालयों में जहॉ स्वीकृत पद से अधिक व्यक्ति अन्य स्थान से बुलाकर कार्यरत है उन्हें तुरन्त अपने मूल स्थान पर भेजे व पूल समाप्ति पर अधिशेष हुए कर्मचारियों को रिक्त पदों पर अस्थाई नियुक्ति दे, इन आदेशों में पूर्ण औचित्य अभिलेखित करे।

संदर्भ क्रमाक (R)	नियम सख्या	आदेश सख्या	आदेश क्रमांक	आदेश/निर्देशों का सारांश
50.	17(2)	प11(22)शिक्षा-5/1994 दिनाक 22/05/1998	53	गैर सरकारी शिक्षण सस्था अधिनियम 1989 व 1993 तथा राज मा शिक्षा बोर्ड विनियमों के तहत स्वीकृत पदों के अतिरिक्त पूर्व से स्वीकृत पद 30/09/1998 के बाद रिक्त होने पर स्वत: ही समाप्त समझे जावे फिर भी यदि उनकी उपादेयता है तो पूर्ण ओचित्य सहित राज्य सरकार को भेजे जावे।
51.	17(2)	प11(10)शिक्षा-5/1990 दिनाक 06/06/1998	54	गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओ मे नए नियमो के अनुसार जो नार्मस नामाक, विपय आदि के आधार पर निर्धारित किये गए है, के अनुसार शिक्षा निदेशक द्वारा पदो की समीक्षा की जावे व उसके आधार पर वित्त विभाग की मजूरी ली जावे।
52.	17(2)	प19(9)शिक्षा-5/1993 दिनाक 18/01/2000	94	आदेश क्रम 54 के संदर्भ मे प्रसारित आदेश क्रमाक 67,81 91 को क्रमश: 31/03/2000 तक स्थगित रखने के क्रम में।
53.	17(2)	प19(9)शिक्षा-5/1993 दिनाक 02/03/2000	97	आदेश क्रम 54 की समीक्षा पश्चात स्वीकृत पद पूर्ववत रहने की स्थिति मे तदनानुसार अनुदान देय व कम या अधिक की स्थिति मे प्रोविजन अनुदान सशर्त दिया जावे जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि वे देखे छात्र शिक्षक के अनुपात का पालन हो रहा है। समीक्षा हेतु मानदण्ड व निर्धारित पत्र सम्वन्धित अधिकारियों को भरकर प्रस्तुत करना होगा।
54.	17(2)	प19(9)शिक्षा-5/1993 दिनाक 25/08/2000	109	आदेश क्रम 97 के अनुसार समीक्षा की कार्यवाही 31/08/2000 तक पूर्ण कर अभ्यावेदन निस्तारण एवं अनुदान सम्वन्धी नियमो में परिवर्तन करने हेतु गठित समिति के सदस्य को भिजवाने की व्यवस्था के निर्देश।
55.	20(3)	प10(12)शिक्षा-5/1993 पार्ट I दिनांक 17/11/1997	31	राजस्थान लेखा सेवा के सेवानिवृत लेखाधिकारी को 5 लाख तक की वार्षिक अनुदानित शिक्षण सस्थाओं के अकेक्षण के लिए अधिकृत किया गया है।
56.	20(6)	प16(18)शिक्षा-5/1998 दिनांक 26/08/1998	61	अनुदानित शिक्षण सस्थाओं में से प्रतिवर्प कम से कम 25% सस्थाओ के लेखों की सपरीक्षा करवाये जाने हेतु निर्देश।

अध्याय - 4. प्रवन्ध समिति का गठन

23. गठन रीति

(1) प्रत्येक मान्यता प्राप्त सस्था के लिए नीचे विहित रीति से एक प्रवन्ध समिति गठित की जायेगी-

(क) प्रवन्ध समिति में सोसाइटी द्वारा चलायी जा रही सस्था या सस्थाओ के प्रधान या प्रधानों सहित 15 से अन्यून और 21 से अनधिक सदस्य होगे,

(ख) प्रवन्ध समिति मे किसी भी एक समुदाय, जाति या पथ के दो तिहाई से अधिक सदस्य नहीं होंगे;

(ग) कुल सदस्यना के एक तिहाई से अन्यून सदस्य दाताओ या अभिदाताओ में से होगे;

स्पष्टीकरण- सस्था को एक समय में 2000/-रूपये या इससे अधिक या बाहर महीने या इससे अधिक की निरन्तर कालावधि के लिये कम से कम 50/-रूपये दान देने वाला कोई व्यक्ति दान दाता समझा जायेगा:-

(घ) स्थायी स्टाफ में से चयनित एक सदस्य प्रवन्ध समिति में सम्मिलित किया जायेगा,

(ङ) शिक्षा निदेशक विभाग के किसी अधिकारी को जो सम्वन्धित सस्था के प्रधान की रैंक से नीचे का न हो, या किसी विख्यात शिक्षाविद् को प्रवन्ध समिति के सदस्य के रूप मे नाम निर्देशित करेगा;

(च) कम से कम एक सदस्य प्रवन्ध द्वारा चलायी जा रही सस्था या सस्थाओं के विद्यार्थियों के माता-पिता में से सहयोजित किया जायेगा,

(छ) सस्था के कम से कम एक प्रतिष्ठित पुराने विद्यार्थी को प्रवन्ध समिति के सदस्यों के द्वारा सदस्य के रूप में सहयोजित किया जायेगा,

(ज) प्रवन्ध प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् निर्वाचन करवायेगा और नई प्रवन्ध समिति का गठन करेगा,

(2) प्रवन्ध समिति निर्वाचनो के सचालन के लिए निम्न लिखित प्रक्रिया अपनायेगी:-

(क) एक निर्वाचन अधिकारी नाम निर्देशित किया जायेगा,

(ख) निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन के लिए नियत तारीख से कम से कम एक महीने पूर्व निर्वाचकगण के समस्त सदस्यों के निर्वाचन का नोटिस जारी करेगा,

(ग) निर्वाचन के नोटिस में निर्वाचन की तारीख, स्थान और समय विनिर्दिष्ट होगा,

(घ) *निर्वाचन अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियो के नामों, जिन्होने निर्वाचन लड़ा और निर्वाचित अभ्यर्थियो* और उनके पक्ष में पडे मतो की सख्या सहित सम्पूर्ण निर्वाचन का अभिलेखा रखेगा,

(ङ) निर्वाचन गुप्त मतपत्र द्वारा होगा गुप्त मतपत्र के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवधारित की जायेगी।

(च) निर्वाचित सदस्यों द्वारा सहयोजन निर्वाचन के एक महीने के भीतर किया जायेगा,

(छ) निर्वाचन के तुरन्त प्रश्चात् प्रवन्ध समिति विभागीय प्रतिनिधि के नाम निर्देशन के लिए कार्यवाही करेगी।

3 उसके गठन के पश्चात् प्रवन्ध समिति के निर्वाचित ओर नाम निर्देशित सदस्य अपना अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष निर्वाचित करेगे। सस्था का कर्मचारी न तो सचिव होगा और न ही कोषाध्यक्ष[R 1]।

24. प्रवन्ध समिति के कृत्य और शक्तियाँ- प्रवन्ध समिति सस्था के समुचित प्रवन्ध के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसे कृत्यों का पालन करेगी और उसकी ऐसी शक्तिया होगी जो सस्था की उपविधियों मे विनिर्दिष्ट की जाये।

R 1 सदर्भ प्रसगकम के आदेश के साराश अध्याय के अत में देखे पृष्ठ - 63 ।

25. **सचिव के कृत्य और शक्तियाँ :-** सस्था के सचिव के कृत्य और शक्तिया निम्नलिखित होगी:-

(क) संस्था के निमित्त पत्र व्यवहार करना,

(ख) अध्यक्ष के परामर्श से प्रवन्ध समिति की वैठके वुलाना और कार्य सूची तैयार करना,

(ग) प्रवन्ध समिति की वैठकों का संचालन करना और कार्यवाहिया अभिलिखित करना,

(घ) प्रवन्ध समिति के आदेशों और सकल्पों को क्रियान्वित करना,

(ङ) सस्था की विनिहित निधियो, स्वत्वविलेखों एवं अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्रो का प्रभार रखना,

(च) संस्था के वैंक खाते खुलवाना और चलाना,

(छ) सस्था के लेखों की जॉच, हस्ताक्षर और पर्यवेक्षण करना,

(ज) अध्यक्ष और सस्था के प्रधान के परामर्श से बजट तैयार करना,

(झ) अधिनियम की धारा 12 के अधीन विवरण देना और सम्वन्धित प्राधिकारियों को निम्नलिखित प्रोफार्मा मे संस्था की विवरणियां, विवरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना -

आस्तियों का विवरण

क्र.सं.	आस्ति का नाम	क्रय/निर्माण की तारीख	वर्तमान मूल्य	ऐसी सम्पत्ति के लिए सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6

(ञ) प्रवन्ध समिति के पूर्व अनुमोदन से किसी भी कर्मचारी के निलम्वन के आदेश जारी करना,

(ट) मजूर बजट प्रावधानो के अनुसार सस्था का व्यय मजूर करना।

(ठ) सस्था के प्रधान के सहित स्टाफ को आकस्मिक छुट्टी से भिन्न छुट्टी और सस्था के प्रधान को आकस्मिक छुट्टी मजूर करना।

(ड) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो प्रवन्ध समिति द्वारा समय-समय पर उसे सोपे जायें।

❖❖❖

R- संदर्भ आदेश सारांश तालिका

संदर्भ क्रमाक (R)	नियम संख्या	आदेश सख्या	आदेश क्रमांक	आदेश/निर्देशों का साराश
1.	23(3)	प 10 (2) शिक्षा-5/1993 दिनाक 19/05/1998।	51	सस्था मे कार्यरत कर्मचारियों में से यदि कोई सस्था का सचिव व कोषाध्यक्ष बनता है या चुना जाता है तो राज्य सरकार द्वारा उस पद का संस्था को अनुदान देय नहीं होगा।

अध्याय - 5. सेवा की सामान्य शर्ते

26. भर्ती:- किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कर्मचारियों की भर्ती या तो किसी व्यापक प्रसार वाले स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में खुला विज्ञापन देने के पश्चात्, या रोजगार कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यर्थियो मे से इसके नीचे विहित रीति से योग्यता के आधार पर की जायेगी.-

(क) समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन में निम्नलिखित ब्योरा सम्मिलित किया जायेगा:-

(i) पदो के नाम और संख्या, (ii) अपेक्षित अर्हताएं, (iii) वेतनमान,

(iv) अपेक्षित अनुभव*R 1, (v) अन्य अर्हताएं,

(vi) किसी विनिर्दिष्ट तारीख को न्यूनतम और अधिकतम आयु*R 2,3,

(vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित पद/पदो की संख्या।

(ख) अर्हताएं ऐसी होंगी जो सरकार द्वारा सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों के उसी प्रवर्ग के लिए विहित है, सिवाय संगठन सचिव के पद के, जिसके लिए अर्हताएँ निम्नलिखित होगी*R 4 -

(i)	प्रतिवर्ष 20 लाख रु के अनुमोदित व्यय के सहित तीन या अधिक संस्थाओं वाला प्रबन्ध	नीचे के प्रवर्ग II की संस्थाओ में संगठन सचिव के रूप मे पाच वर्ष के अनुभव सहित स्नातक।
(ii)	प्रतिवर्ष 10 लाख रूपये या इससे अधिक किन्तु 20 लाख रुपये से कम के अनुमोदित व्यय के सहित तीन या अधिक संस्थाओ वाला प्रबन्ध	सीनियर माध्यमिक उत्तीर्ण।

(ग) विज्ञापन के उत्तर मे प्राप्त समस्त आवेदन प्रबन्ध समिति के सचिव द्वारा संवीक्षित किये जायेंगे जो पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा और चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिये जाने के लिए उन्हें बुलायेगा।

(घ) चयन समिति मे निम्नलिखित होंगे*R 5 -

(i) प्रबन्ध समिति के दो प्रतिनिधि,

(ii) सम्बन्धित संस्था का प्रधान,

(iii) शिक्षा निदेशक द्वारा नाम निर्देशित एक अधिकारी*R 6 से 8।

महाविद्यालयों के लिए उक्त सदस्यों के अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पद के चयन के मामले में सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा नाम निर्देशित दो विशेषज्ञ, शिक्षाविद् और अन्य पद के मामले में एक शिक्षाविद्/विशेषज्ञ भी चयन समिति में सम्मिलित होंगे*R 9.-

(ङ) शिक्षा निदेशक का नाम निर्देशिती जो चयन समिति का सदस्य होगा, निम्नलिखित रूप से होगा:-

क्र.सं.	पदों का नाम	संस्था	विभागीय अधिकारी की प्रास्थिति
1	2	3	4
1	प्रधानाचार्य	डिग्री और शास्त्री महाविद्यालय	संयुक्त शिक्षा निदेशक
2	प्रधानाचार्य	स्नातकोत्तर महाविद्यालय और आचार्य महाविद्यालय	शिक्षा निदेशक

R 1 से 9 - संदर्भ प्रकरण के आदेश के सारांश अध्याय के अंत में देखे पृष्ठ - 72-73 ।

क्र.सं.	पदों का नाम	सस्था	विभागीय अधिकारी की प्रास्थिति
1	2	3	4
3.	प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष	डिग्री और स्नाकोत्तर महाविद्यालय (सामान्य और सस्कृत)	संयुक्त शिक्षा निदेशक
4.	प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य	माध्यमिक, सीनियर माध्यमिक विद्यालय, प्रवेशिका और उपाध्याय सहित	सयुक्त शिक्षा निदेशक (प्राथमिक और माध्यमिक तथा सस्कृत)
5.	प्रवक्ता स्कूल शिक्षा	सीनियर माध्यमिक विद्यालय उपाध्याय के सहित	अपर जिला शिक्षा अधिकार। उप जिला शिक्षा अधिकारी या निरीक्षक, सस्कृत शिक्षा
6.	वरिष्ठ अध्यापक	माध्यमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, मोटेसरी और अन्य विशेष विद्यालय, प्रवेशिका और पूर्व प्रवेशिका के सहित	प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, सीनीयर माध्यमिक विद्यालय या उपाध्याय
7.	अध्यापक	सभी संस्थाएँ	उप जिला शिक्षा अधिकारी/निरीक्षक सस्कृत शिक्षा
8.	लिपिक वर्गीय स्टाफ	सभी सस्थाएँ	उपजिला शिक्षा अधिकारी/निरीक्षक सस्कृत शिक्षा
9.	सगठन सचिव विशेष संस्थाओ के अन्य पद	माध्यमिक विद्यालय विशेष विद्यालय और केन्द्रीय कार्यालय	जिला शिक्षा अधिकारी/ निरीक्षक सस्कृत शिक्षा

(च) सेवा के सभी प्रवर्गो की सेवाओं अर्थात् अध्यापक, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो आदि के लिए सरकार द्वारा यथा-अधिकथित आरक्षण नीति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियो की नियुक्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों का अनुसरण सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा सदैव किया जायेगा*[R 10,11]।

(छ) चयन समिति, सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेने के पश्चात्, अभ्यर्थियो को उन्हें योग्यता क्रम मे रखते हुए पैनल तैयार करेगी और नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिशें प्रवन्ध समिति को प्रस्तुत करेगी*[R12]।

27. नियुक्तियों का अनुमोदन*[R13]:-

प्रवन्ध समिति, चयन के एक पखवाड़े के भीतर निम्नलिखित प्रोफार्मा मे सूचना के सहित, अपनी सिफारिश के साथ, चयनित अभ्यर्थियों की सूची परिशिष्ट-9 में यथा-विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी को, उसके अनुमोदन के लिए अग्रेषित करेगी*[R 14]:-

R 10 से 14 - संदर्भ प्रसंगक्रम के आदेश के सारांश अध्याय के अत में देखे पृष्ठ -73 ।

संस्था का नाम..........

क्र.स.	पद का नाम	पदों के रिक्त होने के कारण			पद का वेतन मान	साक्षात्कार के लिए बुलाये गये व्यक्ति का नाम	चयन समिति के सदस्यों के नाम
		सेवानिवृति	समाप्ति	त्यागपत्र			
1	2	3	4	5	6	7	8

1 अंग्रेजी भाषा मे राजपत्र दिनाक 18-2-93 के पृष्ठ 133 (96) पर छपी अधिसूचना के अनुसार (ज) के स्थान पर 27 सशोधित किया गया[R13]।

चयनित व्यक्तियों के नाम	जन्म तारीख	अर्हताएँ	अनुभव	अंक देने के लिए चयन समिति द्वारा नियत मापमान	चयनित समिति द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अक
9	10	11	12	13	14

आरम्भिक नियुक्ति की तारीख	वेतन और वेतनमान	उत्कृष्ट अर्हताएं अनुभव, यदि कोई हो	टिप्पणीयां, यदि कोई हो
15	16	17	18

28. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन– सक्षम प्राधिकारी सम्यक् विचार के पश्चात् प्रबन्ध समिति की सिफारिशों या तो मन्जूर कर सकेगा या लेखबद्ध कारणो से उन्हें नामजूर कर सकेगा[R 15,से23]।

29. नियुक्ति–सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लेने के पश्चात् प्रबन्ध समिति आवश्यक नियुक्तिया कर सकेगी[R 21 से 26]।

30. परिवीक्षा की कालावधि–

(क) सस्था में नियुक्त सभी व्यक्तियो को एक वर्ष की कालावधि के लिए परीवीक्षा पर रखा जायेगा।

(ख) यदि परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या अन्त में, प्रबन्ध समिति को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि कर्मचारी ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोषप्रद सेवा देने में विफल रहा हे, तो प्रबन्ध समिति, नियुक्ति का अनुमोदन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (परिशिष्ट-9) के पूर्व अनुमोदन से, उसे सेवोन्मुक्त कर सकेगी या हटा सकेगी[R 27 से 28]:

परन्तु प्रबन्ध समिति, यदि वह किसी मामले में उचित समझे तो, परिवीक्षा की कालावधि को एक वर्ष से अनाधिक के लिए बढ़ा सकेगी।

31. पुष्टि– नियम 30 के अधीन परिवीक्षा पर रखे गये किसी व्यक्ति को परिवीक्षा कालावधि की समाप्ति पर उसकी नियुक्ति में पुष्ट कर दिया जायेगा।

R 15 से 28 - सदर्भ प्रसगक्रम के आदेश के साराश अध्याय के अत में देखे पृष्ठ - 73-75।

32. कार्य के मापमान- संस्था के कर्मचारियो के कार्य के मापमान वही होगे जो सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में के कर्मचारियों के वैसे ही प्रवर्ग के लिए विहित है।

33. अत्यावश्यक अस्थायी नियुक्ति- सस्था में की कोई रिक्ति, जो इन नियमो मे अधिकथित प्रक्रिया द्वारा तुरन्त नहीं भरी जा सके, चयन समिति द्वारा छह महीने से अनाधिक की कालावधि के लिए अत्यावश्यक अस्थायी नियुक्ति करके भरी जा सकेगी[◊R 29 से 30]।

34. वेतन और भत्ते- सहायता प्राप्त शैक्षिक सस्थाओं के कर्मचारियो के वेतनमान और भत्ते, सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में के वैसे ही प्रवर्ग के कर्मचारियो के लिए सरकार द्वारा विहित वेतनमान और भत्तों से कम नहीं होगे[◊R 31 से 49]।

स्पष्टीकरणः- "भत्ते" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है, महगाई-भत्ता, गृह किराया भत्ता, और शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता।

35. वेतन और भत्तों का संदाय-

(i) सस्थाओ के कर्मचारियों को वेतन और भत्तो का सदाय केवल पाने वाले के खाते मे देय चैक से किया जायेगा, जिसमें विफल रहने पर इस खाते से किया गया व्यय सहायता अनुदान के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(ii) वेतन और भत्तों का सदाय आगामी महीने के 15वे दिन के अवसान से पूर्व या ऐसे पूर्ववर्ती दिन को किया जायेगा जो राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश से निर्दिष्ट करे।

36. अधिनियम की धारा 32 के अधीन के जांच और अपील के लिए प्रक्रिया- सहायता प्राप्त सस्थाओ के शोध्य रकम की वसूली के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 32 के अधीन यथा अनुध्यात जॉच और अपील के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(1) **जाचः-** जब कभी अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (2) मे यथा विनिर्दिष्ट जाच अधिकार के ध्यान में यह आता है या लाया जाता है कि किसी कर्मचारी को सदेय कोई वेतन या अन्य देय सहायता प्राप्त सस्था के प्रवन्ध द्वारा सदत्त नहीं किये गये हैं, तो जांच अधिकारी सस्था के सम्पूर्ण सुसगत अभिलेखो का निरीक्षण करेगा। संस्था के सचिव और उस कर्मचारी को सुनवाई का और मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, पेश करने के युक्ति युक्त अवसर दिये जायेंगे। उपर्युक्त रीति से जाच पूर्ण कर लेने के पश्चात् यदि जाच अधिकारी का अभिकथनों की शुद्धता के बारे में समाधान हो जाता है, तो वह अधिनियम की धारा-32 की उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित करेगा।

(2) **अपील-** यदि सस्था की प्रवन्ध समिति जाच अधिकारी द्वारा किये गये आदेश से व्यथित हो तो वह अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगी जिसे शिक्षा निदेशक द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाये।

अपील की प्राप्ति पर, अपील की सुनवाई करने वाला अधिकारी जाच अधिकारी से सुसगत अभिलेख तत्परता से मगवायेगा ओर ऐसे अभिलेखों की परीक्षा के पश्चात् और अपीलार्थी और उस कर्मचारी को सुनावाई का अवसर देने के पश्चात् उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, को पुष्ट/परिवर्तित कर या उलट सकेगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा। उक्त विनिश्चय की ससूचना अपीलार्थी और उस कर्मचारी को तुरन्त दी जायेगी।

37. दीर्घावकाश वेतनः विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् स्पष्ट रिक्ति के विरूद्ध 31 दिसम्बर को या उससे पूर्व किसी गैर-सरकारी विद्यालय या महाविद्यालय में अध्यापक के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी को

R 29 से 49 - संदर्भ प्रसंगक्रम के आदेश के सारांश अध्याय के अंत में देखें पृष्ठ - 75-77।

दीर्घावकाश वेतन अनुज्ञान किया जा सकेगा। यदि कोई भी अन्य कर्मचारी उसी पद के विरूद्ध दीर्घावकाश वेतन आहरित नहीं करता है और यह भी कि ऐसा कर्मचारी आगामी सत्र के शुरू होने की तारीख से एक महीने की कालावधि के भीतर अपनी ड्यूटी ग्रहण कर ले और उस सत्र की 31 दिसम्बर तक सेवा में बना रहे।

अवकाश रिक्तियो के विरूद्ध 1 जनवरी से पूर्व या ऐसे प्राधिकारीयो द्वारा जो ऐसी नियुक्तियो करने के लिए सक्षम नहीं है, नियुक्त किये गये ऐसे सभी अस्थायी अध्यापको को और 31 दिसम्बर के पश्चात् नियुक्त सभी अस्थायी अध्यापकों की सेवाएँ सत्र के अन्तिम कार्य दिवस को समाप्त कर दी जायेगी।

38. निलाबन*R 50–

(1) प्रबन्ध समिति किसी कर्मचारी को वहा निलम्बित कर सकेगी:-

(क) जहा उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अनुध्यात है या लम्बित है, या

(ख) जहा उसके विरूद्ध किसी दाडिक अपराध के सम्बन्ध मे कोई मामला अन्वेषण या विचारण के अधीन है।

(2) ऐसा कोई कर्मचारी, जिसे किसी आपराधिक आरोप पर या अन्यथा अड़तालीस घन्टे से अधिक की कालावधि के लिए अभिरक्षा में निरूद्ध रखा जाता है, निरोध की तारीख से प्रबन्ध समिति के आदेश के द्वारा निलम्बित किया हुआ समझा जायेगा और अगले आदेशो तक निलम्बन के अधीन रहेगा।

(3) जहा किसी कर्मचारी पर अधिरोपित सेवा से हटाये या पदच्युत किये जाने की शास्ति अपील मे अपास्त कर दी जाती है, वहा उसके निलम्बन का आदेश हटाये या पदच्युत किये जाने के मूल आदेश की तारीख को और उससे प्रवृत बना रहा समझा जायेगा और अगले आदेशो तक प्रवृत रहेगा।

(4) इस नियम के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया निलम्बन का कोई आदेश प्रवन्ध समिति द्वारा किसी भी समय प्रतिसहृत किया जा सकेगा।

(5) निलम्बन के अधीन का कोई कर्मचारी निम्नलिखित सदायों का हकदार होगा, अर्थात्.-

(क) ऐसे अवकाश वेतन के बराबर की रकम का निर्वाह भत्ता जो कर्मचारी आहरित करता यदि वह अर्द्ध वेतन अवकाश पर रहा होता और इसके अतिरिक्त ऐसे अवकाश वेतन आधारित महगाई भत्ता।

(ख) यदि निलम्बन की कालावधि छह महीने से अधिक हो जाती है तो निर्वाह भर्त्ते की रकम, प्रथम छह महीने की कालावधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते के 50 प्रतिशत से अनाधिक की उपयुक्त रकम तक बढ़ा दी जायेगी, महगाई भत्ते की दर निर्वाह भत्ते की बढ़ी हुई रकम पर आधारित होगी।

(ग) ऐसे भत्तो के आहरण के लिए अधिकथित अन्य शर्तो को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए वेतन के आधार पर समय-समय पर अनुज्ञेय कोई अन्य ऐसे प्रतिकरात्मक भत्ते जिन्हें कर्मचारी निलम्बन की तारीख को प्राप्त कर रहा था।

(घ) निर्वाह भत्ते का कोई भी सदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कर्मचारी यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता हे कि वह किसी अन्य नियोजन, कारबार वृत्ति या व्यवसाय मे नही लगा हुआ है।

39. सेवा से हटाया या पदच्युत किया जाना–

(1) छह महीने के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी की सेवाए कम से कम एक महीने का नोटिस या उसके बदले में एक महीने का वेतन देकर प्रबन्ध द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी। अस्थायी कर्मचारी, जो त्याग

R 50 सदर्भ प्रसगक्रम के आदेश के सारांश अध्याय के अंत में देखे पृष्ठ – 77।

पत्र देना चाहे, भी प्रबन्ध को कम से कम एक महीने का अग्रिम नोटिस देगा या उसके वदले मे एक महीने का वेतन जमा करायेगा या अभ्यर्पित करेगा◊R 51,52।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी से भिन्न कोई कर्मचारी अनधीनता, अकुशलता, कर्त्तव्य की उपेक्षा दुराचरण के आधार पर या किसी अन्य ऐसे आधार पर जो कर्मचारी को सेवा मे और रखने के लिए अनुपयुक्त वनाता हो, सेवा से हटाया या पदच्युत किया जा सकेगा। किन्तु किसी कर्मचारी को हटाये या पदच्युत किये जाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी.-

(क) कर्मचारी के विरूद्ध प्रवन्ध के नोटिस मे आने वाले या लाये जाने वाले अभिकथनो की प्रारम्भिक जाच की जायेगी।

(ख) प्रारम्भिक जाच रिपोर्ट के निष्कर्षो के आधार पर कर्मचारी को अभिकथनों के विवरण सहित आरोप-पत्र जारी किया जायेगा और उससे युक्ति-युक्त समय के भीतर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा जायेगा।

(ग) प्रारम्भिक जाच रिपोर्ट और कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, का परिशीलन कर लेने के पश्चात् यदि प्रवन्ध समिति की यह राय हो कि विस्तृत जाच की जानी अपेक्षित है, तो उसके द्वारा तीन सदस्यों की एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें शिक्षा निदेशक का एक नाम निर्देशिती भी सम्मिलित किया जायेगा◊R53।

(घ) ऐसी जाच समिति के द्वारा जाच के दौरान कर्मचारी को सुनवाई का और लिखित कथन और साथ ही सूचक साक्षक, यदि कोई हो, के माध्यम से अपनी प्रतिरक्षा करने का युक्ति-युक्त अवसर दिया जायेगा।

(ङ) जाच समिति, विस्तृत जाच पूरी होने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट प्रवन्ध समिति को प्रस्तुत करेगी।

(च) यदि प्रवन्ध समिति के आरोपो पर जाच समिति के निष्कर्षो को ध्यान में रखते हुए यह राय हो कि कर्मचारी को सेवा से हटाया या पदच्युत किया जाना चाहिए तो वह-

(i) कर्मचारी को जाच समिति की रिपोर्ट की एक प्रति देगी।

(ii) हटाने या पदच्युत किये जाने की शास्ति का कथन करते हुए उसे नोटिस देगी और उसे विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा आभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी जो वह प्रस्तावित शास्ति पर करना चाहे।

(छ) प्रत्येक मामले मे जाच का अभिलेख और साथ ही ऊपर उप खण्ड (च) (ii) के अधीन दिये गये नोटिस की पूर्ति और ऐसे नोटिस के प्रत्युत्तर मे किया गया अभ्यावेदन, यदि कोई हो, प्रवन्ध समिति द्वारा शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी को अनुमोदन के लिए अग्रेपित किया जायेगा◊R 54।

(ज) ऊपर उप-खण्ड (छ) मे यथा-उल्लिखित अनुमोदन की प्राप्ति पर प्रवन्ध समिति हटाने या, यथास्थिति पदच्युत किये जाने का समुचित आदेश जारी कर सकेगी और ऐसे आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी और शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को भी अग्रेपित करेगी.◊R 55

परन्तु इस नियम के उपवध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे:-

(i) ऐसे किसी कर्मचारी को, जो ऐसे आचरण के आधार पर हटाया या पदच्युत किया गया है जो आपराधित आरोप पर उसकी दोपसिद्ध में परिणत होता, या

(ii) जहॉ उस कर्मचारी को कारण वताने का अवसर देना साध्य या समीचीन नहीं हो, वहा कार्यवाही करने से पूर्व शिक्षा निदेशक की लिखित सहमति प्राप्त कर ली गयी हो, या

(iii) जहां प्रवन्ध समिति की यह सर्वसम्मत राय हो कि कर्मचारी की सेवाएं संस्था के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना चालू नहीं रखी जा सकती वहा ऐसे कर्मचारी की सेवाएं छह महीने का नोटिस या उनके वदले में वेतन देकर समाप्त कर दी जाती है और शिक्षा निदेशक की सहमति लिखित में प्राप्त करली जाती है।

R 51 से 55 - सदर्भ प्रसगक्रम के आदेश के सारांश अध्याय के अत में देखे पृष्ठ - 77-78।

40. अपील-

(1) यदि प्रबन्ध समिति नियम 39 के उप-नियम (2) के अधीन शिक्षा निदेशक द्वारा किये गये इकार के आदेश से व्यथित हो तो वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 90 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील सकेगी।

(2) नियम 39 उप-नियम (2) के अधीन किये गये प्रबन्ध समिति के आदेश से व्यथित कोई कर्मचारी ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 90 दिन के भीतर-भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा।

41. **पुनः स्थापन-** जव किसी कर्मचारी को, जिसको हटाया, पदच्युत या निलम्बित कर दिया गया है, पुनः स्थापित कर दिया जाता है ओर निलम्वन की कालावधि कर्त्तव्य पर वितायी गयी कालावधि के रूप में मानी जाती है और प्रवन्ध समिति वह धारित करती हे कि कर्मचारी को पूर्णत माफी दे दी गयी है या निलम्वन के मामले में वह पूर्णतया अन्यायपूर्ण था तो कर्मचारी को वह पूरा वेतन और महगाई भत्त दिया जायेगा। जिसका वह हकदार होता, यदि उसे हटाया, पदच्युत या, यथास्थिति निलम्बित नहीं किया जाता है।

42. **अपील में के आदेशों का क्रियान्वयन-** यदि प्रवन्ध समिति कर्मचारी को वह जो अपील में पारित आदेशों की दृष्टि से देय हो गया है, सदाय करने में उपेक्षा करती है या विफल रहती है तो शिक्षा निदेशक सस्था को सदेय सहायता अनुदान में से ऐसी रकम काटने ओर उसे सम्वन्धित कर्मचारी को वितरित करने के लिए सशक्त होगा। कर्मचारी को किया गया ऐसा सदाय, इन नियमो के अधीन सहायता-अनुदान के रूप में सस्था को किया गया सदाय माना जावेगा।

43. **प्राइवेट अध्यापन-** कर्मचारियों के द्वारा प्राइवेट अध्यापन को विनियमित करने वाले नियम वैसे ही होंगे जैसे सरकारी शैक्षिक सस्थाओ के कर्मचारियों को लागू होते है।

44. **सेवा पुस्तिका-**

(1) प्रत्येक कर्मचारी के लिए नियुक्ति की तारीख से एक सेवा पुस्तिका और अवकाश लेखा सस्था के सचिव के द्वारा सधारित किया जायेगा। सेवा पुस्तिका की दूसरी प्रति माग पर सम्वन्धित कर्मचारी को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) सेवा पुस्तिका सस्था के सचिव की अभिरक्षा में रखी जायेगी। मूल सेवा पुस्तिका ही प्रमाणित दस्तावेज होगी, किन्तु मूल सेवा पुस्तिका की अनुपलव्धता की स्थिति में वेतन नियतन आदि के प्रयोजन के लिए कर्मचारी के कब्जें में की सेवा पुस्तिका की दूसरी प्रति से सहायता ली जा सकेगी, वशर्ते उसमें की प्रविष्टिया सस्था के सचिव द्वारा अनुप्रमाणित हों। कर्मचारी के पदीय जीवन की प्रत्येक वात को उसकी सेवा पुस्तिका में अभिलिखित किया जाना चाहिए और प्रत्येक प्रविष्टि सस्था के सचिव के द्वारा अनुप्रमाणित होनी चाहिए। सेवा पुस्तिका या सेवा रोल मे जन्म तारीख अनन्यतः शब्दों और अको दोनो में अभिलिखित की जायेगी। कर्मचारी के पुष्टिकरण की तारीख भी अभिलिखित की जायेगी। किसी कर्मचारी के द्वारा सेवा मे उसके प्रवेश के पश्चात् प्राप्त की गयी शैक्षिक अर्हताओं का टिप्पण सेवा पुस्तिका में अभिलिखित किया जा सकेगा। सस्था का सचिव सम्वन्धित कर्मचारी को वर्ष मे एक बार सेवा पुस्तिका दिखायेगा और उसके प्रतीक स्वरूप उसके हस्ताक्षर करायेगा।

45. **अधिवार्षिकी की आयु**[*R 56-60]**–**

(1) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो के सिवाय अध्यापकों और अन्य कर्मचारियो की अधिवार्षिकी की आयु उस माह की अन्तिम तारीख होगी, जिसमें वे 58 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं। विशेष परिस्थितियों में सरकार इस शर्त को अधित्यक्त कर

R 56 से 60 - सदर्भ प्रसगक्रम के आदेश के सारांश अध्याय के अंत में देखे पृष्ठ - 78 ।

सकेगी और ऐसे महाविद्यालय अध्यापकों के लिए, जो स्नातकोत्तर अध्यापन या अनुसंधान कार्य में लगे हुए है। 4 वर्ष के अनाधिक की कालावधि के लिए सेवा में विस्तार अनुज्ञात कर सकेगी। संस्था के किसी भी अन्य कर्मचारी की सेवा में ली 60 वर्ष की आयु तक राज्य सरकार द्वारा विस्तार अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(ii) वे अध्यापक, जिन्होंने 31 दिसम्बर के पश्चात् अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त कर ली है, उन्हें सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र की समाप्ति 30 जून तक, जो भी पहले हो, विस्तार अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(iii) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अधिवार्षिकी की आयु 60 वर्ष होगी और उन्हें भी राज्य सरकार द्वारा 2 वर्ष के लिए विस्तार अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(iv) ऐसे राजनीतिक पीडितों को भी, जो सहायता प्राप्त सस्था में सचिव के रूप में और अध्यापन कर्मचारीवृद से भिन्न हैसियत में कार्य कर रहे है, 65 वर्ष की आयु तक विस्तार अनुज्ञात किया जा सकेगा, यदि वे जिले के प्रधान चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण-पत्र के अनुसार शारीरिक रूप से उपयुक्त हो और वे सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग का अपने राजनीतिक पीडित होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दें,

(v) किसी सेवा-निवृत सरकारी कर्मचारी को किसी शैक्षिक सस्था द्वारा किसी भी हैसियत से नियोजित नहीं किया जायेगाः-

(vi) सेवा में विस्तार के मामले सस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगेः-

(क) कर्मचारी का परिशिष्ट-13 में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन,

(ख) विहित प्रारूप में सरकारी चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण-पत्र,

(ग) प्रवन्ध द्वारा पारित प्रस्तार की प्रति,

(घ) अध्यापकों के मामले के कम से कम गत तीन वर्षो में उसके शिष्यों के परीक्षा परिणाम को दिखाने वाला विवरण-पत्र,

(ड) कर्मचारी द्वारा की गयी सन्तोप-जनक सेवा का प्रमाण-पत्र,

(च) कर्मचारी की अन्य उत्कृष्ट उपलब्धियों, यदि कोई हो, से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र।

(vii) ऐसे आवेदन सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले राज्य सरकार को सीधे ही प्रस्तुत कर दिये जाने चाहिए जिसमें विफल रहने में उन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(viii) संस्थाओं को विस्तार की ऐसी मजूर कालावधि के लिए उपगत व्यय के सम्बन्ध में सामान्य सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

परन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भिन्न ऐसे कर्मचारी भी, जो 58 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, दिनांक 31/3/99 को सेवानिवृत्त हो जायेंगे जव तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें सेवाविस्तार मजूर नहीं कर दिया गया हों।

R- संदर्भ आदेश सारांश तालिका

सदर्भ क्रमांक (R)	नियम संख्या	आदेश सख्या	आदेश क्रमांक	आदेश/निर्देशों का साराश
1.	26(क-iv)	प 11(14) शिक्षा-5/95 दिनाक 03/11/1996	13	उ.मा वि. में प्रधानाचार्य पद पर 5-5 वर्ष के अध्यापन व प्रशासनिक अनुभव के स्थान पर अब 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव अनिवार्य होगा।
2	26(क-vi)	प 11(10) शिक्षा-5/91 दिनाक 27/07/1996	12	नियुक्ति अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने से पूर्व तक ही देय।
3	26(क-vi)	प 19(9) शिक्षा-5/93 दिनाक 08/01/1998	38	नियुक्ति हेतु न्यूनतम व अधिकतम आयू राज्य सरकार के अनुसार होगी।
4	26(ख-I-II)	प 11(45) शिक्षा-6/82 दिनाक 11/05/1993	2	20 लाख तक व उससे अधिक अनुमोदित व्यय तथा तीन से अधिक शैक्षिक सस्था चलाने वाली अनुदानित संस्थाओं में संगठन सचिव पद के लिए 1200-2050 तथा 1640-2900 के क्रमश वेतन मान 01/09/1998 से लागू होगे।
5	26(घ)	प 9(21) शिक्षा-5/94 दिनाक 05/12/1997	35	चयन समिति के गठन मे विभागीय प्रतिनिधि सहित कम से कम तीन सदस्यों का होना अनिवार्य है व उनके द्वारा सर्व सम्मति किया गया चयन मान्य होगा।
6	26(घ-III) व (ड)	प 10(12) शिक्षा-5/93 दिनाक 20/05/1997	16	निदेशक चयन समिति में निदेशक की ओर से मनोनीत सदस्य के लिए स्थाई आदेश जारी करे जिससे बार-बार पृथक से सदस्य मनोनयन के लिए आदेश प्रसारित न करने पड़े।
7.	26(घ-III)	प 9(21) शिक्षा-5/94 दिनाक 08/03/1999	73	मनोनीत विभागीय प्रतिनिधि या उसके द्वारा मनोनीति समकक्ष अधिकारी भी यदि चयन समिति मे उपस्थित नहीं होता है और न ही किसी कारण वश न आने की सूचना देता हे तो ऐसी स्थिति मे सस्था विभागीय प्रतिनिधि के अतिरिक्त अन्य सभी के उपस्थित होने की स्थिति में चयन सम्पन्न करा सकती है। अनुपस्थिति की आवश्यकता सूचना राज्य व निदेशक को ततूकाल भेजनी होगी जिससे कि निदेशक द्वारा उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
8.	27, 28	प 19(9) शिक्षा-5/93 दिनाक 03/12/1999	90	सस्थाओ द्वारा 45 दिन मे सक्षम नियुक्ति अनुमोदन अधिकारी को प्रकरण न भेजने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकती है सक्षम अधिकारियो को भी अनुमोदन प्रकरण शीघ्र निस्तारित करने चाहिए अन्यथा दोषी की विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

संदर्भ क्रमांक (R)	नियम संख्या	आदेश सख्या	आदेश क्रमांक	आदेश/निर्देशों का सारांश
9.	26(घ) द्वितीय पेरा	प 3(10) शिक्षा-5/94 दिनाक 23/11/1994	9	महाविद्यालयों मे प्रधानाचार्य पद के चयन के मामले मे चयन समिति में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि तथा उनके द्वारा मनोनीत विशेषज्ञों को पैनल में से बुलाये जाने अनिवार्य होंगे।
10.	26(च)	प 11(20) शिक्षा-5/90 दिनाक 31/05/1997	19	नियुक्ति में 50% से अधिक आरक्षण न हो व रोस्टर प्रणाली के अनुसार आरक्षिति उपलब्ध न होने पर सामान्य कोटे से नियुक्ति करें।
11.	26(च)	प 19(9) शिक्षा-5/99 दिनांक 06/12/2000	112	यदि संस्था नियुक्ति में आरक्षण सम्बन्धी नियमों की कठोरता से पालन न करे तो उनका अनुदान स्थगित करे।
12.	26(छ)	प 11(29) शिक्षा-5/92 दिनाक 06/06/1994	8	चयन समिति द्वारा तैयार किया गया चयनित प्रत्याशियों का पैनल सम्बन्धित शिक्षा सत्र तक वैध होगा।
13.	27	अंग्रेजी राजपत्र पृ 133(96) दिनाक 18/02/1993	अंग्रेजी राजपत्र	अधिसूचना द्वारा नियम 26 (छ) के नीचे अंकित (ज) के स्थान पर नियम 27 सशोधित किया गया।
14.	27/28	प 10(12) शिक्षा-5/93 दिनांक 20/05/1997	18	शीघ्र व प्राथमिकता से निरतारण हेतु नियुक्ति अनुमोदन प्रकरण सीधे ही सक्षम अधिकारी को भेजे जावे। सक्षम अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर निर्णिति करें।
15.	28	प 18(8) शिक्षा-5/95 दिनाक 13/12/1997	36	एक ही वेतन श्रृखला के कर्मचारी को एक अनुदानित पद से दूसरी सस्था मे अनुदानित पद पर यदि स्थानान्तरण किया जाता है तो सस्था को राज्य सरकार की या शिक्षा विभाग से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
16.	28	प 10(12) शिक्षा-5/93 दिनाक 19/03/1998	43 25	कर्मचारियो के नियुक्ति अनुमोदन सम्बन्धी अधिकारो को विभिन्न सम्बन्धित अधिकारियो मे प्रत्यायोजित किया गया।
17.	28	प 10(12) शिक्षा-5/93 दिनांक 19/03/1998	44	मान्यता प्राप्त शैक्षिक सस्थाओं को उन के द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति के पश्चात उनके अनुमोदन मे इस शर्त पर छुट दी जाती है कि उन्होने अनुदान नियम 26 में वर्णिति समस्त प्रक्रिया का पालन कर लिया है। नियुक्त होने वाले कर्मचारी की आहर्ताए वहीं होगी जो उस वर्ग के कर्मचारी की राज्य सरकार की शैक्षिणक सस्थाओ के लिए निहित होती है।
18.	28	प 10(12) शिक्षा-5/93 दिनाक 19/03/1998	45	सस्था द्वारा रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए नियुक्ति अनुमोदन का किसी तरह का जवाव/अनुमोदन 45 दिन में प्राप्त नहीं हो तो उसे स्वतः अनुमोदित मान अनुदान देय होगा, अस्वीकृत की दशा मे देय नहीं।

संदर्भ क्रमाक (R)	नियम संख्या	आदेश संख्या	आदेश क्रमांक	आदेश/निर्देशों का सारांश
19.	28	प 10(12) शिक्षा-5/93 दिनाक 22/09/1998	62	आदेश क्रमाक 45 में नियुक्ति अनुमोदन में दी गई छूट परिपत्र के प्रसारण दिनाक 19/03/1998 को विद्यमान लम्वित प्रकरणों पर भी लागू होगी।
20	28	प 10(12) शिक्षा-5/93 दिनाक 08/03/1999	71	आदेश क्रमाक 45 मे नियम 28 में दी गई छूट के वावजूद भी नियुक्ति अनुमोदन सम्वन्धी प्रकरणों का समय पर व सही ढग से निस्तारण न होने के कारण आदेश क्रम 45 की शीघ्र कठोरता से पालन करे, निर्देश प्रसारण के अनुसार 45 दिन मे कार्य न करने वालो के प्रति सस्था द्वारा निदेशक को भेजे गए मूल प्रकरण की प्रति के आधार पर निदेशक द्वारा दोपी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
21	28	प 19(9) शिक्षा-5/93 दिनाक 03/12/1999	90	आदेश दिनाक 19/03/1988 क्रमांक 45 मे नियुक्ति अनुमोदन सम्वन्धी दी गई छुट के अनुसार पालना न होने पर जारी स्पष्ट निर्देश। यदि सस्था 45 दिन मे प्रकरण तैयार कर सक्षम अधिकारी को नहीं भेजती है तो सस्था के विरुद्ध व सक्षम अधिकारों को प्रकरण मिलने पर उसके द्वारा निस्तारण की कार्यवाही न करने पर उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के निर्देश।
22.	28	प 19(9) शिक्षा-5/93 दिनाक 27/12/1999	93	दिनाक 10/06/1999 को रिक्त पदो पर नियमित नियुक्ति अनुमोदन नहीं किया जावे अन्यथा आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देशं साथ ही प्रथम द्वितीय व तृतीय श्रेणी के अध्यापको के रिक्त पदो के विरुद्ध पदों के अनुरूप योग्यता रखने वाले सेवा निवृत अध्यापक जो 65 के नहीं हुए है को 125/-, 125/- व 100/- क्रमशः दैनिक वेतन के आधार पर लगाये जाने के निर्देश।
23.	28	प 19(9) शिक्षा-5/99 दिनाक 09/01/2001	113	दिनाक 10/06/1999 से 45 दिन पूर्व नियुक्ति अनुमोदन सम्वन्धी प्रकरण जो सक्षम अधिकारी के कार्यालय में 45 दिन पूर्व प्राप्त हो गया हो या कर्मी ने पद ग्रहण कर लिया है। जो भी वाद में हो लेकिन 10/06/1999 से पूर्व हो ऐसे प्रकरणो में निर्धारित योग्यता रखने वाले कर्मचारीयों के नियुक्ति अनुमोदन करने के निर्देश।

सदर्भ क्रमांक (R)	नियम संख्या	आदेश संख्या	आदेश क्रमांक	आदेश/निर्देशों का सारांश
24.	29	प 19(9) शिक्षा-5/93 दिनाक 27/12/1999	93	नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्त सेवानिवृत्त योग्यताधारी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की 58 वर्ष की आयु के वाद 65 वर्ष की आयु से पूर्व की नियुक्ति मान्य होगी व उस पर अनुदान भी देय होगा।
25.	29	प 19(9) शिक्षा-5/93 दिनाक 01/03/2000	96	अनुदान प्राप्त शैक्षिक सस्थाओं के शाखा प्रधानो की नियुक्ति सीधी भर्ती से होती है अतः इस पर 10/06/1999 के आदेश के अनुसार नियुक्ति पर प्रवंध नहीं है।
26.	29	प 19(9) शिक्षा-5/93 पार्ट-8 दिनाक 29/03/2001	120	10/06/1999 के आदेश के यथोचित प्रसार के कारण जिन सस्थाओं ने नियमों के अतगर्त नियुक्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करके नियुक्तियॉं कर ली है उन्हें स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है के इनके लिए अतिरिक्त राशि की माग नहीं की जावेगी।
27.	30 (ख)	प 18(8) शिक्षा-5/95 दिनाक 13/12/1997	36	एक ही वेतन श्रृंखला के कर्मी को सोसाईटी एक शिक्षण सस्था से दूसरी में स्थानातरण करती है तो राज्य सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं।
28.	30 (ख)	प 19(9) शिक्षा-5/93 दिनांक 03/08/1999	84	परिवीक्षा पर रखे गए कर्मचारियों को सेवा से हटाने के मामले में 6 माह से कम की सेवा अवधि वाले को एक माह का व 6 माह या इससे अधिक सेवा अवधि वाले को तीन माह का नोटिस या वेतन देना होगा।
29.	33	प 10(12) शिक्षा-5/93 दिनाक 03/08/1999	26	गैर सरकारी सस्थाओं में अत्यावश्यक अस्थायी नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन, विज्ञापन की मान्यता, नियुक्ति अवधि कितनी होगी व विभाग की संस्थापीत प्रतीक्षा सूची में से चयन सम्बन्धी निर्देश
30.	33	प 10(12) शिक्षा-5/93 दिनांक 03/01/1998	37	आदेश क्रमाक 26 के लिए ओर अधिक स्पष्टीकरण
31.	34	प 11(33) शिक्षा-6/83 दिनाक 06/08/1993	4	अनुदानित शिक्षण सस्थाओं के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के अनुरुप वेतनभत्ते देय होगे व उनमें परिवर्तन होने पर राज्य कर्मचारियों की तरह उन पर भी स्वतः लागू होंगे। इस हेतु अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।
32.	34	प 10(12) शिक्षा-5/93 दिनाक 20/05/1997	17	गैर अनुदानित पद से अनुदानित पद पर चयन समिति द्वारा नियमानुसार की गई नियुक्ति की स्थिति में उस कर्मी का वेतन सरक्षित होगा वशर्ते कि नियुक्त पद की वेतन श्रृखला, से वेतन अधिक न हो।

संदर्भ क्रमांक (R)	नियम सख्या	आदेश संख्या	आदेश क्रमांक	आदेश/निर्देशों का साराश
33	34	प 10(12) शिक्षा-5/93 दिनाक 17/11/1997	30	अनुदान नियमों में चयनित वेतन मान व पदोन्नति का उल्लेख न होने के कारण अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को यह देय नहीं होगा लेकिन गृह किराया भत्ता, शहरी क्षति पूर्ति भत्ता व महगाई भत्तों देय होगा। इन नियमों मे उपादान का प्रावधान भी नहीं है अतः 1972 के नियमो के अनुसार संस्था कर्मचारियो को उपादान देने हेतु तो वाध्य है लेकिन इस पर अनुदान देय नहीं।
34.	34	प 10(12) शिक्षा-5/93 दिनाक 03/12/1997	34	आदेश क्रमाक 17 को निरस्त करते हुए वेतन निर्धारण आदेश क्रमांक एफ 24(53) शिक्षा 5/76 दिनाक 02/07/1976 की प्रक्रिया के अनुसार हो व नवीन वेतन श्रृखला में निचली स्टेज पर वेतन देय होगा। वेतन वृद्धि पूर्ववत रहेगी।
35	34	प 10(12) शिक्षा-5/93 दिनाक 19/05/1998	50	वेतन सरक्षण आदेश क्रमांक 34 दिनाक 03/12/1997 उसके जारी होने की तिथि से प्रभावी माना जावें (3/12/97)
36.	34	प 11(33) शिक्षा-6/83 दिनाक 21/05/1998	52	पुनरीक्षित वेतन मान 1998 लागू व 12/97 तक की राशि से राष्ट्रीय वचत-पत्र खरीदने के निर्देश
37.	34	प15(1) शिक्षा-5/94 पार्ट-I दिनाक 29/07/1997	60	वेतन मान भत्ते व फीस के सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण।
38.	34	प 11(33) शिक्षा-5/83 दिनाक 19/12/1998	69	जुलाई 98 व अगस्त 98 के बढ़े महगाई भत्ते की राशि पूर्व में जो जी.पी.एफ. खाते में जमा कराई गई से पुनः राष्ट्रीय वचत-पत्र खरीदने के निर्देश एव भविष्य मे जब-जब म.भ. बढे सस्था प्रधान अपने अश की राशि के साथ कर्मचारियों की इस वढी राशि का विनियोजन राष्ट्रीय वचत-पत्र में करे।
39	34	प 11(13) शिक्षा-5/83 दिनाक 29/03/1999	75	अनुदानित शिक्षण सस्थाओ के कर्मचारियो को पुनरीक्षित वेतनमान (छठा सशोधित) नियम 1998 के अंतर्गत केवल एण्ट्रीस्केल ही देय होगा। सीनियर व स्लेकशन स्केल देय नहीं।
40.	34	प 11(16) शिक्षा-5/88 दिनाक 03/07/1999	78	गैर सरकारी अनुदानित कॉलेजों के व्याख्याताओ के लिए यूं.जी.सी. स्केल लागू व 12/97 तक की बढ़ी राशि से राष्ट्रीय वचत-पत्र क्रय करे।
41.	34	प 11(11) शिक्षा-5/90 दिनाक 13/03/2000	98	उ.मा.वि. प्रधानाध्यापक के पद को क्रमोन्नत करने पर कार्यरत प्रधानाध्यापक चयनसमिति के अनुसार योग्यताधारी है तो

संदर्भ क्रमाक (R)	नियम संख्या	आदेश संख्या	आदेश क्रमाक	आदेश/निर्देशों का सारांश
				उसको वेतन पद ग्रहण तिथि से प्रधानाचार्य के पद का देय होगा। योग्यताधारी नहीं है तो वेतन निचले स्तर पर केवल निर्धारण होगा।
42.	34	प 19(9) शिक्षा-5/93 दिनाक 26/02/2001	115	अनुदानित शिक्षण सस्थाओं के कर्मचारियों के बढ़े महगाई भत्ते की राशि जी.पी.एफ. खाते में भी जमा कराने की छूट
43.	34	प 11(22) शिक्षा-5/88 दिनाक 22/03/2001	118	14/08/1997 द्वारा अशदायी प्रावधायी निधि से जो राशि क्षेत्रीय आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि के यहाँ जमा करानी थी को निरस्त कर अब नियमों के अंतर्गत विहित व्यवस्था के अनुसार जमा की व्यवस्था करने के निर्देश।
44.	34	प 11(22) शिक्षा-5/88 दिनाक 30/04/2001	122	आदेश दिनाक 22/03/2001 क्रमांक सं. 118 के निर्देश अनुदानित के साथ-साथ मान्यता प्राप्त सस्थाओं पर भी लागू करने के सम्बन्ध में निर्देश।
45.	34	प 11(22) शिक्षा-5/88 दिनाक 04/05/2001	124	आदेश दिनाक 22/03/2001 (क्रम. स. 118) व दिनाक 30/04/2001 (क्रम स. 122) को (उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार) स्थगित रखने के निर्देश
46.	34	प 3(30) शिक्षा-4/98 दिनाक 27/03/2001	119	अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को यु.जी.सी. वेतनमान के एरियर का भुगतान नगद होगा।
47.	34	प 15 (i) शिक्षा-5/2001 दिनाक 07/12/2001	131	अनुदानित महाविद्यालयों में 27/07/98 से एरियर एडवांसमेंट योजना के लाभ के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन।
48.	34	प 15(i) शिक्षा-5/2001 दिनाक 29/07/2002	137	अनुदानित शिक्षण सस्थाओ के प्राध्यापकों को पी.एच.डी./ एम.फील के इन्सेन्टीव का लाभ 06/05/2002 से विलोपित।
49.	34	एफ 5(i) शिक्षा-श्रम/98/ 10842 दिनांक 21/07/2003	149	निजी शिक्षण सस्थाओं चिकित्सालयों के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी की दरे निर्धारित।
50.	38	प 19(9) शिक्षा-5/93 दिनांक 23/09/1999	88	निलम्बित कर्मचारी के विरुद्ध 6 माह तक जाच पूरी न होने पर जाच पेण्डिग रखते हुए कर्मी को वहाल करने के निर्देश।
51.	39 (i)	प 17(52) शिक्षा-5/91 दिनाक 13/11/1997	29	स्थायी कर्मचारी को सेवा परित्याग करने/करवाने हेतु तीन माह का नोटिस देने के क्रम में
52.	39 (i)	प 17 (47) शिक्षा-5/93 दिनाक 08/03/1999	72	सेवा से पृथक करने सम्बधी सूचना पर विभाग द्वारा सहमति देने की अवधि 30 दिन के स्थान पर 60 दिन करने के सम्बध मे, तदनुपरांत स्वतः अनुमोदित मानने के निर्देश

संदर्भ क्रमांक (R)	नियम संख्या	आदेश संख्या	आदेश क्रमांक	आदेश/निर्देशों का सारांश
53.	39(2) (ग)	प19(9) शिक्षा-5/93 दिनाक 23/09/1999	88	निलम्बित कर्मी की विभागीय जाच विभागीय प्रतिनिधि के विना उचित नहीं मानी जावेगी।
54.	39(2) (छ)	प17(47) शिक्षा-5/93 दिनाक 09/07/1998	56	सेवा से कार्यरत कर्मचारी को हटाये जाने पर अनुमोदन हेतु गठित कमेटी सम्बन्धी अधिकार जि शि.अ. में निहित किये गए।
55	39 (2) (ज)	प10(12) शिक्षा-5/93 दिनाक 20/05/1997	15	सेवा से कार्यरत कर्मी को हटाने से पूर्व शिक्षा निदेशक की अनुमति लेना आवश्यक होगा व शैक्षणिक अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इस हेतु कार्यवाही तत्परता से की जावे।
56	45(1)	प 10(12) शिक्षा-5/93 दिनाक 18/06/97	20	सेवारत कर्मचारी की सेवाकाल में वृद्धि जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित समझी जावेगी उस सेवा वृद्धि के लिए विहित शर्ते पूर्ण करने के निर्देश;
57.	45(1)	प10(12) शिक्षा-5/93 दिनाक 29/07/1998	59	सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष लेकिन स्नाक्तोत्तर अध्यापन या अनुसधानकर्ता की सेवा विस्तार 62 वर्ष तक के क्रम में
58	45(1)	प10(12) शिक्षा-5/93 पार्ट-I दिनाक 26/03/1999	76	नियम 45 को राजस्थान राजपत्र असाधारण भाग-4 (ग) (I) दिनाक 27/03/1999 द्वारा सशोधित किया गया जो 31/03/1999 से प्रभावी हुआ।
59.	45(1)	प10(12) शिक्षा-5/93 दिनाक 07/07/1999	79	राज्य सेवा से त्याग पत्र देकर अनुदान प्राप्त सस्थाओ में नियमानुसार नियुक्त कर्मचारी को देय वेतन मे से पेंशन की राशि घटाकर भुगतान देय होगा, अधिवार्षिकी पश्चात सेवा विस्तार देय नहीं।
60.	45(V)	प19(9) शिक्षा-5/93 दिनाक 19/05/2000	100	राज्य सेवा से सेवा निवृत्ति आयु से पूर्व नियुक्त कर्मचारी को अनुदानित सस्था में नियुक्ति पर राज्य सरकार से स्वीकृति आवश्यक अन्यथा अनुदान देय नहीं होगा।

अध्याय - 6. छुट्टी की स्वीकार्यता

46. छुट्टी की सामान्य शर्ते-

(i) छुट्टी केवल कर्तव्य से आर्जित होती है।

(ii) कोई कर्मचारी, जिसे सेवा से पदच्युत कर या हटा दिया जाता है, किन्तु अपील या पुनरीक्षण में पुनः स्थापित कर दिया जाता है छुट्टी के लिए अपनी पूर्ववर्ती सेवा को गिनाने का हकदार है।

(iii) छुट्टी का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। अवकाश मजूर करने के लिए सशक्त प्राधिकारी के पास सेवा की अत्यावश्यकता के अनुसार किसी भी समय छुट्टी से इन्कार करने या उसको प्रतिसहृत करने का विवेकाधिकार आरक्षित है।

(iv) किसी कर्मचारी को देय और उसके द्वारा आवेदित छुट्टी की प्रकृति मजूरी प्राधिकारी के विकल्प पर परिवर्तित नहीं की जा सकेगी।

(v) छुट्टी सामान्यता उस दिन प्रारम्भ होती है जिसको प्रभार का अन्तरण किया जाता है और उस दिन के पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होती है जिसको प्रभार पुन लिया जाता है।

(vi) छुट्टी पर जाने वाले प्रत्येक कर्मचारी को छुट्टी के लिए उसके आवेदन पर वह पता लिखना होगा जिस पर छुट्टी के दौरान उसे पत्र भेजे जा सके।

(vii) छुट्टी पर का कोई कर्मचारी पूर्व मजूरी प्राप्त किये विना कोई भी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकेगा या लेखाकार, सलाहाकार, विधिक या चिकित्सा व्यवसायी के रूप में प्राइवेट वृत्तिक व्यवसाय के स्थापन को सम्मिलित करते हुए कोई नियोजन स्वीकार नहीं कर सकेगा।

(viii) छुट्टी या उसके विस्तार के लिए आवेदन ऐसी छुट्टी या विस्तार को मजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को किया जाना चाहिए।

(ix) किसी सक्षम और प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र सम्बन्धित कर्मचारी को छुट्टी के लिए अपने आप अधिकार प्रदान नहीं करता है। प्रमाण-पत्र छुट्टी मजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अग्रेपित किया जाना चाहिए और उस प्राधिकारी के आदेशो का इन्तजार किया जाना चाहिए।

(x) चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी के आवेदन के साथ सरकारी चिकित्सा अधिकारी/वैद्य/हकीम/होम्यापैथिक चिकित्सा द्वारा दिया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र लगाया जायेगा।

(xi) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, स्वविवेक से प्रधान चिकित्सा अधिकारी, या यथास्थिति, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से द्वितीय चिकित्सीय राय प्राप्त कर सकेगा जो रूग्णता के तथ्यों और सिफारिशीकृत छुट्टी की अवधि की आवश्यकता दोनो के बारे में राय व्यक्त करेगा और इस प्रयोजन के लिए वह आवेदक से या तो अपने समक्ष या अपने द्वारा नाम निर्देशित चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा।

(xii) चिकित्सा अधिकारियों को किसी भी ऐसे मामले में छुट्टी मंजूर करने की सिफारिश नहीं करनी चाहिए जिसमें यह युक्तियुक्त सम्भावना प्रतीत नहीं होती है कि सम्बन्धित कर्मचारी अपना कर्त्तव्य ग्रहण करने के लिए कभी समर्थ होगा। ऐसे मामलों में यह राय कि कर्मचारी सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ है, चिकित्सा प्रमाण-पत्र में अभिलिखित की जानी चाहिए।

(xiii) ऐसे मामलों में जहां छुट्टी के सभी आवेदन सेवा के हित में मजूर नहीं किये जा सकते हों वहा प्राधिकारी को यह विनिश्चित करने में कि किस आवेदन को मजूर किया जाना चाहिए, निम्नलिखित विन्दुओ पर विचार करना चाहिए.-

(क) कर्मचारी जिसे तत्समय सुविधापूर्वक छोड़ा जा सके,

(ख) विभिन्न आवेदकों को देय अवकाश की मात्रा,

(ग) प्रत्येक कर्मचारी के द्वारा छुट्टी से अन्तिम वार लौटने के पश्चात् सेवा की मात्रा और प्रकृति,

(घ) यह तथ्य कि किसी भी ऐसे आवेदक को पूर्व मे छुट्टी से इंकार किया गया है।

(xiv) ऐसे कर्मचारी को छुट्टी मजूर नहीं की जानी चाहिए, जिसे अवचार या सामान्य अक्षमता के लिए तुरन्त सेवा से पदच्युत किया जाना या हटाया जाना है।

(xv) कोई कर्मचारी जिसने चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर छुट्टी ली है, तब तक कर्त्तव्य पर नहीं लौट सकेगा जब तक कि वह प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक से स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है।

(xvi) कोई कर्मचारी, जो छुट्टी के विना या अवेदित छुट्टी के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा मजूर कर दिये जाने से पूर्व ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है जान बूझकर ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हुआ माना जायेगा और ऐसी अनुपस्थिति को पूर्व की सेवा की जव्ती को अन्तर्वलित करते हुए सेवा मे तव तक विच्छिन्नता माना जायेगा जब तक कि समाधानप्रद कारण प्रस्तुत कर दिये जाने, उस अनुपस्थिति को देय छुट्टी मजूर करके सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनियमित या असाधारण छुट्टी मे परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है छुट्टी की समाप्ति के पश्चात् जानवूझकर ड्यूटी से अनुपस्थिति कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए दायी बना देती है।

(xvii) किसी भी प्रकार की छुट्टी किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के सयोजन या निरन्तरता मे मजूर की जा सकेगी।

(xviii) प्रत्येक प्रकार की छुट्टी के लिए प्रत्येक कर्मचारी का अद्यतन छुट्टी लेखा रखा जायेगा।

47. रियायती छुट्टी-

(1) **गैर-अध्यापन स्टाफ**-गैर अध्यापन स्टाफ के सदस्य चाहे अस्थायी हो या स्थायी एक कलेण्डर वर्ष मे 30 दिन की रियायती छुट्टी के हकदार होगे। अधिकतम (300) दिन तक के कुल सचयन के अध्यधीन रहते हुए प्रति वर्ष पन्द्रह दिन की रियायती छुट्टी 1 जनवरी को और शेप पन्द्रह दिन की 1 जुलाई को कर्मचारी के छुट्टी लेखे में जमा की जायेगी*[R1]।

(2) **अध्यापन स्टाफ**- (क) इस उप-नियम के खण्ड (ख) के अधीन उपदर्शित सीमा तक के सिवाय, अध्यापन स्टाफ के सदस्यो को, चाहे अस्थायी हो या स्थायी, ऐसे किसी कलैण्डर वर्ष मे, जिसमें वे पूर्ण दीर्घावकाश का उपभोग करते है, निष्पादित कर्त्तव्य के सम्बन्ध में रियायती छुट्टी अनुज्ञेय नहीं है।

(ख) विद्यालयों और महाविद्यालयों का अध्यापन स्टाफ एक कलैण्डर वर्ष मे पन्द्रह दिन की रियायती छुट्टी का हकदार होगा। छुट्टी लेखे में प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के समाप्ति के तुरन्त पश्चात्, पन्द्रह दिन की रियायती छुट्टी जमा की जायेगी। इस प्रकार जमा की गयी रियायती छुट्टियो का अनुपयुक्त भाग, अधिकमतम (300) दिन तक के अध्यधीन रहते हुए, आगामी वर्ष में अग्रनीत करने के लिए अर्हित होगा*[R2]।

(ग) किसी कलैण्डर वर्ष के दौरान नियुक्त किये गये अध्यापन स्टाफ को ऊपर खण्ड (ख) मे अधिकथित शर्त के अध्यधीन रहते हुए उस कलैण्डर वर्ष की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् उसकी सेवा के प्रत्येक पूर्ण किये गये महीने के लिए क्रमश. 8 . 7 के अनुपात में $1^{1/4}$ दिन की दर से रियायती छुट्टी अनुज्ञात की जायेगी।

(घ) ऐसे किसी कलैण्डर वर्ष के सम्वन्ध में, जिसमें उसे पूर्ण दीर्घावकाश का उपभोग करने से निवारित किया जाता है, ऐसे कर्मचारी को अनुज्ञेय रियायती छुट्टी 15 दिन के ऐसे अनुपात में होगी जो नहीं लिये गये दीर्घावकाश के दिनों की सख्या का पूर्ण दीर्घावकाश से है। यदि किसी भी कलैण्डर वर्ष में कर्मचारी पूर्ण दीर्घावकाश का उपभोग नहीं करता है तो उसे कलैण्डर वर्ष के सम्वन्ध, में दीर्घावकाश की समाप्ति पर 15 दिन की रियायती छुट्टी अनुज्ञेय होगी।

R 1 से 2 - सदर्भ प्रसगक्रम के आदेश के सारांश अध्याय के अत में देखे पृष्ठ - 83 ।

/ ,

(ड) दीर्घावकाश इन नियमो के अधीन किसी भी प्रकार के अवकाश के सयोजन में या निरन्तरता में लिया जा सकेगा, परन्तु अन्य छुट्टी के सयोजन या निरन्तरता मे लिए गए दीर्घावकाश और रियायती छुट्टी की कुल अवधि ऊपर उप-नियम(1) के अधीन किसी कर्मचारी को एक समय मे देय और अनुज्ञेय रियायती छुट्टी की मात्रा से अधिक नहीं होगी।

48. अर्द्धवेतन छुट्टी -

(i) कर्मचारी, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के सम्बन्ध में 20 दिन की अर्द्धवेतन छुट्टी का हकदार होगा।

(ii) खण्ड (1) के अधीन की छुट्टी चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर या प्राइवेट काम -काज के लिए मजूर की जा सकेगी।

49. परिवर्तित छुट्टीः

(1) देय अर्द्धवेतन छुट्टी की मात्रा के आधे से अनधिक की परिवर्तित छुट्टी स्थायी कर्मचारी को निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए किसी प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर मजूरी की जा सकेगी.-

(क) जव परिवर्तित छुट्टी मजूर की जाती है तो छुट्टी की मात्रा का दुगना देय अर्द्धवेतन अवकाश मे से विकलित किया जायेगा,

(ख) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उसकी समाप्ति पर कर्मचारी के डयूटी पर लौटाने की युक्ति युक्त सम्भाव्यता है।

(2) सम्पूर्ण सेवा के दौरान अधिकमत 180 दिन तक की अर्द्धवेतन छुट्टी चिकित्सा प्रमाण-पत्र पेश किये विना वहॉ परिवर्तित की जा सकेगी, जहा ऐसी छुट्टी किसी अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिए उपयोग में लायी जाती है जिसे छुट्टी मजूर करने वाला प्राधिकारी लोकहित में किया जाना प्रमाणित करे।

50. असाधारण छुट्टीः-

(1) असाधारण छुट्टी किसी कर्मचारी को विशेप परिस्थितियो में मजूर की जा सकेगी-

(क) जव कोई भी अन्य छुट्टी नियमानुसार अनुज्ञेय न हो, या

(ख) जव अन्य छुट्टी अनुज्ञेय हो किन्तु सम्वन्धिल कर्मचारी असाधारण छुट्टी की मजूरी के लिए लिखित में आवेदन करे।

(2) स्थायी नियोजन में के किसी कर्मचारी के मामल को छोड़कर असाधारण छुट्टी की अवधि किसी एक अवसर पर तीन या अठारह महीने से अधिक नहीं होगी, दीर्घतर कालावधि तभी अनुज्ञेय होगी जव सम्वन्धित कर्मचारी का निम्नलिखित के लिए उपचार चल रहा होः-

(क) किसी मान्यता प्राप्त आरोग्यशाला मे फेफड़े के क्षयरोग के लिए, या

(ख) किसी अर्हित क्षयरोग विशेषज्ञ या सिविल सर्जन के द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग के क्षयरोग के लिए, या

(ग) किसी मान्यता प्राप्त कुष्ठ संस्था में या किसी सिविल सर्जन या सम्वन्धित राज्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस रूप से मान्यता प्राप्त कुष्ट विशेपज्ञ द्वारा कुष्ठ के लिए।

(3) जहा क्षय रोग के लिए उपचार के अधीन चल रहे किसी कर्मचारी को उपनियम (2) के अधीन असाधारण छुट्टी मजूर की जाती है और वह ऐसी छुट्टी का उपभोग करने के पश्चात् अपनी डयूटी को पुनः ग्रहण करता है और तत्पश्चात् अर्द्धवेतन अवकाश अर्जित करता है, वहॉ उसके द्वारा इस प्रकार उपभोग की गयी असाधाराण छुट्टी अर्द्धवेतन छुट्टी में सम्परिवर्तित कर दी जायेगी और वह अर्जित अर्द्धवेतन के पेटे समायोजित की जायेगी।

51. छुट्टी वेतन की रकम

(1) रियायती छुट्टी पर कोई कर्मचारी ऐसे वेतन के वरावर छुट्टी वेतन का हकदार है जिसके लिए यह अवकाश आरम्भ होने से पूर्ववर्ती दिन को हकदार है।

(2) अर्द्धवेतन छुट्टी पर का कोई कर्मचारी अधिकतम 3000/-रूपये के अध्यधीन ऊपर उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट रकम के आधे के बराबर छुट्टी वेतन का हकदार होगा.

परन्तु यह सीमा लागू नहीं होगी यदि छुट्टी चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर या अध्ययन छुट्टी निबन्धनों से अन्यथा अनुमोदित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए ली गई है।

(3) परिवर्तित छुट्टी पर का कोई कर्मचारी रियायती छुट्टी के दौरान यथा-अनुज्ञेय छुट्टी वेतन का हकदार होगा।

(4) असाधारण छुट्टी पर का कोई कर्मचारी किसी भी छुट्टी वेतन का हकदार नहीं है।

52. प्रसूति छूट्टी:-

(1) सक्षम प्राधिकारी, महिला कर्मचारी को उसकी सेवा की सम्पूर्ण कालावधि के दौरान **दो बार** प्रसूति अवकाश मजूर कर सकेगा। तथापि यदि **दो बार** इसका उपयोग करने के पश्चात् कोई भी जीवित सन्तान नहीं है तो प्रसूति छुट्टी एक बार और मजूर की जा सकेगी[R 3]।

(2) प्रसूति छुट्टी ऐसी कालावधि के लिए पूर्ण वेतन पर अनुज्ञात की जा सकेगी जो इसके प्रारम्भ की तारीख से 120 दिन की कालावधि तक हो सकेगी[R 4]।

(3) इस नियम के अधीन प्रसूति छुट्टी निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए गर्भ स्राव को सम्मिलित करते हुए गर्भपात के मामले मे भी मजूर की जा सकेगी:-

(क) छुट्टी 6 सप्ताह से अधिक नहीं है, ओर

(ख) छुट्टी के लिए आवेदन, प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक से प्राप्त प्रमाण-पत्र से समर्थित हो।

(ग) प्रसूति छुट्टी अपूर्ण गर्भ स्त्राव के मामले मे अनुज्ञेय नहीं है।

(4) प्रसूति छुट्टी किसी भी प्रकार की अन्य छुट्टी के साथ संयोजित की जा सकेगी, किन्तु प्रसूति छुट्टी की निरतरता में आवेदित कोई भी छुट्टी तभी मजूर की जा सकेगी जब कि प्रार्थना चिकित्सा प्रमाण-पत्र से समर्थित हो।

53. अध्ययन छुट्टी- 1 अनुज्ञेयता-

(क) अध्ययन छुट्टी अध्यापन स्टाफ के स्थायी सदस्य को ऐसे पाठ्यक्रम या वैज्ञानिक या तकनीकी अन्वेषण का अनुसरण करने के लिए अनुज्ञेय होगी, जिसे मजूरी प्राधिकारी की राय में उस सस्था के, जिसमें वह नियोजित है, कामकाज के लिए लोकहित मे आवश्यक माना जाता है। यह सामान्यत ऐसे कर्मचारी को मजूर नहीं की जायेगी जो सेवा के 20 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण कर चूका है।

(ख) खण्ड (क) मे अन्तर्विष्ट उपबन्धो मे किसी बात के होते हुए भी अध्ययन छुट्टी अध्यापन स्टाफ के ऐसे अस्थायी सदस्य को ही अनुज्ञेय होगी जिसने 3 वर्ष की निरन्तर सेवा कर ली है यदि उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति इन नियमों के अनुसार की गयी हो।

(2) **मजूरी के लिए शर्ते-** (क) अध्ययन छुट्टी अध्यापन स्टाफ के किसी सदस्य को:-

(i) पाठ्यक्रम या वैज्ञानिक या तकनीकी प्रकृति का अन्वेषण या तो भारत मे या भारत के बाहर करने के लिए समर्थ बनाने के लिए मजूर किया जायेगा, यदि यह मजूरी प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाता है कि अध्ययन छुट्टी की मजूरी सस्था के काम-काज के हित मे होगी। ऐसी छुट्टी किसी अध्यापक को ऐसी आवृति में मजूर नहीं की जानी चाहिए जो उसके नियमित कार्य से सम्बद्धता से हटाने वाली हो।

(ii) एक समय में 12 महीने की कालावधि सामान्यत. उचित अधिकतम के रूप में मानी जानी चाहिए और आपवादिक कारणों को छोड़कर बढायी नहीं जानी चाहिए।

R 3 से 4 - सदर्भ प्रसगक्रम के आदेश के साराश अध्याय के अत में देखे पृष्ठ - 83।

(iii) किसी कर्मचारी की सेवा की सम्पूर्ण कालावधि के दौरान अध्ययन छुट्टी की कुल कालावधि 24 महीने से अधिक नहीं होगी। यह एक या अधिक वार में ली जा सकेगी।

(iv) अध्ययन छुट्टी अन्य प्रकार की छुट्टी के सयोजन में ली जा सकेगी, किन्तु किसी भी मामले में असाधारण छुट्टी-से भिन्न छुट्टी के सयोजन में इस छुट्टी की मजूरी से कर्मचारी नियमित ड्यूटी से कुल 28 महीने से अधिक के लिए अनुपस्थित नहीं रहेगा।

(ख) अध्ययन छुट्टी अर्द्धवेतन पर की अतिरिक्त छुट्टी है और ऐसी छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन नियम 51 (2) के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

(3) पाठ्यक्रम की समाप्ति पर उत्तीर्ण की गयी परीक्षा का या विशेष अध्ययन के प्रमाण-पत्रों के सहित उचित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रबन्ध समिति को प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) छुट्टी की कालावधि को नियमित सेवा की कालावधि के रूप मे गिना जायेगा।

(5) किसी कर्मचारी को, जो प्रशिक्षण के लिए अध्ययन अवकाश का उपयोग करता है, प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात् निम्नलिखित सारणी में दिखायी गयी कालावधि के लिए, सस्था में सेवा करने का वन्ध पत्र निष्पादित करना चाहिए-

अध्ययन छुट्टी की कालावधि	कालावधि जिसके लिए वन्ध-पत्र निष्पादित किया जाना है
तीन महीने	एक वर्ष
छह महीने	दो वर्ष
एक वर्ष	तीन वर्ष
दो वर्ष	पाच वर्ष

निष्पादित किये जाने वाले वन्ध-पत्र का प्रारूप जैसा परिशिष्ट-14 में दिया गया है उसके अनुसार होना चाहिए।

❖❖❖

R- संदर्भ आदेश सारांश तालिका

सदर्भ क्रमांक (R)	नियम संख्या	आदेश संख्या	आदेश क्रमाक	आदेश/निर्देशों का साराश
1.	47(1)	प 11(35) शिक्षा-5/82 दिनाक 03/08/1999	83	240 दिन के स्थान पर 300 दिन का अवकाश प्रतिस्थापित किया गया जो 16/10/1999 से प्रभावी माने जाये।
2.	47(2)	प 11(35) शिक्षा-5/82 दिनाक 03/08/1999	83	नियम 47 (ख) अधिसूचना से जो राज पत्र असाधारण भाग 4 (ग) (1) दिनाक *16/10/1999 में छपे अनुसार* सशोधित किया गया।
3.	52(1)	प 11(35) शिक्षा-5/82 दिनांक 03/08/1999	83	तीन बार के स्थान पर दो बार प्रतिस्थापित किया गया ये आदेश दिनाक 16/10/1999 से प्रभावी माने जावेंगे।
4.	52(2)	प 11(35) शिक्षा-5/82 दिनाक 03/08/1999	83	90 दिन के स्थान पर 120 दिन प्रतिस्थापित किया गया यह सशोधन दिनाक 16/10/1999 से प्रभावी माना जावेगा। गजट Raj gaj. E.O. part (Ga) (I) Dt. 16/10/1999

अध्याय - 7. आचरण और अनुशासन

54. **साधारण-** प्रत्येक कर्मचारी हर समय

(i) पूर्ण सत्य निष्ठ बनाये रखेगा, और

(ii) कर्तव्य निष्ठा ओर पद की गरिमा बनायें रखेगा।

55. **अनुचित और अशोभनीय आचरण-** कोई भी कर्मचारी, जो-

(i) नैतिक अधमता, चाहे वह उसके कर्तव्य के निर्वहण के अनुक्रम में हो या नहीं, अन्तर्वलित करने वाले अपराध के लिए सिद्ध दोष किया गया है,

(ii) जनता में ऐसी उच्छृखल रीति से व्यवहार करता है, जो उसके पद की दृष्टि से अशोभनीय है;

(iii) किसी प्राधिकार वान व्यक्ति को अनाम या छदमनाम से याचिका भेजा हुआ साबित हो गया हैं;

(iv) अनैतिक जीवन जीता है;

अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी होगा।

56. **जानकारी की अप्राधिकृत संसूचना-** कोई भी कर्मचारी प्रवन्ध के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार के या उसे समनुदेशित कर्त्तव्यो के सद्भावना पूर्वक पालन के सिवाय ऐसे किसी दस्तावेज या सूचना को प्रत्यक्षतः या परोक्षतः ससूचित नहीं करेगा जो उसके कर्तव्यों के अनुक्रम में उसके कब्जे में आयी है या उसके द्वारा चाहे पदीय स्त्रोत से या अन्यथा तैयार या सगृहीत की गयी है।

57. **अभिदान-** कोई भी कर्मचारी प्रवन्ध की पूर्व मजूरी या आदेश के सिवाय कोई भी निधि या किसी भी प्रकार के किसी उद्देश्य के अनुसरण में नकद या वस्तु रूप में अन्य सग्रहण जुटाने के लियए कोई अभिदाय न तो मांगेगा न स्वीकार करेगा, न ही स्वयं को अन्यथा सहयुक्त करेगा।

58. **दान-**

(1) कोई भी कर्मचारी कोई भी दान न तो स्वीकार करेगा न ही अपने परिवार के किसी भी सदस्य या अपने निमित्त कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए अनुज्ञात करेगा।

स्पष्टीकरणः- "अभिव्यक्ति दान" में, मुफ्त परिवहन, आवास, वीसा या अन्य सेवा या कोई अन्य धन सम्बन्धी फायदा, जव वह किसी निकट सम्वन्धी या कर्मचारी के सार्थक पदीय व्यवहार नहीं रखने वाले स्वीय मित्र से भिन्न अन्य व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराया गया हो, सम्मिलित होगा।

(2) शादी वार्षिकी, अन्त्येष्टि या धार्मिक उत्सवो जैसे अवसरों पर जब दान करना प्रचलित धार्मिक या सामाजिक प्रथा के अनुरूप हो तो काई कर्मचारी अपने निकट सम्वन्धियों से दान स्वीकार कर सकेगा, किन्तु यदि किसी ऐसे दान का मूल्य 500/-रूपये से अधिक है तो वह प्रबन्ध समिति के सचिव को सूचित करेगा।

59. **दिवालियापन और आभ्यासिक ऋणिता-**

(1) कर्मचारी आभ्यासिक ऋणिता से वचेगा।

(2) जब कोई कर्मचारी दिवालिया अधिनिर्णित या घोषित कर दिया जाता है या जब ऐसे कर्मचारी के वेतन का एक अर्द्धांशं सतत् कुर्क रहता है या, दो वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए निरन्तर कुर्की के अधीन रहा है, या ऐसी राशि

के लिए कुर्क किया जाता है जो, सामान्य परिस्थितियों मे, दो वर्ष की कालावधि के भीतर प्रतिसंदत नहीं की जा सकती हो, तो वह पदच्युति का भागी माना जायेगा।

(3) जब ऐसा कोई कर्मचारी शिक्षा निदेशक की मजूरी के द्वारा या से अन्यथा पदच्युति का भागी नहीं है तो, मामले की रिपोर्ट यदि वह दिवालिया घोषित किया गया है तो, शिक्षा निदेशक को की जानी चाहिए और यदि उसके वेतन का अर्द्धांश कुर्क किया गया है तो शिक्षा निदेशक को की जा सकेगी।

(4) जब किसी कर्मचारी के वेतन का अर्द्धांश कुर्क किया जाता है तो रिपोर्ट में यह दिखाया जाना चाहिए कि ऋण का वेतन से क्या अनुपात है वे कर्मचारी के रूप में ऋणी की दक्षता को किस प्रकार कम करते है, आया ऋणी की स्थिति असाध्य है और आया मामले की परिस्थितियो मे उसे उसके द्वारा धारित पद पर बनाये रखना वांछनीय है।

(5) इस नियम के अधीन के प्रत्येक मामले में यह साबित करने का भार ऋणी पर होगा कि दिवालियापन या ऋणिता ऐसी परिस्थितियो का परिणाम है जिसका, सामान्य तत्परता से भी ऋणी पूर्वानुमत नहीं कर सकता था या जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था और वह अपरिमित या अपव्ययी आदतों से नहीं हुई है।

60. जंगम स्थावर और मूल्यांकन सम्पत्ति-

(1) प्रत्येक कर्मचारी किसी भी पद पर अपनी नियुक्ति हो जाने पर प्रबन्ध को अपनी आस्तियों और दायित्वों की एक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित के बारे में पूरी विशिष्टिया दी गयी हो.-

(क) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या स्वामित्वाधीन या अर्जित या उसके द्वारा या तो उसके स्वय के नाम से या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से या किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बन्धक पर धारित स्थावर सम्पत्ति।

(ख) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या इसी प्रकार उसके स्वामित्वाधीन या अर्जित उसके द्वारा या धारित शेयर, डिबेंचर और बैंक निक्षेपों सहित नकदी।

(ग) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या इसी प्रकार उसके स्वामित्वाधीन, या उसके द्वारा अर्जित या धारित अन्य जगम सम्पत्तिः और

(घ) उसके द्वारा प्रत्यक्ष. या अप्रत्यक्षतः उपगत ऋण और अन्य दायित्व।

(2) कोई भी कर्मचारी प्रबन्ध समिति के सचिव की पूर्व जानकारी के सिवाय किसी भी स्थावर सम्पत्ति को या तो अपने स्वय के नाम से या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से पट्टे, बन्धक, क्रय, विक्रय, दान द्वारा न तो अर्जित करेगा न ही व्ययमित करेगा।

(3) प्रत्येक कर्मचारी या तो उसके स्वय के नाम से या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से उसके स्वामित्वाधीन की या उसके द्वारा धारित जंगम सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रत्येक सव्यवहार की सूचना प्रबन्ध समिति के सचिव को देगा, यदि ऐसी सम्पत्ति का मूल्य 1000/-रूपये से अधिक हो।

61. द्वि-विवाह -

(1) कोई भी कर्मचारी, जिसकी पत्नी जीवित है, दूसरा विवाह, इस बात के होते हुए भी के ऐसा पश्चात्वर्ती विवाह तत्समय उस पर लागू स्वीयविधि के अधीन अनुज्ञेय है, प्रबन्ध की पूर्व अनुज्ञा पहले प्राप्त किये विना नहीं करेगा।

(2) कोई भी महिला कर्मचारी किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी पत्नी जीवित है, प्रबन्ध की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना विवाह नहीं करेगी।

62. दहेज का प्रतिग्रहण:- कोई भी कर्मचारी-

(1) न तो दहेज देगा न लेगा और न ही दहेज देने या लेने का दुष्प्रेरण करेगा;

(2) वधु या, वर जैसा भी, स्थिति हो के माता पिता या संरक्षक से किसी भी दहेज की प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः माग नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनार्थ दहेज का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में दिया गया है।

63. मादक पेयों या मादक द्रव्यों का उपयोग:- कोई भी कर्मचारी

(1) किसी भी ऐसे क्षेत्र में जिसमे उसे तत्समय जाना पड़े प्रवृत्त मादक पेयों या मादक द्रव्यों से सम्वन्धित किसी भी विधि का कड़ाई से पालन करेगा।

(2) अपने कर्तव्य पालन के दोरान किन्हीं भी मादक पेयों या मादक द्रव्यों के असर के अधीन नहीं रहेगा और इस वात की भी सम्यक् सावधानी रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्त्तव्यों का पालन समय के ऐसे निकट सामीप्य में, जव उसे डयूटी पर उपस्थित होना हो ऐसे पेयों या द्रव्यों के असर से इस प्रकार से प्रभावित नहीं हो कि उसके मुँह से गन्ध आये या उसकी भाव भगिमा से सामान्यत अन्य यह महसूस करे कि उसने कोई मादक द्रव्य या मादक पेय ले रखी है।

(3) किसी भी मादक पेय या दृव्य के असर के अधीन किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं आयेगा।

(4) किसी भी मादक पेय या दृव्य का अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करेगा।

64. सेवा सम्वन्धी मामलों में मुकदमेवाजी- कोई भी कर्मचारी अपने नियोजन या सेवा की शर्तो से उद्भूत शिकायतों पर और यहा तक कि ऐसे मामलों पर भी जहॉ ऐसा कोई उपाय वैध रूप से अनुज्ञेय हो, सामान्य शासकीय माध्यम या परितोष का पहले सहारा लिये बिना विनिश्चय चाहने के लिए किसी न्यायालय मे प्रयत्न नहीं करेगा।

65. संगमों का सदस्य बनना:- कोई भी कर्मचारी किसी भी ऐसे सगम का सदस्य नहीं वनेगा या सदस्य नहीं वना रहेगा जिसके उद्देश्य या कार्यकलाप भारत की अखण्डता और प्रभुता या लोक व्यवस्था या नैतिकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हो।

66. प्रदर्शन और हड़ताल: कोई भी कर्मचारी-

(1) ऐसे किसी प्रदर्शन में, स्वय को नहीं लिप्त करेगा या भाग नहीं लेगा जो भारत की सप्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्री पूर्ण सम्बन्धो, लोक व्यवस्था, शिप्टता या नैतिकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो या जिसमें न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध का उद्दीपन अन्तर्वलित हो, या

(2) उसकी सेवा या किसी भी अन्य कर्मचारी की सेवा से सम्वन्धित किसी भी मामले के सम्वन्ध में किसी भी प्रकार की किसी हडताल का सहारा नहीं लेगा या किसी भी रूप में उसका दुष्प्रेरणा नहीं करेगा।

67. संगठनों का सदस्य वनना:-कोई भी कर्मचारी किसी भी ऐसे सगठन का सदस्य नहीं वनेगा या सदस्य नहीं वना रहेगा जिसे या तो विधि-विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 या तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य विधि के अधीन विधि-विरूद्ध घोपित कर दिया गया हो या जिसके उद्देश्य या कार्यकलाप साम्प्रदायिक सदभाव, भारत की अखण्डता ओर प्रभुता या लोक व्यवस्था या नैतिकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हो।

❖❖❖

अध्याय - 8. अभिदायी भविष्य निधि

68. सामान्यः-

(1) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए एक भविष्य-निधि का गठन करेगी◊R 1।

(2) ऐसे समस्त कर्मचारियों से, जिन्होंने संस्था में एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है, से निधि मे अभिदाय करने की अपेक्षा की जायेगी।

(3) संस्था निधि में सचयों के विनिधान के सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा जारी किये गये निदेशों का पालन करेगी◊R 2 से 10।

(4) निधि की रकम या उसके किसी भाग का आहरण या उपयोग संस्था के क्रियाकलापों के लिए या कर्मचारियो के सदाय करने या अग्रिम देने से भिन्न किसी भी प्रयजोन के लिए नहीं किया जायेगा।

(5) कर्मचारियों की भविष्य निधि रकम में सभी संचित, चालू या भविष्यवर्ती अनुवृध्दियॉं और संस्था के अभिदाय वेतन आहरण के तीन दिन के भीतर-भीतर संस्था द्वारा सरकारी खजाने/उप खजाने में ब्याज वाले व्यक्तिगत जमा लेखा में जमा किये जायेंगे◊R 11 से 14।

(6) सहायता अनुदान बिल पर प्रतिहस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी उस पर प्रतिहस्ताक्षर करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि गत महीने तक की कालावधि की भविष्य निधि अभिदान और अभिदाय संस्था के व्यक्तिगत जमा लेखा में सम्यक् रूप से जमा कर दिया गया है।

(7) प्रत्येक कर्मचारी को एक-एक पास बुक दी जायेगी जिसमें सभी जमाओं और आहरणो की नियमित प्रविष्टया संस्था के खजाची द्वारा की जायेगी और उसके हस्तक्षरों से अनुप्रमाणित की जायेगी। यह कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 30 जून के पश्चात् दिखाई जायेगी।

(8) संस्था का प्रधान कर्मचारियों के उनके अपने-अपने भविष्य-निधि लेखों में, ऐसे व्यष्टिक लेखें में के अतिशेष के अनुसार आनुपातिक आधार पर ब्याज जमा कराने का प्रबन्ध करेगा।

69. नाम निर्देशनः-

(1) कोई अभिदाता, निधि में शामिल होने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र संस्था के सचिव को किसी एक या अधिक व्यक्तियों को वह रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करते हुए एक नाम निर्देशन भेजेगा जो उस रकम के सदेय हो जाने के पूर्व उसकी मृत्यु होने की दशा में निधि में उसके खाते में हो या सदेय हो जाने पर भी संदत्त नहीं की गयी हो, परन्तु यदि नाम निर्देशन करने के समय किसी अभिदाता का कोई परिवार हो तो नाम निर्देशन उसके परिवार के सदस्यों से भिन्न किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं होगा◊R 15 से 16।

(2) यदि कोई अभिदाता उप नियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियो को नाम निर्देशित करे तो वह नाम निर्देशन में प्रत्येक नाम निर्देशिती को सदेय अश की रकम ऐसी रीति से विनिर्दिष्ट करेगा जिससे वह सम्पूर्ण रकम इसके अन्तर्गत आ जाये जो निधि मे किसी भी समय उसके खाते में हो।

(3) प्रत्येक नाम निर्देशन परिशिष्ट-15 मे उपवर्णित प्रारूपों मे से किसी ऐसे प्रारूप में होगा जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो।

(4) कोई अभिदाता किसी भी समय किसी नाम निर्देशन को संस्था के सचिव को कोई लिखित नोटिस भेज कर रद्द कर सकेगा, परन्तु अभिदाता ऐसे नोटिस के साथ इस नियम के उपबन्धों के अनुसार किया गया कोई ताजा नाम निर्देशन भेजेगा।

(5) किसी अभिदाता के द्वारा किया गया प्रत्येक नाम निर्देशन और दिया गया रद्दकरण का प्रत्येक नोटिस ऐसी सीमा तक, जो विधि मान्य हो, उस तारीख को प्रभावी होगा जिसको वह संस्था के सचिव को प्राप्त हो।

R 1 से 16 संदर्भ प्रसंगक्रम के आदेश के सारांश अध्याय के अंत में देखे पृष्ठ -92 - 93।

70. अभिदाता का लेखः- प्रत्येक अभिदाता के नाम में एक लेखा रखा जायेगा, जिसमें ये जमा किये जायेंगे:-

1 अभिदाता का अभिदान,

2 सस्था द्वारा किया गया अभिदाय, ओर

3 अभिदानों ओर अभिदायो पर का व्याज

71. अभिदानों की शर्ते और दरे:-

(1) प्रत्येक अभिदाता जब वह ड्यूटी पर हो और जब वह निर्वेतनिक छुट्टी से भिन्न छुट्टी पर हो, निधि में शासिक रूप से अभिदान करेगा।

(2) अभिदान की रकम अभिदाता की परिलब्धियों (वेतन+महगाई भत्ता) का 8.33 प्रतिशत होगी।

(3) अभिदान की रकम पूर्ण रूपयों में होगी (50 पेसे या अधिक को अगले पूर्ण रूपये के रूप में गिना जायेगा)।

(4) इस प्रकार नियत की गयी अभिदान की रकम वर्ष भर अपरिवर्तित रहेगी:

परन्तु यदि कोई अभिदाता किसी महिने के किसी भाग के लिए कर्त्तव्य पर या छुट्टी पर हो ओर उस महीने की शेप अवधि के लिये निर्वेतनिक अवकाश पर हो तो सदेय अभिदान की रकम उस महीने में कर्त्तव्य पर ओर/या छुट्टी (निर्वेतनिक छुट्टी नहीं) पर विताये गये दिनों की सख्याके अनुपात में होगी।

72. अभिदान की वसूली: मूल अग्रिम ओर उसकी व्याज की इन परिलब्धियों के मद्दे अभिदान की वसूली संस्था से आहरित किसी अभिदाता की परिलब्धियों से की जायेगी।

73. संस्था द्वारा अभिदायः सस्था निधि में अभिदाता के मासिक अभिदान के साथ प्रति माह वरावर का अभिदान करेगी।

74. व्याजः राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, सम्वन्धित कोपागार/उप कोपागार में खोले और रखे जाने वाले सस्था के व्यक्तिगत जमा लेखे में प्रत्येक महीने की छह तारीख से उसकी समाप्ति तक के वीच व्यक्तिगत जमा लेखे में के न्यूनतम अतिशेप पर ऐसी दर से व्याज सदत्त करेगी जो राज्य सरकार साधारण प्रावधायी निधि के अभिदानों पर व्याज के सदाय के लिए समय-समय पर विहित करे। व्याज प्रति वर्ष 31 मार्च से जमा किया जायेगा।

75. निधि से अग्रिमः किसी अभिदाता को निधि में उसके खाते में जमा रकम में से सस्था के सचिव के द्वारा निम्नलिखित शर्तो पर अस्थायी अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा -

(क) आवेदक या उस पर वास्तविक रूप से निर्भर किसी भी व्यक्ति की लम्बी रुग्णता के सम्वन्ध मे उपगत व्यय का सदाय करने के लिए;

(ख) ऐसी अत्येष्टियों या समारोहो, जिनका उसके धर्म के अनुसार पालन करना अनिवार्य है, के सम्वन्ध मे युक्तियुक्त रकम तक वाध्यकारी व्यय का सदाय करने के लिए

(ग) कोई अग्रिम विशेप कारणो को छोड़कर, कर्मचारी के कुल अभिदान की रकम के आधे या तीन महीने के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा.

(घ) दूसरा अग्रिम, विशेष कारणो का छोड़ककर तव तक मन्जूर नहीं किया जायेगा जव तक पूर्व अग्रिम का व्याज सहित पूरा संदाय करने के पश्चात् कम से कम वारह महीने नहीं हो जाते:

(ङ) अभिदाता के अभिदान की कुल रकम में से पुत्र के विवाह की दशा में 50% और पुत्री के विवाह की दशा मे 75% तक का ऐसा अग्रिम दिया जा सकेगा जो दस महीने के वेतन तक सीमित होः

(च) अभिदाता के अभिदान की कुल रकम का 50% तक का अग्रिम दस माह के वेतन की सीमा तक निम्नलिखित के लिए भी दिया जा सकेगा.-

(i) सस्था के सचिव का समाधान हो जाने पर, इस प्रयोजन के लिए पेश किये गये दस्तावेजों के आधार पर भवन, किसी गृह को परिवर्तित या उसका विस्तार करने के लिए या भूमि की कीमत को सम्मिलित करते हुए समुचित गृह अर्जित करने के लिए;

(ii) अभिदाता और परिवार के सदस्यो या उस पर वास्तविक रूप से निर्भर किसी व्यक्ति की रूग्णता के सम्बन्ध में हुए व्ययों, जिसमे यात्रा व्यय सम्मिलित है, की पूर्ति के लिए-

76. अग्रिम की वसूली:

(1) कोई अग्रिम अभिदाता से समान किस्तों की उतनी सख्या में वसूल किया जायेगा, जितनी मन्जूरी प्राधिकारी निर्दिष्ट करे, किन्तु जब तक अभिदाता ऐसा करना न चूने वह सख्या बारह से कम नहीं होगी या किसी भी मामले में छत्तीस से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक किस्त पूर्ण रूपयों में होगी और अग्रिम की रकम को यदि आवश्यक हो तो ऐसी किस्तो को नियत कर सकने के लिए बढाया या घटाया जा सकेगा।

(2) वसूली अभिदाता की, संस्था से आहरित की गयी परिलब्धियों से की जायेगी और अग्रिम के दिये जाने के पश्चात् के उस प्रथम अवसर से प्रारम्भ की जायेगी, जिस पर अभिदाता परिलब्धियाँ आहरित करता है।

(3) यदि एकसे अधिक अग्रिम दिया जाये तो प्रत्येक अग्रिम को वसूली के प्रयोजन के लिये पृथक् माना जायेगा।

(4) अग्रिम के मूल के पूर्णतः प्रतिसदत्त कर दिये जाने के पश्चात् उस पर का व्याज दो किस्तों में संदत्त किया जायेगा।

(5) इस नियम के अधीन की गयी वसूलिया इस प्रकार जमा की जायेगी जैसे निधि में अभिदाता के खाते में जमाएँ की जाती है।

77. परिस्थितियां जिनमें संचय सदेय हैं: जब कोई अभिदाता सेवा छोड़े तो निधि में उसके खाते मे शेष रही रकम उसे नियम 79 के अधीन किसी भी कटौती के अध्यधीन सदेय होगी :-

परन्तु कोई अभिदाता, जो सेवा से पदच्युत कर दिया गया है और बाद में सेवा में पुनः लगा लिया जाता है, यदि सस्था द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो इस नियम के अनुसरण में निधि मे से उसे संदत्त की गयी कोई भी रकम उस पर के ऐसी दर से व्याज के साथ प्रतिसंदत्त करेगा जो नियम 74 में उपबन्धित है। इस प्रकार प्रतिसंदत्त रकम निधि मे उसके लेखे में जमा की जायेगी और जो भाग संस्था के अभिदाय का हो, वह उस पर के व्याज के साथ ऐसी रीति से लेखबद्ध किया जायेगा जो नियम 70 में उपबन्धित है।

78. किसे संदेय है: नियम 79 के अधीन की किसी भी कटौती के अध्यधीन रहते हुए, किसी अभिदाता की उसके खाते में शेष रकम के सदेय हो जाने के पूर्व या जहाँ रकम संदेय हो गयी हो वहां सदाय कर दिये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने पर-

(i) जब अभिदाता कोई परिवार छोड़ जाये तो,

(क) यदि उसके परिवार के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों के पक्ष में नियम 69 के उपबन्धो के अनुसार अभिदाता द्वारा किया गया कोई नाम निर्देशन अस्तित्व में हो, निधि में उसके खाते मे शेष रकम या उसका ऐसा भाग जिससे नाम निर्देशन सम्बन्धित है, उसके नाम निर्देशित या नाम निर्देशितियों को नाम निर्देशन में विनिर्दिष्ट किये गये अनुपात में सदेय होगी,

(ख) यदि अभिदाता के परिवार के सदस्य या सदस्यो के पक्ष मे ऐसा कोई भी नाम निर्देशन नहीं हो या यदि ऐसा नाम निर्देशन निधि में उसके खाते में शेष रकम के किसी भाग से ही सम्बन्धित हो तो, पूरी रकम या यथास्थिति, उसका वह भाग जिससे नाम निर्देशन सम्बन्धित नहीं हो, उसके परिवार के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों से भिन्न किसी भी व्यक्ति या किन्हीं भी व्यक्तियो के पक्ष में होने के लिए तात्पर्यित किसी भी नाम निर्देशन के होने पर भी उसके परिवार के सदस्यों को बराबर के अंशों में सदेय होगा :-

परन्तु कोई भी अश इन्हें सदेय नहीं होगा :-

(1) वे पुत्र जिन्होंने विधिक व्यस्कता प्राप्त कर ली है;

(2) किसी मृतक पुत्र के वे पुत्र, जिन्होने विधिक व्यस्कता प्राप्त कर ली है;

(3) वे विवाहित पुत्रिया जिनके पति जीवित हैं,

(4) किसी मृतक पुत्र की वे विवाहित पुत्रिया जिनके पति जीवित हैं, यह तब जबकि परिवार का खण्ड (1), (2), (3) और (4) में विनिर्दिष्ट से भिन्न कोई भी व्यक्ति है :-

परन्तु यह भी किसी मृतक पुत्र की विधवा या विधवायें और सन्तान या सन्तानें बराबर-बराबर भागों में केवल वही अश प्राप्त करेंगे, जो पुत्र को तब प्राप्त हुआ होता यदि वह अभिदाता के पश्चात् जीवित होता और उसे प्रथम परन्तुक के खण्ड (1) के उपबन्धो से छूट दी गयी होती।

टिप्पणी:- (i) किसी अभिदाता के परिवार के किसी सदस्य को इन नियमों के अधीन सदेय कोई भी राशि भविष्य-निधि अधिनियम, 1925 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे सदस्य में निहित है।

(ii) जब अभिदाता कोई परिवार न छोड जाये तो, यदि किसी भी व्यक्ति या किन्हीं भी व्यक्तियों के पक्ष में नियम 69 के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा किया गया कोई नाम निर्देशन अस्तित्व में हो तो :- निधि में उसके खाते में शेष रकम या उसका ऐसा भाग, जिससे नाम निर्देशन सम्बन्धित है, नाम निर्देशन मे विनिर्दिष्ट अनुपात मे उसके नाम निर्देशिती या नाम निर्देशितियों को संदेय होगी।

टिप्पणी - I जब कोई नाम निर्देशिती भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 2 के खण्ड (ग) मे यथा परिभाषित अभिदाता का कोई आश्रित हो तो रकम उस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे नाम निर्देशिती में निहित होगी।

II जब अभिदाता कोई परिवार न छोड़ जाये और नियम 69 के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा किया गया कोई भी नाम निर्देशन अस्तित्व मे न हो या यदि ऐसा नाम निर्देशन निधि मे उसके खाते में शेष किसी रकम के किसी भाग से ही सम्बन्धित हो तो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के और खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) के सुसंगत उपबन्ध, सम्पूर्ण रकम या उसके ऐसे भाग पर, जिससे नाम निर्देशन सम्बन्धित नहीं है, लागू होंगे।

79\. ***कटौतियां :*** *इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कोई भी ऐसी कटौती नहीं की जा सकेगी जिससे सस्था द्वारा किये* जाने वाले किसी भी अभिदान की रकम से अधिक मात्रा तक, नियम 73 व 74 के अधीन जमा किये गये इस पर के ब्याज के साथ जमा को घटा दे और इससे पूर्व कि निधि में अभिदाता के खाते में शेष रकम निधि में से सदत्त की जाये, सस्था उसमें से निम्नलिखित की कटौती का और सस्था को उसका सदाय किये जाने का निर्देश दे सकेगी :-

(क) कोई भी रकम, यदि किसी अभिदाता को घोर अवचार के कारण सेवा से पदच्युत किया गया है :- परन्तु यदि पदच्युति का आदेश बाद मे रद्द कर दिया जाये तो इस प्रकार काटी गयी रकम सेवा मे उसके पुनः ले लिये जाने पर निधि मे उसके खाते में प्रतिस्थापित कर दी जायेगी;

(ख) कोई भी रकम, यदि कोई अभिदाता सस्था के अधीन अपने नियोजन का उसके प्रारम्भ से पाच वर्ष के भीतर अधिवार्षिकी से या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दी गयी इस आशय की कि वह और सेवा के लिए अनुपयुक्त है, किसी घोषणा से भिन्न कारण से पदत्याग कर दे;

(ग) अभिदाता द्वारा सस्था के प्रति उपगत किसी दायित्व के अधीन देय कोई भी रकम।

80. **संदाय :**

(1) जब निधि मे अभिदाता के खाते में शेष रकम या 79 के अर्धीन कोई भी कटौती किये जाने के पश्चात् उसका अतिशेष सदेय हो जाये तो प्रबन्ध समिति के सचिव का, जब उस नियम के अधीन ऐसी कोई भी कटौती करने का निर्देश नहीं दिया हो, स्वय का इस बात से समाधान करने के पश्चात् यह कर्तव्य होगा कि भविष्य-निधि अधिनियम, 1925 की धारा 4 में यथोपबन्धित संदाय करने के लिए कोई भी कटौती नहीं की जानी है।

(2) यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे कोई भी रकम इन नियमो के अर्धान सदत्त की जानी है, कोई ऐसा पागल है, जिसकी स्थिति के लिए भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के अधीन कोई प्रबन्धक इस निमित नियुक्त किया गया है तो सदाय ऐसे प्रबन्ध को किया जायेगा न कि पागल को।

(3) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो इस नियम के अधीन सदाय किये जाने का दावा करना चाहता हो, उसके लिए एक लिखित आवेदन सस्था के सचिव को भेजेगा।

टिप्पण :- जब किसी अभिदाता के खाते मे शेष रकम नियम 77 के अर्धान संदेय हो गयी हो तो सचिव अभिदाता के खाते में शेष रकम के उस प्रभाग का तुरन्त सदाय करना प्राधिकृत करेगा जिसके सम्बन्ध में कोई भी विवाद या सदेह नहीं है और अतिशेष का समायोजन इसके पश्चात् यथा सभव शीघ्र किया जायेगा।

81. **लेखे और संपरीक्षा :**

(1) **लेखे :** (क) सस्था द्वारा पूर्ण और ब्योरेवार व्यष्टिक कर्मचारी वार लेखे रखे जायेंगे। सस्था निदेशक स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग को या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी को उसके द्वारा अपेक्षित सम्पूर्ण सूचना ऐसे प्रारूप और रीति से उपलब्ध करायेगी जो उसके द्वारा समय-समय पर विहित की जाये।

(ख) सस्था के सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह लेखो का समाधान निदेशक, स्थानीय निधि सपरीक्षा विभाग द्वारा रखे गये तथा कोषागार/उपकोषागार के लेखो के साथ, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर करें।

(2) संपरीक्षा :

(क) लेखे, निदेशक, स्थानीय निधि सपरीक्षा विभाग या किसी भी ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत किया जाये, के द्वारा सपरीक्षा के लिए खुले रहेंगे।

(ख) प्रबन्ध समिति का सचिव, संपरीक्षा अधिकारी द्वारा उसकी रिपोर्ट में इंगित फर्कों को दूर करेगा या दूर करवायेगा और उसकी अनुचालन-रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से दो महीने की कालावधि के भीतर-भीतर प्रस्तुत करेगा।

82. **उपदान और बीमा :**

(1) सहायता प्राप्त शैक्षिक सस्थाओ के कर्मचारी समय-समय पर यथा संशोधित उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन यथा अनुज्ञेय उपदान के हकदार होंगे[R 17]।

(2) प्रबन्ध समिति भारतीय जीवन बीमा निगम की सम्बन्धित स्कीम के अधीन अपने कर्मचारियों के समूह बीमा के लिए प्रबन्ध करेगी[R 18]।

❖❖❖

R 17 से 18 सदर्भ प्रसंगक्रम के आदेश के सारांश अध्याय के अंत में देखे पृष्ठ -93।

R- संदर्भ आदेश सारांश तालिका

संदर्भ क्रमाक (R)	नियम सख्या	आदेश संख्या	आदेश क्रमांक	आदेश/निर्देशों का सारांश
1.	68 (1)	प 11(22) शिक्षा-5/88 पार्ट दिनाक 24/01/1998	39	भविष्य निधि अधिनियम 1952 व 1989 के अतर्गत बने नियमो के अनुसार जिन कर्मचारियों पर भविष्य निधि प्रकीर्ण अधिनियम 1952 लागू हे तथा जिन पर लागू नहीं हे की राशि जमा कराने के सम्वन्ध में लिए गए निर्णय।
2	68(3)	प 11(33) शिक्षा-5/83 दिनाक 19/12/1998	69	जूलाई अगस्त 98 के बढे डी.ए. की राशि से राष्ट्रीय बचत-पत्र क्रय करे।
3.	68(3)	प 11(22) शिक्षा-5/88 दिनाक 12/03/1999	74	अधिनियम 1952 के अनुसार वेतन से भविष्य निधि की राशि काटकर राशि भविष्य निधि संगठन विभाग को भेजने के सम्वन्ध में निर्देश।
4.	68(3)	प 19(9) शिक्षा-5/93 दिनांक 26/02/2001	115	बढे D A की राशि को राष्ट्रीय बचत-पत्र के स्थान पर अन्यत्र में विनियोजित करने की छुट
5	68(3)	प 11(22) शिक्षा-5/88 दिनाक 22/03/2001	118	14/08/1997 के आदेश को निरस्त करते हुए राशि को पी.एफ. खाते मे जमा कराने के निर्देश।
6.	68(3)	प 11(22) शिक्षा-5/88 दिनाक 30/04/2001	122	आदेश क्रम 118 दिनाक 22/03/2001 को निरस्त किया गया। ये आदेश गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर भी लागू होगें।
7.	68(3)	प 11(22) शिक्षा-5/88 दिनाक 04/05/2002	134	गैर अनुदानित सस्थाओ पर भी लागू है। तदनानूसार पी एफ. की राशि जमा कराने की व्यवस्था करे।
8.	68(3)	प 11(22) शिक्षा-5/88 दिनाक 04/05/2002	134	न्यायालय के निर्णय अनुसार मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओ द्वारा अशदायी प्रावधायी निधि की राशि जमा कराने के निर्देश।
9.	68(3)	प 8(3) वि.मा./97 दिनाक 15/06/2002	136	न्यायालय के निर्णय अनुसार मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं द्वारा अशदायी प्रावधायी निधि की राशि जमा कराने के निर्देश।
10.	68(3)	एफ 14 (73) एफ/डी /रेवेन्यु/95 दिनाक 30/08/2002	140	न्यायालय के निर्णय अनुसार मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं द्वारा अशदायी प्रावधायी निधि की राशि जमा कराने के निर्देश।
11.	68(5)	प 11(22) शिक्षा-5/88 दिनाक 08/01/1993	1	भविष्य निधि की राशि आयुक्त भारत सरकार के यहा जमा कराने के क्रम में।

सदर्भ क्रमांक (R)	नियम संख्या	आदेश संख्या	आदेश क्रमांक	आदेश/निर्देशों का सारांश
12.	68(5)	प 11(22) शिक्षा-5/88 दिनाक 25/02/1995	10	विभिन्न भविष्य निधि खाते की राशि कहा और किस प्रकार से जमा कराई जावे के निर्देश। ये निर्देश उन्हीं संस्थाओं पर लागू होंगे जहा कर्मचारियों की सख्या 30 या इससे अधिक है।
13.	68(5)	प 11(22) शिक्षा-5/88 दिनांक 15/02/1997	14	आदेश क्रमाक 1 व 10 को निरस्त करते हुए 8.33% की दर से जो राशि निजी निक्षेप खाते में जमा होगी।
14.	68(5)	प 11(22) शिक्षा-5/88 दिनांक 14/08/1997	22	आदेश क्रमाक स. 10 व ततुसम्बन्धी आदेशों को निरस्त करते हुए कर्मचारियो की पी डी. खाते में जमा राशि को आयुक्त क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय में जमा कराने पर उन्हें लाभ मिल सकता है के निर्देश साथ ही सस्थाओं को भविष्य निधि की राशि कहाँ जमा करानी है का विवरण।
15.	69(1)	प 11(22) शिक्षा-5/88 दिनाक 08/01/1993	1	पारिवारिक पेशन सुविधा हेतु सस्था व कर्मचारियों के वेतन से काटे जाने वाले पी.एफ. 8.33% में से 1.16% कर्मी के अश में से व 1 16 % सस्था के हिस्से की राशि 3/93 के वेतन बिल से काटकर कोषागार में संधारित निक्षेप खाते से आहरित कर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भारत सरकार के यहाँ जमा करावे।
16.	69(1)	प 11(22) शिक्षा-5/88 दिनांक 08/01/1993	10	आदेश क्रमाक 1 दिनाक 08/01/1993 के क्रमाक में गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं को कार्यरत कर्मचारियों के ..... पेंशन सुविधा देने हेतु विभिन्न प्रकार से भविष्य विधि में राशि जमा कराने के निर्देश।
17.	82(2)	प 11(22) शिक्षा-5/88 दिनांक 08/01/1993	10 पैरा 4	सस्था को, कर्मचारियो को 1976 की योजनाओं के अतंर्गत लाभ देने हेतु सामूहिक बीमा पॉलिसियॉ लेने की कार्यवाही करनी होगी।
18.	82(2)	प 10(12) शिक्षा-5/93 दिनाक 07/11/1997	30	अनुदान नियमों मे उपादान नियम 1972 के अंतर्गत अनुदान तो देय नहीं लेकिन उपादान नियमो के अंतर्गत सस्था के पात्र कर्मचारियों को उपादान देने के लिए सस्था वाध्य होगी।

अध्याय - 9. प्रकीर्ण

83. सामान्य : प्रत्येक सस्था वित्तीय औचित्य के उच्च मानदण्डो से मार्गदर्शित होगी। सिद्धान्त, जिन पर सामान्यतया वल दिया जाना है, निम्नलिखित है

(i) प्रत्येक पदधारी से व्यय के सम्वन्ध में वेसी ही सतर्कता वरतने की प्रत्याशा की जाती है जैसी कि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के सम्वन्ध मे वरतता है।

(ii) व्यय प्रथम दृष्टया अवसर की माग से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iii) किसी भी प्राधिकारी को व्यय मजूर करने की अपनी शक्तियो का प्रयोग ऐसा आदेश पारित करने के लिए नहीं करना चाहिए, जो प्रत्यक्षत या अप्रत्यक्षत उसके स्वयं के लाभ के लिए होगा।

(iv) सस्था के धन का उपभोग किसी भी विशिष्ट व्यक्ति या समुदाय के भाग के फायदे के लिए नहीं किया जाना चाहिए जव तक कि-

(क) अन्तर्वलित व्यय की रकम नगण्य न हो; या

(ख) रकम के लिए कोई दावा किसी न्यायालय से प्रवर्तित नहीं कराया गया हो;

(ग) व्यय किसी मान्य रीति या रूढि के अनुसरण में न हो।

(v) किसी विशिष्ट प्रकार के व्यय की पूर्ति करने के लिए स्वीकृत भत्तों की रकम इस प्रकार विनियमित की जानी चाहिए कि भत्ते कुल मिलाकर प्राप्तिकर्ताओ के लाभ के स्रोत नहीं हो जाये।

(vi) सस्था कदम-कदम पर वित्तीय आदेश और कडी मितव्ययिता लागू के लिए उत्तरदायी है।

(vii) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कुल व्यय ने केवल प्राधिकृत विनियोग की सीमाओं के भीतर रखा जाता हे वल्कि यह भी कि आवटित निधिया उन कार्यो पर व्यय की जाती है जिनके लिए उनका प्रावधान किया गया हे।

84. भण्डार सामग्री का क्रय और अर्जन : कोई प्राधिकारी, जो आकस्मिक व्यय उपगत करने हेतु सक्षम है, सस्था में उपयोग के लिए अपेक्षित भण्डार सामग्री का इन नियमों मे अन्तर्विष्ट उपवन्धो के अनुसार, क्रय करने की मजूरी दे सकेगा।

85. भण्डार सामग्री की प्राप्ति : *जव परिदान प्राप्त हो जाये तव प्राप्त सम्पूर्ण सामग्री का परीक्षण, गणना माप या,* यथास्थिति वजन किया जाना चाहिए, और उन्हे किसी उत्तरदायी कर्मचारी के प्रभार में दिया जाना चाहिए जो यह देखे कि परिमाप सही है और उनकी क्वालिटी अच्छी है तथा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र अभिलिखित करें। भण्डार सामग्री प्राप्त करने वाले पदधारी से यह प्रमाण-पत्र देने की भी अपेक्षा की जानी चाहिए कि उसने सामग्री वास्तविक रूप में प्राप्त कर ली है और उनकी समुचित स्टॉक रजिस्टर मे अभिलिखित कर लिया है।

86. भण्डार सामग्री ज़ारी करना : जव सस्था के उपभोग के लिए स्टॉक से सामग्री जारी की जाये तव भण्डार सामग्री के प्रभारी अधिकारी को यह देखना चाहिए कि माग पत्र समुचित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिया गया है, भण्डार सामग्री जारी करने के आदेशो या अनुदेशो के प्रति निर्देश से उसका सावधानी पूर्वक परीक्षण करे और सामग्री के वर्णन और परिमाण पर यदि अध्यपेक्षा का पूर्णतः पालन करने में असमर्थ है तो तारीख सहित अपने आद्याक्षर करके उपयुक्त परिवर्तन करने के पश्चात् हस्ताक्षर करें। जव सामग्री जारी की जाये तव उस व्यक्ति से जिसे उन्हें परिदत्त या भेजने का आदेश दिया गया था, लिखित अभिस्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए।

87. भण्डार सामग्री के प्रभार का अन्तरण : अन्तरण की दशा में भण्डार सामग्री के प्रभारी पदधारी को यह देखना चाहिए कि उसकी अभिरक्षा में की भण्डार सामग्री उसके उत्तराधिकारी को सही तौर पर संभला दी गयी है और उससे समुचित रसीद ले ली है।

88. भण्डार सामग्री की अभिरक्षा और लेखा :

(1) संस्था के प्रधान को उनकी सुरक्षित अभिरक्षा करने, उनको अच्छी और दक्ष स्थिति में रखने और उनको हानि, नुकसान या क्षय से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उपयुक्त जगह की व्यवस्था विशिष्टत मूल्यवान और ज्वलनशील भण्डार सामग्री के लिए की जानी चाहिए। उसे उपयुक्त लेखे और तालिकाएं रखनी चाहिए और चोरी, दुर्घटना, कपट से या अन्यथा होने वाली हानि के बचाने की और पुस्तक अतिशेष से वास्तविक अतिशेष तथा प्रदायकों इत्यादि के सदाय की किसी भी समय जाच को सभव बनाने की दृष्टि से उसके प्रभार में की भण्डार सामग्री के सम्बन्ध में सही विवरणिया तैयार करनी चाहिए।

(2) जंगम और स्थावर सम्पत्तियों के लिए प्राप्त परिमाप अन्तरण विक्रय, हानि इत्यादि द्वारा निपटाये गये परिणाम और स्वगत अतिशेष दिखलाते हुए पृथक्-पृथक् लेखे रखने चाहिए। अनुपयोज्य स्टॉक की स्थिति की भी तालिका बनायी जानी चाहिए।

(3) राज्य सरकार से समय-समय पर प्राप्त सहायता अनुदान से सृजित भवन, फर्नीचर, शैक्षणिक उपकरण, पुस्तकालय पुस्तकें इत्यादि जैसी सभी आस्तियों के लिए भी पृथक्-पृथक् लेखे रखे जाने चाहिए। इन आस्तियों को हर समय ठीक रखने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

89. भौतिक सत्यापन : भण्डार सामग्री और स्टॉक की प्रत्येक मद का वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व वर्ष में कम से कम एक बार भौतिक सत्यापन किया जायेगा। ऐसा सत्यापन किसी ऐसे उत्तरदायी अधिकार को सौंपा जाना चाहिए जो भण्डार से सम्बद्ध नहीं हो और भण्डार के प्रभारी अधिकारी का अधीनस्थ नहीं हो तथा भण्डार की मदों से परिचित हो। ऐसा सत्यापन भण्डारी की उपस्थिति में किया जाना चाहिए यथासभव ठीक-ठीक और सही-सही शत प्रतिशत सत्यापन किया जाना चाहिए। आधिक्य और कमिया, यदि कोई हो, दिखलाते हुए पृथक् सूची बनायी जानी चाहिए और उसकी एक प्रति कमियों की वसूली/विनियमन के और आधिक्य की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए प्रबन्ध समिति के सचिव के परिदत्त की जानी चाहिए।

90. क्रय के लिए निविदायें आमंत्रित करने के लिए प्रक्रिया : निविदाएँ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा। निविदायें निम्न प्रकार से प्राप्त की जानी चाहिए :-

(i) विज्ञापन द्वारा (खुली निविदाएं)
(ii) सीमित सख्या में फर्मो को सीधे ही आमत्रित करके (सीमित निविदा)
(iii) केवल एक फर्म को आमत्रित करके (एकल निविदा)
(iv) बातचीत से।

एकल निविदा पद्धति छोटे-छोटे आदेशों जिनका कुल मूल्य 500/- रुपये से अधिक नहीं है, के मामले मे अगीकृत की जा सकेगी। सीमित निवदा पद्धति का अनुसरण तभी किया जा सकेगा जब क्रय का अनुमानित मूल्य 10,000/- रुपये से कम हो।

खुली निविदा पद्धति अर्थात् सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा निविदाओं के आमत्रण का उपयोग 10,000/- रुपये या इससे अधिक क्रय के लिए किया जाना चाहिए। बातचीत सहायता अनुदान बिल पर प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के परामर्श से समिति के माध्यम से की जा सकती है।

91. निरसन और व्यावृत्तिया :

(1) राजस्थान शैक्षणिक और सास्कृतिक सस्थाओ को सहायता अनुदान नियम, 1963 और ऐसे नियमों के अधीन उस जारी की गई कोई भी अधिसूचना और किये गये आदेश, उस सीमा तक जहां तक वे ऐसे व्यक्ति/संस्था पर लागू होते है जिसको ये नियम लागू होते हैं तथा जहा तक वे मान्यता, सहायता अनुदान सेवा की शर्तो से सम्बद्ध हो या नियुक्ति करने मान्यता देने, सहायता अनुदान मजूर करने, शास्तिया अधिरोपित करने या अपील ग्रहण करने की शक्तिया प्रदत्त करते है, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं, परन्तु-

(क) ऐसा निरसन उक्त नियमो, अधि सूचनाओं और आदेशो पर तद्धीन की गयी किसी बात या किसी भी कार्यवाही के पूर्व प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगा

(ख) उक्त नियमो, अधिसूचनाओं और आदेशो के अधीन की इन नियमो के प्रारम्भ पर लम्वित कोई भी कार्यवाहियां चालू रहेगी और जहा तक हो सके इन नियमो के उपवन्धो के अनुसार निपटायी जायेगी।

(2) इन नियमो में की कोई भी बात ऐसे किसी भी व्यक्ति या सस्थाओ को जिसे ये नियम लागू होते है इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व विनिश्चित किसी भी आदेश के सम्वन्ध मे अपील से किसी भी ऐसे अधिकार से वचित करने पर लागू नहीं होगी जो उपनियम (1) द्वारा निरसित नियमों, अधिसूचनाओ या आदेशो के अधीन उनको प्रादभूत हुआ है।

(3) ऐसे प्रारम्भ के पूर्व किये गये आदेश के विरुद्ध इन नियमो के प्रारम्भ के पश्चात् लम्वित या की गयी किसी भी अपील पर विचार किया जायेगा और उन पर इन नियमों के अनुसार आदेश पारित किया जायेगा।

92. नियमों से छुट देने की शक्ति - राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी भी सस्था या सस्थाओं के किसी वर्ग को नियमो के किन्हीं भी उपबधो से छूट दे सकेगी या यह निर्देश दे सकेगी कि ऐसे उपबध ऐसी संस्था या सस्थाओ के वर्ग पर ऐसे उपान्तरणों और या शर्तो के सहित लागू होगें, जैसी कि आदेशो में विनिर्दिष्ट की जायें[*R1]।

93. शंकाओं का निराकरण : जहां इन नियमो के किन्हीं उपवन्धो के निर्वचन या इनके लागू होने के बारे में कोई सदेह उत्पन्न हो, वहॉ मामला सरकार के शिक्षा विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा[*R2]।

(सख्या प. 7 (73) शिक्षा-6/74)
राज्यपाल के आदेश से,
अभिमन्यु सिह,
शासन सचिव (प्रा. मा. शिक्षा) 1

❖❖❖

R- संदर्भ आदेश सारांश तालिका

संदर्भ क्रमाक (R)	नियम सख्या	आदेश सख्या	आदेश क्रमांक	आदेश/निर्देशों का सारांश
1.	92	प 11(22) शिक्षा-5/88	3	पूर्व के नियम 92 को हटाकर उसके स्थान पर नया नियम अंतः स्थापित किया गया।
2.	93	प 11(33) शिक्षा-5/93	3	पूर्व के नियम 92 को अव नियम स. 93 पर पुनः संख्याकित

परिशिष्ट-1

गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता के लिए आवेदन

(नियम 34 (2))

सेवामें,

....

....

....

मैं/हम हमारी सस्था...(सस्था का नाम) के...(स्तर) को मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदन करता हूं/करते हैं। संस्था सम्बन्धी विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	संस्था सम्बन्धी विवरण	संस्था द्वारा कथन	निरीक्षण दल का अभिकथन
1	2	3	4
1.	सस्था का नाम		
2.	कार्यालय का स्थान एवं पूर्ण पता		
3.	सस्था का प्रकार एवं स्तर		
4.	सख्या के स्थापन एव सचालन की तारीख		
5.	सस्था के सचिव का नाम, पता, टेलीफोन सख्या (यदि हो)		
6.	संस्था का :-		
	(1) विधान		
	(2) प्रबन्ध समिति के सदस्यो के नाम और पते		
	(3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र (प्रति संलग्न की जाये)		
	(4) संस्था का प्रधान/कर्मचारी यदि प्रबन्ध समिति का सदस्य हो तो उसका नाम, पद एव समिति में धारित पद		
7.	(1) वाछित मान्यता का स्तर, प्रकार, सत्र एव विषय		
	(2) संस्था द्वारा पूर्व में मान्यता हेतु किये गये आवेदन का वर्ष एवं स्तर		
8.	सस्था का शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्य/इसकी पूर्ति हेतु सचिव का कथन		
9.	उपलब्ध भवन का पूर्ण विवरण :-		
	(1) कक्षा-कक्ष/कार्यालय/प्याऊ/शौचालय आदि (ब्लू प्रिन्ट की प्रति भी साथ में प्रस्तुत की जाये, जिसमें उक्त सभी निर्मित स्थल स्पष्ट रूप से अंकित हों)		

क्र.सं.	संस्था सम्बन्धी विवरण	संस्था द्वारा कथन	निरीक्षण दल का अभिकथन
1	2	3	4
	(2) सस्था का स्वय का भवन होने पर स्वामित्व का प्रमाण-पत्र दें		
	(3) भवन किराये का होने पर किराया-विलेख की सत्यापित प्रतिलिपि सलग्न की जाये		
10	खेलकूद हेतू भूमि का विवरण .-		
	(1) सस्था की स्वय की भूमि होने पर स्वामित्व का प्रमाण-पत्र सलग्न करे		
	(2) किराये की भूमि होने पर किराया विलेख की सत्यापित प्रति सलग्न करें		
11	अन्य भूमि का विवरण -		
12	जल/विद्युत/सफाई की व्यवस्था का पूर्ण विवरण .-		
13	वित्तीय स्थिति का विवरण -		
	(1) स्थायी जमा खाते में जमा राशि, वैक का नाम, रसीद/खाता सख्या (रसीद की सत्यापित फोटो प्रति सलग्न करे)		
	(2) नियमित आय का आकलन एव इसके स्थायी स्रोत		
	(3) आय के स्रोत के नियमित, पर्याप्त तथा स्थायी होने का स्पष्ट प्रमाण		
	(4) सस्था के गत तीन वर्षो के आय-व्यय एवं तुलन-पत्र (चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित)		
14.	सस्था की सम्पत्तियों का विवरण, मूल्य सहित		
15.	(1) कार्यरत कर्मचारियो के नाम, पद, आयु, जन्मतिथि, वेतनमान, योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव, नियुक्ति, तिथि, वेतनमान, प्रथम जनवरी को मूल वेतन एवं भत्ते (भत्तो का पूर्ण विवरण दे)		
16.	भविष्य निधि के रूप में कर्मचारियो से काटे जाने वाले एव सस्था द्वारा देय अंशदान का विवरण		
17.	(1) सस्था के पास उपलब्ध फर्नीचर एवं अध्ययन/अध्यापन सामग्री की सूची (नाम, तादाद एव मूल्य सहित)		
	(2) विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन हेतु उपलब्ध कराये जा रहे दैनिक/साप्ताहिक/सामयिक पत्र/पत्रिकाए		
18.	वालक/वालिकाओं की कक्षावार/वर्गवार सख्या एव औसत उपस्थिति का विवरण		
19.	(1) वालक/वालिकाओं से वसूल की जा रही फीस (कक्षावार किस मद में किस दर से कितनी फीस प्राप्त की जा रही है अथवा प्रस्तावित है) का विवरण		
	(2) सस्था के कितने वालक/वालिकाओं की फीस में रियायत दी गयी है, (कक्षावार/वर्गवार राशि एव दर का विवरण)		
	(3) क्या सस्था में सभी जातियों तथा वर्ग के विद्यार्थियों के लिये फीस सुविधा है तथा किसी भी भेदभाव के विना प्रवेश खुला रहता है।		

1	2	3	4

(4) क्या धार्मिक एव जाति विशेषीय शिक्षा में विद्यार्थियो एव कर्मचारियो का सम्मिलित होना अनिवार्य है।

20. (1) सस्था द्वारा सचालित पाठ्यक्रम का विवरण
    (2) क्या सस्था राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है
21. (1) संस्था आवासीय है अथवा गैर आवासीय
    (2) क्या संस्था में छात्रावास की व्यवस्था है ?
    यदि हा तो उपलब्ध भवन, कर्मचारी एव व्यवस्था सम्बन्धी विवरण
    (3) वसूल की जा रही फीस का विवरण
22. कार्य क्षेत्र का विवरण :-
    (1) विद्यालय/सस्था के आस-पास समान स्तर की सचालित अन्य सस्थाओं के नाम, पते एव विद्यालय से दूरी
    (2) आस-पास के वातावरण का प्रदूषण रहित होने का विवरण एव संस्था के अध्यक्ष का प्रमाण-पत्र
23. (1) संस्था का साम्प्रदायिक तथा राजनैतिक गतिविधियो में भाग नहीं लेने के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव की सत्य प्रतिलिपि तथा इस सम्बन्ध में सचिव का शपथ-पत्र
    (2) क्या शैक्षिक वातावरण में व्यवधान पैदा करने वाले किसी सार्वजनिक वाद, विवाद एवं प्रवृति में संस्था के कर्मचारी/प्रबन्ध आदि भाग लेते है ?
24. विद्यार्थी कल्याण सम्बन्धी किये जा रहे कार्यकलापो का विवरण
25. विद्यार्थियों के लिए शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य परीक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, मनोरजन आदि की व्यवस्था
26. संस्था द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख

मै/हम प्रमाणित करता हू/करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित सभी विवरण सही है। मैंने/हमने मान्यता सम्बन्धी नियमों/शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। मैं/हम प्रतिज्ञा करता हू/करते हैं कि यदि संस्था को मान्यता प्रदान कर दी जायेगी तो मैं/हम मान्यता सम्बन्धी शर्तो से और तत्सम्बन्धी समस्त वर्तमान और समय-समय पर परिवर्तित एव परिवर्धित नियमों से आवद्ध रहूंगा/रहेंगे तथा समय-समय पर प्रचलित शिक्षा विभाग के निदेशों का अनुपालन करता रहूगा/रहेंगे।

हस्ताक्षर सचिव

....

(सस्था का नाम)

परिशिष्ट-2

गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने सम्बन्धी न्यूनतम भौतिक एवं वित्तीय मानदण्ड की शर्तें

(नियम 5 (1))

क्र.सं.	मद	स्तर	मानदण्ड एवं शर्तें	
1	2	3	4	
1.	रजिस्ट्रीकरण	समस्त गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाए	1. संस्था का राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है।	
2.	भवन	(क) प्राथमिक विद्यालय	(क) प्रारम्भिक शर्तें :-	
			(अ) कक्षा-कक्ष 6 x 5 मीटर- (मय बरामदा 3 मीटर चौड़ा)	3
			(ब) प्रधानाध्यापक कक्ष-(3 x 4 मीटर)	1
			(स) शौचालय-मूत्रालय-	2
			(द) पेयजल सुविधा के लिये उपयुक्त प्याऊ-	1
			दो वर्ष पश्चात् :-प्रत्येक कक्षा-कक्ष 6 x 5 मीटर के पृथक् कमरा मय बरामदा-	2
		(ख) उच्च प्राथमिक विद्यालय	(क) प्रारम्भिक अवस्था में :-	
			(अ) कक्षा-कक्ष 6 x 5 मीटर मय बरामदा 3 मीटर चौड़ा-	6
			(ब) प्रधानाध्यापक कक्ष (3 x 4 मीटर)-1	
			(स) स्टोर-	1
			(द) पुस्तकालय-वाचनालय (6 x 5 मीटर)-	1
			(य) कामन कक्ष (3 x 4 मीटर)-	1
			(र) शौचालय-मूत्रालय- (बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग)	2
			(ल) उपयुक्त प्याऊ-	1
		(ग) माध्यमिक विद्यालय	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकाशित निर्देश पुस्तिका के अनुसार सूक्ष्म विवरण निम्न प्रकार है :- (1) विद्यालय की छटी व उसके ऊपर की प्रत्येक कक्षा/वर्ग के लिए 6 x 8 मीटर का कक्ष (45 छात्रों तक)	

1	2	3	4
			(2) सामान्य विज्ञान, गृह विज्ञान एवं विज्ञान वर्ग के लिए 6 x 8 मीटर के प्राध्यापक कक्ष के साथ भण्डार गृह एवं प्रयोगशाला की अतिरिक्त व्यवस्था 9 x 8 मीटर
			(3) कला उद्योग एव समाजपयोगी उत्पादक कार्य के अधीन सिखाये जाने वाले प्रत्येक विषय के लिए भण्डार गृह एवं दीवारों में आलमारियों सहित 1000 वर्गफुट से ढका हुआ स्थानारियों।
			(4) विविध
			(क) प्रधानाध्यापक कक्ष — 6 x 5 मीटर
			(ख) कार्यालय कक्ष — 6 x 5 मीटर
			(ग) अध्यापक कक्ष — 6 x 8 मीटर
			(घ) पुस्तकलय-वाचनालय — 12 x 8 मीटर
			(ड) खेलकूद कक्ष — 124 वर्गमीटर
			(च) एन. सी सी. — 48 वर्गमीटर
			(छ) वालचर सस्था — 48 वर्गमीटर
			(ज) वालिकाओं के लिए (सहशिक्षा की स्थिति में) अलग कमरा (कामन रूम)
			(झ) भण्डार गृह — 64 वर्गमीटर
			(ण) चौकीदार कक्ष — 18 वर्गमीटर
			(ट) मूत्रालय प्रति 30 विद्यार्थियों के लिये एक
			(ठ) शौचालय प्रति 100 विद्यार्थियों के लिये एक वालिकाओं के लिये अलग शौचालय-मूत्रालय
			(ड) उपयुक्त प्याऊ — 16 वर्गमीटर
			(ढ) सभा भवन — 12 x 18 वर्गमीटर
		(घ) सीनियर माध्यमिक विद्यालय	(क) प्रत्येक वर्ग के लिए अतिरिक्त कक्ष — 6 x 8 मीटर
			(ख) प्रधानाध्यापक कक्ष
			(ग) कार्यालय कक्ष
			(घ) अध्यापक कक्ष
			(ङ) भौतिक/रसायन/जीव विज्ञान विषयों के लिए प्रत्येक की 9 x 8 मीटर की प्रयोगशाला एवं भण्डार गृह की अतिरिक्त व्यवस्था
			(च) कृषि वर्ग हेतु :-
			(1) कक्षा, भवन प्रयोगशाला सहित — 12 x 8 मीटर
			(2) पशु गृह
			(3) औजार एवं वीज भण्डार एवं चारागृह — 5 x 3 मीटर
			(4) कृषि भूमि सिचाई सुविधायुक्त

1	2	3	4		
		(ड) महाविद्यालय	(1) कक्षा-कक्ष	कमरों की सख्या	आकार
			(क) कला सकाय	7	24'x36'
			(ख) वाणिज्य सकाय	4	24'x36'
			(ग) विज्ञान सकाय	6	24'x36'
			(2) विज्ञान सकाय प्रयोगशाला		
			(क) रसायन शास्त्र	2	24'x40'
			(ख) भौतिक शास्त्र	2	24'x40'
			(ग) प्राणी शास्त्र	1	20'x40'
			(घ) वनस्पति शास्त्र	1	20'x40'
			नोट : प्रत्येक प्रयोगशाला में एक भडार कक्ष, प्रायोगिक कक्ष, डार्क रूम, वैलेन्स रूम, प्राध्यापक कक्ष एव संग्रहालय व अन्य कक्ष हो।		
			(ड़) विज्ञान उद्यान		
			वनस्पति उद्यान	2000 वर्गमीटर	
			जन्तु उद्यान	500 वर्गमीटर	
			(3) प्रशासनिक भवन		
			(क) कार्यालय कक्ष	2	24'x40'
			(ख) स्टाफ रूप मय शौचालय	1	24'x40'
			(ग) भण्डार कक्ष	1	24'x40'
			(घ) प्राचार्य कक्ष	1	14'x12'
			(ड) उपप्राचार्य कक्ष	1	14'x12'
			नोट : इनके अतिरिक्त विद्यार्थी कल्याण सेवा, एन.सी.सी./ एन.एस.एस. आदि के कक्ष तथा शौचालय उपयुक्त आकार के।		
			(4) पुस्तकालय भवन महाविद्यालय के प्रारम्भ से 3 वर्ष में एक उपयुक्त पृथक् पुस्तकालय भवन का निर्माण		
			(5) प्राध्यापक कक्ष कम से कम दो कक्ष, प्रत्येक 40'x70' आकार के		

उक्त सभी प्रकार की संस्थाओं के पास छात्रों के स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं शारीरिक शिक्षा तथा अध्ययन कक्षों हेतु उपयुक्त व्यवस्था/प्रावधान होना आवश्यक है।

टिप्पणी : प्रत्येक तीसरे वर्ष विद्यालयों को भवन के सुरक्षित होने का प्रमाण-पत्र लोक निर्माण विभाग से लेना होगा।

3.	भूमि	(क) प्रा.विद्यालय	ग्रामीण क्षेत्र में 1 एकड तथा शहरी क्षेत्र में 200 वर्ग मीटर खेलकूद मैदान
		(ख) उ प्रा.विद्या.	ग्रामीण क्षेत्र मे 2 एकड तथा शहरी क्षेत्र में 1000 वर्ग मीटर खेल मैदान "खेलो की पर्याप्त व्यवस्था सहित

1	2	3	4
	-	(ग) मा. एव सी उच्च मा.	लगभग 5 एकड़ भूमि एव शहरी क्षेत्र में एक एकड़ भूमि
	-	(घ) महाविद्यालय	खूली भूमि (अ) 10 एकड भूमि (ब) खेल का मैदान - खेलों की पर्याप्त व्यवस्था सहित एक 400 वर्गमीटर का ट्रेक तथा वॉलीवाल एव बास्केटवाल के मेदान

उक्त सभी प्रकार की संस्थाओं के पास छात्रों के स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं शारीरिक शिक्षा तथा अध्ययन कक्षों हेतु उपयुक्त व्यवस्था प्रवधान होना आवश्यक है।◊R 1

4. वित्तीय	(क) प्रा. विद्यालय	आरक्षित कोष
आरक्षित कोष ◊R 1 [1. प्राथमिक स्तर 2000 2. उच्च प्राथमिक स्तर 5000] ◊R 2 [3. माध्यमिक स्तर 25000 4. उच्च माध्यमिक स्तर 50, 000]		(1) 50,000/- रुपये सावधि जमा खाते (एफ. डी.) मे होना चाहिये जो निकाले नहीं जाये। (2) सस्था के आय के स्रोत (अ) सस्था की नियमित आय का आंकलन एवं अन्य आय के स्थायी स्रोत का स्पष्ट विवरण (ब) स्रोत के नियमित, पर्याप्त तथा स्थायी होने की सुनिश्चितता का प्रमाण
	(ख) उ. प्रा. वि.	आरक्षित कोष 1,00,000/- रुपये सावधि जमा (एफ. डी.) खाते में होना चाहिए, जो निकाले नहीं जाने चाहिए। **आय के स्रोत** (अ) संस्था की नियमित आय का आकलन एवं उक्त आय के स्थायी स्रोत, होने का स्पष्ट विवरण (ब) स्रोत के नियमित, पर्याप्त तथा स्थायी होने की सुनिश्चितता का प्रमाण
	(ग) मा. एव सी. मा. विद्यालय	आरक्षित कोष तीन लाख रुपये की राशि सावधि जमा खाते में जिसे निकाला नहीं जायेगा **आय के स्रोत** (अ) सस्था की नियमित आय का आकलन एव ऐसी आय के स्थायी स्रोत होने का स्पष्ट विवरण (ब) स्रोतों के नियमित, पर्याप्त तथा स्थायी होने की सुनिश्चितता का प्रमाण

R 1 आदेश सं. प 3 (1) शिक्षण - 5/94 दिनांक 19/03/1994 उक्त संशोधन उच्चस्तरीय समिति की अतिम रिर्पोट आने व राज्य सरकार के निर्णय प्रसारण तक प्रभावी रहेगा। आदेश क्रमांक 6 पृष्ठ-

R 2 आदेश सं. प 3 (1) शिक्षण - 5/94 दिनाक 08/03/1999 पूर्व में आदेश क्रमांक दिनांक 19/03/94 में निर्धारित आरक्षित कोष 15000/- - 25000/- क्रमशः को 25,000/- व 50,000/- बोर्ड के विनियमों के अनुसार आरक्षित राशि करने के आदेश।

1	2	3	4
		(घ) महाविद्यालय	विश्वविद्यालय की शर्तो के अनुसार प्रत्येक महाविद्यालय में कम से कम निम्न सारिणी के अनुसार वित्तीय ससाधन होने चाहिए :-

क्रसं.	संकाय का नाम	स्नातक स्तर (राशि लाखों में)	स्नातकोत्तर स्तर (राशि लाखों में)
(1)	कला सकाय	2.00	2.50
(2)	वाणिज्य सकाय	2.00	2.50
(3)	विज्ञान संकाय (मय कृषि)	3.00	3.75
(4)	विधि संकाय	1.00	1.25

टिप्पणी :

1. महाविद्यालय की वित्तीय स्थिति हर हालत में सुदृढ़ होनी चाहिए तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गयी एण्डोमेण्ट राशि सस्था एव विश्वविद्यालय के सयुक्त नाम से किसी राष्ट्रीयकृत वैंक में जमा की जानी आवश्यक है।
2. सस्था के ससाधन के स्रोत ऐसे होने चाहिए जिससे नियमित आय हो एव उस आय से महाविद्यालय का खर्चा पूरा हो सके।
   (क) सस्था की नियमित आय का आकलन एवं अन्य आय के स्थायी स्रोतो का स्पष्ट विवरण
   (ख) स्रोत के नियमित, पर्याप्त तथा स्थायी होने की सुनिश्चतता का प्रमाण।
3. यदि किसी स्थिति में महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के ऐच्छिक विषय चार से अधिक हो तो अतिरिक्त राशि रुपये 25,000/- रुपये प्रत्येक ऐच्छिक विषय हेतु प्रायोगित तौर पर एण्डोमेन्ट फन्ड मे जोड़ी जानी चाहिए।

1	2	3	4	
5.	स्टाफ	(क) प्रा विद्यालय	कक्षाओं की सख्या के अनुरूप उतनी ही सख्या में प्रशिक्षित अध्यापक/न्यूनतम छात्र-अध्यापक अनुपात *40 : 1*	
		(ख) उ. प्रा. विद्यालय	(1) प्रधानाध्यापक (द्वितीय श्रेणी अध्यापक) प्रशिक्षित स्नातक	1
			(2) अध्यापक-प्रशिक्षित कक्षाओ की सख्या के अनुरूप	1
			(3) शारीरिक शिक्षक (प्रशिक्षित)	1
			(4) चतुर्थ श्रेण कर्मचारी	1
		(ग) मा विद्यालय	माध्यमिक शिक्षा वोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रकाशित निर्देश पुस्तिका (अधिनियम व सामान्य विनिमय) के अनुसार : *नवीं कक्षा को आरम्भ करने से पूर्व उन विषयों के शिक्षण के लिए जिनमें* विद्यालय को मान्यता दी जाये, वोर्ड द्वारा निर्धारित आवश्यक न्यूनतम योग्यता वाले अध्यापकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति वोर्ड द्वारा अनुशंसित वेतन श्रृखलाओं में करनी होगी। ये निम्नानुसार होगे :-	

2	3	4	
		(क) प्रधानाध्यापक	एक
		(ख) सहायक प्रधानाध्यापक (यदि छठी से दसवीं कक्षाओं में छात्र संख्या 700 से अधिक हो अथवा विद्यालय दो पारियों में चलता हो)	एक
		(ग) पुस्तकालयाध्यक्ष	एक
		(घ) लिपिक- यदि छात्र सख्या 500 तक हो तो वरिष्ठ लिपिक एक और कनिष्ठ लिपिक एक और 500 से अधिक छात्र संख्या पर वरिष्ठ लिपिक एक कनिष्ठ लिपिक दो	
		(ड) सेकण्डरी कक्षाओं में कोई अध्यापक दो से अधिक विषय नहीं पढायेगा	
		(च) प्रत्येक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए एक प्रयोगशाला सहायक और एक प्रयोगशाला सेवक होना चाहिए	
	(घ) सीनियर मा. विद्यालय	ग्यारहवीं कक्षा को प्रारम्भ करने से पूर्व उन विषयों के शिक्षण के लिए जिनमें विद्यालय को मान्यता दी जाये, बोर्ड के द्वारा निर्धारित आवश्यक न्यूनतम योग्यता वाले अध्यापक एव कर्मचारियों की बोर्ड द्वारा अनुशपित वेतनमान मे नियुक्ति करनी होगी। ये निम्न प्रकार होंगे -	
		(क) प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य	एक
		(ख) सहायक प्रधानाध्यापक (यदि छठी से 11वीं कक्षा तक की छात्र संख्या 700 से अधिक हो अथवा विद्यालय दो पारियों में चलता हो)	एक
		(ग) पुस्तकालयाध्यक्ष	एक
		(घ) लिपिक- यदि छात्र संख्या 900 तक हो तो एक वरिष्ठ लिपिक तथा तीन कनिष्ठ लिपिक	
		(ड़) अध्यापक वर्ग- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता आवश्यक होगी	
		(च) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान की प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए एक प्रयोगशाला सहायक तथा एक प्रयोगशाला से और गृह विज्ञान विषय के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होना चाहिए।	
	(ड़) महाविद्यालय	प्राध्यापक एवं अन्य स्टाफ	
		(1) प्राचार्य एव विद्यार्थियो की सख्या 300 से अधिक होने पर एक उपाचार्य	
		(2) प्रत्येक विषय में प्रति अध्यापक कालांश विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार	
		(3) पुस्तकालयाध्यक्ष	एक
		(4) पी.टी.आई	एक

1	2	3	4	
			(5) कनिष्ठ लेखाकार	एक
			(6) वरिष्ठि लिपिक	एक
			(7) कनिष्ठ लिपिक	तीन
			(8) बुक लिफ्टर	एक
			(9) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	सात
			नोट . विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि के अनुरूप अतिरिक्त कर्मचारी।	
6.	फर्नीचर तथा अध्ययन/ अध्यापन सामग्री	(क) प्रा. विद्यालय	फर्नीचर/अध्यापन/अध्ययन सामग्री	
		❖R 1(विद्यालय में पुस्तके, फर्नीचर एव छात्रापयोगी सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना आवश्यक है।)	1. फर्नीचर	
			(च) दरी पट्टियां वालकों/वालिकाओं की सख्या के अनुरूप	
			(छ) लोहे का बक्सा (4'x2'x2')	एक
			(ज) अध्यापकों हेतु कुर्सियां	छह
			(झ) अध्यापकों हेतु मेजें	छह
			(ञ) आलमारी	एक
			(ट) विद्यालय घण्टी	एक
			(ठ) दीवार घड़ी	एक
			(ड) दरी 15'x12'	दो
			2. अध्यापन सामग्री	
			(च) ब्लेक वोर्ड (कक्षा वर्ग हेतु संख्या के अनुरूप अतिरिक्त)	पांच
			(छ) पाठ्यक्रम	एक सैट
			(ज) पाठ्य पुस्तकें प्रति कक्षा हेतु	एक सैट
			(झ) अध्यापक सदर्शिका प्रति कक्षा हेतु	एक सैट
			(ञ) नक्शे (जिला, राज्य, देश, विश्व)	एक सैट
			(ट) ग्लोव	एक
			(ठ) विजडम व्लाक	एक सैट
			खिलौने (गुडिया, पशु, आकृतिया)	एक सैट
			(ड) विज्ञान सम्वन्धी	एक सैट
			(ढ) पेपर ट्रे	एक सैट
			(ण) चार्ट (पाठ्यक्रम के अनुसार)	एक सैट
			3. गणित/सामग्री उपकरण	
			गणित किट (एन.सी.ई.आर.टी.)	एक सैट
			4. संगीत उपकरण	
			(च) ढोलक	एक
			(छ) हारमोनियम	एक

R 1 आदेश सं. प 3 (1) शिक्षा- 5/94 दिनांक 19/03/1994 से समाविष्ट किया गया लेकिन ये आदेश उच्च स्तरीय की अतिम रिर्पोट आने व राज्य सरकार के निर्णय प्रसारण तक लागू रहेगा।

1	2	3	4	
			(ज) मजीरा	एक या दो जोड़े
			(झ) सरस्वती चित्र	एक
			5. **खेल उपकरण**	
			(च) कूदने की रस्सी	दस
			(छ) रबर बाल	दस
			(ज) रिंग मय नेट	पाच
			(झ) झूले की रस्सी मय टायर	एक
			6 **पुस्तकालय, पुस्तकें**	
			(च) सन्दर्भ पुस्तके - (अ) शब्द कोश- हिन्दी/अंग्रेजी	दो
			(ब) एनसाइलोपीडिया	एक
			(छ) बच्चों की ज्ञानवर्धक पुस्तकें 200 (एन.बी.टी. एव चिल्ड्रन बुक पुस्तके ट्रस्ट, नेहरू बाल पुस्तकालय)	
			(ज) वाचनालय हेतु दैनिक समाचार पत्र	एक
			(झ) बालोपयोगी पत्रिका	एक
			7. **विविध सामान**	
			(च) टकी - एक, 2. बाल्टी - दो 3 रामसागर - एक	
			(छ) गिलास - एक दर्जन, 2. कचरा पात्र - छह, 3. फावड़े- दो	
			(ज) तगारी - चार, 2. खुरपी - चार 3 फव्वारा पानी देने हेतु - दो	
			(झ) राष्ट्रीय ध्वज - एक	
			8. **विज्ञान सामग्री**	
			(च) प्राइमरी साइन्स किट (एन.सी.ई.आर.टी.)	एक सैट
			(छ) मिनी टूल किट (एन.सी ई.आर.टी.)	एक सैट
		(ख) उच्च प्रा. पूर्व प्रवेशिका विद्या.	प्राथमिक विद्यालय के लिए निर्धारित सामग्री के अतिरिक्त सामग्री :-	
			1. **नक्शे और चार्ट**	
			(च) ज्योमेट्री बाक्स लकड़ी का बड़ा	एक
			(छ) ग्लोब बड़ा	एक
			(ज) चार्ट पाठ्यक्रम के अनुसार	
			(झ) माडल्स पाठ्यक्रम के अनुसार	
			(ञ) नक्शे-जिला, राज्य, देश और विश्व	एक सैट
			(ट) प्राकृतिक, राजनैतिक, वन सम्पदा, खनिज एवं यातायात	
			(ठ) महापुरुषो के चित्र (विभिन्न)	पच्चीस

1	2	3	4	
			2. फर्नीचर	
			(च) उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु डेस्क मेज/स्टूल-वेंच (विद्यार्थियों की सख्या के अनुसार)	
			(छ) अध्यापक मेज और कुर्सी कक्षा/वर्ग अनुसार	
			(ज) प्रधानाध्यापक मेज	एक
			(झ) प्रधानाध्यापक कुर्सिया	पाच
			(ञ) अध्यापक कक्ष मेज वडी	एक
			(ट) अध्यापक कक्ष कुर्सी	पांच
			(ठ) आलमारी	
			प्रधानाध्यापक	दो
			परीक्षा और कार्यालय अभिलेख	दो
			3. खेल उपकरण	
			(च) फुटवाल	चार
			(छ) वालीवल मय नेट	चार
			(ज) हैन्डवाल	दो
			(झ) साफ्ट वाल	दो
			(ञ) शाट पुट (जूनियर)	एक
			(ट) डिस्क (जूनियर)	एक
			(ठ) जेवेलियन	एक
			4. पुस्तकालय	
			(च) दैनिक समाचार पत्र	दो
			(छ) वालोपयोगी पत्रिका	दो
			(ज) साप्ताहिका पत्रिका	एक
			(झ) पुस्तके	300 अतिरिक्त
			5. अध्ययन-अध्यापन सामग्री	
			(च) ब्लेक बोर्ड	कक्षा/वर्ग सख्या के अनुसार
			(छ) रोल अप बोर्ड	तीन
			(ज) पाठ्यक्रम	एक सैट
			(झ) पाठ्य पुस्तकें-प्रति कक्षा	एक सैट
			(ञ) अध्यापक संदर्शिता-प्रति कक्षा	एक सैट
			6. विज्ञान सामग्री एवं उपकरण	
			(1) कवर सहित काच का गैस जार 6"x2" हाइटेक	
			(2) प्लास्टिक टव 13"x4" ऊचाई	

1	2	3	4
			(3) 105 मि.मी. व्यास की प्लास्टिक कीप जिसमें 8 मि.मी. व्यास का छिद्र हो-टारसन या समकक्ष
			(4) काच की वुल्फ बोतल 250 मिली.-हाईटेक
			(5) प्लास्टिक का मापक सिलेण्डर-500 मि.ली. टारसन या समकक्ष ·
			(6) पीतल का स्प्रिट लेम्प-60 मिली
			(7) कांच का स्टोप कार्क वाला ब्यूरेट-50 मि.ली. x 1 x 10 मि.ली.
			(8) पिपेट 20 मि.ली.
			(9) वोरोसिल का वीकर-250 मि.ली.
			(10) कोनिकल फ्लास्क 100 मिली. "वोरोसिल"
			(11) परखनली 125 x 15 मिमी. "वोरोसिल"
			(12) धातु के आवरण वाली स्टोप क्लोक, जिसमें प्रारम्भ रुकने एव फ्लाई वैंक सुविधा हो, तथा जिसमें एक सैकण्ड तक की गणना भी की जा सके।
			(13) विद्यार्थी सूक्ष्मदर्शी, जिसमें अच्छे सन्तुलन हेतु रेक एवं पिनिपन तथा धीमी गति सुविधा हो तथा जिसमें तिहरे घुमाव वाली नोज पीस एवं आइरिस डाइफ्राम लगी हो, जिसमें चोकोर धरातल 110 x 110 मिमी. एव ओब्जेक्टिव 10x एव 45x एव आई पीस 10x एवं 15x जिसका कुल आकार वृद्धि कारण 675x हो जो ताले चाबी सहित लकड़ी के बक्से में हो।
			(14) ब्यूरेट के लिए 19 सेमी. तथा 2.5 सेमी. आकार के कास्ट आइरन आधार का स्टेण्ड जिसमें 60 सेमी. लम्बी एवं 1 सेमी. व्यास की लोहे की रोड हो तथा साथ में प्लास्टिक क्लेम्प हो- "टारसन" या समकक्ष
			(15) थर्मामीटर 10 डिग्री सेन्टीग्रेड से 110 डिग्री सेन्टीग्रेड का जो न्यूनतम 0.5 डिग्री सेन्टीग्रेड माप सके, 300 मि.मी. लम्बाई का जो पारे के पीछे चमकीला हो, कार्ड आवरण सहित।
			(16) पिच क्लिप निकिल किया गया मोटे लोहे का, लम्बाई 6.5 से.मी. भार 14.5 ग्राम
			(17) 3 निकल किये गये पीतल के पीस सहित कोर्क बर्नर सैट
			(18) 10 से.मी. लोहे के दाँते एवं 7 से.मी. लकड़ी के हत्थे वाली त्रिकोणात्मक रेती
			(19) नाईलोन का 33 से.मी. लम्बा गेल्वेनाइज्ड परखनली का ब्रुश, जिसमें 9 से.मी. लम्बा नाइलोन तन्तु तथा 4 से.मी. व्यास का तार का हत्था हो।
			(20) सफेद प्लास्टिक का 6 परख नलियो वाला स्टेण्ड वजन 38 ग्राम "टारसन" या समान श्रेणी का

1	2	3	4
			(21) 45 से.मी. लम्बा प्लास्टिक का स्केल जो इचों में भी विभाजित हो, वजन 54 ग्राम हो
			(22) दर्जी का नापने का फीता (फोल्डिग)
			(23) 1.5 वोल्ट की विद्युत मोटर
			(24) 2 इच लम्बी छड़ चुम्बक
			(25) 3 इंच व्यास की पोर्सलीन प्याली
			(26) 5½ इंच x 5½ इच की लोहे की जाली, जिसमे 10 से.मी. व्यास का एस्वेस्टस टुकड़ा लगा हो।
			(27) 30 से.मी. लम्बी एव 2 मि.मी. व्यास का एम.एस. वायर
			(28) 5 से.मी. व्यास का व्दिउत्तल लेन्स जिसकी फोकस दूरी 15 से.मी. तथा 25 से.मी. हो।
			(29) 5 से.मी. व्यास का व्दिअवतल लेन्स जिसकी फोकस दूरी 25 से.मी. तथा 30 से.मी. हो।
			(30) 3 से मी. व्यास की एल्युमिनियम की पूली, जिसमे एक हुक लगा हो।
			(31) 500 ग्राम वजन क प्लास्टिक चोडी स्प्रिग तुला जिसमें शून्य स्थिरीकरण सभव हो तथा जो 10 ग्राम का भी मापन कर सके।
			(32) कांच की चोकोर प्लेट जो पूर्ण रूप से पारदर्शी हो।
			(33) 5 से मी. व्यास का उत्तल दर्पण, जिसकी फोकस दूरी 20 सेमी.हो।
			(34) 5 से.मी. व्यास का अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 25 से.मी. हो।
			(35) 45 x 30 से.मी. का विना सिर का चीड की लकड़ी का तख्ता जिसमे 270 मि.मी./40/17 मि.मी. के सपोर्ट्स हो।
			(36) वेकेलाइट स्टेण्ड पर 0 3 एम्पीयर का डी. सी. एमीटर जिसमें न्यूनतम 0.05 एम्पीयर की धारा मापी जा सके। ओमेगा या समकक्ष
			(37) वेकेलाइट स्टेण्ड पर 2 5 वोल्ट का डी. सी. वोल्ट मीटर जिसमें कम से कम 0 05 वोल्ट के विभवान्तर को मापा जा सके। ओमेगा या समकक्ष।
			(38) 9 वोल्ट का शुष्क डी. सी. सैल
			(39) पीतल की चाबी सहित 75 x 50 x 10 मिमी. वेकेलाइट की मोटाई की "वन वे की" जिसमें एल्यूमिनियम के टर्मिनल हो व एल्यूमिनियम ब्लाक का आकार 47 x 9 x 10 मिमी. का हो।
			(40) तॉवे की डी. सी. तार 22 गेज
			(41) 1.5 वोल्ट के टार्च वल्व जिसमें प्लास्टिक होल्डर तथा टर्मिनल पेच लगे हो।

1	2	3	4
			(42) 2, 3, 4, 5, 6, 7 माप के रबर कार्क।
			(43) 150 मि.मी क्रूसीवल टगस्टन आइरन तार जिसका मुँह मुड़ा हो लकडी के हत्थे सहित।
			(44) 7.8 x 3 x 3 से मी आकार का प्लास्टिक बक्सा जिनमें पाच तैयार की गई स्लाइडें लगी हो-एपीथिलियम उत्तक, जन्तु कोशिका, मास पेशी ऊतक, एमीवा एवं रक्त स्मीयर।
			(45) तीन टागों वाले तिकोने लोहे की टाप वाले स्टेण्ड जिसमें एन. एस टॉगे काले रग से पुति हो तथा स्थायित्व के लिए-वाहर की ओर निकली हो, जिसके ऊपर का व्यास 85 मिमी. एवं ऊंचाई 150 मि.मी. हों
			(46) 19 मानक उपकरणों वाला डिसेक्सन वाक्स
			(47) सफेद प्लास्टिक की वाई ट्यूब जिसका अन्दर का व्यास 8 मि.मी. हो।
			(48) क्रोकोडाइल क्लिप स्प्रिग लोडेड डेरेटेड दाते जो क्लेम्प के साथ लगने वाले पेच और नालाकार विस्तार वाली लीड सहित हो।
			(49) चमकीली परत वाली चीनी मिट्टी का 80 मि.मी. व्यास का बीहाइव सेल्फ
			(50) 6 वोल्ट की विजली की घन्टी
			(51) 15 x 5 से.मी. आकार की सादे शीशे की पट्टी
			(52) 4.2 व्यास की प्लास्टिक की पन चकरी जिसके पखों की लम्बाई 3 से.मी. तथा कुल लम्बाई 10 6 से.मी हो तथा 6 पखों का भार 18 ग्राम हो।
			(53) 35 x 25 से मी. आकार की हार्ड बोर्ड चद्दर
			(54) इनैमल किया हुआ तॉबे का तार 22 एस.डब्ल्यू.जी.
			(55) इनैमल किया हुआ तॉबे का तार 26 एस.डब्ल्यू.जी.
			(56) 18 x 10 से.मी आकार की हार्ड वोर्ड स्लिट प्रत्येक 5 से.मी. लम्बी स्लिट मे एक-एक से.मी. की दूरी पर एक-एक मि मी. के तीन सुराख हो।
			(57) बिजली का वक्सा जिसमें वल्व व होल्डर लगा हो तथा जो 25 ग्राम एम. एस. परावर्तक परत का हो तथा जिसमे 5 से.मी. व्यास का लेन्स लगा हो, वक्से का आकार 16 x 10 x 10 से.मी. हो जिसमे 8 x 3 से.मी. आकार का हत्था लगा हो। यह वक्सा 40 वोल्ट वल्व, 2 मीटर लम्बे तार जिसमे दो पिन होल्डर लगे हो से सुसज्जित हो।
			(58) जेक्सन या समकक्ष 6 लीवर वाले दो चावियो वाले ताले।
			(59) 70 x 45 x 24 सेमी. आकार का 22 गेज पर गैल्वेनाइज्ड लोहे की चद्दर का वना बक्सा, जिसमें दो प्रकार के ताले लगाने की व्यवस्था तथा गैंती हत्थे, एक सामने तथा दो वक्से के वाजू मे लगे हों। जिसमें 30 x 18 से.मी. आकार की दो विभाजन सीटें भी लगी हो, जो वक्से को ऊपर 6 सेमी. चौड़ा तथा 8 सेमी. गहरा लम्बवत् विभाजित करती हो।

1	2	3	4	
			आवर्ती	अनावर्ती
		(ग) माध्यमिक विद्यालय	फर्नीचर/उपकरण के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत	प्रथम वर्ष 20,000/- न्यूनतम
		(घ) सी. मा. विद्यालय	फर्नीचर/उपकरण के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत	प्रथम वर्ष 20,000/- न्यूनतम
		(ङ) महाविद्यालय	फर्नीचर/उपकरण के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत	प्रथम वर्ष 1,00,000/- न्यूनतम
			नोट - माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालयों में। (1) कार्यालय, पुस्तकालय स्टॉफ रूम आदि में आवश्यक उपयुक्त फर्नीचर के साथ-साथ प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कुर्सी/वेंच ओर लिखने के लिए डैस्क/टेबिल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। (2) पुस्तकालय, विज्ञान, गृह विज्ञान एवं अन्य प्रयोजनों के लिए आवश्यक ससाधन/उपकरणो की व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा वोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित।	
7	फीस	(क) प्राथमिक विद्यालय	राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर विभिन्न फीसें ली जा सकेंगी।	
		(ख) उ. प्रा. विद्यालय	राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर विभिन्न फीसे ली जा सकेंगी।	
		(ग) मा. और सी मा.विद्या.	राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर विभिन्न सी.माध्यमिक विद्यालय फीसे ली जा सकेगी।	
		(घ) महाविद्यालय	राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर विभिन्न फीसें ली जा सकेगी।	
8.	गणवेश	(क) प्रा. विद्यालय	निर्धारण अनिवार्य नहीं होगा।	
		(ख) उ. प्रा. वि.	निर्धारण अनिवार्य नहीं होगा।	
		(ग) मा एवं सी. मा. विद्यालय	निर्धारण अनिवार्य नहीं होगा।	
		(घ) महाविद्यालय	निर्धारण अनिवार्य नहीं होगा।	
9.	पाठ्यक्रम	(क) प्रा. विद्यालय	राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित	
		(ख) उ. प्राथमिक विद्यालय	राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित	
		(ग) मा. और सी. मा. विद्यालय	माध्यमिक शिक्षा वोर्ड द्वारा निर्धारित	
			टिप्पणी : सभी सस्थाओं को समान परीक्षा योजना में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।	

1	2	3	4
		(घ) महाविद्यालय	1 जो विषय क्षेत्र में स्थित सीनियर माध्यमिक विद्यालयो मे पढ़ाये जाते है वे ही विषय नये खौले जाने वाले महाविद्यालय में पढ़ये जायेगे निम्नलिखित विषयो मे 10 विद्यार्थियों को छोडकर 25 विद्यार्थियों से कम होने पर नया विषय शुरू नहीं किया जायेगा। (1) ड्राइग एव पेटिग (2) सगीत (3) अग्रेजी साहित्य (4) सस्कृत (5) भूगोल (6) उर्दू/फारसी (7) दर्शनशास्त्र 2 निम्नलिखित विषयो में 10 विद्यार्थियो को छोडकर शेष विषयों मे कम से कम 20 विद्यार्थी नहीं होने पर स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओ में नये विषय नहीं खोले जायेगे :- (1) अग्रेजी साहित्य (2) सगीत (3) ड्राइंग एव पेटिग (4) समाजशास्त्र (5) भूगोल स्नातकोत्तर स्तर के विज्ञान संकाय में नये विषय प्रारम्भ करने हेतु पूर्वार्द्ध मे 10 विद्यार्थियो का होना आवश्यक है।
10.	छात्रावास	(क) प्रा. विद्यालय	कोई भी सस्था विभाग की पूर्वानुमति से ही छात्रावास सचालित कर सकेगी।
		(ख) उ. प्राथमिक विद्यालय	कोई भी सस्था विभाग की पूर्वानुमति से ही छात्रावास सचालित कर सकेगी।
		(ग) मा और सी. मा. विद्यालय	वालकों और वालिकाओं के लिए पृथक-पृथक छात्रावासों की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
		(घ) महाविद्यालय	वालको और वालिकाओं के लिए पृथक-पृथक छात्रावासो की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
11.	प्रवंध समिति	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/मा.विद्या./सी.मा. विद्यालय/	अनुदान नियमों के परिशिष्ट-1 के अनुसार
		महाविद्यालय	विश्वविद्यालय की शर्तो के अनुसार तथा सहायता प्राप्त शैक्षिक सस्थाओं के लिए समय-समय पर सशोधित सहायता अनुदान नियमों के अनुसार होगी।
12.		(क) प्राथमिक विद्यालय	(1) विद्यालय के आस-पास का वातावरण प्रदूषण रहित होगा। (2) सरकारी अथवा गैर-सरकारी सस्थाओं में कम से कम ½ किमी. दूरी हो तथा सस्था में न्यूनतम 75 विद्यार्थी हो।
		(ख) उच्च-प्राथमिक विद्यालय	(1) विद्यालय के आस-पास का वातावरण प्रदूषण रहित होगा। (2) 1 किमी. दूरी में अन्य सरकारी या गैर-सरकारी ऐसी सस्था न हो। शहरों के मामले में सम्बन्धित मौहल्ले में अन्य सरकारी/गैर-सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय न हो तथा कक्षा 6 से 8 में न्यूनतम 45 छात्र हो।
		(ग) मा. और सी.	(1) विद्यालय के आस-पास का क्षेत्र प्रदूषण रहित हो।

1	2	3	4
		मा विद्यालय	(2) 5 किमी दूरी में अन्य सरकारी या गेर सरकारी माध्यमिक विद्यालय/सीनियर माध्यमिक विद्यालय न हो। शहरों के मामले में उन मोहल्लों में अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी विद्यालय न हो।
		(घ) महाविद्यालय	*कोई भी महाविद्यालय स्वीकृत नहीं किया जायेगा-* (1) यदि 30 किमी. के वृत्त में सरकारी या गेर सरकारी महाविद्यालय हो या 450 से कम विद्यार्थी हो। (2) यदि किसी महाविद्यालय के 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 4 सीनियर माध्यमिक विद्यालय नहीं हो। (3) यदि प्रथम वर्ष की कक्षा में प्रथम बार में कम से कम 120 विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं हो एवं अन्य संकायों में कम से कम 60 विद्यार्थियों का प्रवेश न हो अर्थात् प्रथम वर्ष में जहां दो सकाय हो, कम से कम 180 छात्र और तीनों सकायों में 240 छात्रों का प्रथम वर्ष में प्रवेश हो। (4) किसी भी महाविद्यालय को तब तक स्थायी मान्यता नहीं दी जायेगी जब तक कि उसकी छात्र सख्या 200 नहीं हो जाती।
13	मान्यता फीस	(क) प्राथमिक विद्यालय	सामान्य सस्थाओं के लिए 250/- रुपये और विशिष्ट सस्थाओं के लिए 500/- रुपये की फीस जमा करानी आवश्यक है।
		(ख) उच्च प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए मान्यता फीस 500/- रुपये और विशिष्ट सस्थाओं के लिये 1000/- रुपये।
		(ग) मा. और सी. मा. विद्यालय	मान्यता आवेदन फीस 2000/- रुपये।*[R 1] माध्यमिक 5000/- ; उच्च माध्यमिक 7000/- ; अतिरिक्त विषय 2000/- ; अतिरिक्त सकाय*[R 2] 25000/-
		(घ) महाविद्यालय	मान्यता आवेदन फीस 5000/- रुपये।
14	वेतन भत्ते	(क) प्रा./उ.प्रा./ मा /सी.उ. मा. विद्यालय	सस्था में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार के नियमों के अनुसार वेतन, महगाई भत्ता एव भविष्य निधि सुविधाए उपलब्ध करायी जाये।
		(ख) महाविद्यालय	महाविद्यालय के शैक्षणिक अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतनमान, भत्ते एव अन्य सुविधाएं देना आवश्यक है। (सस्था को अनापति प्रमाण-पत्र देने से पहले इस विषय में वचन बध) देना *आवश्यक होगा।* नोट :- कर्मचारियों के खाते में जमा योग्य चैक से महीने की समाप्ति के पश्चात् अगले माह की 15 तारीख से पूर्व सदाय करना आवश्यक होगा।

R 1 आदेश सं. प 18 (3) शिक्षा- 5/2001 दिनांक 09/05/2001 मान्यता एव क्रमोन्नति पर फीस के संबंध।

R 2 आदेश सं. प 18 (3) शिक्षा- 5/2001 दिनांक 06/11/2002 मान्यता एवं आरक्षित कोष नई स्कूलों को वर्ष 2003 व 2004 हेतु आवेदन करने पर देने होंगे।

1	2	3	4
15.	विविध	सभी गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाए	सस्था किन्हीं साम्प्रदायिक तथा राजनैतिक कार्यकलापो मे भाग नहीं लेगी तथा किसी व्यक्ति विशेप अथवा राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होनी चाहिए।
16.	विद्यार्थी कल्याण	(क) महाविद्यालय	1. **केण्टीन एवं कामन रूम** विद्यार्थी कल्याण कक्ष के साथ-साथ कमरे (एक बालको व दूसरा बालिकाओ के लिए) प्रत्येक 24" x 40" तथा शौचालय 2. **क्रीड़ा कक्ष** प्रथम वर्ष में एक क्रीड़ा कक्ष आकार 10" x 24" और बाद में आवश्यकता -नुसार अतिरिक्त क्रीड़ा कक्ष। 3. **साइकिल-स्कूटर शेड** प्रथम वर्ष कम से कम 100 साइकिलें रखने योग्य साइकिल शेड तथा अगले वर्ष 100 साइकिलें और 50 स्कूटर रखने योग्य अतिरिक्त शेड एक विद्यार्थियों की सख्या में वृद्धि को देखते हुए आवश्यकता के अनुरूप।
		(ख) समस्त विद्यालय	विद्यार्थियो के शारीरिक व्यायाम, खेल एव प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था होगी तथा चरित्र निर्माण और नैतिकता की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा।
17.	निरीक्षण	समस्त शिक्षण सस्थाएँ	सस्था की जाच/निरीक्षण किसी भी समय शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। सस्था को सभी आवश्यक अभिलेख/विवरण तुरन्त उपलब्ध कराने होगे।

परिशिष्ट-3

मान्यता अनापति प्रमाण-पत्र हेतु प्राधिकृत अधिकारी*[R 1,2]

नियम 5 (1)

	संस्था की श्रेणी-	प्राधिकृत अधिकारी
क	(1) प्राथमिक विद्यालय	जिला शिक्षा अधिकारी वालक/वालिका
	(2) उच्च प्राथमिक विद्यालय	
	(3) मूक बधिर विद्यालय	
	(4) विमन्दित वाल विद्यालय	
	(5) प्रज्ञाचक्षु विद्यालय	
	(6) विकलाग विद्यालय	
	(7) मोन्टेसरी, पूर्व प्रांथमिक विद्यालय एवं वाल वाडी	
ख.	(1) क्लव	निरीक्षक शारीरिक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय वीकानेर
	(2) व्यायाम शाला तथा खेल एव शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी प्रवृत्तिया	
ग.	पुस्तकालय/वाचनालय	उपनिदेशक, समाज शिक्षा वीकानेर
घ.	(1) शोध सस्थान	निदेशक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, वीकानेर
	(2) सगीत विद्यालय	
	(3) शिक्षक, प्रशिक्षण विद्यालय	
	(4) विशिष्ट विद्यालय	
ड	सस्कृत विद्यालय	निदेशक, सस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
च	माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक विद्यालय	माध्यमिक शिक्षा वोर्ड, राजस्थान, अजमेर
छ	महाविद्यालय	निदेशक, कॉलेज शिक्षा एवं सस्कृत शिक्षा के माध्यम से आवेदन अग्रेपित कर राज्य सरकार से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करनी होगी।

R 1 आदेश सं.प. 19 (9) शिक्षा 5/93 दिनांक 21.2.98 (आदेश क्रय. 41) मान्यता/अनुपात प्रमाण-पत्र देने हेतु अधिकारों का प्रत्यायोजन

R 2 आदेश सं.प. 19 (9) शिक्षा 5/93 दिनाक 11.12.98 (आदेश क्रय. 66) मान्यता/अनुपात वापिस लेने के क्रम में।

परिशिष्ट-4

गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा अनुदान सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन

नियम 11 (1)

प्रेषक :-

....

....

....

प्रेषितः-

निदेशक,

.... .शिक्षा

राजस्थान, ...।

महोदय,

31 मार्च, 19..... ... को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान सहायता स्वीकृत करने हेतु आवश्यक सूचनाएं निम्न प्रकार प्रेषित है :-

(1) संस्था का नाम. ....

(2) सस्था की स्थपना की तारीख... . ...

(3) सस्था का वर्तमान स्तर... ....

(4) सस्था के राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिर्स्ट्रीकरण की तारीख (प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति सलग्न करे) ....

(5) सस्था का रजिस्ट्रीकृत विधान/उपनियम (प्रति सलग्न करे). . ...

(6) मान्यता सम्बन्धी विवरण-

(क) अस्थायी मान्यता की तारीख.......... ....

(ख) *अस्थायी मान्यता का स्तर*... . ...

(ग) स्थायी मान्यता की तारीख. ....

(घ) स्थायी मान्यता का स्तर... . ...

(ङ) मान्यता देने वाले अधिकारी का............................ ....

पद नाम (स्वीकृतियो की अनुप्रमाणित प्रतियां सलग्न करें)

(7) अनुदान का विवरण

(क) अनुदान प्राप्ति का वर्ष................................ ....

(ख) स्तर/विषय, जिसके लिए अनुदान प्राप्त हो रहा है..

(ग) प्राप्त अनुदान का प्रतिशत (स्वीकृति की प्रति सलग्न करें)

(घ) सस्था को गत वर्ष प्राप्त अनुदान की राशि.............. ....

(8) अध्यापको का कार्यभार (अध्यापकवार व कक्षावार समय विभाग चक्र सलग्न करें)...........................

(9) सस्था की प्रवन्ध समिति का विवरण

क्र.सं.	सदस्य का नाम पता	पद	निर्वाचन की तारीख
1	2	3	4

(10) शैक्षणिक कर्मचारियो पर व्यय

क्र.सं.	नाम अध्यापक	आयु	योग्यता	नियुक्ति की तारीख	अध्यापन कार्य का अनुभव	वेतन मान	वेतन	महंगाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9

मकान किराया	शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता	अन्य भत्ते	योग स्तंभ (8 से 12)	अध्यापक कार्य भार का विवरण	अन्य विवरण
10	11	12	13	14	15

(11) गत वर्ष की कक्षा वार विद्यार्थी सख्या और उपस्थिति का विवरण :-

क्र.सं.	कक्षा मय अनुभाग	कार्य दिवस	औसत दैनिक विद्यार्थी संख्या	पिछली 31 मार्च को वास्तविक छात्र संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6

(12) गत तीन वर्षो का पृथक-पृथक वर्प वार परीक्षा परिणाम

कक्षा	विद्यार्थी संख्या	प्रविप्ट	उत्तीर्ण	प्रतिशत	विशेप योग्यता	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7

(13) अशैक्षणिक कर्मचारियो पर व्यय :-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद	योग्यता	वेतनमान	वेतन	महगाई	मकान भत्ता किराया
1	2	3	4	5	6	7	8

शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता	अन्य भत्ते	योग स्तम्भ 6 से 10	अन्य विवरण
9	10	11	12

(14) आय का विवरण :-

क्र.सं.	आय की मद	गत वर्ष की आय	चालु वर्ष की अनुमानित आय	आगामी वर्ष की अनुमानित आय
1	2	3	4	5

(15) व्यय का विवरण :-

क्र.सं.	व्यय की मद	गत वर्ष का व्यय	चालु वर्ष की अनुमानित व्यय	आगामी वर्ष का अनुमानित व्यय
1	2	3	4	5

(16) स्थायी कोष :-

(क) गत 31 मार्च को स्थायी कोष की राशि ....

(ख) कोषधन किस प्रकार विनियोजित है। (पूर्ण विवरण). ....

(17) सम्पत्तियों का विवरण (जगम और स्थावर)

क्र.सं.	सम्पत्ति का नाम	क्रय या सनिर्माण का वर्ष	क्रय या सनिर्माण लागत	वर्तमान मूल्य	विवरण
1	2	3	4	5	6

(18) आवेदित अनुदान सहायता का विवरण

(क) स्तर

(ख) विषय/सकाय

(ग) प्रतिशत

तारीख.................

सस्था सचिव/अध्यक्ष

घोषणा-पत्र

उपर्युक्त सूचनाए पूर्णतया सत्य है तथा किसी भी तथ्य को जानबूझकर नहीं छिपाया गया है। सस्था राज्य सरकार द्वारा मान्यता और अनुदान सहायता देने हेतु बनाये गये नियमों का पालन करती रही है तथा भविष्य में भी करती रहेगी। सस्था के द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तो आदि) नियम, 1993 के उपबंधों और राज्य सरकार तथा शिक्षा निदेशक के आदेशों/निर्देशों की पालना न करने पर संस्था की मान्यता/अनुदान सहायता/स्थगित/समाप्त की जा सकेगी।

तारीख.................

हस्ताक्षर

संस्था सचिव/अध्यक्ष

परिशिष्ट-5

अनुदान हेतु संस्था की पैनल निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

नियम 11 (i)

(भाग-प्रथम)

1 विद्यालय का नाम :
2 सस्था के प्रधान का नाम :
3. सस्था में कार्य-ग्रहण की तारीख :
4. योग्यता :
5. वर्तमान निरीक्षण की तारीख :
6. निरीक्षण दल के सदस्य :
7 गत निरीक्षण की तारीख :
8. गत निरीक्षणकर्ता का नाम :
9 गत निरीक्षण की अनुपालना :
10. प्रेषण की तारीख :
11 कमियों का उल्लेख :
12. पूर्ति हेतु टिप्पणी :
13. विद्यालय कितनी पारियों में चलता है :
14 अध्यापक/कर्मचारी विवरण :
15. विद्यार्थी संख्या :

क्र.सं.	कक्षा	वर्ग		योग	उपस्थिति		योग
		बालक	बालिका		बालक	बालिका	

16. अध्यापक विद्यार्थी अनुपात :
17. टिप्पणी :
18. विद्यालय भवन :
19. टिप्पणी :
20. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण अभिलेख रखा जाता है या नहीं :

21. प्रधानाध्यापक द्वारा निरीक्षण :

विवरण	वर्तमान माह तक प्रस्तावित सख्या	अब तक सपादित संख्या
(क) शिक्षक		
(ख) लिखित कार्य		
(ग) प्रवृत्ति/कार्यालय कार्य		

22. टिप्पणी और सुझाव :
23. लिखित और शिक्षा कार्य का निरीक्षण (अध्यापन टिप्पणी) ·
24. शिक्षोपरान्त की उपलब्धि और इस विषयक टिप्पणी
25. रेडियो प्रसारण की व्यवस्था :
26. आन्तरिक मूल्यांकन का क्रियान्वयन .
27. कार्यानुभव/समाजोपयोगी उत्पादक कार्य और समाज सेवा .
28. समय विभाग चक्र कक्षावार और अध्यापकवार ·
29. पाठ्यक्रम विभाजन और लिखित कार्य की योजना का निर्माण
30. अध्यापक दैनन्दिनी की पूर्ति पर सामान्य अभिमत ·
31. पुस्तकालय : पुस्तकों की सख्या . विद्यार्थी सख्या :
32. वाचनालय-पत्र-पत्रिकाओं की सख्या : दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक योग
33. विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य
34. परीक्षा रजिस्टर :
35. प्रवेश रजिस्टर :
36. रोकड़ वही :
37. भण्डार रजिस्टर :
38. निरीक्षणकर्ता की टिप्पणी :

पैनल निरीक्षण दल के
सदस्यो के हस्ताक्षर

अनुदान प्राप्त संस्थाओं के स्तर के मूल्यांकन का प्रारूप
भाग-द्वितीय

1. सस्था का नाम :
2. वर्तमान अनुदान प्रतिशत तथा जब-जब प्रतिशत में बढोतरी हुई उसका पूर्ण विवरण ·
3. स्तर एव क्रमोन्नत वर्ष :
4. सस्था का भवन निजी है या किराये पर :

5. (अ) निम्न प्रवृत्तियों का मूल्याकन 60 अंकों के आधार पर :

प्रवृत्तिया	कुल अंक	प्राप्ताक
1. प्रयोगशाला	10	
2. अध्यापन व्यवस्था	10	
3. शैक्षणिक स्तर	10	
4. वेतन से भविष्य निधि व्यवस्था	10	
5. उच्चतर परीक्षा का परिणाम (उच्चतम कक्षा)	10	
6. अनुशासन	10	
कुल अक	60	

(व) निम्न प्रवृत्तियो का मूल्याकन 40 अर्को के आधार पर .

1. भवन की उपयुक्तता	5
2. फर्नीचर व्यवस्था	5
3 उपलब्ध पाठ्य सामग्री और उसका उपयोग	5
4. शैक्षिक योजना का क्रियान्वयन	5
5. क्रीडा स्थल व्यवस्था	5
6. सहशैक्षिक प्रवृत्तियों का सचालन	5
7 व्यवस्था (व्यावसायिक शिक्षा सहित)	5
8. कार्यालय अभिलेखा (विद्यार्थी प्रवेश रजिस्टर)	5
9. वित्तीय स्थिति	5
कुल अक	40

कुल अक 100 प्राप्ताक — वर्गीकरण

हस्ताक्षर मुख्य सदस्य निरीक्षण दल — हस्ताक्षर सस्था प्रधान — हस्ताक्षर सयोजक निरीक्षण दल

नोट : प्राप्तांको को गुप्त रखने हेतु निम्नाकित सकेतों का प्रयोग किया जाये।

प्रवृत्ति (अ) के लिए	प्रवृत्ति (व) के लिए
10 ए	5 ए
8 वी	4 वी
6 सी	3 सी
4 डी	2 डी
2 ई	1 ई (इसके आधार पर योग प्राप्त करे)

नोट : गत तीन वर्षो का औसत परीक्षा परिणाम भी अलग से दर्शाये।

पद मोहर

भाग तृतीया

निदेशालय......................शिक्षा, राजस्थान. ... .सस्था को सहायता देने के सम्बन्ध में अभिमत :-

1. सस्था सहायता प्राप्ति के लिए उपयुक्त है।
2. प्रवंध द्वारा प्रस्तुत सूचना की सत्यता की जाच कर ली गयी है।
3. अन्य कोई विशेष विवरण
4. सस्था को अनुदान सूची पर लेने/अनुदान प्रतिशत में वृद्धि/नये विषय व स्तर को अनुदान देने हेतु स्पष्ट सिफारिश।

हस्ताक्षर शिक्षा निदेशक

भाग-चतुर्थ

सन् 199........199.... . .तक के लिए सस्था को प्रतिशत अनुदान देने/नये विषय व स्तर को अनुदान देने हेतु अनुदान समिति की तारीख....... ....को हुई वैठक मे विचार कर सस्था को अनुदान देने/प्रतिशत में वृद्धि/नये विषय व स्तर को अनुदान देने का निर्णय लिया गया।

मजूरी अधिकारी के हस्ताक्षर और पद

परिशिष्ट-6

प्रवन्ध के अन्तरण के लिये आवेदन

नियम 10 (vi)

निदेशक,

.. . .शिक्षा,

....राजस्थान।

विषय **प्रवन्ध के अन्तरण के लिए अनुज्ञा।**

महोदय,

हम, अद्योहस्ताक्षरी प्रवन्ध के अन्तरण के लिए आपकी अनुज्ञा चाहने के लिए यह आवेदन निम्नलिखित विशिष्टियों के सहित प्रस्तुत करते हैं :-

क्र.स	विशिष्टयॉ	अतरित किये जाने के लिए प्रस्तावित सस्था	संस्था को कव अंतरित किया जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4

1 सस्था का नाम

2. पता

3 शिक्षा का वर्तमान स्तर

4. प्राप्त की जा रही आवर्ती सहायता अनुदान की स्तरवार प्रतिशतता

5. सकाय और कक्षा/अनुभागवार विद्यार्थियो की सख्या

6. सम्पत्तियों का व्यौरा (जगम) स्थावर सम्पत्तियो का पृथक-पृथक विवरण सलग्न करें।

7. विद्यालय/महाविद्यालय भवन
   - (क) कक्षा-कक्ष
   - (ख) पुस्तकालय
   - (ग) प्रयोगशालाए
   - (घ) खेल मेदान
   - (ड) अन्य सुविधाए

8. नकद और वैक में अतिशेप

9. आरक्षित निधि
10. विनिधान (सूची सलग्न करें)
11. अध्यापको की सख्या (सकाय/कक्षा और वेतनमान के अनुसार)
12. नयी सस्था मे विद्यार्थियो की शिक्षा की सभाव्यता
13. प्रस्तावित अतरण के लिए कारण
14. प्रबन्ध द्वारा पारित संकल्प (प्रति सलग्न करे)
15. अन्य विशिष्टयॉं

घोषणा

हम इसके द्वारा घोषणा करते है कि ऊपर उल्लिखित तथ्य और विशिष्टयॉं हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

अन्तरित की जाने वाली सस्था के सचिव के हस्ताक्षर तारीख

उस सस्था के अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर जिसको अन्तरित की जानी है

परिशिष्ट-7

संस्थाओं का विशेष प्रवर्गीकरण

नियम 13 (3)

किसी भी शैक्षिक सस्था को विशेष प्रवर्ग सस्था के रूप मे प्रवर्गीकृत करने के लिए मानदण्ड निम्नलिखित होंगे :-

1. सामान्य

(1) संस्था अध्यापन में कुछ नये शैक्षिक प्रयोग कर रही हो।

(2) सस्था ने शिक्षा केन्द्र के रूप मे बच्चों के साथ युक्तियो, तकनीकों और रूप भेदो पर प्रयोग, करके भिन्न-भिन्न विषयों को पढ़ाने की कार्यपद्धति मे उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की हो।

(3) सस्था ने शिक्षा कालावधि के दौरान बच्चों की समग्र शिक्षा में शिष्यो के कार्य का संचयी विस्तृत अभिलेख रखा है।

(4) संस्था ने संस्था की शिक्षा को सामुदायिक जीवन से सम्बन्ध रखा है ओर क्षेत्र में सामुदायिक विकास कार्य में हाथ बटाया है जिसके लिए अभिलेख भी रखा जाना चाहिए।

(5) *सस्था क्राफ्ट मे प्रशिक्षण दे रही, समुचित परिरूपण ओर सुन्दरता वाली विक्रेय वस्तुओं का उत्पादन कर रही* है और लेखे तथा अन्य आवश्यक अभिलेख रखती है।

(6) सस्था के पास सस्था में अध्यापन कार्य के साथ ही गृह कार्य का कोई समन्वित कार्यक्रम है।

(7) सस्था के पास नियमित पाठ्यक्रम सम्बन्धी क्रियाकलापों और अनुवर्ती कार्य की कोई उचित स्कीम है।

(8) सस्था के पास शारीरिक शिक्षा और चिकित्सीय निरीक्षण के लिए, उसके प्रभावी अनुवर्तन के सहित, नियमित व्यवस्था है और इसके लिए अभिलेख भी रखा जाना चाहिए।

(9) संस्था के पास दोपहर के भोजन या टिफिन की व्यवस्थायें है।

(10) सस्था क्राफ्ट, गृहविज्ञान आदि को सम्मिलित करते हुए वास्तविक अध्यापन के पाच घण्टों के सहित कम से कम दो सौ दिन कार्य करती हो।

(11) सस्था में, जीवन निर्वाह के प्रजातान्त्रिक तरीके मे प्रशिक्षण के लिए शिष्य सरकार हो।

(12) संस्था निम्नलिखित सकार्यों में मूल सृजनात्मक कार्य कर रही हो :-

(क) साहित्य

(ख) कला

(ग) क्राफ्ट

(घ) सास्कृतिक क्रियाकलाप अर्थात् सगीत, नृत्य और नाटक

(ड़) समाज शिक्षा

(च) महिला शिक्षा

संस्था, वयस्को और वच्चों के लिए उनकी आवश्यकताओ के अनुरूप मूल या अनुसधान या अनुमोदित साहित्य के सृजन के सम्वन्ध में पुरोगामी साहित्यिक कार्य में और मानविकी विज्ञान, वाणिज्य, ललित कलाओं और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा देने में तथा शैक्षिक कैम्प और यात्राओं का आयोजन करने में लगी हुई हो।

2. वित्त

विशेष के रूप में प्रवर्गीकृत होने के लिए किसी संस्था के पास पर्याप्त अध्यापन उपकरण, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, अन्य यन्त्र और साधित्र और खेल-मैदान होना चाहिए और उसमें कम से कम तीन वर्ष की कालावधि तक लगातार दक्षतापूर्वक कार्य किया हो।

3. प्रशासन

प्रवन्ध, अधिनियम और इन नियमों के अनुसार, अपने कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा व्यवस्था करता है।

4. लोक परीक्षाओं में अध्यापन परिणाम

सस्था लोक परीक्षाओं में साथ ही आतरिक परीक्षाओ में, जिनमे कम से कम सौ शिष्य बैठे हो, गत पांच परीक्षाओ के दौरान पचहत्तर प्रतिशत से और स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षाओं में अस्सी प्रतिशत से ऊपर परिणाम दिखाया हो। गुणात्मक रूप से परिणाम सतोषप्रद होने चाहिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय मे न्यूनतम प्रतिशत कक्षा 6, 7 और 8 में पचहत्तर विद्यार्थियो के नामांकन पर अस्सी होना चाहिए।

परिशिष्ट-8

गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को सहायता अनुदान के लिए अनुमोदित व्यय की अधिकतम सीमा

नियम 14 टिप्पण (vii)

क्र.सं.	सहायक अनुदान में निर्दिष्ट शीर्षक	तकनीकी /अभियांत्रिकी महाविद्यालय	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	स्नातक महा-विद्यालय	प्रशिक्षण महा-विद्यालय	सीनियर सैकेण्ड्री विद्यालय कक्षा 9 से 12	सीनियर सैकेण्ड्री विद्यालय कक्षा 6 से 12	प्रशिक्षण विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	मान्टेसरी विद्यालय (प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 3 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	वेतन										
	(अ) अध्यापक वर्ग (ब) मन्त्रालयिक कर्मचारी वर्ग	राजस्थान वेतन क्रम या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वेतन क्रम के अनुसार (जो अधिक हो) परन्तु कर्मचारियो के बढ़ने पर या वेतनमान अथवा महंगाई भत्ते के बदलने से होने वाले परिवर्तन से बढ़े हुए दायित्वो के लिए विभाग से पहिले स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए।									
	(स) च. श्रे. क.	परिशिष्ट-9 के अनुसार									
2.	भविष्य निधि❖R 3	वेतन व महंगाई भत्ते के 8.33 प्रतिशत से अधिक नहीं।									
3.	महगाई भत्ता	सरकार द्वारा स्वीकार की गई दरो से अधिक नहीं।									
4.	लेखन सामग्री एव मुद्रण	2000	3000	2500	2500	2000	2000❖R 1,2	1500	1000	600	500
5.	पानी और रोशनी खर्च	2500	2500	2000	2500	2500	2500❖R 1,2	1500	800	600	1000
				(रात्रि महाविद्यालयो के लिए 4000/- रुपये)							
6.	साज-सामान पर आवर्तक	विश्वविद्यालय की शर्तो के अनुसार व्यय						बोर्ड की शर्तो के अनुसार और शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए संलग्न सारिणी के अनुसार	500	300	1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	साधारण मरम्मत	(1) भवन-पक्के भवन के लिए लागत का एक प्रतिशत प्रतिवर्ष और कच्चे भवन के लिए दो प्रतिशत प्रतिवर्ष 25000/- तक इसकी जाच शिक्षा विभाग करेगा और अनुमान पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।									
	(2) फर्नीचर और उसका प्रतिस्थापन	3000	2500	2500	2000	2000	1500	1000	500	500	1000
8.	भवन किराया	वास्तविक खर्च (मूल रशीदें प्रस्तुत की जायेंगी) या सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये निर्धारण प्रमाण-पत्र पर, जो भी कम हो।									
9.	पुस्तकालय की पुस्तकें और वाचनालय पर किया जाने वाला खर्च	3000	विश्वविद्यालय की शर्त के अनुसार	-	3000	2000	2000	1500	500	300	500
10.	खेल, शारीरिक शिक्षापर अन्य सांस्कृतिक कार्यों पर शुद्ध खर्च	3500	3500	3000	3000	2000	2000	1500	1000	300	1000
	(1) क्राफ्ट तथा खेती/डेयरी पर किया जाने वाला खर्च	-	-	500	-	500	500	400	150	300	-
	(2) अध्यापकों द्वारा सम्मेलन में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय	सरकार द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ते के अनुसार।									
	(3) अनेक सस्थाओं का प्रवन्ध करने वाले केन्द्रीय कार्यालय का खर्च	(1) विभाग द्वारा अनुमोदित 10 लाख से अधिक किन्तु 20 लाख से कम का खर्च और तीन अलग-अलग संस्थाएँ रखती हो- (1) प्रवन्ध सचिव 1 (2) कनिष्ट लिपिक 1 (3) च. श्रे क. 1 (4) कार्यालय का आनुपगिक व्यय 2000/- 1						(2) 20 लाख या अधिक का विभाग द्वारा अनुमोदित व्यय तथा तीन या अधिक अलग-अलग सस्थाएँ रखती हो- (1) प्रवन्ध सचिव 1 (2) लेखाकार 1 (3) वरिष्ट लिपिक कम स्टैनो 1 (4) कनिष्ठ लिपिक 2 (5) च. श्रे. क. 2 (6) कार्यालय का आनुपगिक 4000/-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(4) डाक व्यय	विश्वविद्यालयों के मानदण्ड के अनुसार				2000	1000	500	400	300	400
	(5) अन्य फुटकर व्यय	" -- " -- "				1000	400	300	150	500	300

टिप्पणी .- पुस्तकालय की पुस्तकें और वाचनालय अगर उच्च प्राथमिक विद्यालय मे छात्रो की सख्या 300 से अधिक है तो 300 रुपये और प्राथमिक विद्यालय में छात्रो की संख्या 200 से अधिक हो तो 150/- रुपये स्वीकार किया जायेगा।

सारिणी (परिशिष्ट-8 से सलग्न)

शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए सामान तथा यन्त्रों हेतु आवर्ती अनुदान की सीमा

(1) ऐतिहासिक मानचित्र	150 00
(2) भूगोल	150.00
(3) चित्रकला	300 00
(4) सगीत	300 00
(5) यन्त्र और रसायन (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र)	500 00
(6) सामान्य विज्ञान	500.00
(7) गृह विज्ञान	500.00
(8) भारतीय शासन तथा नागरिक शास्त्र	75 00
(9) जीव विज्ञान	300.00
(10) कृषि	1000.00

R1. आदेश सं. पं. 20 (8) शिक्षा 5/91 दि. 25.7.98 द्वारा परिशिष्ट-8 के कॉलम स. 7 में व्यय हेतु जो राशि मान्य की गई है उतनी ही राशि कॉलम सं. 8 में वर्णित समस्त अनुदान प्राप्त माध्यमिक स्तर की शिक्षण संस्थाओं को मान्य की गई है। साथ ही कॉलम सं. 10 में वर्णित विशिष्ट श्रेणी की सस्थाओं को यदि उनमें सामान्य शिक्षा के अनुसार पढाई कराई जाती है तो जिस स्तर के लिये अनुदान की स्वीकृति दी गई है उसी स्तर की सामान्य शिक्षा के अनुसार कन्टीजेन्सी के लिए निर्धारित दर से भुगतान किया जावे अन्यथा कॉलम सं. 10 में दी गई ही दर से। (आदेश क्रमांक सं. 58)

R2. कॉलम सं. 8 में लेखन एवं मुद्रण तथा पानी और रोशनी मद में क्रमशः रुपये 200/- के स्थान पर 2000/- व 250/- के स्थान पर 2500/- रुपये संशोधित किया गया। यह संशोधन 1.4.93 से प्रभावी किया गया। (आदेश क्रमांक सं. 63)

R3. आदेश क्रमांक प 11 (22) शिक्षा-5/88 दिनांक 18/03/2000 भविष्य निधि अधिनियम के अनुसार अधिक दर से कटौति के बावजूद भी सरकार द्वारा 8.33 % से ही अनुदान देय होगा (आदेश क्र. 99)

परिशिष्ट-9

संस्था में मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या

(कृपया परिशिष्ट-8 की मद संख्या 1 देखें)

क्र.स.	शीर्षक	तकनीकी/ अभियांत्रिकी महाविद्यालय	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	स्नातक महाविद्यालय	प्रशिक्षण महाविद्यालय	सीनियर सैकेण्ड्री विद्यालय	सैकण्डरी शिक्षण	शिक्षक शिक्षण विद्यालय	उच्च विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	मान्टेसरी विद्यालय	छात्रा- वास	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	मन्त्रालयिक कर्मचारी												
1.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	1	1	1	1	1	--	--	--	--	--
2	वरिष्ठ लिपिक	2	2	2	1	1	1	1	--	--	--	--	--
3	कनिष्ठ लिपिक	2	2	2	2	2	2	2	--	--	--	--	--
	च.श्रेणी कर्मचारी												
1.	च.श्रेणी कर्मचारी	4	4	4	3	3	3	3	1	--	1	2	--
2.	चौकीदार	1	1	1	1	1	1	1	1	--	--	1	--
3.	जलधारी	1	1	1	1	1	1	1	1	--	1	--	--
4.	प्रयोगशाला सेवक (लेव वियरर)	प्रत्येक विषय के लिए प्रयोगशाला सधारित होने पर प्रत्येक वर्ग-विषय के लिए एक लेव वियरर											
5.	गेस यन्त्र के लिए मिस्त्री	--	--	1	1	1	1	1	1	--	--	--	--
6	सफाई कर्मचारी	1	1	1	1	1	1	1	1	--	--	1	--
7.	फर्राश	2	2	2	2	2	1	1	--	--	--	1	--
8	गेम्स बाय	1	1	1	1	1	1	1	--	--	--	--	--
9.	बागवान	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

सं.	शीर्षक	तकनीकी/ अभियांत्रिकी महाविद्यालय	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	स्नातक महाविद्यालय	प्रशिक्षण महाविद्यालय	सीनियर सैकेण्ड्री विद्यालय	सैकण्डरी शिक्षण	शिक्षक विद्यालय	उच्च विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय (प्राथमिक	मान्टेसरी विद्यालय	छात्रा-वास	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	पुस्तकालय परिचारक	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--
	च.श्रेणी कर्मचारी सीनियर सैकेण्ड्री विद्यालय मे शिल्प के विभिन्न पाठ्यक्रमो के लिए												
1	कृषि खेतीहर कर्मचारी	--	--	--	1	--	2	--	--	--	--	--	--
2	ललित कला (फाइन आर्ट्स)	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--
3	गृह विज्ञान	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
4.	वाणिज्य	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--

टिप्पणी

1. गेम्स बॉय - समस्त सीनियर सैकेण्ड्री विद्यालय एवं सैकेण्ड्री विद्यालयों में जहा विद्यार्थियो की संख्या 300 से अधिक हो व समस्त विद्यार्थियो के लिए पर्याप्त रेल की सुविधा हो।
2. वागवान - सैकेण्ड्री एव सीनियर सैकेण्ड्री विद्यालयों मे जहा संस्था वाग का सधारण करती हो और पूरे समय के लिए कार्य हो तो वागवान रख सकेगी।
3. पुस्तकालय परिचायक - समस्त सैकेण्ड्री एवं उच्च स्तर की सस्थाओं मे जहा, अलग से पुस्तकालयाध्यक्ष हो, एवं पुस्तको के जारी करने की प्रक्रिया प्रतिपादित करती हो। पुस्तको के जारी करने की खुली अलमारी कार्य मे लिए जाने पर एक अतिरिक्त पुस्तकालय परिचायक।
4. मान्टेसरी विद्यालय - यदि उच्च प्राथमिक वर्ग हो और छात्रो की सख्या 200 से अधिक हो तो एक अतिरिक्त च. श्रेणी कर्मचारी और एक अतिरिक्त जलधारी रखा जा सकेगा।
5. जहा एक ही भवन मे दो शिफ्ट (पारिया) चलती है वहा एक अतिरिक्त चौकीदार
6. सैकेण्ड्री विद्यालय और उससे नीचे के स्तर के विद्यालयों में जहा विद्यार्थियो की सख्या 500 से अधिक हो तो एक अतिरिक्त फर्राश।
7. कृषि खेतीहर कर्मचारी सस्था द्वारा निर्धारित विपय पर निर्भर है।

परिशिष्ट-10

विभागीय अधिकारियों के अधिकारों की अनुसूची

नियम 16 (डी)

क.सं.	व्यय का नाम	सरकार	शिक्षा निदेशक	उप निदेशक/संस्कृत निदेशक मण्डल	जिला शिक्षा अधिकारी	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	नियुक्ति	समस्त	1. निर्देशक महाविद्यालय 1. व्याख्याता 2. 2650 से 4000 तक के वेतनमान के पद◆R 1	—	—	—
			2. निर्देशक माध्यमिक शिक्षा◆R 2 1. प्रधानाध्यापक, उ.मा.वि. 2. प्रधानाध्यापक, मा.वि. 3. 2450 से 4000 तक के समस्त पद	1. स्कूली व्याख्याता 2. कार्यालय अधीक्षक 3. कार्यालय सहायक	1. अध्यापक ग्रेड- II 2. अध्यापक ग्रेड-III (यदि मा वि.में कार्यरत है) 3. वरिष्ठ लिपिक 4. कनिष्ठ लिपिक 5. च.श्रे.कर्मचारी 6 पुस्तकालय सहायक 7. स्वीकृत अन्य सभी पद वेतन शृखला 1400-2600 तक	
			3. निर्देशक प्राथमिक शिक्षा◆R 2	1. प्रधानाध्यापक उ. प्रा. विद्यालय 2. कार्यालय अधीक्षक 3. कार्यालय सहायक	1. प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त अध्यापक ग्रेड- II 2. अध्यापक ग्रेड- III 3. वरिष्ठ लिपिक 4. कनिष्ठ लिपिक 5. च.श्रेणी कर्मचारी 6. सभी पद वेतन शृखला 1400-2600 तक	

1	2	3	4	5		6	7
			4. निदेशक तकनीकी शिक्षा 1. व्याख्याता 5. निदेशक संस्कृत शिक्षा*R2	प्राचार्य, आचार्य महाविद्यालय अपने क्षेत्र के	सहा.निदेशक संस्कृत शिक्षा शिक्षा निदेशालय	संभागीय शिक्षा अधिकारी (अपने क्षेत्र के विद्यालय में)	
			1. प्राचार्य, शास्त्री/उपाध्याय महाविद्यालय 2. प्रोफेसर, आचार्य महाविद्यालय	1 व्याख्याता	1. प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका वि. 2. कार्या.अधीक्षक (जहां स्वीकृत हो)	1. कार्यालय सहायक 2. अध्यापक ग्रेड-II 3. अध्यापक ग्रेड-III 4. वरिष्ठ लिपिक 5. कनिष्ठ लिपिक 6. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 7. अन्य सभी पद वेतन शृंखला 1400 - 2600 तक	
2.	प्रबन्धको के निर्णय के विरुद्ध कर्मचारी द्वारा अपील			मद सख्या 1 मे दी गई शक्ति के अनुसार प्रथम अपील/द्वितीय अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी से उच्च अधिकारी को	—	ऐसी सस्था के कर्मचारी द्वारा प्रथम अपील जो तीन या तीन स अधिक सस्थाये चलाती है तथा जिसका वार्षिक खर्च दस लाख से अधिक हो, निदेशक के पास की जावेगी और दूसरी बार अपील सरकार के पास होगी।	
3.	नवीन पदो के सृजन का अनुमोदन		समस्त अधिकार	—	—	—	—
4.	स्तर क्रमोन्नति/नये विषय खोलने की स्वीकृति		समस्त अधिकार	—	—	—	—
5	नया वर्ग खोलने के लिए अनुमोदन		समस्त अधिकार	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
6.	अनावश्यक व्यय का अनुमोदन		सहायता अनुदान समिति की राय से 50,000 से ऊपर के समस्त अधिकार	सहायता अनुदान राशि की राय से 50,000 तक	—	—
7.	सविधान के लिए अनुमोदन		समस्त अधिकारर	समस्त अधिकार (स्कूल शिक्षा)		
8.	अनावर्तक अनुदान स्वीकृत बजट के अनुसार		महाविद्यालय शिक्षा समस्त अधिकार	रु. 50,000/- तक--	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय
9.	नई संस्थाओं की सहायता अनुदान की स्वीकृति		अनुदान सहायता समिति की राय से समस्त अधिकार	—	—	—
10.	राज़स्थान के वाहर की संस्थाओं को		अनुदान सहायता समिति की राय से समस्त अधिकार	—	—	—
11.	अनुदान प्राप्त कर रही संस्था की सहायता अनुदान की स्वीकृति		समस्त अधिकार	स्वीकृति अनुदान प्रतिशत तक समस्त अधिकार / स्वीकृत अनुदान प्रतिशत तक समस्त अधिकार	स्कूल शिक्षा हेतु —	—

1	2	3	4	5	6	7
12.	संस्था की श्रेणी का परिवर्तन	समस्त अधिकार	--	--	--	--
13.	विशेष वेतन वृद्धि व स्तर के वेतन (हायर स्टार्ट) स्वीकृत करना	समस्त अधिकार	--	--	--	--

R1. आदेश सं. प 11(17) शिक्षा 5/91 दि. 01.10.97 (आदेश क्रमांक 25) जिन पदों के लिए निर्देशक को नियुक्ति हेतु सक्षम घोषित किया गया हैं। ने इस वेतन शृखला के पदों पर नियुक्ति के अधिकार प्रत्यायोजित किय गये है।

R2. आदेश सं. प 10(12) शिक्षा 5/93 दि. 19.03 98 (आदेश क्रमांक 43) द्वारा नियुक्ति सम्बन्धी विस्तृत अधिकारों का प्रतियायोजन किया गया है। उसे ऊपर दिखाया गया है, शेष नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार राज्य सरकार में सन्निहित होंगे।

संदर्भ हेतु आदेशों के पूर्व के नियुक्ति अधिकार नीचे दिये गये है।

1	2	3	4	5	6	7
1.	नियुक्ति का अनुमोदन	समस्त अधिकार	1 निदेशक (महाविद्यालय) व्याख्याता तक 2. निदेशक (प्रा.एवं मा. शिक्षा) (अ) प्रधानाध्यापक (ब) प्रधानाध्यापक सीनियर माध्यमिक विद्यालय (स) व्याख्या स्कूल शिक्षा (द) कार्यालय सहायक व कार्यालय अधीक्षक 3. निदेशक (निदेशक तकनीकी शिक्षा) व्याख्याता 4. निदेशक (संस्कृत शिक्षा) संस्कृत व्याख्याता तक	.. .. 1. प्रतिशत स्नातक 2. वरिष्ठ अध्यापक 3. वरिष्ठ लिपिक	.. अध्यापक .. कनिष्ठ लिपिक.. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ..	

परिशिष्ट-11

बन्धक विलेख

सहायता अनुदान की रकम के आधार पर स्टाफ लगाये जायेंगे और रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा

नियम 16 (ज)

यह बन्धक विलेख.............. .... .के दिनांक..... .... को एक ओर राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी............. जिसका मुख्यालय...................में है। जिसे इसमें आगे बन्धक कर्ता कहा गया है और जिस अभिव्यक्ति में उसके समापक, शासकीय रिसीवर और समनुदेशिती सम्मिलित होंगे) और दूसरी ओर राजस्थान राज्य के राज्यपाल, (जिन्हें इसमें आगे सरकार कहा गया है) के बीच किया गया।

यत......... .... में... ... . नामक शैक्षिक संस्था का बंधककर्ता स्वामी है। उसे चलाता और संधारित करता है।

और यत. बन्धककर्ता ने.......... ....के प्रयोजन के लिए.. .. ..रुपये की सहायता अनुदान के लिए सरकार को आवेदन किया है और यत. सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसे मामलों में संबधित तत्समय प्रवृत नियमों के अनुसार उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए बन्धककर्ता ने इस प्रकार आवेदन किया है, सहायता अनुदान दिया जा सकता है और तदनुसार सरकार ने शिक्षा निदेशक की सिफारिश पर बन्धककर्ता को . . . . रुपये का अनुदान स्वीकृत और संदत्त किया है।

और यतः बन्धककर्ता इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित, और विशिष्टतः इससे संलग्न रेखांकन में अंकित और चिन्हित सम्पति (जिसे इसमें आगे उक्त सम्पत्ति कहा गया है) का स्वामी है।

और यतः यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि सहायता अनुदान का उपयोग किसी भी समय उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाये जिसके लिए वह दिया गया हैं, बन्धककर्ता, उक्त सम्पति को इसमें आगे वर्णित रीति से बन्धक करने के लिए सहमत हो गया है।

साक्षी-1. ....

साक्षी-2. ....

उपर्युक्त संस्था के फायदे के लिए....................के प्रयोजन के लिए..................रुपये के सहायता अनुदान की राशि के सरकार के द्वारा बन्धककर्ता को संदाय (जिसकी प्राप्ति को बन्धककर्ता एतद्द्वारा स्वीकार करता है) के प्रतिफल स्वरूप बन्धककर्ता एतद्द्वारा सम्पत्ति को सादा बन्धक के समस्त विलगनों से इस आशय से मुक्त घोषित करता है कि यदि इसके पश्चात् किसी भी समय एतद्द्वारा किये जा रहे सहायता-अनुदान का रकम या उसके द्वारा सृजित आस्तियां उस प्रयोजन

से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाती है जिसके लिए वह दिया गया है या यदि उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसका कोई भी भाग किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिये प्रयुक्त किया जाता है तो उक्त सस्था के शैक्षिक प्रयोजन से या उन प्रयोजनों से भिन्न है जो, उक्त सस्था के जिस प्रयोजन के लिए प्रारम्भ किया गया था उसके अनुसार उसके सधारण से विधि सम्मत रूप से सम्वन्धित हो तो, और ऐसी ही प्रत्येक दशा में सरकार द्वारा वन्धनकर्ता से एतद्द्वारा दी जा रही रकम से अन्यून ऐसी राशि वसूलीय होगी जो उस तारीख को जव यह राशि वसूलीय होती है, उक्त सम्पत्ति के इसमें इसके पश्चात् उपवन्धित रीति से निर्धारित मूल्य के उस अनुपात के वरावर हो जो ....रु. के अनुदान की उक्त रकम का उक्त सम्पत्ति के मूल्य के साथ इस विलेख की तारीख को है और जिसका प्राक्कलन . ... रु. है ओर ऐसी राशि से संदाय के व्यक्तिक्रम की स्थिति मे, सरकार को, किसी न्यायालय के हस्तक्षेप के विना, उक्त सम्पत्ति को या उसके किसी भाग को, या तो इक्ट्ठा या टुकडों में तथा या सार्वजनिक नीलामी से या प्राइवेट सविदा द्वारा, और हक अथवा हक के साक्ष्य से तथा सरकार द्वारा उचित समझे गये किन्हीं भी अन्य मामलों से सम्वन्धित अन्य शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, वेच देने की या वेच देने में किसी भी व्यक्ति से सहमत हो जाने की तथा विक्री की किसी भी सविदा में फेरफार कर देने तथा किसी भी अवसर पर सम्पत्ति को स्वय खरीद लेने या विक्री की किसी भी सविदा को लेने या विक्री की किसी भी सविदा को विखण्डित कर देने की शक्ति होगी और वह इससे होने वाली किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगी .

परन्तु सदैव यह कि उस राशि का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए जो इसके द्वारा सृजित प्रतिभूति के आधार पर सरकार द्वारा वसूलीय हो सकती है, उक्त सम्पत्ति का उस समय का मूल्य जव कि सरकार इसके द्वारा सृजित प्रतिभूति को प्रवृत्त कराना चाहती है, सरकार द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा निर्धारित किया जायेगा जिन्हें इस निमित्त सरकार द्वारा नियुक्त किया जाये और वह ऐसा निर्धारित वन्धककर्ता के लिए आवद्धकर होगा।

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची

उक्त सम्पत्ति का वर्णन

उत्तर .

दक्षिण :

पूर्व .

पश्चिम :

जिसको साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षकारों ने उस तारीख को और उस रीति से हस्ताक्षर किये जो नीचे उपदर्शित हैं.-

राज्यपाल के लिए	वन्धककर्ता के लिए
हस्ताक्षर..................... .	हस्ताक्षर......................
तारीख......................	तारीख......................
पद........................	पद........................
	सकल्प सख्या.................दिनाक......................
	के सगम-अनुच्छेद स. ....
	द्वारा प्राधिकृत
साक्षी-1.	साक्षी-1. ....
साक्षी-2.	साक्षी-2. ....

परिशिष्ट-12

वचन-बंध
नियम 10 (xxiv)

मै................. .... पुत्र . .. .
आयु................वर्प........... ..जाति. ....निवासी ....वर्तमान
निवास........................... ....सचिव/प्रवन्धक/अध्यक्ष, ...
.... (सस्था का नाम), सकल्प स. ....दिनाक ....
के द्वारा जैसा कि मुझे राज्य सरकार में सहाय प्राप्त करने और सस्था के समस्त लेखो का परिनिर्धारण करने के लिए सशक्त किया गया है, एतद् द्वारा, यह वचन देता हू कि मै उन सशक्त हानियो, गवनों, दुर्विनियोगो और अनियमितताओं के लिए यदि वे कोई भी उपर्युक्त सस्था के अध्यक्ष/सचिव के रूप मे मेरे कार्यकाल के दौरान हो, के लिए व्यक्तिश. उत्तरदायी होऊँगा और राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 और राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तो आदि) नियम, 1993 के उपवब्धो, तथा राज्य सरकार और शिक्षा निदेशक तथा प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशो/अनुदेशो, का पालन करूंगा।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : पद

परिशिष्ट-13

सेवाकाल में वृद्धि के लिए आवेदन

नियम 45 (vi)

(1) कर्मचारी का नाम
(2) सस्था का नाम, स्थान और जिला
(3) धारित पद
(4) नियुक्ति की तारीख
(5) अर्हताएं
  (क) शैक्षणिक
  (ख) तकनीकी
  (ग) प्रशिक्षण
  (घ) अन्य
(6) वेतनमान और लिया जा रहा वेतन
(7) जन्म तारीख (माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित फोटो प्रतियाँ संलग्न करें)।
(8) अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने की तारीख
(9) सेवाकाल में वृद्धि के कारण
  (क) गत तीन वर्षों के परीक्षा परिणाम
  (ख) उत्कृष्ट उपलब्धियाँ
  (ग) अन्य क्रियाकलाप
(10) स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी का मूल प्रमाण-पत्र सलग्न करें)

घोषणा

मैं, इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर वर्णित विशिष्टयाँ मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

कर्मचारी के हस्ताक्षर

सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि :

(क) कर्मचारी के द्वारा ऊपर वर्णित विशिष्टयां अभिलेख आदि के आधार पर सत्यापित की गयी है और सही पायी गयी है।

(ख) प्रबन्ध समिति ने, अपने दिनाक..............को पारित सकल्प (प्रति संलग्न करें) के द्वारा, सेवाकाल में वृद्धि के लिए मामले की सिफारिश करने का सकल्प पारित किया है।

(ग) कर्मचारी सेवा वृद्धि की सिफारिशीकृत कालावधि के दौरान दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए उपयुक्त है।

सलग्नक . उपर्युक्त
दिनांक .

प्रबन्ध की ओर से
सचिव/अध्यक्ष के हस्ताक्षर

परिशिष्ट-14

अध्ययन-ऋण बन्ध-पत्र

नियम 53 (5)

यह सबको ज्ञात हो कि मैं........... ....निवासी....... .... जिला..............जो कि अभी सस्था.......................में.........................के रूप मे नियोजित हू, स्वय को और अपने वारिसों/निस्पादको और प्रशासको को ....सस्था द्वारा मांग किये जाने पर......... . रु. ....रुपये राशि तथा उस पर मांग के दिनाक से ऋण में के लिए तत्समय प्रवृत्त दर से लगे व्याज का सदाय करने के लिए या, यदि सदाय भारत से भिन्न किसी देश मे किया जाता है तो उस देश और भार के वीच की विनिमय की शासकीय दर से संपरिवर्तित की हुई उस देश की करेंसी की उक्त रकम से समतुल्य मूल्य का और प्राधिकारी तथा ग्राहक के वीच के समस्त खर्चो और उन समस्त प्रभारों तथा व्ययो का, जिन्हे सस्था द्वारा उपगत किया गया हो या किया जा सकता हो, संदाय करने के लिए वचनवद्ध करता हूं।

सन् उन्नीस सौ................के .... . . .दिन दिनाकित।

यतः उक्त वचन वद्ध को सस्था द्वारा अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा रहा है और यत. सस्था के सुसरक्षण के लिए उक्त वचनवद्ध इसके नीचे लिखी शर्त पर वन्ध-पत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है।

अव ऊपर लिखी वाध्यता की शर्त यह है कि उस दशा मे जवकि उक्त वचनवद्ध अध्ययन-अवकाश की अवधि की समाप्ति या पर्यवसान के पश्चात् काम पर वापस न आकर या काम पर वापस आने के पश्चात् की..........वर्ष की अवधि के भीतर सेवा से त्याग-पत्र दे देता है या सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह माग किये जाने पर तुरन्त सस्था को या संस्था जैसा निर्देश दे उसके अनुसार...............रु. (.. .. . रुपये) की राशि तथा उस पर माग के दिनांक से ऋणों के लिए तत्समय प्रदत्त दर से लगे व्याज का संदाय करेगा।

और उक्त वचनवद्ध के ऐसा संदाय कर देने पर ऊपर लिखी वाध्यता शून्य और निष्प्रभावी हो जायेगी, अन्यथा यह संपूर्वतः प्रवृत्त और प्रभावी होगा और रहेगा।

इस वन्धपत्र पर सदेय स्टाम्प शुल्क का वहन करने के लिए सस्था सहमत हो गयी है। उपर्युक्त वचनवद्ध

....

के द्वारा हस्ताक्षरित और — प्रतिभू-1

परिदत्त — प्रतिभू-2

....

की उपस्थिति में

संस्था के लिए और उसकी ओर से स्वीकृत।

दिनाक...................... — अध्यक्ष/सचिव

परिशिष्ट-15

अभिदायी भविष्य निधि के लिए नामनिर्देशन का प्ररूप

नियम 69 (iii)

I. जब अभिदाता का परिवार हो और उनमें से एक सदस्य को नाम निर्देशित करना चाहता हो :-

मैं इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति, को जो मेरे परिवार का सदस्य है, वह रकम प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित करता हू जो उस रकम के सदेय हो जाने के पूर्व मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में मेरे खाते मे हो या सदेय हो जाने पर सदत्त नहीं की गयी हो :-

नाम निर्देशिती का नाम और पता	अभिदाता से सम्बन्ध	आयु	आकस्मिकताएं जिनके घटने पर नाम निदेशक अविधिमान्य हो जायेगा	ऐसे व्यक्ति यदि कोई हो, का नाम, पता और संबंध जिसको नाम निर्देशिती का अधिकार अभिदाता से पूर्व उसकी मृत्यु होने की दशा में संक्रात हो जायेगा
1	2	3	4	5

दिनाक :

स्थान

अभिदाता के हस्ताक्षर

दो साक्षियो के हस्ताक्षर

1 . . ..

2. ... .

II जब अभिदाता का परिवार हो और उसमें से एक से अधिक सदस्यों को नाम-निर्देशित करना चाहता हो-

मैं, इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, को, वह रकम प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित करता हू, जो उस रकम के सदेय हो जाने के पूर्व मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में, मेरे खाते में हो या सदेय हो जाने पर सदत्त नहीं की गयी हो और निर्देश करता हू कि उक्त रकम उक्त व्यक्तियों में उनके नामों के सामने दर्शित रीत से विभाजित की जायेगी :-

नाम निर्देशिती का नाम और पता	अभिदाता से संबंध	आयु	संचयन की रकम का अंश जो प्रत्येक को संदत्त किया जाना है	आकस्मिकताएं जिनके घटने पर नाम निर्देशन अविधिमान्य हो जायेगा	ऐसे व्यक्तियों, यदि कोई हो, के नाम पते और संबंध जिनको, नाम निर्देशिती का अधिकार अभिदाता से पूर्व उनकी मृत्यु होने की दशा में संक्रांत हो जायेगा
1	2	3	4	5	6

दिनाक :

स्थान : अभिदाता के हस्ताक्षर

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

III. जब अभिदाता का कोई परिवार नहीं है और एक व्यक्ति को नामनिर्देशित करना चाहता हो :

मैं, इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति को वह रकम प्राप्त करने के लिए नाम-निर्देशित करता हू जो उस रकम के सदेय हो जाने के पूर्व मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में मेरे खाते में जमा हो या सदेय हो जाने पर सदत्त नहीं की गयी हो:-

नाम निर्देशिती का नाम और पता	अभिदाता से सम्बन्ध	आयु	आकस्मिकताएं जिनके घटने पर नाम निर्देशन अविधिमान्य हो जायेगा	ऐसे व्यक्ति, कोई हो, का नाम, पता और संबंध जिसको नाम निर्देशिती का अधिकार अभिदाता से पूर्व उसकी मृत्यु होने की दशा में संक्रांत हो जायेगा
1	2	3	4	5

दिनांक :

स्थान : अभिदाता के हस्ताक्षर

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

IV जब अभिदाता का परिवार नहीं हो और एक से अधिक व्यक्तियो को नाम-निर्देशित करना चाहता हो :-

मैं, इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्तियो को वह रकम प्राप्त करने के लिए नाम-निर्देशिती करता हू जो उस रकम के सदेय हो जाने से पूर्व मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में, मेरे खाते में, जमा हो या सदेय हो जाने पर सदत्त नहीं की गयी हो ओर निर्देश करता हू कि उक्त रकम उक्त व्यक्तियों में उनके नामो के सामने दर्शित रीति से वितरित की जायेगी :

नाम निर्देशिती का नाम और पता	अभिदाता से सवंध	आयु	संचयन की रकम का अंश जो प्रत्येक को सदत्त किया जाना है	आकस्मिकताएं जिनके घटने पर नाम निर्देशन अविधिमान्य हो जायेगा	ऐसे व्यक्तियों, यदि कोई हो, के नाम पता और सवंध जिनको, नाम निर्देशिती का अधिकार अभिदाता से पूर्व उनकी मृत्यु होने की दशा में संक्रांत हो जायेगा
1	2	3	4	5	6
					.

दिनाक .

स्थान

अभिदाता के हस्ताक्षर

दो साक्षियो के हस्ताक्षर

1 ... .

2 ... .

आदेश, निर्देश परिपत्र व संशोधन

अनुक्रमणिका

क्र.स	विषय विवरण	पेज	सदर्भित नियम सं.
25	गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में की जाने वाली नियुक्तियों के अनुमोदन सम्वन्धी अधिकारों का प्रत्यायोजन। आज्ञा क्रमांक प-11 (17) शिक्षा - 5/91 दिनाक : 01/10/1997	175	16 घ 28 परिशिष्ठ-10 आईटम 1,2 (अ)
26	राजस्थान सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के नियम 33 के प्रावधन अत्यावश्यक अस्थायी नियुक्ति के सम्वन्ध में स्थिति का स्पर्ष्टीकरण। आज्ञा क्रमाक प-10 (12) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 04/11/1997	175	33
27.	गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को अस्थाई मान्यता अधिकतम 5 वर्ष ही दी जाने के क्रम में। आज्ञा क्रमांक प-15 (1) शिक्षा - 5/94 पार्ट दिनाक : 05/11/1997	176	4(1) (II) व परिशिष्ठ-2
28	गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं को भूमि व भवन मूल्याकन अथवा सुरक्षा प्रमाण-पत्र सार्वजनिक विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागो से लेने हेतु छुट। आज्ञा क्रमांक प-15 (1) शिक्षा - 5/94 दिनांक : 05/11/1997	177	16 (घ) (च) II
29	राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक अधिनियम, 1993 के अंतर्गत नियुक्त स्थायी/अस्थायी कर्मचारी को हटाये जाने अथवा सेवा छोडने पर दिये जाने वाले नोटिस की अवधि के सम्वन्ध में। आज्ञा क्रमाक प-17 (52) शिक्षा - 5/91 दिनांक : 13/11/1997	177	39 (1)
30.	गैर सरकारी सस्थाओ मे कार्यरत कर्मचारियो को चयनित वेतनमान एव उपादान के सम्वन्ध में स्थिति का स्पष्टीकरण। आज्ञा क्रमाक प-10 (12) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 17/11/1997	177	29/1989 (अधि.) 34/1993 82(2), 14 टिप्पणी- II
31.	गैर सरकारी अनुदान प्राप्त शैक्षिक सस्थाओं के लेखो का अकेक्षण 5 लाख रु. तक वार्षिक अनुदान प्राप्त करने वाली सस्थाओं के लेखो का अकेक्षण राज लेखा सेवा से सेवानिवृत अधिकारी भी कर सकेगे। आज्ञा क्रमांक प-10 (12) शिक्षा - 5/93 पार्ट-I दिनाक : 17/11/1997	179	20 (3) व 14(4) 8/1989 (अधि.)
32	विद्यालयो को मान्यता हेतु सस्था के रजिस्ट्रेशन सम्वन्धी प्रावधान का स्पष्टीकरण पुनः रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं। आज्ञा क्रमांक प-15 (1) शिक्षा - 5/94 पार्ट दिनांक : 19/11/1997	179	3 (1) /1989 (अधि.) 3 (1)
33.	उच्च प्राथमिक स्तर तक की गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को स्थायी मान्यता हेतु शिथिलन। आज्ञा क्रमांक प-10 (9) शिक्षा - 5/97 दिनाक : 03/12/1997	180	4 (ii)
34.	गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण व सरक्षण के क्रम में। आज्ञा क्रमांक प-10 (12) शिक्षा - 5/93 दिनाक : 03/12/1997	180	34 29/1989 (अधि)

क्र.सं.	विषय विवरण	पेज	संदर्भित नियम सं.
63	अनुदान प्राप्त गैर सरकारी माध्यमिक एव विशिष्ट श्रेणी की शैक्षिक सस्थाओं को देय कन्टीजेन्सी की राशि तथा अनुदान नियम 1993 के परिशिष्ट-8 के कॉलम 8 के क्रम सख्या 5 में वर्णित लेखन मुद्रण सम्बन्धी सुधार व देय राशि की प्रभावी होने की तिथि 1/4/93 होने की स्वीकृति। आज्ञा क्रमांक प-20 (8) शिक्षा - 5/91 दिनांक : 22/09/1998	203	परिशिष्ठ-8
64	गेर सरकारी शिक्षण सस्थाओं को अनुदान देने एव अनुदान अतिमिकरण के आवेदन-पत्रो का निस्तारण करने सम्बन्धी अधिकारों का प्रत्यायोजन। आज्ञा क्रमांक प-19 (9) शिक्षा - 5/93 दिनाक : 26/09/1998	204	12 (i)
65	गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को अनुदान देने एवं अतिमिकरण के आवेदन-पत्रों के निस्तारण करने सम्बन्धी अधिकारों के प्रत्यायोजन के आदेश स. (42) निरस्त करने के क्रम मे। आज्ञा क्रमांक प-19 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 11/12/1998	204	12 (i)
66.	गैर सरकारी शेक्षिक सस्थाओ को मान्यता या अनापति प्रमाण-पत्र देने सम्बन्धी अधिकारों के प्रत्यायोजन के आदेश (41) निरस्त करने के क्रम मे। आज्ञा क्रमाक एफ-19 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 11/12/1998	205	5 (1)
67	अनुदान प्राप्त विद्यमान गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं मे पद स्वीकृति के नोर्म्स तथा विद्यमान पदों की समीक्षा करने सम्बन्धी आदेशो को स्थागित किये जाने के सम्बन्ध में (पूर्व आदेश - 54) आज्ञा क्रमांक प-11 (10) शिक्षा - 5/90 दिनाक : 16/12/1998	205	17 (i), 10 (ix)
68.	वर्तमान में अनुदान प्राप्त कर रही गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को वर्ष 1998-99 से अनुदान प्रोविजनल स्वीकृत देने पूर्व सुमिश्चित किये जाने वाले निर्देशों की पालना स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में। आज्ञा क्रमाक प-12 (1) शिक्षा - 5/97 दिनाक : 16/12/1998	206	13 (i)
69.	अनुदान प्राप्त गैर सरकारी सस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को जुलाई 98 से बढे हुए महगाई भत्ते की राशि माह जुलाई व अगस्त की नगद भुगतान किये जाने के वजाय राष्ट्रीय वचत पत्र खरीद के क्रम में। आज्ञा क्रमांक प-11 (33) शिक्षा - 5/83 दिनाक : 19/12/1998	206	34, 68 (3)
70.	माध्यमिक शिक्षा वोर्ड, राज. अजमेर से मा.व उ. मा. तथा इनके समकक्ष स्तर की मान्यता प्राप्त करने हेतु अनुदान नियम 1993 में वर्णित आरक्षित कोष की राशि में वोर्ड के विनियमों के अनुसार परिवर्तन करने के क्रम में (आदेश सं. 6 में और सशोधन) (परिशिष्ट-2 में संशोधन) आज्ञा क्रमाक प-3 (1) शिक्षा - 5/94 दिनांक : 08/03/1999	207	परिशिष्ठ- 2

क्र.सं.	विषय विवरण	पेज	संदर्भित नियम सं.
71.	गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओ मे कर्मचारियो की नियुक्ति के अनुमोदन सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण विभागीय परिपत्र दिनाक 19/03/1998 के क्रम मे 45 दिन मे नहीं किये जाने पर सम्बन्धित सक्षम अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही। आज्ञा क्रमांक प-10 (12) शिक्षा - 5/93 दिनाक : 08/03/1999	207	28
72.	गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ में कार्यरत कर्मचारियो को अनुदान नियम, 1993 के नियम 39 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के वाद सेवा से पृथक करने के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग को 30 दिन सूचना देने के पश्चात किसी प्रकार की सूचना नहीं प्राप्त होने पर स्वत ही अनुमोदन मानलियेजाने के सम्बन्ध मे जारी विभागीय समसंख्यक परिपत्र (सं. 56) दिनाक 09/07/1998 में आवश्यक सशोधन कर 30 के स्थान पर 60 दिन के वाद स्वत अनुमोदन मानने तथा निर्धारित समय सीमा मे कार्यवाही नहीं करने वाले अधिकारियो के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। आज्ञा क्रमांक प-17 (47) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 08/03/1999	208	39
73.	गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ में कर्मचारियो की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति में विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने पर चयन कार्यवाही करने एव चयन समिति मे उपस्थित नहीं होने वाले विभागीय प्रतिनिधि के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के सम्बध में। आज्ञा क्रमाक प-9 (21) शिक्षा - 5/94 दिनाक : 08/03/1999	209	26 (घ) (iii)
74.	गैर सरकारी सस्थाओं जिनमे 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है के वेतन से भविष्य निधि की राशि काट कर कर्मचारी भविष्य निधि एव प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 के प्रावधानानुसार भविष्य निधि विभाग को राशि भेजने के क्रम मे। आज्ञा क्रमाक प-11 (22) शिक्षा - 5/88 दिनाक : 12/03/1999	210	68 (3)
75.	अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ में कार्यरत कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षत वेतनमान) (6 सशोधन) नियम 1998 के अनुसार सिर्फ एन्ट्री वेतन मान देय होगा (चयनित व वरिष्ठ वेतनमान देय नहीं) आज्ञा क्रमांक प-11 (33) शिक्षा - 5/83 दिनांक : 20/03/1999	210	34
76.	राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान नियम, 1993 के नियम 45 में अधिवार्षिकी आयु सीमा व उसके विस्तार आदि के सम्वन्ध में सशोधन। आज्ञा क्रमांक प-10 (12) शिक्षा - 5/93 पार्ट- I दिनांक : 26/03/1999	211	45 (i)
77.	गैर सरकारी संस्कृत शिक्षा से सम्बन्धित सस्थाओं को अनुदान देने एवं अनुदान अतिमीकरण के आवेदन पत्रो के निस्तारण करने सम्बन्धी अधिकारों के प्रत्यायोजन के आदेश निरस्त करने के क्रम में। आज्ञा क्रमांक प-19 (9) शिक्षा - 5/93 दिनाक : 20/05/1999	212	12(i), 3(2), 5(1)

क्र.सं.	विषय विवरण	पेज	सदर्भित नियम स.
89.	स्वीकृत पदों के अलावा अन्य कार्यरत व्यक्तियो को उनके पदस्थापन स्थान पर तुरंत वापिस भेजने के सम्बन्ध मे। आज्ञा क्रमांक प-19 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 06/11/1999	217	17 (i)
90.	अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्था में कर्मचारियो की नियुक्ति सम्बंधी प्रक्रिया का सरलीकरण। आज्ञा क्रमांक प-19 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 03/12/1999	218	27, 28
91.	वर्तमान मे अनुदान प्राप्त कर रही शैक्षिक सस्थाओं के लिए समीक्षा हेतु निर्धारित नार्म्स को स्थगित किए जाने के सम्बन्ध में (पूर्व आदेश 54) आज्ञा क्रमांक प-19 (9) शिक्षा - 5/93 दिनाक : 08/12/1999	219	10 (ix), 17(i).
92.	अनुदान प्राप्त कर रही गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओ को प्रोविजनल अनुदान देने से पूर्व सुनिश्चित किए जाने वाले निर्देशो को 31/12/99 तक स्थगित किये जाने के सम्बन्ध मे (पूर्व आदेश 47) आज्ञा क्रमांक प-12 (1) शिक्षा - 5/97 दिनांक : 08/12/1999	219	13 (i)
93	अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ मे रिक्त पदों के विरुद्ध दैनिक वेतन पर कर्मचारियों को रखे जाने के सम्बन्ध में। आज्ञा क्रमाक प-19 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 27/12/1999	220	28, 29
94.	वर्तमान में अनुदान प्राप्त कर रही शैक्षिक सस्थाओं की समीक्षा के लिए निर्धारित नार्म्स स्थगित (31/03/2000 तक) किए जाने के सम्बन्ध में (पूर्व आदेश स 54 व 91) आज्ञा क्रमांक प-19 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 18/01/2000	220	10 (ix), 17(ii)
95.	अनुदान प्राप्त कर रही गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओ को प्रोविजनल अनुदान देने से पूर्व सुनिश्चित किये जाने वाले निर्देशों को दिनाक 31/3/2000 तक स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में (पूर्व आदेश सं. 47,92) आज्ञा क्रमांक प-12 (1) शिक्षा - 5/97 दिनांक : 18/01/2000	220	13 (i)
96.	अनुदानित गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में शाला प्रधान (प्रधानाध्यपक/प्रधानाचार्य) के रिक्त पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध मे। आज्ञा क्रमाक प-19 (9) शिक्षा - 5/93 दिनाक : 01/03/2000	221	29
97.	विद्यमान अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं की समीक्षा एव अनुदान रिलीज करने के सम्बन्ध में (पूर्व आदेश स. 54) आज्ञा क्रमांक प-19 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 02/03/2000	221	13(i), 17(1,2)
98.	अनुदान प्राप्त उच्च मा. वि. स्तर की संस्थाओ में प्रधानाध्यपक को प्रधानाचार्य के पद मे क्रमोन्नत करने पर नियुक्ति एव वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में। आज्ञा क्रमाक प-11 (11) शिक्षा - 5/90 दिनांक : 13/03/2000	225	34

क्र.स.	विषय विवरण	पेज	संदर्भित नियम स
99	अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से काटी जाने वाली पी एफ की राशि हेतु राज्य सरकार द्वारा 8.33% की दर से ही अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध मे स्पर्ष्टीकरण। **आज्ञा क्रमांक प-11 (22) शिक्षा - 5/88 दिनाक : 18/03/2000**	225	14 (क) परिशिष्ठ-8 (2)
100.	अनुदानित विद्यालयों मे राजकीय सेवा से सेवानिवृत कर्मचारियो द्वारा नियुक्ति लेकर अधिवार्षिकी आयु के पश्चात भी कार्य करने के क्रम में। **आज्ञा क्रमांक प-19 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 19/05/2000**	226	45 (v)
101	मान्यता सम्बन्धी लम्वित एव विलम्व से प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण के क्रम में। **आज्ञा क्रमाक प-19 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 29/06/2000**	226	5(1)
102	उच्च मा. स्तर के मान्यता सम्बन्धी लम्वित एव विलम्ब से प्राप्त प्रकरणो के निस्तारण के क्रम मे। **आज्ञा क्रमांक प-19 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 03/07/2000**	227	5 (2)
103.	गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ में राजकीय सेवा मे कार्यरत अधिकारियो को ही प्रशासक नियुक्त किया जाय एव जिन भी सस्थाओं में प्रशासक लगे हुए एक वर्ष से अधिक समय हो गया है, उन सस्थाओ के चुनाव कराये जाने की आवश्यक व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्देश। **आज्ञा क्रमांक प-19 (9) शिक्षा - 5/93 दिनाक : 11/08/2000**	228	10/1989 (अधि.)
104.	सस्था को दो वर्ष पूर्व के अनुदान अतिर्मीकरण मे देय अनुदान की राशि 75% ही प्रोविजनल अनुदान की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध मे। **आज्ञा क्रमांक प-19 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 16/08/2000**	228	13 (i)
105.	गैर सरकारी विद्यालयो मे किसी भी शैक्षिक सत्र के दिसम्बर माह या इसके बाद सरकारी स्कूलो से आने वाले विद्यार्थियो को प्रवेश न देने के सम्बन्ध मे। **आज्ञा क्रमांक प-19 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 25/08/2000**	229	13(2 ड) सामान्य निर्देश
106.	शिक्षा के क्षेत्र मे गैर सरकारी सहयोग को प्रोत्साहित करने के क्रम में। **आज्ञा क्रमांक प-19 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 25/08/2000**	229	सामान्य निर्देश
107	किसी भी सस्था मे अप्रशिक्षित अध्यापक होने पर अगस्त 2000 के बाद अनुदान नहीं दिय जाने के सम्बन्ध मे। **आज्ञा क्रमांक प-19 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 25/08/2000**	230	10 (xiii)
108.	बेगर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियो को मान्यता प्राप्त विद्यालयो मे प्रवेश हेतु परीक्षा मे बैठना आवश्यक। **आज्ञा क्रमाक प-19 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 25/08/2000**	230	सामान्य निर्देश
109.	विद्यमान अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं की समीक्षा के सदर्भ में सम्थाओं से प्राप्त अभ्यावेदन समिति को प्रस्तुत किए जाने के सम्वध में। (पूर्व आदेश सं. 54, 97)। **आज्ञा क्रमांक प-19 (9) शिक्षा - 5/93 दिनाक : 25/08/2000**	230	13 (1) 17 (2)

क्र.सं.	विषय विवरण	पेज	संदर्भित नियम सं.
120	अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में नियुक्तियों पर प्रतिवध में शिथिलता/अतिरिक्त वजट की माग न करने की शर्त पर होगी। आज्ञा क्रमांक प-19 (9) शिक्षा - 5/93 पार्ट-8 दिनांक : 29/03/2001	235	29, 13(i)
121	मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं द्वारा विना सक्षम स्वीकृति के ही शाखाए खोलकर सचालित करने के क्रम में। आज्ञा क्रमांक प-19 (9) शिक्षा - 5/2000 दिनांक : 30/04/2001	236	3 (2)
122.	मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ द्वारा अशदायी प्रावधायी निधि से सम्वधित राशि जमा कराये जाने के सम्वन्ध में। आज्ञा क्रमांक प-11 (22) शिक्षा - 5/88 दिनाक : 30/04/2001	236	34, 68, 71 (i)
123.	छात्रनिधि कोप से क्रय पर प्रतिवध के सम्वन्ध मे। आज्ञा क्रमांक प-6 (1) शिक्षा - 5/90 दिनांक : 01/05/2001	237	13 (4) टिप्पणी-I (vi)
124.	मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के अशदायी प्रावधायी निधि से सम्वधित राशि को कोपालय मे जमा कराने सम्वन्धी आदेश को स्थगित किये जाने के सम्वन्ध में (पूर्व आदेश स. 116, 119) आज्ञा क्रमांक प-11 (22) शिक्षा - 5/88 दिनांक : 04/05/2001	237	34
125.	गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ को मान्यता। क्रमोन्नति या विपय की अनुमति हेतु फीस के सम्वन्ध में। आज्ञा क्रमांक प-18 (3) शिक्षा - 5/2001 दिनांक : 09/05/2001	237	परिशिष्ठ-2 आईटम-13 (ग)
126	अनुदानित गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं पुस्तकालयो, केन्द्रीय कार्यालयो, छात्रावासों, शिक्षक प्रशिक्षक सस्थाओं, महाविद्यालयो एवं विशिष्ठ सस्थाओं को अनुदान रिलीज किये जाने के सम्वन्ध में। आज्ञा क्रमांक प-19 (9) शिक्षा - 5/99 दिनांक : 16/05/2001	238	13 (i)
127.	अनुदानित सस्थाओं मे कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से पी.एफ.की कटौति हेतु 8.33% की दर से ही अनुदान दिये जाने के सम्वन्ध मे। आज्ञा क्रमांक प-11 (22) शिक्षा - 5/88 दिनांक : 16/05/2001	238	14 (क)
128.	सहायता प्राप्त सस्थाओ के लेखों की जाच के सम्वन्ध में। आज्ञा क्रमांक प-19 (9) शिक्षा - 5/99 दिनांक : 23/05/2001	239	12 (2)
129.	गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में प्रशासक लगाये जाने के सम्वन्ध में निर्धारित की गई नीति सम्वन्धी आदेश। आज्ञा क्रमाक प-19 (9) शिक्षा - 5/93 दिनाक : 15/09/2001	239	10/1989 (अधि.)
130.	गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता/क्रमोन्नति के सम्वन्ध में विशेष निर्देश। आज्ञा क्रमाक प-18 (1) शिक्षा - 5/2001 दिनांक : 28/09/2001	240	3(1)

आदेश, निर्देश, परिपत्र एवं संशोधन

आज्ञा क्रमाक प-11 (22) शिक्षा - 5/88 दिनाक : 08/01/1993 (आदेश संख्या 1)

विषय :- **गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अंशदायी प्रावधायी निधि एवं उसके अन्तर्गत पारिवारिक पेन्शन सुविधा का लाभ देने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के पूर्ववर्ती समसख्यक आदेश दिनाक 20/03/1991 द्वारा गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं के कर्मचारियों को दिनाक 01/03/1991 के अशदायी प्रावधायी निधि की कटौती उनके वेतन एव महँगाई भत्ते की सम्मिलित राशि 8.33% की दर से किये जाने के साथ-साथ सस्था द्वारा भी कर्मचारी के अशदान के बरावर इस निधि मे योगदान करने के आदेश प्रसारित किये थे।

इस विषय मे गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओ के कर्मचारियों को पारिवारिक पेन्शन सुविधा सुलभ कराने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों के 8.33% की दर से किये जाने वाले अशदान में से 1.16% एव सस्था द्वारा किये जाने वाले अशदान मे से 1 16 % की दर से राशि, इस निमित्त कोषागारो मे सधारित निजी निक्षेप खातो मे से आहरित कर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भारत सरकार के यहा जमा कराई जाये। यह आदेश मार्च, 1993 के वेतन, जो अप्रेल, 1993 में भुगतान योग्य होगा, से प्रभावी होगे।

यह आदेश वित्त (व्यय-1) विभाग के अन्तर्विभागीय टीप सख्या 492, दिनाक 04/01/1993 से प्राप्त सहमति के सन्दर्भ में जारी किये जाते हैं।

विभिन्न शिक्षा निदेशालय एव उने अधीनस्थ क्षेत्रीय एव जिला स्तर के शिक्षा अधिकारी इन आदेशो को सभी गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं के प्रवन्ध मण्डलो के ध्यान में लाकर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा क्रमाक प-11 (45) शिक्षा - 6/82 दिनांक 11/05/1993 (आदेश सख्या 2)

विषय :- **गैर सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में प्रबन्ध सचिव के पद के वेतनमान निर्धारित करने के सम्बन्ध में।**

राजस्थान राज्य की गैर सरकारी अनुदानित शिक्षण सस्थाओं मे कार्यरत प्रबन्ध सचिवों के वेतनमान निर्धारित करने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन रहा है। मामले मे विचार कर प्रबन्ध सचिवों के वेतनमान निम्नप्रकार निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है-

क्र.सं.	संस्था का प्रकार व स्तर	अनुमत वेतनमान			
		01/09/1976	01/09/1981	01/09/1986	01/09/1988
1.	एक लाख से अधिक व्यय तथा तीन या अधिक शिक्षण संस्थाएं चलाने वाली संस्थाएँ	440-770	610-1090	1120-2050	1200-2050
2.	दो लाख से अधिक व्यय एवं तीन या अधिक शिक्षण संस्था चलाने वाली सस्थाएँ	550-1010	740-1420	1400-2825	1640-2900

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान ओर सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के 01/04/1993 से प्रभावी हो जाने से 10 लाख से अधिक किन्तु 20 लाख से कम अनुमोदित व्यय वाली व तीन से अधिक शैक्षिक सस्था चलाने वाली अनुदानित सस्थाओ में प्रवन्ध सचिवों को 1200-2050 की एव 20 लाख व इससे अधिक अनुमोदित्त व्यय एव तीन या अधिक शैक्षिक सस्था चलाने वाली सस्थाओं के प्रवन्ध सचिवों का 1610-2900 का वेतनमान मिलेगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी गेर सरकारी शैक्षिक सस्था में कार्यरत प्रवन्ध सचिवों को ऊपर वर्णित वेतनमानो से उच्च वेतनमान दिया जा रहा है तो ऐसे प्रभावी कर्मचारियों को केवल इस आदेश के अनुच्छेद एक व दो के अनुसार ही वेतनमान देय होगा व उच्च वेतनमान के कारण अधिक भुगतान की राशि वसुली योग्य होगी।

यह स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग की अन्तर्विभागीय टीप सख्या 987/वित्त/ग्रुप-2/93 दिनांक 24/04/1993 से प्राप्त सहमति के अनुक्रम में जारी की जाती है।

अधिसूचना क्रमांक प-10 (8) शिक्षा- 5/93 दिनाक 28/07/1993 (आदेश संख्या 3)

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थ वनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 में इसके द्वारा निम्नलिखित सशोधन करती है, अर्थात्-

संशोधन

उक्त नियमों में-

1 नियम 91 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 92 अन्त· स्थापित किया जायेगा:-

"92 **नियमों से छूट देने की शक्ति-** राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी भी संस्था या सस्थाओं के किसी वर्ग को नियमों के किन्हीं भी उपवन्धों से छूट दे सकेगी या यह निर्देश दे सकेगी कि ऐसे उपलब्ध ऐसी संस्था या संस्थाओं के वर्ग पर ऐसे उपान्तरणों और/या शर्तो के सहित लागू होगे जैसी कि आदेशों में विनिर्दिष्ट की जायें।"

2. विद्यमान नियम "92" को "93" के रूप मे पुनः सख्याकित किया, जायेगा।"

आज्ञा क्रमांक प-11 (33) शिक्षा- 6/83 दिनांक 06/08/1993 (आदेश संख्या 4)

विषय :- गैर सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को वेतन एवं अन्य भत्तों के भुगतान के सम्बन्ध में।

राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण सस्था (मान्यता, सहायकता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 जो 1 अप्रैल, 1993 से प्रभावी हुए हैं, के नियम 34 मे प्रावधान है कि अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियो को वेतन एव भत्तों की दरें उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय शिक्षण सस्थाओ मे कार्यरत कर्मचारियों से कम नहीं होगी। भत्तों में महगाई, भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता सम्मिलित है।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि गैर सरकारी अनुदानित सस्थाओ के कर्मचारियो के वेतन, महगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता एव शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता की दरें वही होगी, जो उनके समान श्रेणी के राजकीय शिक्षण सस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को देय है, तथा उनकी दरों में होने वाले सशोधन स्वतः ही इन अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के सम्बन्ध मे भी लागू होंगे और उनके लिये पृथक् से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगा।

यह आज्ञा वित्त (नियम) विभाग द्वारा उनकी अन्तर्विभागीय टीप सख्या 2031/वित्त विभाग/ग्रुप-2/93, दिनाक 31/07/1993 के अन्तर्गत दी गई सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

आदेश क्रमांक प - 10 (8) शिक्षा - 5/93 पार्ट - I   दिनांक - 17/03/1994 (आदेश संख्या 5)

विषय :- अनुदानित गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता के अनुदान भुगतान को अनुमोदित व्यय मानने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विपयान्तर्गत कतिपय गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं से ऐसे प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं कि विभिन्न शिक्षा निदेशालयों द्वारा कर्मचारियो को देय मकान किराया/शहरी क्षतिपूर्ति भत्ते के भुगतान की राशि को अनुमोदित व्यय न माना जाकार अनुदान से कटौती की जा रही है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि मकान किराया/शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता को अनुमोदित व्यय ही माना जावे तथा सस्था के अनुदान से इस निमित्त यदि कोई कटौती की गई तो उसका पुनर्भुगतान सम्बन्धित सस्था को शीघ्र कर राज्य सरकार को अवगत करावे।

आदेश क्रमांक प-3 (1) शिक्षा-5/94   दिनांक-19/03/1994 (आदेश संख्या 6)

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान ओर सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार निम्न आदेश प्रदान करती है-

1. गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं को मान्यता देने हेतु परिशिष्ट - 2 में दिये गये मानदण्डो के आइटम सख्या- 1,5,7,9,11 से 15, 16 (ख) एव 17 के अलावा अन्य आइटमों में छूट प्रदान करते हुए निम्नलिखित संशोधित प्रावधान लागू होंगे-

   (i) आइटम नम्बर - 2 व 3 - सस्था के पास छात्रों के स्वास्थ्य, मनोरंजन एव शारीरिक शिक्षा तथा अध्ययन कक्षों हेतु उपयुक्त व्यवस्था/प्रावधान होना आवश्यक है।

   (ii) आइटम नम्बर - 4 - इस आइटम में आरक्षित कोप निम्नानुसार होगा-

प्राथमिक स्तर	-	2,000 00
उच्च प्राथमिक स्तर	-	5,000.00
माध्यमिक स्तर	-	15,000.00
हायर सैकण्डरी स्तर	-	25,000.00

   (iii) आइटम नम्बर 6 - विधालय में पुस्तकें, फर्नीचर एवं अन्य छात्रोंपयोगी सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना आवश्यक है।

2. गैर सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को नियम 10 (viii) में वर्णित पी.डी.खाता खोलने एवं इस खाते में संस्था की समस्त आय को जमा करवाने की अनिवार्यता में छूट दी जाकर निम्न संशोधित प्रक्रिया अपनाई जायेगी-

   (i) सस्था अपना ''संस्था कोप'' रखेगी, जिसमें सभी स्त्रोतो जैसे दान, चन्दा, आय हेतु मान्य शुल्क राजकीय आवर्तक व अनावर्तक अनुदान आदि की राशियॉ शामिल होंगी।

   (ii) संस्था पृथक् से ''छात्र-कोप'' रखेगी, जिसमें छात्रों से प्राप्त होने वाली वे सभी राशियाँ जमा होंगी जो अनुदान हेतु आय को परिभाषा में नहीं आती हैं। इस निमित्त आय-व्यय का विस्तृत हिसाब [illegible] की रोकड़ वही में रहेगा। वार्षिक आय संस्था द्वारा बनाये वार्षिक बजट के अनुसार [illegible] जिस मद की आय हो, उसी मद में व्यय की जावे।

(iii) समस्त पूर्व की एकत्रित राशि व भविष्य मे कर्मचारियो के भविष्य निधि खातों में एकत्रित राशि और संस्था के अशदान की राशि सस्था द्वारा सरकारी कोष में ब्याज सहित व्यक्तिगत खाते में (पी.डी.खाते में) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशो व तरीको से जमा करवाई जावेगी।

(iv) सस्थाओ की सुरक्षित कोप एव निक्षेप (डिपोजिट) आदि का राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में या राष्ट्रीय वचत प्रतिभूतियो जैसे-डाकघर वचत वैक, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण-पत्र या सुरक्षा निक्षेप प्रमाण-पत्र में ही विनियोजित किया जा सकेगा।

(v) अन्य समस्त आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान राशि जिसकी तीन महीनो में व्यय हेतु आवश्यकता न हो, डाकधर वचत खाते मे जमा करवाई जावेगी।

3. **अनुदान गणना हेतु अनुदान नियम 13 (4) में निर्धारित प्रक्रिया में छूट दी जाकर निम्न संशोधित प्रक्रिया अपनाई जावेगी :-**

(i) राज्य सरकार के किसी साल मे प्राप्त हुए आवर्तक अनुदान, लेखा किये हुए कुल स्वीकृत खर्च तथा उसी साल मे शुल्क तथा दूसरे आवर्तक साधनों से (जिसमे कि दूसरे राज्यो या केन्द्रीय सरकार, सभाओं, समितियो या स्थानीय सस्थाओ द्वारा प्राप्त अनुदान सम्मिलित है, हुई आय के अन्तर से अधिक नहीं होगा) इस प्रयोजन के लिए -

(a) सुरक्षित कोष (रिजर्व फण्ड) अथवा सम्पत्ति से किराये की आय,

(b) वास्तविक अधिक वसूली की परिधि तक, सरकारी दर से ऊँची दर पर वसूल किये गये शुल्को से प्राप्त आय,

दूसरे आवर्तक साधनो से हुई आय की तरह नहीं समझी जावेगी।

निर्दिष्ट शुल्क तथा अर्थ दण्ड से हुई आय मे निम्नलिखित शुल्क सम्मिलित है तथा ये चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट अथवा दूसरे मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकों द्वारा तैयार किये लेखा परीक्षा विवरण में अलग से वर्णित होगे-

(a) शिक्षण शुल्क

(b) प्रवेश शुल्क तथा पुन. प्रवेश शुल्क

(c) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र शुल्क

(d) कोई दूसरा शुल्क जो उपरोक्त शुल्कों में न आता हो, सिवाय उनके कि-

(अ) विषय शुल्क जैसे वाणिज्य शुल्क, विज्ञान शुल्क आदि।

(व) खेल शुल्क तथा हस्त कला और कृषि दुग्ध शाला, गृह विज्ञान आदि दूसरे कार्यो के लिए शुल्क।

(5) अर्थ दण्ड-

उपरोक्त (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट दूसरे शुल्कों के सम्वन्ध में जैसे विपय शुल्क, खेल शुल्क, हस्तकला शुल्क का उपयोग उल्लिखित उद्देश्य, जिसके लिये वे लिये गये हैं, में ही होगा और उनके पूरे अथवा किसी भाग के उपयोग न होने की दशा में, वह राशि आगामी वर्ष में उपयोग किये जाने वाले छात्र कोष में स्थानान्तरित कर दी जावेगी। व्यवस्थापिका सभा/समिति अथवा प्रवन्धिका किसी दशा में छात्र-कोष का कोई भाग सस्था के चलाने में अथवा कर्मचारी को वेतन वितरण में अथवा भवन किराया आदि उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं करेगी।

उपरोक्त वर्णित छूट एव सशोधित आदेश राज्य सरकार द्वारा राजस्थन गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एव राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के पुनरीक्षण हेतु

आदेशाक प. 6((5) प्र सु./अनु-3/94, दिनाक 05/03/1994 के तहत गठित उच्च राज्य स्तरीय समिति की अन्तिम रिपोर्ट, आने व राज्य सरकार द्वारा इस पर निर्णय लेन तक प्रभावशील रहेंगे।

क्रमांक प-12(6) शिक्षा-5/90 दिनांक - 23/05/19994 (आदेश संख्या 7)

विपय :- गैर सरकारी अनुदान प्राप्त बालिका, मुक बधिर, अंध एवं विकलांग विद्यालयों के अनुदान प्रतिशत में वृद्धि।

उपरोक्त विपयान्तर्गत वर्तमान में 90% से कम अनुदान प्राप्त गैर सरकारी संस्थाएँ यथा-बालिका, मूक बधिर, अध एवं विकलांग विद्यालयों को दिनाक 01/04/1994 से राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता-अनुदान और शर्ते आदि) नियम, 1993 के अनुसार अनुमोदित व्यय के 90% की दर से अनुदान सहायता स्वीकृत करने हेतु रुपये 59.02 लाख (58 32 लाख प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा तथा 0.70 लाख सस्कृत शिक्षा) की सीमा तक व्यय करने की राज्यपाल महोदय की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस निमित्त होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये प्रथम अनुपूरक मॉग के प्रस्तावो मे सम्मिलित कर की जायेगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय - 1) विभाग की आई.डी.सस्था 1364 दिनाक 20/05/1994 से प्राप्त सहमति के सन्दर्भ में जारी की जाती है।

क्रमांक प- 11 (29) शिक्षा - 5/92 दिनांक - 06/06/19994 (आदेश संख्या - 8)

विपय .- अनुदानित संस्थाओं में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन समिति द्वारा चयनित प्रत्याशियों के पैनल की वैधता अवधि।

राजस्थान गेर सरकारी शिक्षण सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान ओर सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 26 में सस्था के कर्मचारी पदों में रिक्तियों की पूर्ति हेतु चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियो का उन्हे योग्यता क्रम मे रखते हुए पैनल तैयार कर अपनी सिफारिशें, प्रवन्ध समिति को प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

चयन समिति सभी अभ्यर्थियों का पूर्ण परीक्षण उपरान्त पैनल तैयार करती है। यह अनुभव किया गया है कि सस्था में शिक्षण सत्र के दौरान कर्मचारियों के त्याग-पत्र, मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति आदि कारणों से रिक्ति उत्पन्न हो जाती है सिकी पूर्ति हेतु वार-वार चयन प्रक्रिया अपनाना युक्तियुक्त नहीं होता क्योकि इससे पद भरने में अनावश्यक विलम्ब होगा व शिक्षा प्रदान करने में असुविधा हो सकती है।

अत. यह स्पष्ट किया जाता है कि चयन समिति द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर योग्यता क्रम में तैयार किये गये पैनल को सम्वन्धित शिक्षण सत्र के लिये वैध मानकर आवश्यक कार्यवाही की जावे।

क्रमांक प- 3 (10) शिक्षा- 5/94 दिनांक - 23/11/1994 (आदेश संख्या - 9)

विपय :- गैर सरकारी महाविद्यालयों में भर्ती/नियुक्ति हेतु चयन समिति में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि को सम्मिलित किये जाने के क्रम में।

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहाययता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम [illegible] में यह प्रावधान है कि मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों मे भर्ती करने हेतु उक्त नियम में निर्धारित चयन समिति के सदस्यो [illegible] अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पद के चयन हेतु सम्वन्धित विश्वविद्यालय द्वारा नाम निर्देशित दो विशेपज्ञ, शिक्षाविद् और [illegible]

के मामले में एक शिक्षाविद्/विशेषज्ञ भी चयन समिति में सम्मिलित होंगे। कई मामलों में यह देखने में आया है कि मान्यता प्राप्त गैर सरकारी महाविद्यालयों द्वारा चयन समिति के विना विश्वविद्यालय प्रतिनिधि को सम्मिलित किये ही नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है जो अनुदान नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

अत समस्त मान्यता प्राप्त गैर सरकारी महाविद्यलयों को यह निर्देश जारी किये जावें कि सम्बन्धित विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि तथा उनके द्वारा मनोर्नीत विशेषज्ञों के पैनल में से वुलाये गये विषय विशेषज्ञों को चयन समिति में आमन्त्रित किया जाकर उनकी सहमति से, ही नियुक्तियों हेतु प्रत्याशियों का चयन किया जाना आवश्यक है। साथ ही अनुदानित महाविद्यालय/सस्थाएँ उपरोक्त अनुपालना के अतिरिक्त अनुदान नियमों में निर्धारित अन्य अनुदेशों का भी अनिवार्य रूप से पालन करेंगे।

आप द्वारा इस सम्वन्ध मे जारी किये गये आदेशों की एक प्रति इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा क्रमाक प-11 (22) शिक्षा- 5/88 दिनांक - 25/02/1995 (आदेश संख्या - 10)

विषय - **गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अंशदायी प्रावधानी निधि एवं उसके अन्तर्गत पारिवारिक पेन्शन का लाभ देने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के पूर्ववर्ती समसख्यक आदेश दिनाक 08/01/1993 की निरन्तरता में गैर सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण सस्थाओं को निम्न निर्देश दिये जाते है-

1 गैर सरकारी अनुदान प्राप्त सस्थायें अपने ऐसे सभी कर्मचारियों के सम्वन्ध में जिनके लिये सस्था को अनुदान प्राप्त नहीं होता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अन्तर्गत निम्नलिखित राशि प्रत्येक माह जमा करायेगी।

(अ) कर्मचारी भविष्य निधि अशदान खाता सख्या 1 में (निर्धारित चालान के द्वारा स्टेट वैंक ऑफ इण्डिया की किसी शाखा में)	कर्मचारी के वेतन तथा महगाई भत्ते की कुल मासिक राशि का 7.17 प्रतिशत कर्मचारी अशदान जो वेतन से काटा जावे तथा इसके वरावर सस्थान का अशदान।
(व) कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासनिक प्रभार खाता सख्या 2 में (निर्धारित चालान के द्वारा स्टेट वैक ऑफ इण्डिया का किसी भी शाखा में)	कर्मचारियों के वेतन तथा महगाई भत्ते की कुल मासिक राशि का 0.65% (कम से कम 5/- रुपये प्रति माह) सस्थान द्वारा देय।

2. ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिये सस्थान को अनुदान प्राप्त होता है के सम्वन्ध में सस्थान को निम्नाकित राशि प्रत्येक माह भविष्य निधि कार्यालय में जमा करानी होगी-

(अ) भविष्य निधि निरीक्षण प्रभार (खाता स. 2)	सम्वन्धित कर्मचारियो के वेतन तथा मंहगाई भत्ते की राशि का 0.09% (सस्थान द्वारा देय)

3. सस्थान मे कार्यरत सभी कर्मचारियों (अनुदान प्राप्त एव गैर अनुदान प्राप्त) के सम्वन्ध में कर्मचारी परिवार पेन्शन योजना, 1971 के तहत निम्नलिखित राशि प्रत्येक माह जमा करायी जायेगी।

(अ) कर्मचारी परिवार पेन्शन अशदान खाता स. 10 में (निर्धारित चालान के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की किसी भी शाखा में)	कर्मचारियो के वेतन तथा महगाई भत्ते की कुल मासिक राशि का 1.16% कर्मचारी का परिवार पेन्शन अशदान जो कि वेतन से काटा गया हो तथा इसके बरावर नियोक्ता का अंशदान।

4. प्रत्येक अनुदान प्राप्त सस्था अपने कर्मचारियो के लिये कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 द्वारा देय लाभ प्राप्त करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम से सामूहिक बीमा पॉलिसी लेने के लिये कार्यवाही करेगी एव निरीक्षण प्रभार के रूप में क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय मे कर्मचारी निक्षेप निरीक्षण प्रभार (खाता सख्या 22) मे कुल वेतन तथा महगाई भत्ते की राशि का 0.01% की दर से राशि (न्यूनतम 2/- रु. प्रति माह) जमा करायेगी।

ऐसी सभी संस्थाओं उपरोक्त सभी योजनाओं से सम्बन्धित मासिक तथा वार्षिक विवरणियॉ निर्धारित प्रपत्रो में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय को प्रेपित करेगी।

इस विभाग के पूर्ववर्ती सम सख्यक आदेश दिनाक 20 03 1991, 08/01/1993, 17/03/1993 तथा उपरोक्त निर्देश केवल उन अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओ पर ही लागू होगे, जिसमे कुल कर्मचारियों की नियोजन सख्या 20 या उससे अधिक है तथा जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि एव प्रकीर्ण उपवन्ध अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू हैं अथवा लागू किये जा सकते है।

विभिन्न शिक्षा निदेशालय एवं उनके अधीनस्थ क्षेत्रीय एव जिला स्तर के जिला अधिकारी इन आदेशो को सभी गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रवन्ध मण्डलों के ध्यान में लाकर आवश्यक अनुपालना किया जाना सुनिश्चित करावेगे।

यह आज्ञा वित्त विभाग के अनुक्रमाक 349/पी.ए /एस.एस एफ /95, दिनाक 22/02/1995 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

क्रमांक प-3 (4) शिक्षा-5/94 दिनाक- 10/03/1995 (आदेश सख्या- 11)

विषय - **गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के सम्बन्ध में।**

राजस्थान राज्य मे शिक्षा के विकास मे गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओ द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। सन् 2000 तक सवके लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से राजकीय प्राथमिक शालाओ के साथ-साथ गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयो का भी महत्वपूर्ण योगदान है।

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था, अधिनियिम, 1989 तथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायकता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 मे मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया वर्णित की गई है। तथापि किसी गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के लिये मान्यता प्राप्त करने की वाध्यता नहीं होने से वे विना मान्यता प्राप्त किये विद्यालय सचालन हेतु स्वतन्त्र है। इस सम्बन्ध में निम्न प्रकार पुन स्थिति स्पष्ट की जाती है-

1. उपरोक्त अधिनियम व नियमों के अन्तर्गत किसी भी प्राथकि विद्यालय के लिए मान्यता लेना अनिवार्य नहीं है।
2. प्राथमिक स्तर की गेर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के विद्यार्थी किसी भी अन्य गैर सरकारी शिक्षण सस्था अथवा सरकारी विद्यालय मे प्रवेश पा सकते है। इस प्रयोजनार्थ उन्हे सस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित समान परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
3. यदि प्राथमिक स्तर की अस्थायी मान्यता प्राप्त सस्थाए, उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नति न चाहे तो उनके लिए अस्थायी मान्यता की समयावधि मे वृद्धि आवश्यक नहीं होगी।

क्रमांक प-11 (10) शिक्षा-5/91 दिनांक 27/07/1996 (आदेश सख्या 12)

विषय :- श्री रघुनाथ सीनियर माध्यमिक विद्यालय, रतनगढ़ (चूरू) में प्राधानाध्यापक के रिक्त पद की पूर्ति के सम्बन्ध में।

सदर्भ :-आपका पत्र संख्या शिविरा/अनु./ए/16514/93 - 94/94-95/331, दिनांक 21/06/1996

उपरोक्त विषय में आपका ध्यान राजस्थान गेर सरकारी शिक्षण संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओ में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है।

गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु राजकीय कर्मचारियों की तरहत अधिकतम आयु का वन्धन नहीं होने से आयु के व्यक्ति भी पात्रता रखते हैं, वशर्ते कि उन्होंने 58 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु प्राप्त न करली हो।

कृपया आपके अधीनस्थ सभी अधिकारियो को इस सम्बन्ध मे आवश्यक निर्देश जारी करावे।

आज्ञा क्रमांक प-11 (14) शिक्षा-5/95 दिनांक 03/11/1996 (आदेश संख्या 13)

विषय :- **गैर सरकारी सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति।**

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 मे सीनियर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती/पदोन्नति से नियुक्ति करने के प्रावधान हैं। पदोन्नति से नियुक्ति के मामलो में पात्रता हेतु 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक नहीं है, जबकि सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए ऐसा अनुभव आवश्यक है। वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य का पद शत-प्रतिशत पदोन्नति से भरा जाता है।

गैर सरकारी सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद पर सीधी भर्ती से हो नियुक्ति अनुज्ञेय होने से 5 वर्ष के अध्यापन अनुभव व अन्य अहर्ताओं के अतिरिक्त अभ्यार्थी के पास 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव या किसी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के व्याख्याता/वरिष्ठ व्याख्याता पद का 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक हो जाता है। यह ध्यान में लाया गया है कि गैर सरकारी क्षेत्र में ऐसे अनुभवी व्यक्ति प्राय उपलब्ध नहीं होते हैं। फलस्वरूप विद्यालयों में पद रिक्त रहने से विद्यालय के सचालन मे वाधा उत्पन्न होती है।

उपरोक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थ (मान्यता, अनुदान सहायता और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 92 की शिथिलता प्रदान करने सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिये जाते हैं कि सभी गैरसरकारी सीनियर माध्यमिक विद्यालयो के प्रधानाचार्य के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु वाछित 5 वर्ष के अध्यापन अनुभव व 5 वर्ष के प्रशानिक अनुभव के स्थान पर 10 वर्ष के अध्यापन अनुभव को स्वीकार्य माना जावे। पद की शेष अर्हताए यथावत रहेगी।

क्रमाक प- 11 (22) शिक्षा-5/88 दिनांक- 15/02/1997 (आदेश संख्या 14)

विषय :- **गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अंशदायी प्रावधायी निधि के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के पूर्ववर्ती आदेशों के अतिक्रमण मे गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं को निम्न निर्देश दिये जाते हैं-

(अ) 8.33% की दर से नियोक्ता के अंशदान की राशि नियमित रूप से क्षेत्रीय भविष्य निधि, आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 के अन्तर्गत जमा कराने हेतु प्रेषित की जावेगी तथा

(व) 8.33% की दर से कर्मचारी के अंशदान की राशि सम्बन्धित कोषालयो में सस्था के चालू निजी निक्षेप खाते में यथावत् नियमित रूप से जमा कराई जाती रहेगी। यह राशि सम्बन्धित कर्मचारी की सामान्य प्रावधायी निधि कहलायेगी।

(स) ऊपर 'अ' व 'व' पर अकित निर्देश माह दिसम्बर, 96 के वेतन (जिनका भुगतान 1 जनवरी, 1997 को देय हुआ हे) से प्रभावी होंगे।

(द) 1 जनवरी, 1997 के पूर्व में पी.डी. खाते में जमा किये गये नियोक्ता के अशदान एवं कर्मचारी के अशदान के बारे मे वित्त विभाग द्वारा जारी नवीनतम आदेशो (प्रति संलग्न) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

ऐसी सभी सम्बन्धित सस्थाएँ मासिक एव वार्षिक विवरणिका निर्धारित प्रपत्रों में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान, जयपुर तथा निदेशक, राज्य बीमा एव प्रावधानी विभाग, जयपुर को समय-समय पर यथा निर्देशो के अनुसार प्रेषित करती रहेंगी।

सामान्य प्रावधायी निधि योजना के तहत कर्मचारियों के अशदान की जो राशि सामान्य प्रावधायी निधि में जमा होगी, उसके निस्तारण बाबत एक सामान्य प्रावधायी निधि योजना निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा बनाई जावेगी तथा निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा सस्थाओ के प्रावधायी निधि खाते के अंकेक्षण का कार्य यथावत किया जाता रहेगा।

विभिन्न शिक्षा निदेशालय एव उनके अधीनस्थ क्षेत्रीय एव जिला स्तर के जिला अधिकारी इन आदेशो को सभी गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओ के प्रवन्ध मण्डलो के ध्यान में लाकर आवश्यक अनुपालना किया जाना सुनिश्चित करावेंगे।

यह आज्ञा वित्त विभाग के अनुक्रमाक एफ. 4 (73) आर.एण्ड ए आई./95, दिनांक 30/11/1996 एव 11/12/1996 के क्रम में जारी की जाती है।

पत्र क्रमांक प-10 (12) शिक्षा-5/93 दिनाक 20/05/1997 (आदेश संख्या 15)

विषय :- गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के कर्मचारियों के पद्च्युत प्रकरण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के अध्याय-5 में उल्लिखित कर्मचारियो के पदच्युत प्रावधानों की पालना में अनुभव की जा रही कठिनाइयो के निवारणार्थ वस्तुस्थिति इस प्रकार स्पष्ट की जाती है।

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 39 (ज) के अनुसार किसी भी कर्मचारी को सेवा से हटाने या पद्च्युत करने से पूर्व शिक्षा निर्देशक या सक्षम अधिकारी का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि सस्था में शैक्षणिक अनुशासन बनाये जाने की दृष्टि से शिक्षा निदेशक या सक्षम अधिकारी, सस्था द्वारा इस प्रकार के प्रेषित मामलों मे अत्यधिक तत्परता से कार्य कर शीघ्र निर्णय लें व संस्था को अवगत करावें, ताकि शैक्षणिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे। साथ ही सस्था भी किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में इन प्रावधानों का प्रयोग करने से पूर्व नियमों के अनुरूप शिक्षा निदेशक या सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बाद ही आवश्यक कार्यवाही करें, ताकि न तो सस्था का शैक्षिक वातावरण बिगडे तथा न ही सस्था या कर्मचारी को किसी असुविधाजनक स्थिति से गुजरना पडे।

कृपया उक्त स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर समुचित पालना की आवश्यक व्यवस्था करने का श्रम करे।

क्रमांक प-10 (12) शिक्षा-5/93 दिनांक 20/05/1997 (आदेश सख्या 16)

विषय .- गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु चयन समिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के अध्याय-5 में उल्लिखित कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु चयन समिति की पालना में अनुभव की जा रही कठिनाईयों के निवारणार्थ वस्तुस्थिति इस प्रकार स्पष्ट की जाती है।

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान ओर सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 26 (ड) के अनुसार प्रत्येक सस्था मे कर्मचारियो की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामाकित विभागीय अधिकारी की उपस्थिति का प्रावधान है, जिसके अनुसार जव-जव सस्था को नियुक्ति हेतु चयन समिति की आवश्यकता होती है, शिक्षा निदेशक को प्रार्थना-पत्र भेजकर विभागीय प्रतिनिधि नामाकित कराना होता है, जिससे चयन समिति के गठन में आवश्यक विलम्ब होता है।

अत इस अनावश्यक विलम्ब एव पत्र-व्यवहार से वचने के लिए यह उचित होगा कि शिक्षा निदेशक नियम 26 (ड) मे निर्धारित स्तर के अधिकारियो को, संस्थाओं में चयन समिति में विभागीय अधिकारी के रूप में नामाकित करने सम्वन्धी स्थाई इस आशय के साथ जारी कर दे कि सस्थाए, आवश्यतानुसार चयन समिति में सदस्य के रूप में सम्बन्धित अधिकारी से पत्र-व्यवहार कर आमन्त्रित करले, जिससे इस सम्वन्ध मे पृथक् से शिक्षा निदेशक के आदेशों की आवश्यकता नहीं होगी।

कृपया उक्त स्पप्टकीरण के सम्वन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर समुचित पालना की आवश्यक व्यवस्था करने का श्रम करें।

क्रमाक प-10 (12) शिक्षा- 5/93 दिनांक 20/05/1997 (आदेश संख्या 17)

विषय :- **गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के सम्वन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के अध्याय 5 मे उल्लिखित कर्मचारियों के वेतन निर्धारण सम्वन्धी प्रावधानों की पालना में अनुभव की जा रही कठिनाइयों के *निवारणार्थ वस्तुस्थिति इस प्रकार स्पष्ट की जाती है;*

यदि किसी अनुदान प्राप्त सस्था को कोई अतिरिक्त अनुदानित पद स्वीकृत किया जाता है या उपलव्ध अनुदानित पदों मे से कोई पद रिक्त हो जाता है तथा उस पद पर नियुक्ति हेतु सस्था द्वारा नियमों में निर्धारित चयन समिति का गठन करने के पश्चात् निर्धारित योग्यता एव पात्रता के क्रम मे किसी ऐसे कर्मचारी का चयन कर लिया जाता है, जो कि उसी सस्था में गैर अनुदानित पद पर कार्यरत है तो उसका वेतन निर्धारण पूर्व में पा रहे वेतन से कम नहीं होगा, वशर्ते कि वह कर्मचारी अनुमोदित नव-नियुक्त पद की वेतन शृखला से अधिक नहीं पा रहा हो।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त स्पष्टीकरण के तहत वेतन का निर्धारण चयन समिति द्वारा की गई नव नियुक्तिया के मामले पर ही लागू होना न कि किसी अन्य मामलों पर, जैसे कि पदोन्नति आदि।

कृपया उक्त स्पष्टीकरण के सम्वन्ध मे आवश्यक आदेश जारी कर समुचित पालना की आवश्यक व्यवस्था करने का श्रम करें।

क्रमांक प-10 (12) शिक्षा-5/93 दिनांक - 20/05/1997 (आदेश सख्या - 18)

विषय - **गैर सरकारी शैक्षिक संस्थानों के कर्मचारियों के नियुक्ति अनुमोदन के सम्वन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के अध्याय 5 में उल्लिखित कर्मचारियों की नियुक्ति अनुमोदन की पालना में अनुभव की जा रही कठिनाईयों के निवारणार्थ वस्तुस्थिति इस प्रकार स्पष्ट की जाती है-

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 27 के अनुसार सस्था में नियुक्तियों हेतु अभ्यर्थियों के साक्षात्कार आदि की कार्यवाही चयन समिति द्वारा सम्पन्न करके, सस्था की प्रवन्ध समिति द्वारा चयन सूची अपनी सिफारिशों के साथ नियमों मे निर्धारित प्रपत्र मे विनिदिप्ट सक्षम अधिकारी को अनुमोदन हेतु प्रेपित की जाती है, परन्तु यह देखा गया है कि नियुक्ति अनुमोदन के प्रकरणो में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः यह उचित होगा कि शिक्षा निदेशक अपने स्तर पर पुनः एक आदेश इस आशय का जारी कर दे कि-

1. संस्थायें नियमों में वर्णित सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को सीधे ही अनुमोदन हेतु प्रकरण प्रेषित करदे, ताकि विलम्ब न हो।
2. समस्त सक्षम अधिकारी नियुक्ति अनुमोदन के प्रकरण प्राथमिकता के आधार पर निर्णित करे।

कृपया उक्त स्पष्टकीरण के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर समुचित पालना की आवश्यक व्यवस्था करने का श्रम करें।

क्रमांक प-11 (20) शिक्षा-5/90 दिनांक - 31/05/1997 (आदेश सख्या 19)

विषय :- **अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को रोस्टर प्रणाली के अनुसार उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण खाली स्थानों पर नियुक्ति बाबत।**

निदेशानुसार श्री वैदिक कन्या विद्यालय प्रबन्ध समिति, आबूरोड के पत्राक 756 दिनाक 20/03/1997 (प्रति सलग्न) के सन्दर्भ में आपका ध्यान राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 26 (एफ) की ओर आकर्षित कर रोस्टर प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध मे स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है-

1. प्रत्येक वर्ष संस्था में स्वीकृत पदों के आधार पर पृथक्-पृथक् कोटे के पदों का निर्धारण किया जावे।
2. इसके पश्चात् तदनुसार ही भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जावे। यदि किसी कोटे विशेष मे व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो अनारक्षित कोटे से व्यक्तियो का चयन कर लिया जावे।
3. किसी भी वर्ष में कुल रिक्त पदों मे से 50% से ज्यादा का आरक्षण नहीं होगा चाहे पिछले वर्ष का कितना भी बैंक लॉग बकाया है।

आज्ञा क्रमांक प-10 (12) शिक्षा-5/93 दिनांक- 18/06/1997 (आदेश संख्या 20)

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 45 मे राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त सस्थाओ में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा मे विस्तार अनुज्ञात करने की शक्तियो का प्रयोग करते हुए और तत्सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाने और इस सम्बन्ध में संस्थाओ के समक्ष उत्पन्न कठिनाइयों का निवारण करने की दृष्टि से, उक्त नियमों के नियम 92 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सस्था अपने जिस कर्मचारी की सेवा वृद्धि आवश्यक समझे उस कर्मचारी को अधिवार्षिकी आयु की प्राप्ति पर नियम 45 में विहित अधिकतम कालावधि/आयु प्राप्ति या 60 वर्ष जो भी कम हो तक के लिए सेवा विस्तार स्वीकृत कर सकेगी और उसको राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित समझा जायेगा और इस प्रकार मंजूर की गई सेवा विस्तार की कालावधि के लिए अनुदानित संस्थाओं को उपगत व्यय के सम्बन्ध में सामान्य सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा बशर्ते कि-

1. सेवा विस्तार की कालावधि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 45 में विहित कालावधि से अधिक न हो।
2. संस्था की प्रबन्ध समिति ने सम्बन्धित कर्मचारी की अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने की तिथि से कम से कम 3 माह पूर्व उसके लिए ऐसी सेवा विस्तार का प्रस्ताव पारित कर दिया हो,
3. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नियमों के परिशिष्ट-13 में यथा विहित आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिया हो,
4. विहित प्रारूप मे सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के पक्ष में चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी कर दिया हो,

5. कर्मचारी द्वारा की गई सेवाएँ सन्तोषजनक रही हों,
6. अध्यापकों के मामले मे कम से कम गत 3 वर्षो में उसके द्वारा पढ़ाई गई कक्षाओं का परीक्षा परिणाम 40% से कम नहीं रहा हो,
7 सेवा विस्तार का आदेश सस्था द्वारा अधिवार्षिकी आयु की तिथि के पूर्व जारी कर दिया हो, और
8. सस्था द्वारा अनुदान अन्तिमीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन-पत्र के साथ नियम-45 (v) में वर्णित समस्त दस्तावेज और जन्म तिथि प्रमाण-पत्र व सेवा विस्तार के आदेश की प्रति सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दी जावे।

सस्था द्वारा उपर्युक्त शर्तो की पालना में जारी की गई प्रत्येक सेवा वृद्धि की स्वीकृति की प्रति राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित की जायेगी।

राज्य सरकार किसी कर्मचारी या सस्था के मामले में सेवा विस्तार अनुज्ञात न करने या सस्था द्वारा किये गये सेवा विस्तार को निरस्त करने का आदेश दे सकेगी या राज्य सरकार की विशिष्ट पूर्वानुमति प्राप्त करने का आदेश दे सकेगी।

परिपत्र क्रमांक प-10 (22) शिक्षा-5/89 दिनाक- 25/06/1997 (आदेश सख्या 21)

विषय :-गैर सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के स्तर क्रमोन्नत/नये विषय खोलने की स्वीकृति के सम्वन्ध में।

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम - 1989 के अन्तर्गत प्रभावी नियम-1993 के नियम 16 (घ) में प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा सहायता, अनुदान केवल उन मामलो में ही दिया जाएगा जहॉ क्रमोन्नत या नये विषय खोलने का अनुमोदन नियमो के साथ परिशिष्ट-10 के क्रम सख्या-4 पर सम्मिलित प्रविष्टि के अनुसार राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् किया गया हो। राज्य स्तर पर कतिपय ऐसे प्रकरण अनुमोदन हेतु प्राप्त होते हैं, जिनमें अनुदानित सस्था क्रमोन्नयन या नये विषय खोलने के लिए राज्य सरकार से अनुदान नहीं चाहती या राज्य सरकार के भविष्य में अनुदान स्वीकार नहीं करने की शर्त स्वीकार कर लेती है। वस्तुत. ऐसे प्रकरणो में सस्था क्रमोन्नयन या नये विषय "सैल्फ फाइनैंन्सिग" आधार पर ही करना चाहती है।

इस विषय का परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाएँ यदि "सैल्फ फाइनैन्सिंग" के आधर पर नए विषय खोलना चाहती है या क्रमोन्नयन करना चाहती है तो उन्हे राज्य सरकार से ऐसे क्रमोन्नयन या विषय खोलने के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा नए अनुदान प्रस्तावों पर अनुदान समिति की वैठक मे ही विचार किया जाकर निर्णय लिया जाता है। गत समय से राज्य सरकार की यह नीति रही है कि अनुदान समिति की सिफारिश के अतिरिक्त अन्य किसी अनुदानित सस्था द्वारा यदि क्रमोन्नयन या नये विषय खोलने के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन चाहा है तो राज्य सरकार उन्हें अनुदान नहीं देने की शर्त पर ही क्रमोन्नयन या नये विषय खोलने की अनुमति देती है।

चूकि ऐसी स्थिति में सस्था "सैल्फ फाइनैन्सिग" के आधार पर ही क्रमोन्नयन कर पायी है या नये विषय खोल पाती है। अतः ऐसे प्रकरणों में भी अब यह निर्णय लिया गया है कि इसमे राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर अपने स्तर पर ही नियमानुसार परीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर सकेंगे एव तत्पश्चात् गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम-1989 के तहत सैकण्डरी या सीनियर सैकेण्डरी स्तर के लिए क्रमोन्नयन या नये विषय खोलने की मान्यता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर जारी कर सकेगा।

आज्ञा क्रमांक प-11 (22) शिक्षा-5/88 दिनांक - 14/08/1997 (आदेश संख्या 22)

विषय :- **गैर सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अशदायी प्रावधायी निधि से सम्बन्धित राशि जमा कराने सम्बन्धी आदेश।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के पूर्ववर्ती समस्त समसख्यक आदेशो को निरस्त करते हुए गैर सरकारी अनुदान प्राप्त ऐसी शिक्षण सस्थाओ, जहॉ पर 20 या 20 से अधिक व्यक्ति कार्यरत है, के सम्बन्ध मे कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 के तहत राज्य सरकार द्वारा माह अगस्त, 1997 देय वेतन सितम्बर, 97 से निम्नलिखित व्यवस्था अनुसार राशि जमा कराने के आदेश प्रदान किये जाते है।

इससे पूर्व की अवधि के सम्बन्ध में प्रावधानी निधि आयुक्त से वार्ता करने के पश्चात् पृथक् से आदेश प्रस्तावित किये जा रहे हैं।

फिर भी यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, सर्विस से त्यागपत्र देता है या स्वर्गवास हो जाता है तो उसके भविष्य निधि खाते में बकाया राशि, जो कि पी.डी. खाते में जमा है, को निकाल कर आयुक्त, क्षेत्रीय निधि कार्यालय मे जमा देनी चाहिये, ताकि सम्बन्धित व्यक्ति को बिना किसी विलम्ब से आवश्यक लाभ मिल सके।

संस्था द्वारा राशि जमा कराने का विवरण-

क्र.सं.	खाता संख्या	राशि जहॉं जमा करानी है	विवरण
1	2	3	4
1.	कर्मचारी, भविष्य निधि अशदान खाता सं. 1	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	अ- कर्मचारी अशदान की राशि कर्मचारी के मूल वेतन तथा महगाई भत्ते की 10% राशि के बराबर ब- नियोक्ता के अशदान की राशि कर्मचारी के मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते की 1.67% राशि
2.	कर्मचारी, पेन्शन अशदान खाता सख्या-10	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	नियोक्ता के अंशदान की राशि कर्मचारी के मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते की 8 33% राशि।
3.	कर्मचारी, भविष्य निधि प्रशासनिक प्रभार खाता सख्या - 2	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	नियोक्ता के अंशदान की राशि कर्मचारी के मूल वेतन तथा महगाई भत्ते की 0 65% राशि
4.	कर्मचारी जमा लिक्ड बीमा अंशदान खाता सख्या-2	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	नियोक्ता के अंशदान की राशि कर्मचारी के मूल वेतन तथा महगाई भत्ते की 0.05% राशि (इस अशदान की राशि अधिकतम 5000/- तक होगी।
5.	कर्मचारी, जमा लिक बीमा अंशदान प्रभार खाता स.22	क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय	नियोक्ता के अंशदान की राशि कर्मचारी के मूल वेतन तथा महगाई भत्ते की 0.01% राशि या कम से कम 2/-, जो भी अधिक हो।

ऐसी सभी संस्थाएँ, उपरोक्त सभी योजनाओं से सम्बन्धित मासिक तथा वार्षिक विवरणियां निर्धारित प्रपत्र में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रेषित करेगी।

निदेशक, स्थानीय निधि अकेक्षण विभाग द्वारा संस्थाओं के पी.एफ. के अंकेक्षण का कार्य यथावत किया जाता रहेगा।

विभिन्न शिक्षा निदेशायल एव उसके अधीनस्थ क्षेत्रीय एव शिक्षा अधिकारियों को इस आदेश के सभी गेर सरकारी शिक्षण सस्थाओ के प्रबन्ध मण्डलों के ध्यान मे लाकर आवश्यक अनुपालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह आज्ञा वित्त विभाग के आदेश क्रमाक एफ- 4 (73) एफ.डी./आर.एण्ड ए-1/95, दिनांक 05/08/1997 के अनुसरण मे जारी की जाती है।

क्रमांक प-18 (8) शिक्षा-5/97 दिनांक-19/08/1997 (आदेश संख्या - 23)

विषय - **विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना लागू करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य मे गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओ में अध्ययनरत, कक्षा 1 से 12 तक के समस्त विद्यार्थियो के लिए, जिनका नाम विद्यालय के स्कालर रजिस्टर में अकित हे के लिए विद्यार्थी सुरक्ष वीमा योजना क्रियान्वित किये जाने के लिए निम्न प्रकार निर्देश प्रसारित किये जाते है-

1 राज्य मे कार्यरत प्रत्येक गैर सरकारी शिक्षण सस्था के लिए यह आवश्यक होगा कि उसमें अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के समस्त विद्यार्थियो के लिए सामूहिक सुरक्षा वीमा पॉलिसी तत्काल प्रभाव से लें।

2 सामूहिक सुरक्षा वीमा योजना के लिए, प्रत्येक विद्यालय अपने विद्यार्थियो से 60 पैसे, प्रति विद्यार्थी, वार्षिक की दर से वीमा प्रीमियम की राशि या किसी भी सुरक्षा वीमा करने वाली राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनी द्वारा ली जाने वाली वास्तविक प्रीमियम की राशि, जो भी कम होगी, लेगी।

3. उस विद्यालय मे अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के समस्त विद्यार्थी, जिनका नाम विद्यालय के स्कालर रजिस्टर में दर्ज है, के लिए विद्यालय द्वारा एक ही वीमा पॉलिसी को सामान्य वीमा निगम की किसी भी सहायक वीमा कम्पनी से ली जा सकती है।

4. वीमा पॉलिसी सामान्यत. एक वर्ष की अवधि की होती है, अतः पॉलिसी प्रति वर्ष नवीनीकृत कराये।

5 यह वीमा सरक्षण पूरे भारत मे प्रभावी रहेगा। इस तरह राज्य के विद्यार्थी भारत में किसी भी शैक्षणिक दौरे, भेट या यात्रा में रहते है तो उन्हे बीमा संरक्षण का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

6. इस सुरक्षा वीमा पॉलिसी के अन्तर्गत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि अन्य किसी भी विधि विधान जैसे मोटर दुर्घटना आदि के अन्तर्गत मिलने वाली क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगी।

7 किसी भी दुर्घटना मे कितनी बीमा राशि एवं किस प्रक्रिया से मिलेगी, इसका निर्धारण प्रत्येक विद्यालय, वीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अपने स्तर से कर सकेगा।

इस योजना का विद्यार्थी एव अभिभावकों मे व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।

क्रमांक - प-10 (9) शिक्षा-5/97 दिनांक - 09/09/1997 (आदेश संख्या 24)

विषयः- **गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को स्थायी मान्यता देने सम्बन्धी प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थायी मान्यता देने सम्बन्धी प्रकरणो में राज्य सरकार के ध्यान में ऐसे अनेक प्रकरण आये है जिसमे सम्बन्धित विद्यालयो मे कक्षा आठ में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, परन्तु

ऐसे विद्यालयो को अस्थायी मान्यता प्राप्त हुए अभी एक या दो वर्ष ही हुए है। ऐसे सभी प्रकरणों को तत्परता से निस्तारित करने के लिए निम्न प्रकार निर्देश प्रसारित किये जाते है-

1 राज्य मे किसी भी स्तर पर लम्बित स्थायी मान्यता सम्बन्धी ऐसे प्रकरण जिनके निरीक्षण की कार्यवाही पूरी हो चूकी है तथा स्थायी मान्यता प्रदान करने के लिए अनुदान नियम के नियम 4 (ii) में वर्णित समस्त शर्तो की पूर्ति संस्था करती है, सिवाय समय सीमा के, तो ऐसी सस्थाओ सम्बन्धी समस्त प्रकरणों को एकजाई करके समय सीमा में शिथिलता प्रदान करने के प्रस्ताव इस विभाग को 30/09/1997 तक अवश्य प्रेषित करने की व्यवस्था करावे।

2. राज्य मे किसी भी स्तर पर लम्बित स्थायी मान्यता सम्बन्धी ऐसे प्रकरण, जिनमें सस्था के निरीक्षण आदि की कार्यवाही पूरी की जानी है, इन समस्त संस्थाओ के निरीक्षण की कार्यवाही दिनाक 30/09/1997 तक निश्चित रूप से कराने की आवश्यकता व्यवस्था करें।

साथ ही उक्त सस्थाओ के निरीक्षण आदि के प्रतिवेदन का परीक्षण करने पर जो सस्थाये ऐसी पाई जावे, जिनके द्वारा अनुदान नियमो के नियम 4 (ii) में वर्णित समस्त शर्तो की पूर्ति विभाग के सन्तुष्टि अनुसार करती है, सिवाय समय सीमा के, तो ऐसी सस्थाओं को स्थायी मान्यता प्रदान करने के लिए समय सीमा सम्बन्धी शर्त मे शिथिलता प्रदान के प्रस्ताव एक मुश्त करके इनके निरीक्षण प्रतिवेदनो के साथ दिनाक 15/10/1997 तक इस विभाग को समय सीमा के सम्बन्ध में आवश्यक शिथिलता प्रदान करने के लिए प्रेषित करने की आवश्यकता व्यवस्था करावे।

कृपया उक्त दोनो प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारण करने की आवश्यक कार्यवाही करने की व्यवस्था करें।

क्रमांक प-11 (17) शिक्षा-5/91 दिनांक- 01/10/1997 (आदेश संख्या- 25)

विषय - **गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में की जाने वाली नियुक्तियों के अनुमोदन सम्बन्धी अधिकारों का प्रत्यायोजन।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियिम, 1989 के तहत निर्मित राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 1993 के परिशिष्ट 10 (1) के कॉलम सख्या 4 मे निदेशक के सम्मुख उस पद नाम का उल्लेख किया गया है जिस पद के लिए नियुक्ति अनुमोदन के अधिकारो का प्रत्यायोजन किया गया है।

उक्त प्रकरण का राज्य सरकार के स्तर पर परीक्षण कर यह पाया गया है कि सम्बन्धित निदेशकों को उपर्युक्त वर्णानुसार जिन पदो तक नियुक्ति हेतु सक्षम अधिकारी घोषित किया हुआ है उन पदों में समकक्ष वेतन श्रृखला वाले पदों के अनुमोदन के प्रकरण राज्य सरकार को इस आधार पर अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाते हैं कि इन पदों का नाम उक्त परिशिष्ट 10 पर अंकित नहीं है।

अतः प्रकरण का विस्तृत परीक्षण कर राज्य सरकार द्वारा अनुदान नियमों के नियम 92 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि किसी पद नाम वाले कर्मचारी जिसकी वेतन श्रृखला 2650 से 4000 रुपये है का अनुमोदन सम्बन्धित निदेशक द्वारा ही कर दिया जाये।

क्रमाक प-10 (12) शिक्षा - 5/93 दिनाक 04/11/1997 (आदेश संख्या 26)

विषय :- **राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 33 के अन्तर्गत अत्यावश्यक अस्थाई नियुक्ति के सम्बन्ध में।**

1. नियम 33 के अध्याधीन अत्यावश्यक अस्थाई नियुक्ति प्रबन्ध समिति के एक सदस्य, शैक्षिक संस्था के मुखिया (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक) व निदेशक, शिक्षा या जिला शिक्षा अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के एक प्रतिनिधि की चयन समिति द्वारा की जा सकेगी।

2. किसी भी अनुदानित संस्था मे अनुदानित पद पर एक वर्ष में अत्यावश्यक अस्थाई नियुक्ति के लिये अधिक से अधिक छः माह तक ही अनुदान अनुज्ञेय होगा।
3. अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति करने से पूर्व सस्था को स्थानीय समाचार-पत्रो में विज्ञापन देना होगा। ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षण संस्थाए विज्ञापन देने की शर्त से मुक्त होगी।
4 स्थानीय समाचार-पत्रो मे अत्यावश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति के लिये किसी भी सस्था को सभी पदों पर मिलाकर एक वर्ष में एक से अधिक बार विज्ञापन व्यय अनुदानित व्यय के रूप मे नहीं दिया जावेगा।
5. यदि कोई गैर सरकारी शिक्षण सस्था शिक्षा विभाग द्वारा संधारित नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में से किसी अभ्यार्थी को अत्यावश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्त करती है तो उसे विज्ञापन देना व चयन समिति की बैठक बुलाकर चयन करने की दोनों शर्तो का बन्धन नहीं होगा।

क्रमांक प-15 (1) शिक्षा-5/94 -पार्ट दिनांक 05/11/1997 (आदेश संख्या 27)

विषय - गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को अस्थायी मान्यता देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 के तहत बने तत्सम्बन्धी नियम, 1993 के नियम 4 (1) मे वर्णित प्रावधान को और अधिक स्पष्ट करते हुए निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि -

1. किसी भी गैर सरकारी शैक्षिक सस्था द्वारा विद्यालय/पुस्तकालय/अनुसधान सस्था या प्रशिक्षण विद्यालय को अस्थायी मान्यता के लिए नियमो मे विहित रूप (परिशिष्ट-1) मे उल्लेखित समस्त तथ्यों से एव उसके साथ सलग्न किये गये आवश्यक सलग्नको में वर्णित तथ्यो को सत्यापित करने वाले शपथ-पत्र के आधार पर उक्त सस्था को नियमों मे वर्णित सक्षम अधिकारी द्वारा तुरन्त अस्थायी मान्यता दे दी जानी चाहिये।
2. उक्त अस्थायी मान्यता के लिए किसी भी प्रकार के निरीक्षण आदि की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
3. यदि सस्था द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र मे कोई कमी प्रतीत होती है तो मूल प्रार्थना-पत्र मे ही कमी का उल्लेख करते हुए सस्था को वापिस लौटा दिया जाना चाहिए।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रथम बार दी गई अस्थायी मान्यता की अवधि 3 वर्ष के लिए होगी। 3 वर्ष पश्चात् सस्था के प्रार्थना-पत्र पर अस्थायी मान्यता की अवधि 2 वर्ष और बढाई जा सकती है। इस प्रकार किसी भी सस्था की अस्थाई मान्यता अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी तथा 5 वर्ष पश्चात् सस्था की अस्थाई मान्यता स्वत. ही समाप्त हो जावेगी। इसके प्रति वर्ष नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है।
5. उपर्युक्त प्रकार संस्था को अस्थायी मान्यता देने के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा अस्थायी मान्यता सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों के सत्यापन हेतु आवश्यकतानुसार सस्था का निरीक्षण किया जा सकता है।
6. उपर्युक्त वर्णित स्थिति के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अनुदान नियमों के नियम 5 में मान्यता की प्रक्रिया के लिए जो निरीक्षण आदि की व्यवस्था है, उसके सम्बन्ध में स्थायी मान्यता देने की कार्यवाही हेतु निरीक्षण आदि की व्यवस्था से है। अस्थायी मान्यता के लिए निरीक्षण आदि की कोई आवश्यकता नहीं है।
7. किसी भी सस्था का स्थायी मान्यता हेतु निरीक्षण करते समय शिक्षा विभाग के द्वारा अपने आदेश क्रमाक एफ-3 (1) शिक्षा-5/94 दिनांक 19/03/1994 के द्वारा अनुदान नियमों के परिशिष्ट-2 में निर्धारित कतिपय भौतिक मापदण्डों में प्रदान की गई शिथिलता को ध्यान में रखते हुए भी स्थायी मान्यता हेतु सस्था का निरीक्षण किया जावे।

कृपया उपरोक्त स्थिति से समस्त सक्षम अधिकारियों के ध्यान में लाने की व्यवस्था करें।

क्रमांक प-15 (1) शिक्षा-5/94 दिनांक - 05/11/1997 (आदेश संख्या- 28)

विषय :- **राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के तहत संस्था की भूमि एवं भवन के मूल्याकन अथवा सुरक्षा प्रमाण-पत्र के लिए सक्षम अधिकारी के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत समय-समय पर विभिन्न गैर सरकारी शैक्षणिक सस्थाओं द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि सस्थाओ को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और शर्ते आदि) नियम, 1993 के विभिन्न प्रावधानो के तहत सस्था की भूमि एव भवन के मूल्याकन अथवा सुरक्षा सम्वन्धी प्रमाण-पत्र के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग से आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है, जिसमे उन्हें अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पडता है।

अतः प्रकरण मे आवश्यक विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी शैक्षणिक सस्थाओं को होने वाली कठिनाई को ध्यान मे रखते हुए राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 1993 के नियम 92 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह शिथिलता प्रदानन की जाती है कि उक्त नियमों मे, जहाँ कहीं भी सार्वजनिक निर्माण विभाग से सस्था की भूमि एव भवन के मूल्याकन अथवा सुरक्षा सम्वन्धी प्रमाण-पत्र लेने का उल्लेख है, वहा सस्था द्वारा "सार्वजनिक निर्माण विभाग, आवास विकास सस्थान, राजस्थान हाऊसिग वोर्ड, राजस्थान पुल निर्माण निगम या पंचायत समिति में पदस्थापित कनिष्ठ अभियन्ता", किन्हीं से भी आवश्यक प्रमाण-पत्र लेकर अनुदान नियमों के तहत जहां आवश्यक हो, प्रस्तुत किया जा सकता है।

कृपया उपरोक्त स्थिति से सक्षम अधिकारियो को अवगत कराने का श्रम करें।

क्रमांक प-17 (52) शिक्षा-5/91 दिनांक 13/11/1997 (आदेश संख्या - 29)

विषय :- **राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 के अन्तर्गत नियुक्त स्थायी/अस्थायी कर्मचारी को हटाये जाने अथवा सेवा छोड़ने पर दिये जाने वाले नोटिस की अवधि के सम्बन्ध में।**

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 39(1) के अनुसार सस्थाओं में आवश्यक अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारी द्वारा सेवा छोड़ने से पूर्व उसके द्वारा एक महीने का नोटिस या वेतन दिये जाने का प्रावधन है। परन्तु स्थायी आधार पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से सेवा से विमुक्त होने की स्थिति में कितनी अवधि का नोटिस दिया जाना अपेक्षित है इसका प्रचलित नियमों में कोई स्पप्ट उल्लेखित नहीं है। कतिपय संस्थाओं द्वारा इस स्थिति को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

अतः राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 92 द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग कर यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के अन्तर्गत स्थायी आधार पर नियुक्त शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारी द्वारा यदि स्वेच्छा से सेवा परित्याग किया जाता है तो उसके द्वारा 3 महीने का अग्रिम नोटिस दिया जाना अथवा नोटिस अवधि का वेतन जमा कराना आवश्यक होगा।

क्रमांक प-10 (12) शिक्षा-5/93 दिनांक 17/11/1997 (आदेश संख्या 30)

विषय :- **गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को चयनित वेतनमान एवं उपदान के सम्बन्ध में स्थिति का स्पष्टीकरण।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभिन्न गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं द्वारा राज्य सरकार से उनके यहाँ कार्यरत कर्मचारियों को चयनित वेतनमान दने एवं अनुदान नियमों के नियम, 82 के तहत उपदान देने के प्रावधान के क्रम में उक्त राशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध विभिन्न प्रतिवेदनों के माध्यम से किया जा रहा है।

उपर्युक्त दोनों प्रकार के प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 1993 के तहत वने प्रावधानों के क्रम में प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त निम्न प्रकार वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाती है.

1 **चयनित वेतनमान के सम्बन्ध में :** राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 की धारा 29 सपठित नियम 34 मे यह प्रावधान है कि सहायता प्राप्त सस्थाओं के सभी कर्मचारियों के वेतन एव भत्ते, सरकारी शिक्षण सस्थाओं के, वैसे ही प्रवर्ग के कर्मचारियों के लिए, सरकार द्वारा विहित वेतनमान और भत्तों से कम नहीं होंगे। भत्तों के सम्बन्ध में नियम 34 के नीचे स्पष्टीकरण मे यह स्पष्ट अकित किया हुआ है कि भत्तो से अभिप्रेत व इसमें सम्मिलित हैं- महगाई भत्ता, गृह किराया भत्ता और शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता है।

अतः किसी भी सस्था को राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उस सस्था में कार्यरत कर्मचारियो को राज्य सरकार के कर्मचारियो के समान ही वेतन, महगाई भत्ते, गृह किराया भत्ते व शहरी क्षतिपूर्ति भत्तों का भुगतान किया जाये।

चयन वेतनमान देने के सम्बन्ध में नियमों मे कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वस्तुतः अनुदानित गैर सरकारी शैक्षणिक सस्थाओं मे कार्यरत कर्मचारियो को पदोन्नति देने सम्बन्ध मे भी अनुदान नियमों मे किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को चयनित वेतनमान तभी देय होता है जबकि निर्धारित अवधि में किसी कर्मचारी को पदोन्नति पदों की कम उपलब्धता के कारण से नहीं दी जा सकी है।

चूकि गैर सरकारी अनुदानित सस्थाओं के सम्बन्ध में नियमो में किसी भी पदोन्नति का प्रावधान नहीं किया गया है अतः चयनित वेतनमान पदोन्नति के पद उपलब्ध नही होने की स्थिति नहीं होने से दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अत· स्पष्ट किया जाता है कि गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओ में कार्यरत कर्मचारियों को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 व तत्सम्बन्धी नियम 1993 के तहत किसी प्रकार का चयनित वेतनमान देय नहीं है।

चयन वेतनमान देने के सम्बन्ध मे नियमो में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वस्तुतः अनुदानित गैर सरकारी शैक्षणिक सस्थाओ में कार्यरत कर्मचारियो को पदोन्नति देने के सम्बन्ध में भी अनुदान नियमों में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को चयनित वेतनमान तभी तेय देय होता है जबकि निर्धारित अवधि मे किसी कर्मचारी को पदोन्नति पदों की कम उपलब्धता के कारण से नहीं दी जा सकी है।

चूकि गैर सरकारी अनुदानित संस्थाओं के सम्बन्ध में नियमो मे किसी भी पदोन्नति का प्रावधान नहीं किया गया है अत. चयनित वेतनमान पदोन्नति के पद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति नहीं होने से दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अत· स्पष्ट किया जाता है कि गैर सरकारी शैक्षणिक सस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 व तत्सम्बन्धी नियम 1993 के तहत किसी प्रकार का चयनित वेतनमान देय नहीं है।

2. उपदान हेतु देय राशि के सम्बन्ध में- राजस्थान गैर सरकारी सस्था नियम, 1993 के नियम 6 में यह प्रावधान अकित है कि सहायता प्राप्त शैक्षणिक सस्थाओ के कर्मचारियों को यथा सशोधित उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन यथा अनुज्ञेय उपदान सस्था द्वारा देय होगा।

परन्तु राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 1993 के नियम 13 व 14 में वर्णित अनुदान हेतु अनुमोदित व्यय के मदों में उपदान मद का उल्लेख नहीं किया गया है। अत· सस्थाओ द्वारा उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के तहत उनके यहा कार्यरत कर्मचारियों को देय उपदान की राशि का कोई अनुदान राज्य सरकार द्वारा इन अनुदान नियमो के तहत देय नहीं होगा।

उपरोक्त स्थिति के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अनुदान नियम 13 व 14 मे उपदान का उल्लेख नहीं होने के कारण सस्थाओ को उपदान हेतु किसी प्रकार का अनुदान देय नहीं होगा। हालाकित सस्थाओं में उपदान सदाय, 1972 के तहत पात्र कर्मचारियों को उपदान देने की वाध्यता रहेगी।

उपरोक्त स्थिति से समस्त अधिकारियो को अवगत करा दिया जाये।

क्रमाक प-10 (12) शिक्षा-5/93 पार्ट-I दिनांक - 17/11/1997 (आदेश संख्या - 31)

विषय - **अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं के लेखों का अंकेक्षण करने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एव तत्सम्बन्धी नियम 1993 के नियम 14 (4) टिप्पणी-1 तथा नियम 20 (3) के तहत लेखों के वार्षिक परीक्षण चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट या अधिकृत समपरीक्षक द्वारा कराये जाने के उल्लेख के सम्बन्ध मे विभिन्न सस्थाओ से यह आवेदन प्राप्त हुए हैं कि अधिकृत समपरीक्षक से नियमो में क्या तात्पर्य है ?

उपरोक्त सन्दर्भ मे स्थिति का परीक्षण राजस्थान सरकार के स्तर पर करने से यह पाया कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं तत्सम्बन्धी नियम 1993 में अधिकृत समपरीक्षक किसे माना जाये के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है।

सामान्य वित्तीय एव लेखा नियमो के तहत वनाये गये अनुदान सम्बन्धी नियम 280 (6) के अनुसार राजस्थान लेखा सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियो को पाच लाख तक वार्षिक अनुदान प्राप्त करने वाली सस्था के लेखों का अकेक्षण कर रिपोर्ट देने का अधिकार दिया गया है।

अतः आपको स्पष्ट किया जाता है कि पाच लाख रुपये तक वार्षिक अनुदान प्राप्त करने वाली सस्था का वार्षिक परीक्षण चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट के अलावा राजस्थान लेखा सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों से भी कराया जा सकता है। पाच लाख से अधिक अनुदान प्राप्त करने वाली सस्थाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी तक किसी अन्य समपरीक्षक को अधिकृत नहीं किया है।

कृपया समस्त सक्षम अधिकारियों को उक्त स्थिति से अवगत कराने का श्रम करे।

क्रमांक प-15(1) शिक्षा-5/94 पार्ट दिनांक 19/11/1997 (आदेश संख्या-32)

विषय :- **विद्यालयों को मान्यता हेतु संस्था के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रावधान का स्पष्टीकरण।**

प्रसग :- **संयुक्त निदेशक (प्राथमिक), प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा; राजस्थान बीकानेर का पत्र संख्या शिविरा/ प्राथ/ सी/19401/97/145/96-97 दिनांक 10/10/1997।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी सस्था अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) परन्तुक व तत्सम्बन्धी नियम, 1993 के नियम 3 में वर्णित राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रकरण अधिनियम, 1958 के तहत रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में आपके द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि ऐसी संस्थायें, जिनका रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम के प्रभाव मे आने से पूर्व तत्समय प्रदत्त अधिनियम मे हो गया हो, उनको भी नई सस्था स्थापित करने के लिए राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत पुनः रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता है या नहीं।

इस सम्बन्ध में प्रकरण का राज्य सरकार के स्तर पर परीक्षण उपरान्त वास्तुस्थिति स्पष्ट की जाती है कि किसी संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एव तत्सम्बन्धी नियम, 1993 के प्रभाव में आने से पूर्व, उस समय लागू नियमों के तहत आवश्यक रजिस्ट्रेशन कराने के वाद अव यदि नया विद्यालय खोलने के लिए उसे राजस्थान गैर

सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) परन्तुक के तहत वर्णित राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 में पुन. रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यक्ता नहीं हे।

कृपया इसे अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियो के ध्यान में लाया जावे।

पत्र क्रमांक प-10(9) शिक्षा-5/97 दिनांक 03/12/1997 (आदेश संख्या 33)

विषय :- **उच्च प्राथमिकता स्तर तक की गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को स्थायी मान्यता हेतु शिथिलन।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसख्यक पत्र दिनाक 09/09/1997 के क्रम में निदेशालय, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा अपने पत्राक शिविरा/प्राथ/सी/19626/381/93-94, दिनाक 10/10/1997 के द्वारा जारी निर्देशों से कुछ भ्रातियॉ हो गई है। अतः निदेशालय द्वारा सन्दर्भित पत्र दिनाक 18/10/1997 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी समसख्यक पत्र दिनाक 09/09/1997 की प्रति सलग्न कर स्थिति स्पष्ट की जाती है कि:-

1. राज्य सरकार द्वारा सन्दर्भित आदेश दिनाक 09/09/1997 समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए लागू है न कि केवल अग्रेजी माध्यम वाले स्कूलो के लिए।
2. राज्य सरकार का मानस समस्त पात्र प्रकरणों को एक साथ निपटारा करने का है। अतः समस्त सक्षम अधिकारी, कृपया अपने स्तर पर यह भी सुनिश्चित करलें कि उनके क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिनमें कि कक्षा आठ में विद्यार्थी अध्ययनरत है और ऐसे विद्यालयो को अभी अस्थायी मान्यता प्राप्त किये एक या दो वर्ष ही हुए है, का परीक्षण उनके स्तर पर कर लिया जावे।
3. ऐसे विद्यालयो को अस्थाई मान्यता से स्थाई मान्यता सम्बन्धी प्रकरण पर विचार करते समय, सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुदान नियमों के परिशिष्ट- 2 में वर्णित मापदण्डों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमाक एफ. 3 (1) शिक्षा-5/94, दिनांक 19/03/1994 मे दी गई शिथिलता का ध्यान रखा जावे। इस आदेश द्वारा परिशिष्ट की क्रम सख्या 2,3, 4 व 6 में शिथिलता प्रदान की गई है।

उपर्युक्त वर्णित निर्देशो की पालना के लिए समस्त शिक्षा अधिकारियो को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि राज्य सरकार के सन्दर्भित आदेश दिनाक 09/09/1997 मे दिनांक 30/09/1997 एवं 15/10/1997 तक अपेक्षित समस्त प्रस्तावों को अव पुन· निर्धारित अवधि दिनाक 31/12/1997 तक निदेशालय को अवश्य प्रेपित कर दिया जाये, अन्यथा सम्वन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

कृपया निर्धारित 31/12/1997 की समय सीमा एव समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रस्ताव भेजने की निश्चित पालना की जावे।

क्रमांक प-10 (12) शिक्षा-5/93 दिनांक 03/12/1997 (आदेश संख्या 34)

विषय :- **गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के सम्वन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान ओर सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के अध्याय में उल्लखित कर्मचारियों के वेतन निर्धारण सम्वन्धी प्रावधानों की पालना में अनुभव की जा रही कठिनाईयों के निवारणार्थ जारी विभागीय समसख्यक पत्र दिनांक 20/05/1997 को निरस्त करते हुए कर्मचारियों के वेतन सरक्षण के सम्वन्ध में निम्न प्रकार पुन· स्थिति स्पष्ट की जाती है -

1. किसी सस्था को प्रथम वार अनुदान सूची पर लेने पर, उस सस्था में कार्यरत कर्मचारियो के स्क्रीनिग/चयन का कार्य नियमानुसार गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित योग्यता एव पात्रता के क्रम में करके सस्था की प्रवन्ध समिति को उन्हें

संस्था के लिए स्वीकृत अनुदानित पदों पर नियुक्त/समायोजित करने की आवश्यकता सिफारिश करेगी। उक्त सिफारिश के आधार पर प्रवन्ध समित द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण विभागीय परिपत्र क्रमाक एफ. 24(53) शिक्षा-5/76 दिनाक 02/07/1976 की प्रक्रिया अनुसार ही होगा।

2 किसी भी अनुदान प्राप्त शैक्षिक सस्था में कोई अनुदानित पद रिक्त होने पर यदि उसी या किसी अन्य अनुदानित सस्था के अनुदानित पद पर कार्यरत व्यक्ति की उस पद पर नियुक्ति राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 व उसके अन्तर्गत वनाये नियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार होती है तो ऐसे कर्मचारी का वेतन सरक्षण सस्था द्वारा किया जा सकता है।

3. नव नियुक्त पद की वेतन शृंखला में कर्मचारी का वेतन निर्धारण समान वेतन पर या यदि समान वेतन नहीं है तो वर्तमान में पा रहे वेतन से नवीन वेतन श्रृखला मे निचली स्टेज पर होगा तथा निचली स्टेज व वर्तमान वेतन का अन्तर कर्मचारी को निजी वेतन के रूप मे स्वीकार किया जावेगा।

4. नवीन वेतन श्रृखला में समान या निजी वेतन के साथ निचली स्टेज पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप कर्मचारी की वेतन वृद्धि तिथि पूर्ववत् ही रहेगी।

क्रमाक प-9(21) शिक्षा-5/94 दिनांक - 05/12/1997 (आदेश सख्या 35)

विषय :- **चयन समिति के गठन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।**

प्राय. ऐसा देखने में आया है कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 26 (घ) के तहत प्रावधित चयन समिति के समस्त सदस्य किसी न किसी कारणवश चयन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में सस्था के समक्ष दो ही विकल्प रहते हैं-

1 साक्षात्कार को स्थगित कर दिया जावे।

या

चयन समिति के उपस्थित सदस्यों के द्वारा ही उम्मीदवारो का साक्षात्कार ले लिया जावे।

पहले विकल्प के क्रम में उम्मीदवारों को अनावश्यक रूप से आने-जाने में परेशानी, धन व समय की बर्वादी होती है तो दूसरे विकल्प के रूप मे चयन समिति का गठन पूर्ण नहीं होने की वजह से उन्हें राज्य सरकार से चयन समिति के गठन सम्बन्धी प्रावधान में शिथिलता के लिए आग्रह करना होता है।

उक्त परिस्थितियो का विस्तार से परीक्षण करने के उपरान्त राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 92 के तहत शक्तियो का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा नियम 26 (घ) में चयन समिति के सदस्यों के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी भी चयन समिति मे शिक्षा विभाग द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी सहित कुल तीन सदस्य उपस्थित हों व उनके द्वारा सर्व सम्मति से चयन किया गया हो तो उस चयन समिति को नियमानुसार गठित समिति मान लिया जावे।

क्रमांक प-18(8) शिक्षा-5/95 दिनांक 13/12/1997 (आदेश संख्या 36)

विषय :- **सोसायटी के अधीन संचालित एक विद्यालय से अन्य विद्यालय में कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभिन्न शैक्षिक सस्थाओ द्वारा राज्य सरकार के ध्यान मे यह लाया गया है कि एक सोसायटी द्वारा एक से अधिक विद्यालय सचालित करने की दिशा मे, उन्हें अनेक बार शैक्षिक आवश्यकताओं को देखते हुए उनमें कार्यरत

अध्यापको का स्थानान्तरण उनके अधीनस्थ में चलने वाले एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में करना पडता है, परन्तु उक्त स्थानान्तरण के लिए नियमों में स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने की वजह से कठिनाई का सामना करना पडता है। अतः स्थानान्तरण के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जारी करने की व्यवस्था की जावे।

सस्थाओं से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार, प्रकरण का परीक्षण राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एव तत्सम्बन्धी नियम, 1993 के सन्दर्भ में करने पर यह पाया गया है कि वस्तुतः नियमों में उक्त प्रकार के स्थानान्रण के सम्बन्ध मे अनुमोदन प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि समान वेतन शृखला के एक अनुदानित पद से दूसरे अनुदानित पद पर यदि किसी सस्था द्वारा अपने कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जाता है तो इसके लिए राज्य सरकार या शिक्षा विभाग में किसी स्तर पर अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

उक्त प्रकार के स्थानान्तरण के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश या राशि राज्य सरकार द्वारा देय नहीं होगा।

क्रमांक प-10 (12) शिक्षा- 5/93 दिनांक 03/01/1998 (आदेश संख्या 37)

विषय :- **राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 33 के प्रावधान-अत्यावश्यक अस्थायी नियुक्ति के सम्बन्ध में।**

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 33 के अन्तर्गत अत्यावश्यक अस्थायी नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधानों के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में जारी विभागीय समसख्यक पत्र दिनाक 04/11/1997 के सन्दर्भ में पुनः समग्र रूप से यह स्पष्ट किया जाता है कि :-

1 किसी भी सस्था मे उपलब्ध रिक्त पद पर अस्थाई नियुक्ति करने के लिए अनुदान नियम 33 के तहत सस्था को स्थानीय समाचार-पत्रो मे विज्ञापन देना होगा। ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षण सस्थाएँ विज्ञापन देने की शर्त से मुक्त होगी।

2. उक्त विज्ञापन के सन्दर्भ मे प्राप्त आवेदन-पत्रों की जाच प्रवन्ध समिति के एक सदस्य, शैक्षिक सस्था के मुखिया (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक) व निदेशक शिक्षा या जिला शिक्षा अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के एक प्रतिनिधि की चयन समिति द्वारा की जावेगी।

3. उक्त चयन समिति आवेदन-पत्रों की जाच तथा यदि आवश्यकता समझे तो उम्मीदवारो के साक्षात्कार के वाद, जैसी भी स्थिति हो के आधार पर उम्मीदवार की योग्यता के क्रम में पैनल वनाकर सस्था की प्रवन्ध समिति को तदनुसार स्थाई नियुक्ति किये जाने की सिफारिश करेगी।

4 चयन समिति द्वारा अभिशपित प्राप्त पैनल के आधार पर वरीयता क्रम से प्रवन्ध समिति द्वारा आवश्यक अस्थाई नियुक्ति की जावेगी।

5. किसी भी अनुदान सस्था मे अनुदानित पद पर एक वर्ष में अत्यावश्यक अस्थाई नियुक्ति के लिए अधिक से अधिक छः माह तक ही अनुदान अनुज्ञेय होगा।

6. स्थानीय समाचार पत्रों में अत्यावश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति के लिये किसी भी सस्था को सभी पदों पर मिलाकर एक वर्ष मे एक से अधिक वार विज्ञापन व्यय अनुदानित व्यय के रूप मे नहीं दिया जावेगा।

7. यदि कोई गैर सरकारी शिक्षण संस्था शिक्षा विभाग द्वारा सधारित नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में से किसी अभ्यर्थी को अत्यावश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति करती है तो उसे विज्ञापन देना व चयन समिति की बैठक बुलाकर चयन करने की दोनो शर्त का बन्धन नहीं होगा।

क्रमाक प-19(9) शिक्षा- 5/93 दिनाक- 08/01/1998 (आदेश संख्या 38)

विषय - **गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के अध्याय 5 मे उल्लिखित कर्मचारियो की नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधानो के सम्बन्ध मे विभिन्न सस्थाओ द्वारा कर्मचारियो की नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 1993 मे उल्लिखित प्रावधानों के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम एव अधिकतम आयु सबधी प्रावधानो के परीक्षण उपरान्त अनुदान नियम 93 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है-

1. गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में सभी प्रकार के कर्मचारियो की (सगठन सचिव के पद को छोड़कर) नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु सीमा वही होगी जो कि राजकीय शिक्षण सस्थाओ में समान संवर्ग के लिए राज्य कर्मचारियो के लिए निर्धारित है।
2. गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं मे नियुक्ति हेतु सभी प्रकार के व्यक्तियों की इन संस्थाओं में नियुक्ति हेतु कर्मचारियो के लिए अधिकतम आयु का बन्धन नहीं होगा अर्थात् 58 वर्ष की सीमा तक किसी भी आयु के पात्र व्यक्ति की नियुक्ति ऐसी सस्थाओं द्वारा की जा सकती है।

आज्ञा क्रमांक प- 11 (22) शिक्षा-5/88 पार्ट दिनाक 24/01/1998 (आदेश संख्या 39)

विषय:- **कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत बनाये नियमों के सम्बद्ध गैर शैक्षिक सस्थाओं के कर्मचारियों के प्रावधायी निधि की कटौतियों के सम्बन्ध में।**

गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ मे जुलाई, 1993 माह के वेतन तक राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 व इस नियम के बनने में आने से पूर्व राजस्थान अनुदान नियम, 1963 के अनुसार अशदायी भविष्य निधि खाते में कटोती की जाती थी। साथ ही वित्त विभाग के आदेश क्रमाक निर्धारित स्लेब से कटौती की जाती थी। साथ ही वित्त विभाग के आदेश क्रमाक एफ-1(11) एफडी/ग्रुप-4/83 दिनाक 10/05/1983 के अनुसार सामान्य भविष्य निधि मद में भी निर्धारित स्लेब से कटौती की जाती थी। भारत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण अधिनियम को शिक्षण सस्थाओं में दिनाक 01/04/1982 से लागू किया। लम्बे समय के विवाद के पश्चात् वित्त विभाग के आदेश क्रमाक एफ-4(73) एफडी/आर.एण्ड एआई/95 दिनाक 05/08/1997 द्वारा यह स्वीकार किया गया कि ऐसी शिक्षण सस्थाएँ जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम लागू हो गया है उनके अशदायी भविष्य निधि खाते मे आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि द्वारा हो संचालित किये जावेंगे। इस आदेश के जारी होने के पश्चात् निम्नलिखित मुद्दों पर निर्णय लिया जाना शेष रहा:-

1. कर्मचारी भविष्य निधि एव प्रकीर्ण अधिनियम लागू होने के दिनाक 01/04/1982 से पूर्व अशदायी भविष्य निधि के मदों मे की गयी कटौतियो की राशि के सम्बन्ध मे।
2. अप्रेल, 1982 से जुलाई, 1997 तक कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी अशदायी भविष्य निधि की जमा राशि के सम्बन्ध में।
3. ऐसी समितियो जिनकी सभी शिक्षण सस्थाओं में कुल मिलाकर 20 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं के कर्मचारियों के अंशदायी भविष्य निधि के खातों के सम्बन्ध में।

4. गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से जी.पी.एफ. की कटोती के सम्बन्ध में।

वित्त विभाग की आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि से परामर्श के पश्चात् व राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 व इसके अन्तर्गत वनाये गये 1993 के प्रावधानों के अध्ययन के पश्चात् उपरोक्त विपयों पर निम्नानुसार आदेश दिये जाते हैं-

1 कर्मचारी भविष्य निधि एव प्रकीर्ण अधिनियम लागू होने के दिनाक 01/04/1982 से पूर्व जमा राशि के सम्वन्ध में यानि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम के अन्तर्गत वनी स्कीम से पूर्व जमा राशि के सम्वन्ध में सस्थाएँ आवश्यक मार्गदर्शन आयुक्त भविष्य निधि से प्राप्त करले कि इस राशि के सम्वन्ध में कर्मचारियों को यह विकल्प है या नहीं कि वे इस राशि को या तो अपने भविष्य निधि खाते में स्थानान्तरण करवा दें अथवा उसे आहरित करलें। यदि ऐसा विकल्प उपलब्ध है तो विकल्प के अनुसार कार्यवाही करे अन्यथा यह राशि 36 मासिक किश्तों में जमा करवाई जा रही अन्य राशि के साथ आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि के नियन्त्रण में संचालित खाते में स्थानान्तरित करदी जावे।

2. ऐसी गैर सरकारी सस्थाओं, जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू हो चूके है, उनके कर्मचारियो के भविष्य निधि खातों में इस अधिनियम के लागू होने की दिनाक 01/04/1982 से अगस्त, 1997 तक जमा राशि को अप्रेल, 1998 से 36 मासिक किस्तों में आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि के स्टेट वैंक ऑफ इण्डिया में सचालित कर्मचारी भविष्य निधि खाते में स्थानान्तरण कर दिया जावे।

3 (अ) भविष्य निधि अधिनियम एवं प्रकीर्ण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक समिति द्वारा सचालित समस्त शिक्षण सस्थाओ में कार्यरत कर्मचारियो की कुल सख्या 20 से अधिक है तो उस पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होगे।

(व) 20 कर्मचारियो से कम सख्या वाली सस्थऐं जिन पर कम्रचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू नहीं होता है उनके खाते कोपालयों में ही वर्तमान व्यवस्थानुसार गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम के अन्तर्गत वने नियमों के अनुसार रहेगे।

4. राज्य सरकार के आदेश क्रमाक एफ. 1 (24) शिक्षा-6/71 दिनाक 20/09/1980 से काटी जा रही सामान्य भविष्य निधि मद की राशि अव भविष्य में काटना आवश्यक नहीं होगा। यदि कोई कर्मचारी कटाना चाहे तो यथावत सामान्य भविष्य निधि मद में कटौती की राशि जमा की जाती रहेगी।

यह आज्ञा वित्त विभाग की टीप संख्या एफ. 4(73) वित्त/राजस्व/95 दिनाक 23/12/1997 मे जारी की जाती है।

क्रमाक प-6 (7) शिक्षा-5/97 दिनांक 04/02/1998 (आदेश संख्या 40)

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमाक एफ. 26(4) शिक्षा-1/1993/ पार्ट-II दिनांक 28/11/1997 के अनुसार निदेशालय, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा का विभाजन करके, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर एव निदेशालय प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, वीकानेर का अलग-अलग गठन किये जाने के फलस्वरूप एतद्द्वारा यह निर्देश प्रदान किये जाते हैः-

1. माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित अनुदान का समस्त कार्य निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, वीकानेर के नियन्त्रण में तथा उनके द्वारा माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियो द्वारा सम्पादित किया जावेगा।
2. प्राथमिक शिक्षा से सम्वन्धित अनुदान का समस्त कार्य निदेशालय, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, वीकानेर के नियन्त्रण में तथा उनके द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सम्वन्धित अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

क्रमांक प-19 (9) शिक्षा-5/93 दिनांक-21/02/1998 (आदेश संख्या 41)

विषय.- गेर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को मान्यंता या अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने सम्वन्धी अधिकारों के सम्वन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एवं तत्सम्वन्धी नियम, 1993 के तहत गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने या अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने सम्वन्धी आने वाली विभिन्न कठिनाइयो के सम्वन्ध में समय-समय पर शैक्षिक संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार को दिये गये प्रतिवेदनों एव ज्ञापनों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रकरण का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त सन्दर्भित अधिनियम एवं इससे वने नियमों में मान्यता या अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने सम्वन्धी प्रावधानो के अधिकारों को शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारों में प्रत्यायोजित किया जाना उचित समझा गया।

अतः राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 की धारा 42 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के तहत परिशिष्ट-3 में मान्यता या अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने सम्वन्धी प्रदत्त अधिकारों को निम्न प्रकार प्रत्यावर्तित किया जाता है।

परिशिष्ट-3

संस्था की श्रेणी		मान्यता प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(क) सामान्य शिक्षा		
1. 1.	प्राथमिक विद्यालय (अग्रेजी मान्यता सहित)	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) (अपने-अपने क्षेत्र में)
2.	उ.प्रा.विद्यालय (अग्रेजी मान्यता सहित)	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) (अपने-अपने क्षेत्र में)
3.	मान्टेसरी एव वालवाड़ी	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) (अपने-अपने क्षेत्र में)
4.	मूक वधिर विद्यालय	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) (अपने-अपने क्षेत्र में)
5.	विमन्दित वाल विद्यालय	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) (अपने-अपने क्षेत्र में)
6.	प्रज्ञाचक्षु विद्यालय	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) (अपने-अपने क्षेत्र मे)
7.	विकलाग विद्यालय	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) (अपने-अपने क्षेत्र में)

(ख) संस्कृत शिक्षा : उच्च प्राथमिक स्तर तक के समस्त विद्या संभागीय अधिकारी संस्कृत शिक्षा

		अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने हेतु	अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए अधिकृत अधिकारी
II	1	माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय (राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्वद्धन प्राप्त हिन्दी एवं अग्रेजी माध्यम वाले)	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (अपने-अपने कार्यक्षेत्र में)
	2	माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक (अग्रेजी माध्यम वाले, सी.बी.एस ई.) या बोर्ड से सम्वद्धन प्राप्त)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की अभिशंषा के आधार पर)
	3.	प्रवेशिका व उपाध्याय	निदेशक, सस्कृत शिक्षा

क्रमांक प- 19(9) शिक्षा-5/93 दिनांक 21/02/1998 (आदेश संख्या 42)

विषय:- **गैर सरकारी शैक्षणिक सस्थाओं को अनुदान देने एव अनुदान अन्तिमीकरण के आवेदन-पत्रों का निस्तारण करने सम्बन्धी अधिकरों का प्रत्यायोजन।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एवं तत्सम्वन्धी नियम 1993 के अनुसार गैर सरकारी शैक्षणिक सस्थाओ को वर्तमान मे दिये जा रहे अनुदान एव उनके अनुदान अन्तिमीकरण के आवेदन-पत्रों के सम्वन्ध मे विभिन्न सस्थाओं द्वारा दिय गये प्रतिवेदनो एवं ज्ञापनो मे दर्शाई गई कठिनाईयों को ध्यान मे रखते हुए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता, अनुदान और सेवा शर्ते आदि) अधिनियम, 1989 की धारा 42 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए गैर सरकारी शैक्षणिक सस्थाओ को वर्ष 1998-99 के वित्तीय वर्ष से अनुदान देने एवं वर्ष 97-98 के अनुदान अन्तिमीकरण सम्बन्धी कार्य हेतु निम्न प्रकार अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाता है:-

	संस्था का स्तर	प्रोवीजनल अनुदान स्वीकृत करने एवं अनुदान अन्तिमीकरण करने हेतु सक्षम अधिकारी
अ	**सामान्य शिक्षा**	(अपने-अपने कार्यक्षेत्र में)
	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर	जिला शिक्ष अधिकारी, प्रारम्भिक
	माध्यमिक स्तर	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक
	उच्च माध्यमिक स्तर	उप निदेशक, माध्यमिक, शिक्षा
ब	**संस्कृत शिक्षा**	
	सस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत सचालित समस्त स्तर के विद्यालयों के लिए	सभागीय अधिकारी, संस्कृत शिक्षा

क्रमाक प-10 (12) शिक्षा- 5/93 दिनांक 19/03/1998 (आदेश संख्या 43)

विषय :- **गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति अनुमोदन सम्बन्धी अधिकरों के प्रत्यायोजन के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एवं तत्सम्बन्धी नियम 1993 के तहत गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओ मे कर्मचारियो की नियुक्ति करने के पश्चात् उनके अनुमोदन करने के सम्बन्ध में आने वाली विभिन्न कठिनाईयों के सम्बन्ध मे समय-समय पर शैक्षिक सस्थाओं द्वारा राज्य सरकार को दिये गये प्रतिवेदनो एवं ज्ञापनों का ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा प्रकरण का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त सन्दर्भित अधिनियम एवं इसके तहत बने नियमों मे, कर्मचारियों की नियुक्ति अनुमोदन करने सम्बन्धी प्रावधानो मे प्रदत्त अधिकारों को शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों में प्रत्यायोजित किया जाना उचित समझा गया।

अत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 की धारा 42 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओ में कर्मचारियो की नियुक्ति अनुमोदन हेतु राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 28 सपठित परिशिष्ट-10 में कर्मचारियों की नियुक्ति अनुमोदन करने सम्बन्धी अधिकारो को निम्न प्रकार स्पष्ट एवं प्रत्यायोजित किया जाता है:-

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के परिशिष्ट-10 के तहत शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारियों को निम्न प्रकार अधिकारों का प्रत्यायोजन के अलावा शेष नियुक्ति अनुमोदन सम्बन्धी अधिकार राज्य सरकार में सन्निहित रहेंगे।

(I) **निदेशालय माध्यमिक शिक्षा-**

निदेशक	उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (अपने क्षेत्र के विद्यालयों में)	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) (अपने क्षेत्र के विद्यालयों में)
1. प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालय	1. स्कूली व्याख्याता	1. अध्यापक ग्रेड-II
	2. कार्यालय अधीक्षक	2. अध्यापक ग्रेड-III/ (यदि माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत)
2. प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय	3. कार्यालय सहायक	3. वरिष्ठ लिपिक
3. वेतन श्रृंखला 2650-4000 तक के समस्त पद, चाहे वे किसी भी नाम से हो।		4. कनिष्ठ लिपिक
		5. च. श्रेणी कर्मचारी
		6. पुस्तकालय सहायक
		7. स्वीकृत अन्य अभी पद वेतन श्रृखला 1400-2600 तक

II निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा

निदेशक	उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (अपने क्षेत्र के विद्यालयों में)	जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) (अपने क्षेत्र के विद्यालयों में)
	1. प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय 2. कार्यालय अधीक्षक 3. कार्यालय सहायक	1. प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त अध्यापक ग्रेड- II 2. अध्यापक ग्रेड-III 3. वरिष्ट लिपिक 4. कनिष्ट लिपिक 5. च. श्रेणी कर्मचारी 6. सभी पद वेतन श्रृखला 1400-2600 तक

II निदेशालय संस्कृत शिक्षा

निदेशक	प्राचार्य, आचार्य महाविद्यालय (अपने क्षेत्र के विद्यालयेां में)	सहायक निदेशक (शैक्षणिक) सस्कृत शिक्षा निदेशालय	संभागीय शिक्षा अधिकारी (अपने क्षेत्र के विद्यालय में)
1. प्राचार्य, शास्त्री/ उपाध्याय महाविद्यालय 2. प्रोफेसर, आचार्य महाविद्यालय	1 व्याख्याता	1. प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका विद्यालय 2. कार्यालय अधीक्षक (जहा स्वीकृत हो)	1. कार्यालय सहायक 2. अध्यापक ग्रेड-II 3. अध्यापक ग्रेड-III 4. वरिष्ठ लिपिक 5. कनिष्ठ लिपिक 6. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 7. अन्य सभी पद वेतन श्रृखला 1400-2600 तक

कृपय उपरोक्त को समस्त की जानकारी में लाने का श्रम करे।

क्रमाक प- 10(12) शिक्षा-5/93 दिनांक 19/03/1998 (आदेश सख्या 44)

विषय :- मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को कर्मचारियों की नियुक्ति अनुमोदन से छुट के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विपयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एव तत्सम्वन्धी नियम 1993 के तहत मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति करने के पश्चात्, उनके अनुमोदन करने के सम्बन्ध में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों के सम्वन्ध में समय-समय पर शैक्षिक सस्थाओं द्वारा राज्य सरकार को दिये गय प्रतिवेदनों एवं ज्ञापनों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा प्रकरण का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त सन्दर्भित अधिनियम

एव इसके तहत वने नियमो मे कर्मचारियो की नियुक्ति अनुमोदन करने सम्वन्धी प्रावधानों में कटिपय छुट देना उचित समझा गया।

अतः राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयेग करते हुए गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त शैक्षिक सस्थाओं में कर्मचारियों को नियुक्ति के पश्चात् उनके अनुमोदन करने सम्वन्धी प्रावधानो से इन संस्थाओं को इस शर्त के साथ छूट प्रदान की जाती है कि इन मान्यता प्राप्त शैक्षिक सस्थाओं में कर्मचारियो की नियुक्ति करते समय अनुदान नियम, 26 में वर्णित समस्त प्रक्रिया का पालन संस्थाओं द्वारा किया जावेगा एव नियुक्त होने वाले कर्मचारी को अर्हताएं वहीं होगी जो कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी शैक्षिक सस्थाओं मे उसी वर्ग के कर्मचारियो के लिए निहित हैं।

क्रमांक प-10 (12) शिक्षा-5/93 दिनाक 19/03/1998 (आदेश संख्या 45)

विषय :- **गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति अनुमोदन सम्बन्धी व्यवस्था के क्रम में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एव तत्सम्वन्धी नियम, 1993 के तहत गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति करने के पश्चात् उनके अनुमोदित करने के सम्वन्ध में आने वाली कठिनाईयो के सम्बन्ध में समय-समय पर शैक्षिक संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार को दिये गये प्रतिवेदनों एव ज्ञापनों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा प्रकरण का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त सन्दर्भित अधिनियम एवं इसके तहत वने नियमों में कर्मचारियों की नियुक्ति अनुमोदन करने सम्वन्धी प्रावधानों की वर्तमान व्यवस्था को पुनरीक्षण किया जाना उचित समझा गया।

अतः राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में कर्मचारियें की नियुक्ति के पश्चात् उनके अनुमोदन करने सम्वन्धी नियम 28 मे छुट देते हुए निम्न प्रकार नियुक्ति अनुमोदन सम्वन्धी व्यवस्था निर्धारित की जाती है।

1. अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं तत्सम्वन्धी नियम, 1993 के तहत वर्णित प्रावधानो के क्रम में कर्मचारियों की नियुक्ति सम्वन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् कर्मचारियों की नियुक्ति अनुमोदन करने के सम्वन्ध में उपयुक्त सक्षम अधिकारियों को नियुक्ति अनुमोदन के प्रस्ताव रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जावेगे।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ से नियुक्ति अनुमोदन करने सम्वन्धी प्राप्त प्रस्तावों पर 45 दिनों में अनुमोदन सम्वन्धी प्रकरण का आवश्यक परीक्षण करने के पश्चात् निस्तारण कर दिया जाना चाहिए अर्थात् या तो अनुमोदित किया जावे या अस्वीकृति का कारण वताते हुए सस्था को सूचित किया जावे।
3. यदि सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्ति अनुमोदन सम्वन्धी प्रकरण पर लिये गये निर्णय की आवश्यक सूचना संस्था को प्रस्ताव रजिस्टर्ड डाक से, भेजने के 45 दिन तक प्राप्त नहीं होने की दशा में, संस्था द्वारा उक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण कराया जा सकता है।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त नियुक्ति अनुमोदन सम्वन्धी प्रकरण पर अन्तिम निर्णय लेने के उपरान्त :-
   (अ) नियुक्ति अनुमोदन की दशा में सस्था को उक्त कर्मचारी के नियुक्ति अनुमोदन सम्वन्धी प्रस्ताव, रजिस्टर्ड डाक से भेजने से 45 दिन के पश्चात् या संस्था द्वारा , उस कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी वाद में होगी, उससे उस कर्मचारी का नियुक्ति अनुमोदन मानकर सस्था को, उस कर्मचारी के पद हेतु अनुदाय देय होगा।

(व) यदि उक्त नियुक्ति अनुमोदन के प्रस्ताव को कारण बताते हुए अस्वीकृत कर दिया जाता है तो संस्था को ऐसे कर्मचारी की नियुक्ति एव उसके द्वारा की गई सेवाओं के लिए किसी प्रकार का अनुदान देय नहीं होगा।

कृपया उपरोक्त को समस्त की जानकारी मे लाने का श्रम करें।

क्रमांक प-11 (39) शिक्षा-5/93 — दिनांक 02/04/1998 (आदेश संख्या 46)

विषय :- **गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के अनुदान अन्तिमीकरण के आवेदन-पत्रों को स्वीकार करने के सम्बन्ध में अनुदान नियम 12(3) के तहत राज्य सरकार की प्रदत्त अधिकारों का शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों में प्रत्यायोजन के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एवं तत्सम्बन्धी नियम 1993 के नियम 12 (3) के अनुसार सस्थाओं को अनुदान अन्तिमीकरण के आवेदन-पत्र नियमों में वर्णित सक्षम अधिकारी को प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक प्रस्तुत करने मे विफल रहने पर, समय सीमा मे शिथिलता प्रदान करने के लिए प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने में आने वाली विभिन्न कठिनाईयो को ध्यान मे रखते हुए राज्य सरकार के स्तर पर, प्रकरण का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त यह उचित समझा गया कि अनुदान अन्तिमीकरण के लिए निर्धारित समय सीमा के वाद प्राप्त होने वाले प्रकरणों का गुण-अवगुणों के आधार, परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार को प्राप्त असीमित अधिकारो में से कतिपय समय सीमा तक शिथिलता दिये जाने के अधिकार शिक्षा विभाग के अधीनस्थ अधिकारियो को भी प्रत्यायोजित कर दिये जायें।

अतः राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 की धारा 42 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 12(3) के तहत अनुदान अन्तिमीकरण के आवेदन-पत्रो को निर्धारित तिथि 31 अगस्त के वाद प्रस्तुत किये जाने पर समय सीमा में शिथिलता प्रदान किये जाने के अधिकारों को निम्न प्रकार प्रत्यायोजित किया जाता है इस प्रत्यायोजन के अलावा शेष समस्त अधिकार यथावत राज्य सरकार मे सन्निहित रहेगे.-

क्र.सं.	अधिकारी जिन्हें अधिकार प्रत्यायोजित किये जा रहे हैं	समय सीमा जिसमें शिथिलता के अधिकार दिये गये
1.	सक्षम अधिकारी	निर्धारित तिथि के वाद दो माह की अवधि तक (31 अक्टूबर तक)
2	विभागाध्यक्ष	अगले चार माह तक की अवधि तक अर्थात् (आगामी वर्ष की फरवरी तक)

क्रमांक प- 12 (1) शिक्षा- 5/97 — दिनाक 28/04/1998 (आदेश संख्या 47)

विषय.- **वर्तमान में अनुदान प्राप्त कर रही शैक्षिक सस्थाओं को वर्ष 1998-99 के लिए अनुदान की प्रोविजनल स्वीकृत देने से पूर्व सुनिश्चित किये जाने वाले निर्देश।**

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्तमान में अनुदानित गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को वर्ष 1998-99 के लिए प्रोविजनल अनुदान स्वीकृत करते समय निम्न निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करावाई जावे। इन निर्देशों की अनुपालना करने वाली शैक्षिक सस्थाओं को प्रोविजनल अनुदान स्वीकृत किया जावे। भविष्य में भी इन निर्देशों के अनुसार प्रोविजनल अनुदान स्वीकृत किया जावे.-

1. ऐसी संस्थाएँ जिनमें अनुदान नियम 10 (ix) के अनुसार स्तरवार निर्धारित न्यूनतम सख्या से कम विद्यार्थी शैक्षिक सत्र-1997-98 में रहे हों तो अगले वर्ष को प्रोविजनल अनुदान उक्त सस्था को चालू वर्ष में दये प्रतिशत अनुदान से 20% कम अनुदान या न्यूनतम 50% तो भी अधिक हो स्वीकृत किया जावे।
2. उक्त निर्देश (1) के अनुसार घटाया हुआ अनुदान स्वीकृत करते समय सस्था को यह भी नोटिस दिया जावेगा कि अगले वर्ष में भी अनुदान नियम 10 (ix) के अनुसार स्तरवार निर्धारित न्यूनतम सख्या से कम विद्यार्थी रहें तो वर्ष 1999-2000 से संस्था को अनुदान सूची से हटा कर अनुदान समाप्त कर दिया जावेगा।
3. उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक स्तर का शैक्षिक सस्थाओं के लिये सम्बन्धित वोर्ड द्वारा जारी सूची के अनुसार गत तीन वर्षो का ओसत परीक्षा परिणाम अनुदान स्वीकृत करने से पूर्व निकाला जायेगा। यदि गत तीन वर्षो का औसत परीक्षा परिणाम 70% से कम रहा हो तो उसे वर्ष 1998-99 का प्रोविजनल अनुदान मे 10% की कटौती कर दी जावे, परन्तु कटौती के पश्चात् अनुदान 50% से कम नहीं होगा।

   नोट:- यदि सस्था द्वारा वर्ष 1998-99 मे अपने परीक्षा परिणाम मे सुधार कर गत तीन वर्षो का औसत परीक्षा परिणाम 70 प्रतिशत या उससे अधिक वना लिया जावे तो काटी गई 10% राशि पुनः वढ़ा दी जावे।
4. नगरपालिका सीमा में स्थित (कच्ची, वस्तियों को छोडकर) प्राथमिक स्तर के विद्यालयो को अनुदान वर्ष 1998-99 से प्रति वर्ष 10 प्रतिशत कम करके 50% तक सीमित कर दिया जावे।
5. नगरपालिका सीमा में स्थित (कच्ची वस्तियों को छोडकर) प्राथमिक विद्यालय चलाने वाली सस्थाऐं यदि अपने प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को ग्रामीण क्षेत्रों मे, छोटे कस्बो में या वडें शहरों की कच्ची वस्तियों मे स्थानान्तरित करना चाहती हों तो उन्हें वर्तमान मे देय अनुदान वनाये रख कर सस्था को स्थानान्तरित करने की अनुमति दे दी जावे।

उपरोक्त निर्देशानुसार वर्ष 1998-99 का प्रोविजनल अनुदान स्वीकृत करने के पश्चात् प्रत्येक सक्षम अधिकारी का दायित्व होगा कि 25 अक्टूबर से पूर्व सम्वन्धित निदेशक को सम्वन्धित निम्न प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे जिसकी एक प्रति राज्य सरकार को पृष्ठाकित की जावेगी।

1. सस्था का नाम :
2. स्तर जिसके लिए अनुदान दिया जा रहा है :
3. गत वर्ष में विद्यार्थियो की सख्या .
4. नियमो के अनुसार विद्यार्थियो की सख्या :
5. सस्था, का गत वर्ष में देय अनुदान प्रतिशत :
6. सस्था को चालू वर्ष में देय प्रोविजनल अनुदान प्रतिशत
7. प्रोविजनल अनुदानित राशिः
8. गत वर्ष मे अध्ययनरत विद्यार्थियो की सख्या मे निर्धारित नॉर्मुस के अनुसार आवश्यक सख्या एव कार्यरत संख्या)

क्रमाक प-12 (1) शिक्षा-5/97 दिनाक 28/04/1998 (आदेश संख्या 48)

विषय :- **गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान सूची पर लिये जाने के लिए भेजे जाने वाले प्रस्तावों के लिए नीतिगत निर्देश।**

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सख्या अधिनियम, 1989 एव तत्सम्वन्धी नियम, 1993 के नियम- 11 के तहत गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओ को अनुदान सूची पर लिये जाने के लिए प्रस्ताव प्रेपित करते समय निम्न नीतिगत निर्देशों को ध्यान में रखा जावे। इन नीतिगत निर्देशों का उल्लघन करने वाली सस्थाओं पर विचार नहीं किया जावेः-

1. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कस्बों तथा बडे शहरों की कच्ची बस्तियों में ही सचालित गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को ही भविष्य मे अनुदान सूची पर लिये जाने पर विचार किया जावेगा। छोटे शहरों से आशय 50 हजार से कम आवादी से हे तथा शेष शहरो को वड़े शहरो मे गिना जावेगा।
2. शहरी क्षेत्रो के नवीन विद्यालयो को अनुदान सूची पर लेते समय वालक विद्यालयों को 50% की दर से तथा वालिकाओं को 60% की दर से ही अनुदान स्वीकृत करने के लिये विचार किया जावे।
3 शहरी क्षेत्रों में वालक विद्यालयो के लिए अधिकतम 70% तथा वालिकाओ के लिये 80% की दर से अनुदान स्वीकृत करने क लिए विचार किया जावे।
4 राज्य मे किसी भी स्थान पर स्थापित अन्ध विद्यालयों, विकलाग एव वधिर विद्यालयों की स्थापना से अनुदान सूची पर लिये जाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी तथा प्रथम वार में ही 80% की दर से अनुदान स्वीकृत किय जाने के लिये विचार किया जावेगा।
5 किसी भी सस्था को अनुदान सूची पर लेने यह सुनिश्चित किया जावे कि ऐसी सस्था के गत तीन वर्ष का परीक्षा परिणाम 80% से कम नहीं रहा हो।

क्रमांक प-12 (3) शिक्षा-5/94 पार्ट दिनांक 06/05/1998 (आदेश संख्या 49)

विषय :- **अनुदान प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने एव अनुदान प्रतिशत में वृद्धि करने के सम्बन्ध में जारी आदेशों के प्रभावीकरण की स्थिति का स्पष्टीकरण।**

उपरोक्त विषय मे विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयो को अनुदान सूची पर लेने एव अनुदान प्रतिशत वृद्धि करने के सम्बन्ध में जारी विभागीय आदेशों की प्रभावशीलता के सम्बन्ध में समय-समय पर शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयो एव विभिन्न सस्थाओ द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के लिए निवेदन किया जाता रहा है।

हालाकि विभाग द्वारा जारी अनुदान सम्बन्धी आदेशों मे स्पष्टतया यह अकित कर दिया जाता है कि उस आदेश में वर्णित सस्थाओ को किस वर्ष की अनुदान समिति की अभिशषा के आधार पर अनुदान सूची में लिया गया है एव किनके अनुदान प्रतिशत में वृद्धि कर दी गई है तथा यह आदेश किस तिथि से प्रभावी है, फिर भी इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग क अधीनस्थ विभागो एव सस्थाओं क मध्य किसी प्रकार की भ्रामक स्थिती नहीं रहे, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुदान सम्वन्धी आदेशो के प्रभावीकरण के सम्बन्ध मे वस्तुस्थिति का स्पष्टीकरण किया जाना उचित समझा गया। इस क्रम मे यह स्पष्ट किया जाता है कि -

1 जिन सस्थाओं को अनुदान सूची पर प्रथम बार लेने के आदेश जारी किये जाते है, उन आदेशो मे यदि यह उल्लेख नहीं है कि वह आदेश किस तिथि से प्रभावो है तो इस प्रकार के आदेश जिस तिथि को जारी होगे, उस तिथि से प्रभावी माने जाने चाहिये।
2. जिन अनुदान प्राप्त सस्थाओं के अनुदान में वृद्धि या कमी की जाती है, उन सस्थाओं के सम्वन्ध में यह अनुदान सम्बन्धी आदेश जिस वित्तीय वर्ष मे जारी किये जाते है, उस वित्तीय वर्ष की 1 अप्रेल से प्रभावी माने जाने चाहिये, जव तक उन आदेशो मे किसी प्रकार अन्यथा उल्लेख किया हुआ नहीं है।

क्रमांक प-10 (12) शिक्षा-5/93 दिनांक 19/05/1998 (आदेश संख्या - 50)

विषय :- गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन संरक्षण के सम्बन्ध में जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03/12/1997 की प्रभावशीलता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

उपरोक्त विषय में विभागीय समसख्यक परिपत्र दिनाक 03/12/1997 के द्वारा पूर्व में गेर सरकारी शैक्षिक संस्थाओ में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन सरक्षण सम्बन्धी आदेशों को निरस्त करते हुए विभागीय समसंख्यक आदेश दिनाक 03/12/1997 के द्वारा कर्मचारियों के वेतन सरक्षण के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की गई थी।

उक्त परिपत्र के माध्यम से वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में जारी निर्देशों की प्रभावशीलता के सम्बन्ध में कतिपय सस्थाओ एव शैक्षिक संघों द्वारा यह अनुरोध किया जा रहा हे कि इन आदेशों की प्रभावी तिथि के सम्बन्ध में, स्थिति स्पष्ट की जावे।

उक्त सम्बन्ध में प्रकरण का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि वेतन सरक्षण सम्बन्धी विभागीय सन्दर्भित परिपत्र दिनाक 03/12/1997 जारी होने की तिथि से ही प्रभावी है।

क्रमांक प-10 (12) शिक्षा-5/93 दिनांक 19/05/1998 (आदेश संख्या 51)

विषय :- संस्था में कार्यरत कर्मचारी का संस्था की प्रबन्ध समिति में सचिव या कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने पर उसके पद हेतु दिये जाने वाले अनुदान को अमान्य कराने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि विभिन्न अनुदान प्राप्त गेर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की प्रबन्ध समिति में सचिव या कोषाध्यक्ष के पद पर उसी सस्था में कार्यरत कर्मचारी को नियुक्त किया हुआ है जबकि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 23 (3) के अनुसार किसी भी संस्था की प्रबन्ध समिति में सचिव या कोषाध्यक्ष के पद पर उसी संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है।

अतः इस सम्बन्ध में यह निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि जिस सस्था की प्रबन्ध समिति में सचिव या कोषाध्यक्ष के पद पर उसी संस्था में कार्यरत कर्मचारी को नियुक्त किया हुआ हो तो सस्था की उक्त पद हेतु दिये जाने वाले अनुदान को उसी दिन से अमान्य कर दिया जावे जिस दिन से सस्था ने ऐसे कर्मचारी की नियुक्ति इन पदों पर की थी।

आज्ञा क्रमांक प- 11 (33) शिक्षा-6/83 दिनांक 21/05/1998 (आदेश संख्या 52)

विषय :- अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1989 के अनुसार वेतन एव भत्तों के भुगतान के सम्बन्ध में।

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 की धारा 43 के तहत बने राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 34 के प्रावधानुसार अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन एव भत्तो की दरें, उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय शिक्षण सस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों से कम नहीं होगी। इन नियमों के तहत भत्तों में महगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता सम्मिलित हैं।

इस सम्बन्ध में विभागीय समसख्यक मे कार्यरत आदेश दिनाक 06/08/1993 द्वारा पूर्व में यह स्पष्ट किया हुआ है कि जब भी राजकीय शिक्षण सस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, एव शहरी क्षतिपूर्ति भत्ते, में परिवर्तन होगा, तो उनके समान ही अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के कर्मचारियों के भी वेतन, भत्तों की दरों में सशोधन स्वतः ही लागू हो जावेगा। इसके लिए किसी प्रकार के पृथक् से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं।

इसके उपरान्त भी कतिपय सस्थाओ द्वारा सस्थाओ द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998 के प्रभावी होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से मार्ग-दर्शन ‌का अनुरोध किया गया है।

अत प्रकरण का आवश्यक परीक्षण विभागीय समसख्यक आदेश दिनांक 06/08/1993 के सन्दर्भ में स्पष्ट करते हुए यह आदेश प्रदान किये जाते हैं कि "राज्य सरकार द्वारा राजकीय शिक्षण सस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एव भत्तों के सम्बन्ध में निम्न प्रकार जारी किये गये आदेश यथावत रूप से अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में कर्मचारियो में भी लागू होंगे.-

1. एफ 16 (1) वित्त/रूल्स/98, दिनाक 17/02/1998
2. एफ 7 (1) वित्त/रूल्स/98, दिनाक 17/02/1998
3. एफ. 1 (38) वित्त/रूल्स/93, दिनाक 17/02/1998
4 एफ. 12 (2) वित्त/रूल्स/93, दिनाक 08/03/1998
5 एफ. 12 (3) वित्त/रूल्स/82, दिनाक 08/03/1998

राज्य सरकार के उपर्युक्त सन्दर्भित आदेशो के अनुसार राजकीय कर्मचारियों को उक्त वेतन एव भत्तो को जिस तिथि से दिया गया है, उसी तिथि से अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ को भी देय होगे अर्थात् दिनांक 01/09/1996 से 31/12/1996 तक की अवधि का कोई भुगतान देय नहीं होगा तथा दिनाक 01/01/1997 से 31/12/1997 तक के लिए वेतन एवं महगाई भत्ते की देय ऐसी समस्त राशि के राष्ट्रीय वचत पत्र क्रय करने होगे, यदि एरियर की देय राशि खण्ड गुणाकों मे आती है तो उसके आगे वाले पूर्णाक मे राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय किये जावे तथा अन्तर की राशि कर्मचारी से वसूल की जावे। उक्त राष्ट्रीय वचत पत्रों का किसी भी स्थिति मे इन कर्मचारियों द्वारा मेच्युरिटी से पूर्व भुगतान प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

यह आज्ञा वित्त (नियम) विभाग द्वारा उनकी अन्तरविभागीय टीप सख्या 265/एस ए./डिप्टी सी.एम./98 दिनाक 01/05/1998 से सहमति उपरान्त जारी की जाती है।

क्रमाक प-11 (22) शिक्षा-5/94 दिनाक 22/05/1998 (आदेश सख्या 53)

विपय - **राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 1993 सपठित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विनियमनों के तहत निर्धारित नाम से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त अन्य नामों से पूर्व में स्वीकृत पदों का दिनाक 30/09/1998 के पश्चात् जब भी रिक्त हो, स्वतः समाप्त हो जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एव तत्सम्वन्धी नियम 1993 सपठित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा वोर्ड के विनियमनों के तहत निर्धारित नाम के पदों के अलावा कतिपय अन्य पद भी विभिन्न नामों से विशेप परिस्थितियों मे राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एव तत्सम्वन्धी नियम, 1993 के प्रभावी होने से पूर्व प्रभावी राजस्थान सहायता अनुदान नियम, 1963 या इससे पहले के नियमों के तहत समय-समय पर स्वीकृत किये गये थे। उक्त पद तत्समय की विशेप परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही सृजत किये गये थे, जिनकी इतने समय के पश्चात् उपयोगिता की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता तथा साथ ही इन पदों का प्रावधान विद्यमान में प्रभावी अनुदान नियमो एवं वोर्ड के विनियमनो में नहीं होने के कारण इन पदों पर नियुक्ति हेतु योग्यता निर्धारण एव अनुमोदन करने में आने वाली कठिनाई को ध्यान मे रखकर प्रकरण का परीक्षण किया गया।

राज्य सरकार के स्तर पर प्रकरण का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त निम्न प्रकार निर्देश प्रदान किये जाते हैं-

1. राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एव तत्सम्वन्धी नियम, 1993 सपठित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा वोर्ड के विनियमनों के तहत निर्धारित नाम के अलावा अन्य सभी नाम से स्वीकृत पद दिनाक 30/09/1998 के पश्चात् जब भी पद रिक्त होंगे। स्वत ही समाप्त मान लिये जावे।

2. यदि किसी सस्था द्वारा विशिष्ट परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुए इन विशिष्ट पदो को रखना आवश्यक समझा जावे तो इस सम्बन्ध में उक्त पद विशेष का नाम, उसके लिये निर्धारित योग्यता एवं कार्य के सम्बन्ध मे टिप्पणी सहित प्रस्ताव दिनाक 30/08/1998 तक सम्बन्धित निदेशालय एव राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे, जिन पर आवश्यक परीक्षण उपरान्त विद्यमान नियमों में स्वीकृति देने की व्यवस्था की जावेगी।
3. इन विशिष्ट पदो पर नियुक्ति अनुमोदन के विचाराधीन प्रकरणो मे से जो पद ऐसे है, जो कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग मे विद्यमान मे है तो इन पदो की योग्यता वही मानी जावे, जो कि राज्य सरकार के उस विभाग मे जानी जाती है। अन्यथा, ऐसे पदो पर नियुक्ति नहीं की जावे।

सक्षम अनुदान स्वीकृत अधिकारी द्वारा दिनाक 30/09/1998 के पश्चात् रिक्त होने वाले किसी भी ऐसे पद के लिए, जो कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एव तत्सम्बन्धी नियम, 1993 तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विनियमनो में निर्धारित नाम के अलावा अन्य नाम से है (चाहे वे पूर्णकालिक या अंशकालिक हों) के लिए तब ही अनुदान स्वीकृत किया जावेगा, जबकि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30/09/1998 के पश्चात् रिक्त होने के बाद भी उक्त पद को आगे जारी रहने सम्बन्धी आदेश प्रसारित कर दिये हो।

क्रमांक प-11 (10) शिक्षा-5/90 दिनांक 06/06/1998 (आदेश सख्या 54)

विषय :- **अनुदान प्राप्त विद्यमान गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में पद स्वीकृति के नार्मूस व चालू सत्र में, जुलाई 1998 तक 98-99 के एनरोलमेन्ट के आधार पर विद्यमान पदों की समीक्षा करने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत विद्यमान में अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ के लिए विभिन्न स्तरो पर पद निर्धारित एवं स्वीकृति के नार्मूस पुनः निर्धारित किये जा रहे है/हुए है। वर्ष 1998-99 सत्र के लिए तद्नुसार ही जुलाई, 1998 में नामाकन/प्रवेश के आधार पर स्वीकृत/निर्धारित नार्मूस के अनुसार प्रत्येक अनुदान प्राप्त सस्था मे विद्यमान पदो की समीक्षा सम्बन्धी कार्यवाही करके अधिक पाये जाने वाले पदो को समाप्त किया जाना है। समीक्षा सम्बन्धी कार्यवाही के लिए निर्धारित नार्मूस का विवरण निम्न प्रकार है-

(1) **नार्मूस का विवरण-**

स्तर		पदों का ब्यौरा	
1. प्राथमिक स्तर	1.	उक्त विद्यालय में विद्यार्थियो की कुल सख्या 89 होने तक 2 अध्यापक	
	2.	इसके उपरान्त प्रत्येक 40 विद्यार्थियो तक एक अतिरिक्त अध्यापक	
	3.	इन सबमें, सबसे वरिष्ठ अध्यापक, उस सस्था का प्रधान होगा।	
2. उच्च प्राथमिक स्तर	1.	प्रधानाध्यापक "द्वितीय श्रेणी"	-1
	2	अध्यापक "तृतीय श्रेणी" (कक्षा 6,7 व 8 के लिए) एक वर्ग की दिशा में (प्रत्येक कक्षा का एक से ज्यादा वर्ग होने की दशा में ही अतिरिक्त अध्यापक, बशर्ते एक वर्ग मे न्यूनतम 40 विद्यार्थियो का होना आवश्यक है जब ही दूसरा वर्ग खोला जावे।)	-3
	3.	शारीरिक शिक्षक	-1

स्तर	पदों का व्यौरा
	4. च.श्रे. कर्मचारी -1 (पद के रिक्त होने पर नया कर्मचारी अनुवन्ध पर रखा जावे)
3 माध्यमिक विद्यालय	माध्यमिक शिक्षा वोर्ड, राजस्थान, अजमेर के विनियमनो के अनुसार उसमे निर्धारित योग्यता वाले अध्यापक 1. प्रधानाध्यापक -1 2. सहायक प्रधानाध्यापक -1 (यदि कक्षा 6 से 10 तक में 700 से अधिक विद्यार्थी है या विद्यालय दो पारियो में चलता है।) 3. अध्यापक द्वितीय श्रेणी -4 "प्रत्येक कक्षा का एक से ज्यादा वर्ग होने की दशा मे ही अतिरिक्त अध्यापक, वशर्ते एक वर्ग में न्यूनतम-40 विद्यार्थियो का होना आवश्यक है एवं शिक्षा वोर्ड के विनियमनों में निर्धारित कालाश के अनुसार अतिरिक्त पद" 4. पुस्तकालयाध्यक्ष -1 5. पी.टी.आई. -1 6 वरिष्ठ लिपिक -1 (पद रिक्त होने पर समाप्त माना जावे) 7. कनिष्ठ लिपिक -1 विद्यालय में 500 से अधिक छात्र सख्या पर एक क.लि. का अतिरिक्त पद, परन्तु 2 से अधिक नहीं। 8 च.श्रे. कर्मचारी -3 (1) पद रिक्त होने पर दो च.श्रे. कर्मचारियों के पदो को अनुवन्ध पर रखा जावे। (2) यदि विद्यालय मे 500 से अधिक विद्यार्थी हैं तो एक अतिरिक्त च.श्रे. कर्मचारी को अनुवन्ध पर रखा जावे।
4. उच्च माध्यमिक विद्यालय	माध्यमिक शिक्षा वोर्ड, राजस्थान अजमेर के विनियनमों के अनुसार उसमें निर्धारित योग्यता वाले अध्यापक 1. प्रधानाचार्य -1 2. सहायक प्रधानाचार्य -1 यदि कक्षा 6 से 12 तक मे 700 से अधिक विद्यार्थी है या विद्यालय दो परियो में चलता है। 3. अध्यापक 1 श्रेणी "अनिवार्य विपय" हिन्दी -1 अग्रेजी -1 वेकल्पिक विपय-3 या स्वीकृत विद्यालयों के अनुसार विपय सस्था द्वारा सचालित सकाय से अनुदान सूची पर लेकर, उसके लिये विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये प्रत्येक वैकल्पिक विपय के लिए एक अध्यापक।

स्तर	पदों का ब्यौरा	
	4. पुस्तकालयाध्यक्ष - 1	माध्यमिक स्तर पर स्वीकृत न होने की दशा में ही स्वीकृत समाझा जावे।
	5. I विज्ञान सकाय एव कृषि विज्ञान सकाय अनुदान सूची पर होने की दशा में -	
	प्रयोगशाला सहायक	-1
	प्रयोगशाला सेवक	-1
	II गृह विज्ञान विषय के लिए एक अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-	1

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त क्रमांक 1 पर वर्णित निर्धारित नार्म्स के अनुसार पदों की समीक्षा करके निम्न प्रपत्र में वाछित सूचना 30 सितम्बर, 1998 तक निदेशालय को एवं राज्य सरकार को एक साथ प्रेषित की जायेगी।

1. क्रमाक
2. विद्यालय का नाम
3. विद्यालय का स्तर
4. विद्यार्थियों की सख्या (कक्षावार वर्गो का विवरण)
5. अनुदान का स्तर (संकाय एव स्वीकृत विषयों का विवरण)
6. स्वीकृत पदों का विवरण
7. नार्म्स के अनुसार कितने पद स्वीकृत होने चाहिए।
8. अधिक पदों का विवरण
9. कम पदों का विवरण

(3) समीक्षा अधिकारी कृपथा इस वाल की पूर्ण सुनिश्चितता करें कि समीक्षा पश्चात् व राज्य सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय तक सक्षम अधिकारी निम्नानुसार कार्यवाही करेगे-

1. यदि अधिक पाये पद रिक्त हो तो तत्काल प्रभाव से प्रास्थगित (In Abeyance) कर दिया जावेगा।
2. यदि रिक्त पद के लिए नियुक्ति अनुमोदन की प्रक्रिया चालू हो तो उसे भी स्थगित कर दिया जावे।
3. अधिक पाये, परन्तु भरे पदों के सम्वन्ध में संस्था को यह सूचित कर दिया जावे कि तीन माह या एक नवम्बर, 98 जो भी वाद में हो, उसके वाद से इन पदों के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जावेगा।
4. यदि समीक्षा उपरान्त किसी विद्यालय में स्वीकृति पद नार्म्स से कम पाये जावें तो ऐसे पदों की स्वीकृति निदेशालय से नहीं दी जावेगी। इस सम्वन्ध में निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जावेगा।
5. पदों की समीक्षा सम्वन्धी कार्य समयवद्ध रूप से, निश्चित समय में किये जाने का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सम्वन्धित सक्षम अनुदान स्वीकृत अधिकारी का होगा।

क्रमांक प-11 (11) शिक्षा-5/93 दिनांक 25/06/1998 (आदेश संख्या 55)

विषय :- **अतिरिक्त पदों के हेतु अनुदान समिति में विचार के पश्चात् सृजन के सम्बन्ध में निर्देश।**

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एव तत्सम्बन्धी, 1993 के नियम 17 के प्रावधान के तहत सस्था मे अध्ययनरत विद्यार्थियो की सख्या के अनुपात मे निर्धारित प्रपत्र मे सस्था द्वारा अतिरिक्त या नये पदो की आवश्यकता के क्रम मे प्रतिवर्ष 31 मई तक अपना आवेदन-पत्र दो प्रतियो मे सम्बन्धित शिक्षा निदेशक के यहा प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षा निदेशक के स्तर पर उक्त प्रकरण का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त अपनी अभिशषा सहित प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाते हैं तथा राज्य सरकार के स्तर पर उक्त प्रस्तावो की आवश्यक समीक्षा कर अपनी अभिशषा सहित इन पर वित्त विभाग से सहमति के बाद आवश्यक स्वीकृति जारी की जाती है।

इस क्रम मे सक्षम प्रशासनिक अनुमोदन के पश्चात् अतिरिक्त पदों के सृजन के सम्बन्ध मे निम्न प्रकार व्यवस्था निर्धारित की जाती है।

1. सस्थाओ द्वारा प्रत्येक वर्ष मई माह तक विद्यालय मे गत वित्तीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियो के अनुपात तथा अनुदान नियमो मे एव वोर्ड के विनियमो मे वर्णित नार्म्स के अनुसार अतिरिक्त पदो सम्बन्धी प्रस्ताव नियमो में वर्णित प्रपत्र में दो प्रतियो मे बनाकर सम्बन्धित निदेशालय को प्रेषित किय जावे।
2. निदेशालय द्वारा प्रत्येक वर्ष जून मे उनका आवश्यक परीक्षण करके प्राप्त होने वाले समस्त प्रस्तावो का एक विवरण प्रपत्र-मय अभिशषा के दो प्रतियो में बनाकर राज्य सरकार को प्रेषित किये जावे।
3 राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्राप्त प्रस्तावो की समीक्षा उपलब्ध वित्तीय ससाधनो के परिप्रेक्ष्य मे करने के लिए अनुदान नियमों मे वर्णित अनुदान समिति की बैठक बुलाकर की जावेगी।
4 अनुदान समिति द्वारा उक्तानुसार अभिशषित प्रस्तावो को वित्त विभाग को भेजकर आवश्यक सहमति उपरान्त तदनुसार राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी।

क्रमाक प-17 (47) शिक्षा-5/93 दिनांक 09/07/1998 (आदेश संख्या 56)

विपय :- **गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अनुदान नियम, 1993 के नियम, 39 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद सेवा से पृथक् करने के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग को 30 दिन का नोटिस देने के उपरान्त किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होने पर स्वतः ही अनुमोदन मान लिये जाने के क्रम में।**

उपरोक्त विपयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एव तत्सम्बन्धी नियम, 1993 के नियम 39 के तहत और गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं मे कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध नियम 39 मे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित जाच समिति की प्राप्त रिर्पोट के आधार पर प्रबन्ध समिति द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जाकर अनुमोदन हेतु प्रकरण शिक्षा निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी को प्रेपित किये जाने पर उनके द्वारा वहुत लम्बे समय तक ऐसे प्रकरणो को लम्बित रखने के कारण सस्थाओ को आने वाली कठिनाईयों के सम्बन्ध में अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं। उक्त प्रतिवेदनों का राज्य सरकार के स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त सन्दर्भित अधिनियम के तहत वने नियमो में कर्मचारियो को सेवा से हटाये जाने के सम्बन्ध मे समझा गया।

अतः राज्य सरकार द्वारा सरकार गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अनुदान निमय, 39 के तहत सेवा से हटाये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन को परिभाषित किया जाकर निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

1. अनुदान नियम 39 के तहत कर्मचारियो के विरुद्ध प्रारम्भिक जाच हेतु गठित की जाने वाली जाच समिति मे निदेशक द्वारा किसी अधिकारी को मनोनीत किये जाने के स्थान पर अब यह अधिकार सम्बन्धित जि शि.अ. को प्रत्यावर्तित किया जाता हैं कि वे किसी भी अधिकारी को उक्त जाच समिति में बतौर विभागीय प्रतिनिधि मनोनीत करदे।
2. जाच रिपोर्ट के आधार पर प्रबन्ध समिति यदि सेवा समाप्त करने का निर्णय लेती है तो उसके अनुमोदन का अधिकार भी अब सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को ही होगा।
3. प्रबन्ध समिति द्वारा कर्मचारी की सेवा समाप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव मय जाच रिपोर्ट के रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया गया, अनिवार्य होगा। उक्त प्रस्ताव रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करने के 30 दिन की अवधि में यदि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन से लिखित मे इन्कार नहीं किया जाता है तो सस्था के प्रस्ताव का अनुमोदन माना जा सकेगा।

क्रमांक प-19 (9) शिक्षा-5/93 दिनाक 22/07/1998 (आदेश सख्या 57)

विषय :- **गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान देने एव अनुदान अन्तिमीकरण के आवेदन-पत्रों का निस्तारण करने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान मे यह लाया गया हे कि सरकार द्वारा समसख्यक परिपत्र दिनाक 21/02/1998 के अनुसरण मे गैर सरकारी शैक्षणिक सस्थाओं के लिए वर्ष 1998-99 के लिए प्रोविजनल अनुदान, निदेशालय, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा बजट आवटन पश्चात् (सन्दर्भ · प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय का पत्र शिविरा/प्रार /बजट/प. 1/1004/98-99/7 दिनाक 13/07/1998) भी रिलोज नहीं किया गया है।

अतः राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी अनुदानित विद्यालयों को दिनाक 31/07/1998 से पूर्व अप्रेल-मई, 1998 की 4 माह की अवधि हेतु प्रोविजनल अनुदान प्राप्त हो जाये व तत्पश्चात अगस्त माह मे राज्य सरकार के परिपत्र 11 (10) शिक्षा- 5/90 दिनाक 06/06/1998 के अनुसार पदो की समीक्षा भी हो जाये, के क्रम मे निम्न निर्देश कठोर पालना हेतु प्रदान करती है-

1. सभी सक्षम अधिकारियो द्वारा उनके क्षेत्र मे स्थित अनुदानित गैर सरकारी शैक्षणिक सस्थाओ को वर्ष 1997-98 में स्वीकृत प्रोविजनल अनुदान के आधार पर ही, चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम चार माह के लिए प्रोविजनल अनुदान स्वीकृत कर दिया जावे। इस प्रोविजनल अनुदान स्वीकृति के लिए किसी प्रकार की पत्रावली आदि के निदेशालय से मगवाने की आवश्यकता नहीं है। सस्था द्वारा प्रस्तुत एव विभाग मे उपलब्ध प्रोविजनल स्वीकृति के आधार पर ही अनुदान स्वीकृति पत्रावली बना कर चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम चार माह का प्रोविजनल अनुदान स्वीकृत किया जावे।
2. (क) वर्ष 1997-98 के लेखों के अन्तिमीकरण एवं इसके पश्चात् के समस्त स्वीकृतियों के लेखा अकेक्षण आदि का कार्य इन अनुदान स्वीकृत अधिकारियों के कार्यालयो के द्वारा ही करवाया जावेगा।
   (ख) वर्ष 1996-97 तक के अनुदान अन्तिमीकरण का समस्त लेखा, अंकेक्षण का कार्य दिनांक 21/02/1996 के आदेश से पूर्व के अनुदान स्वीकृत अधिकारियों द्वारा ही करवाया जावेगा।
3. सभी सक्षम अधिकारी राज्य सरकार के आदेश क्रमाक प. 11 (10) शिक्षा-5/90 दिनांक 06/06/1998 के अनुसार अनुदानित विद्यालयो मे पदों की समीक्षा की आदेशानुसार कार्यवाही करेंगे।
4. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा अगस्त 15 तक 1998-99 सम्पूर्ण वर्ष के 6 सक्षम अधिकारियों को बजट आवटन पूर्ण कर लेंगे व आवश्यक पत्रावलियां/पत्राचार सक्षम अधिकारियों को उपलब्ध करा देंगे।

क्रमांक प-20 (8) शिक्षा-5/91 दिनांक 25/07/1998 (आदेश संख्या 58)

विषय - गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 1993 के परिशिष्ट- 8 में अनुज्ञेय कन्टीन्जेन्सी मदों का भुगतान करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान मे यह लाया गया है कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 के तहत वने अनुदान नियम, 1993 के परिशिष्ट-8 में 'माध्यमिक एव विशिष्ट श्रेणी' की सस्थाओं का पृथक् से उल्लेख नहीं किये जाने के कारण इन्हे अनुदान नियम, 1993 के तहत कन्टीन्जेन्सी के लिए निर्धारित मदों पर अनुदान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही परिशिष्ट-8 के कॉलम सख्या 8 मे लेखन सामग्री एवं मुद्रण तथा पानी और रोशनी के खर्च के मद मे मुद्रण की त्रुटि के कारण क्रमश 200/- एव 250/- अकित कर दिया गया है।

अत इन दोनो बिन्दुओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 की धारा 37 सपठित नियम, 93 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए निम्न प्रकार आदेश प्रदान किये जाते है-

1. अनुदान नियम, 1993 के परिशिष्ट-8 के कॉलम स. 7 में वर्णित दर से ही समस्त माध्यमिक स्तर की अनुदान प्राप्त सस्थाओं को भी कन्टीन्जेन्सी के मदों हेतु निर्धारित दर से भुगतान किया जावे।
2. विशिष्ट श्रेणी की सस्थाओ को यदि उनमे सामान्य शिक्षा के अनुसार पढ़ाई कराई जाती है तो जिस स्तर के लिए अनुदान हेतु उन्हें स्वीकृति दी हुई है, उसी स्तर की सामान्य शिक्षा के अनुरूप कन्टीन्जेन्सी के लिए निर्धारित दर से भुगतान किया जावे। अन्यथा परिशिष्ट-8 के कॉलम स. 10 मे वर्णित दर से कन्टीन्जेन्सी हेतु राशि दी जाये।
3. परिशिष्ट-8 के कॉलम स. 8 में क्रमाक 4 लेखन सामग्री एवं मुद्रण एव क्रमांक 5 पानी और रोशनी खर्चे की मुद्रित की हुई राशि क्रमश 200/- एवं 250/- को क्रमशः 2000/- एव 2500/- रु. मानकर भुगतान किया जावे।

यह आदेश सत्र 1998-99 वित्तीय वर्ष से लागू हुए माने जायेंगे।

No. F. 10(12) Edu. 5/93 Date 29.07/1998 (Order No. 59)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 43 of the Rajasthan Non-Government Educational Insitutions Act, 1989 and all other powerrs enabling it in this behalf, the state Government hereby makes the following ruls further to amend the Rajasthan Non-Government Educatin Institutions (Recognitin Grant-in-aid. and Service Conditions etc.) Rules 1993, namely :-

1 SHORT TITLE AND COMMENCEMENT-

(i) These rules may be called the Rajasthan Non-Government Eductional Institutions (Recognition, Grant-in-aid and Service Conditions etc.) (Amendment) Rules, 1998.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. AMENDMENT IN RULE 45-

Existing rule 45 of the Rajasthan Non-Government Educational Institutions (Recognition, Grant-in-aid, and Service Conditions etc.) Rules 1993, shall be substituted by the following namely-

45. THE AGE OF SUPERANNUATION-

(i) The age of superannuation of teachers and other employees shall be the last date of the month in which they attain the age of 60 years. In special circumstances the Management Committee of the Educational Institution may allow extension in service for a period not exceeding two years for such

college teachers, who are engaged in Post-gracduate teaching or research work. provided such teacher fulfil the following conditions -

(i) He should be physically fit as per certificate of Medical Officer of the Government

(ii) Satisfactory examinations results of his pupils of atleast last three years.

(iii) His service should be satisfactory

(2) The political sufferers, who happen to work in an aided institution as Secretary and in capacities other than teaching staff, may also be allowed extension upto the age of 65 year, provided they are physically fit as per certificate of the Principal Medical Officer or Chif Medical Officer of the district and procduce a certificate from the Government in General Administration Dipartment of their being political sufferers.

(3) A retired goverment servant shall not be employed by any educational institutions in any capacity

(4) The Orders passed for extension of service by Management Committee shall b submitted to grant sanctioning authority alongwith the following documents at the time of the finalisation of grant

(a) Application of the employee as specifid in Appendix-XIII

(b) Medical Certificate of a Government Medical Officer in the prescribed form.

(c) A copy of the resolution passed by the Management Committee

(d) A statement showing examination results of his pupils of atleast last three years in the case of teachers.

(e) Certificate of satisfactory service rendered by the employee.

(f) Certificate regarding other outstanding achievements of the employees, if any

(5) The institutions shall be allowed to receive the usual grant-in-acid in respect of the expenditure incurred for such sanctioned period of extension.

परिपत्र क्रमांक प-15(1) शिक्षा-5/94 पार्ट I दिनांक 29/07/1998 (आदेश सख्या 60)

विषय :- **मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अनुदानित शिक्षण सस्थाओं में**

(i) कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते इत्यादि,

(ii) फीस लेने के सवंध मे वस्तु-स्थिति।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि गैर सरकारी, गैर अनुदानित शिक्षण सस्थाओं द्वारा मान्यता के लिए आवेदन-पत्र की जांच करते समय शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एव तत्सम्वन्धी नियम, 1993 के नियम-4 की सपठित परिशिष्ट-2 के आइटम सख्या 7 व 14 के क्रम मे-

सस्थाओ द्वारा अपने शिक्षको व कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन भत्तों तथा ऐसी सस्थाओं द्वारा ली जा रही फीस के संवध में भ्रान्ति हैं एवं इस भ्रान्तिवश इनके मान्यता प्रकरण गलत कारणों से अस्वीकार कर दिए जाते हैं। इस सम्वन्ध मे वस्तुस्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है।

गैर सरकारी, गैर अनुदानित सस्थाओं में शिक्षकों तथा कर्मचारियों को देय वेतन भत्ते इत्यादि से संवंधित विषय-

इस संवध में परिष्टि-2 के आइटम संख्या 14 में निम्न व्यवस्था है-

14 वेतन भत्ते-

(क) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय-सस्था में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार के नियमों के अनुसार वेतन, महगाई भत्ता एवं भविष्य निधि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए।

(ख) **महाविद्यालय-** महाविद्यालय के शैक्षणिक अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतनमान, भत्ते एव अन्य सुविधाएं देना आवश्यक है। (सस्था को अनापत्ति-प्रमाण-पत्र देने से पहले इस विषय के वचन बध) देना आवश्यक होगा।

नोट :- कर्मचारियों के खाते में जमा योग्य चैक से महीने की समाप्ति के पश्चात् अगले माह की 5 तारीख से पूर्व सदाय करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त प्रावधान को अनुदान प्राप्त गैर सरकारी सस्थाओं के लिए नियम 34 से विभेद किया जाना आवश्यक है । नियम 34 निम्नानुसार है-

34 **वेतन और भत्ते-** सहायता प्राप्त शैक्षिक सस्थाओं के कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते, सरकारी शैक्षिक सस्थाओं मे वैसे ही प्रवर्ग के कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा विहित वेतनमान और भत्तों से कम नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण- "भत्ते" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है, महगाई भत्ता, गृह किराया भत्ता और शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता।

उपरोक्त दोनों प्रावधानों को एक साथ करने से स्पष्ट होगा कि अनुदान प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियो व शिक्षको के लिए वेतनमान, मंहगाई भत्ता, गृह किराया भत्ता व शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता के लिए यह वैधानिक रूप से प्रावधित कर दिया गया है कि ऐसे कर्मचारियो के वेतनमान व भत्ते सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के लिए यह शर्त नहीं रखी गई है कि गैर सरकारी, गैर अनुदानित सस्थाओ के लिए मान्यता की शर्तो के रूप में यही व्यवस्था की गई है, कि उनके लिए सरकार के नियमों के अनुसार वेतन, महंगाई भत्ता एवं भविष्य निधि सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। राज्य सरकार ने अभी तक इस सबंध में कोई नियम नहीं बनाए हैं। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि गैर सरकारी, गैर अनुदानित शिक्षण सस्थाओं के शिक्षकों व कर्मचारियों को राजकीय शिक्षकों व कर्मचारियो के समान वेतन, महगाई भत्ता व भविष्य निधि सुविधाएं दिया जाना अनिवार्य नहीं है ऐसी संस्था व उनके शिक्षक तथा कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए जाने तक वेतन, महंगाई भत्ते इत्यादि के सबध में आपसी अनुबन्ध के आधार पर अपने वेतन तथा भत्ते तय करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

उपरोक्त स्थिति के मध्य नजर रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि इस आधार पर गैर सरकारी, गैर अनुदानित सस्थाओं को मान्ता दिये जाने से इकार नहीं किया जाना चाहिए।

गैर सरकारी, गैर अनुदानित संस्थाओं में फीस के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति - अनुदान नियम, 1993 के परिशिष्ट - 2 मे मान्यता देने सम्बन्धी न्यूनतम भौतिक एव वित्तीय मानदण्ड तथा शर्ते निर्धारित की गई है। इस परिशिष्ट के आइटम सख्या 7 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एव सीनियर माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों सभी के लिए यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से विभिन्न फीसे ली जा सकेंगी। राज्य सरकार ने अभी तक किसी भी प्रकार की सस्थाओं के लिए विभिन्न प्रकार की फीसों का निर्धारण नहीं किया है। अत. स्पष्ट किया जाता है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की फीसो का निर्धारण नहीं किया जावे तब तक किसी भी सस्था का आवेदन-पत्र इस आधर पर नहीं अस्वीकार किया जाना चाहिए कि ऐसी सस्था अत्यधिक फीस चार्ज कर रही है।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

परिपत्र क्रमांक प-16 (18) शिक्षा-5/98 दिनांक 26/08/1998 (आदेश सख्या 61)

विषय :- **राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 20 (6) के अनुसार अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के लेखों की आवश्यक सपरीक्षा करने के सबंध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि राज्य में सचालित गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एव तत्सम्बन्धी निमय, 1993 के प्रावधानो के अनुसार समय-समय पर शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यरत सक्षम अनुदान स्वीकृत अधिकारियो द्वारा दिये जाने वाले अनुदान का अनुदान नियम 20(6) के प्रावधन के अतर्गत लेखों की सपरीक्षा किये जाने की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है जबकि अनुदान प्राप्त शैक्षिक सस्थाओं के लेखो की सपरीक्षा निश्चित रूप से समय-समय पर प्रावधानानुसार कम से कम 2 वर्ष मे एक बार अवश्य की जानी चाहिए।

अतः प्रकरण की गम्भीरता देखते हुए राज्य सरकार के स्तर पर आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त, यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि प्रत्येक निदेशालय द्वारा वर्ष 1998-99 से उन्हे उपलब्ध स्टाफ के मध्य नजर ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से करे कि वर्ष के दौरान जितनी भी सस्थाओ को उस निदेशालय एव उनके अधीनस्थ सक्षम अधिकारियो द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाये उनमे से कम से कम 25 प्रतिशत सस्थाओ के लेखे के सपरीक्षा उसी वित्तीय वर्ष मे निश्चित रूप से राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम 1993 के नियम 20 (6) के प्रावधान के अनुसार पूरी कर ली जाये।

इसे प्राथमिकता देवे।

क्रमांक प- 10 (12) शिक्षा-5/93 दिनाक 22/09/1998 (आदेश सख्या 62)

विषय :- **गैर सरकारी, शैक्षिक संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति अनुमोदन के संबंध में विभागीय परिपत्र दिनांक 19/03/1998 के द्वारा की गई व्यवस्था के क्रम में स्पष्टीकरण।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी सस्था अधिनियम, 1989 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 1993 के तहत गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु उनके अनुमोदन के सबध में आने वाली विभिन्न कठिनाइयो को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शिक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम, 92 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए नियम 28 मे छुट देते हुए अनुमोदन सवधी व्यवस्था निर्धारित करने के सबध में आवश्यक निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त जारी निर्देशो के क्रम मे शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयो एव विभिन्न शिक्षण सस्थाओ से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जा रहा है कि विभाग द्वारा जारी की गई उक्त नियुक्ति अनुमोदन सवधी व्यवस्था विद्यमान लम्बित प्रकरणों पर भी लागू है या नहीं ?

अतः राज्य सरकार द्वारा प्रकरण का आवश्यक परीक्षण करने के पश्चात् यह निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि विभागीय समसख्यक परिपत्र दिनाक 19/03/1998 द्वारा अनुदान नियम, 28 मे छुट देते कर्मचारियो के नियुक्ति अनुमोदन सवधी की गई व्यवस्था परिपत्र दिनांक 19/03/1998 के जारी होने के दिनाक को विद्यमान अनुमोदन सवंधी लम्वित प्रकरणो पर भी यथावत रूप से लागू होगी।

क्रमांक प-20 (8) शिक्षा-5/91 दिनाक 22/09/1998 (आदेश संख्या 63)

विषय :- **अनुदान प्राप्त गैर सरकारी माध्यमिक एवं विशिष्ट श्रेणी की शैक्षिक सस्थाओं को देय कन्टीन्जेन्सी की राशि तथा अनुदान नियम 1993 के परिशिष्ट-8 के कालम संख्या 8 के क्रमाक 4 व 5 में वर्णित में मुद्रण सबंधी सुधार के फलस्वरूप देय राशि उक्त अनुदान नियमों की प्रभावी होने की तिथि अर्थात् दिनांक 01/04/1993 से ही दिये जाने के सबंध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनाक 25/07/1998 के द्वारा राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 1993 के परिशिष्ट- 8 के तहतः-

1 माध्यमिक एव विशिष्ट श्रेणी की संस्थाओं को भी कन्टीन्जेन्सी राशि दिये जाने एवं

2 उक्त परिशिष्ट-8 के कालम सख्या 8 के क्रमांक 4 व 5 जो कि क्रमशः 200/- एवं 250/- रु की राशि को क्रमशः 2000/- एवं 2500/- रु. किये जाने सवधी आदेश की प्रभावशीलता वित्तीय वर्ष अर्थात् 1998-99 से हो रही थी।

परन्तु उक्त जारी आदेश के संवध में माननीय शिक्षा मत्री जी द्वारा विधान सभा में की गई घोषणा के परिप्रेक्ष्य में आशिक सशोधन करते हुए इस आदेश की प्रभावशीलता राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 के प्रभावी होने की तिथि अर्थात् दिनाक 01/04/1993 से किये जाने के सवध में आदेश प्रदान किये जाते हैं।

क्रमाक प-19(9) शिक्षा-5/93 दिनांक 26/09/1998 (आदेश संख्या 64)

विषय - **गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान देने एवं अनुदान अन्तिमीकरण के आवेदन-पत्रों का निस्तारण करने संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन।**

उक्तरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 की धारा 42 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य में अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को अनुदान देने तथा अनुदान अन्तिमीकरण के क्लेमों को निस्तारण करने के सबध मे (विभागीय समसख्यक परिपत्र दिनाक 21/02/1998) द्वारा अधिकारों के किये गये प्रत्यायोजन की निरन्तरता में वर्ष 1998-99 के वित्तीय वर्ष के अनुदान देने एवं वर्ष 1997-98 के अनुदान अन्तिमीकरण सवधी अधिकारों के प्रत्यायोजन के संदर्भ में निम्न प्रकार अधिकारों का और प्रत्यायोजन किया जाता है-

	संस्था का स्तर	प्रोविजनल अनुदान स्वीकृत करने एवं अनुदान अन्तिमीकरण करने हेतु सक्षम अधिकारी (अपने-अपने क्षेत्रों में)
1	प्राथमिक एव उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के साथ छात्रावास केन्द्रीय कार्यालय	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक)
2.	माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के साथ छात्रावास/केन्द्रीय कार्यालय	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3.	उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के साथ छात्रावास/ केन्द्रीय कार्यालय	उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा
4	सामान्य शिक्षा का प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयो के अलावा अन्य सभी प्रकार के विशिष्ट श्रेणी के विद्यालय, सस्थाएँ पुस्तकालय आदि।	उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा

क्रमांक प-19(9) शिक्षा-5/93 दिनांक 11/12/1998 (आदेश संख्या 65)

विषयः- **गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान देने एव अनुदान अन्तिमीकरण के आवेदन-पत्रों के निस्तारण करने सम्बन्धी अधिकारों के प्रत्यायोजन के आदेश को निरस्त करने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 की धारा 42 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को वर्ष 1998-99 के वित्तीय वर्ष से अनुदान देने एव वर्ष 1997-98 के अनुदान अन्तिमीकरण सम्वन्धी अधिकारों के प्रत्यायोजन सम्वन्धी जारी विभागीय समसख्यक आदेश 21/02/

1998 को प्रारम्भिक शिक्षा एव माध्यमिक के सम्वन्ध मे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर पूर्ववत व्यवस्था निम्न शर्तो के तहत किये जाने की एतद्द्वारा प्रदान की जाती है-

1. सम्वन्धित निदेशक अपने-अपने निदेशालयो के लिए उक्त कार्य के त्वरित निस्तारण हेतु समुचित व्यवस्था आदेशित करेगे और प्रति माह लम्वित मामलों की समीक्षा करेगे।
2. निदेशालयो द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में लम्वित रहे अनुदान सम्वन्धी प्रकरणों की सूची नोटिस बोर्ड पर लगाई जायेगी तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भी भेजी जाएगी।

क्रमांक एफ-19(9) शिक्षा-5/1993 दिनांक 11/12/1998 (आदेश सख्या 66)

विषय :- **गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता या अनापति प्रमाण-पत्र देने सम्बन्धी अधिकारों के प्रत्यायोजन के आदेश को निरस्त करने के संबंध में।**

उपरोक्त विपयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 की धारा 42 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ का राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान एव शर्ते आदि) नियम 1993 के नियम 5 सपठित परिशिष्ट-3 के तहत मान्यता या अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने सम्वन्धी अधिकारों के प्रत्यायोजन के क्रम में जारी किये गये विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 21/02/1998 को प्रारम्भिक शिक्षा एव माध्यमिक शिक्षा के सम्वन्ध मे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर पूर्ववत व्यवस्था निम्न शर्तो के तहत किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. सम्वन्धित निदेशक अपने-अपने निदेशालयों के लिए उक्त कार्य के त्वरित निस्तारण हेतु समचित व्यवस्थ आदेशित करेगे और प्रति माह लम्वित मामलो की समीक्षा करेगे।
2. निदेशालयो द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में लम्वित रहे मान्यता या अनापत्ति सम्वन्धी प्रकरणो की सूची नोटिस वोर्ड पर लगाई जायेगी तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भी भेजी जाएगी।

क्रमांक प-11 (10) शिक्षा-5/90 दिनांक 16/12/1998 (आदेश सख्या 67)

विषय:- **अनुदान प्राप्त विद्यमान गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में पद स्वीकृति के नोर्म्स तथ विद्यमान पदों की समीक्षा करने सम्बन्धी आदेश को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषय मे विभागीय समसंख्यक परिपत्र क्रमांक - अनुदान नियम, 1993 आदेश सख्या 54 दिनाक 06/06/1998 के द्वारा अनुदान प्राप्त विद्यमान गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में पद स्वीकृति के नोर्म्स तथा 1998-99 के सत्र मे जुलाई, 1998 तक विद्यार्थियों के एनरोल्मेन्ट के आधार पर विद्यमान पदों की समीक्षा करने सम्वन्धी निर्देश जारी किये गये थे।

इस सम्वन्ध मे उत्पन्न कठिनाइयो पर विचारोपरान्त राज्य सरकार ने उक्त निर्देशों की क्रियान्विति मे एक वर्ष की ढील देने का निर्णय लिया है जिससे कि सम्वन्धित संस्थाओं को अपेक्षित सुधार लाने का समुचित अवसर मिल सकेगा।

अतः राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता ओर सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सन्दर्भित परिपत्र दिनाक 06/06/1998 में जहॉ-जहॉ भी वर्प/सत्र 1998-99 उल्लिखित है उसके स्थान पर वर्प/सत्र 1999-2000 तथा जहा-जहा भी वर्प 1998 का सन्दर्भ आया है उसके स्थान पर वर्प 1999 प्रतिस्थापित किया जाता है।

क्रमांक प-12 (1) शिक्षा-5/97 दिनांक 16/12/1998 (आदेश संख्या 68)

विषय :- **वर्तमान में अनुदान प्राप्त कर रही गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को वर्ष 1998-99 से अनुमोदन की प्रोवीजनल स्वीकृति देने से पूर्व सुनिश्चित किये जाने वाले निर्देशों की पालना स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषय मे विभागीय समसख्यक परिपत्र आदेश क्रमाक अनुदान नियम, 1993/47 दिनाक 28/04/1998 के द्वारा वर्तमान मे अनुदान प्राप्त गेर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को वर्ष 1998-99 से प्रोवीजनल अनुदान स्वीकृत करने सम्बन्धी निर्देशो की पालना करने के सम्बन्ध में आने वाली कठिनाइयों के सन्दर्भ में कतिपय सशोधन राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

इस सन्दर्भ में राज्य सरकार ने उक्त परिपत्र दिनाक 28/04/1998 की क्रियान्विति एक वर्ष के लिए स्थगित रखने का निर्णय लिया है।

अत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान ओर सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सन्दर्भित परिपत्र दिनाक 28/04/1998 में जहां-जहां भी वर्ष/सत्र 1997-98, 1998-99 एवं 1999-2000 प्रयुक्त हैं, उनके स्थान पर क्रमशः वर्ष/सत्र 1998-99, 1999-2000 एव 2000-20001 प्रतिस्थापित किया जाता है।

क्रमांक प-11 (33) शिक्षा-5/83 दिनांक 19/12/1998 (आदेश संख्या 69)

विषय - **अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को जुलाई 98 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि माह जुलाई एवं अगस्त की नकद भुगतान किये जाने के वजाय राष्ट्रीय वचत पत्र खरीदने के सम्बन्ध में।**

वित्त विभाग द्वारा अपने आदेश क्रमाक एफ. 7(1) एफ.डी./नियम/1998 दिनाक 03/10/1998 के द्वारा राज्य कर्मचारियों को माह जुलाई, 98 से 22% की दर से महंगाई भत्ता दिये जाने के आदेशों के क्रम में जुलाई एव अगस्त, 1998 के वढे हुए महंगाई भत्ते की राशि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कराने के आदेश दिये है। परन्तु गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के सन्दर्भ में शिक्षा विभाग के आदेश क्रमाक एफ. 11(22) शिक्षा-5/88 दिनाक 24/01/1998 के द्वारा जी.पी.एफ. खाते के कटौती को वैकल्पिक कर दिया गया जिसके क्रम मे वित्त विभाग ने भी आदेश क्रमाक एफ. 8(3) वि.मा./97 दिनाक 24/08/1998 के द्वारा इन सस्थाओं के कर्मचारियो के सामन्य भविष्य निधि खाते में जमा समस्त राशि को 5 अर्द्धवार्षिक किश्तो मे लोटाने के आदेश जारी कर दिये है। अतः यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या माह जुलाई व अगस्त 98 के वढी हुई महगाई राशि का अनुदानित सस्थाओं के कर्मचारियो को नकद भुगतान करा दिया जावे।

इस सम्वन्ध मे प्रकरण का परीक्षण राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एव इसके तहत वने नियम, 1993 सपठित विभागीय आदेश क्रमाक 06/08/1993 एव 24/01/1998 तथा वित्त विभग के उपर्युक्त सन्दर्भित आदेश दिनाक 24/08/1998 के क्रम मे किया जाकर यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुदान प्राप्त गैर सरकारी सस्थाओ में कार्यरत कर्मचारियो की उक्तानुसार वढ़े हुए महगाई भत्ते की माह जुलाई, 1998 एव अगस्त, 1998 की राशि के कुल योग की अग्रिम सैकड़ों में राउण्ड ऑफ करके इस राशि को सम्वन्धित कर्मचारियो के नाम सस्था द्वारा 'राष्ट्रीय वचत-पत्र" में विनियोजित किया जावेगा। वढ़े हुए महगाई भत्ते की राशि के विनियोजन की समस्त जिम्मेवारी सस्था की प्रवन्ध समिति और सस्था प्रधान की होगी तथा उन्हे राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करते समय इस आशय का प्रमाण-पत्र भी अकित करना होगा कि वढ़े हुए महगाई भत्ते की राशि का विनियोजन राष्ट्रीय वचत-पत्र करा दिया जाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि जब भी राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए वेतन और महगाई भत्ते में वृद्धि करने के आदेश जारी करते समय सामान्य भविष्य निधि खाते में राज्य कर्मचारियो की राशि जमा की जायेगी तव-तव ही उसके सन्दर्भ मे अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उस अवधि के लिए देय राशि को अगले सैंकड़ों के वरावर करके राष्ट्रीय वचत-पत्र खरीद कर देने का दायित्व सस्था की प्रवन्ध समिति एव सस्था प्रधान का होगा। उसके लिए वार-वार पृथक् से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही सम्वन्धित सक्षम अनुदान स्वीकृति अधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि सस्था को देय अनुदान सम्वन्धी आगामी विल पर प्रतिहस्ताक्षर करने से पूर्व सस्था प्रवन्ध से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

यह आज्ञा वित्त विभाग विभाग की अन्तरविभागीय टीप सख्या 3370/एफ.डी./रूल्स/98 दिनाक 19/11/1998 के सन्दर्भ मे जारी की जाती है।

क्रमांक प-3 (1) शिक्षा- 5(94) दिनांक 08/03/1999 (आदेश संख्या 70)

विपय .- **माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक तथा इनके समकक्ष स्तर की मान्यता प्राप्त करने हेतु अनुदान नियम, 1993 में वर्णित आरक्षित कोप की राशि में बोर्ड के विनियमों के अनुसार परिवर्तन करने के सम्बन्ध मे।**

उपरोक्त विपयान्तर्गत माध्यमिक शिक्षा वोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा राज्य सरकार के ध्यान मे यह लाया गया है कि वोर्ड द्वारा माधमिक एव उच्च माध्यमिक तथा उनके समकक्ष स्तर की सस्थाओं के लिए मान्यता हेतु निर्धारित आरक्षित कोप (जिसका उल्लेख वोर्ड के मान्यता सम्वन्धी विनियम के सस्करण, 1996 के अध्याय 32 के भाग "अ" के पैरा 2 एव भाग "व" के पैरा 2 पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक सस्थाओ हेतु किया हुआ है) की पूर्व निर्धारित राशि को सशोधित करके क्रमशः रु. 25,000 एव 50,000 कर दिया गया है, जवकि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के परिशिष्ट-2 के आइटम नम्वर 4 (ग) मे शिथिलता के सम्वन्ध मे जारी विभागीय समसख्यक परिपत्र दिनांक 19/03/1994 के द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक हेतु क्रमश रु 15,000/- एव रु 25,000/- की आरक्षित राशि निर्धारित की हुई है। अत· वोर्ड ने आग्रह किया है कि दिनाक 19/03/1994 के परिपत्र मे वोर्ड के विनियमों में किये गये सशोधन के अनुसार आवश्यक सशोधन किया जाये ताकि मान्यता प्राप्त करने वाली सस्थाओ को इस सम्वन्ध में अनावश्यक कठिनाई का सामना नहीं करना पडे।

वोर्ड द्वारा प्रेपित किये गये प्रकरण का परीक्षण राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एव इसके तहत वने नियम, 1993 तथा विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनाक 19/03/1994 के साथ करने के उपरान्त तथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम, 92 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त परिपत्र दिनाक 19/03/1994 मे माध्यमिक स्तर एव उच्च माध्यमिक स्तर तथा इनके समकक्ष स्तर के लिए आरक्षित कोप की राशि क्रमश. रु. 15,000/- एवं रु 25,000/- के स्थान पर "समय-समय" पर वोर्ड के विनियमों मे निर्धारित आरक्षित राशि के अनुरूप" प्रतिस्थापित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

क्रमांक प-10(12) शिक्षा-5/93 दिनांक 08/03/1999 (आदेश संख्या 71)

विपय ·- **गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति के अनुमोदन सम्वन्धी प्रकरणों का निस्तारण विभागीय परिपत्र दिनांक 19/03/1998 के क्रम में 45 दिन में नहीं किये जाने पर सम्वन्धित सक्षम अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ में कर्मचारियों की नियुक्ति के अनुमोदन के सम्वन्ध मे जारी विभागीय समसख्यक परिपत्र दिनाक 19/03/1998 के क्रम में कतिपय सक्षम अधिकारियो द्वारा अभी भी नियुक्ति अनुमोदन सम्वन्धी प्रकरणो का निस्तारण 45 दिन की निर्धारित अवधि में नहीं किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप सस्थाओ द्वारा उक्त नियुक्ति का गर्भित अनुमोदन मानकर अग्रिम कार्यवाही कर ली जाती है, तत्पश्चात् उक्त अनुमोदन सम्वन्धी प्रकरणो मे किसी न किसी तरह की कमी निकाल कर नियुक्ति अनुमोदन को अस्वीकृत कर दिया जाता है जिसके फलस्वरूप न केवल सस्थाओ को आर्थिक हानि उठानी पडती हे वरन् नियुक्ति किए गए कर्मचारी को भी अत्यधिक मानसिक क्लेश की स्थिति से गुजराना पड़ता है।

अत. इस सम्वन्ध में आवश्यक विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान किये जाते हैं-

1. विभागीय समसख्यक परिपत्र दिनाक 19/03/1998 के क्रम में सस्थाओ से प्राप्त नियुक्ति अनुमोदन सम्वन्धी प्रकरणो पर सम्वन्धित सक्षम अधिकारी को 45 दिन की अवधि के भीतर आवश्यक निर्णय लेकर सस्था को अवगत करना होगा।
2. यदि सक्षम अधिकारी के द्वारा 45 दिन की निर्धारित अवधि में उक्त प्रकरण के सम्वन्ध में किसी प्रकार का निर्णय सस्था को नहीं दिया जाता है तो सस्था चयनित कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण कराने हेतु जो आदेश जारी करेगी उसकी प्रति राज्य सरकार व सम्वन्धित निदेशक को सस्था द्वारा नियुक्ति अनुमोदन सम्वन्धी समस्त पत्रादि (जो कि सक्षम अधिकारी को भेजे थे, मय रजिस्ट्री की रसीद) की प्रति के साथ भेजनी होगी, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि सस्था द्वारा सक्षम अधिकारी को नियुक्ति अनुमोदन का प्रकरण कब भेजा गया तथा 45 दिन मे कोई निर्णय प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप नियुक्ति की गई है।
3. सम्वन्धित निदेशक द्वारा सस्था से ऐसी प्राप्त सूचना के आधार पर निर्धारित समय सीमा मे निर्णय न लेने वाले सक्षम अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर राज्य सरकार को अवगत कराया जायेगा।

क्रमाक प-17(47) शिक्षा-5/93 दिनाक 08/03/1999 (आदेश सख्या 72)

विषय .- **गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के अनुदान नियम, 1993 के नियम 39 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद सेवा से पृथक करने के सम्वन्ध में शिक्षा विभाग को 30 दिन की सूचना देने के उपरान्त किसी प्रकार सूचना प्राप्त नहीं होने पर स्वतः ही अनुमोदन मान लिया जाने के सम्वन्ध में जारी विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनाक 09/07/1998 में आवश्यक संशोधन कर 30 दिन के स्थान पर 60 दिन के बाद स्वतः अनुमोदन मानने तथा निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही नहीं करने वाले ऐसे विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के सम्वन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एव तत्सम्वन्धी नियम, 1993 के नियम 39 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के कर्मचारियों को सेवा से पृथक् किए जाने के प्रवन्ध समिति के निर्णयों के अनुमोदन के सम्वन्ध मे, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम, 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्वन्ध में पूर्व समसख्यक विभागीय परिपत्र दिनाक 09/07/1998 में आशिक सशोधन करते हुए निम्न प्रकार आदेश दिए जाते हैं-

1. कर्मचारियों को सेवा से पृथक् करने सम्वन्धी आवश्क प्रस्ताव नियमो मे वर्णित समस्त पत्रादि के साथ सम्वन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को सस्था द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी.डाक से ही प्रेषित किया जायेगा।
2. सम्वन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस सम्वन्ध मे जारी पूर्व विभागीय समसख्यक परिपत्र दिनाक 09/07/1998 में निर्धारित 30 दिना की अवधि के स्थान पर 60 दिन मे आवश्यक निर्णय लेकर संस्था को सूचित किया जाना होगा।

यदि सस्था को 60 दिन मे प्रस्ताव के अनुमोदन वावत लिखित इन्कार प्राप्त नहीं होता है तो प्रस्तावित कार्यवाही पर शिक्षा विभाग का गर्भित अनुमोदन मानते हुए अग्रिम कार्यवाही की जा सकती हे।

3. शिक्षा विभग के इस प्रकार गर्भित अनुमोदन के आधार पर सस्था द्वारा जारी किये जाने वाले अन्तिम आदेशो की प्रति सम्बन्धित निदेशक को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जायेगी कि सस्था द्वारा रजिस्ट्रर्ड डाक से सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को भेजे गये प्रस्ताव (जिसकी प्रति मय रजिस्टर्ड ए डी. की रसीद सलग्न है) पर 60 दिन में कोई निर्णय प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप विभाग की गर्भित अनुमति मानते हुए उक्त आदेश जारी किया गया है।
4. सम्बन्धित निदेशक द्वारा संस्था से प्राप्त ऐसे आदेश की पृष्ठाकन प्रति तथा उसके साथ सलग्न पत्रादि के आधार पर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध निर्धारित समय सीमा मे आवश्यक निर्णय नहीं लिए जाने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर राज्य सरकार को अवगत कराया जायेगा।

क्रमाक प-9 (21) शिक्षा-5/94 दिनांक 08/03/1999 (आदेश सख्या 73)

विपय :- **गैर सरकारी सस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति में विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने पर चयन कार्यवाही करने एवं चयन समिति में उपस्थित नहीं होने वाले विभागीय के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।**

प्रायः ऐसा देखने में आया है कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाए (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 26 (घ) के तहत निर्धारित चयन समिति में विभागीय प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने के कारण सस्थाओ को साक्षात्कार का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ता है और साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को भी समय एव धन की अनावश्यक हानि उठानी पडती है।

उक्त परिस्थितियों का परीक्षण करने के उपरान्त राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 92 के तहत प्रदान शक्तियो का प्रयोग करते हुए, विभाग द्वारा इस सम्बन्ध मे जारी पूर्व समसख्यक परिपत्र दिनाक 05/12/1997 में आशिक सशोधन करते हुए निम्न प्रकार व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रदान किये जाते है-

1. सस्था द्वारा साक्षात्कार हेतु विभागीय प्रतिनिधि को कम से कम 30 दिन पूर्व आवश्यक सूचना प्रेषित की जावे।
2. विभागीय प्रतिनिधि यदि सस्था द्वारा निर्धारित की गई साक्षात्कार की तिथि को उपस्थित होने में असमर्थ हो तो सस्था को कम से कम 15 दिन पूर्व निर्धारित तिथि में आवश्यक सशोधन करते हुए सूचित करें। यदि वे तिथि परिवर्तन की ऐसी सूचना न भेज सकें और अन्य आवश्यक कार्य की वजह से निर्धारित बैठक में जा भी न सकें तो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप मे अपने समकक्ष या अपने अधीनस्थ वरिष्ठतम स्तर के अधिकारी को लिखित में अधिकृत कर अवश्य भेजे।
3. यदि विभागीय प्रतिनिधि उक्तानुसार सशोधित तिथि को भी अपने आवश्यक कार्य की वजह से उक्त साक्षात्कार मे नहीं पहुच सकते हों तो अपने समकक्ष या अपने अधीनस्थ वरिष्ठतम स्तर के अधिकारी को उक्त साक्षात्कार में भाग लेने हेतु लिखित में अधिकृत कर आवश्यक रूप से भेजे।
4. यदि निर्धारित/सशोधित तिथि को विभागीय प्रतिनिधि अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी उपस्थित नहीं हो तो सस्था को यह अधिकार होगा कि विना विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति के ही साक्षात्कार सम्पन्न करा लें वशर्ते कि चयन समिति मे शेप समस्त सदस्य उपस्थित हों तथा विभागीय प्रतिनिधि की अनुपस्थिति की आवश्यक सूचना सम्बन्धित निदेशक को एव राज्य सरकार को साक्षात्कार के तुरन्त पश्चात् प्रेषित कर दें।
5. सम्बन्धित निदेशक द्वारा ऐसे विभागीय प्रतिनिधि के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही करके राज्य सरकार को अवगत कराया जायेगा।

आदेश क्रमांक प- 11(22) शिक्षा-5/88 दिनांक 12/03/1999 (आदेश संख्या 74)

विषय .- **गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं जिनमें 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, के वेतन से भविष्य निधि की राशि काट कर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 के प्रावधानानुसार भविष्य निधि विभाग को राशि भेजने के सबंध में।**

उपरोक्त विषय में गेर सरकारी शैक्षिक सस्थानों के कतिपय प्रवंन्ध सगठनो एवं कर्मचारी सगठनों ने राज्य सरकार का ध्यान कानोडिया महाविद्यालय, जयपुर एवं माहेश्वरी, हायर सैकेण्डरी स्कूल, जयपुर द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अपील अधिकरण मे दायर किये गये वाद में अधिकरण द्वारा दिनांक 18/09/1998 को दिये गये निर्णय के सबध मे आकर्पित कर यह मार्गदर्शन चाहा है कि अधिकरण के उक्त निर्णय के बाद भी क्या गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओ के कर्मचारियों के वेतन से काटी जाने वाली भविष्य निधि की राशि को कर्मचारी भविष्य निधि सगठन विभाग मे जमा कराया जाता रहे ?

इस सम्बन्ध मे अधिकरण द्वारा दिये गये उपरोक्त सदर्भित निर्णय की नवीनतम स्थिति के सन्दर्भ मे परीक्षण उपरान्त और विधि विभाग एव वित्त विभाग से परामर्श के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण के उक्त निर्णय से गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ के कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधि के सवध मे वित्त विभाग द्वारा पूर्व मे जारी आदेश क्रमांक एफ. 4 (73) वित्त/आर एण्ड ए-1/95 दिनाक 05/08/1997 तथा क्रमाक : एफ. 8 (3) विगा/97 दिनाक 24/08/1998 प्रभावित नहीं हुआ है।

अतः सभी ऐसी गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाए जिनमें 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है, से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कर्मचारियों के वेतन से प्रति माह अशदान भविष्य निधि की काटी जाने वाली राशि को क्षेत्रीय भविष्य निधि सगठन विभाग में जमा कराना जारी रखेगे।

आज्ञा क्रमाक प-11 (33) शिक्षा-5/83 दिनांक 20/03/1999 (आदेश संख्या 75)

विषय - **अनुदान प्राप्त गैर सरकारी सस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) (छठा संशोधन) नियम, 1998 के अनुसार सिर्फ एन्ट्री वेतनमान दिये जाने के संवंध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य में सचालित अनुदान प्राप्त विभिन्न गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के प्रवन्ध सगठनों एव कर्मचारी सघों द्वारा राज्य सरकार को प्रेपित अभ्यावेदनों मे राजकीय शिक्षण सस्थाओं मे कार्यरत कर्मचारियों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमाक - एफ. 16(5) एफ.डी./रूल्स/1998 दिनाक 07/08/98 के द्वारा दिये गये पुनरीक्षित वेतनमानों के समान ही उन्हें भी लाभ दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

इस सवध में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 की धारा 43 के तहत वने नियम राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 सपठित विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 06/08/1993 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त सदर्भित अनुदान सम्बन्धी नियमों में इन सस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु कोई प्रावधान किया हुआ नहीं है। अतः अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को वित्त विभाग के उपर्युक्त सदर्भित आदेशों के द्वारा प्रभावी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) (छठा सशोधन) नियम, 1998 के द्वारा लागू वेतनमानों में से सिर्फ एन्ट्री स्केल पर लागू वेतनमान ही देय होंगे। सीनियर एव सलेक्शन वेतनमानों से संबंधित कोई प्रावधान इन पर लागू नहीं होंगे।

क्रमांक प-10 (12) शिक्षा-5/93 पार्ट-I दिनांक 26/03/1999 (आदेश संख्या 76)

अधिसूचना

राज्य सरकार, राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित समर्थ वनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान गैर सराकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 को और सशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम वनाती है, अर्थात्.-

1. **सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -**
   (1) इन नियमों का नाम राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) (सशोधन) नियम, 1999 है।
   (2) ये नियम दिनाक 31/03/1999 से प्रवृत्त होगे।
2. **नियम 45 में संशोधन-** राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के विद्यमान नियम 45 के स्थान पर निम्नालिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् -

   45. **अधिवार्षिकी की आयु -**
   (i) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सिवाय अध्यापकों और अन्य कर्मचारियो को अधिवार्षिकी की आयु उस माह की अन्तिम तारीख होगी जिसमें वे 58 वर्ष की आयु प्राप्त करते है। विशेष परिस्थितियो मे सरकार इस शर्त को अधित्यक्त कर सकेगी और ऐसे महाविद्यालय अध्यापकों के लिए, जो स्नातकोत्तर, अध्यापन या अनुसधान कार्य मे लगे हुए है, 4 वर्ष से अनाधिक की कालावधि के लिए सेवा में विस्तार अनुज्ञात कर सकेगी। सस्था के किसी भी अन्य कर्मचारी की सेवा मे भी 60 वर्ष की आयु तक राज्य सरकार द्वारा विस्तार अनुज्ञात किया जा सकेगा।
   (ii) वे अध्यापक जिन्होंने 31 दिसम्वर के पश्चात् अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त कर ली है उन्हे सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र की समाप्ति या 30 जून तक, जो भी पहले हो, विस्तार अनुज्ञात किया जा सकेगा।
   (iii) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो की अधिवार्षिकी की आयु 60 वर्ष होगी और उन्हें भी राज्य सरकार द्वारा 2 वर्ष के लिए विस्तार अनुज्ञात किया जा सकेगा।
   (iv) ऐसे राजनीतिक पीडियो को भी, जो सहायता प्राप्त सस्था मे सचिव के रूप में और अध्यापन कर्मचारिवृन्द से भिन्न हैसियत में कार्य कर रहे है, 65 वर्ष की आयु तक विस्तार अनुज्ञात किया जा सकेगा, यदि वे जिले के प्रधान चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण-पत्र के अनुसार शारीरिक रूप से उपयुक्त हो और वे सरकार के सामन्य प्रशासन विभाग का अपने राजनीतिक पीड़ित होने का प्रमाण -पत्र प्रस्तुत कर दें।
   (v) किसी सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी को किसी शैक्षिक सस्था द्वारा किसी भी हैसियत से नियोजित नहीं किया जायेगा।
   (vi) सेवा में विस्तार के मामले संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।
      (क) कर्मचारी का परिशिष्ट-13 में यथाविनिर्दिष्ट आवेदन,
      (ख) विहित प्रारूप में सरकारी चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण-पत्र,
      (ग) प्रवन्ध द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति,

(घ) अध्यापकों के मामले मे कम से कम गत तीन वर्षो में उसके शिष्यों के परीक्षा परिणाम को दिखाने वाला विवरण-पत्र,

(ङ) कर्मचारी द्वारा की गयी सतोषजनक सेवा का प्रमाण-पत्र,

(च) कर्मचारियों की अन्य उत्कृष्ट उपलब्धियों, यदि कोई हो, से सबंधित प्रमाण-पत्र।

(vii) ऐसे आवेदन सबंधित कर्मचारी की सेवानिवृति की तारीख से कम से कम तीन महिने पहले राज्य सरकार को सीधे ही प्रस्तुत कर दिये जाने चाहिए, जिसमें विफल रहने में उन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(viii) सस्थाओं को विस्तार की ऐसी मजूर कालावधि के लिए उपगत व्यय के संबंध में सामान्य सहायत-अनुदान प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

परन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भिन्न ऐसे कर्मचारी भी जो 58 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, दिनाक 31/03/1999 को सेवानिवृत्त हो जायेगे जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें सेवा-विस्तार मजूर नहीं कर दिया गया हो।

क्रमाक प-19 (9) शिक्षा-5/93 दिनाक 20/05/1999 (आदेश सख्या 77)

विषय - **गैर सरकारी सस्कृत शिक्षा से सम्बन्धित सस्थाओं को अनुदान देने एवं अनुदान अन्तिमीकरण के आवेदन-पत्रों के निस्तारण करने सम्बन्धी अधिकारों के प्रत्यायोजन के आदेश को निरस्त करने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 की धारा 42 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर सरकारी संस्कृत शिक्षा से सम्बन्धित सस्थाओं को अनुदान अन्तिमीकरण सम्बन्धी अधिकारो के प्रत्यायोजन सम्बन्धी जारी विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 21/02/1998 को सस्कृत शिक्षा के सम्बन्ध में तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर पूर्ववत व्यवस्था निम्न शर्तो के तहत किए जाने की एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

1 सम्बन्धित निदेशक अपने निदेशालय में उक्त कार्य के त्वरित निस्तारण हेतु समुचित व्यवस्था आदेशित करेंगे और प्रतिमाह लम्बित मामलो की समीक्षा करेंगे।

2. निदेशालय द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में लम्बित रहे अनुदान सम्बन्धी प्रकरणों की सूची नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भी प्रेषित की जाएगी।

No. F. 11 (16) Edu.Gr. 5/88 Dated 03/07/1999 [Order No. 78]

Sub - Grant of Revised U.G.C. pay scales to the teachers of Non-Government aided colleges/ institutions.

The Governor has been pleased to order that the scales of pay for the teaching staff of the Non-Government of educational colleges are admissible to the teachers of the Govrnment colleges in accordance with Rajasthan Civil Services (Revised pay scale for Government colleges teachers) Rules. 1999 issued vide Finance Department Notification. order and Memorandum No. F. 23 (2) FD/Rules/98 dated 07/05/1999 (copy enclosed)

The pay in the revised scales fo pay shall be fixed in the manner indicated in the aforesaid rules Other provisions contained in these rules shall also be followed wherever relevant.

The revision of the scales of pay as above shall be subject to that the amount of the arrears for the period upto 31/12/1997 on account of revision of pay scale shall be invested in the N S C. except in case of retirement/death or temination of service.

This issue with the concurrence of Finance Department (Gr. 2) vide their I D No 2145 dated 23/06/1999.

क्रमांक प-10 (12) शिक्षा-5/93 दिनांक 07/07/1999 (आदेश सख्या 79)

विषय :- **अनुदानित शैक्षिक सस्थाओं में राज्य सेवा निवृत्त कर्मचारियों को नियुक्ति पर देय वेतन एवं सेवा विस्तार के सबंध में।**

उपरोक्त विषयन्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान मे यह आया है कि राजकीय कर्मचारियो द्वारा कतिपय अनुदान प्राप्त गेर सरकारी शेक्षिक संस्थाओ मे राज्य सेवा से अधिवार्षिकी आयु से पूर्व भी त्याग-पत्र देकर नियुक्ति प्राप्त कर ली जाती है तथा अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्था में उक्त नियुक्ति के उपरान्त उनके द्वारा राज्य सरकार से पेशन एव अनुदान प्राप्त सस्था से पूरे वेतन की राशि आहरित की जाती है तथा इसके पश्चात् अनुदान नियमों के नियम 45 में सेवा विस्तार सबधी प्रावधानों के तहत 58 वर्ष की आयु के उपरान्त भी सेवा विस्तार किये जाने सबधी प्रावधानो का लाभ उठाने का प्रयत्न किय जाता है।

इस सबंध मे राज्य सरकार के स्तर पर प्रकरण का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त यह निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि :-

1. किसी भी कर्मचारी द्वारा राज्य सेवा से त्याग पत्र देने के उपरान्त अनुदान प्राप्त शैक्षिक सस्था मे अनुदान नियमो में वर्णित प्रक्रिया का पालने करते हुए नियुक्ति पर उन्हे पूर्व मे पा रहे वेतन को सरक्षित करते जो वेतन सस्था द्वारा दिया जाता है उसमे से कर्मचारी को सरकार से प्राप्त पेंशन की राशि घटाने के बाद शेप राशि का ही भुगतान किया जायेगा तथा राज्य सरकार द्वारा भी उक्त शुद्ध राशि पर ही अनुदान देय होगा।
2. राज्य सेवा से त्याग-पत्र देकर नियुक्त किये हुए किसी भी कर्मचारी की 58 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु के पश्चात् राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 1993 के नियम 45 के तहत सेवा विस्तार सबधी प्रावधानो के क्रम में उसे सेवा विस्तार का लाभ देय नहीं होगा क्योंकि उसे राज्य सरकार द्वारा पेशन आदि की सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा।

क्रमाक प- 12(1) शिक्षा-5/97 दिनाक 28/07/1999 (आदेश सख्या 80)

विपय :- **वर्तमान में अनुदान प्राप्त कर रही गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को वर्ष 1998-99 से अनुदान की प्रोविजनल स्वीकृति देने से पूर्व सुनिश्चित किए जाने वाले निर्देशों की पालना 31 अक्टूबर, 1999 तक स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत समसख्यक आदेश दिनाक 28/04/1998 मे जहा-जहा भी वर्ष/सत्र 1997-98, 1998-99 एव 1999-2000 प्रयुक्त हुए थे उनके स्थान पर विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 16/12/1998 से क्रमश वर्ष/सत्र 1998-99, 1999-2000 एव 2000-01 प्रतिस्थापित किए जाने सम्बन्धी आदेशों मे आशिक सशोधन करते हुए विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 28/04/1998 की पालना दिनाक 31 अक्टूबर, 1999 तक के लिए स्थगित की जाती है।

क्रमाक प-11 (10) शिक्षा- 5/90 दिनांक 28/07/1999 (आदेश सख्या 81)

विपय :- **अनुदान प्राप्त विद्यमान गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में पद स्वीकृति के नॉमर्स तथा विद्यमान पदों की समीक्षा करने सम्बन्धी आदेशों को 31 अक्टूबर तक स्थगित किए जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 06/06/1998 में जहा-जहा भी वर्ष/सत्र 1998-99 एव 1998 उल्लेखित था उसके स्थान पर विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 16/12/1998 के द्वारा वर्ष/सत्र 1999-2000 एव

1999 तक प्रतिस्थापित किए जाने सम्बन्धी आदेशो मे आशिक सशोधन करते हुए विभागीय पूर्व समसंख्यक आदेश दिनाक 06/06/1998 को 31 अक्टूबर, 1999 तक के लिए स्थगित किया जाता है।

क्रमाक प-19 (9) शिक्षा-5/93 दिनांक 30/07/1999 (आदेश संख्या 82)

विषय - **अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को गत वर्षो के दायित्वों का भुगतान करने के संबंध में दिशा निर्देश।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान मे यह आया है कि विभिन्न सक्षम अनुदान स्वीकृत अधिकारियो द्वारा सस्थाओ को गत वर्षो का भुगतान राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 1993 के नियम 14 टिप्पणी VI के तहत विना राज्य सरकार की स्वीकृति के ही भुगतान कर दिया जाता है, जो कि उचित नहीं है।

अत समग्त सक्षम अनुदान स्वीकृत अधिकारियों को यह निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि संस्थाओ को गत वर्षो के क्लेमों का भुगतान से पूर्व राज्य सरकार से राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 के नियम 14 टिप्पणी VI के तहत आवश्क स्वीकृति प्राप्त करके ही उन्हें भुगतान किया जावे।

साथ ही चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान सम्बन्धी स्वीकृत प्रावधान मे से पहले चालू वर्ष के अनुदान क्लेमों का भुगतान किया जावे तथा उसके वाद शेप रही राशि मे से सस्थाओं को गत वर्पो के क्लेमों के सही पाये जाने तथा राज्य सरकार से स्वीकृति लेने के वाद आनुपातिक भुगतान किया जावे।

क्रमाक प- 11 (35) शिक्षा-5/82 दिनांक 03/08/1999 (आदेश सख्या 83)

अधिसूचना

राज्य सरकार, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियो और इस निमित्त उसे समर्थ वनाने वाली समस्त अन्य शक्तियो का प्रयोग करते हुए, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 को और सशोधित करने के लिए इसके द्वार निम्नलिखित नियम वनाती है, अर्थात:-

1 **सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-**

(i) इन नियमों का नाम राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) (द्वितीय सशोधन) नियम, 1999 है,

(ii) ये राजपत्र मे इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2 **नियम 47 में सशोधन-**

(i) राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और शर्ते आदि) नियम, 1993 (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 47 के उपनियम (1) मे जहा कहीं विद्यमान अभिव्यक्ति "240 दिन" आयी हो, उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "300 दिन" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उक्त नियमों के नियम 47 के उप नियम (2) के विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ख) विद्यालयो और महाविद्यालयो का अध्ययन स्टाफ एक कलेण्डर वर्प में पन्द्रह दिन की रियायती छुट्टी का हकदार होगा। छुट्टी लेखे में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पन्द्रह दिन की रियायती छुट्टी जमा की जायेगी, इस प्रकार सजमा की गयी रियायती छुट्टियों, का अनुपयुक्त भाग, अधिकतम 300 दिन तक के अध्यधीन रहते हुए, आगामी वर्ष मे अग्रनीत करने के लिए अर्हित होगा।"

3. नियम 52 के संशोधन-

(i) उक्त नियमो के नियम 52 के उप नियम (1) में जहा कहीं विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन बार" आयी हो, उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "दो वार" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उक्त नियमों के नियम 52 के उप नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "90 दिन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "120 दिन" प्रतिस्थापित की जायेगी।

क्रमांक प-19(9) शिक्षा-5/93 दिनांक 03/08/1999 (आदेश सख्या 84)

विषय :- **गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में परिवीक्षा पर रखे गए कर्मचारियों को हटाने के लिए नोटिस की अवधि के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत कतिपय संख्याओं द्वारा राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 1993 के नियम 30 के सदर्भ में राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया हे कि परीविक्षाधीन कर्मचारियों की यदि सस्था सेवा से पृथक करना चाहे तो उन्हें कितनी अवधि का नोटिस दिया जाना होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर अनुदान निमय, 30,39 एव इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी पूर्व परिपत्र क्रमाक एफ 17 (52) शिक्षा-5/91 दिनाक 13/11/97 के क्रम में प्रकरण का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 1993 के नियम 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि सस्थाओ द्वारा किसी भी परीविक्षाधीन कर्मचारी को यदि 6 माह की अवधि के अन्दर हटाया जाता है तो उन्हें एक माह का नोटिस देना होगा अन्यथा 6 माह या उससे अधिक अवधि तक कार्यरत परीविक्षाधीन कर्मचारी को हटाए जाने पर उसे 3 माह का नोटिस या वेतन देना होगा।

क्रमांक प-19 (9) शिक्षा-5/93 दिनाक 07/08/1999 (आदेश संख्या 85)

विषय :- **अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को अतिरिक्त पदों की स्वीकृति के संबंध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार संस्थाओं को अतिरिक्त पदो की स्वीकृति के सवध मे क्रमाक एफ 11 (11) शिक्षा-5/93 दिनाक 25/06/98 के द्वारा विद्यमान अनुदान प्राप्त शैक्षिक सस्थाओ को अतिरिक्त पद स्वीकृति किये जाने सम्बन्धी समस्त प्रस्ताव, अनुदान समिति की अभिशपा के वाद ही वित्त विभाग को भेजे जाने के सम्बन्ध मे लिये गये निर्णय की वजह से विद्यमान अनुदान प्राप्त संस्थाओ को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड रहा है क्योकि सस्थाओं द्वारा अतिरिक्त पदों की माग विद्यालय मे विद्यार्थियों की सख्या वढ़ने पर अतिरिक्त वर्ग (सेक्शन) खोलने पर ही की जाती है। अत नये सेक्शन हेतु उन्हें जल्दी से जल्दी अतिरिक्त पद स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है ताकि पढाई मे नुकसान नहीं हो जवकि अनुदान समिति की वैठक प्रशासनिक कारणों की वजह से वार-वार कराया जाना सम्भव नहीं हो पाता है।

यह भी उल्लेखनीय हे कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 1993 के नियम 17 मे भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्रस्ताव अनुदान समिति की अभिशपा के वाद ही वित्त विभाग को प्रेपित किया जाए।

अत. राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त प्रकरण पर विस्तृत रूप से विचार करने के उपरान्त अनुदान समिति की अभिशपा के वाद अतिरिक्त पद स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी विभागीय परिपत्र क्रमाक एफ. 11(11) शिक्षा-5/93 दिनाक 25/06/1998 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए समस्त निदेशालयों को अनुदान नियम 17 मे निर्धारित प्रक्रिया एव प्रपत्र में अतिरिक्त पद स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रेपित करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

उक्त पत्र विभाग की आई.डी.सख्या 2016 दिनाक 24/07/1999 से प्राप्त सहमति उपरान्त जारी है।

क्रमांक प-(19) (9) शिक्षा-5/93 दिनांक 07/08/1999 (आदेश संख्या 86)

विषय - गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के अनुदान सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण के सवंध में व्यवस्था का स्पष्टीकरण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 के तहत बने नियम, 1993 के नियम 11 के तहत प्रस्तावित प्रावधान के क्रम में कतिपय यह स्पष्ट नहीं है कि कौन-कौनसे प्रकरण बिना अनुदान समिति की अभिशषा के ही राज्य सरकार के स्तर पर प्रशासनिक निर्णय लिया जा सकता है।

इस सवध में प्रकरण का विस्तृत परीक्षण करने के उपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि :-

1 अनुदान समिति के समक्ष केवल नई सस्थाओ को अनुदान पर लेने हेतु एव अनुदान प्रतिशत में वृद्धि करने के मामले ही प्रस्तुत किये जायेंगे।

2 निम्न प्रकरण बिना अनुदान समिति की अभिशषा के ही राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक निर्णय लेकर स्वीकृत किये जा सकेगे-

(अ) विद्यमान अनुदान प्राप्त सस्थाओ को नये सकाय खोलने पर अनुदान देने,

(ब) विद्यमान अनुदान प्राप्त सस्थाओ को क्रमोन्नत करने की स्वीकृति देने के उपरान्त अनुदान देने एव

(स) विद्यमान अनुदान प्राप्त संस्थाओ की सख्या बढ़ने पर अतिरिक्त पदों को स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुदान समिति जिसमें वित्त विभाग का प्रतिनिधि भी उपस्थित हो, की अभिशषा से स्वीकृत किये जाने वाले प्रस्ताव पुनः सहमति के लिए वित्त विभाग को प्रेषित नहीं किये जायेंगे बशर्ते पर्याप्त बजट प्रावधान हो अन्यथा सिर्फ अतिरिक्त बजट की मांग के प्रस्ताव ही वित्त विभाग को भेजे जायेंगे।

उक्त स्पष्टीकरण वित्त विभाग की आई डी सख्या 2016 दिनाक 14/07/1999 से प्राप्त सहमति उपरान्त जारी है।

क्रमांक प-19 (9) शिक्षा-5/99 दिनांक 23/08/1999 (आदेश संख्या 87)

विषय :- शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली फीस को उनकी आय में सम्मिलित करने के सवंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि राज्य में सचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली ट्यूशन फीस को उनके द्वारा अपनी आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, जबकि इन संस्थाओं द्वारा जो भी ट्यूशन फीस ली जाती है उसे सम्पूर्ण रूप से आय में सम्मिलित किया जाना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार द्वारा सिद्धान्त अभी राज्य में संचालित गैर सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को अनुदान दिये जाने की नीति नही रही है फिर भी, गांधी विद्या मदिर, सरदारशहर, चूरू, गो.से. विद्या भवन, उदयपुर एवं श्री गोवर्धन लाल शाह कावरा महाविद्यालय, जोधपुर जो कि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं, को राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 1993 के तहत अनुदान दिया जा रहा है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य में सचालित समस्त गैर सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को उनके द्वारा ली जाने वाली ट्यूशन फीस को अपनी आय में सम्मिलित करना होगा। इसी क्रम में जिन शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है उन्हें ट्यूशन फीस की राशि अपनी आय में सम्मिलित करने के बाद शेष बचे व्यय पर नियमानुसार अनुदान देय होगा।

उक्त निर्देश चालू वित्तीय वर्ष प्रभावी माने जायेंगे।

क्रमाक प-19 (9) शिक्षा-5/93 दिनांक 23/09/1999 (आदेश संख्या 88)

विषय :- **अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्था में किसी भी निलम्बित कर्मचारी के विरुद्ध 6 माह तक विभागीय जाच पूर्ण नहीं होने पर उसे पेण्डिंग जांच रखते हुए बहाल किये जाने के सबंध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सस्थाओं को शिकायत प्राप्त होने पर उनके द्वारा सबधित कर्मचारी के विरुद्ध राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 के नियम 39 के तहत विभागीय जांच प्रारम्भ करके नियम 38 के तहत उस कर्मचारी को निलम्बित कर दिया जाता है तथा सस्थाओं द्वारा निलम्बित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जाच को तत्परता से पूर्ण करने की कार्यवाही नहीं की जाती है। इससे एक तरफ सस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्ययन के विपरीत प्रभाव पडता है तो दूसरी तरफ राज्य सरकार को भी ऐसे निलम्बित कर्मचारी के लिए अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि का अनावश्यक ही व्यय भार वहन करना होता है।

अतः राज्य सरकार के स्तर पर उक्त प्रकरण का विस्तृत रूप से परीक्षण करने के उपरान्त यह निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि -

1. प्रत्येक संस्था के लिए यह आवश्यक होगा कि निलम्बित कर्मचारी के विरुद्ध 6 माह की अवधि मे निश्चित रूप से विभागीय जाच पूरी कर ली जाय बशर्ते उस कर्मचारी के विरुद्ध कोई फोजदारी के गम्भीर प्रकरण विचारधीन नहीं हो।
2. यदि निलम्बित व्यक्ति की किसी कारणवश 6 माह की अवधि से अधिक समय तक विभागीय जाच लम्बित रहती है तो राज्य सरकार द्वारा किसी भी स्थिति मे 6 माह से अधिक अवधि के लिए देय निर्वहन भत्ते पर कोई अनुदान का भुगतान नहीं किया जायेगा।
3. निलम्बित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जाच में अनुदाय नियम, 39 के प्रावधानानुसार विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थित के बिना सस्था द्वारा विभागीय जांच की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी तो वह यथोचित विभागीय जाच नहीं मानी जायेगी।

क्रमांक प-19 (9) शिक्षा-5/93 दिनांक 06/11/1999 (आदेश सख्या 89)

विषय.- **स्वीकृत पदों के अलावा अन्य कार्यरत व्यक्तियों को उनके पदस्थापन स्थान पर तुरन्त वापिस भेजने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि कतिपय कार्यालयो एव विद्यालयों मे उनके यहा स्वीकृत पदों से ज्यादा व्यक्ति अन्य जगह से प्रतिनियुक्ति पर बुलाकर कार्यरत हैं। उनका वेतन भी प्रतिनियुक्ति स्थान से ही उनके पूर्व पदस्थापित स्थान पर रिक्ति के विरुद्ध आहरित किया जाता है। ऐसी कार्यवाही न केवल सामान्य, वित्तीय एव लेखा नियमों के विरुद्ध है वरन् प्रशासनिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। अतः राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति का परीक्षण करने के उपरान्त निम्न प्रकार निर्देश प्रदान किए जाते है -

1. किसी भी कार्यालय एव विद्यालय में उनके यहा स्वीकृत पदो से अधिक व्यक्ति कार्यरत नहीं रहेगे। जहा भी ऐसे कार्यरत है उन्हें तुरन्त उनके पदस्थापन स्थान पर भेज दिया जाए तथा नवम्बर, 1999 माह का वेतन उन्हे अपने पदस्थापन स्थान से ही आहरित होकर देय होगा।
2. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के स्तर पर विद्यमान पूल व्यवस्था को तत्काल समाप्त करते हुए उक्त पूल व्यवस्था उप निदेशक स्तर पर किए जाने के आदेश प्रदान किए जाएं तथा सम्बन्धित विभागीय निदेशक उस क्षेत्र विषय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने अन्तर्गत प्रत्येक उप निदेशक जो सम्भाग हेतु नए सिरे से पूल में रखे जाने वाले अध्यापकों की सख्या का निर्धारण करेगे।
3. (i) इस प्रकार अब तुरन्त प्रभाव से प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारीयों के स्तर पर कोई पूल नहीं होगा। उप निदेशक स्तर पर बनाए जाने वाले पूल मे अत्यन्त आवश्यकता के अनुरूप ही पदों

की सख्या का निर्धारण सम्बन्धित निदेशकों के द्वारा किया जावेगा तथा जिला शिक्षा अधिकारियों के यहा के पूल पद समाप्त होने से अधिशेष अध्यापकों के पदस्थापन आदेश पूर्व अनुमोदन के बाद जारी किए जावें।

(ii) जिला शिक्षा अधिकारियो के स्तर की पूल व्यवस्था समाप्त कर उप निदेशक जोन स्तर पर पूल व्यवस्था का पुन निर्धारण कर लागू करने से प्रत्येक जोन में शिक्षकों के पद अधिशेष होंगे, उन्हें समाप्त रकर उन पर कार्यरत शिक्षकों को विभाग में समकक्ष रिक्त पदों पर पदस्थापन कर दिया जावे। जोन स्तर पर प्रारम्भिक एव माध्यमिक शिक्षा के उपनिदेशकों के यहा पूल में निर्धारित शिक्षकों की वर्गवार संख्या तय कर उसकी सूची राज्य सरकार को भी शीघ्र भेजी जावे।

4. उप निदेशक द्वारा पूल से जिस भी व्यक्ति को जब भी अस्थाई तौर पर पदस्थापित किया जाएगा उसे अस्थाई तौर पर रिक्त पद के विरुद्ध ही पदस्थापित किया जावेगा एव उसके पदस्थापन किए जाने वाले आदेश में पदस्थापन के कारणो का मय औचित्य व अवधि का विस्तृत उल्लेख करना होगा।

5 यदि किन्हीं विशेष प्रशासनिक कारणों से कुछ समय के लिए किसी कार्यालय या विद्यालय में स्वीकृत पदों से अधिक अध्यापको की अत्यन्त आवश्यकता होगी तो:-

(i) अध्यापक ग्रेड-प्रथम एवं प्रधानाचार्य की वेतन श्रृखला तक के पदो के सम्बन्ध में सम्बन्धित निदेशक उचित कारणों सहित पूर्णत अस्थाई तौर पर निश्चित अवधि के लिए पदस्थापना कर सकेंगे जो उस अवधि के पश्चात् स्वत समाप्त होगा व यह अवधि किसी भी सूरत में शिक्षा सत्र से अधिक नहीं होगी। ऐसे मामलों में विशेष कारणों को स्पष्ट करते हुए निदेशक को स्वय के हस्ताक्षर से आदेश जारी करने होगे।

उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना तत्काल प्रभाव से किए जाने की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए।

क्रमांक प-19 (9) शिक्षा-5/93 दिनाक 03/12/1999 (आदेश सख्या 90)

विषय - अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया का सरलीकरण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 26 से 28 में वर्णित प्रक्रिया के दिशा निर्देशों की पालना हेतु निम्न विभागीय परिपत्रों से वस्तुस्थिति स्पष्ट की हुई है-

क्र.सं.	परिपत्र क्रमांक	आदेश संख्या	दिनांक	विषय
1.	एफ.9(21) शिक्षा 5/94	74	08/03/1999	कर्मचारियों के चयन हेतु समिति मे यदि निर्धारित समय पर सूचना के बावजूद भी विभागिय प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है तो सस्था बिना विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति के भी साक्षात्कार कर सकती है।
2.	एफ 10 (21) शिक्षा-5/95	45	19.3.98	साक्षात्कार के बाद सस्था द्वारा प्रेषित प्रकरणों पर नियुक्ति अनुमोदन अधिकारी को 45 दिन मे निश्चित रूप से कार्यवाही करनी होगी अन्यथा सस्था गर्भित नियुक्ति अनुमोदन मानकर अग्रिम कार्यवाही कर सकेगी।

विभाग द्वारा गेर सरकारी शैक्षिक संस्थाओ में नियुक्ति अनुमोदन के सबध में जारी उपर्युक्त परिपत्रो के क्रम में राज्य सरकार के ध्यान मे यह भी लाया गया है कि सस्थाओ द्वारा साक्षात्कार करने के बाद बहुत लम्बे समय तक सक्षम नियुक्ति अनुमोदन अधिकारी को प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रेपित नहीं किये जाते हैं जिसकी वजह से न केवल सक्षम अधिकारियों के यहा ही प्रकरण के निस्तारण मे कठिनाई होती है वरन् सस्थाओ मे पद रिक्त रहने के कारण विद्यार्थियों की पढाई में भी नुकसान उत्पन्न होता है।

अतः राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 1993 के नियम 93 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओ मे नियुक्ति अनुमोदन सम्बन्धी उपर्युक्त सन्दर्भित विभागीय परिपत्रों के क्रम मे यह और निर्देश प्रदान किये जाते है कि यदि किसी सस्था द्वारा साक्षात्कार करने के लिए 45 दिन के अन्दर नियुक्ति अनुमोदन सम्बन्धी प्रकरण सक्षम नियुक्ति अनुमोदन अधिकारी के यहा प्रेपित नहीं किया गया तो सस्था द्वारा किया गया यह साक्षात्कार निरस्त मानते हुए सस्था का आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त कर उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही पर भी सक्षम अधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा।

विभाग को यह भी शिकायत प्राप्त होती रहती है कि साक्षात्कार के पश्चात् सस्थाओ द्वारा सक्ष्म नियुक्ति अनुमोदन अधिकारी के पास अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भिजवाने के 45 दिन मे नियुक्ति अनुमोदन नहीं करके अनावश्यक एतराज लगा दिया जाता है ताकि सस्था गर्भित नियुक्ति अनुमोदन मानकर कार्यवाही नहीं कर सके। जब चयन प्रक्रिया के दौरान विभागीय प्रतिनिधि भाग लेता है तो फिर अनुमोदन अधिकारी को एतराज करने का कोई विशेष आधार नहीं रह जाता है, केवल विशेष स्थितियों को छोडकर जैसे नियुक्ति प्रक्रिया के समय उपलब्ध करवाई गई सूचना गलत रही हो आदि। नियुक्ति अनुमोदन अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वे अनावश्यक एतराज नहीं लगाए, जो भी जरूरी एतराज हों सभी एक साथ लगाए एव नियुक्ति अनुमोदन के बारे में शीघ्र निर्णय ले। यदि प्रस्तावित नियुक्ति का अनुमोदन, अनुमोदन अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है तो स्पष्ट कारणो सहित आदेश पारित करना होगा। अनावश्यक विलम्ब के मामले में राज्य सरकार के ध्यान में आने पर नियुक्ति अनुमोदन अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।

समस्त सक्षम नियुवित अनुमोदन अधिकारियो को उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने व इस परिपत्र का यथोचित प्रचार-प्रसार समस्त अनुदान प्राप्त संस्थाओ में किये जाने की समुचित व्यवस्था की जाए।

क्रमाक प-19 (9) शिक्षा-5/93 दिनाक 08.12.1999 (आदेश सख्या 91)

विषय :- वर्तमान में अनुदान प्राप्त कर रही शैक्षिक संस्थाओं के लिए समीक्षा हेतु निर्धारित नॉर्म्स को स्थगित किए जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 6.6 98 में निर्धारित विद्यमान अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ मे पदों की स्वीकृति सम्बन्धी नॉर्म्स के अनुसार समीक्षा करने सम्बन्धी आदेशो की पुन समीक्षा सम्बन्धी प्रक्रिया विचाराधीन है अतः उक्त सन्दर्भित आदेश दिनाक 6.6.98 को दिनाक 31.12.99 तक स्थगित किया जाता है।

क्रमाक प-12 (1) शिक्षा-5/97 दिनांक 8.12 1999 (आदेश संख्या 92)

विषय :- अनुदान प्राप्त कर रही गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को प्रोविजनल अनुदान देने से पूर्व सुनिश्चित किये जाने वाले निर्देशों को 31.12.99 तक स्थगित किये जाने के सवंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 28.4.98 में निर्धारित विद्यमान अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओंको प्रोविजनल अनुदान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध मे जारी निर्देशों की पुनः समीक्षा सम्बन्धी प्रक्रिया विचाराधीन है अतः उक्त संदर्भित आदेश दिनाक 28.4.98 को दिनाक 31.12.99 तक स्थगित किया जाता है।

क्रमाक प-19 (9) शिक्षा-5/93 दिनाक 27.12.1999 (आदेश संख्या 93)

विषय :- अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध दैनिक वेतन पर कर्मचारी रखे जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग द्वारा अपने परिपत्र दिनाक 10.6.99 से राज्य में अनुदान प्राप्त सस्थाओं में भी रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्वन्ध में लगाये गये प्रतिवन्ध में शिथिलता दिये जाने के लिये विभिन्न संस्थाओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुये है तथा राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि कतिपय नियुक्ति अनुमोदन सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनाक 10 06 99 के वाद भी रिक्त पदों के विरुद्ध सस्थाओं द्वारा की गई नियुक्तियों का अनुमोदन कर दिया गया है जो कि वित्त विभाग के उपर्युक्त परिपत्र दिनाक 10 06.99 के प्रतिकूल है।

राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न शैक्षिक सस्थाओं से अध्यापकों के पद रिक्त रहने से पढ़ाई में व्यवधान सवधी अभ्यावेदन एव वित्त विभाग के परिपत्र दिनाक 10 06 99 में प्रतिवन्ध के वावजूद भी कतिपय अधिकारियों द्वारा नियुक्तियों का अनुमोदन कर दिये जाने सवधी तथ्य का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त निम्न प्रकार आदेश प्रसारित किये जाते हैं-

1. किसी भी अनुदान प्राप्त शैक्षिक सस्था में दिनाक 10.06 99 को रिक्त पद के विरुद्ध नियमित कर्मचारी की नियुक्ति का अनुमोदन नहीं किया जावे। चाहे नियुक्ति की प्रक्रिया दिनाक 10 06.99 से पूर्व ही शुरू हो गई हो। यदि वित्त विभाग के इन आदेशों की अवहेलना मे किसी भी अधिकारी द्वारा नियुक्ति का अनुमोदन किया हुआ पाया गया तो उसको व्यक्तिगतरूप से दोषी मानते हुये कार्यवाही की जायेगी।
2. अनुदान प्राप्त सस्थाओं में प्रथम व द्वितीय श्रेणी ओर तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के रिक्त पदों के विरुद्ध सस्थाओं द्वारा चालू शैक्षिक सत्र मे सेवानिवृत ऐसे अध्यापक जो कि समकक्ष पद की योग्यता रखते हों और उनकी आयु 65 वर्ष नहीं हुई है को प्रथम व द्वितीय श्रेणी रुपये 125/- (अक्षरे रुपये एक सो पच्चीस मात्र) प्रतिदिन एव तृतीय श्रेणी रुपये 100/- (अक्षरे रुपये एक सौ मात्र) आधार पर दैनिक वेतन पर रखा जायेगा।

सस्था में रिक्त पद के विरुद्ध इस प्रकार रखे गये सेवानिवृत्त व्यक्तियों पर खर्च की गई राशि पर सस्था को विद्यमान में देय दर से ही अनुदान देय होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई. डी. सख्या 1686 दिनाक 08.12 99 से सहमति उपरान्त जारी है।

क्रमांक प-19 (9) शिक्षा-5/93 दिनांक 18.1.2000 (आदेश सख्या 94)

विषय :- वर्तमान में अनुदान प्राप्त कर रही शैक्षिक संस्थाओं के लिये समीक्षा हेतु निर्धारित नॉर्म्स को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 06 06.98 में निर्धारित विद्यमान अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में पदों की स्वीकृति सम्बन्धी नार्म्स के अनुसार समीक्षा करने सम्बन्धी आदेशों की पुनः समीक्षा सम्वन्धी प्रक्रिया विचाराधीन है। अतः निर्देशानुसार उक्त सन्दर्भित आदेश दिनांक 06.06.98 को दिनाक 31.03.2000 तक स्थगित किया जाते हैं।

क्रमांक प-12 (1) शिक्षा-5/97 दिनांक 18.1.2000 (आदेश सख्या 95)

विषय :- अनुदान प्राप्त कर रही गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को प्रोविजनल अनुदान देने से पूर्व सुनिश्चित किये जाने वाले निर्देशों को दिनाक 31.03.2000 तक स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विपयान्तर्गत विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 28.04.98 में निर्धारित विद्यमान अनुदान प्राप्त गैर सरकारी

शैक्षिक संस्थाओं को प्रोविजनल अनुदान स्वीकृत किये जोन के सम्बन्ध में जारी निर्देशों की पुनः समीक्षा सम्बन्धी प्रक्रिया विचाराधीन है। अतः निर्देशानुसार उक्त संदर्भित आदेश दिनाक 28 04.98 को दिनाक 31 03.2000 तक स्थगित किया जाता है।

क्रमांक प-19 (9) शिक्षा-5/93 दिनाक 01.03.2000 (आदेश संख्या 96)

विषय :- **अनुदानित गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में शाला प्रधान (प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य) के रिक्त पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग के परिपत्र क्रमाक एफ-9(1) वित्त-1/आय-व्यय/99 दिनाक 10 06.99 के द्वारा रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लगाये प्रतिवन्ध, अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं पर भी लागू होते है। यह तथ्य न केवल वित्त विभाग के स्पष्टीकरण दिनाक 08.09.99 से ही स्पष्ट है, वरन् शिक्षा विभाग द्वारा समसख्यक परिपत्र दिनाक 27.12.99 से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

रिक्त पदों पर नियुक्ति संवंधी सदर्भित प्रतिवन्ध के परिप्रेक्ष्य में, सस्थाओं से प्राप्त अभ्यावेदनों का परीक्षण करने के उपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुमोदित गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में अनुदान प्रधान (प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य) के पद पर सीधी भर्ती से भरे जाते हैं तथा समानीकरण से भी प्रभावित नहीं होते। अत शाला प्रधान के रिक्त पद पर नियुक्ति की जा सकती है।

क्रमांक प-19 (9) शिक्षा-5/93 दिनाक 2.3 2000 (आदेश संख्या 97)

विषय :- **विद्यमान अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की समीक्षा एव अनुदान रिलीज करने के सवध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय परिपत्र क्रमांक : प. 12 (1) शिक्षा-5/95 दिनाक 28.04 1998 एव क्रमाक . प 19 (9) शिक्षा-5/97 दिनाक 06 06.1998 के द्वारा दिये गये निर्देशों को राज्य सरकार द्वारा दिनाक 31 03 2000 तक स्थगित किया हुआ है।

संदर्भित परिपत्रों से दिये गये दिशानिर्देशों के सवध में सस्थाओं से प्राप्त अभ्यावेदनो पर प्रतिनिधियो से विचार-विमर्श एव उनका परीक्षण करने के उपरान्त निम्न प्रकार संशोधित निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-

1. प्रत्येक अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्था को स्वीकृत पदों की प्रति वर्ष समीक्षा करके -
   (अ) स्वीकृत पदों की स्थिति पूर्ववत् रहती है, उन्हें पूर्वानुसार ही अनुदान दे दिया जावे।
   (व) जिन संस्थाओं में समीक्षा के उपरान्त स्वीकृत पदो मे कमी/अधिक की स्थिति वनती है, उन सस्थाओं को प्रोविजनल अनुदान इस शर्त के साथ स्वीकृत कर दिया जावे कि अनुदान का अन्तिमीकरण राज्य सरकार द्वारा समीक्षा स्वीकृत पदों के अनुरूप ही किया जावेगा तथा समीक्षा के अनुमोदन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।
2. पदों की समीक्षा हेतु संलग्न परिशिष्ट "क" में संस्था से सूचना प्राप्त करके सलग्न परिशिष्ट "ख" में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार तीन वर्षो में कक्षा में नामाकित या ड्रॉप आउट के वाद की सख्या या परीक्षा में वास्तव में वैठे जो भी न्यूनतम हो, विद्यार्थियों के औसत को आधार मानकर समानीकरण किया जावे।
3. जिला शिक्षा अधिकारी इस वात के लिए जिम्मेदार होगे कि उनके अधीन सचालित शैक्षिक सस्थाओ में छात्र-शिक्षक अनुपात के निर्धारित मानदण्डों की अक्षरशः पालना की जा रही है। सभागीय शिक्षा उप-निदेशक द्वारा पदों की समीक्षा करने पर यदि अधिक शिक्षक पाये गये तो सवधित शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

4 पदो की समीक्षा के बाद निम्न निर्देशो की पालना करते हुए अनुदान रिलीज किया जावे :-

(अ) जिन सस्थाओ मे अनुदान नियम 10 (ix) मे निर्धारित न्यूनतम सख्या से कम विद्यार्थी अध्ययनरत हो, उन्हे एक वर्ष का नोटिस विद्यार्थियो की सख्या पूरी करने हेतु दे दिया जावे तथा नोटिस अवधि के पश्चात् उपलब्धि प्रति छात्र सख्या के आधार पर पदो का निर्धारण किया जावे तथा यदि औसत छात्र सख्या न्यूनतम से कम हो तो अनुदान में 20 प्रतिशत कटौती करके या 50 प्रतिशत जो भी अधिक हो, अनुदान दिया जावे तथा उसे आगामी वर्ष से बिल्कुल बद कर दिया जावे।

(ब) प्राथमिक स्तर की ऐसी सस्थाओ को जो कि नगरपालिका सीमा मे स्थित है (कच्ची बस्तियो को छोड़कर) यदि वे आदेश की तिथि से दो वर्ष की अवधि में उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत हो जाती है तो उन्हें अनुदान राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद पूर्वानुसार दे दिया जावे।

(स) उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक स्तर की सस्थाओ में बोर्ड परीक्षा वाली कक्षाओं के किसी भी विषय का गत तीन वर्षो का औसत परीक्षा परिणाम यदि 60 प्रतिशत से कम रहता है तो सबधित अध्यापक की वेतन वृद्धि असचयी प्रभाव से रोकी जावे तथा जैसे ही सबधित अध्यापक का आगामी वर्षो मे तीन वर्ष का औसत परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत या अधिक हो जाता है तो उन्हे रोकी गई वेतन वृद्धि दे दी जावे।

उक्त निर्देशो की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।

परिशिष्ट "क"

समीक्षा हेतु निर्धारित प्रपत्र

(प्रत्येक सस्था का पृथक-पृथक भेजना है)

क्रमांक	सस्था का नाम	स्थापना	वर्ष एवं स्तर
1	2	3	4

क्रमोन्नत का वर्ष	स्तर	विद्यमान स्तर	अनुदान स्तर
5	6	7	8

गत तीन वर्षो में			
कक्षावार नामांकन	शिक्षक-छात्र अनुपात	परीक्षा परिणाम	शुल्क का मदवार विवरण
9	10	11	12

स्वीकृत पदों का विवरण	निर्धारित नोर्म्स के अनुसार संस्था द्वारा प्रस्तावित पद	अनुदान स्वीकृत अधिकारी द्वारा समीक्षा में अभिशषित पद			
		विद्यमान स्वीकृत पद	कमी	अधिक	टिप्पणी
13	14	15	16	17	18

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पद	
पद का नाम	संख्या
19	20

परिशिष्ट "ख"

अनुदान प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं में पदों की समीक्षा हेतु मापदण्ड

1. प्राथमिक स्तर
   1. विद्यालय में विद्यार्थियों की गत तीन वर्षो की औसत सख्या को आधार मानकर 50 1 के अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक, इसके बाद अतिरिक्तअध्यापक हेतु न्यूनतम 20 विद्यार्थियों का होना आवश्यक है।
   2. इनमें, सबसे वरिष्ठ अध्यापक, उस संस्था का प्रधान होगा।
2. उच्च प्राथमिक स्तर
   1. प्रधानाध्यापक (द्वितीय श्रेणी) — एक
   2. अध्यापक, तृतीय श्रेणी — तीन
      (कक्षा 6, 7 व 8 के लिए)
      (प्रत्येक कक्षा में 50 से ज्यादा विद्यार्थी होने पर ही अतिरिक्त वर्ग खोला जावे बशर्ते अतिरिक्त वर्ग में भी न्यूनतम 20 विद्यार्थी हो तथा प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग के लिए एक अध्यापक का पद स्वीकृत होगा।)
   3. शारीरिक शिक्षक — एक
   4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी — एक
      (पद के रिक्त होन पर नया कर्मचारी अनुबन्ध पर रखा जावे।)
3. माध्यमिक विद्यालय
   माध्यमिक शिक्षा वोर्ड, राजस्थान, अजमेर के विनियमो के अनुसार उसमे निर्धारित योग्यता वाले अध्यापक :-
   1. प्रधानाध्यापक — एक
   2. अध्यापक, द्वितीय श्रेणी — चार
      (प्रत्येक कक्षा मे 40 से ज्यादा विद्यार्थी होने पर ही अतिरिक्त वर्ग खोला जावे बशर्ते माध्यमिक शिक्षा वोर्ड के विनियमों मे निर्धारित कालाश से अधिक भार हो तथा अतिरिक्त वर्ग में 10

से ज्यादा विद्यार्थी हो एव प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग के लिए एक अतिरिक्त अध्यापक का पद स्वीकृत होगा।)

3 पुस्तकालयाध्यक्ष — एक

4 शारीरिक शिक्षक — एक

(उच्च प्राथमिक स्तर पर पद स्वीकृत होने पर यह पद क्रमोन्नत होगा।)

5. वरिष्ठ लिपिक — एक

(पद रिक्त होने पर समाप्त माना जावे।)

6. कनिष्ठ लिपिक — एक

(विद्यालय में 500 से अधिक छात्र सख्या पर एक कनिष्ठ लिपिक का अतिरिक्त पद परन्तु दो से अधिक नहीं।)

7. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी — तीन

(अ) पद रिक्त होने पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदो के अनुबन्ध पर रखा जावे।

(ब) यदि विद्यालय मे 500 से अधिक विद्यार्थी है तो एक अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अनुबन्ध पर रखा जावे।

4. उच्च माध्यमिक विद्यालय — माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के विनियमो मे निर्धारित योग्यता वाले अध्यापक :-

1. प्रधानाचार्य — एक

2. सहायक प्रधानाचार्य — एक

(यदि कक्षा 6 से 12 मे 700 से अधिक विद्यार्थी है तथा दो पारियों मे चलता है।)

3. अध्यापक प्रथम श्रेणी "अनिवार्य विषय"

हिन्दी — एक

अग्रेजी — एक

(अ) सस्था द्वारा सचालित सकायों मे से जो सकाय अनुदान सूची पर है, उनके लिए विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये प्रत्येक वैकल्पिक विषय के लिए एक-एक अध्यापक। वैकल्पिक विषय के लिए हर एक-एक अध्यापक। वैकल्पिक विषय तब ही चालू रखा जावें जब कम से कम 20 विद्यार्थी हों।

(ब) प्रत्येक कक्षा/विषय मे 40 से ज्यादा विद्यार्थी होने पर ही अतिरिक्त वर्ग खोला जावे बशर्ते अतिरिक्त वर्ग में कम से कम 10 विद्यार्थी हों।

प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग के लिए एक अतिरिक्त अध्यापक का पद स्वीकृत होगा।

4. पुस्तकालयाध्यक्ष — एक

(माध्यमिक स्तर पर स्वीकृत न होने की दशा में ही स्वीकृत समझा जावे)

5. विज्ञान सकाय एवं कृषि विज्ञान सकाय अनुदान सूची पर होने की दशा में प्रत्येक प्रयोगशाला के लिये :-

(अ) प्रयोगशाला सहायक — एक

(ब) प्रयोगशाला सेवक — एक

(स) गृह विज्ञान विषय के लिए — एक अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
(पद रिक्त होने पर अनुवन्ध पर रखा जावे)

6. माध्यमिक स्तर पर स्वीकृत वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक एव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो के पद उच्च माध्यमिक स्तर पर स्वीकृत माने जावे।

- किसी सस्था विशेष को किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु यदि अतिरिक्त पद स्वीकृत किये हुए है, उन्हे इस समीक्षा मे स्वीकृत कराया जाना आवश्यक है अन्यथा उन्हे अस्वीकृत माना जावेगा।

क्रमाक प-11 (11) शिक्षा-5/90 — दिनांक 13.3.2000 (आदेश सख्या 98)

विषय :- अनुदान प्राप्त उच्च माध्यमिक स्तर की सस्थाओं में प्रधानाध्यापक के पद को प्रधानाचार्य के पद में क्रमोन्नत करने पर नियुक्ति एवं वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कतिपय अनुदान प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयो द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा उन्हे माध्यमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करते समय पूर्व मे स्वीकृत प्रधानाध्यापक के पद को प्रधानाचार्या के पद में क्रमोन्नत करने के जारी किए गए आदेश के क्रम मे क्रमोन्नत पद पर की गई नियुक्ति एव वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में विभिन्न अधिकारियो द्वारा पृथक्-पृथक् निर्णय लिए जा रहे है।

इस सम्वन्ध मे समय-समय पर प्राप्त अभ्यावेदनों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि :-

1. जिन भी उच्च माध्यमिक विद्यालयो में प्रधानाध्यापक के पद को प्रधानाचार्य के पद में क्रमोन्नत किया गया है उनमें प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत व्यक्ति यदि प्रधानाचार्य के पद के लिए निर्धारित योग्यता रखता है और चयन समिति ने अभिशपित कर दिया है तो क्रमोन्नत पद पर कार्य भार ग्रहण करने के दिनाक से ही प्रधानाचार्य के पद की वेतन श्रृखला देय होगी।
2. ऐसे प्रधानाध्यापक की प्रधानाचार्य के पद पर वेतन श्रृखला मे वेतन निर्धारण समान स्तर पर यदि समान स्तर नहीं है तो उससे निचले स्तर पर करते हुए अन्तर की राशि को व्यक्तिगत वेतन माना जाएगा। इस प्रकार वेतन निर्धारण किए गए व्यक्ति की वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि अपरिवर्तित रहेगी।

क्रमांक प-11 (22) शिक्षा-5/88 — दिनांक 18.3.2000 (आदेश संख्या 99)

विषय :- अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से काटे जाने वाली पी. एफ. की राशि हेतु राज्य सरकार द्वारा 8.33 प्रतिशत की दर से ही अनुदान दिये जाने के सवध में स्पष्टीकरण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान मे यह लाया गया है कि विभिन्न सक्षम अनुदान स्वीकृत अधिकारियों द्वारा अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को उनके यहा कार्यरत कर्मचारियो के वेतन से की जाने वाली कटौती पर अनुदान 8.33 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत या पी.एफ. एक्ट मे वर्णित की हुई दर से दिया जा रहा है जवकि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 14 (क) में स्पष्ट रूप से भविष्य निधि हेतु अनुदान की अधिकतम दर 8.33 प्रतिशत निर्धारित की हुई है।

इस सबध में वस्तुस्थिति का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त समस्त सक्षम अनुदान स्वीकृत अधिकारियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा पी.एफ. हेतु 8 33 प्रतिशत की दर से ही अनुदान देय है।

क्रमांक प-19 (9) शिक्षा-5/93 दिनांक 19.5.2000 (आदेश संख्या 100)

विषय :- अनुदानित विद्यालयों में राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा नियुक्ति लेकर अधिवार्षिकी आयु के पश्चात् भी कार्य करते रहने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि अनुदान प्राप्त राजकीय विद्यालयों में कतिपय अधिकारियो द्वारा राज्य सेवा से अधिवार्षिकी आयु से पूर्व ही सेवानिवृत्ति लेने के उपरान्त अपनी नियुक्ति अनुदानित विद्यालयों मे करा ली जाती है और ऐसे व्यक्ति अधिवार्षिकी आयु के पश्चात् भी इन सस्थाओ में कार्य करते रहते हैं जिस पर राज्य सरकार द्वारा नियमित अनुदान दिया जाता है।

राज्य सरकार के पास इस तरह की प्राप्त हुई शिकायतों के क्रम में प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुदान प्राप्त शैक्षिक सस्थाओ में अनुदानित पद पर कार्यरत किसी भी कर्मचारी हेतु अधिवार्षिकी आयु के पश्चात् कोई अनुदान तव तक नहीं दिया जाए जव तक कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 1993 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस कर्मचारी की अधिवार्षिकी आयु के पश्चात् सेवावृद्धि न कर दी गई हो।

कृपया उक्त निर्देशो की पालना कठोरता से सुनिश्चित की जावे।

क्रमाक : प-19 (9) शिक्षा-5/93 दिनाक 29.6.2000 (आदेश सख्या 101)

विषय :- मान्यता सम्वन्धी लम्वित एव विलम्ब से प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभिन्न सस्थाओ के अभ्यावेदन एव निदेशालय द्वारा मान्यता सम्वन्धी लम्वित एवं विलम्ब से प्राप्त प्रकरणो के सम्वन्ध में भेजी गई तथ्यात्मक टिप्पणी का परीक्षण करने के उपरान्त यह ध्यान में आया है कि कतिपय शैक्षिक संस्थाओं द्वारा विना सक्षम स्वीकृति के ही वर्ष 1999-2000 से माध्यमिक स्तर हेतु नवीं कक्षा प्रारम्भ कर ली है तथा कतिपय सस्थाओं द्वारा माध्यमिक स्तर की मान्यता हेतु प्रकरण नियमो में निर्धारित तिथि के पश्चात् सक्षम अधिकारी के यहा प्रेषित हुए है।

चूकि इन विद्यालयो द्वारा वर्ष 1999-2000 में ही नवीं कक्षा चालू कर ली गई है तथा विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त समस्त स्थिति का समग्र रूप से परीक्षण करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि :-

1. मान्यता सम्वन्धी लम्वित ऐसे प्रकरण जो कि विभाग में निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो गए हैं और समस्त औपचारिकताओं को पूरा करते है तथा संस्थाओं द्वारा वर्ष 1999-2000 से माध्यमिक स्तर पर नवीं कक्षा प्रारम्भ कर दी है इन सस्थाओ को 25 हजार रुपए नियमितिकरण शुल्क लेकर वर्ष 1999-2000 से नवीं कक्षा प्रारम्भ करने हेतु माध्यमिक स्तर की अस्थाई मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान कर दी जाए कि सस्था राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 1993 एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा वोर्ड के विनियमनों मे माध्यमिक स्तर हेतु निर्धारित मापदण्डो को पूरा करती है अन्यथा सथा की उक्त अस्थाई मान्यता निरस्त कर दी जाएगी।

2. यदि मान्यता सम्वन्धी लम्वित प्रकरणों नियमों में निर्धारित तिथि के पश्चात् विभाग को प्राप्त हुए हैं और समस्त औपचारिकताओं को पूरा करते हैं तथा सस्था द्वारा वर्ष 1999-2000 से नवीं कक्षा प्रारम्भ कर दी गई है तो ऐसी सस्थाओं को भी विलम्व के 10 हजार रुपये तथा नियमितकरण शुल्क के 25 हजार रुपए लेने के पश्चात् वर्ष 1999-2000 से ही माध्यमिक स्तर पर नवीं कक्षा प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान कर दी जाए कि यह सस्था राजस्थान

गेर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 एव माध्य. शिक्षा बोर्ड द्वारा मध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति हेतु निर्धारित विनियमो के अनुसार मापदण्डों को पूरी करती है अन्यथा सस्था की मान्यता को निरस्त कर दिया जाएगा।

3 विभाग में मान्यता सम्वन्धी लम्वित ऐसे अपूर्ण प्रकरणो को उनमे पाई गई अपूर्णता की ओर सस्था का ध्यान आकर्पित करते हुए सस्थाओ को वापिस प्रेपित कर दिया जाए।

विभाग द्वारा नियमितिकरण शुल्क लेने के पश्चात् जिन सस्थाओ को माध्यमिक स्तर पर अस्थाई मान्यता प्रदान की जा रही हे ऐसे समस्त संस्थाओं के निरीक्षण हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा एक कमेटी का गठन कर समस्त सस्थाओं का निरीक्षण प्राप्त करके उक्त सस्थाओं को नियमानुसार स्थाई मान्यता प्रदान किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

क्रमाक : प-19 (9) शिक्षा-5/93

दिनाक 3 7 2000 (आदेश सख्या 102)

विषय :- उच्च माध्यमिक स्तर के मान्यता संवंधी लम्बित एवं विलम्व से प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण के क्रम में।

उपरोक्त विपयान्तर्गत विभिन्न सस्थाओं से प्राप्त, अभ्यावेदन एव निदेशालय द्वारा उच्च माध्यमिक स्तर पर मान्यता सवधी लम्वित एवं विलम्व से प्रस्ताव प्राप्ति के सम्वन्ध में भेजी गई तथ्यात्मक टिप्पणी का परीक्षण करने के क्रम मे यह ध्यान मे आया है कि कतिपय शैक्षिक सस्थाओ द्वारा विना सक्षम स्वीकृति के ही वर्प 1999-2000 से उच्च माध्यमिक स्तर हेतु 11वीं कक्षा भी प्रारम्भ कर दी है तथा कतिपय सस्थाओ द्वारा उच्च माध्यमिक स्तर की मान्यता हेतु प्रकरण एव नियमो के निर्धारित तिथि के पश्चात् सक्षम अधिकारी के यहाँ प्रेपित किए गए हैं।

चूकि इन विद्यालयों द्वारा वर्प 1999-2000 मे ही 11वीं कक्षा चालू कर ली गई है तथा विद्यार्थियों के हित को ध्यान मे रखते हुए राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त समस्त स्थिति का समग्र रूप से परीक्षण करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि -

1. मान्यता सम्वन्धी लम्वित ऐसे प्रकरण जो विभाग मे निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो गए है और समस्त औपचारिकताओं को पूरा करते हैं तथा सस्थाओं द्वारा वर्प 1999-2000 के उच्च माध्यमिक स्तर पर 11वीं कक्षा प्रारम्भ कर दी है इन सस्थाओ को 25000/- रुपए नियमितिकरण शुल्क लेकर वर्प 1999-2000 से ही 11वीं कक्षा प्रारम्भ करने हेतु उच्च माध्यमिक स्तर की अस्थाई मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाए कि सस्था राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 1993 एव राजस्थान माध्यमिक शिक्षा वोर्ड के विनियमनो में उच्च माध्यमिक स्तर हेतु निर्धारित मापदण्डों को पूरा करते है अन्यथा संस्था की उक्त अस्थाई मान्यता निरस्त कर दी जाएगी।
2. उच्च माध्यमिक स्तर पर मान्यता प्राप्त किसी सस्था द्वारा किसी सकाय में विद्यमान मे स्वीकृत विपयो के अलावा कोई अन्य विपय विभाग के विना स्वीकृति के ही खोल लिए गए हैं तो ऐसे प्रत्येक विपय के लिए 5000/- रुपए नियमितिकरण फीस लेने के पश्चात् उक्त विपय को भी वर्प 1999-2000 से ही चालू करने की आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर दी जाए।
3. यदि उच्च माध्यमिक स्तर पर मान्यता एव विपय की स्वीकृति सम्वन्धी लम्वित प्रकरण नियमो में निर्धारित तिथि के पश्चात् विभाग को प्राप्त हुए हैं और समस्त औपचारिकताओ को पूरा करते है तथा सस्था द्वारा वर्प 1999-2000 में 11वीं कक्षा प्रारम्भ कर दी गई है तो ऐसी संस्थाओं को भी विलम्व शुल्क के 10000/- रुपए तथा नियमितिकरण शुल्क के 25000/- रुपये लेने के पश्चात् वर्प 1999-2000 से ही उच्च माध्यमिक स्तर पर 11वीं कक्षा प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाए कि यह संस्था राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 1993 एव माध्यमिक शिक्षा वोर्ड द्वारा माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति हेतु निर्धारित विनियमनों के अनुसार मापदण्डों को पूरा करती है अन्यथा सस्था की मान्यता को निरस्त कर दिया जाएगा।

4. विभाग मे मान्यता या विषय सम्बन्धी लम्बित ऐसे अपूर्ण प्रकरणो को उनमें पाई गई अपूर्णता की ओर संस्था का ध्यान आकर्षित करते हुए संस्थाओ को वापिस प्रेषित कर दिया जाए।

विभाग द्वारा नियमितिकरण शुल्क या विलम्ब शुल्क लेने के पश्चात् जिन सस्थाओं को उच्च माध्यमिक स्तर पर अस्थाई मान्यता प्रदान की जा रही है ऐसे समस्त सस्थाओ के निरीक्षण हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा एक कमेटी का गठन कर समस्त सस्थाओ का निरीक्षण कराकर उक्त सस्थाओ को नियमानुसार स्थाई मान्यता प्रदान किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण मे जिन सस्थाओं को मापदण्डों को पूरा करते हुए नहीं पाया जाएगा उनकी मान्यता को निरस्त करने की आवश्यक कार्यवाही की जाए।

क्रमाक : प-19 (9) शिक्षा-5/93 दिनांक : 11.8.2000 (आदेश संख्या 103)

विषय :- **गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में राजकीय सेवा में कार्यरत अधिकारियों को ही प्रशासक नियुक्त किया जाय एवं जिन भी संस्थाओं में प्रशासक लगे हुए एक वर्ष से अधिक समय हो गया, उन संस्थाओं के चुनाव कराये जाने की आवश्यक व्यवस्था के संबंध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान मे यह आया है कि कतिपय गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में सेवानिवृत, राजकीय अधिकारी, अशासकीय व्यक्ति या शिक्षाविद् को प्रशासक के रूप मे नियुक्त किया हुआ है एवं प्रशासक के कार्यकाल मे सस्था के कार्य परिणामों मे कोई सवर्द्धन नहीं हुआ है।

अतः राज्य सरकार द्वारा इस सवध में यह नीतिगत निर्णय लिया गया है कि :-

1. जिन भी सस्थाओ मे राजकीय सेवा में कार्यरत अधिकारियों के अलावा अन्य किसी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया हुआ है उन समस्त सस्थाओ मे राजकीय सेवा मे कार्यरत अधिकारी को ही पद नाम से प्रशासक नियुक्त किये जाने के सवध में कार्यवाही की जाए। अतः तदनुसार प्रस्ताव भेजें।
2. जिन भी सस्थाओ में किसी भी प्रशासक नियुक्त किये हुए एक वर्ष से अधिक का समय हो गया है उन समस्त सस्थाओं को (यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित किया हुआ नहीं है) तीन माह मे प्रबध समिति का गठन कर अवगत कराने हेतु निर्देशित कर दिया जाय। चुनाव हेतु निर्धारित तीन माह की अवधि के बाद किसी भी ऐसी सस्था को बिना राज्य सरकार की अनुमति के अनुदान नहीं दिया जावे।

क्रमांक : प-19 (9) शिक्षा-5/93 दिनाक : 16.8.2000 (आदेश सख्या 104)

विषय :- **संस्था को दो वर्ष पूर्व के अनुदान अन्तिमीकरण में देय अनुदान की राशि की 75 प्रतिशत ही प्रोवीजनल अनुदान की स्वीकृति किये जाने के सबंध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि एक ओर तो सस्थाओ को प्रोविजनल अनुदान की राशि अधिक स्वीकृत कर दी जाती है एव संस्थाओं के लेखो का जब अन्तिमीकरण किया जाता है तो उनसे राशि वसूली योग्य निकलती रहती है जबकि दूसरी ओर कुछ संस्थाओं को बजट अभाव मे राशि का भुगतान ही नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति के निराकरण हेतु एव राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अपने परिपत्र दिनाक 2.3.2000 से विद्यमान अनुदान प्राप्त शैक्षिक सस्थाओं की समीक्षा किए जाने सम्बन्धी आदेशो के परिप्रेक्ष्य मे कतिपय सस्थाओं के अनुदान में होने वाली कमी की सभावनाओं को देखते हुए यह निर्देश प्रदान किए जाते है कि :-

1. किसी भी सस्था को प्रोविजनल अनुदान तब ही स्वीकृत किया जावे, जबकि प्रोविजनल से दो वर्ष पहले वाले वर्ष के लेखों का अन्तिमीकरण हो चुका हो।

2. प्रोविजनल अनुदान गत वर्ष के लेखो के अतिमीकरण मे देय कुल अनुदान के 75 प्रतिशत के बराबर ही हो। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रोविजनल हेतु अनुदान की स्वीकृति जारी करने के बाद शेष रही राशि में से संस्थाओं के पुराने क्लेमों की वर्षवार गणना की जावे। सबसे पहले सबसे पुराने क्लेमो का आनुपातिक भुगतान एव इसके बाद इसी क्रम में भुगतान किया जावे।
3. चालू वित्तीय वर्ष में यदि प्रोविजनल स्वीकृति जारी कर दी गई हो तो उपर्युक्त निर्देशानुसार सशोधित स्वीकृति जारी की जावे।
4. अनुदान स्वीकृति के आदेश की प्रत्येक प्रति शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग को भी पृष्ठाकित की जावे।

क्रमांक : प-19 (9) शिक्षा-5/93 दिनांक : 25.8.2000 (आदेश संख्या 105)

विषय :- गैर सरकारी विद्यालयों में किसी भी शैक्षिक सत्र के दिसम्बर माह या इसके बाद सरकारी स्कूलों से आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिए जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि कतिपय गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं द्वारा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत पढ़ाई की दृष्टि से कमजोर विद्यार्थियो का दिसम्बर या इसके बाद के माह में अपने विद्यालय में प्रवेश देकर अनुचित साधनों से इन विद्यार्थियों की उत्तीर्ण करने की कार्यवाही की जाती है। इसके बाद ये विद्यार्थी सम्बन्धित कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद पुनः राजकीय विद्यालय मे ही प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही करते है। इसे किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता है।

अत. उक्त प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी गैर सरकारी शैक्षिक सस्था द्वारा प्रत्येक शैक्षिक सत्र में दिसम्बर या इसके बाद उस शैक्षिक सत्र की समाप्ति तक सरकारी विद्यालयों से स्थानान्तरित होकर आने वाले विद्यार्थियो को प्रवेश नहीं दिया जाए बशर्ते कि वह विद्यार्थी अपने अभिभावक के स्थानान्तरण या किसी गम्भीर बीमारी सम्बन्धी कारण की वजह से स्थानान्तरित होकर नहीं आ रहा हो। यदि किसी गैर सरकारी शैक्षिक सस्था द्वारा इसकी अवहेलना कर प्रवेश दिया जाता है तो उसकी मान्यता निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। उक्त निर्देशों का कठोरता से पालन करने की व्यवस्था की जाए।

क्रमांक : प-19 (9) शिक्षा-5/93 दिनांक : 25.8.2000 (आदेश संख्या 106)

विषय :- शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी सहयोग को प्रोत्साहित करने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान मे यह आया है कि विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा सचालित विद्यालयों में विद्यार्थियों की कम संख्या या उपलब्ध विद्यार्थियों के अनुपात में उपलब्ध ससाधना की अधिकता है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा हाल ही में चलाए जाने वाली राजीव गाधी पाठशालाओं को और अधिक सुचारू रूप से सचालित करने के लिए निजी क्षेत्र की सस्थाए इच्छुक हैं।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि आपके विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में चलने वाले विद्यालयों के क्रम में कृपया उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य निजी क्षेत्र से आवश्यक प्रस्ताव प्राप्त करके अपनी टिप्पणी सहित राज्य सरकार को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करने की आवश्यक व्यवस्था करें।

क्रमांक : प-19 (9) शिक्षा-5/93 दिनाक : 25.8.2000 (आदेश संख्या 107)

विषय :- किसी भी संस्था में अप्रशिक्षित अध्यापक होने पर अगस्त, 2000 के वाद अनुदान नहीं दिए जाने के सम्वन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में ऐसा आया है कि कतिपय गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाएं जो कि राज्य सरकार से अनुदान भी ले रही है। इस सस्थाओं में अनुदानित या गैर अनुदानित पदों पर अप्रशिक्षित अध्यापक कार्यरत है। किसी भी सस्था में अप्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को अध्यापन कराये जाने को राज्य सरकार द्वारा अत्यन्त गंभीरता से लिया गया है।

अत उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी अनुदान प्राप्त सस्था में यदि अनुदानित या गैर अनुदानित पद पर अप्रशिक्षित अध्यापक कार्यरत हैं तो ऐसी सस्थाओं को 31 अगस्त, 2000 के वाद किसी भी हालत में अनुदान रिलीज नहीं किया जाए।

क्रमाक : प-19 (9) शिक्षा-5/93 दिनांक : 25.8.2000 (आदेश संख्या 108)

विषय .- वगैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश हेतु परीक्षा में वैठना आवश्यक।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि विशेपतया प्राथमिक स्तर तक की वगैर मान्यता प्राप्त सस्थाओं द्वारा अपने यहा अप्रशिक्षित अध्यापकों को पदस्थापित करके विद्यार्थियों की पढ़ाई आदि की व्यवस्था की जाती है तथा वाद मे जव ऐसे विद्यार्थियों द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश लिया जाता है तो उन्हे समुचित शैक्षिक स्तर पर नहीं पाए जाने के कारण अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पडता है।

अत ऐसी प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि-

1 किसी भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में अप्रशिक्षित अध्यापक पदस्थापित नहीं रहेगे।

2. किसी भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय मे अध्ययनरत विद्यार्थी को मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित परीक्षा मे उत्तीर्ण होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।

3. किसी भी मान्यता या गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में न केवल उस सस्था का शाला प्रधान ही वरन् शैक्षिक कार्य से जुड़ा कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं होगा।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना की जाए।

क्रमाक : प-19 (9) शिक्षा-5/93 दिनाक : 25.8.2000 (आदेश संख्या 109)

विषय :- विद्यमान अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की समीक्षा के सन्दर्भ में संस्थाओं से प्राप्त अभ्यावेदन समिति को प्रस्तुत किए जाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभागीय समसख्यक परिपत्र दिनाक 2.3.2000 के द्वारा विद्यमान मे अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को स्वीकृत किए गए पदो एव उनमे अध्ययनरत विद्यार्थियो के अनुपात में समीक्षा करने के सम्वन्ध मे जारी किए गए निर्देशो की पालना समस्त सक्षम अधिकारियो द्वारा 31 अगस्त, 2000 तक निश्चित रूप से करके सस्थाओ की समीक्षा सम्वन्धी कार्य को सम्पादित कर लिया जाए।

यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के ध्यान में ऐसा आया है कि उपर्युक्त सदर्भित समीक्षा सम्वन्धी आदेशों के परिप्रेक्ष्य

में कतिपय अभ्यावेदन सस्थाओ से प्राप्त हुए है तथा ऐसी आशा हे कि समीक्षा सम्वन्धी कार्यवाही के वाद भी कतिपय अभ्यावेदन प्राप्त हो सकते है। अत. समीक्षा सम्वन्धी आदेशों के परिप्रेक्ष्य में सस्थाओ से भी जो भी अभ्यावेदन प्राप्त हो उन्हें सम्वन्धित निदेशालय अपनी टिप्पणी के सहित राज्य सरकार द्वारा उक्त अभ्यावेदनो के निस्तारण एव अनुदान सम्वन्धी नियमों में परिवर्तन करने हेतु गठित की गई कमेटी के सदस्य सचिव, लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सचिवालय, जयपुर को भिजवाने की आवश्यक व्यवस्था की जाए।

क्रमांक : प-19(9) शिक्षा-5/93 दिनांक : 21 10 2000 (आदेश संख्या 110)

विषय :- वर्ष 2000-2001 में संस्थाओं को प्रोविजनल अनुदान दिए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान मे यह आया है कि विभाग द्वारा समसख्यक आदेश दिनाक 16 8 2000 से सस्थाओं को चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रोविजनल अनुदान दिये जाने के सवध मे जारी किए गए आदेश का सही क्रियान्वयन सवधित अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है जैसा कि उक्त आदेश के क्रम में सस्थाओ को वर्ष 1998-99 के अतिमीकरण के आधार पर 75 प्रतिशत प्रोविजनल राशि सम्पूर्ण साल के लिए स्वीकृत की जा रही है जबकि राज्य सरकार की ऐसी कोई मशा नहीं है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सस्थाओं द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनो का परीक्षण करने एव वर्ष 1998-99 के आधार वर्ष के स्थान पर 1999-2000 को मानने के सवंध मे सस्थाओ से प्राप्त अभ्यावेदनों को मद्देनजर रखते हुए निम्न प्रकार स्थिति स्पष्ट की जाती है :-

1. चालू वित्तीय वर्ष के लिए सस्थाओं को वर्ष 1999-2000 में दिए गए प्रोविजनल अनुदान की 75 प्रतिशत राशि दिसम्बर, 2000 तक के उपयोग के लिए स्वीकृत की जाए।
2. तव तक शिक्षा विभाग, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, सस्कृत शिक्षा निदेशक, कॉलेज शिक्षा द्वारा अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं की समीक्षा करके पदों के निर्धारण सवधी आवश्यक आदेश जारी कर दिये जावेगे। आदेशों के यथानुसार उपर्युक्त दी गई प्रोविजनल राशि का समायोजन करने के पश्चात् जनवरी 2001 से मार्च, 2001 तक की अवधि के लिए शेष रही राशि का सस्थाओ को भुगतान कर दिया जाए।

क्रमाक : प-19 (9) शिक्षा-5/93 दिनांक : 21.10.2000 (आदेश सख्या 111)

विषय :- विद्यमान अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की समीक्षा तत्परता से करने के संवध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान मे यह लाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 2 मार्च 2000 के परिप्रेक्ष्य मे अभी तक सस्थाओ के समीक्षा सम्बन्धी कार्यवाही को सम्पादित नहीं किया गया है जिसकी वजह से सस्थाओं को चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान दिये जाने में अत्यन्त कठिनाई हो रही हें।

अव राज्य सरकार द्वारा यह नीतिगत निर्णय लिया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष में सस्थाओं को दिसम्वर माह तक के लिए वर्ष 1999-2000 के प्रोविजनल अनुदान के आधार पर ही प्रोविजनल अनुदान स्वीकृत कर दिया जाए एव समीक्षा का कार्य दिसम्वर माह तक हर हालत में पूर्ण कर लिया जाए एव जनवरी माह से सस्थाओं की समीक्षा करने के उपरान्त आवश्यक समायोजन करने के लिए ही अनुदान दिया जाए।

अत. मेरी आपसे यह अपेक्षा है कि समस्त अनुदान प्राप्त सस्थाओं की विभागीय समसख्यक परिपत्र दिनाक 2 मार्च, 2000 के द्वारा निर्धारित नोर्म्स के अनुसार समीक्षा हेतु आवश्यकतानुसार सभाग, जिला स्तर पर नवम्वर, 2000 में कैम्पों का आयोजन कर निश्चित रूप से समीक्षा सवधी कार्यवाही शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कर प्रगति से राज्य सरकार को अवगत कराने की व्यवस्था करें। यह सुनिश्चित करें कि इसमे देरी न हो।

क्रमांक : प-8 (3) शिक्षा-5/2001 दिनांक : 19.3.2001 (आदेश संख्या 117)

विषय :- गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं हेतु मान्यता क्रमोन्नति हेतु समय सीमा निर्धारित

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमाक प. 20 (2) शिक्षा-1/95 पार्ट-1 दिनाक 20/02/2001 के द्वारा गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं से सबधित मान्यता/क्रमोन्नति/विषय या सकाय खोलने सबधी प्रकरणों का निस्तारण राज्य सरकार के स्तर पर शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग द्वारा किये जाने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया है।

चूकि राज्य सरकार द्वारा इन विषयों के सबध मे प्रशासनिक आदेश जारी करने संबधी शक्तियों के प्रत्यावर्तन की जानकारी अभी तक सस्थाओं एव अधीनस्थ अधिकारियों को नहीं हो पाई है। अत. राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में मान्यता/क्रमोन्नति/विषय सकाय खोलने सबंधी प्रकरणो के सबध मे राजस्थान गैर सरकारी संस्था नियम 1993 के नियम 5 में वर्णित समय सीमा में निम्न प्रकार परिवर्तन किये जाते है-

1.	सस्थाओ द्वारा सबधित क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मे आवेदन प्रस्तुत की तिथि	30/04/2001 तक
2.	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पैनल निरीक्षण आदि की कार्यवाही करके निदेशालय आदि की कार्यवाही करके निदेशालय को प्रेषित	31/05/2001 तक
3	निदेशालय द्वारा प्रत्येक प्राप्त प्रकरण जिस भी स्थिति में हो उस पर ही अपनी टिप्पणी अकित करके राज्य सरकार को प्रेषित करना	15/06/2001 तक
4.	राज्य सरकार के स्तर पर प्रकरण का निस्तारण	प्राप्त होने के 15 दिन या 30/06/2001 जो भी बाद में हो।

कृपया उक्त निर्धारित की गई समय सीमा का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की आवश्यक व्यवस्था की जाये ताके सस्थाओं द्वारा निर्धारित समय सीमा में सक्षम् अधिकारी के यहा प्रकरण प्रस्तुत किया जा सकें।

उक्त निर्धारित तिथियों के वाद प्राप्त प्रकरणों पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्रमांक : प-11 (22) शिक्षा-5/88 दिनांक : 22.3.2001 (आदेश संख्या 118)

विषय :- अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के अशदायी प्रावधायी निधि से संवधित राशि जमा कराने सम्बधी पूर्व आदेशों को निरस्त करने के सम्बध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 14.8.97 के द्वारा अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को यह निर्देश प्रदान किये गये थे कि सितम्बर, 97 से प्रावधायी निधि की राशि क्षेत्रीय आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि के यहा जमा कराने की कार्यवाही की जाए।

राज्य सरकार के सदर्भित विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 14.8.97 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा अपने आदेश दिनाक 16.1.2001 से निरस्त कर दिया गया है।

अतः राजय सरकार द्वारा अपने संदर्भित आदेश दिनाक 14 8.97 इस विपयक व पश्चातवर्ती आदेशों को निरस्त करते हुए यह निर्देश किए जाते हैं कि सस्थाओं द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पी. एफ. की राशि जमा कराये जाने की आवश्यक व्यवस्था की जाए।

क्रमांक : प-3 (30) शिक्षा-4/98 दिनांक : 27.3.2001 (आदेश संख्या 119)

विषय :- अनुदानित महाविद्यालय शिक्षकों को यू.जी.सी. वेतनमान के ऐरियर का नगद भुगतान होगा

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुदानित महाविद्यालयो के शैक्षणिक स्टॉफ को पाचवे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के ऐरियर भुगतान के सम्बन्ध मे निम्नाकित निर्देश दिये जाते है-

1. समस्त अनुदानित महाविद्यालयो के शैक्षणिक स्टॉफ को देय ऐरियर राशि का भुगतान 1-1-1996 से नवीन वेतनमान के अनुसार वेतन देने की तिथि तक नगद भुगतान किया जावेगा परन्तु समसख्यक पत्र एफ 11(16) शिक्षा-5/88 दिनाक 3/7/99 तथा राज्य सरकार द्वारा यू.जी.सी. वेतनमान से सम्बन्धित समय-समय पर जारी दिशा निर्देश भी लागू होंगे।

2. समस्त शैक्षणिक स्टॉफ के एरियर विल भुगतान महाविद्यलयो से वनवाये जाकर उनकी नियमानुसार जाच की जाकर कुल राशि से इस विभाग को 15/04/2001 तक बजट मदवारर अवगत कराया जावे ताकि वित्त विभाग द्वारा आवश्यक वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सके।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी.सख्या 264 दिनाक 22/03/2001 से प्राप्त सहमति अनुसार जारी की जाती है।

क्रमांक : प-19 (9) शिक्षा-5/93 पार्ट-8 दिनांक : 29.3.2001 (आदेश स. 120)

विषय : अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में नियुक्तियों पर प्रतिवन्ध में शिथिलता।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुदान प्राप्त विभिन्न गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ एव इनमें कार्यरत कर्मचारियो के द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया कि अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं मे भी पूर्व में स्वीकृत पद जो रिक्त हुए हैं उन पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनाक 10.6.1999 के यथोचित प्रचार-प्रसार नहीं होने के कारण इन सस्थाओं द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एव इसके तहत वनाये गये नियम, 1993 में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कतिपय पदों पर कर्मचारियो की नियुक्ति कर ली गई। उक्त नियुक्ति की प्रक्रिया में गठित चयन समिति मे विभागीय प्रतिनिधि भी उपस्थित था और ऐसी नियुक्तियो का वाद में नियमों में वर्णित सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन भी कर दिया गया। परन्तु वाद में नियुक्तियो पर प्रतिवन्ध की जानकारी आने पर सवधित अधिकारियों द्वारा अनुदान नहीं दिये जाने के कारण न केवल सस्थाओं को आर्थिक हानि हो रही है वरन् नियुक्ति का अनुमोदन किये हुए कर्मचारियो को हटाने को वाध्य होना पड़ रहा है।

उपर्युक्त प्रकरण का समग्र रूप से सवधित निदेशालयों से आवश्यक सूचनाए मगाकर किये गये परीक्षण के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में 144, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 139, कॉलेज शिक्षा में 102 एव संस्कृत शिक्षा में 39 प्रकरण पाये गये। निदेशालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार इन नियुक्ति के प्रकरणों में विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित थे और उनका अनुमोदन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कर दिया गया है।

अतः राज्य सरकार द्वारा संवधित निदेशालयों में किये गये उपर्युक्त नियुक्तियों हेतु वित विभाग के नियुक्तियों पर प्रतिवध सवंधी आदेश दिनाक 10.6.99 में आवश्यक शिथिलता प्रदान करते हुए इन नियुक्तियों का अनुमोदन एव अनुदान दिये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि निदेशालयों द्वारा उक्त नियुक्तियों के भार हेतु अतिरिक्त राशि की मांग नहीं की जाएगी वरन् उन्हें विद्यमान में उपलब्ध बजट प्रावधान में ही समायोजित किया जाएगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 1063 दिनाक 29.3.2001 से सहमति उपरान्त जारी है।

क्रमाक : प-19 (9) शिक्षा-5/2000 दिनांक : 30.4.2001 (आदेश संख्या 121)

विषय :- मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा विना सक्षम स्वीकृति के ही शाखाएं खोलकर सचालित करने के सबध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान मे विभिन्न माध्यमो से यह आया है कि कतिपय मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ द्वारा विना सक्षम स्वीकृति के ही एक सस्था की मान्यता लेने के वाद उसकी शाखा के रूप में अन्य सस्थाओ का भी सचालन किया जा रहा है।

इस प्रकार एक सस्था की मान्यता लेने के आधार पर दूसरे स्थान उसकी शाखा के रूप मे अन्य सस्था खोलकर सचालित किया जाना न केवल राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एव उसके तहत वने नियम, 1993 के प्रावधानों के विपरीत है वरन् माध्यमिक शिक्षा वोर्ड, अजमेर एव सबधित सम्बद्धता देने वाले विश्वविद्यालयों के विनियमनो के विरुद्ध भी होने के साथ-साथ इन सस्थाओ मे प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियो एव उनके अभिभावको के साथ धोखा-धड़ी की श्रेणी में आता है।

अत. इस प्रकार विना सक्षम स्वीकृति के शाखा खोलकर सचालित करने वाली सस्थाओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के साथ-साथ इस आशय के सबध में आवश्यक प्रचार-प्रसार की भी व्यवस्था की जाये ताकि विद्यार्थियों एवं अभिभावक सचेत हो सके। सबधित क्षेत्र के शिक्षा अधिकारियो का भी यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये कि उनके क्षेत्राधिकार मे विना सक्षम स्वीकृति किसी मान्यता प्राप्त सस्था की शाखा खोली/सचालित नहीं की जा सके।

क्रमांक : प-11 (22) शिक्षा-5/88 दिनाक : 30.4.2001 (आदेश सख्या 122)

विषय :- मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा अंशदायी प्रावधायी निधि से सबधित राशि जमा कराये जाने के संवध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिनाक 16.1.2001 को दिये गये निर्देशो की पालना मे विभाग द्वारा अपने समसख्यक परिपत्र दिनांक 22.3 2001 से विभागीय समसख्यक अशदायी प्रावधायी निधि से सबधित पूर्व आदेश दिनाक 14 8.97 में एव इस विषयक पश्चात्वर्ती समस्त आदेशो को निरस्त करते हुए "सस्थाओ को" यह निर्देश प्रदान किये गये थे कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एव नियम, 1993 मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार पी.एफ. की राशि जमा कराये जाने की व्यवस्था की जाए।

विभाग द्वारा जारी उपर्युक्त सदर्भित आदेशों के सवध मे सस्थाओ द्वारा यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है कि दिनाक 22.3.2001 का आदेश गैर अनुदानित संस्थाओं पर भी लागू है।

हालाकि सदर्भित आदेश के पेरा न. 3 में "सस्थाओं" शब्द से यह स्पष्ट था कि यह परिपत्र समस्त मान्यता प्राप्त सस्थाओं पर लागू है। विषय में अनुदान प्राप्त सस्थाओं का जिक्र सिर्फ इसलिए किया गया था कि दिनाक 14 8.97 का परिपत्र अनुदानित संस्थाओं पर ही लागू था जिसको दिनाक 22.3.2001 से निरस्त किया गया है।

फिर भी सस्थाओं के चाहे अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनाक 22.3.2001 राज्य में सचालित समस्त मान्यता प्राप्त गेर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं पर प्रभावी हे ओर उनके द्वारा राज. गेर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पी एफ. की राशि जमा कराने की व्यवस्था की जाए।

क्रमाक : प-6 (1) शिक्षा-5/90

दिनांक : 1 5.2001 (आदेश सख्या 123)

विषय :- छात्र निधि कोष से क्रय पर प्रतिवन्ध के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य में सचालित कतिपय शैक्षिक सस्थाओ द्वारा विभिन्न अभ्यावेदनो के माध्यम से राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वित्त विभाग द्वारा क्रय पर लगाये गये प्रतिवन्ध सवधी आदेश इन सस्थाओं के छात्र निधि कोष से क्रय पर भी लागू है या नहीं के सवंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये।

उक्त विन्दु का परीक्षण वित्त विभाग द्वारा क्रय पर प्रतिवध सवधी आदेशों के परिप्रेक्ष्य मे वित्त विभाग के साथ करने के उपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है शैक्षिक सस्थाओं मे सधारित छात्र निधि कोष सस्थाओं की निजी निधि है और राजकीय आय व्ययक अनुमानों से इसका कोई प्रावधान नहीं होता है। अत वित्त विभाग द्वारा क्रय पर प्रतिवध सवधी आदेश छात्र निधि कोष से क्रय पर लागू नहीं होते हैं।

यह सुनिश्चितता अवश्य वरती जाये कि छात्र निधि कोष से जव भी व्यय हो तो छात्र निधि कोष हेतु वनाये गये नियमो में वर्णित नियमो के अनुसार ही हो।

यह स्पष्टीकरण वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी.स 1311 दिनाक 13 4.2001 के क्रम मे जारी की गई है।

क्रमाक : प-11 (22) शिक्षा-5/88

दिनाक : 4 5 2001 (आदेश संख्या 124)

विषय :- मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के अशदायी प्रावधायी निधि से संबधित राशि को कोषालय में जमा कराने संवंधी आदेश को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समसख्यक परिपत्र दिनाक 22 3 2001 तत्पश्चात् स्पष्टीकरण आदेश दिनाक 30 4.2001 के माध्यम से मा. उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा दिनाक 16 1 2001 को दिये गये निर्णय क्रम में यह निर्देश जारी किये गये थे कि समस्त मान्यता प्राप्त गेर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ द्वारा अपने यहा कार्यरत कर्मचारियो के वेतन से काटी जाने वाली भविष्य निधि की राशि को राज. गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम 1989 एव नियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार जमा कराया जाये।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनाक 16 1 2001 को मा उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा अपने अतरिम आदेश दिनाक 24.4.2001 द्वारा स्थगित कर दिया गया है। अत खण्डपीठ द्वारा दिये गये निर्णय के क्रम में राज्य सरकार द्वारा भी अपने उपर्युक्त सदर्भित परिपत्र दिनाक 22 3 2001 एव स्पष्टीकरण सवधी आदेश दिनाक 30 4.2001 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।

क्रमाक : प-18 (3) शिक्षा-5/2001

दिनाक : 9 5 2001 (आदेश संख्या 125)

विषय :- गैर सरकारी शिक्षक सस्थाओं को मान्यता/क्रमोन्नति या विषय की अनुमति हेतु फीस के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता एव क्रमोन्नति सवधी प्रकरणों के परीक्षण करने के क्रम में यह पाया गया कि सस्थाओ के अभ्यावेदनो में मान्यता हेतु ली जाने वाली फीस या कतिपय प्रकरणो में विद्यमान नियमों के अनुसार नहीं है ओर सस्था द्वारा प्रेपित फीस को निदेशालय द्वारा राजकोष मे जमा कराये जाने के वावजूद भी सस्था के आवेदन पत्र के साथ न तो जी. ए. 55 रसीद सलग्न की गई हैं न ही सस्था के आवेदन पत्र पर यह अकित है कि फीस प्राप्त हो चुकी है।

अतः प्राप्त प्रकरणो का राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 1993 के परिशिष्ट-2 के आइटम सख्या 13 (ग) सपठित माध्यमिक शिक्षा वोर्ड के विनियमनो के साथ परीक्षण करने उपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि :-

1. नियमो मे वर्णित इस मान्यता की फीस प्रति सकाय तीन विषयों के लिए ही है।
2 यदि किसी सकाय में सस्था द्वारा तीन से अधिक विषयों के लिए मान्यता हेतु आवेदन किया जाता हे तो प्रति विषय उसे 2000/- रुपये की राशि पृथक से जमा करानी होगी।
3 इसी प्रकार एक सकाय खोलने के वाद यदि सस्था अन्य सकाय खोलने हेतु आवेदन करती है तो पृथक से मान्यता के लिए फीस जमा करानी होगी।

कृपया मान्यता सवधी प्रकरण भेजते समय उपर्युक्त निर्धारित दर से फीस की राशि सस्था से प्राप्त कर राजकोष में जमा कराई जाये और सस्था के आवेदन पत्र पर लाल स्याही से मार्क किया जाये। यह शिक्षा सचिव जी से अनुमोदित हे।

क्रमाक : प-19 (9) शिक्षा-5/99 दिनांक : 16.5.2001 (आदेश सख्या 126)

विषय :- अनुदानित गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं, पुस्तकालयों, केन्द्रीय कार्यालयों, छात्रावासों, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, महाविद्यालयों एवं विशिष्ट सस्थाओं को अनुदान रिलीज किये जाने के संवंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसख्यक परिपत्र दिनाक 9.1.2000 एव 26.2.2000 की निरन्तरता के क्रम में यह निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि विद्यमान समस्त अनुदानित सस्थाओं को अप्रेल, 2001 से अग्रिम आदेशों तक यथावत् अनुदान यह शपथपत्र लेकर रिलीज कर दिया जाये कि यह अनुदान प्रोविजनल ही माना जायेगा तथा सस्था की समीक्षा करके जो आदेश प्रसारित किये जायेगे उनके अध्ययधीन होंगे। तथा समीक्षा के क्रम में देय अनुदान के तहत समायोजन करने में सस्था को कोई ऐतराज नहीं होगा।

क्रमाक : प-11 (22) शिक्षा-5/88 दिनाक : 16.5.2001 (आदेश संख्या 127)

विषय :- अनुदानित संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से पी. एफ. की कटौती हेतु 8.33 प्रतिशत की दर से ही अनुदान दिये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि सभागीय समसख्यक परिपत्र दिनांक 14.8.97 के सदर्भ में निदेशालय द्वारा अनुदानित सस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से पी.एफ. की कटौती हेतु 10 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जा रहा है।

निदेशालय द्वारा लाये गये इस तथ्य का परीक्षण राज्य सरकार के सदर्भित समसख्यक परिपत्र दिनांक 14 8 97 से करने पर यह स्पष्ट है कि उक्त परिपत्रो मे कहीं भी यह उल्लेखित नहीं है कि सस्थाओ को पी.एफ. हेतु अनुदान किस दर से दिया जायेगा, वरन् इस परिपत्र में सिर्फ इस वात का उल्लेख किया हुआ है कि वित्त विभाग के परिपत्र दिनाक 5 8.97 के संदर्भ में संस्थाओं द्वारा कर्मचारियो एवं नियोक्ता के हिस्से की राशि बैक के किस-किस खाते में कितनी-कितनी जमा करानी होगी।

अतः आपको यह निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि अपने विभाग से सवधित लेखो की यह आवश्यक जाच करा ले कि दिनाक 14.8.97 के वाद किसी भी सस्था को 8.33 प्रतिशत की दर् से तो अधिक अनुदान नहीं दिया गया है ? यदि दिया गया है तो तुरन्त-

1. सबधित सस्था से ऐसी दी गई अधिक राशि की वसूली या समायोजन एक मुश्त किया जाए।
2. अधिक अनुदान की राशि दिये जाने के लिए दोषी अधिकारियो के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावे।

एक वार पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी संस्था को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 1993 के नियम 14 (क) सपठित परिशिष्ट-8 (2) के अनुसार पी.एफ. हेतु 8.33 प्रतिशत की दर से ही अनुदान देय योग होगा चाहे सस्था द्वारा कर्मचारी के वेतन से 8.33 प्रतिशत की दर से अधिक की किसी भी दर से कटौती की जाती हो।

क्रमाक : प-19 (9) शिक्षा-5/99

दिनांक : 23 5 2001 (आदेश संख्या 128)

विषय :- सहायता प्राप्त संस्थाओं की लेखों की जांच के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कतिपय संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि उनके द्वारा अपने लेखों के अन्तिमीकरण हेतु जो पत्र विभाग में प्रस्तुत किये जाते हैं उनके अकेक्षण हेतु जाने वाले दल मे कर्मचारियों के द्वारा नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण सस्था के व्यय को अनावश्यक रूप से अमान्य कर दिया जाता है जिससे सस्था को अत्यधिक कठिनाई व काफी समय तक वित्तीय परेशानी से भी गुजरना पडता है।

उपरोक्त विन्दु का परीक्षण करने के उपरान्त यह निर्देश प्रदान किया जाता है कि सहायता प्राप्त सस्थाओं के लेखों के अन्तिमीकरण की कार्यवाही हेतु प्रेषित दल का प्रभारी सहायक लेखाधिकारी से नीचे के स्तर का अधिकारी नहीं हो। साथ ही समस्त निरीक्षण दल को यह स्पष्ट निर्देश दिये हुए हों कि लेखो के अन्तिर्माकरण करते समय विभागीय नियमो व निर्देशो की पालना अत्यधिक सतर्कता से सुनिश्चित की जावे ताकि सस्थाओं के कतिपय व्यय अनावश्यक रूप से अमान्य नहीं हो। यह शिक्षा सचिव जी से अनुमोदित है।

क्रमांक : प-19 (9) शिक्षा-5/93

दिनाक : 15.9 2001 (आदेश सख्या 129)

विषय :- गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में प्रशासक लगाये जाने के संवध में नीति।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभिन्न स्रोतों से राज्य सरकार के ध्यान मे यह आया है कि अनेक गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में लम्वे समय से प्रशासक लगाये हुए हैं और प्रशासकीय नियत्रण मे रहने के वाद भी इन सस्थाओ की प्रशासकीय व्यवस्था में तथा विद्यार्थियों की संख्या में सुधार नहीं हुआ है। साथ ही प्रशासक लगाये जाने के दौरान सस्था मे कार्यरत कर्मचारियो को अनुदान के वाद संस्था की ओर से उपलब्ध कराये जाने वाली मैचिग शेयर की व्यवस्था करने में भी अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिसकी वजह से अनेक वार कर्मचारियो को न्यायालय की शरण में जाना पडता है और प्रशासकीय नियत्रण के कारण राज्य सरकार को भी उसमे पक्षकार वनना पड़ता है। इस स्थिति को ध्यान मे रखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था मे संचालित सस्थाओं एव भविष्य मे सस्थाओ मे प्रशासक लगाये जाने के सवध में निम्न नीति निर्धारित की जाती है :-

1. जहा तक संभव हो प्रशासक लगाये जाने से वचा जाये, यदि प्रशासक लगाये जाने की आवश्यकता है तो अधिकतम 6 माह के लिए ही प्रशासक लगाया जाये।
2. 6 माह की अवधि में प्रशासक को प्रवन्ध समिति के चुनाव कराये जाने की अनिवार्यता हो।
3. यदि निर्धारित अवधि मे प्रवन्ध समिति के चुनाव कराया जाना सभव न हो तो प्रशासक को सस्था के सचालन के लिए कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था हो सके तो उसके प्रस्ताव प्रेषित करना चाहिए।
4. यदि 6 माह में न तो सस्था के प्रवन्ध समिति के चुनाव सभव हो सके और न ही वैकल्पिक व्यवस्थ से सस्था को सचालित किया जा सके तो 6 माह या उस शैक्षिक सत्र के पूरा होने पर जो भी वाद में हो से प्रशासक का कार्यकाल स्वत: ही समाप्त हो जाये और प्रशासक को समय रहते हुए विद्यार्थियो के अध्ययन की अन्यत्र व्यवस्था करनी चाहिए। सस्था में कार्यरत कर्मचारियो को अपने स्तर पर आवश्यक निर्णय लेना चाहिए और सस्था का अनुदान वन्द कर दिया जाये।

उपरोक्त वर्णित नीति के अनुसार अपने क्षेत्राधिकार में सचालित प्रशासक के नियंत्रणाधीन सस्थाओं को उपरोक्त निर्देशों की कठोरता से पालना करने हेतु निर्देश प्रदान किये जायें। और तदनुसार प्रक्रिया को ध्यान में रखकर सचालित सस्थाओं की सूचना जिनमें निम्न विन्दुओ का समावेश हो प्रेषित की जाये :-

1. क्रम सख्या

2. सस्था का नाम
3. प्रशासक का नाम
4 कब से प्रशासक लगा हुआ है
5. प्रवन्ध समिति का चुनाव नहीं होने का कारण
6 चुनाव नहीं होने पर वैकल्पिक व्यवस्था की सूचना, यदि कोई हो।
7. विद्यालय को वन्द होने की दशा में विद्यार्थियों को अन्यत्र पढाये जाने की व्यवस्था के संवध में चुनाव।

क्रमांक : प-18 (1) शिक्षा-5/2001 दिनांक : 28.9.2001 (आदेश सख्या 130)

विषय :- गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता/क्रमोन्नति के संवंध में।

उपरोक्त विपयान्तर्गत विभिन्न स्रोतों से राज्य सरकार के ध्यान में वरावर यह लाया जाता रहा है कि निजी क्षेत्र में संचालित शैक्षिक सस्थाओं को स्थापित करने हेतु मान्यता लेने या विद्यमान मे संचालित संस्थाओं की क्रमोन्नति की कार्यवाही मे अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विभाग द्वारा पहले अस्थाई मान्यता दी जाती है उसके वाद सस्था द्वारा आवेदन करने पर स्थाई मान्यता दी जाती है जिसकी वजह से सस्थाओं को दो-दो वार पैनल निरीक्षण आदि की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है।

गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ की स्थापना एव क्रमोन्नति में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों को ध्यान में राते हुए राज्य सरकार द्वारा स्थिति का समग्र रूप से परीक्षण करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि :-

1. मान्यता की इच्छुक सस्थाओं को अस्थाई या स्थायी मान्यता नहीं प्रदान करके सिर्फ मान्यता ही प्रदान की जाये।
2. जिन भी सस्थाओं को पूर्व में सक्षम स्तर से अस्थायी मान्यता प्रदान की हुई है उनकी मान्यता को स्थायी के समकक्ष माना जावे और इन्हें नये सिरे से स्थायी मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. शैक्षिक सत्र 2002-03 के लिये मान्यता/क्रमोन्नति सवध आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एव उनके निस्तारण तथा मान्यता शुल्क व आरक्षित कोप के सम्वन्ध मे विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसकी प्रति सुलभ सन्दर्भ के लिये संलग्न है।
4 प्रत्येक स्तर हेतु प्राप्त प्रत्येक प्रकरण चाहे, पैनल निरीक्षण में क्रमोन्नति योग्य पाया जाये या नहीं, उन पर सलग्न विज्ञापन मे निर्देशानुसार उपनिदेशक, प्रारम्भिक/राज्य सरकार को प्रेपित करना है।
5. सस्थाओं द्वारा आवेदन पत्रों के साथ सलग्न :-
   (अ) मान्यता शुल्क सम्वन्धी ड्राफ्ट ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एव जिला शिक्षा अधिकारी एव निदेशालय संस्कृत शिक्षा द्वारा :-
      (i) अपने-अपने कार्यालयों में जमा करके सस्था को जी.ए.-55 की रसीद जारी की जाकर नीचे लिखे वजट मद में जमा कराने होंगे,
      (ii) 31 जनवरी, 2002 को आवेदन भेजते समय सस्थाओं के नाम की सूची उनसे प्राप्त राशि एव चालान की फोटो प्रति के साथ प्रेपित की जावे।

   प्रारम्भिक शिक्षा
   0202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति
   01-सामान्य शिक्षा,
   101-प्रारम्भिक शिक्षा

002-अन्य प्राप्तिया

माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च माध्यमिक

0202-शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा सस्कृति

01-सामान्य शिक्षा,

102-माध्यमिक शिक्षा

003-अन्य प्राप्तियां

संस्कृत शिक्षा

0202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा सस्कृति

600-सामान्य शिक्षा

001-शिक्षा, फीस और अन्य फीसे

002-अन्य प्राप्तियां

(व) (i) आरक्षित कोष हेतु वालिका फाउण्डेशन, जयपुर के नाम से प्राप्त ड्राफ्ट की रसीद, फाउण्डेशन द्वारा ब्लॉक/जिला शिक्षा कार्यालयों को उपलब्ध कराई गई रसीद में काटी जावे तथा उसकी सत्य प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न हो।

(ii) दिनांक 30.11.2001 तक प्राप्त आवेदन पत्रो के अनुसार सस्थाओ के नाम की सूची, प्राप्त राशि के ड्राफ्ट तथा रसीद वुक वालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर को भेज दी जावे।

6. सस्थाओं से आवेदन पत्र के साथ संलग्न निर्धारित चैक लिस्ट मे वर्णित समस्त विन्दुओ की सूचना उपलब्ध होने पर ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाए ताकि समस्त प्राप्त प्रकरणों का पैनल निरीक्षण कराकर उपर्युक्त वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जा सके।

सलग्न : 1. विन्दु 3 के अनुसार विज्ञापन की प्रति

2. विन्दु 5 के अनुसार चैक लिस्ट

मान्यता/क्रमोन्नति हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली चैक लिस्ट भाग "अ"

1. सस्था का नाम : ....
2. वर्तमान स्तर . ...
3. पंजीयन संख्या व दिनाक (फोटो प्रति संलग्नक...........) . .. .
4. वर्तमान स्तर की मान्यता का आदेश व दिनाक (क्रमोन्नति की दशा में फोटो प्रति संलग्नक..........) ....
5. कमरों की सख्या ... ...
6. विद्यार्थियों की सख्या स्तरवार (संलग्नक) . ...
7. अध्यापकों की सख्या
   (अ) प्रशिक्षित .... (संलग्नक....) : ... .
   (प्रशिक्षित के लिए एस.टी.सी./बी.एड. का प्रमाण पत्र सलग्न किया जावे)

(ब) अप्रशिक्षित .. ..   ..

8 भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र . ...

9. आवेदित स्तर (उच्च माध्यमिक की दशा में सकाय व विषय सहित) . ...

10 मान्यता शुल्क राशि . रसीद सख्या ....
(रसीद की सत्य प्रति सलग्न करें) (सलग्नक) : दिनाक ... .

11 आरक्षित कोप वालिका शिक्षा फाउण्डेशन में जमा . रसीद सख्या ....
की रसीद (सत्य प्रति सलग्नक . ...) दिनाक ....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण एव आवेदन पत्र में वर्णित तथ्य सही हे और यदि विभाग द्वारा जाच के दौरान गलत पाया जाता है तो मान्यता एव आरक्षित कोप की राशि को जब्त कर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जावे।

हस्ताक्षर सस्था

भाग "ब"

उपरोक्तानुसार पत्रादि प्राप्त किये।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
कार्यालय जि.शि.अ.

भाग "स"

पैनल निरीक्षण दल की अभिशपा
जिला शिक्षा अधिकारी की अभिशपा

हस्ताक्षर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/
जिला शिक्षा अधिकारी

क्रमांक : प-18 (1) शिक्षा-5/2001 **दिनाक : 25.9.2001**

विज्ञापन

शैक्षिक सत्र 2002-03 में मान्यता/क्रमोन्नति की इच्छुक निजी क्षेत्र की शैक्षिक सस्थाओं के लिए नीचे लिखे अनुसार *कार्यक्रम निर्धारित किया गया है* :-

शैक्षिक सस्थाओ को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा कराने होंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर तक

(अ) ग्रामीण क्षेत्र ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी — 30.11 2001 तक

(ब) शहरी क्षेत्र सबधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक — 30.11.2001 तक

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर तक

सबधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक — 30.11.2001 तक

संस्कृत शिक्षा

निदेशालय, सस्कृत शिक्षा, जयपुर — 30.11.2001 तक

(निर्धारित तिथि के वाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे)

2. उपरोक्त अधिकारियो द्वारा प्राप्त प्रत्येक आवेदन पत्रो का पैनल निरीक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। — 15 1 2002 तक

3 उच्च प्राथमिक स्तर तक की .-

(अ) क्रमोन्नति/मान्यता योग्य पाई गई सस्थाओ के ब्लॉक/जिला शिक्षा अधिकारियो द्वारा आदेश जारी कर दिये जायेगे। — 15 2 2002 तक

(व) मान्यता/क्रमोन्नतिके योग्य नहीं पाई गई सस्थाओ को कारणों से अवगत कराते हुए पत्रावलियों सवधित क्षेत्र के उप निदेशको को सुनवाई हेतु प्रेपित कर दी जावेगी। — 28 2 2002 तक

(स) सवधित उप निदेशकों द्वारा सस्थाओ को सुनवाई का समुचित अवसर देने के वाद इन प्रकरणो पर अतिम निर्णय लेकर अवगत करा दिया जायेगा। — 31.3.2002 तक

4. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर तक की

(अ) जिला कार्यालयो से प्रत्येक प्रकरण वाद पैनल निरीक्षण मय अपनी टिप्पणी के सीधे ही राज्य सरकार को प्रेपित कर दिये जायेगे। — 31 1 2002 तक

(व) राज्य सरकार/माध्यमिक शिक्षा वोर्ड द्वारा इन प्रकरणों पर अतिम निर्णय लेकर सस्थाओ को अवगत करा दिया जायेगा। — 31 3 2002 तक

5. सस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा प्राप्त प्रत्येक प्रकरण पर निर्णय — 31.3.2002 तक

विशेष विवरण :-

1. संस्थाओं को मान्यता शुल्क का ड्राफ्ट संवंधित जिला शिक्षा अधिकारी/ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के नाम से वनवाना होगा।
2. आरक्षित कोप की राशि का ड्राफ्ट "वालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर" के नाम से वनवा कर आवेदन पत्र के साथ सलग्न करना होगा।
3. निर्धारित मान्यता शुल्क/आरक्षित कोप निम्नानुसार है -

क्र.सं.	स्तर	मान्यता शुल्क राशि	आरक्षित कोप राशि
1.	प्राथमिक	250/-	2000/-
2.	प्राथमिक (विशिष्ट)	500/-	2000/-
3.	उच्च प्राथमिक	500/-	5000/-
4.	उच्च प्राथमिक (विशिष्ट)	1000/-	5000/-
5.	माध्यमिक	2000/-	25000/-
6.	उच्च माध्यमिक	2000/- (प्रति सकाय के लिए) उसी सकाय में प्रति विपय के लिए 2000/- अतिरिक्त	50000/- (प्रति सकाय के लिए) प्रत्येक अतिरिक्त सकाय के लिए 25000/- अतिरिक्त

अनुदानित महाविद्यालयों में 27.7.98 से केरियर एडंवान्समेन्ट योजना का लाभ मिलेगा

संशोधित आ.क्र. प.15(1)शिक्षा-5/2001 दिनांक 7.12.01 (आदेश संख्या 131)

उपरोक्त विपयान्तर्गत लेख है कि अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम का लाभ राजकीय महाविद्यालयो के व्याख्याताओ की भांति राज्य सरकार के आदेश सख्या प. 3(8)शिक्षा-4/98 दिनाक 19.5.2001 के अनुसार दिनाक 27.7 1998 से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

स्क्रीनिग : वरिष्ठ तथा चयनित वेतनमान देने हेतु योग्यता का परीक्षण निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया जावेगा

(1) प्रवन्ध समिति का अध्यक्ष	अध्यक्ष
(2) निदेशक, कॉलेज शिक्षा का प्रतिनिधि	सदस्य
(3) प्रवन्ध समिति द्वारा मनोनीत सदस्य	सदस्य
(4) कॉलेज प्राचार्य	सदस्य सचिव

यदि उक्त योजना के लागू किये जाने के परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त वित्तीय भार आता है तो उसे संस्थाऐं स्वय के ससाधनो से वहन करेगी एव इसके लिये राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त अनुदान देय नहीं होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई. डी. सख्या 2911 दिनाक 15 10.01 के द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

क्रमाक : प-18 (3) शिक्षा-5/2001 दिनाक : 15.2.2002 (आदेश संख्या 132)

विषय :- गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता/क्रमोन्नति के सवध में पत्रावली जमा कराने की तिथि वृद्धि के संवध में।

सदर्भ :- विभागीय आदेश क्रमाक : प. 18 (1) शिक्षा-5/2001 दिनाक 28.9.2001 एवं विज्ञापन तिथि 25.9 2001

उपरोक्त विपयान्तर्गत सदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि गेर सरकारी शेक्षिक सस्थाओं को मान्यता/क्रमोन्नति हेतु पत्रावली/आवेदन पत्र संवधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने की तिथि दिनाक 30.11 2001 से वढ़ाकर 28.2.2002 की जाती है।

सवधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा पैनल निरीक्षण पश्चात् अपनी टिप्पणी/अभिशषा के साथ उक्त पत्रावलिया/आवेदन पत्रों को इस विभाग में दिनाक 15.3.2002 तक आवश्यक रूप से प्रेपित करायेंगे।

अनुदानित शिक्षण संस्थाएं नियमों की पालना करें

क्रमाक : शिविरा/माध्य/अनुदान/जे/नियम/17904/2000/58 दिनांक 3.5.02 (आदेश संख्या 133)

विभाग के ध्यान मे लाया गया है कि गेर सरकारी अनुदानित शिक्षण सस्थाओं मे अनुदान नियम 1993 की पालना पूर्ण रूप से नहीं की जा रही है जिसकी वजह से प्रशासकीय स्तर पर विभाग को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके निराकरण हेतु निम्नाकित निर्देश प्रसारित किये जाते है- (1) अधिकांश अनुदानित विद्यालयों में छात्र सख्या नोर्मस (नियम 10 (ix)) के अनुसार छात्र सख्या में वृद्धि की जावे अन्यथा अनुदान नियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। (2) अनुदान पत्रावलियों का अवलोकन करने से विदित हुआ है कि अनेक सस्थाओं द्वारा कर्मचारियों के पी.एफ. की राशि पी.डी. खाते में समय पर जमा नहीं कराई जाती है जिससे कर्मचारियो को जमा पर मिलने वाले व्याज का नुकसान होता है तथा ऐसा करना अनुदान नियमों की अवहेलना है अतः निर्देशित किया जाता है कि पी.एफ. की राशि को पी.डी. खातो मे नियमानुसार जमा करायें। इस सम्वन्ध में 31-03-2002 तक के पी.एफ. की राशि पी डी. खातों में जमा कराने का प्रमाण पत्र व विवरण निदेशालय को भिजवायें। (3) गत वर्ष अनुदानित शिक्षण सस्थाओ में कराये गये निरीक्षण

के दोरान यह तथ्य भी ध्यान में आया है कि प्रवन्ध समिति के चुनाव समय पर नहीं कराये जाते है जवकि अनुदान नियम 23 के अनुसार प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् निर्वाचन करवाकर नई प्रवन्ध समिति का गठन करवाया जाना आवश्यक है। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि अनुदान नियम 1993 के नियम 23 के अनुसार, जिन सस्थाओ मे प्रवन्ध समिति का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कराकर नई प्रवन्ध समिति का गठन किया जाकर पालना से निदेशालय को सूचित किया जावे।

समस्त अनुदानित शिक्षण सस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम-1989 के प्रावधानों तथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था 1993 के नियमो का पूर्ण रूप से पालन करे अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

क्रमाक : प-11 (22) शिक्षा-5/88 दिनाक : 4 5.2002 (आदेश सख्या 134)

विषय :- **मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी शिक्षण सस्थाओं द्वारा अशदायी प्रावधायी निधि से सबधित राशि (कोपालयों में) जमा कराये जाने के सबध में।**

उपरोक्त विपयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समसख्यक परिपत्र क्रमाक एफ-11 (22) क्षा/ग्रुप-5/88 दिनाक 4 5 2001 आदेश सख्या-121 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की खडपीठ अतरिम आदेश दिनाक 24 4.2001 की पालना मे राज्य सरकार द्वारा समसख्यक परिपत्र दिनाक 2 3 2001 तत्पश्चात् स्पष्टीकरण आदेश दिनाक 30 4 2001 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा दिनाक 16 1.2001 को दिये गये निर्णयो के क्रम में जारी निर्देशों के अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा दिनाक 12 12 2002 को दिये गये निर्णय में एकल पीठ के निर्णय दिनाक 16 1.2001 को पुन वहाल कर दिया है। अत. आदेश सख्या 121 दिनाक 4.5.2001 को वापस लेते हुए यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि समसख्यक परिपत्र दिनाक 22 3 2001 एव तत्पश्चात् स्पष्टीकरण दिनाक 30.4.2001 के निर्देशों की पालना में राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एव नियम 1993 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार पी.एफ. की राशि जमा कराये जाने की आवश्यक व्यवस्था की जावे।

गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करने की प्रक्रिया निर्धारित

क्रमांक.प. 18(1) शिक्षा-5/2001/ जयपुर, 27.5.2002 (आदेश संख्या 135)

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एव नियम, 1993 मे निहित प्रावधानो के अन्तर्गत शैक्षिक सस्थाओं का अनुदान स्वीकृत करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की हुई है। प्राय यह देखा गया है कि सभी निदेशालय नियमों में की गई प्रक्रिया के अनुसार पालना नहीं कर रहे है या अनुदान स्वीकृत करने हेतु भिन्न प्रक्रिया अपना रहे हैं। अतः समस्त निदेशालय निम्न प्रक्रियानुसार अनुदान स्वीकृत करे-

प्रथम चरण : अनुदान नियम 1993 के नियम 13 (1) के अनुसार अनुदानित सस्थाओ के अनुदानित पदों के चालू वित वर्ष के अनुमानित व्यय के आधार पर उपलब्ध इसके बाद माह अप्रैल से जनवरी तक (10 माह हेतु) अनुदान की प्रोविजनल किस्त की स्वीकृत की सूचना संवधित सस्था को दी जावे।

द्वितीय चरण : प्रोविजनल अनुदान की स्वीकृति जारी होने के बाद संस्थाओं द्वारा अनुदान हेतु विल प्रस्तुत करने पर निम्न औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये जाये :

(1) गत माह के अनुदान व्यय (भुगतान विवरण पत्र) नियम 14,34 व 35 की अनुपालना में (प्रपत्र सलंग्न)

(2) गत माह की छात्र संख्या विवरण का प्रपत्र (प्रपत्र संलग्न) (नियम 10) (ix) के अन्तर्गत।

(3) गत माह पी.एफ राशि कर्मचारीवार कोषागार में जमा कराने की सूचना (प्रपत्र अनुदान नियम 14 एवं परिशिष्ट 8 के आइटम (प्रपत्र सलग्न) सख्या 2 के अनुसार)
(4) मासिक व्यय मानचित्र (प्रपत्र सलग्न)
(5) सस्था की पजीयन प्रमाण पत्र व विधान की सत्य प्रति (नियम 3 के अनुसार)
(6) प्रवन्ध समिति के सदस्यो की रजिस्टर्ड प्रति नियम 23 के अनुसार।
(7) आहरण एव वितरण के लिये प्राधिकृत व्यक्ति के नाम/हस्ताक्षर संवधी सूचना जिसे प्रवन्धक कार्यकारिणी ने प्रमाणित किया हो (नियम 24 व 25 के अनुसार)
(8) सस्था के सावधि जमा के प्रमाण पत्रों की प्रति (नियम 10(8) एव परि.2 के आइटम 4 के अनुसार)
(9) सस्था के अनुदानित पदो पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों के नमूना हस्ताक्षर मय वैक खाता की प्रमाणित प्रति (नियम 35 के अनुसार)
(10) वचनवद्धता प्रमाणपत्र नियम 10(24) एव परि. 12 के अनुसार।
(11) अनुदान नियम 10 की समस्त शर्तो की पालना का प्रमाण पत्र (प्रतिलिपि सलग्न)
(12) अनुदान नियम 11(5) की पालना का प्रमाणपत्र।
(13) राज्य सरकार के आदेश क्रमाक 19(9) शिक्षा-5/99 दिनांक 16.5.2001 (आदेश स. 123) के अनुसार वाछित शपथ पत्र की मूल प्रति।

तृतीय चरण: द्वितीय चरण में उपरोक्त अकित/वाछित प्रमाण पत्रो की प्राप्ति के वाद आवश्यक जाच की जावें गत माह के प्राप्त प्रमाणपत्रो की जाच एव सन्तुष्टि के वाद आगामी माह का विल प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत होने पर प्रतिहस्ताक्षर किये जावे। यदि कोई कमी पूर्ति शेष है तो विल प्रतिहस्ताक्षर से पूर्व पूर्ण करा ली जावे।

चतुर्थ चरण अनुदान नियम 12 के अन्तर्गत वर्ष के अन्त मे विगत वर्ष चालू वर्ष से पूर्व वर्ष के आवृति (प्रोविजनल अनुदान) का समायोजन करते हुये अनुदान की अतिमीकरण कर अन्तिम स्वीकृति प्रत्येक वर्ष जारी कर दी जानी चाहिये ताकि सस्थाओ की देय वकाया या वसूली की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके।

नियम 35(1) की अवहेलना करने पर आगामी माह का अनुदान रोक दिया जाना चाहिये।

उक्त प्रक्रिया की तुरन्त प्रभाव से अनुदान स्वीकृति हेतु अपनाई जावे तथा विभाग को अवगत करावे।

अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के C.P.F. की राशि पी.डी. खाते में जमा होगी।

पत्रांक क्रमांक:प-8 (3) वि.मा./97 **दिनांक 15.6.02 (आदेश संख्या 136)**

इस विभाग के समसख्यक आदेश दिनाक 24-8-1998 द्वारा गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं के पी.डी. खातों में जमा कर्मचारियों की सामान्य प्रावधायी निधि राशियां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को स्थानान्तरित करने सम्वन्धी आदेश जारी किये गये थे।

इस सम्वन्ध में शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग के पत्र क्रमाक प-11 (22) शिक्षा/ग्रुप-5/88 दिनांक 4.5.2001 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिये गये निर्णय दिनाक 16-1-2001 के अनुसार अव यह राशि सम्वन्धित सस्था के लोक लेखों (पी डी. अकाउन्ट) में ही रखी जानी है। अत. खण्डपीठ द्वारा दिये गये निर्णय के क्रम में इस विभाग द्वारा जारी समसख्यक ओदश दिनाक 24-8-1998 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा भविष्य में सस्थाओं द्वारा राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 एव नियम, 1993 में वर्णित प्रावधान के अनुसार पूर्व की भाँति सम्वन्धित पी.डी. खातों में जमा होती रहेगी।

अनुदानित संस्थाओं के प्राध्यापकों के पी.एच.डी./ एम.फिल. पर देय इन्सेनटिव का लाभ नहीं मिलेगा

क्रमाक.प.(15) (1) शिक्षा-5/2001 जयपुर, 29.7.02 (आदेश सख्या 137)

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमाक एफ 23 (2)वित्त/नियम/98 दिनाक 7.5 99 के अनुसरण में विभागीय आज्ञा क्रमांक प.11(16)शिक्षा-5/88 दिनाक 3 7 99 के माध्यम से गैर राजकीय अनुदानित महाविद्यालय/संस्थाओं के प्राध्यापकों के लिए पुनरीक्षित यू.जी सी. वेतनमान लागू किये गये थे जिसमे उल्लेख किया गया था कि वित्त विभाग के आदेश दिनाक 7.5.99 के अनुसार वेतन स्थिरीकरण करते हुए अन्य परिलाभ भी इसी आदेश के प्रावधान के अनुसार दिये जायेगे। उक्त आदेश दिनांक 7.5.99 के नियम 11 में एम.फिल/पी.एच डी धारी प्राध्यापकों के लिए इन्सेटिव का प्रावधान का उल्लेख था जिसको वित्त (नियम) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमाक प 13(2) वित्त (नियम) 98 दिनाक 6.5 02 द्वारा तुरन्त प्रभाव से विलोपित कर दिया गया है।

अतः गैर राजकीय अनुदानित महाविद्यालयों/संस्थाओं के एम.फिल/पी.एच.डी धारी प्राध्यापकों (पुस्तकालयाध्यक्ष तथा पीटीआई सहित) के लिए नोटिफिकेशन दिनाक 7.5.99 के नियम 11 मे देय इन्सेटिव लाभ को दिनाक 6.5 2002 से विलोपित किया जाता है।

अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में मार्च 2002 तक रिक्त शैक्षणिक पदों को भरने की स्वीकृति

क्रमाकःप. 19(9) शिक्षा-5/2001 जयपुर, 23.8.02 (आदेश संख्या 138)

उपरोक्त विपयान्तर्गत लेख है कि गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओ मे दिनाक 31 3.02 तक जो अनुदानित शैक्षणिक पद रिक्त चल रहे हैं, को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, अनुदान एव सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया के अनुसार भरने की स्वीकृति एतद् द्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है.-

क्र.स.	विभाग का नाम	शैक्षिक रिक्त पदों की सख्या
1.	निदेशालय कॉलेज शिक्षा	323
2.	निदेशालय संस्कृत शिक्षा	97
3.	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा	844
	योगः-	1264

उक्त पदों को भरने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि सस्थाओं को वही अनुदान राशि देय होगी जो वर्ष 2001-2002 में भरे हुए अनुदानित पदों के आधार पर वास्तविक राशि दी गई थी एवं रिक्त अनुदानित पदों को भरने पर कोई अतिरिक्त अनुदान राशि न तो इस वर्ष और न ही भविष्य में दी जावेगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 2642 दिनाक 19.8.2002 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को शैक्षिक सत्र 2002-2003 से 10 वीं एवं 12 वीं कक्षा चलाने की अनुमति बाबत

क्रमांकःप. 18 (3) शिक्षा-5/2002 जयपुर, 23.8.02 (आदेश सख्या 139)

उपरोक्त विपयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शैक्षिक सत्र 2002-2003 मे जिन गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं को माध्यमिक स्तर पर 9 वीं कक्षा एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर 11 वीं कक्षा प्रारम्भ करने की मान्यता प्रदान की गयी है उनके

सवध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो विद्यालय इसी शिक्षा सत्र में 9 वीं के साथ 10 वीं एव 11 वीं के साथ 12 वीं कक्षा प्रारम्भ करना चाहते है उन्हें वर्तमान प्रावधान में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्तानुसार कक्षायें चलायें जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ऐसे इच्छुक विद्यालयो द्वारा 10,000/- रुपये अतिरिक्त शुल्क जमा कराये जाने पर उक्तानुसार अनुमति संबधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा उन्हें दिनाक 28.8.2002 तक अधिकृत किया जाता है।

उक्त अतिरिक्त शुल्क राशि जी.ए. 55 की रसीद जारी कर राजस्व आय मद में जमा करवायी जावें।

अनुमति प्रदान की जाने वाले स्वीकृतियों की प्रति शासन एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर को भी भिजवायी जावें।

राजस्व विभाग के आदेश

गैर शैक्षणिक संस्थाओं में पी.एफ. निजी निक्षेप खातें में जमा होगी

No. 14(73)FD/Revenue/95 **Dt. 30/8/02** (आदेश संख्या 140)

Provident Fund contributions relating to Employees of private educational institutions were earlier being kept in PD accounts. Subsequently, in 1997 and 1998, these were shifted to Regional Commissioner, Employee Provident Fund. Now hon'ble Rajasthan High Court has decided that these contributions should be kept in PD accounts. This decision was taken on 16 January, 2001 in the Single Bench and on 12 February, 2002 in Double Bench. Therefore, order issued vide this department order of even number dated 5.8.1997 and No. F.8(3) FD/wm 97 dated 24.8.1998 are modified to say that henceforth all PF contributions relating to employees of recognised private educational institutions will be dept in PD accounts already in existence. Wherever such PD accounts are not there, the concerned educational institutions may approach the nearest Treasury for opening such PD account. The amounts already remitted to Regional Commissioner, Employees Provident Fund may also be shifted to PD accounts. It is clarified that these PD accounts will carry rate of interest at par with the rate paid on C.P.F. by State Government from time to time. This refers to the Employees Provident Fund & Miscellancous Provisions Act. 1952 and the Rajasthan Non-Government Educational institutions Act. 1989.)

निजी शैक्षिक संस्थाओं की मान्यता/क्रमोन्नति हेतु निर्धारित कार्यक्रम

विज्ञप्ति

क्रमांकःप.18(1)शिक्षा-5/2001 **जयपुर, 6.11.02** (आदेश संख्या 141)

शैक्षिक सत्र 2003-2004 में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति/मान्यता की इच्छुक निजी शैक्षिक सस्थाओं के लिए आवेदन हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है:-

1. शैक्षिक संस्थाओं को निर्धारित प्रपत्र मे सभी आवश्यकताओं/औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के कार्यालय में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि। 15.12 2002
   (निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेगे।)

2. जिला शिक्षा अधिकारियों (माध्यमिक) द्वारा प्राप्त प्रत्येक आवेदन पत्र का पैनल निरीक्षण का कार्य पूर्ण कर आक्षेपो की पूर्ति कराकर सम्बन्धित उप निदेशक (माध्यमिक) को प्रेषित करने की अन्तिम तिथि। 31.01 2003
3. सम्बन्धित उप निदेशक, माध्यमिक द्वारा पत्रावलियो का परीक्षण कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को प्रेषित करने की तिथि। 15.2 2003
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा राज्य सरकार को निर्णय/स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करने की तिथि। 31.3 2003
5. निदेशालय से प्राप्त सभी प्रकरणो में से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत प्रकरणो की सूची जारी कर प्रति संस्था को देते हुए निदेशक, माध्यमिक को भेजी जावेगी। 30.4 2003
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत प्रकरणो के पालना आदेश जारी किये जाने की अन्तिम तिथि। 31 5.2003

(निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी पालना आदेशो की रिपोर्ट राज्य सरकार शिक्षा विभाग (ग्रुप-5) को प्रेषित की जावेगी।)

विशेष विवरण-

(1) संस्थाओं को मान्यता शुल्क का बैक ड्राफ्ट सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के नाम से बनवाना होगा। भुगतान केवल बैक ड्राफ्ट से ही किया जावेगा।

(2) आरक्षित कोष की राशि का बैंक ड्राफ्ट "बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर" के नाम से बनवा कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

(3) निर्धारित मान्यता शुल्क एव आरक्षित कोष राशि निम्नानुसार है-

क्र.स.	स्तर	मान्यता शुल्क की राशि (रूपये) ❖	आरक्षित कोष राशि (रूपये) ⌘
1.	माध्यमिक	5000/-	35000/-
2.	उच्च माध्यमिक	7000/-	60000/-

❖ (प्रति संकाय के लिये उसी संकाय में प्रति विषय के लिए रु. 2000/- रुपये अतिरिक्त-मान्यता शुल्क (तीन विषयो के अतिरिक्त)

⌘ (प्रत्येक अतिरिक्त सकाय के लिए 25000/- रूपये अतिरिक्त आरक्षित कोष की राशि जमा करानी होगी।)

नोट-

1 यदि किसी भी सस्था को किसी भी कारण से मान्यता नहीं दी जा सके तो वह सस्थ आरक्षित कोष की राशि वापस प्राप्त कर सकेगी। मान्यता शुल्क की राशि किसी भी अवस्था में वापस नहीं की जायेगी। निरस्त प्रकरणों में सस्था को आगामी सत्र में नियमानुसार पुन. आवेदन करना होगा।

2. प्रत्येक स्तर की मान्यता की आरक्षित कोष राशि राज्य सरकार के पास सुरक्षित रहेगी चाहे उस संस्था को उच्च स्तर की मान्यता दे दी गई हो।

3. उपरोक्त शुल्क तथा आरक्षित कोष राशि एक माध्यम के लिए है यदि सस्था अतिरिक्त माध्यम से स्कूल/कक्षा सचालित

करना चाहती है तो उसको पृथक से आवेदन करना होगा जिसकी प्रक्रिया निस्तारण अवधि एव शुल्क व आरक्षित कोष राशि अलग से देय होगी।

शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु राज्य स्तरीय अनुदान समिति का गठन

क्रमांक : प-21 (7)/शिक्षा-1/प्रा.शि./2000 पार्ट-I　　　जयपुर, 15/01/03 (आदेश संख्या 142)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित शिक्षा गारन्टी योजना और वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों का राज्य स्तर पर अनुमोदन करने हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय अनुदान समिति का गठन किया जाता है-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर ।　　　अध्यक्ष
2. निदेशक, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद (डी.पी.ई.पी.), जयपुर　　　सदस्य
3. निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान-जयपुर　　　सदस्य
4. निदेशक, लोक जुम्बिश परिषद, राजस्थान - जयपुर　　　सदस्य
5. सचिव, राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड, जयपुर　　　सदस्य
6. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग जयपुर　　　सदस्य
7. भारत सरकार के 2 प्रतिनिधि (1 सरकारी, 1 गैर सरकारी, भारत सरकार द्वारा नियुक्त)
8. स्वैच्छिक संस्थाओं के 2 शिक्षाविद्)
   (1) डी.एच.एन. विजय, भोरूका चैरिटेबल ट्रस्ट,
   केयर ऑफ आई, आई.एच.आर.जयपुर।　　　सदस्य
   (2) श्री सुमेरचन्द बोथरा, सुबोध शिक्षण सस्थान, जयपुर　　　सदस्य

शिक्षा गारन्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर चिन्हित सोसाइटी राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद् योजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय शिक्षा गारन्टी योजना एव वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा की योजनाओं का मूल्यांकन एवं परीक्षण कर राज्य स्तरीय अनुदान समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। स्वैच्छित सस्थाओं के प्रस्ताव भी जिला स्तरीय शिक्षा गारन्टी योजना और वैकल्पिक नवाचार शिक्षा प्रस्तावो तथा जिला प्रारम्भिक शिक्षा येाजनाओं के अग होगे। अनुदान समिति से अनुशंसित प्रस्तावो को राज्य सरकार/सोसाइटी द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

भारत सरकार से निर्देश एव स्वीकृति प्राप्त होने पर विभाग एव स्वय सेवी सस्थाएं अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकेंगी।

उक्त समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेगी। उपयुक्त समिति का कार्यकाल शिक्षा गारन्टी योजना के जारी रहने तक होगा। समिति के गैर सरकासरी सदस्यों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत मद में से देय होगा।

गैर सरकारी संस्थानों को मान्यता प्रदान किये जाने हेतु संशोधित कार्यक्रम

क्रमांकः 18(3) शिक्षा-5/2001　　　जयपुर, 17/01/03 (आदेश संख्या 143)

इस विभाग की विज्ञाप्ति क्रमांक - प. 18 (1) शिक्षा-5 / 2001 दिनाक 16/11/2002 एव प. 18(3) शिक्षा-5/2001 के क्रम में शैक्षिक सत्र 2003-2004 से प्राथमिक से उच्च प्राथमिक एव उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एव माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर के गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता दिये जाने के सबंध में आवेदन करने था उनके निस्तारण करने

के सबंध में निम्नानुसार संशोधित कार्यक्रम घोषित किया जाता है। यह कार्यक्रम केवल 15/12/2002 तक आवेदन नहीं करने वाली सस्थाओं के लिए लागू माना जायेगा। पूर्व प्रकरणों का निस्तारण पूर्व मे जारी कार्यक्रम के अनुसार ही किया जावेगा।

प्रारम्भिक शिक्षा

- प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथकि स्तर की मान्यता हेतु आवेदन मक्षम कार्यालय में प्रस्तुत करने की अतिम तिथि 28/02/2003
- जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा निपटाये जाने की। अतिम तिथि 15/03/2003
- मान्यता योग्य नहीं पाये जाने वाले प्रकरणों को उप निदेशको को प्रस्तुत करने की। अतिम तिथि 25/03/2003

माध्यमिक शिक्षा

- उच्च प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर पर तथा माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति हेतु आवेदन सक्षम कार्यालय में प्रस्तुत करने की। अतिम तिथि 28/02/2003
- जिला शिक्षा अधिकारियों की पैनल निर्राक्षण रिपोर्ट सहित पत्रावली उप निदेशकों को प्रस्तुत करने की। अतिम तिथि 15/03/2003
- उप निदेशकों द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा को पत्रावलियॉ प्रस्तुत करने की। अतिम तिथी 25/03/2003
- निदेशालय द्वारा शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग को भिजवाने की। अतिम तिथी 10/04/2003
- शासन द्वारा निपटाये जाने की। अतिम तिथी 15/05/2003

गैर सरकारी विद्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जावें

क्रमांक : प-9(1) शिक्षा-5/2003 जयपुर, 28/02/03 (आदेश संख्या 144)

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन के ध्यान में आया है कि अनेक शिक्षण सस्थाओ की अस्थायी मान्यताएं निर्धारित समय सीमा के बाद भी अनिर्णित स्थिति में है जबकि प्रकरणों का निस्तारण समय सीमा मे होना आवश्यक है। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता लिये जाने से शिथिलता दी जाने के पश्चात् अब राज्य सरकार को यह विदित नहीं है कि कितने प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं। अतः ऐसी समस्याओं के समाधान हेतु शासन द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही अमल मे लायी जाने का निर्णय लिया गया है।

1. किसी सस्था को स्थायी करने हेतु अस्थायी मान्यता की तारीख से तीन वर्ष की अवधि में निरीक्षण में कमियॉ पायी जाने पर पुनः निरीक्षण किया जावे तथा सस्था द्वारा निर्दिष्ट कमियों को पूरा कर लिये जानी की सम्पूर्ण कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पन्न हो जानी चाहिए। इन आवश्यक औपचारिकताओं के लिए शिथिलन दिया जाना उचित नहीं है। अति विशिष्ठ मामलों में केवल राज्य सरकार ही समय सीमा मे शिथिलता दे सकेगी।
2. शासन के ध्यान में यह तथ्य आये है कि उनके शिक्षण सस्थाओं की अस्थायी मान्यताएँ निर्धारित समय सीमा के बाद भी अनिर्णित स्थिति मे है। अतः एक समबद्ध कार्यक्रम के रूप में इस कार्य को पूरा कर लिया जावें। इस संबंध में निदेशालय स्तर पर यह जाच करवायी जावे कि जिन शिक्षा अधिकारियो ने तीन वर्ष की अवधि में अस्थायी से स्थायी मान्यता देने सबधी प्रकरणो का निस्तारण नहीं किया गया है उन अधिकारियो के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाकर शासन को अवगत कराया जावें।
3. गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को बिना मान्यता सचालित करने से राज्य में अनेको ऐसी शिक्षण सस्थाये सचालित हो रही है जिनके अस्तितव की जानकारी शिक्षा विभाग तक को नहीं है। अतः इसमे समस्या के समाधान हेतु सभी प्राथमिक स्तर तक की गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं की मान्यता पूर्ववत ऐच्छिक रखी जावेगी इसकी जानकारी रखते हेतु उनका रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियो के कार्यालय में अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा साथ ही

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का संधारण उदार शर्तों के साथ किया जावे ताकि शिक्षण सस्थाओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो।

4. शासन के ध्यान मे यह भी लाय गया है कि गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं के निरीक्षण करने के मामले में कुछ जिला शिक्षा अधिकारी सकोच करते हैं। जिस गति एव गभीरता के साथ राजकीय शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण कार्य होता हे वैसा गैर सरकारी सस्थाओं के साथ नहीं होता है। इससे कतिपय शिक्षण सस्थाओं में अवाछित स्वेच्छाचारिता को वढावा मिलता हे व उनकी गतिविधियों पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रहता है। दूसरी ओर उत्कृष्ट गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओ में किस प्रकार के शैक्षिक नवाचार एव प्रयोगधर्मिता को प्रोत्साहन दिया जाता है उसके अनुसरण का लाभ विभाग को तथा राजकीय शिक्षण सस्थाओं को नही मिल पाता हे। अत. इस श्रेणी के शिक्षण सस्थाओं का नियमित निरीक्षण को स्ट्रीम लाइन किया जायें।

गैर सरकारी स्कूलों की मान्यता पर निदेशक ही निर्णय करेगें

क्रमांक : प-13(1) शिक्षा-5/2001 जयपुर, 20/03/03 (आदेश संख्या 145)

विपयान्तर्गत प्रासगिक विज्ञप्ति द्वारा गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर हेतु क्रमोन्नति/मान्यता सम्बन्धी प्रस्तावो को पूर्व निर्धारित प्रक्रियानुसार समस्त प्रस्ताव राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु निदेशालय द्वारा प्रेपित किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।

अव पुन. निर्णय लिया गया है कि क्रमोन्नयन/मान्यता सम्बन्धी प्रस्ताव पर निर्णय निदेशालय माध्यमकि शिक्षा के स्तर पर ही सम्पादित किया जावेगा। । इन प्रकरणों को राज्य सरकार को प्रेपित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। निदेशालय, शिक्षा विभाग द्वारा समस्त प्रस्तावो पर दिनाक 15 5 2003 तक अतिम निस्तारण कर दिया जाना चाहिए। क्रमोन्नति/मान्यता सम्बन्धी प्रस्तावो पर राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित मापदण्डों के पूर्ण करने पर ही संस्थाओं को क्रमोन्नति/मान्यता प्रस्ताव को अनुमोदन किया जावे।

प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नति सम्बन्धी विज्ञप्ति दिनाक 16.11.2002 में कोई सशोधन नहीं किया गया है।

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण के आदेशों का निष्पादन सिविल न्यायालय द्वारा किया जावेगा

सख्या प. 2(7) विधि/2/2001 जयपुर, 08/04/2003 (आदेश सख्या 146)

राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नाकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनाक 07/04/03 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैं-

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक सस्था (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2003 **का अधिनियम संख्यांक** 10)- राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 को और.सशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्प में राजस्थान राज्य विधानमण्डल निम्नलिखित अधिनियम वनाता है-

1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
   (i) इस अधिनियम का नाम राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक सस्था (संशोधन) अधिनियम, 2001 है।
   (ii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1992 के राजस्थान अधिनियम सं. 19 मे नयी धारा 27 क का अत. स्थापन- राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 (1992 का अधिनियम स. 19) की विद्यमान धारा 27 के पश्चात् और धारा 28 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तः स्थापित की जायेगी, अर्थात्:

"27 क. **अधिकरण के आदेशों का निष्पादन-** धारा 19 के अधीन की गयी अपीलो और धारा 21 मे निर्दिष्ट विवादों का विनिश्चय करने वाला अधिकरण का आदेश इस स्थानीय क्षेत्र पर, जिसमे ऐसा प्रत्यर्थी, जिसके विरुद्ध आदेश किया गया है, मामूली तौर से निवास करता है या कारवार करता है या अभिलाभ के लिए स्वय काभ करता है, क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले सबसे निचले सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायेगा और ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा उसी रूप में निष्पादित किया जायेगा।"

निजी गैर अनुदानित कॉलजों को स्वयं की प्रवेश नीति बनाने की अनुमति

क्रमाक: प3 (2) /शिक्षा-4/2003 जयपुर, 21/05/03 (आदेश संख्या 147)

उक्त विषय में टी.एम.ए. पाई फारमेशन एवं अन्य वनाम कर्नाटक सरकार एव अन्य के प्रकरण में मा.सर्वोच्य न्यायालय द्वारा सिविल याचिका सख्या 317/1993 मे दिये गये निर्णय के दिनाक 31/10/2002 के अनुसरण में निजी गैर अनुदानित शिक्षण सस्थाओं को वर्ष 2003-2004 से कॉलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी की जाने वाली राज्य सरकार की प्रवेश नीति से छूट देते हुए उन्हें स्वयं की प्रवेश नीति वनाकर प्रवेश देने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। लेकिन ऐसी सस्थाएँ भी राज्य सरकार द्वारा जारी शैक्षणिक कलैण्डर की पालना करने हेतु वाध्य होगी तथा प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों की योग्यता सूची वनाकर योग्यता क्रम में प्रवेश दिये जावेगे एव सभी प्रवेशो मे सम्वद्धक विश्वविद्यालयों के नियमों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

अनुदानित शिक्षण सस्थाओं के लिये राज्य सरकार की प्रवेश नीति की पालना पूर्व की भाति वाध्यकारी रहेगी।

अतः इस सवध में तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्वन्धित सस्थाओ को सूचित कराने का श्रम करें।

राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम या ट्रस्ट अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकृत संस्था को ही मान्यता दी जावेगी

क्रमाक : प 4(5) विधि/2/2003 जयपुर, 07/06/2003 (आदेश सख्या 148)

राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनाक 5 जून, 2003 को वनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नाकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है-

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक सस्था (सशोधन) अध्यादेश, 2003

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 1989 को और संशोधित करने के लिए अध्यादेश।

यतः राजस्थान विधान सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल को इस वात का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितिया विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है,

अतः अव भारत के सविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष मे इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** -
   (i) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक सस्थान (सशोधन) अध्यादेश, 2003 है।
   (ii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **1992 के राजस्थान अधिनियम स. 19 की धारा 3 का संशोधन-** राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 (1992 का अधिनियम सख्या 19) की धारा 3 की उप-धारा (1) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्-

"परन्तु किसी भी सस्था को तव तक मान्यता नहीं दी जायेगी जव तक कि वह राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम स. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं हो, या वह राजस्थाल लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम 42) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी लोक न्यास द्वारा या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम स. 2) के उपवधों के अनुसार सृजित किसी न्यास द्वारा न चलायी जाती हो।"

निजी शिक्षण संस्थाओं/चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित

क्रमाक : एफ. 5(1) श्रम/95/10842 **जयपुर 21/07/2003 (आदेश संख्या 149)**

चूकि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम-11 सन्, 1948) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र में निम्नाकित नियोजनों में कर्मचारियों के सवंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों को निर्धारित करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमाक एफ. 5(1)श्रम/95/2003 दिनाक 03/03/2001 द्वारा राज. राजपत्र विशेषाक भाग-1 (ख) दिनाक 07/03/2001 में प्रकाशित किये थे।

चूकि उक्त प्रस्तावों के सवंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है।

अत अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम-11 सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार निम्नाकित अनुसूचित नियोजनों में कर्मचारियो के सवध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करती है-

क्र.सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी प्रतिमाह (रुपयों में)
40	निजी शैक्षिणिक संस्थानो में नियोजन	**गैर शिक्षक कर्मचारी**	
		1. स्वीपर, फर्राश, रिक्शा चालक वेलदार/ कुली (पोर्टर), वाटर मेन, साईकिल सवार, मशालची	1560.00
		2. चपरासी, चौकीदार, आया, गेटकीपर, दफ्तरी, लाईव्ररी, अटेन्डेट लेवोरेट्री, अटेन्डेट	1606.00
		3. (क) सुपरवाईजर, मिस्त्री, प्लम्वर, कारपेन्टर, मेसन, रसोईया, माली, इलैक्ट्रीशियन	1768.00
		(ख) कम्पाउण्डर नर्स, केयर, टेकर	1773 00

क्र.सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी प्रतिमाह (रुपयों में)
		4. (अ) क्लर्क, स्टोर कीपर, कन्डक्टर, गैर शिक्षक वार्डन (बिना बोर्डिंग एव लॉजिग) स्टेनोटाईपिस्ट, कैशियर, स्टोर क्लर्क	1926.00
		(व) कार/ट्रक/वस/टेम्पो ड्राईवर	1971.00
		5. (अ) स्नातक लिपिक, फिजिकल इन्स्ट्रक्टर, लाईब्रेरियन, स्टेनोग्राफर	2270.00
		(व) लेखाकार, कार्यालय अधीक्षक	2412.00
41	निजी चिकित्सालयो एव नर्सिग होम्स (जो सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित न हों में नियोजन	1. स्वीपर, धोवी, फर्राश	1560.00
		2. चपरासी, चौकीदार, आया, गेटकीपर, लेवोरेट्री अटेन्डेन्ट, सिक्योरिटी स्टॉफ, होस्टल आया, वार्ड वॉय	1605.00
		3. हैल्पर, लाउन्ड्री हैल्पर, मेन, वार्ड एड्स असिस्टेन्ट, स्टोर हैल्पर, डिपार्टमेन्टल एड्स, स्वीपर, चौकीदार, वार्ड व्याय, थियेटर हैल्पर, लेडीवार्ड अटेन्डेन्ट, शॉप व्याय, एक्सरे व्याय, लेवोरेटरी व्याय, डेन्टल व्याय, मेल विल कलक्टर्स	1664.00
		4. रसोईया, दाई, नाई, फार्मेसी अटेन्डेन्ट, अनेस्थीशियन, डेन्टल एण्ड वार्ड अन्टेन्डेन्ट, डार्क रूप असिस्टेन्ट, असिस्टेन्ट एनीमल हाउस कीपर, पेन्टर असिस्टेन्ट, स्टेवार्ड, परचेजिग स्काउट, लेवर सुपरवाईजर, वॉयलर अटेन्डेट, सेनीटेशन अटेन्डेट, वार्ड इलैक्ट्रीशियन, ई.सी.जी. एण्ड ई.ई.जी/एक्सरे अटेन्डेन्ट माली प्लम्वर	1768.00
		5. केयर टेकर, स्टेवार्ड, लेवोरेट्री टेक्नीशियन ए.एन.एम. लेवोरेट्री, लिम्ब मेकर, शुमेकर	1773.00
		6. क्लर्क, स्टोर कीपर, कन्डक्टर वार्डन टाईम कीपर असिस्टेन्ट अकाउन्टेन्ट	1926.00
		7. स्टेनो टाईपिस्ट, कैशियर, स्टोर क्लर्क, कार/वस/ट्रक/टेम्पों ड्राईवर	1971.00
		8. रेडियोग्राफर, डिस्पेन्सर, थियेटर, असिस्टेन्ट, डेन्टल असिस्टेन्ट, आथेल्मिक, टेक्नीशियन, फोटोग्राफर, ऑर्प्टाशियन, आडियोलॉजी, टेक्नीशिय, ई.सी.जी.टेक्नीशियन, फ्रोजन टेस्ट टेक्नीशियन, टर्नर, फार्मेसिस्ट, लेडी हैल्थ विजीटर,स्टॉफ नर्स, वार्ड सिस्टर, नर्सिंग असिस्टेन्ट, नर्सिगफोरमेन, एयर कन्डीसनिग फौरमेन, मेल नर्स	2270.00

क्र.सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी प्रतिमाह (रुपयों में)
		9. लेखाकार, स्नातक लिपिक, लाईब्रेरियन, स्टेनोग्राफर	2412.00
		10 मेडीकल टेनोलोजिस्ट, ओ.टी.सी.एन., टेक्नोलोजिस्ट परफरनियनिस्ट, डाईटीशियन, मेडीकल सोशल वर्कर, ट्यूटर टेक्नीशिय, डिमोन्सट्रेटर डिप्टी चीफ फारमेसिस्ट, लैक्चरर, हाउस सर्जन	2500.00

टिप्पणियाँ

1 दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजूदरी न्यूनतम दरों की गणना, जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिए नियत मासिक मजदूरी की दर से 26 का भाग देकर की जावेगी। भजनफल निकटतम रुपयों में होगा।

2 इसमें कसी वात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजन से किसी कर्मचारी की मजदूरी की दरों से अधिक ही तो उसके द्वारा उक्त दिन प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संवध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।

3 अनुसूची मे निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, वुनियादी मूल्य और सुविधाओ की एवज में रोकड मूल्य यदि कोई हो, सम्मिलित है।

4. उक्त नियोजनो में कार्यरत कामगारों की नियत दरों नें साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।

5. अकुशल कार्य वह है जिसमे ऐसे साधारण कार्य जिनमे कि कार्य सवधी कुशलता या अनुभव की मामूली आवश्यकता है या नहीं, सम्मिलित है।

अर्द्ध कुशल कार्य वह जिसमें कार्य सवधी अनुभव द्वारा प्राप्त कशुलता या सक्षमता कुछ अंश तक सम्मिलित है और जो कि चतुर कर्मचारी के पर्यवेक्षण या कार्यदर्शन के अधीन पूरा किये जाने योग्य है और इसमें अकुशल पर्यवेक्षण कार्य भी सम्मिलित है।

कुशल कार्य वह जिसमें कार्य सवंधी अनुभव द्वारा प्राप्त या शिक्षा (अप्रेन्टिस)के रूप में या तकनीकिी या व्यावसायिक सस्थान मे प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है ओर जिसके निष्पादन मे उपक्रम एव विवेक की आवश्यकता है।

6. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारियें पर भी लागू होगी।

7. अक्षम व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरे उसकी श्रेणी की प्रौढ मजदूरो को भूगतान योग्य दरों का 70 प्रतिशत होगी।

8. ये दरें अधिसूचना जारी होने की दिनाक से प्रभावी होगी।

अतिरिक्त शुल्क जमा कराने पर अनुदानित विद्यालयों को 10वीं व 12 वीं कक्षा चलाने की छुट

क्रमांक : प. 9(51) शिक्षा-5/2003 13/08/2003 (आदेश संख्या 150)

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शैक्षिक सत्र 2003-04 में जिन गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं को माध्यमिक स्तर पर 9 वीं कक्षा एव उच्च्य माध्यमिक स्तर पर 11 वीं कक्षा प्रारम्भ करने की मान्यता प्रदान की गयी है उनके

संबंध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो विद्यालय इसी शिक्षा सत्र में 9 वीं के साथ 10 वीं एवं 11वीं के साथ 12 वीं कक्षा प्रारम्भ करना चाहते हैं उन्हें वर्तमान प्रावधान में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्तानुसार कक्षाऐं चलाये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ऐसे इच्छुक विद्यालयों द्वारा रुपये 10,000/- अतिरिक्त शुल्क जमा कराये जाने पर उक्तानुसार अनुमति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा उन्हे दिनांक 31/08/03 तक अधिकृत किया जाता है।

उक्त अतिरिक्त शुल्क राशि जी.ए. 55 की रसीद जारी कर राजस्व आय मद में जमा करवायी जावें।

अनुमति प्रदान की जाने वाली स्वीकृतियों की प्रति शासन सचिव शिक्षा (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक) एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर को भी भिजवायी जावें।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि जो संस्थाऐं निर्धारित मानदण्डों को पूरा करती है उन्हें ही निर्धारित शुल्क जमा कराकर अनुमति दी जावे।

31-8-03 तक मान्यता/क्रमोन्नति के प्रकरणों का निस्तारण होगा

क्रमांक: प.9(11) शिक्षा-5/2003 — **दिनांक : 26.8.2003 (आदेश संख्या 151)**

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक शिविरा/मा/माध्यमिक/अ-4/21313/2003-04 दिनांक 2.8.03

महोदय,

उपरोक्त विषय में गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता/क्रमोन्नति के संबंध में निर्देशानुसार लेख है कि निदेशालय मे निम्न प्रकार के प्रकरण लम्बित है :-

1. राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सत्र 2002-3 के 39 प्रकरण।
2. राज्य सरकार द्वारा समय सीमा में शिथिलन दिये गये प्रकरण (12 प्रकरण)।
3. व प्रकरण जो माननीय शिक्षामंत्री महोदय द्वारा 31.7.03 के पश्चात शिथिलन देने के आदेश प्रदान किये है।
4. अन्य प्रकरण जिनमे संस्था द्वारा 28.2.2003 तक पत्रावली जमा नहीं कराई है लेकिन अब पत्रावली जमा कराई जाती है तथा 31.8.03 तक समस्त कमियों की पूर्ति कर दी जाती है।
5. 31.8.03 तक संस्थाओं द्वारा पत्रावली जमा करवायी जाकर समस्त कमियों की पूर्ति कर दी जावें तो वे सभी प्रकरण जिनमें क्रमोन्नत अथवा संकाय/विषय खोलने के मामले हो।

उपरोक्त सभी प्रकरणों का दिनांक 31.8.03 तक नियमानुसार निस्तारण कर दिया जावे। इस हेतु समय सीमा 31.8.03 तक बढ़ायी जाती है। जारी आदेशों की समस्त प्रतियॉं अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवायी जावें।

निदेशालय स्तर पर कार्यवाही त्वरित गति से की जावें।

विद्यालयों में अध्यनरत 3 वर्ष से 16 वर्ष तक के समस्त छात्र/छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराना आवश्यक

क्रमांक : प. 16 (22) शिक्षा-6/99 — **जयपुर, 06/09/2003 (आदेश संख्या 152)**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार भारत सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 से हर वर्ष शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा विभाग के समन्वय एवं सहयोग से छात्र/छात्राओं का नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है।

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, जयपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक स्वा./प.क./2003/377 दिनांक 26/07/2003 के द्वारा इस वर्ष भी प्रदेश के समस्त सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु जारी किया है।

शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा विभाग के जिला स्तरीय समस्त संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय एवं सहयोग से ...

से अधिक शहरी एव ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के वालकों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु अपने अधीनस्थ शिक्षण संस्थाओं के प्रधानों को निर्देशित करें कि वे निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करवा कर रोगग्रस्त छात्र/छात्राओं को वांछित चिकित्सा सुविधा प्राथमिकता से उपलब्ध करायें।

प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार की सुविधा के लिए चिकित्सा विभाग मे इस कार्य हेतु वजट में प्रावधान रखा गया है।

परिशिष्ट एवं प्रपत्र

(1)

परिशिष्ट एक, मान्यता के लिए आवेदन के साथ दिया जाने वाला शपथ-पत्र का नमूना

शपथ-पत्र

मै...पुत्र श्री................... ... .जाति............... उम्र.. .....निवासी.............................हू। हलफ पूर्वक वयान करता हूं कि :-

1. मै....... .... पुत्र श्री. ....उम्र.... ... निवासी...........................हूं।
2. मैं............ ....(सस्था का नाम) विद्यालय की प्रवन्ध समिति के सचिव/अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हू तथा प्रवन्ध समिति द्वारा शाला-संचालन हेतु संपूर्ण कार्यवाही करने के लिए मुझे अधिकृत किया हुआ है।
3. मै शपथपूर्वक बयान करता हूं कि परिशिष्ट-1 के आवेदन प्रपत्र सवधी प्रस्ताव में वर्णित सभी तथ्य सही हैं, सत्य है। हम विभाग द्वारा निर्धारित सभी शर्तो एवं मानदण्डों की पूर्ति करते है।
4. इस संस्था के विरुद्ध विभाग में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।
5. विभाग की सक्षम स्वीकृति लेने के वाद ही वे संस्था द्वारा विद्यमान स्तर से क्रमौनयन, या नये विपय/सकाय/वर्ग खोलने की कार्यवाही करेंगे।

उपर्युक्त शपथ-पत्र के विन्दु 1 से 5 में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी एव विश्वास के अनुसार पूर्णतया सत्य हैं। ईश्वर मेरी मदद करें।

शपथगृहीता

नोट : यह शपथ पत्र रुपये पॉच के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर होगा तथा नोटेरी पव्लिक से प्रमाणित कराना होगा।

(2)

प्रपत्र 'क'

(परिशिष्ट-2 में दिये गये मानदण्ड व शर्तो को भी देखें)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर

(सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी स्तर की मान्यता हेतु आवेदन-पत्र)

सेवामें,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
राजस्थान, अजमेर।

महोदय,

मैं..................................(स्कूल का नाम). . .. .सन्.... .... की सैकण्डरी स्कूल परीक्षा/सीनियर हायर सैकण्डरी परीक्षा से (कक्षा. .... .जुलाई सन्. ... . से) निम्न विषयों में मान्यता देने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करता हू -

1. अनिवार्य विषय-
   (अ) कला एव उद्योग ....
   (ब) तृतीय भाषा ....
2. वैकल्पिक विषय-
   प्रथम वर्ग (कला) ....
   द्वितीय वर्ग (विज्ञान) ....
   तृतीय वर्ग (वाणिज्य) ....
   चतुर्थ वर्ग (कृषि) ....
   पचम वर्ग (गृह विज्ञान) ....
   षष्ठम वर्ग (ललित कला) ....
3. शिक्षण का माध्यम-

अभिष्ट विवरण संलग्न है। भवदीय

दिनाक :

स्थान : प्रधानाध्यापक/मत्री/व्यवस्थापक

(निम्न प्रमाण-पत्र मान्यता हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने वाली सस्था के व्यवस्थापक अथवा प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षरों में होना चाहिए)

मैं प्रमाणित करता हू कि आवेदन-पत्र मे दिया गया विवरण ठीक हे और यह विश्वास दिलाता हू कि यदि विद्यालय को मान्यता दे दी गई तो मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के नियमों एवं अधिनियमों का पालन करूंगा।

दिनाक... ... . प्रधानाध्यापक/मत्री/व्यवस्थापक

टिप्पणी :- मान्यता के लिए अभिष्ट आवेदन शुल्क आये विना किसी आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

विद्यालय के प्रधान का वक्तव्य

1 नया विद्यालय खोलने का औचित्य (फीडर स्कूल की स्थिति वताते हुए)।

2 आठ किलोमीटर के घेरे में स्थित अन्य सैकण्डरी/सीनियर/हायर सैकण्डरी विद्यालयों के नाम व उनकी विद्यालय से दूरी :-

विद्यालय का नाम दूरी

3 आपके विद्यालय तक पहुचने का मार्ग :-

1 निकटतम रेलवे स्टेशन....... . ...

2. निकटतम वस स्टेण्ड.............................. .. ..

आपके विद्यालय से दूरी (अ) रेल्वे स्टेशन...............................कि.मी

(व) वस स्टेण्डत्र.............................कि.मी.

सामान्यत. पहुचने का साधन (रेलवे/मोटर/वैलगाड़ी/ऊटागाडी आदि जो भी साधन सुविधापूर्वक उपलब्ध हो उसका उल्लेख अवश्य कीजिये)। आपके विद्यालय तक पहुचने के लिए रेलवे स्टेशन या वस स्टेण्ड से कव गाडिया उपलब्ध होती हैं।

नोट - कौनसा मार्ग एव साधन सुगम है, स्पष्ट विवरण दीजिये :-

4. क्या प्रवध समिति 1860 के अधिनियम 21 के अन्तर्गत समिति (सोसायटी) के रूप में पजीयत (रजिस्टर्ड) है ?

(केवल प्राइवेट सस्थाओ के लिए)

प्रवन्ध समिति के सदस्यो के नाम	कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के नाम	व्यवस्थापक अथवा मत्री का नाम
1	1.	
2.	2.	
3.	3.	
4.	4	
5.	5.	
6	6.	
7.	7.	
8.	8.	
9.	9.	
10.	10.	

5. क्या विद्यालय आठवीं कक्षा तक विभाग से मान्यता प्राप्त है ?

6. **विद्यालय-भवन-**

(क) कक्षाओं तथा प्रयोगशालाओं आदि के लिए वर्तमान मे उपलब्ध स्थान
(इस सूचना मे विद्यालय भवन के प्रत्येक कमरे आदि की उपयोगिता वताते हुए एक मानचित्र मे सलग्न किया जा[illegible] चाहिए)।

(ख) क्या विद्यालय का भवन निर्जी है ? यदि नहीं तो किसका है और उसका क्या किराया देना पडता है ?

क्रमाक	प्रत्येक कमरे का नाप	वर्तमान में कमरे की उपयोगिता	10 वर्गफुट के हिसाव से कमरे मे वैठ सकने वाले छात्रो की सख्या	अन्य विवरण
(क) कक्षा कक्ष				
(ख) प्रयोगशालाए				
(ग) कार्यालय कक्ष				
(घ) भडार गृह आदि				

7. **वित्तीय स्थिति-**

(अनुदान व उपकरण आदि का प्रावधान)

(क) पुस्तकालय

पुस्तको की सख्या	अनुदान आवर्तक			अनुदान अनावर्तक		
	वर्तमान	वोर्ड नियमानुसार नई कक्षायें खुलने पर	कमी	वर्तमान	वोर्ड नियमानुसार नई कक्षायें खुलने पर	कमी

(ख) फर्नीचर

डेस्क, कुर्सिया एव स्टूल आदि की सख्या	अनुदान आवर्तक			अनुदान अनावर्तक		
	वर्तमान	वोर्ड नियमानुसार नई कक्षाये खोलने पर	कमी	वर्तमान	वोर्ड नियमानुसार नई कक्षायें खोलने पर	कमी

(ग) प्रयोगशाला

प्रयोगशाला की साज सज्जा आदि का व्योरा	अनुदान आवर्तक			अनुदान अनावर्तक		
	वर्तमान	वोर्ड नियमानुसार प्रत्येक विषय के लिये नई कक्षाये खोलने पर	कमी	वर्तमान	वोर्ड नियमानुसार प्रत्येक विषय के लिये नई कक्षायें खोलने पर	कमी

8. क्या संस्था बोर्ड नियमानुसार उपर्युक्त अनुदानों का प्रावधान कर देगी ?

9. खेल के मैदान व छात्रों के स्वास्थ्य की जाच सम्बन्धी विवरण :-

(i) खेल और खेल के मैदान-

(क) वर्तमान खेल के मैदानो की सख्या व नाप

(ख) प्रस्तावित कक्षाओं के खुलने पर भी क्या उपर्युक्त मैदान पर्याप्त होंगे ? खेल के लिए विद्यालय के पास 5 एकड़ भूमि होनी चाहिए।

(ग) यदि नहीं तो कितने मैदान की और आवश्यकता होगी और इसकी क्या व्यवस्था की जावेगी ?

(घ) खेल-कूद के लिए वर्तमान अनुदान-
आवर्ती .... अनावर्ती ....

(ङ) प्रस्तावित कक्षाओं के खुलने पर बोर्ड नियमानुसार अनुदान-
आवर्ती .. .. अनावर्ती . .. .

(च) क्या सस्था अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था कर देगी ?

(ii) क्या छात्रो की स्वास्थ्य परीक्षा के लिए सुविधाये उपलब्ध है, यदि नहीं तो इसके लिए क्या प्रबन्ध किया जायेगा?

10. विद्यालय की वर्तमान आर्थिक स्थिति (केवल प्राइवेट सस्था के लिए)
(गत वर्ष (सत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च तक) की आय-व्यय का ब्यौरा दिया जाय)

विवरण आय	विवरण व्यय
1. अवशेष 1 अप्रैल की (यदि हस्तगत हो)	1. अवशेष 1 अप्रैल को (यदि अधिविकर्षण हो)
2 (क) राजकीय अनुदान	2. वेतन कर्मचारीगण
(ख) नगरपालिका अथवा जिला परिपद अनुदान	(क) शिक्षक वर्ग
	(ख) लिपिक वर्ग
	(ग) अन्य वर्ग
3. स्थायी निधि से कुल आय	3. कार्यालय सम्भाव्य व्यय
4. स्वैच्छिक अशदान	4. भविष्य निधि के लिए अनुदान
(क) व्यैक्तिक	5. भत्ते (निर्दिष्ट वेतनों में सम्मिलित नहीं किये जायें)
(ख) समितियों से	6. किराया और कर
5. अन्य स्रोतो से आय (उल्लेख करें)	7. पुरस्कार
....	8. अध्यापकों के लिए लेखन सामग्री और पुस्तकें
....	9. क्षुद्र प्रति-सकरण
....	10. उपस्कर का प्रति-संस्करण अथवा प्रतिस्थापन
6 शुल्कें	11. विद्यालय उपकरण का समारक्षण
(क) शिक्षण	12. पुस्तकालय
(ख) प्रमाण-पत्र	13. लेखा परीक्षा प्रभार
(ग) दण्ड	14. स्थायी कोष के लिए अशदान

(घ) अन्य .... योग........................ | 15 अन्य प्रभार (उल्लेख करें) .... योग.. ....

7 (क) वर्तमान स्थायी कोप, यदि कोई हो।

(ख) यह किस प्रकार नियोजित होता है।

11. शुल्क दर और निर्धन छात्रो के लिए प्रावधान, यदि कोई हो। प्रस्तावित नवीन कक्षाओ में शुल्क दर (केवल प्राइवेट सस्थाओं के लिए)

12. वर्तमान कक्षा 6 से 8 तक विद्यार्थियो की विभागवार सख्या

		छात्र सख्या
कक्षा 6 विभाग	क	
	ख	
	ग	
	घ	
कक्षा 7 विभाग	क	
	ख	
	ग	
	घ	
कक्षा 8 विभाग	क	
	ख	
	ग	
	घ	
	योग	

13. कक्षा 12वीं खोलने के लिए मान्यता-प्राप्ति हेतु कक्षा 9 और 10 में छात्रों की विषयवार व विभागवार सख्या

	छात्रों की सख्या	विषय	ऐच्छिक विषयों में छात्रों की सख्या कक्षा 9	कक्षा 10
कक्षा 9 विभाग	क	....	. ...	....
	ख	....	... .	....
	ग	....	....	....
	घ	....	....	....
कक्षा 10 विभाग	क	....	....	....
	ख	....	....	....
	ग	....	....	....
	घ	....	....	....
	योग			

14. (अ) वर्तमान शिक्षकों की योग्यता एव श्रृंखला (स्नातक व स्नातकोत्तर परीक्षा के विषय भी लिखे जावे)

क्र. स.	शिक्षक का नाम पद सहित	योग्यता			वर्तमान वेतन श्रृखला	विशेष विवरण
		स्नातकोत्तर एव स्नातक उपाधि	परीक्षा के विषय	श्रेणी		

(ब) बोर्ड नियमानुसार अतिरिक्त शिक्षक व अन्य कर्मचारी आदि जिन्हें नियुक्त करना होगा।

क्र स.	विषय जिसके लिए आवश्यक है	पद (व्याख्याता, अध्यापक या सहायक अध्यापक)	बोर्ड नियमानुसार	वेतन श्रृखला
शिक्षक अन्य कर्मचारी				

15 क्या सस्था बोर्ड के नियमानुसार नियुक्तिया करने को तैयार है ?

16 विद्यालय में यदि कक्षा 10 चल रही है तो गत तीन वर्षो का सेकण्डरी स्कूल परीक्षा के परिणाम का प्रतिशत अकित करें -

	छात्र सख्या	कला वर्ग	वाणिज्य वर्ग	विज्ञान वर्ग
प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष				

17. निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर का अभिमत ·

(अभिमत प्रकट करते समय यह उल्लेख होना चाहिए कि उनके मत में किन विषयों में और किन प्रतिबधों के अ॰ ॥न मान्यता दी जाये)

दिनाक

निदेशक
प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

(3)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

अस्थायी मान्यता हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र

सैकण्डरी/सीनियर हायर सैकण्डरी स्तर के लिए मान्यता चाहने के सदर्भ मे निरीक्षण प्रतिवेदन

1. सस्था का नाम व स्थान (राजकीय/निजी)
2. निरीक्षण का दिनांक
3. निरीक्षकों के नाम व पते
   1. . ...
   2. . ...
   3. .. ..
4. सस्था का स्तर तथा सस्था में पहले से.पढ़ाये जाने वाले विषय
5. स्तर जिसके लिये मान्यता चाही गई है
6. वर्ग तथा विषय जिनमें मान्यता चाही गई है
   (विषय आवेदन-पत्र के अनुसार लिखें)
   अनिवार्य विषय
   तृतीय भाषा
   वैकल्पिक विषय
   (अ) कला वर्ग
   (ब) विज्ञान वर्ग
   (स) वाणिज्य वर्ग
   (द) कृषि वर्ग
   (य) गृह विज्ञान वर्ग
   (र) ललित कला वर्ग
7. (क) परीक्षा वर्ष जिसमे मान्यता चाही गई है।
   (ख) दिनाक जिससे कक्षा 9/11/12 प्रारम्भ की गई है।
8. क्या सस्था ने कभी इससे पूर्व मान्यता के लिये बोर्ड को आवेदन किया था ? यदि हा, तो वर्ष तथा स्तर का नाम लिखें।
9. सस्था के सस्थापन का सक्षिप्त तथ्यपूर्ण विवरण जिसमें संस्था की स्थापना, वर्तमान मे कक्षा स्तर जहा तक पढ़ाई होती है, अन्तिम कक्षा में पढने वाले छात्रों की गत वर्षो की सख्या।
10. शाला में विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम का सही तरीके से पढाने हेतु जोर दिया जाता है अथवा नहीं।

11. निम्न जानकारी को ध्यान में रखते हुए सस्था को वाछित स्तर तक बढ़ाने का औचित्य

(क) सस्था के स्थान से आठ किलोमीटर के दायरे में स्थित अन्य शालाओं के नाम और इन शालाओं की अन्तिम कक्षा से पास होकर इस सस्था की नई कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों की सभावित सख्या (वर्ग के अनुसार)

12. प्रबन्ध (प्राइवेट सस्थाओं के लिए)

(क) क्या सस्था के लिये कोई प्रबन्धक समिति है और क्या यह सोसायटीज एक्ट के अन्तर्गत पजीकृत है, पजिकी सख्या दी जाये।

(ख) विधान की प्रतिलिपि प्रबंधक समिति के सदस्यों के नाम (मत्री, अध्यक्ष सहित) सलग्न करें।

(ग) क्या सस्था के प्रधानाध्यापक प्रबंधक समिति के पदेन सदस्य हैं ?

(घ) अन्य अध्यापकों के नाम तथा पद जिनका सस्था की समिति में प्रतिनिधित्व है।

(ड) क्या सस्था जाति व धर्म का विचार किये बिना सबके लिये खुली हुई है ? सस्था में किसी विशेष धर्म का अध यापन तो अनिवार्य नहीं है ?

(च) क्या सस्था मे अध्यापकों के लिये भविष्य निधि योजना है ? यदि है तो क्या यह योजना राज्य सरकार के तत्सम्बन्धी नियमों के अनुसार है ?

(छ) क्या सस्था मे अध्यापकों के लिये भविष्य निधि योजना है ? यदि है तो क्या यह योजना राज्य सरकार के तत्सम्बन्ध ी नियमों के अनुसार है ?

(ज) क्या अध्यापकों को नियमित या निर्धारित वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाता है ?

13. वित्तीय स्थिति (केवल प्राइवेट सस्थाओं के लिये)

(क) संस्था के वर्तमान वित्तीय साधन।

(ख) प्रस्तावित विकास के सम्बन्ध में वित्तीय साधन।

(ग) आरक्षित कोष (रिजर्व फण्ड) जो अभी उपलब्ध है।

1. नकद
2. ऋण पत्र (सिक्योरिटीज)
3. अचल पंजीकृत सम्पत्ति

(घ) अतिरिक्त वित्तीय साधन जिनकी व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है।

(ड़) क्या आरक्षित कोष की राशि सस्था की प्रबंधक समिति के नाम से जमा है ?

(च) संस्था के हिसाब के परिचालन का अधिकार किसे प्राप्त है ?

(छ) संस्था में अध्यापकों की सहायतार्थ प्रावधान।

14. विद्यालय भवन

1. (अ) संस्था का भवन किराये का है अथवा निजी।
   (ब) यदि निजी है तो भवन का स्वामित्व किसका है।
   (स) भवन की अनुमानित लागत।
2. यदि किराये का है तो किसका है और क्या किराया दिया जा रहा है ?
3. भवन में उपलब्ध कमरों की संख्या एव उनका विवरण (यह ध्यान में रखते हुए कि कक्षा कक्ष, प्रधानाध्यपक कक्ष, प्रयोगशाला, भण्डार गृह, पुस्तकालय आदि के लिए अलग-अलग कक्ष उपलब्ध हैं) (मानचित्र सलग्न कीजिये)

क्रमांक	कक्षों की संख्या	प्रत्येक कक्ष का नाप	वर्तमान में कक्षों की उपयोगिता	12 वर्गफुट के हिसाब से कक्षा में बैठ सकने वाले छात्रों की सख्या	अन्य विवरण
(क)	कक्षा कक्ष				
(ख)	प्रयोगशालाएँ				
	(1)				
	(2)				
	(3)				
	(4)				
(ग)	प्रधानाध्यापक कक्ष				
(घ)	कार्यालय कक्ष				
(ड)	अध्यापक कक्ष				
(च)	पुस्तकालय एवं वाचनालय कक्ष				
(छ)	भण्डार गृह आदि				
(ज)	....				
(झ)	....				
( )	....				

4 विद्यालय एक पारी में चलता है या एक से अधिक पारी में ?

5. क्या वर्तमान स्थान कक्षाओं के लिए पर्याप्त है और प्रस्तावित अतिरिक्त कक्षाओ के लिए भी पर्याप्त है ?

6. संस्था में पीने के पानी का क्या प्रवन्ध है ?

7. क्या सस्था में विजली का प्रवन्ध है ?

8. क्या भवन में स्वच्छता की पर्याप्त व्यवस्था है ?

9. क्या विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए पर्याप्त संख्या मे मूत्रालयों एवं शौचालयों की व्यवस्था है ?

10 क्या सभा इत्यादि करने के लिए सस्था में 'सभा भवन' (वडा कमरा) है ?

11. क्या सस्था के पास कक्षा 6 से नीचे की कक्षाओं को दूसरे भवन में ले जाने की व्यवस्था हे ?

प्रयोगशालाएँ-

1. क्या प्रयोगशालायें पूर्ण रूप से सुसज्जित हैं यदि नहीं तो कमियो का उल्लेख कीजिये ?
2. अगर प्रयोगशालायें निर्धारित नाप की नहीं तो क्या सस्था मे ऐसे कमरे हैं जिनको कि प्रयोगशाला के काम चलाऊ व्यवस्था के लिए प्रयोग में लाये जा सकते है (विषयवार विवरण दीजिये)
3. क्या प्रयोगशाला में पाठ्यक्रम को देखते हुए न्यूनतम साधन सामग्री उपलब्ध है या नहीं ? जिन वस्तुओं की कमी है उनका उल्लेख कीजिये।

छात्रावास-

1. क्या सस्था से सम्बन्धित कोई छात्रावास है ? (छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियो की सख्या के अनुसार आवास व्यवस्था, सफाई, स्वास्थ्य सुविधाये उपलब्ध है या नहीं, उसका विस्तार विवरण दे)
2 छात्रावास राजकीय है या निजी ?
3. क्या छात्रावास मे सरक्षक (वार्डन) के लिए भी आवास का प्रावधान किया गया है ?
4 क्या सस्था ने अध्यापकों के आवास का प्रावधान कर रखा है अथवा ऐसा करने का प्रस्ताव है ?

टिप्पणी- विद्यालय भवन, प्रयोगशाला व छात्रावास के सम्बन्ध मे यदि कुछ विरवरण देना अभीप्ट हो तो यहा दे।

15. अनुदान व उपकरण आदि का प्रावधान-यदि अनार्वक अनुदान दो वर्प मे दिया जाता है उसका योग लिखे।

(क) पुस्तकालय

पुस्तको की संख्या	अनुदान आवर्तक		अनुदान अनावर्तक	
	वर्तमान	बोर्ड नियमानुसार नई कक्षायें खुलने पर	वर्तमान	बोर्ड नियमानुसार नई कक्षायें खलने पर

(ख) फर्नीचर

डेस्क, कुर्सियां एवं स्कूल आदि की संख्या	अनुदान आवर्तक		अनुदान अनावर्तक	
	वर्तमान	बोर्ड नियमानुसार	वर्तमान	बोर्ड नियमानुसार

टिप्पणी- यदि विद्यालय में छात्रो के लिए पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध न हो तो पूर्ति के लिए अनुमानित व्यय की अनुशसा कीजिये।

(ग) प्रयोगशाला

प्रयोगशाला की साज सज्जा आदि का ब्यौरा	अनुदान आवर्तक		अनुदान अनावर्तक	
	वर्तमान	बोर्ड नियमानुसार प्रत्येक विषय के लिए	वर्तमान	बोर्ड नियमानुसार प्रत्येक विषय के लिए

टिप्पणी- किन्हीं आवश्यक उपकरणों के अभाव में यदि प्रयोगिक कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा हो तो विवरण विपयवार दीजिये.-

1. भौतिक विज्ञान
2. रसायन विज्ञान
3. जीव विज्ञान
4. भूगोल/सगीत/गृह विज्ञान
5. ....

(घ) खेल व खेल के मैदान की संभाल

अनुदान आवर्तक		अनुदान अनावर्तक	
वर्तमान	बोर्ड नियमानुसार	वर्तमान	बोर्ड नियमानुसार

16. कर्मचारी (शिक्षिक, लिपिक तथा अन्य कर्मचारी वर्ग)

बोर्ड के नियमानुसार आवश्यकताएं (अतिरिक्त कक्षाओं को भी दृष्टिगत रखते हुए	वर्तमान में उपलब्ध	निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त शिक्षकों/कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार अभी कमिया हैं	पूर्ति के प्रयास
1	2	3	4

1. शिक्षिक वर्ग
2. लिपिक वर्ग
3. प्रस्तावित नवीन विषय शुरू होने पर विषयवार अतिरिक्त शिक्षको व अन्य कर्मचारियो की बोर्ड नियमानुसार विद्यालय के कालांश चक्र एव कार्य भार को देखते हुए आवश्यकता है, और जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है-
   (क) शिक्षक (ख) प्रशिक्षित व्यायाम शिक्षक (ग) प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष
   (घ) प्रयोगशाला सहायक (ड) प्रयोगशाला सेवक (च) कार्यालय लिपिक
   (छ) चपरासी, चौकीदार आदि
4. बोर्ड नियमानुसार यदि स्टाफ उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है ? (सक्षिप्त टिप्पणी सलग्न कीजिये)

17. **खेल के मैदान तथा चिकित्सा सहायता-**
   1. क्या सस्थान के पास खेल के मैदान पर्याप्त है ?
   2. क्या शाला में कम से कम दो कमरों में खेले जाने वाले खेलों (इण्डोर गेम) की व्यवस्था है ? यदि ऐसा प्रावधान नहीं हे तो इन सुविधाओं को प्राप्त कराने का क्या प्रस्ताव है ?
   3. क्या सस्था में खेल का सामान्य पर्याप्य मात्रा में उपलब्ध है ?
   4. क्या सस्था में विद्यार्थियों की स्वास्थ्य परीक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था है ? (इस बारे मे सक्षिप्त टिप्पणी दीजिये)

18. **पुस्तकालय-**
   1. प्रत्येक विषय में उपलब्ध पुस्तकों की सख्या के बारे मे सक्षिप्त टिप्पणी सलग्न कीजिये।
   2. सदर्भ ग्रन्थों तथा शिक्षण पद्धतियों की उपलब्ध पुस्तको के विषय मे टिप्पणी दे।
   3. इन पुस्तकों का छात्रो एवं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार उपयोग किया जाता है, इस पर सक्षिप्त टिप्पणी दें।
   4. वाचनालय में मगाये जाने वाले पत्र-पत्रिकाओं की सख्या (विषयवार) संलग्न कीजिये।
   5. क्या पुस्तकालय उचित रूप से सुसज्जित है ?

19. **अनुशसाओं का सार-**
   (उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित बिन्दुओ पर अपनी अनुशसा स्पष्ट रूप से लिखें)
   1. क्या आप अनुशंस करते हैं कि सस्था को अस्थायी मान्यता दे दी जावे।
   2. विषय/विषयो जिनमे अस्थायी मान्यता दे दी जावे।
   3. (क) प्रवन्ध व वित्तीय स्थिति (प्राइवेट सस्थाओ के लिये)

(ख) अध्यापको की सेवा सुरक्षा की व्यवस्था (प्राइवेट सस्थाओं के लिए)

(ग) भवन (कक्षा कक्ष आदि जो आप आवश्यक समझते हैं)

(घ) भवन (कक्षा कक्ष आदि जो आप आश्यक समझते हैं)

(ङ) कर्मचारी (शिक्षक, लिपिक तथा अन्य कर्मचारी जो अव आवश्यक होगे)

(च) खेल के मैदान तथा छात्रो की स्वास्थ्य परीक्षा की व्यवस्था

(छ) फर्नीचर

(ज) पुस्तकालय

(झ) प्रयोगशाला

(ञ) छात्रावास

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(विभागीय प्रतिनिधि)	(सह-निरीक्षक)	(संयोजक निरीक्षक)
सील	सील	सील

विद्यालय का नाम

शैक्षणिक कार्य सम्बन्धी टिप्पणी:-

(निरीक्षण विद्यालय का पूर्णतया दौरा कर व विद्यालय के शैक्षणिक अभिलेखों आदि को देखकर निम्न विन्दुओं पर टिप्पणी लिखने का कष्ट करें।)

(अ) विद्यालय में वोर्ड के आदेशानुसर जो आन्तरिक मूल्याकन योजना सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है उसका सक्षिप्त विवरण.-

अभिलेख

(1) मूल्याकन नियमित रूप से किया जाता है या नहीं।

(2) क्या हर छात्र को दोनो प्रकार की प्रवृत्तियो में भाग लेने का अवसर दिया जाता है ?

(3) विद्यार्थियों प्रगति-पत्र भरकर संरक्षकों को भेजे जाते हैं या नहीं।

(4) क्या गत वर्ष के आन्तरिक मूल्याकन योजना के प्रमाण-पत्र विद्यार्थियों को दे दिये गये हैं ?

(5) क्या गत वर्ष के विद्यार्थियों के सचित अभिलेख फार्म में प्रविष्टियां की गई या नहीं ?

(6) प्रवृत्तिवार येाजना वनाई जाती है तथ कार्यान्वित की है या नहीं।

(7) आन्तरिक मूल्याकन योजना सम्बन्धी सुझाव।

(व) कक्षाओं में चल रहे पढ़ाई कार्य का स्तर-

(1) उद्देश्य आधारति इकाई एवं पाठ योजना वनाई जाती है या नहीं।

(2) शिक्षक कार्य का स्तर (जिन अध्यापकों के कार्य का निरीक्षण किया गया है उनके अध्यापन स्तर पर अलग-अलग टिप्पणिया दे दी जायें)

(3) लिखित कार्य का स्तर सख्यात्मक एव गुणात्मक (टिप्पणी सलग्न करें)।

(स) स्कूल अपनी अर्द्धवार्षिक एव वार्षिक परीक्षाओं में वोर्ड के पैटर्न पर प्रश्न-पत्र देते हैं या नहीं (टिप्पणी सलग्न करें)

(द) (1) प्रत्येक अध्यापक के शिक्षक कार्य, पाठ्येत्तर प्रवृत्तियों, व्यवसायिक प्रगति समाज सेवा आदि कार्यो का पारिवीक्षण प्रधानाध्यापक द्वारा कितनी वार किया जाता है ?

(2) क्या परिवीक्षण कार्य की योजना वनाई गई है ?

(3) क्या परिवीक्षण का अभिलेख रखा जाता है ?

(ड) विज्ञान के उन शिक्षकों के नाम जिन्होंने वोर्ड द्वारा आयोजित अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के वाद छात्रों ने अध्यापन में क्या सुधार किये हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अध्यापको की विषय अध्यापन करने में कठिनाईयां तथा सुझाव।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(विभागीय प्रतिनिधि)	(सह-निरीक्षक)	(संयोजक निरीक्षक)
सील	सील	सील

विद्यमान वेतनमान 1989 व नवीन वेतनमान 1998

विद्यमान वेतनमान 1989		विद्यमान वेतनमान 1998	
स्केल नं.	वेतनमान	स्केल नं.	वेतनमान
1	750-12-798-13-850-15-940	1	2550-55-2660-60-32002
2	775-13-840-15-1005-20-1025	2	2610-60-3150-65-3540
3	800-15-950-20-1250	3.	2650-65-3300-70-4000
4	825-15-900-20-1200-25-1350	4.	2750-70-3800-75-4400
5.	910-20-1150-25-1400-30-1520	5	2950-75-4075-80-4475
6	950-20-1150-25-1400-30-1640-40-1680	6.	3050-75-3950-80-4590
7	975-25-1100-30-1640-40-1720	7	3200-85-4900
8	1025-25-1100-30-1640-40-1680	8.	3400-90-5200
9	1200-30-1560-40-2000-50-2050	9.	4000-100-6000
		9 A	4500-125-7000
		10.	5000-150-8000
12	1400-40-1600-50-2300-60-2600	11	5500-175-9000
13.	1640-60-2600-75-2900	12.	6500-200-10500
14.	2000-60-2300-75-3200	12.	6500-200-10500
15.	2000-60-2300-75-3200-100-3500	12 A	7500-250-12000
16	2200-75-2800-100-4000	13	8000-275-13500
17	2500-75-2800-100-4000-125-4250	14.	9000-300-14400
18.	2650-75-2800-100-4000-125-4500	14.	9000-300-14400
19	3000-100-3500-125-4500	15.	10000-325-15200
21	3000-100-3500-125-5000	16.	10650-325-15850
20	3200-100-3500-125-4625	16.	10650-325-15850
22	3450-125-4700-150-5000	17	11300-350-16200
23.	3700-125-4700-150-5000	18	12000-375-16500
24.	4100-150-5300	19.	13500-400-17500
25	4500-150-5700	20.	14300-400-18300
26.	5100-150-5700-200-6300	21.	16400-450-20000
27.	5900-200-6700	22.	18400-500-22400

वेतनमान 1987 एवं 1989 पर देय महंगाई भत्ते की दरें (1.7.86 से प्रभावी)

प्रभावी दि.	7-86	1-87	7-87	1-88	7-88	1-89	7-89	1-90	7-90	1-91	7-91	1-92	7-92	1-93	7-93	1-94	7-94	1-95	7-95	1-96	7-96	1-97
वेतन/आदेश दिनाक	2 2 1987	23 4 1987	1.1 1988	4 6 1988	26 10 1988	17.5 1989	9 10 1989	21 3 1990	20 9 1990	23 3 1991	26 10 1991	7 5 1992	8 10 1992	15.5 1993	5.10 1993	5 4 1994	6 10 1994	3 5 1995	10 10 1995	3 5 1996	24 9 1996	1 5 1997
3500 तक	4%	8%	13%	18%	23%	29%	34%	38%	43%	51%	60%	71%	83%	92%	97%	104%	114%	125%	136%	148%	159%	170%
3501 से 6000 तक	3%	6%	9%	13%	17%	22%	25%	28%	32%	38%	45%	53%	62%	69%	73%	78%	85%	94%	102%	111%	119%	128%
न्यूनतम	140/-	280/-	453/-	630/-	805/-	1015/-	1190/-	1330/-	1505/-	1785/-	2100/-	2485/-	2905/-	3220/-	3395/-	3640/-	3990/-	4375/	-4760/-	5180/-	5565/-	5950/-
6001 से 6700 तक	3%	5%	8%	11%	15%	19%	22%	25%	28%	33%	39%	46%	54%	59%	63%	67%	74%	81%	88%	96%	103%	110%
न्यूनतम	180/-	360/-	540/-	780/-	1020/-	1320/-	1500/-	1680/-	1920/-	2280/-	2700/-	3180/-	3720/-	4140/-	4380/-	4680/-	5100/-	5640/-	6120/-	6660/-	7140/-	7680/-
जीपीएफ में जमा की अवधि	7-86 से 12-86	1-87 से 3-87	7-87 से 12-87	1-88 से 5-88	7-88 से 10-88	1-89 से 4-89	7-89 से 9-89	1-90 से 2-90	7-90 से 8-90	1-91 से 2-91	7-91 से 9-91	1-92 से 4-92	7-92 से 9-92	1-93 से 4-93	7-93 से 8 93	1-94 से 4 94	7-94 से 9-94	1-95 से 4-95	7-95 से 9-95	1-96 से 4-96	7-96 से 9-96	1-97 से 4-97

पुनरीक्षित वेतनमान 1998 पर देय महंगाई भत्ते की दरें (1.1.97 से प्रभावी)

वेतन माह	1 97	7-97	1 98	7 98	1 99	7 99	1 2000	7 2000	1 2001	7 2001	1 2002	7 2002
आदेश दिना.	17 2 98	17 2 98	12 5 98	3 10 98	14 5 99	4 7 2000	4 7 2000	26 4 2001	5 11 2001	30 8 2002	4-2-03	4-2003
दर	8%	13%	16%	22%	32%	37%	38%	41%	43%	45%	49%	52%
जीपीएफ में जमा की अवधि	पूर्व डी ए में समायोजन	7 97 से 12 97	1 98 से 4 98	7 98 से 8 98	1 99 से 4 99	7 99 से 3 2000 (1 से 6 वेतनमान में) शेष 30 6 2000 (*लगातार देखे पृष्ठ 276*)	1 200 से 6 2000	7 2000 से 3 2001	1 2001 से 10 2001	7 2001 से 8 2002 तक	1 1 2002 से 31 1 2003 तक	1 2 2002 30 6 2003

अन्तरिम राहत की दरें

अन्तरिम राहत की किश्त	प्रभावी दिनाक	आदेश दिनाक	दर	जीपीएफ में जमा
प्रथम	16 9 93	17 3 94	100 रु प्रतिमाह	16 9 93 से 28 2 94 तक
द्वितीय	1 4 95	17 8 95	मूल वेतन का 10% तथा न्यूनतम 100 रु प्रतिमाह	1 4 95 से 31 8 95 तक
तृतीय	1 4 96	24 9 96	मूल वेतन का 10% तथा न्यूनतम 100 रु प्रतिमाह	1 4 96 से 30 9 96 तक

नोट- तृतीय अन्तरिम राहत की किश्त 1.1 97 से वापस ली गई। (आदेश दिनाक 17 2.98)

मकान किराये भत्ते की दरें-1987 के वेतनमान में किराये भत्ते की दरें

मूल वेतन	जयपुर		उदयपुर-कोटा-जोधपुर-अजमेर		जिला मुख्या. व अन्य स्थान	
प्रभावी दिनाक	1-9-86	1-6-87	1 9.86	1.6.87	1 9.86	1.6.87
800 से कम	40	100	30	60	25	50
810 से 1139	55	120	45	75	35	60
1140-1429	70	140	55	90	45	70
1430-1579	80	165	65	105	55	85
1580-1839	100	190	80	120	65	95
1840-2199	120	220	95	140	80	110
2200-2599	140	240	110	155	105	135
2600-2824	160	260	130	175	125	155
2825-3049	185	285	150	200	140	170
3050-3649	220	335	175	240	170	200
3650-4399	260	385	205	280	195	240
4400 व ऊपर	300	425	240	325	225	280
आदेश दिनाक	2.2 87	19.10.87	2.2.87	19.10.87	2.2.87	10.10.87

मकान किराया भत्ते की संशोधित दरें दिनांक 1/1/1998 से

श्रेणी	नगर का नाम	संशोधन दरे (मूल वेतन का %)
वी 1	जयपुर (10 लाख से अधिक जनसख्या)	15%
वी 2	अजमेर, वीकानेर जोधुपर व कोटा (5 लाख से अधिक जनसख्या)	15%
सी.	अलवर, भरतपुर, वासवाड़ा, ब्यावर, बूंदी, वाडमेर, भीलवाड़ा, वारा, चुरू, चित्तौड़गढ, धौलपुर, फतेहपुर, गगानगर, हनुमानगढ़, हिण्डोन, झुझनू, किशनगढ़, मकराना, माउन्ट आवू, नागौर, नवलगढ़, पाली, रतनगढ, सवाईमाधोपुर, सीकर, सरदारशहर, सुजानगढ, टोक उदयपुर (50 हजार से अधिक जनसख्या)	7.5%
अवर्गीकृत	झालावाड़, करौली, दौसा, डूगरपुर, सिरोही, राजसमद, जैसलमेर, सहित अन्य सभी नगर, कस्बें व ग्राम (50 हजार से कम जनसख्या) (आदेश दिनाक 18/03/1998)	5%

नोट- 01/01/1998 से स्थायी वर्कचार्ज कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भाति मकान किराया भत्ता मिलेगा।)

क्षतिपूर्ति (नगर) भत्ता - पुरानी दरें

जयपुर-आगरा-बनारस-इलाहबाद

वेतन खण्ड	1.8.81 %	1 9.81 %	1 9.86 %	1.6 87 %	1.5 92 %
460 से कम	3.5	2.75	1 75	25	30
460 से 609 तक	3**	2.75	1 75	25	30
610 से 949 तक	3**	2.50*	1.75	25	30
950 से 960 तक	3**	2.50*	1 75	35	45
961 से 1499 तक	3**	2.50*	1 50***	35	45
1500 से 1999तक	3**	2.50*	1.50***	50	75
2000 व ऊपर	3**	2.50*	1 50***	75	100

*न्यूनतम 16.75 अधिकतम 50/- **न्यूनतम 16.10 अधिकतम 50/- ***न्यूनतम 16 80 अधिकतम 50/-

अजमेर-जोधुपर-वीकानेर

1 6 83	1299 से 10/- 1300 व ऊपर वेतन जो	1309 से कम पडे
1.9.86	2150 से 10/- 2150 से ऊपर वेतन जो	2159 से कम पडे
1.6.87	सभी श्रेणी 20/-	

01/01/98 से लागू शहर क्षति पूर्ति भत्ते की दरें

वेतन खण्ड	जयपुर-आगरा-बनारस-इलाहबाद	अजमेर-वीकानेर-जोधपुर-कोटा
3000 से कम	65/-	25/-
3000 से अधिक लेकिन 4500 से कम	95/-	35/-
4500 से अधिक लेकिन 6000 से कम	150/-	65/-
6000 एव अधिक (आ दि.18/03/1998)	240/-	120/-

U.G.C. Payscale w.e.f. 01/01/1996

S.No.	Name of the Post	Existing Pay Scale	Revised Pay Sale (U.G.C.)
1	Principal of Post Graduate College	4500-150-5700-200-7300	16400-450-20900-500-22400 (Minimum to be fixed at 17300)
2	Principal of Degree College Vice Principal of Post Graduate College/Degree College	3700-12-4950-150-5700	12000-420-18300 (Minimum to be fixed at 12840)
3	Lecturer (OrdinaryScale)	2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500
4	Lecturer (Senior Scale)	3000-100-3500-125-5000	10000-325-15200
5	Lecturer (Selection Scale)	3700-125-4950-150-5700	12000-420-18300
6	Librarin (Ordinary Scale)	2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500
7.	Librarin (Senior Scale)	3000-100-3500-125-5000	10000-325-15200
8.	Librarin (Selection Scale)	3700-125-4950-150-5700	12000-420-18300
9	Physical Training Instructor (Ordinary Scale)	2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500
10	Physical Training Instructor (Senior Scale)	3000-100-3500-125-5000	10000-325-15200
11.	Physical Training Instructor (Selection Scale)	3700-125-4950-150-5700	12000-420-18300

Notification No. F 13(2) F.D. (Rules) 98 (U G.C /1999) Dated 07/05/1999

यू.जी.सी. वेतन मान में वेतन स्थीकरण हेतु
वेतन निर्धारण योग्य विन्दु

		Amount
❖ Stages in existing Pay Scale	-	
❖ D.A. as on 1.1.96 on Basic Pay	-	
❖ I R. I	-	
❖ I R II @ 10% on basic pay with a minimum of Rs. 100/-	-	
❖ Fixation benifit @ 40% of Basic Pay as in Coloumn 1	-	
Total of the amount	=	

नोट : उक्त योग के आधार पर यू.जी.सी. नवीन वेतनमान की सम्बन्धीत टेबल में योग से आगे वाली वेतन पर वेतन निर्धारित होगा। मूल प्रसारित वेतन सारणी को देख कर वेतन लिखे।

कॉलेज शिक्षकों को मकान किराया, शहरी भत्ता तथा बीमा एवं जी.पी.एफ. कटौती में संशोधन

Order No. F. 13 (2) FD(Rules)98 (UGC 3/99) Dated May 7, 1999

Consequent upon revision of pay scales of Government College teachers including Librarians and PTIs with effect from 1 1.1996, the Governor is pleased to order that the rates of compensatory allowances admissible pas per rules to the Government college teachers from 1.1.1996 and the rates of deduction on account of subscription to General Provident Fund Premium of State Insurrance Government accomodation allotted to them etc. shall be as under :

1. Dearness Allowance

(i) for the period upto 30.6.1996 no dearness allowance would be admissible.

(ii) from 1.7.1996 to 31 12 1996 @ 4% of basic pay from 1.1.1997 onwards at the rates indicated in Finance Department order No. F. 7(1)FD(Rules)98 dated 17.2.1998 as revised from time to time (Lekhavigya Feb., 98 page 176)

2. House Rent Allowance

From 1 1.1998 at the rates indicated at Finance Department order No F. 12(2)FD(Rules)98 dated 8 3.1998. For the period from 1.1.1996 to 31.12 1997 the amount already drawn with the existing pay scale shall remain unchanged. (Lekhavigya March, 98 page 191).

नोट - (शेष पृष्ठ 273 का) वेतनमान 1998 (01/01/97) से प्रभावित के साथ पढ़े

पुनरीक्षित वेतनमान 1998 पर देय महंगाई भत्ते की दरें (1.1.97 से प्रभावी)		
वेतन माह	01/2003	07/2003
आदेश दिनाक	06/10/2003	06/10/2003
दर	55%	59%
जीपीएफ में जमा की अवधि	01/10/2003 से 30/09/2003 तक	01/07/2003 से 28/02/2004 तक

राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958

विषय सूची

राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958
(1958 का अधिनियम सं. 28)
राज्यपाल की अनुमति तारीख 23 जून, 1958 को प्राप्त हुई।

राजस्थान राज्य मे साहित्यिक, वैज्ञानिक, पूर्त तथा कतिपय अन्य सोसाइटियों के रजिर्स्ट्रीकरण के लिए उपलब्ध करने के लिए अधिनियम।

अत यह समीचीन है कि साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की पदोन्नति के लिए या उपयोगी जानकारी के प्रसार के लिए या राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिए अथवा पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियों की विधिक परीस्थित सुधारने के लिए विधि को समेकित तथा संशोधित किया जाये।

भात गणराज्य के नवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल यह अधिनियम वनाता है-

1. **सक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ** - 1. इस अधिनियम का सक्षिप्त नाम राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 है।

2 इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य है।

3 यह उस तारीख से प्रवृत्त जो राज्य सरकार राज्य-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

I- के निर्वचन - (i) जव तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में-

(i) 'रजिस्ट्रार' से राज्य की सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अभिप्रेरत है :- परन्तु राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या अधिकारी को, नाम द्वारा या उसके पद के आधार पर, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी, और ऐसी दशा में इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति या अधिकारी ऐसे प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार होगा।

(ii) 'राज्य' या राजस्थान राज्य से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 37) की धारा 10 द्वारा यथा निर्मित राजस्थान राज्य अभिप्रेत है।

2 राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 8) के उपवन्ध यथाशक्य यथावश्क परिवर्तनों सहित इस अधिनियम पर लागू होगे।

1-ख. **संगम के ज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण द्वारा सोसाइटियों का बनाया जाना**- किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या पूर्त प्रयोजन के लिए या किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो धारा 20 में वर्णित है, सहयुक्त कोई सात या अधिक व्यक्ति एक सगम के ज्ञापन में अपने नाम हस्ताक्षरित करके और उसे रजिस्ट्रार के पास दाखिल करके इस अधिनियम के अधीन अपने आपको सोसाइटी के रूप में गठित कर सकेंगे।

2. **सगम के ज्ञापन की अन्तर्वस्तु** .- (1) सगम के ज्ञापन में निम्नलिखित वाते होंगी, अर्थात्-

(क) सोसाइटी का नाम,

(ख) सोसाइटी के उद्देश्य,

(ग) परिपद्, समिति या अन्य शासी निकाय के, जिनको कि सोसायटी के नियमों और विनियमों द्वारा उसके काम-काज का प्रवन्ध सौंपा गया है, व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों, सदस्यों (जिस किसी भी नाम द्वारा उन्हें पदाविहित किया जावे) के नाम, पते और उपजीविकाए।

(2) सोसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति जो शासी निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों में से तीन से अन्यून द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित हो, सगम के ज्ञापन के साथ दाखिल की जायेगी।

3 **रजिस्ट्रीकरण और फीस** :- (1) ऐसे ज्ञापन ओर प्रमाणित प्रति के दाखिल किये जाने पर रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा कि उस सोसाइटी की इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री की जाती है।

(2) ऐसे प्रत्येक पजीकरण हेतु पजीयक को इतना शुल्क, जितना कि राज्य सरकार समय-समय पर निर्देशित करेगी, भुगतान किया जायेगा तथा इस प्रकार भुगतान किये गये समस्त शुल्कों को राज्य सरकार के लेखाओं में सम्मिलित किया जायेगा।

> अधिसूचना क्रमांक प. 5(5) कृषि-4/सह/91 दिनाक 29/01/1998 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क-250/- रुपये के स्थान पर 2500/- रुपये निर्धारित करती है।

वार्षिक सूची का फाइल किया जाना- हर वर्ष में एक बार, उस दिन के, जिसको कि सोसाइटी के नियमों तथा विनियमों के अनुसार सोसाइटी का वार्षिक साधारण अधिवेशन किया जाता है, उत्तरवर्ती चोदहवें दिन को या उससे पूर्व या यदि नियमों तथा विनियमों में वार्षिक साधारण अधिवेशन के लिए उपलब्ध नही हे तो जनवरी के मास में रजिस्ट्रार के पास एक सूची दाखिल की जायेगी जिसमें परीषद् समिति या अन्य शासी निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों के, जिनको सोसाइटी के काम-काज का प्रबन्ध तत्समय सौंपा हुआ हो, नाम, पते और उपजीविकाए होंगी।

4-क. शासी निकाय और नियमों में हुए परिवर्तनों का फाइल किया जाना- (1) धारा 4 में वर्णित सूची के साथ, रजिस्ट्रार को एक विवरण, जिसमें उस परिषद् समिति या अन्य शासी निकाय, जिसे सोसाइटी के काम-काज का प्रबन्ध सौंपा हुआ हो, के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों में उस वर्ष जिससे सूची सम्बन्धित है, के दोरान किये गये समस्त परिवर्तन दर्शित किये जायें, तथा सोसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति भी जो अद्यतन शुद्ध कृत हो और शासी निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों में से तीन से अन्यून द्वारा सही प्रति के रूप मे प्रमाणित हो, भेजी जायेगी।

(2) सोसाइटी के नियमों और विनियमों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन की एक प्रति, जो पूर्वोक्त रीति से सही प्रति के रूप में प्रमाणित हो, ऐसे प्रमाणित करने के पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जायेगी।

4-ख. धारा 4 या 4-क के अनुपालन अथवा मिथ्या प्रविष्टि के लिए शास्ति- (1) यदि अध्यक्ष, सचिव या सोसाइटी के नियमो और विनियमों द्वारा अथवा सोसाइटी की शासी निकाय के किसी सकल्प द्वारा इस निमित्त प्रधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, धारा 4 या धारा 4-क के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह, दोष सिद्धि पर जुर्माने से पाच सौ रुपये तक का हो सकेगा और ऐसे अपराध के लिए प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् भग के चालू रहने की दशा में प्रत्येक दिन जिसके दोरान व्यतिक्रम चालू रहता है, के लिए पचास रुपये से अनधिक अतिरिक्त जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के अधीन फाइल की गई सूची में या धारा 4 क के अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गये किसी विवरण में या नियमों और विनियमों की या उनमें किये गये परिवर्तनो की प्रति मे जानबूझ कर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता है या कराता है तो वह दोष सिद्धि पर, जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

4-ग. धारा 4-ख के अधीन अपराधों का संज्ञान- प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय धारा-4-ख के अधीन किसी अपराध पर विचारण नहीं करेगा और न ऐसी किसी अपराध का सज्ञान, रजिस्ट्रार अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में किये गये परिवाद के विना किया जायेगा।

5. सोसाइटी की सम्पत्ति किसमें निहित होगी:- (1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की या उसके द्वारा धारित या अर्जित स्थावर और जगम सम्पत्ति, यदि सोसाइटी के लिए न्याम के तौर पर न्यासियो में निहित नहीं है तो ऐसी सोसाइटी के शासी निकाय में तत्समय इस प्रकार निहित समझी जायेगी और सभी सिविल आपराधिक कार्यवाहियों में ऐसी सोसाइटी के शासी निकाय की सम्पत्ति के रूप में वर्णित की जा सकेगी।

(2) जहा कोई ऐसी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के लिए न्यास के तौर पर न्यासियों में निहित होने वाली है और कोई नये न्यासी धारा-5 क के अधीन ओर अनुसार नियुक्त किये गये हैं तो किसी लिखित में अथवा सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी उक्त सम्पत्ति विना किसी हस्तान्तरण या अन्य आश्वासन के वाद ऐसे नये न्यासियों तथा बने रहे पुराने न्यासियों में सुयुक्त रूप में निहित हो जायेगी, या यदि कोई बने रहे पुराने न्यासी हैं तो उसी

न्यास पर ऐसे नये न्यासियो में, उन्हीं शक्तियों और उपबन्धों सहित तथा उनके अध्यधीन पूर्णत उसी प्रकार निहित हो जायेगी जिस प्रकार कि वह पुराने न्यासियों में निहित थी।

5 (क) **नये न्यासियों की नियुक्ति** - 1. जब किसी ऐसे न्यासी या न्यासियों जिनमे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की या उसके द्वारा धारित या अर्जित सम्पत्ति ऐसी सोसाइटी के लिए न्यास के तौर पर निहित है, के स्थान मे या उनके अतिरिक्त नया न्यासी या न्यासियों को नियुक्त करना आवश्यक हो जाय तो ऐसा या ऐसे नये न्यासी-

(क) ऐसे किसी लिखित जिसके द्वारा ऐसी सम्पत्ति इस प्रकार निहित है या जिसके द्वारा वह न्यास जिस पर वह सम्पत्ति धारित है, घोषित किया गया है, द्वारा विहित रीति से, या

(ख) उस दशा मे जबकि उक्त रीति इस प्रकार विहित नहीं की गई है या किसी कारणवश ऐसा नया न्यासी उक्त रीति से नियुक्त नहीं किया जा सकता है,

(i) ऐसी रीति से जैसा कि ऐसी सोसाइटी के सदस्यों द्वारा करार पाई जाय, या

(ii) उस सभा मे, जिसमें कि नियुक्ति की जाय, वस्तुत उपस्थित ऐसे सदस्यो में से दो-तिहाई से अन्यून सदस्यो के बहुमत से नियुक्त किये जा सकेगे।

(2) किसी नये न्यासी की उप-धारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति, उस सभा के, जिसमें ऐसी नियुक्ति की जाय, तात्कालिक अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तथा ऐसी सभा की उपस्थिति में दो या अधिक विश्वसनीय साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित ज्ञापन के द्वारा की जायेगी, और ऐसी ज्ञापन भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) के अधीन अनिवार्य रूप से रजिस्ट्री किये जाने योग्य दस्तावेज समझा जावेगा।

6. **सोसाइटियों द्वारा तथा उनके खिलाफ वाद** :- इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हर एक सोसाइटी ऐसे नाम में, जैसा कि सोसाइटी के नियमों और विनियमो द्वारा अवधारित किया जाय और ऐसे अवधारण के अभाव में, उसके अध्यक्ष या सचिव अथवा न्यासियों मे *वाद ला सकेगी अथवा उस पर वाद लाया जा सकेगा।*

7. **वादों का उपशमन न होगा**- किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद या कार्यवाही का इस कारण उपशमन नहीं होगा या वह वद नहीं होगा कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके खिलाफ, ऐसा वाद या कार्यवाही लाया गया या जारी रखी गई थी, मर गया है या उस हैसियत में कायम नहीं रह गया है, जिसके नाम से वह वाद लाया था या उस पर वाद लाया गया था, किन्तु वहीं वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारी के नाम मे या उसके खिलाफ जारी रखी जा सकेगी।

8 **सोसाइटी के खिलाफ निर्णय का प्रवर्तन**- (1) यदि सोसाइटी की ओर से किसी व्यक्ति या अधिकारी के खिलाफ कोई निर्णय प्राप्त किय जाता है तो ऐसा निर्णय ऐसे व्यक्ति या अधिकारी की स्थावर या जगम सम्पत्ति के खिलाफ या वैयक्तिक रूप से उसके खिलाफ प्रवृत नहीं किया जायेगा किन्तु सोसाइटी की सम्पत्ति के खिलाफ प्रवृत्त किया जायेगा।

(2) निष्पादन के लिए आवेदन मे, निर्णय और उस पक्षकार के, जिसके विरुद्ध उसे प्राप्त किया गया हो, केवल सोसाइटी की ओर से यथास्थिति वाद लाने या उसके विरुद्ध वाद लाये जाने की बात उपवर्णित होगी और यह अपेक्षा की जायेगी कि निर्णय को सोसाइटी की सम्पत्ति के खिलाफ प्रवर्तित कराया जाय।

9. **उप-विधि के अधीन प्रोद्भूत होने वाली शस्ति की वसूली**- जब कभी किसी उप-विधि द्वारा, जो सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार सम्यक्तः बनाई गई हो या यदि नियम या विनियम उप-विधिया बनाने के लिए उपबंध नहीं करते हैं तो किसी ऐसे उप-विधि द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए बुलाये गये सोसाइटी के सदस्यों के साधारण अधिवेशन में वस्तुत. उपस्थित सोसाइटी के सदस्यो के तीन बटा पाच से अन्यून बहुमत द्वारा बनाई गई हो, सोसाइटी के किसी नियम, विनियम या उप-नियम के भग के लिए कोई धन-सबधी शास्ति अधिरोपित की जाती है तो ऐसी शास्ति जब प्रोद्भूत हो जाये, किसी ऐसे न्यायालय में वसुल की जा सकेगी जिसकी अधिकारिता उस स्थान मे हो जहा प्रतिवादी निवास करता है या वहा हो जहा सोसाइटी स्थित है, जैसा भी सोसाइटी का शासी निकाय समीचीन समझे।

10. **सदस्यों का अपने खिलाफ अन्य पक्षकारों के रूप में वाद लाये जाने के दायित्वधीन होना**- (1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के ऐसे सदस्य के खिलाफ, जिसकी तरफ कोई चन्दा बकाया हो, जिसे वह सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार सदत्त करने के लिए आबद्ध है, या जो सोसाइटी की किसी सम्पत्ति एवं स्वय कब्जा या उसका निरोध इस रीति से या

इतने समय तक कर लेता है जो ऐसे नियमों और विनियमों के प्रतिकूल है, या जो सोसाइटी की किसी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता है या नष्ट करता है, ऐसे बकाया के लिए या सम्पत्ति के ऐसे कब्जे, निरोध क्षति या नाश से प्रोद्भूत होने वाले नुकसान के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से, वाद लाया जा सकेगा।

(2) यदि प्रतिवादी, सोसाइटी की प्रेरणा पर उप-धारा (1) के अधीन लाये गये किसी वाद या कार्यवाही में सफल होता है और उसके पक्ष में उसके खर्चों की वसूली का अधिनिर्णय दिया जाता है तो वह उस अधिकारी से जिसके नाम से वाद या अन्य कार्यवाही की गई थी अथवा सोसाइटी से, उन्हें वसूल करने का निर्वचन कर सकेगा और पश्चात्वर्ती दशा मे वह ऊपर वर्णित रीति से उक्त सोसाइटी की सम्पत्ति के खिलाफ आदेशिका प्राप्त कर सकेगा।

11. अपराधों के दोषी सदस्यों का अन्य पक्षकारों के रूप में दण्डनीय होना- इस अधिनियम के अधीन, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का कोई सदस्य जो उस सोसाइटी के किसी धन या अन्य सम्पत्ति को चुरायेगा, हड़पेगा या उसका गबन करेगा अथवा किसी सम्पत्ति को जानबूझकर और विद्वेषता से नष्ट करेगा या क्षति पहुंचाएगा अथवा किसी विलेख, बंधपत्र, धन की प्रतिभूति, रसीद या अन्य लिखित को कूटरचित करेगा जिससे सोसाइटी की निधियां हानि की जोखिम में पड़ जायें वैसे ही अभियोजनीय होगा, और यदि सिद्ध दोष हुआ तो वैसी ही रीति से दण्डनीय होगा जैसे ऐसा कोई व्यक्ति जो सोसाइटी का ऐसा सदस्य न हो वैसे ही अपराध की बावत अभियोजन और दण्डनीय होगा।

12. सोसाइटियों के प्रयोजनों को परिवर्तित, विस्तारित या न्यून करने अथवा समामेलित करने के लिए समर्थ बनाना- (1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के जो किसी विशिष्ट प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए स्थापित की गई है शासी निकाय को प्रतीत हो कि ऐसे प्रयोजन या प्रयोजनों को इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत किसी अन्य प्रयोजन या प्रयोजनों में या उनके लिए परिवर्तित, विस्तारित या न्यून करना या ऐसी सोसाइटी को पूर्णतः या अंशतः किसी अन्य सोसाइटी के साथ समामेलित करना उपयुक्त होगा तब ऐसी शासी निकाय उस प्रस्थापना को लिखित या मुद्रित रिपोर्ट के रूप में सोसाइटी के सदस्यों को निवेदित कर सकेगा तथा सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार उस पर विचार के लिए विशेष साधारण अधिवेशन बुला सकेगा।

(2) ऐसी कोई प्रस्थापना तब तक कार्यन्वित नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसी रिपोर्ट उस पर विचार करने के लिए शासी निकाय द्वारा बुलाये गये साधारण विशेष अधिवेशन से दस दिन पूर्व सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को परिदत्त नहीं कर दी जाती या डाक द्वारा नहीं भेद दी जाती और जब तक ऐसी प्रस्थापना के प्रति सहमति, सदस्यों के दो बटा तीन के मतों द्वारा जो स्वयं या परोक्षी के माध्यम से परिदत किये गये हों, नहीं दे दी जाती और पूर्ववर्ती अधिवेशन के पश्चात् एक मास के अन्तराल से शासी निकाय द्वारा बुलाये गये दूसरे विशेष अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के दो बटा तीन के मतों द्वारा पुष्टि नहीं कर दी जाती।

12-क. सोसाइटियों का नाम परिवर्तन- इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी अपना नाम तत्प्रयोजनार्थ बुलाये गये विशेष साधारण अधिवेशन में पारित सकल्प द्वारा अपने सदस्यों के दो बटा तीन में अन्यून सदस्यों की सम्मति से सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार तथा धारा 12-ख के उपबधों के अध्ययीन परिवर्तित कर सकेगी।

12-ख. नाम परिवर्तन की सूचना- (1) नाम के प्रत्येक परिवर्तन की लिखित सूचना जिस पर सचिव के तथा नाम परिवर्तन करने वाली सोसाइटी के सात सदस्यों के हस्ताक्षरर होंगे, रजिस्ट्रार को, धारा 12-क के अधीन सकल्प पारित होने से पन्द्रह दिन के भीतर भेजी जायेगी।

(2) रजिस्ट्रार, यदि उसका समाधान हो जाय कि नाम परिवर्तन के बारमें इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन कर दिया गया है, नाम परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण करेगा और उस मामले की परिस्थितियों का समाधान करने के लिए परिवार्तित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(3) नाम परिवर्तन उप-धारा (2) के अधीन प्रमाण-पत्र जारी होने पर पूर्ण हो जायेगा और उसके जारी होने की तारीख से प्रवर्तित होगा।

(4) रजिस्ट्रार उप-धारा (2) के अधीन जारी किये गये प्रमाण-पत्र की किसी प्रतिलिपि के लिए एक रुपया फीस प्रभारिता करेगा और इस प्रकार सदत्त की गई समस्त फीस का लेखा-जोखा राज्य सरकार को दिया जायेगा।

12 ग **नाम परिवर्तन का प्रभाव-** इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के नाम परिवर्तन के परिणामस्वरूप उस सोसायटी के किन्हीं भी अधिकारों अथवा बाध्यताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध की गई कोई विधिक कार्यवाही त्रुटियुक्त बनेगी और कोई विधिक कार्यवाही जो उस सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध उसके पूर्ववर्ती नाम से चालू रखी जा सकती थी या प्रारम्भ की जा सकती थी, उस सोसायटी द्वारा या उसके विरुद्ध उसके नये नाम से चालू रखी जा सकेगी या प्रारभ की जा सकेगी।

13 **सोसाइटियों के विघटन और उनके काम-काज के समायोजन के लिए उपबन्ध-** इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी के दो बटा तीन से अन्यून कितने ही सदस्य अवधारित कर सकेंगे कि उसे विघटित कर दिया जाय और तब तक तत्क्षण या तत्समय सहमत समय पर विघटित कर दी जायेगी और सोसायटी की सम्पत्ति और उसके दावों और दायित्वों के निपटारे और व्यवस्थापन के लिए, उसको लागू उस सोसायटी के नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों, और यदि कोई न हों तो जैसा शासी निकाय या वह विशेष समिति, जो सोसाइटी के काम-काज के परिसमापन पर प्रभाव डालने वाले समस्त मामलों के बारे में शासी निकाय के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने के लिए बनाई गई हो, समीचीन समझे उसके अनुसार, सब आवश्यक कार्यवाही की जायेगी.

परन्तु- (1) उक्त शासी निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों, प्रवासियों अथवा सदस्यों अथवा यदि वह विशेष समिति द्वारा यथा पूर्वोक्त प्रतिस्थापित कर दी गई हो तो उसके सदस्यों अथवा सोसाइटी के सदस्यों के बीच कोई विवाद पैदा होने की दशा में उसमें काम-काज का समायोजन, उस जिले के जिसमें सोसाइटी का मुख्य कार्यालय स्थित है, आरम्भिक सिविल अधिकारिता वाले प्रधान न्यायालय को निर्दिष्ट किया जायेगा; और न्यायालय मामले में ऐसा आदेश करेगा जैसा वह अपेक्षणीय समझे;

(2) कोई मामला, जो सोसाइटी के या उसके शासी निकाय के या सोसाइटी के काम-काज का परिसमापन करने के प्रयोजनार्थ शासी निकाय के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने के लिए बनाई गई किसी विशेष समिति के किसी सोसाइटी या शासी निकाय या विशेष समिति के किसी अधिवेशन में स्वयं या परोक्षी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों के दो बटा तीन द्वारा विनिश्चित किया गया हो, खण्ड (i) के अर्थान्तर्गत विवादग्रस्त विषय नहीं समझा जायेगा।

(iii) कोई सोसाइटी तब तक विघटित नहीं की जायेगी जब तक कि सदस्यों में से दो बटा तीन से ऐसे विघटन के लिए इच्छा से ऐसे विशेष साधारण अधिवेशन में जो उस प्रयोजन के लिए बुलाया गया हो, स्वय या परोक्षी के माध्यम से परिदत्त अपने मतों से, अभिव्यक्त न कर दी हो; और

(iv) जब कभी कोई सरकार इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के सदस्य हो या अभिदायकर्ता हो या उसमे अन्यथ हितबद्ध हो तब ऐसी सोसाइटी का विघटन ऐसी सरकार की सम्मति के बिना नहीं किया जायेगा, और

(v) इस धारा की कोई बात किसी लिखत में ऐसी सोसाइटी के विघटन के लिए अन्तर्विष्ट किसी उपबन्ध पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जायेगी।

14. **विघटन पर किसी सदस्य का अधिशेष सम्पत्ति प्राप्त न करना-** यदि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के विघटन पर, उसके सब ऋणों और दायित्वों की पुष्टि के पश्चात्, कोई भी सम्पत्ति रह जाय तो वह उक्त सोसायटी के सदस्यों या उनमें से किसी को सदत्त या उनको वितरित नहीं की जायेगी, किन्तु किसी ऐसी अन्य सोसाइटी चाहे वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या न हो, को दी जायेगी जो विघटन के समय पर स्वयं या परोक्षी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों के दो बटा तीन से अन्यून मतों द्वारा या उसके अभाव में ऐसे न्यायालय द्वारा जैसा पूर्वोक्त है, अवधारित की जायेगी :

परन्तु यह धारा किसी ऐसी सोसाइटी को लागू नहीं होगी जो सयुक्त स्टॉक कम्पनी के रूप में शेयर धारकों के अभिदायों से प्रतिष्ठापित या स्थापित की गई हो :

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात धारा 13 के अधीन विघटित किसी सोसाइटी की सम्पत्ति के सदाय या वितरण के लिए किसी लिखत में अन्तर्विष्ट किसी उपलब्ध पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जायेगी।

14-क. **अधिशेष सम्पत्ति सरकार को दी जा सकेगी-** धारा 14 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, धारा 13 के अधीन विघटित किसी सोसाइटी के सदस्यों के लिए उनकी कुल सख्या के दो बटा तीन से अन्यून मतों द्वारा यह अवधारित कराना विधिपूर्ण

होगा कि सोसाइटी के सब ऋणों और दायित्वों की तुष्टि के पश्चात् जो कोई भी सम्पत्ति रह जाय वह धारा 1-ख में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने हेतु राज्य सरकार को दी जायेगी।

15. सोसाइटी के सदस्य की परिभाषा- इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सोसाइटी का सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जिसने उसके नियमों और विनियमों के अनुसार उसमें सम्मिलित कर लिए जाने पर चन्दा दे दिया हो या उसके सदस्य की नामावली या सूची में हस्ताक्षर कर दिये हों और ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार पद त्याग न किया हो या ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी नियुक्ति या चयन ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार ऐसी सोसाइटी के शासी निकाय के व्यवस्थापक, निदेशक, जिसका चन्दा उस समय तीन माह से अधिक का बकाया हो, सदस्य के रूप में मत देने या गिने जाने का हकदार नहीं होगा।

16. शासी निकाय की परिभाषा- परिषद् समिति या अन्य निकाय (जो व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों से मिलकर बना हो) जिसकी सोसाइटी के नियमों और विनियमों द्वारा उसके काम-काज का प्रबंध सोंपा गया हो, सोसाइटी के शासी निकाय होंगे।

17. अधिनियम के पूर्व बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत नहीं हुई सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण- (1) धारा 1-ख में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए स्थापित और गठित कोई सोसाइटी और धारा 20 में वर्णित प्रकार की अधिनियम के पारित होने से पूर्व इस प्रकार स्थापित और गठित धारा 21 द्वारा निरसित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हुई सोसाइटी, एतद्पश्चात् सोसाइटी के रूप में किसी भी समय इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और अनुसार रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी।

(2) ऐसी सोसाइटी की दशा में यदि सोसाइटी की स्थापना पर ऐसा कोई शासी निकाय गठित न किया गया हो तो उसके सदस्यों के लिये यह सक्षम होगा कि वे सम्यक् सूचना पर, तब से सोसाइटी के लिए कार्य करने के लिए एक शासी निकाय बना लें।

18. कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण से इन्कार करने की रजिस्ट्रार की शक्ति- (1) रजिस्ट्रार-

(क) किसी सोसाइटी की धारा 3 के अधीन, या

(ख) धारा 12-क के अधीन किये गये नाम परिवर्तन का, या

(ग) किसी सोसाइटी का धारा 17 के अधीन,

रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करेगा,

यदि ऐसी सोसाइटी का प्रतिस्थापित नाम उस नाम के समरूप है जिससे किसी अन्य विद्यमान सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण किया गया है अथवा रजिस्ट्रार की राय में ऐसे अन्य नाम के इतना सदृश्य है कि उससे जनता या दोनों में से किसी सोसाइटी के सदस्यों का प्रवंचित हो जाना सभाव्य है।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्ध धारा 21 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सोसाइटियों पर और उस धारा की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट नाम परिवर्तन पर लागू होंगे और यदि धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा निरसित विधियों के अधीन कोई दो या अधिक सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण समरूप नामों से या ऐसे नामों से जो रजिस्ट्रार की राय में एक-दूसरे से इतने सदृश्य हैं कि उनसे जनता या ऐसी सोसाइटियों के सदस्यों का प्रवंचित हो जाना संभाव्य है, किया गया है तो वह सोसाइटी जो सर्वप्रथम इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत की गई थी अपने मूल नाम से काम करना चालू रखेगी और ऐसी अन्य सोसाइटियां अधिनियम के प्रारम्भ से छः मास की कालावधि के भीतर अपने नाम यथोचित रूप से बदल लेगी और उनसे अपेन नाम बदल लेने की रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षा की जा सकेगी।

19. दस्तावेजों का निरीक्षण तथा उनकी प्रमाणित प्रतियाँ- कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के पास दाखिल की गई सब दस्तावेजों का निरीक्षण, हर निरीक्षण के लिये एक रूपये की फीस देकर कर सकेगा और कोई भी व्यक्ति किसी दस्तावेज या किसी दस्तावेज के किसी भाग की नकल या उद्धरण का रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किया जाना, ऐसी नकल या उद्धरण के हर सौ शब्दों के लिये पच्चीस पैसे देकर अपेक्षित कर सकेगा और ऐसी प्रमाणित प्रति सभी विधि कार्यवाहियों में उसमें अन्तर्विष्ट विषयों का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी।

20. सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा- इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी, अर्थात्-

पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटिया, सैनिक अनाथ निधिया, (खादी और ग्रामोद्योग), साहित्य, विज्ञान या ललित-कलाओं

की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिये सोसाइटिया सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां प्राकृतिक इतिहास के सकलन और यात्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।

21. निरसन और व्यावृति- (1) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम, *1860* (*1860* का केन्द्रीय अधिनियम 21) जैसा कि 1950 के राजस्थान अध्यादेश 4 के द्वारा पुनर्गठन राजस्थान राज्य के लिए अनुकूलित किया गया और सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण संबंधी समस्त विधियां जो राज्य के किसी भाग में प्रवृत्त हों, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर निरसित हो जायेंगी।

(2) उप धारा (1) में वर्णित विधियों में से किसी भी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त सोसाइटिया यदि वे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जा सकती हैं तो तद्धीन रजिस्ट्रीकृत की हुई समझी जायेंगी।

(3) ऐसी सासाइटियां जो उप-धारा (2) में निर्दिष्ट हैं, के नामों में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व किये गये समस्त परिवर्तन इस अधिनियम के अधीन क्रिये गये समझे जावेंगे :

परन्तु यदि ऐसा परिवर्तन धारा 12-ख के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नहीं हुआ है या उसकी प्राप्ति में कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है तो इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन मास के भीतर इस निमित्त रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र देने पर उस धारा के अधीन ऐसा रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा और प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।

(4) उप-धारा (1) में वर्णित विधियों के अधीन की गई अन्य समस्त कार्यवाहियां या दिये गये आदेश जब तक कि वे इस अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध या असगत न हों, इस अधिनियम के अधीन की गई या दी गई यथास्थिति समझी जायेंगी।

(5) यदि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की हुई समझी गई किसी सोसाइटी की दशा में धारा 4-क में विनिर्दिष्ट प्रकार की कोई कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व नहीं की गई है तो ऐसी कार्यवाही ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् तीन मास के भीतर सर्वप्रथम और तत्पश्चात् उस धारा के अनुसार की जायेगी और ऐसा करने में असफल रहने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति धारा 4-ख के अधीन दायी होगा।